



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31122022-241571
CG-DL-W-31122022-241571

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2022—जनवरी 6, 2023 (पौष 10, 1944)
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2022—JANUARY 6, 2023 (PAUSA 10, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV [PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I hitherto known as ANUBHUTI daughter of ALOK KUMAR, employed as Consultant in Mastercard India Services Pvt. Ltd., residing at Bungalow No. 80, New Moti Bagh, Shanti Path, New Delhi-110021, have changed my name and shall hereafter be known as ANUBHUTI KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anubhuti
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SURINDER GOSWAMI S/o DAYAL NATH, residing at House No.69, Shiv Enclave Chander Vihar Nilothe Ext., Gali No.3, Shiv Mandir, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name and I shall hereafter be known as RONIT GOSWAMI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURINDER GOSWAMI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JARNAIL SINGH S/o GURDIP SINGH DHILLON, R/o H.No. 471, Golden Avenue Phase-II, Jalandhar-144022, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as JARNAIL SINGH DHILLON.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JARNAIL SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SEEMA alias SUNAINA PURI D/o TARSEM LAL MAHAJAN W/o DEEPAK PURI R/o 53, Friends Avenue, Near Mithapur Chowk, Jalandhar, have changed my name and shall hereafter be known as SUNAINA PURI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SEEMA alias SUNAINA PURI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUKHWINDER JIT W/o JARNAIL SINGH DHILLON, R/o H.No. 471, Golden Avenue Phase-II, Jalandhar, Pin-144022, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHWINDER KAUR DHILLON.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHWINDER JIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VICKY S/o JAGDISH, R/o N-130/31, T-Huts, Bhai Parmanand Colony, (East) Mukherjee Nagar, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as SANDEEP.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VICKY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BHAWAN SINGH alias BHAWAN SINGH BISHT S/o Late KHEM SINGH, R/o Qtr. No. 638, R.K. Puram, Sector-3, New Delhi-110022, have changed my name and shall hereafter be known as BHAWAN SINGH BISHT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAWAN SINGH alias BHAWAN SINGH BISHT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRAVIN RAMLAL CHAUDHARI alias CHAUDHARI PRAVIN RAMLAL alias PRAVIN CHAUDHARI alias PRAVIN S/o RAMLAL CHOUDHARY, residing at Sirviyo Ka Vas, Dhana, Pali, Rajasthan-306115, have changed my name and shall hereafter be known as PRAVIN CHOUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAVIN RAMLAL CHAUDHARI
alias CHAUDHARI PRAVIN RAMLAL
alias PRAVIN CHAUDHARI alias PRAVIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PINTU KUMAR son of RAJDEO VISHWAKARMA, residing at Village+Post-Sarasat, P.S.-Naubatpur, Patna, Bihar-801109, (India), have changed my name and shall hereafter be known as RUDRA SITA RAJDEO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PINTU KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MOHD SHAKEEL S/o MUSHTAQ AHMAD, R/o C-187, Shalimar Garden, Extn-2, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005, have changed my name and shall hereafter be known as SHAKEEL AHMAD.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHD SHAKEEL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DIMPI S/o OM PRAKASH, R/o Ward No. 13, Gudha Tehsil-Indri, Karnal, Haryana-132041, have changed my name and shall hereafter be known as DIMPLE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DIMPI
[Signature (in existing old name)]

I, AAMIR OBAID SIDDIQUI S/o SARWAR OBAID SIDDIQUI, residing at D2/1801, Supertech-Eco Village-2, Greater Noida West, GH01-Sector-16B, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201308, have changed the name of my minor daughter ALISHBA AAMIR SIDDIQUI, aged 12 years and she shall hereafter be known as ALISHBA SIDDIQUI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AAMIR OBAID SIDDIQUI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MEENU BHARTI W/o SUNIL KUMAR BHARTI, residing at K-46, First Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name and I shall hereafter be known as MEENA BHARTI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MEENU BHARTI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ASHISH S/o SURESH KUMAR, residing at RZ-18A, Gali No.20, 21, Vashisht Park, Pankha Road, Delhi-110046, have changed my name and I shall hereafter be known as ASHISH MEHLAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHISH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LAWRENCE P T S/o THOMAS, R/o Dessottu House, Indabettu, Dakshina Kannada, Karnataka-574214, have changed my name and shall hereafter be known as RAJESH PUDUSHERI. I have changed only my name not my religion.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAWRENCE P T
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BIMLA D/o MAHENDER SINGH wife of YUDHISHTHAR KUMAR, resident of Village-Jamalpur, Tehsil-Kotkasim, Post-Katopur, District-Alwar, State-Rajasthan, Pin-301702, and shall now be known as RACHNA SOLANKI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIMLA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SAHARSH SAAIYAAN son of BASANT LAL SAH, R/o Ward No-14, Darhia Belar, Samastipur, Bihar-848129, have changed my name and shall hereafter be known as BAMBAM KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAHARSH SAAIYAAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RITLAL KUMAR VERMA son of ARJUN VERMA, R/o Post Saptar Thana-Madhupur, Gram-Lakhanuwa, Saptar, Saptar, Deoghar, Jharkhand-815353, have changed my name and shall hereafter be known as RITESH RAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RITLAL KUMAR VERMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AISHWARYA SHARMA daughter of Sh. DEEPAK KUMAR W/o Sh. SAURABH AGGARWAL, R/o 366, Chitla Gate, Chawri Bazar, Delhi-110006, shall hereafter be known as AISHWARYA AGGARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AISHWARYA SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DEEPAK S/o SUBHASH CHANDER, R/o 776 Kahnaur, Rohtak, Haryana-124412, have changed my name and shall hereafter be known as DEEPAK KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK
[Signature (in existing old name)]

I, ANUJ KUMAR BARUA S/o R. B. BARUA, R/o Near Market No. 1, C-500, Chittaranjan Park, Ali, South Delhi, Delhi-110019, have changed the name of my minor daughter SONAYA BARUA, aged 9 years and she shall hereafter be known as NIDHI BARUA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANUJ KUMAR BARUA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ANUJ S/o Sh. RAJ PADAM, residing of M-12, Third Floor, Kailash Colony, Greater Kailash, South Delhi, Delhi-110048, have changed my name and shall hereafter be known as ANUJ RAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANUJ
[Signature (in existing old name)]

I, AVINASH KUMAR S/o VEERPAL SINGH, R/o House No. R-15, G/F, Back Side, Block-R, Private Colony, Srinivasapuri, South Delhi, Delhi-110065, have changed the name of my minor son SWARGANSH ROY, aged 09 years and he shall hereafter be known as ANSH GAUTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AVINASH KUMAR
[Signature of Guardian]

I, ARVIND KUMAR DIXIT S/o RAJ KUMAR DIXIT, residing at Chirali, Kundauli, Sarh, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209401, have changed the name of my minor son DARSH DIXIT, aged 9 years and he shall hereafter be known as ABHIRAM DIXIT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR DIXIT
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ROHIT S/o KASHMIR SINGH, R/o Ward No-13, Kishanpura Mohalla, Mukerian, Tehsil-Mukerian, District-Hoshiarpur, Punjab-144211, have changed my name and shall hereafter be known as ROHIT CHIB.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROHIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SAT PAUL S/o PIARA RAM, R/o Nangal, Chachoki, Kapurthala, Punjab-144632, have changed my name and shall hereafter be known as SAT PAL BHATTI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAT PAUL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SIMRAN D/o Sh. PRATAP SINGH, R/o 169, Mayur Vihar Phase-1, Chilla, East Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRAN BAGGA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIMRAN
[Signature (in existing old name)]

I, SANTOSH VISHAL S/o Sh. DHANESHWAR PRASAD, R/o 14/46, Top Floor, Subhash Nagar, West Delhi, New Delhi-110027, have changed the name of my minor daughter SHAANVI, aged 15 years and she shall hereafter be known as SHAANVI VISHAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANTOSH VISHAL
[Signature of Guardian]

I hitherto known as LAXMAN SINGH son of Late Sh. SURAT SINGH, R/o Type 1/26, Jale Vihar Colony, Near Lajpat Nagar, New Delhi-24, have changed my name and shall hereafter be known as LAKSMAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXMAN SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GEETIKA NARANG alias GEETIKA KHUNGER D/o VIJAY PARKASH NARANG W/o SUDHIR KUMAR KHUNGER, residing at B-53, Sri Ram Apartments, Plot-32, Sector-4, Dwarka, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as GEETIKA KHUNGER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETIKA NARANG alias GEETIKA KHUNGER
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHEETAL D/o BALBIR SINGH, R/o E-122, Gali No-5, Nihal Vihar, Nangloi, West Delhi-110041, have changed my name and shall hereafter be known as SHEETAL KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHEETAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MAMTA RANI alias MAMTA alias MAMTA AHUJA D/o KRISHAN LAL KHANNA W/o INDER MOHAN AHUJA, residing at O-32, Ground Floor, J.J. Colony, Sri Niwasपुरi, South Delhi, New Delhi-110065, have changed my name and shall hereafter be known as MAMTA AHUJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAMTA RANI alias MAMTA alias MAMTA AHUJA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as APURV S/o SRI VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA, residing at 243/8, New Colony, Bairi Hanvan, Gandhi Nagar, Amhuti Basti, Uttar Pradesh-272001, have changed my name and shall hereafter be known as APURV SRIVASTAVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

APURV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as IQBAL SINGH alias YOGINDER SINGH S/o Late Sh. GURNAM SINGH, R/o N-380, Raghubir Nagar, Tagore Garden, New Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as YOGINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

IQBAL SINGH alias YOGINDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIJAY alias AMAN DHIRAN S/o RAJESH KUMAR, residing at Type-B4, Desu Colony, Timarpur, Delhi-110054, have changed my name and shall hereafter be known as AMAN DHIRAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY alias AMAN DHIRAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PIYUSH S/o Sh. PRATAP SINGH, R/o 169, Mayur Vihar Phase-1, Chilla, East Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as PIYUSH BAGGA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PIYUSH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as CHARU alias CHARU YADAV alias KM CHARU YADAV alias KM CHARU D/o RAMVRAT YADAV, residing at Y Block, H. No. 78, Sector-12, Noida Gautam Buddha Nagar, UP-201301, have changed my name and shall hereafter be known as CHARU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHARU alias CHARU YADAV
alias KM CHARU YADAV alias KM CHARU
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAHUL DWIVEDI S/o Late GOVIND LAL DWIVEDI, residing at H.No-268, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as ARIHANT BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAHUL DWIVEDI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BHAWANA GOYAL D/o RAJIV BHUSHAN, residing at H. No.117, New Defence Colony, Kukar Pind, Nangal Karar Khan, Jalandhar, have changed my name and shall hereafter be known as BHAWNA GOEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAWANA GOYAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MANPREET PARAMJEET HUTHWAL alias HUTHWAL MANPREET KAUR PARAMJEET D/o PARAMJEET SAMPURANSINGH HUTHWAL W/o CHANDER SHEKHAR JOSHI, R/o X-2002, The Hyde Park, Sector-78, Noida, Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name and shall hereafter be known as MANPREET HUTHWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANPREET PARAMJEET HUTHWAL
alias HUTHWAL MANPREET KAUR PARAMJEET
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJ KR SHAW alias RAJ KUMAR SHAW son of CHATURI SHAW, employed as INSPECTOR/GD in the 87 BN BSF "HQ"-COY HQ POKRAN, residing at 49, Bhairab Dutta Lane, Post Office- Salkia, Police Station- Golabari, District-Howrah, Pin.-711106, have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KUMAR SHAW.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KR SHAW alias RAJ KUMAR SHAW
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUYASH KUMAR SHANKHDHAR S/o VISHWNATH SHANKHDHAR, R/o Hayat Nagar, Distt-Sambhal, Uttar Pradesh-244302, have changed my name and shall hereafter be known as YASH SHANKHDHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUYASH KUMAR SHANKHDHAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANIL KUMAR SACHDEVA son of Shri BRIJ MOHAN SACHDEVA, residing at A-68, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as ANIL SACHDEVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KUMAR SACHDEVA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MOHD NAJMUL HODA BABLU alias NAJMUL HODA S/o MOHD JAMIL AKHTAR, residing at H. No.122, Meera Enclave, Near Park Hospital, Chaukhandi, Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as MD NAJMUL HODA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHD NAJMUL HODA BABLU alias NAJMUL HODA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJ KUMARI DORIA daughter of Shri SURESH CHANDER DORIA wife of Shri SHASHI KANT, residing at H-208, Pocket C, DDA, LIG Houses, (Flats) Molarband, Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as RAYANA RATHORE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KUMARI DORIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SWATI wife of Shri DISHANK JHARWAL employed as Assistant Professor in the Atma Ram Sanatan Dharma College, New Delhi-110021, residing at 6 Vinayak Nagar Ward Number 35 Udaipur Tehsil Girwa Dist. Udaipur-313001, have changed my name and shall hereafter be known as SWATI JHARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SWATI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAKSHAK AGGARWAL S/o KRISHAN KUMAR AGGARWAL, R/o 1/6940, Near Arya Samaj Mandir, Shahdara, Shahdara S.O., East Delhi, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as RAKSHIT AGGARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKSHAK AGGARWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KULJIT KUMAR S/o MANGAL DASS, R/o Vill. Munak Khurd PO. Munak Kalan, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur, Punjab-144204, have changed my name and shall hereafter be known as KULJIT SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KULJIT KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRADEEP KUMAR BIJALWAN S/o Shri CHINTAMANI BIJALWAN, residing at 61 SF, Unitech Woodstock Nirvana Country, Sector-50, Gurgaon, Haryana-122018, have changed my name and shall hereafter be known as PRADEEP BIJALWAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRADEEP KUMAR BIJALWAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUMIT S/o SANJEEV SHARMA, R/o Ganga Baba Mandir Road, Near Tower, Kashipur, Uttarakhand-244713, have changed my name and shall hereafter be known as SUMIT SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUMIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SATYAWATI W/o SAURABH GUPTA, residing at A-604, Kingswood Court, Crossing Republic, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201016, have changed my name and shall hereafter be known as SHREYA GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATYAWATI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUMITRA YADAV alias SUMITRA DEVI D/o NARENDER YADAV W/o JAI SINGH, residing at Village & Post Office Jhal, Tehsil Kosli, District Rewari, Haryana - 123302, have changed my name and shall hereafter be known as SADHANA YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUMITRA YADAV alias SUMITRA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RITA alias RITA RANI alias REETA alias REETA RANI W/o Shri LALIT KUMAR D/o RAGUBIR SINGH, R/o H. No. A-24, Vipin Garden, Sainik Enclave Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as RITANSHI RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RITA alias RITA RANI alias REETA alias REETA RANI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUPRIYA D/o GURMUKH BAJAJ, residing at AC-66, 2nd Floor, Tagore Garden, Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as SUPRIYA BAJAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUPRIYA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ESHITA D/o SANJEEV CHUGH, residing at L-1-605, SVP Gulmohar Garden, Raj Nagar Extension, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201017, have changed my name and shall hereafter be known as ESHITA CHUGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ESHITA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as POOJA SHARMA D/o PRAKASH CHANDRA SHARMA, R/o C-61, 2nd Floor, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201011, have changed my name and shall hereafter be known as POOJA DANDRIYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

POOJA SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I, UPENDER YADAV S/o CHARITRA YADAV, R/o 31T-Huts, Gopal pur Village, North West Delhi, Delhi-110009, have changed the name of my minor son ROHAN, aged 12 years and he shall hereafter be known as ROHAN YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UPENDER YADAV
[Signature of Guardian]

I, UPENDER YADAV S/o CHARITRA YADAV, R/o 31T-Huts, Gopal pur Village, North West Delhi, Delhi-110009, have changed the name of my minor son ROSHAN, aged 14 years and he shall hereafter be known as ROSHAN YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UPENDER YADAV
[Signature of Guardian]

I hitherto known as PRIYA KATARIA D/o JAGDISH SINGH KATARIA wife of DEEPAK DALAL, residing at J-902 Ranjit Vihar 2 Plot No 16 Sector 23 Dwarka New Delhi-110077, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYA DALAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYA KATARIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DHAN SINGH alias DHAN SINGH GUSAIN S/o MAHABIR SINGH GUSAIN, employed as M. E. A. , Regional Passport Office, Trikoot-3, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram New Delhi-110066, R/o 58H, Pocket A1, Mayur Vihar Phase-III, New Delhi-110096, have changed my name and shall hereafter be known as DHAN SINGH GUSAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHAN SINGH alias DHAN SINGH GUSAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PURUSHOTAM KUMAR S/o KASHI NATH DUBEY, presently residing at C-102, First Floor, Ram Dutt Enclave, DK Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059 and permanent residing at Village-Durgadih, Anchal-Bikramganj, District-Rohtas, Bihar-802212, have changed my name and shall hereafter be known as SHIVA DUBEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PURUSHOTAM KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NANCY alias NANCY GIRDHAR alias INDU D/o JAGDISH RAI W/o AMIT GIRDHAR, residing at H. No. B 1200131, Guru Angad Dev Nagar, ST. No 2 Kotkapura Road Muktsar District Sri Muktsar Sahib Punjab 152026, have changed my name and shall hereafter be known as INDU GHEEK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NANCY alias NANCY GIRDHAR alias INDU
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KRISHAN GOPAL KAKRIA S/o RAM MURTI, residing at Mithan Lal Street Bank Road Muktsar District Sri Muktsar Sahib Punjab-152026, have changed my name and shall hereafter be known as KRISHAN GOPAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRISHAN GOPAL KAKRIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MALO DEVI W/o MUKESH YADAV, R/o 145, Baken Toli Hotwar Farm, P.S Sadar P.O Hotwar, Dist-Ranchi Jharkhand-835217, have changed my name and shall hereafter be known as SHILA DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MALO DEVI
[Thumb Impression]

I hitherto known as KAMAL NAYAN S/o DARENDRA PRASAD MANDAL, R/o English Patam, Thana Ramnagar, Patam, Jamalpur, Jamalpur Munger, Bihar-811214, have changed my name and shall hereafter be known as PRAMOD KUMAR MANDAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMAL NAYAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ROHIT CHAWALA son of Sh. SUNIL CHAWLA, residing at PP-12 Near Church Laxmi Nagar Gandhi Nagar Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as ROHIT CHAWLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROHIT CHAWALA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SIMRANJIT KAUR wife of BHUPINDER SINGH, residing at Vill Pull Pukhta, PO Miani Tehsil Dasuya Distt. Hoshiarpur-144202 Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as KAUR SIMRANJIT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIMRANJIT KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, AJAY KUMAR S/o PARASNATH SINGH, R/o Flat No. 101, 2B, Radhey Heritage, Goa Road, Palaspe, Tal- Panvel, Dist- Raigad- 410206, have changed the name of my minor son AYAN SINGH, aged about 3 years and he shall hereafter be known as AYANSH SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJAY KUMAR
[Signature of Guardian]

I, KAILASH CHANDER S/o KISTURA RAM, R/o Ward No 01, Suranwali, 7 HDP, Hanumangarh, Surewali, Rajasthan-335802, have changed the name of my minor daughter REKHA, aged about 17 years and she shall hereafter be known as SONU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAILASH CHANDER
[Signature of Guardian]

I hitherto known as BABY THAKURI D/o NANIGOPAL DEBNATH, W/o SRI SARBAN KR. THAKUR, R/o New Settlement Area, VTC: Digboi, Margherita, Tinsukia, Assam-786171, have changed my name and shall hereafter be known as BABY DEBNATH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABY THAKURI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SARABJIT SINGH KHOSA S/o ATMA SINGH, residing at Village Kot Karor Kalan District Ferozepur Punjab-142060, have changed my name and SARABJIT SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARABJIT SINGH KHOSA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PROMILA DHINGRA W/o PARSHOTAM LAL, R/o Bajaj Dairy Tahli Mohalla Ferozepur City, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as PROMILA BAJAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PROMILA DHINGRA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PROSANTA KUMAR BISWAS alias PRASANTA KR BISWAS S/o SUNIL BISWAS, employed as Operator (E & M) as Central Public Works Department, R/o 16/D, R.N, Banerjee Road, Khardah, North 24 Parganas, West Bengal-700117, have changed my name and shall hereafter be known as PRASANTA KUMAR BISWAS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PROSANTA KUMAR BISWAS
alias PRASANTA KR BISWAS
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JHUMA DEY W/o ASHOK DEY, R/o 2 No Kalighat Road, Shyamsundar Pally, Chhat Guriahati, Cooch Behar, Guriahati, West Bengal- 736101, have changed my name and shall hereafter be known as MIRA DEY CHAKRABORTY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JHUMA DEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AMIT PANDEY S/o NARU PANDEY, R/o 100 Bidyasagar Pully, Mulancha Road, Naihati (M), North Twenty Four Parganas, West Bengal- 743166, have changed my name and shall hereafter be known as AMIT ADHIKARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT PANDEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GULLU CLEARMONEY S/o ASHOK KUMAR KAPOOR, R/o D-87, Vigyanpuri, Sector-C, Mahanagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226006, have changed my name and shall hereafter be known as GAURAV KAPOOR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GULLU CLEARMONEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PINKY D/o BALBIR W/o AMAR R/o A-302, F/F, Khanpur, South Delhi, Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYANKA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PINKY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJNI SINGAL W/o RAKESH KUMAR SINGAL, R/o V.P.O. Samadh Bhai, District Moga, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as RAJNI BALA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJNI SINGAL
[Signature (in existing old name)]

I, RUMA MULA W/o LATE SUBODH CHANDRA MULA, R/o Ward-11, Side of H P Gas Godown, Near Municipality Dormitory Office, Hatabari, Contai (m), Purba Medinipur, West Bengal- 721401, have changed the name of my minor son SAYANDEEP MULA, aged about 13 years and he shall hereafter be known as SAYAN DEEP.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RUMA MULA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MD. BETAB S/o MUSHTAQUE AHMAD, R/o Mushtaque Vila, Janipur, Naya Makan, Ward-04, Sorampur, Patna, Bihar - 801505, have changed my name and shall hereafter be known as SOHAIL AHMAD.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MD. BETAB
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RANJEET SINGH S/o JAGGEET SINGH, residing at H.No.183-B, Gurbax Nagar, Nawankot, Amritsar-143001 Punjab, have changed the name of my minor son's HARSHDEEP SINGH, age 17 years and she shall hereafter be known as ARSHDEEP SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANJEET SINGH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as BHARTHA RAM S/o KANA RAM KUMAWAT, R/o Laxmipura, Sheo, Barmer, Rajasthan-344701, have changed my name and shall hereafter be known as BHARAT SINGH POUD.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHARTHA RAM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KULDEEP S/o BHANWARLAL, R/o Bhagatpura, Sikar, Danta Ramgarh, Rajasthan- 332023, have changed my name and shall hereafter be known as KULDEEP PAUL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KULDEEP
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NG RAVI aliwas RAVI NGORUH S/o NG ANAND, R/o Japhou Bazar, Chandel Subdiv, Chandel, Manipur- 795127, have changed my name and shall hereafter be known as KEVIN NGORUH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NG RAVI alias RAVI NGORUH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJPAL SINGAR S/o BANNA RAM SINGAR, R/o 617, Ward No 8, Abhawas, Sikar, Rajasthan-332602, have changed my name and shall hereafter be known as RAAZ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJPAL SINGAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BIJAY CH KARMAKAR S/o SASTI PADA KARMAKAR, R/o Salanpur, Bardhaman, West Bengal- 713357, have changed my name and shall hereafter be known as BIJOY CHANDRA KARMAKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIJAY CH KARMAKAR
[Signature (in existing old name)]

I, RAVINDRA NATH GUPTA S/o RAM BRIKSH, R/o Sahukol, Mirzapur, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 2730161, have changed the name of my minor son YASH RAVINDRA NATH GUPTA, aged about 3 Years and he shall hereafter be known as YUG GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAVINDRA NATH GUPTA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SHIVESH S/o JAISHANKAR CHATURVEDI, R/o Ward No-23, Arhatiya Mohalla, Robertsganj, Sonbhadra, Uttar Pradesh- 231216, have changed my name and shall hereafter be known as SHIVESH CHATURVEDI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVESH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAWAHIR RAMDAS YADAV S/o RAMDAS YADAV, R/o No. 52A/7, Kridal Mandal, B-Cabin, Behind Vijay Jim, Ambarnath, Thane, Ambarnath, Maharastra-421501, have changed my name and shall hereafter be known as JANGILAL RAMDAS YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAWAHIR RAMDAS YADAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRIYANK RAJPUT S/o NARENDRA PRATAP SINGH, R/o Gajrola Achpal, Bijnor, Uttar Pradesh- 246701, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYANK SINGH PARMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYANK RAJPUT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHARANYA SIVARAMAN D/o KERALACHERRY MUNDANKOTIL SIVARAMAN and W/o RAKSHITH HOSAKOTE, resident of No. 281, 3rd A Main, 7th Cross, A M S Layout, Vidyananyapura, Bengaluru, Karnataka-560097, have changed my name and shall hereafter be known as SHARANYA HOSAKOTE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHARANYA SIVARAMAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GURWINDER KAUR W/o PARMINDER SINGH, R/o Village Killi District. Ferozepur, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as GURNINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURWINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MAMTA DEVI W/o BHARAT LAL, R/o Katra Medni Ganj Dt. PratapGarh U.P-230131, have changed my name and shall hereafter be known as MUNNI DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAMTA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MEENA KUMARI alias MEENA GARG W/o ASHOK KUMAR AGGARWAL, residing at 216. M.D.C, Sector-4, Panchkula, Haryana-134114, have changed my name and shall hereafter be known as MEENA AGGARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MEENA KUMARI alias MEENA GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NACHHATTAR SINGH BRAR S/o MALKIAT SINGH, R/o H. No-195, Toor Enclave, Near Fair Farm Resort, Jalandhar-I, Distt. Jalandhar, Punjab-144008, have changed my name and shall hereafter be known as NACHHATTAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NACHHATTAR SINGH BRAR
[Signature (in existing old name)]

I, MUKUL REKSH S/o HARKESH KUMAR, R/o HIG 839, HIG Quarters, Phase 2, S.A.S. Nagar (Mohali), SAS Nagar (Mohali), Punjab-160062, I, have changed the name of my minor daughter MISHELL REKSH, aged about 7 months and she shall hereafter be known as EESHVI REKSH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKUL REKSH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as AMIT KUMAR alias AMIT KUMAR GIRDHAR S/o SURINDER KUMAR GIRDHAR, residing at# B 1200131, Street No. 2 Guru Angad Dev Nagar, Kotkapura Road Muktsar District Sri Muktsar Sahib Punjab 152026, have changed my name and shall hereafter be known as AMIT GIRDHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT KUMAR alias AMIT KUMAR GIRDHAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as CHARANVEER SINGH BRAR alias NAVJOT SINGH S/o GURSEWAK SINGH, residing at VPO Bhagsar, Tehsil Sri Kuktsar Sabhib, Distt. Sri Muktsar Sahib-152026 (India), have change Changed my name and shall hereafter be known as CHARANVEER SINGH BRAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHARANVEER SINGH BRAR alias NAVJOT SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHARANGPANI APURVA SANJEEV S/o DR. SANJEEV RAMESH SHARANGPANI (Late), employed as Commanding Officer in the name of office 625 Electronics and Mechanical Engineers Battalion, residing at present address 625 Electronics and Mechanical Engineers Battalion, Pin-906625, care of 56 APO, have changed my name and shall hereafter be known as APOORV SANJEEV SHARANGPANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHARANGPANI APURVA SANJEEV
[Signature (in existing old name)]

I, INDERJIT SHARMA S/o VASDEV SHARMA, residing at 1538, Sector-7, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001, have changed the name of my minor son DHRUV GARG, age 16 years and he shall hereafter be known as DHRUV SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

INDERJIT SHARMA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as VIJAY KUMAR S/o CHUNNI LAL, residing at 2703, Rattan Singh Chowk, Gali No.5, Navi Abadi Karam Pura, Amritsar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as VIJAY KUMAR MAHAJAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SIMRANJIT KAUR wife of BHUPINDER SINGH, residing at Vill Pull Pukhta, PO Miani Tehsil Dasuya Distt. Hoshiarpur-144202 Punjab, have changed my minor son GURKIRT SINGH, age 12 years and he shall hereafter be known as SINGH GURKIRT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIMRANJIT KAUR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as JASPREET son of HARJINDER PAL, residing at V.P.O Gobindpur, Distt. Shaheed Bhagat Singh Nagar, Punjab-144510, have changed my name and shall hereafter be known as JASPREET SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASPREET
[Signature (in existing old name)]

I, VIKRAMJIT SINGH DHANJU son of PIARA SINGH, residing at Nazdik bus stand Vishal Nagar Gali Number 3 Malout Road Muktsar District Sri Muktsar Sahib-152026 Punjab, have changed the name of my minor daughter SARGUN DHANJU, aged 15 years and she shall hereafter be known as SARGUN KAUR DHANJU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKRAMJIT SINGH DHANJU
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ANKIT GUPTA son of KRISHAN KUMAR, residing at H.No-725/13, New Geeta Colony, Moga, Punjab-142001, have changed my name and shall hereafter be known as ANKIT TAYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANKIT GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JASWANT KAUR BRAR W/o NACHHATTAR SINGH, R/o H. No-195, Toor Enclave, Near Fair Farm Resort, Jalandhar-I, Distt. Jalandhar, Punjab-144008, have changed my name and shall hereafter be known as JASWANT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASWANT KAUR BRAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SEEMA RANI W/o SAAWAN BAJAJ, R/o House No-329, Kirti Nagar, Ferozepur City, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SEEMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SEEMA RANI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GURMEET KAUR W/o HARPAL SINGH, R/o Village-Badhni Gulab Singh, Distt-Ferozepur, Punjab-142052, have changed my name and shall hereafter be known as NASIB KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURMEET KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RANJIT S/o RAJU, residing at House No.-140, Ward No.-14, Gandhi Nagar, Ferozepur City, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as HAPPY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANJIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DILIP BHUJAL S/o NAR BAHADUR BHUJEL, R/o 2 No. Batiaroka, sonitpur, Assam- 784175, have changed my name and shall hereafter be known as DILIP BHUJEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DILIP BHUJAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIKU RAM S/o PREM SINGH, employed as Inspector in Jammu and Kashmir Police, R/o Devigarh, Tehsil Bhomag, Devi Garh, sukhalthati, Reasi, Jammu and Kashmir-182311, have changed my name and shall hereafter be known as YUVRAJ THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIKU RAM
[Signature (in existing old name)]

I, M SAI RAM S/o MANCHALA JAGANNATH, resident of 175/A, Ramnagar, Picket, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500026, have changed the name of my minor son's MANCHALA MOKSHITH, aged 9 years and he shall hereafter be known as MANCHALA SAHIL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M SAI RAM
[Signature of Guardian]

I hitherto known as RAJESH KUMAR JAIN S/o SHRI PRAKASH CHAND JAIN, residing at 1923/145, Ganeshpura, Tri Nagar, Onkar Nagar, North West Delhi, Delhi-110035, have changed my name and I shall hereafter be known as RAKESH JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJESH KUMAR JAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PARO BHARTI W/o RATAN SINGH, R/o B-820, Mahawar Nagar, Kotla Mubarakpur, Central Delhi, Delhi-110003, have changed my name and shall hereafter be known as PARVATI DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARO BHARTI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KEHARA RAM S/o BHOMA RAM, R/o Huddo Ki Dhani, Newra Road, Jodhpur, Rajasthan-342303, have changed my name and shall hereafter be known as KAILASH HUDDA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KEHARA RAM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as TINU JAIN son of BAJRANGLAL JAIN, residing at 101, 2nd Floor, Kapil Vihar, Pitampura, North West Delhi, Saraswati Vihar, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as SHIV SHANKAR JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TINU JAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJINDER KUMAR GARG S/o HAKAM SINGH, resident of Baraf Wali Gali, Aggarwal Colony, Giddarbaha-152101, Distt. Sri Muktsar Sahib, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as RAJINDER KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJINDER KUMAR GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ROSHANI KHAN daughter of MUHAMMAD JUNAB KHAN and wife of SAKET KUMAR TIWARY, employed as Senior Auditor, Local Fund Audit Department, Uttar Pradesh, residing at Flat No. 211, Royal Enclave Apartment, Infront of City Law, Chinhat, Lucknow-226028 (Currently residing at 3/143, Vidhya Nagar Colony, Ramghat Road, District Aligarh, UP), have changed my name and shall hereafter be known as ROSHANI TIWARY. I have changed my name and not my religion.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROSHANI KHAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as K.SAKETH alias KUPPILI SAKETH, S/o KUPPILI SRINIVAS, R/o D.No.53-32-5/17, Near Venkateswara Temple, KRM Colony, Seethammadhara, Visakhapatnam-530013, Andhra Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as KUPPILI SAKETH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K.SAKETH alias KUPPILI SAKETH,
[Signature (in existing old name)]

I, NAVNEET KAUR D/o GURMEET SINGH, residing at H.No.7-B, Ranjit Nagar, Jalandhar, have changed the name of my minor son AJAYBIR SINGH SANGARI, aged 17 years and he shall hereafter be known as AJAYBIR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAVNEET KAUR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SIMRAN PREET KAUR SADIORA alias AMANDEEP KAUR W/o INDERJIT SINGH SADIORA, residing at Ward No. 1, VPO Begowal, Tehsil Bholath, Distt. Kapurthala - 144621, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRANPREET KAUR SADIORA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIMRAN PREET KAUR SADIORA
alias AMANDEEP KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known SUGAM SONDHI alias SUGAM GOPAL SONDHI alias S SUGAM SONDHI S/o Late Brig. PARTAP CHANDER SONDHI, R/o C-563, New Friends Colony, New Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as SUGAM SONDHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUGAM SONDHI alias SUGAM GOPAL
SONDHI alias S SUGAM SONDHI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PARVATHY KUMARA GURU alias K PARVATHY D/o NARAYANASAMY W/o KUMARA GURU, R/o 22/213, Main Road, Ponnagar, Tiruchirappalli, Taminadu-620001, have changed my name and shall hereafter be known as PARVATHY KUMARA GURU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARVATHY KUMARA GURU alias K PARVATHY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MOHIT GARG S/o INDERJIT SHARMA, residing at 1538, Sector-7, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001, have changed my name and I shall hereafter be known as MOHIT SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHIT GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SACHIN KUMAR S/o CHURU RAM, R/o 30/B, Lane No 15, Near Kheer Bhawani Temple, Janipur, Jammu and Kashmir-180007, have changed my name and shall hereafter be known as SACHIN SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SACHIN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, ZARGAR MUNEER AHMAD S/o GHULAM RASOOL ZARGAR, residing at Green Colony, Bagati Shoor, Lal Bazaar, Srinagar, Jammu & Kashmir-190023, have changed the name of my minor daughter ZAAFIRA MUNEER, aged 14 years and she shall hereafter be known as QAIFA ZARGAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ZARGAR MUNEER AHMAD
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SHASHI GARG W/o INDERJIT SHARMA, residing at 1538, Sector-7, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001, have changed my name and I shall hereafter be known as SHASHI SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHASHI GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARANJAN SINGH son of DALIP SINGH, residing at Vill. Muridke PO Kala Afgana Tehsil Batala, Gurdaspur-143513, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as NARIANJAN SINGH RANDHAWA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARANJAN SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ROOBI alias RUBEE VERMA alias RUBI DEVI W/o Late RAJEEV KUMAR PATEL, R/o Vill. H.No. 31, Bhawanipur, Post-Dewapar, Mariahu, Jaunpur-222136, have changed my name and shall hereafter be known as RUBEE PATEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROOBI alias RUBEE VERMA alias RUBI DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SANDEEP KAUR HUNDAL wife of BALDEV SINGH, residing at 90, Sitara Avenue, Amritsar-143501, have changed my name and shall hereafter be known as SANDEEP KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANDEEP KAUR HUNDAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BALDEV SINGH HUNDAL son of SULAKHAN SINGH, residing at 90, Sitara Avenue, Amritsar-143501, have changed my name and shall hereafter be known as BALDEV SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALDEV SINGH HUNDAL
[Signature (in existing old name)]

I, SUMIT DALAL S/o Shri SATYENDER SINGH DALAL, residing at 27/5, PWD Colony, Ambala Cantt., Ambala, Haryana-133001, have changed the name of my minor daughter SAMAIRA DALAL aged 3 years 4 months and she shall hereafter be known as DIA DALAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUMIT DALAL
[Signature of Guardian]

I hitherto known as L PAWAN KUMAR son of LABBA SIMHACHALAM, residing at Block No- 74/II/9, Unit No- 2, South Eastern Railway, South Colony, B N R, Garden Reach, Kolkata-700043.(WB), have changed my name and shall hereafter be known as LABBA PAWAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

L PAWAN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BALJINDER KUMAR S/o HANS RAJ, R/o H. No. 333, Ward No. 9, Dashmesh Nagar, Teh. Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Punjab), have changed my name and shall hereafter be known as BALJINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALJINDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as M CHENNAKESAVULU S/o JWALAPURAM CHINNANARASIMHULU Late employed as Assistant (A-II) in Software Technology Parks of India, 6Q3, 6th Floor Cyber Tower Hitec City Madhapur, Hyderabad-500081, residing at H.No. 21-9, Ambedkar Colony, Tellapur Village, R.C. Puram Mandal, Sangareddy District-502032, have changed my name and shall hereafter be known as JWALAPURAM CHENNAKESAVULU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M CHENNAKESAVULU
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUKHWINDER KAUR wife of SADHU SINGH, residing at Village Sarai, P.O. Bhattike, Baba Bakala, Amritsar-143116, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHJINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHWINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHIVE RAM SINGH KUSHWAHA alias S. R. S. KUSHWAH alias SHIVA RAM SINGH KUSHWAH alias SHIV RAM SINGH KUSHWAH S/o PRABHU DAYAL KUSHWAH, R/o 45, Ravindra Enclave Phase-2, Baltana, SAS Nagar, Mohali, Punjab-140604, have changed my name and shall hereafter be known as SHIVE RAM SINGH KUSHWAH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVE RAM SINGH KUSHWAHA alias S. R. S.
KUSHWAH alias SHIVA RAM SINGH KUSHWAH alias
SHIV RAM SINGH KUSHWAH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as YASHAVANT SHANKAR SHINDE S/o SHANKAR GANGAJI SHINDE employed as Senior Work Assistant-A in Bhabha Atomic Research Centre at (BARC) Trombay, Mumbai, Maharashtra-400085, Govt. of India residing at A-18 Brahmaputra, Anushakti Nagar, DEA Quaters, Mumbai Suburban, Maharashtra-400094, have changed my name and shall hereafter be known as YASHWANT SHANKAR SHINDE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YASHAVANT SHANKAR SHINDE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LAKHVIR S/o DARSHAN, R/o Patti Khera, V.P.O. Rurkee, Tehsil Phillaur, Distt. Jalandhar, Punjab-144311, have changed my name and shall hereafter be known as LAKHVIR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAKHVIR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJAT S/o HARJINDER SINGH, residing at 360, Ward No. 8, Mohalla Baghwala, Shahkot,

Jalandhar, Punjab-144702, have changed my name and shall hereafter be known as RAJAT WALIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJAT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as Bhole Nath S/o Ram Awadh, R/o Gondwa, Faizabad, Uttar Pradesh- 224126, have changed my name and shall hereafter be known as Ashish Chauhan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Bhole Nath
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as Jitesh S/o Raghu Raj Singh, residing at E 12, Jeewan Park, Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as Jitesh Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Jitesh
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as Kuber Singh K C S/o Top Singh, residing at B-495-D-Vasant Kunj Enclave, Vasant Kunj, Delhi-110070, have changed my name and shall hereafter be known as Kuber Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kuber Singh K C
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as Amarjit Kaur Jassal W/o Darshan Singh, R/o H. No-28, St. No-2, Baba Ram Lal Nagar Ferozepur City, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as Amarjit Kaur.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Amarjit Kaur Jassal
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as Shibani Bhoumik D/o Chittaranjan Biswas, R/o 131/A, East Chandmari, 3rd Lane, Barrackpore (m), North 24 Parganas, Nonachandanpukur, West Bengal-700122, have changed my name and shall hereafter be known as Shibani Bhowmick.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shibani Bhoumik
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HEMA THAPA W/o SHREE PRASAD THAPA, R/o Khaprail, New Chamta, Sainik Puri, Jhauguri, Darjeeling, West Bengal-734009, have changed my name and shall hereafter be known as HUM KUMARI THAPA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEMA THAPA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KARTIK CHANDRA BHOUMIK S/o GOPAL CHANDRA BHOWMICK, R/o 131/A, East Chandmari, 3rd Lane, Barrackpore (M), North 24 Parganas, Nonachandanpukur, West Bengal-700122, have changed my name and shall hereafter be known as KARTICK CHANDRA BHOWMICK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KARTIK CHANDRA BHOUMIK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AMIT KUMAR PATNNALA S/o Late G NARSINGA RAO, R/o Ward No-17, Bidhanpally, Kharida, Kharagpur (M), Paschim Medinipur, West Bengal-721301, have changed my name and shall hereafter be known as AMIT KUMAR GOMPA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT KUMAR PATNNALA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANJNA RAMESH BHATIA alias ANJNA BHATIA D/o RAMESH GULABRAI BHATIA W/o SANTOSH NANDLAL NICHANI, R/o Flat No.1, Satya Prakash Bldg.-1, Road, Tps 6, Santacruz, West Mumbai Maharashtra-400054, have changed my name and shall hereafter be known as ANJNA NICHANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJNA RAMESH BHATIA alias ANJNA BHATIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MARINA SHARON ANTHONY QUADROS D/o ANTHONY QUADROS W/o MERWIN ANIL MARTIS, R/o 15A/ 602, Flower Valley Complex, Eastern Express Highway, Opp Jupiter Hospital, Khopat, West Thane, Maharashtra- 400601, have changed my name and shall hereafter be known as MARINA QUADROS MARTIS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MARINA SHARON ANTHONY QUADROS
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIJAY KUMAR JAIN son of CHAGAN MAL DOSI, residing at H.No-07, Dosi Bhawan, Paltan Bazar Guwahati, Rehabari, GMC Kamrup, Assam-781008, have changed my name and shall hereafter be known as VIJAY SINGH DOSI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY KUMAR JAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJINDER SINGH S/o SARWAN SINGH, residing at Tehsil-Samrala, Seh, Ludhiana, Punjab-141417, have changed my name and shall hereafter be known as RAJINDER SINGH BILLING.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJINDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NIRMALA RAGHUNATH SHETYE W/o RAGHUNATH SHETGAONKAR, R/o #730, Mardiwada, Pernem Taluka, Morijim, North Goa- 403512, have changed my name and shall hereafter be known as NIRMALA RAGHUNATH SHETGAONKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIRMALA RAGHUNATH SHETYE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JEEVAN LATA D/o CHET RAM, R/O Vill.-Nehra, P.O. Chambi, Teh. Sunder Nagar, Dist.Mandi, Himachal Pradesh-125010, have changed my name and shall hereafter be known as JIGYASHA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JEEVAN LATA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GUNDA NAGI SETTY alias GUNDE NAGISETTY S/o G YELLA SUBBARAYUDU, R/o 12/ 112C, Venkateswara Nagar, Kallur Mandal, Kurnool, Andhra Pradesh-518002, have changed my name and shall hereafter be known as GUNDA NAGISETTY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GUNDA NAGI SETTY alias GUNDE NAGISETTY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HARMAN RAM SARAN S/o BHANWAR LAL, residing at Ward No-05, Gav-Udasar, Bikaner, Rajasthan-334804, have changed my name and shall hereafter be known as HANUMAN SARAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARMAN RAM SARAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ABHISHEK S/o ASHOK KUMAR VERMA, residing at Verma Niwas, Aanand Nagar, Gobarsahi Dumri Road, Muzaffarpur, Bihar-843146, have changed my name and shall hereafter be known as ABHISHEK VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHISHEK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUNITA RANI W/o KULDIP SINGH SAINI, residing at B-23/368, Ajit Nagar, Aslamabad, Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name and shall hereafter be known as SUNITA SAINI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA RANI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SINDERPAL SINGH S/o NAHAR SINGH, resident at Takhtupura Road, Lohara, Moga-142039, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as SURINDERPAL SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SINDERPAL SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAKHADE DIPA RAMESHJI W/o VIJAY CHAUDHARY, R/o Irrigation Colony, Nayapara, Narayanpur, Chhattisgarh- 494661, have changed my name and shall hereafter be known as DIPA CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKHADE DIPA RAMESHJI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MAHIBUL HOQUE S/o SARAB ALI, R/o Vill-Mahammadpur, Kadong, Barpeta, Assam- 781314, have changed my name and shall hereafter be known as MAHIBUL ISLAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHIBUL HOQUE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JITU SA S/o SADANANDA SA, R/o Palsada, Jharsuguda, Panchgaon, Odisha-768226, have changed my name and shall hereafter be known as GAUTHAM SADANANDA SA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JITU SA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NISHA GOYAL D/o PARSHOTAM LAL W/o VINOD KUMAR, residing, H. No. 408, Balbir Nagar, Ward No. 11, Bagha Purana Moga-142038, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as NISHA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NISHA GOYAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as REKHA D/o HARJINDER SINGH, residing V.P.O. Khota Teh, Nihal Singh Wala, Distt. Moga 142046, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as REKHA KALYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MANDER SINGH S/o GURDEV SINGH, R/o Near Green Park, V.P.O. Duneke, Distt. Moga, Punjab-142001, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHMANDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SANJAY KUMAR S/o DEENA NATH DHAL, R/o 374/8, Salara Mohalla, Rohtak, Haryana-124001, have changed my name and shall hereafter be known as SANJAY DHAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJAY KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SANJAY KUMAR TOMAR S/o TRILOK SINGH, R/o Pasta, Langhaf, Dehradun, Uttarakhand-248125, have changed my name and shall hereafter be known as SANJAY KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJAY KUMAR TOMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PAPIA KHATUN D/o INDADUL HOQUE W/o MITHUN ALI, R/o Palsunda, Palsunda, Nadia, West Bengal-741156 have changed my name and shall hereafter be known as PAPIA MOLLIICK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAPIA KHATUN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NISHI RANI GUPTA W/o SHIV KUMAR, R/o Mandi Deep Chand, H. No 414, Ward No 10, Gharaunda, Karnal, Haryana-132114, have changed my name and shall hereafter be known as NISHA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NISHI RANI GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SNEHLATA W/o SHIVRAJ SINGH R/o House No-G-033, New Town Heights, Sector-91, Wazirpur (115), Gurgaon, Haryana-122505, have changed my name and shall hereafter be known as SNEHLATA PAWAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SNEHLATA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MONIKA AGRAWAL D/o VIJAY AGRAWAL W/o DR. SHOBHIT TRIPATHI, R/o 669, Maa Durga Hospital Gali, Adarsh Colony, Ram Manohar Lohiya Ward, No. 04, Murwara, Katni, Madhya Pradesh-483501, have changed my name and shall hereafter be known as DR. MONIKA TRIPATHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MONIKA AGRAWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RANDHIR SINGH BRAR S/o ISHAR SINGH, resident of Village Manian Wala, P/o Sukhna Ablu, Tehsil Gidderbaha, Distt. Sri Muktsar Sahib, Punjab-152031, have changed my name and shall hereafter be known as RANDHIR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANDHIR SINGH BRAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ISWAR SINGH RAJPUT S/o BANE SINGH, R/o 1349, G-Block, Sangam Vihar, Pushpa Bhawan S.O, South Delhi, Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as ISHWAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ISWAR SINGH RAJPUT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJEEV S/o HANS RAJ KHOSLA, R/o Icche Wala Road, Near Church, Sant Nagar, Ferozepur City, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as RAJEEV KHOSLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJEEV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VARSHA D/o RAKESH KUMAR, residing at 36/1, Peeru Vihar, Sadar Bazar, Delhi Cantt, New Delhi-110010, have changed my name and shall hereafter be known as VARSHA NEHRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VARSHA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SOMASHEKAR. R S/o RAMGASWAMY T. R/o 240, Lakshminarasimha Krupa, Opp M G Stadium Sharadadevi Nagara, Tumkur, Someswarapuram Tumkur, Karnataka-572102, have changed my name and shall hereafter be known as SATISH R.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOMASHEKAR.
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as TMA PILLAI D/o Late V S PILLAI, R/o 121, Radiant Lotus Apt, Kodichikknhalli, Bangalore-560076, have changed my name and shall hereafter be known as AMMINI PILLAI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TMA PILLAI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MONIKA AGGARWAL wife of SUNIL BANSAL, residing at H.No-20, Road No-60, 2nd Floor, Punjabi Bagh West, West Delhi, Delhi-110026, have changed my name and shall hereafter be known as SHRUTI BANSAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MONIKA AGGARWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ADITI UNIYAL W/o VINEET MALASI, R/o C-702, Park View Apartment, Sector 61, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name and shall hereafter be known as ADITI MALASI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ADITI UNIYAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PUNEET PAL D/o MAHESH KUMAR PAL, R/o 110, MIG First Dabauli West, Udyog Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208022, have changed my name and shall hereafter be known as PUNEETA PAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUNEET PAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NAVNEET CHHATWAL alias SANJAM CHHATWAL son of INDERDEEP CHHATWAL, residing at G-7, Vikaspuri, New Delhi -110018, have changed my name and shall hereafter be known as SANJAM CHHATWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAVNEET CHHATWAL alias SANJAM CHHATWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAGWINDER KAUR SEKHON D/o TEJA SINGH, W/o HASPREET SINGH Residing at House No 38, Sangrana Road, Sakkan Wali Muktsar, Dist Sri Muktsar Sahib, Punjab-152026, India, have changed my name and shall hereafter be known as JAGWINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAGWINDER KAUR SEKHON
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NEELAM JAIN W/o SURESH KUMAR JAIN, R/o 673 Veer Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi - 110085, have changed my name and shall hereafter be Known as KAVITA JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEELAM JAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PALLAVI GARG Daughter of JANAK RAJ GARG, Residing at Shabad Surat Sangam Ashram, Malke, Moga, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SADHVI DIVYAANSHI CHAITANYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PALLAVI GARG
[Signature (in existing old name)]

I, DHARMVIR KUMAR S/o SUKHDEO RAY, R/o Ramajichak, Digha Lakh Road, Bataganj, Dinapur-Cum-Khagaul, Patna, Bihar-800018, have changed the name of my minor daughter SILKY KUMARI age about 15 years and she shall hereafter be known as SHNAYA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHARMVIR KUMAR
[Signature of Guardian]

I, KIRAN KUMARI W/o AMIT KUMAR, R/o Badalpur, Dhangawan, Lodipur, Ekangersarai, Nalanda, Bihar-801301, have changed the name of my minor daughter KASHIS RAJ age about 10 years and she shall hereafter be known as ALISHAARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KIRAN KUMARI
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as RANVEER S/o UMESH RAI, R/o B-6/1, Veer Singh Colony, Budh Vihar Phase-2, Delhi- 110086, have changed my name and shall hereafter be known as RANVEER KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANVEER
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SRINIVAS GOTTIPARTHI S/o G SAYANNA, residing at H.No.1-3-951, Kavadiguda, Secunderabad, Telangana-500080, have changed my name and shall hereafter be known as SAM GOTTIPARTHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRINIVAS GOTTIPARTHI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NAYANA SREENIVASA RAO S/o NAYANA LAKSHMAN RAO, residing at H.N-B-3-168/93/A, F No-302, Sai divya Residency, Rajeev Nagar, Sanathnagar, Hyderabad, Telangana-500018, have changed my name and shall hereafter be known as NAYANA SRINIVAS REDDY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAYANA SREENIVASA RAO
[Signature (in existing old name)]

I, KANTTAM LINGA SAI S/o KANTTAM VENKATESWARLU, R/o House Number 4-83, Janda Bazar Garla, Mandalam, Khammam, Garla, Telangana- 5072101, have changed the name of my minor son KANTTAM MOKSHITH aged about 1 Years and he shall hereafter be known as KANTTAM MIDHUN MOKSHITH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANTTAM LINGA SAI
[Signature Guardian]

I hitherto known as PAVAN KUMAR KILARI S/o KILARU NAGESWARA RAO, R/o 10-6-178, Burhan Puram, Khammam (Urban), Khammam, Telangana 507001, have changed my name and shall hereafter be known as KILARU PAVAN KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAVAN KUMAR KILARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GUDAWER S/o MEHNGA, R/o Vill.Nawan Pind Narang Shahpur, Tehsil Phagwara, Distt. Kapurthala, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as GURDAWAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GUDAWER
[Signature (in existing old name)]

I, KAMAL DEEP S/o DEV RAJ, employed as Assistant Inspector General of Police, Provisioning in the office of the Director General of Police, Haryana, Residing at House No. 357, Sector-4, Panchkula (Haryana), have changed the name of my minor son DHRUV aged 16 Years and he shall hereafter be known as DHRUV GOYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMAL DEEP
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MANJEET KAUR W/o HARBANS SINGH SEHGAL residing at H.No- B-5-254, Street No-4, Sikandri Road, CMC Chowk, Ludhiana, Punjab-141008, have changed my name and shall hereafter be known as MANJEET KAUR SEHGAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANJEET KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KIRAN SINGH KC alias BHUBANESWARI BHANDARY, D/o INDRA SINGH BHANDARI and W/o KUBER SINGH residing at B-495 D, Vasant Kunj Enclave, Vasant Kunj, Delhi-110070, have changed my name and shall hereafter be known as BHUVNESHWARI SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KIRAN SINGH KC alias BHUBANESWARI BHANDARY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as INDIRA BHADE , W/o YADAVRAO PAWAR, R/o Samarth Ramadas Ward No.38, Shri Colony, Panch Ghar Colony, Gali No.01, Patha Dhana, Chandangaon, Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001, have changed my name and shall hereafter be known as INDIRA PAWAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

INDIRA BHADE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJKUMARI AHIRWAR D/o PARASRAM AHIRWAR, R/o Gram Chandora, Post Kadipur, Damoh (Rural), Damoh, Madhya Pradesh- 470661, have changed my name and shall hereafter be known as PAYAL ROHITHAS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJKUMARI AHIRWAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as YADAVRAO BHADE, S/o CHEPAJI PAWAR, R/o Samarth Ramdas Ward No-38, Shri Colony, Panch Ghar Colony Gali No-1, Patha Chandangaon, Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001, have changed my name and shall hereafter be known as YADAVRAO PAWAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YADAVRAO BHADE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIJAY KUMAR PANDEY S/o RISHI DEV PANDE, residing at Suthaliya Road Siya Ki Baadi, Ward.No.18, Biaora, Rajgarh, Madhya Pradesh-465674, have changed my name and shall hereafter be known as BRAJKISHOR PANDE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY KUMAR PANDEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto know as MAHESH AGARWAL alias MAHESH CHACHAN son of GAJANAND CHACHAN Residing at 94/1, Lamavilla INC, Dymmiew, Shillong G.P.O., East Khasi Hills, Meghalaya - 793001, have changed my name and shall hereafter be known as MAHESH KUMAR CHACHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHESH AGARWAL alias MAHESH CHACHAN
[Signature (in existing old name)]

I, ANUJ BHUSHAN TEWARI S/o VIJAY BHUSHAN TEWARI, R/o 1078, Sector-37 B, Chandigarh, Punjab- 160036, have changed the name of my minor son DIVYANSH TEWARI aged about 9 Years and he shall hereafter be known as AARNAV TEWARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANUJ BHUSHAN TEWARI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as KAILASH SHARMA, W/o MANMOHAN SHARMA, R/o 2, Preet Gali, Near Budha Dal School, Lowar Mall, Patiala, Punjab- 147001, have changed my name and shall hereafter be known as MOHINI SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAILASH SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JOSEPH ELAYIDATH LINI, W/o RAJESH R, R/o H No-20, Garha Road Near Bus Stand Jalandhar City, Distt. Jalandhar, Punjab-144001, have changed my name and shall hereafter be known as LENI RAJESH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JOSEPH ELAYIDATH LINI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AMARJIT SINGH S/o NACHHATTAR SINGH, residing at H.No-17A/200, Sarabha Nagar Extension, Phase-1, Dad Ludhiana (West), Ludhiana, Punjab-142022, have changed my name and shall hereafter be known as AMARJIT SINGH CHOPRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMARJIT SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BALJEET KAUR, W/o SUKHMINDER SINGH, R/o Ward No-44, Ferozepur Road, V.P.O. Duneke, Distt. Moga, Punjab-142001, have changed my name and shall hereafter be known as BALJIT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALJEET KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AVTAR SINGH DHILLON S/o GURCHARAN SINGH, R/o Village Sur Singh Wala, PO. Lohgarh, Tehsil & Distt. Ferozepur, Punjab-142052, have changed my name and shall hereafter be known as AVTAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AVTAR SINGH DHILLON
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as CHHOTU KUMAR S/o PREM CHAND ALOK Employed as Senior Assistant Loco Pilot at Varanasi Division, North Eastern Railway in Indian Railway residing at Ward No.-10, Patam, Patam, Munger, Bihar-811214, have changed my name and shall hereafter be known as AVINASH ALOK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHHOTU KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AMIT S/o RAJENDER, R/o Birhi Kalan (93), Charkhi, Dadri, Haryana-127026, have changed my name and shall hereafter be known as AMIT SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUREKHA SHYAM, W/o SHYAM CHETTY R/o 3009/ 1-6 2nd Main Road, Near Uma Maheshwari Temple South Bangalore, BSK II Stage, Karnataka- 560070, have changed my name and shall hereafter be known as SUREKHA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUREKHA SHYAM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NAHAR SINGH S/o MAWASI RAM, R/o 63A/C3, Defence Colony, Agra, Uttar Pradesh- 282001, have changed my name and shall hereafter be known as NAHAR SINGH CHAHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAHAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRIYA TYAGI, D/o NARESH TYAGI, W/o ANUJ TYAGI, R/o H. No. 274, Chhaparaula-2, Police Station, Badalpur, Tehsil Dadri, Gautam Buddha Nagar- 201009, have changed my name and shall hereafter be known as ANISHKA TYAGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYA TYAGI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAM SINGH YADAV S/o SARNAM SINGH, R/o 131 C, Owar Hed Tenk, Friends Colony, Etawah, Uttar Pradesh-206001, have changed my name and shall hereafter be known as BALRAM SINGH YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM SINGH YADAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARENDRA DWIVEDI S/o GANESH PRASAD DUBEY, R/o Mirzapur, Kanoraghat Marg, Near Khajuri Nadi, Akasauli Post-Pahara Thana, Padari, Pahara, Mirzapur, Uttar Pradesh-231001, have changed my name and shall hereafter be known as NARENDRA KUMAR DUBEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARENDRA DWIVEDI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VISHAL SINGH S/o MAHESH KUMAR PAL, R/o 110 MIG First Dabauli West, Udyog Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208022, have changed my name and shall hereafter be known as VISHAL SINGH PAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISHAL SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUSHIL KUMAR GUPTA S/o RAGHUVIR SHARAN GOEL, R/o H.No. 681/21, Panjhya Brahampuri, Near Shiv Mandir, Meerut, Uttar Pradesh-250002, have changed my name and shall hereafter be known as SUSHIL KUMAR GOEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUSHIL KUMAR GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SNEHA RAJKUMAR CHELANI D/o RAJKUMAR CHELANI and W/o VICKY GOPWANI, residing at 25/15, Yeshwant Niwas Road, Indore, Vallabh Nagar, Madhya Pradesh-452003, have changed my name and shall hereafter be known as PREET GOPWANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SNEHA RAJKUMAR CHELANI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MAMTA DHURVE W/o ASHOK R/o Gandhi Ward, Kali Mandir Ke Pass, Seoni, Madhya Pradesh-480661, have changed my name and shall hereafter be known as MAMTA THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAMTA DHURVE
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SAURAV S/o SHAMSHER SINGH, R/o Ward Number-06, VPO Bhapoo, Tehsil Indora, Bhapoo (32), Kangra, Himachal Pradesh-176401, have changed my name and shall hereafter be known as SAURAV SAMKARIYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAURAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHEELA DEVI D/o HIRA LAL, R/o H. No. 63/3/2, Balahani, Vill. Balahani, Teh- Karsog, Mandi, Himachal Pradesh-175011, have changed my name and shall hereafter be known as SHIVALI NIKSHIT SHASTRI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHEELA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as INDERA DEVI alias INDIRA DEVI D/o HET RAM, R/o Post Office Dhamerh, Tehsil Balichowki, Baughi, Dhamerh, Mandi, Himachal Pradesh-175106, have changed my name and shall hereafter be known as INDU THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

INDERA DEVI alias INDIRA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NAGINA SAWANT W/o ANKUSH GHALTA, R/o Village Ghasi Gaon, VTC Panog (75), Kotkhai, Shimla, Himachal Pradesh-171204, have changed my name and shall hereafter be known as SHALU GHALTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAGINA SAWANT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SWEETY Daughter of SURINDER PAUL, Wife of SAMEER GUPTA, residing at H.No. 22-A, New Gobindgarh, Jalandhar-144001, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SAMRIDHI GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SWEETY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SARUP SINGH DHILLON Son of JAGTAR SINGH, residing at Village Kasel, Gurdwara, Harbanspura, Tehsil and District Tarn Taran-143105 Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SAROOP SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARUP SINGH DHILLON
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BALJINDER KAUR D/o GURNAM SINGH and W/o BALVIR SINGH, residing at Vill. Thulewal PO Nangal, Distt. Barnala, Punjab-148025, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHWINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALJINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUKHRAJ SINGH BHULAR S/o KULDEEP SINGH, residing #605 Gali No.-9, Guru Teg Bhadur Nagar, Bathinda Road, Muktsar Distt. Sri Muktsar Sahib, Punjab-152026, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHRAJ SINGH BHULLAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHRAJ SINGH BHULAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SURJIT KAUR W/o SATVIR SINGH, residing at Vill. Jandali, Teh-Payal, Distt, Ludhiana, Punjab-141413, have changed my name and I shall hereafter be known as RUPINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURJIT KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DEEPAK S/o BOHAR SAHNI, R/o H.No. 349, T-Hust, W-139, Raghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as AMRIT PAL SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARESH KUMAR alias NARESH KUMAR GARG S/o KAWAR SHAN, R/o 28A, Gali No. 1, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as NARESH KUMAR GARG

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARESH KUMAR alias NARESH KUMAR GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BHAUMIK ARORA S/o ISH KUMAR, R/o 317A, Om Vihar, Phase-1A, Uttar Nagar, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as PRAMOD KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAUMIK ARORA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ISHA CHAWLA D/o PREM CHAWLA, W/o DHIRAIN JAIN, residing at A-44-C, Top Floor, Street No.-3, Mahendru Enclave, Delhi-110033, have changed my name and shall hereafter be known as SONISHA JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ISHA CHAWLA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANDY PANGOTRA son of Sh. VASDEV SHARMA, residing at VPO Sunder Chack, Tehsil and District Pathankot (PB), have changed my name and shall hereafter be known as NARYAN DUTT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANDY PANGOTRA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JHONY SHARMA S/o HARBANS LAL SHARMA, residing at R/o Thara Kalwal, Ward No. 3, Ramkot, Kathua-184205, have changed my name and shall here after be known as ABHAY SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JHONY SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MAYANK alias MAYANK RANA S/o DEEPAK, residing at 3582, Indra Market, Old Subzi Mandi, Malka Ganj, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as MAYANK RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAYANK alias MAYANK RANA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GAURAV KUMAR VERMA S/o RISHI KESH VERMA, R/o House No. 999/6, Krishna Sweet Shop Wali Gali, Rama Mandi, Jalandhar-144005 (Punjab), have changed my name and shall hereafter be known as GAURAV KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAURAV KUMAR VERMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as N S NAIR S/o NARAYAN NAIR, residing at 26-B, DDA Flats, Phase-2, Opp. Kendriya Vidyalaya Sanghtan, Katwaria Sarai, Delhi-110016, have changed my name and I shall hereafter be known as NARAYANAN SIVAN NAIR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

N S NAIR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ARYAN KAIN S/o ALOK KAIN, residing at H.No. 134, Gali No.7, Near Marriage Ground, Nirankari Colony, Delhi-110009, have changed my name and I shall hereafter be known as ARYAN SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARYAN KAIN
[Signature (in existing old name)]

I, DEVI SINGH S/o CHATTAR SINGH, residing at Plot No. 630/2, Gali No. 627, Pana Ramayan, V&PO Tikri Kalan, Delhi-110041, have changed the name of my minor son CHAMAN SHEORAN aged 17 years and he shall hereafter be known as VIRAJ SHEORAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVI SINGH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as VIKAS S/o DHARAMVIR SINGH CHAUDHARY, R/o QU-306B, QU Block, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as VIKAS CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHEIKH SAIDUL S/o GUL MOHAMMAD, R/o JG-10, 4 Floor, Khirki Extn., Malviya Nagar, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as SK SHAMIDUL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHEIKH SAIDUL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MANPREET KAUR Wife of BALDEV SINGH, Residing at Basti Nizamudin Wali, Ferozepur City, Ferozepur, Punjab-152002, have changed my name and shall hereafter be known as MANMEET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANPREET KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJ KUMAR SRIVASTAV Son of Late BHUWAN LAL SHRIVASTAVA, residing at Flat No. 1807B, Tower 2A Panchsheel Wellington Crossing Republik, Ghaziabad-201016, Uttar Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KUMAR SRIVASTAVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KUMAR SRIVASTAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUNITA SHRIVASTAV wife of RAJ KUMAR SRIVASTAVA, residing at Flat No. 1807B, Tower 2A Panchsheel Wellington Crossing Republik, Ghaziabad-201016, Uttar Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as SUNITA SRIVASTAVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA SHRIVASTAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAM PRASAD VERMA S/o JAWAHAR LAL, R/o Barola A, Sector-49, Near Primary School, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201304, have changed my name and shall hereafter be known as SATYENDRA KUMAR VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM PRASAD VERMA
[Signature (in existing old name)]

I, MOHAMMAD MINTULLAH son of MOHAMMAD MUSTAFA, resident of House No. C-211, Near Zauk ka Majar, Chinyot Basti, Multani Dhanda, Pahar Ganj, Central Delhi-110055, have changed the name of my minor daughter KHADIYA KHATOON, aged 14 years and she shall hereafter be known as FARHANA KHATOON.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMAD MINTULLAH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ANKUR BANSAL S/o ANIL KUMAR BANSAL, residing at H.No.-B4/15-B, Ashok Vihar, Phase 2, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as ANKOOR BANSSAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANKUR BANSAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANITA RANI alias LAVI BHANDARI D/o OM PARKASH W/o JATINDER BHANDARI, residing at H. No.-539/193, Street No.-9, Ganesh Puri, New Shiv Puri Road, Bagga Kalan, Baggakhurd, Ludhiana, Punjab-141008, have changed my name and shall hereafter be known as LAVI BHANDARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA RANI alias LAVI BHANDARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KRRISH KAIN S/o JAGDISH KAIN, residing at H.No.134, Gali No.7, Near Marriage Ground, Nirankari Colony, Delhi-110009 have changed my name and I shall hereafter be known as KRRISH SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRRISH KAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ALOK KAIN S/o FAKIR CHAND, residing at H.No.134, Gali No.7, Near Marriage Ground, Nirankari Colony, Delhi-110009, have changed my name and I shall hereafter be known as ALOK SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ALOK KAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ASHA DEVI W/o RAMESHPAL SINGH, R/o Bukhara Road, Near Kaali Devi Mandir, Line Paar, Mathiya, Faridpur, Bareilly, Uttar Pradesh-243503, have changed my name and shall hereafter be known as MUNNI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I, HARPREET MITTAR S/o Late Shri SHIVINDER SINGH MITTAR, R/o 151, Sunview Apartments, Plot 10B, Sector 9, Dwarka, Delhi-110077, have changed the name of my minor son RIAAN MITTAR aged 4 years and he shall hereafter be known as RIAAN SINGH MITTAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARPREET MITTAR
[Signature of Guardian]

I, HARPREET MITTAR S/o Late Shri SHIVINDER SINGH MITTAR, R/o 151, Sunview Apartments, Plot 10B, Sector 9, Dwarka, Delhi-110077, have changed the name of my minor daughter SIMAR MITTAR aged 12 years and she shall hereafter be known as SIMAR KAUR MITTAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARPREET MITTAR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as RAKHI SAKET W/o CHAITANYA SINGH, presently residing at 79-J, Second Floor, Type-2, Sector-4, MB Road, Pushp Vihar, New Delhi-110017 and Permanent residing at 72/6, Village Tikuri, Post Sagra, Thana Apsu Rewa, Distt. Rewa, Madhya Pradesh-486440, have changed my name and shall hereafter be known as RAKHI SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKHI SAKET
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DE VWATI SAKET W/o KAMLAKANT SINGH, Presently residing at 79-J, Second Floor, Type-2, Sector-4, MB Road, Pushp Vihar, New Delhi-110017 and Permanent residing at 72/6, Village Tikuri, Post Sagra, Thana Apsu Rewa, Distt. Rewa, Madhya Pradesh-486440, have changed my name and shall hereafter be known as DE VWATI SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DE VWATI SAKET
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHIYAWATI SAKET W/o RAMSHARAN SINGH, Presently residing at 79-J, Second Floor, Type-2, Sector-4, MB Road, Pushp Vihar, New Delhi-110017 and Permanent residing at 72/6, Village Tikuri, Post Sagra, Thana Apsu Rewa, Distt. Rewa, Madhya Pradesh-486440, have changed my name and shall hereafter be known as SHIYAWATI SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIYAWATI SAKET
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ROHAN S/o Sh. SURENDER KUMAR, R/o Flat No. 44, Laxmi Vihar Apartments, Near Brain International School, H-3 Block, Vikas Puri, West Delhi, Delhi-110018 have changed my name and shall hereafter be known as ROHAN PAHWA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROHAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PAL KAUR alias PAUL KAUR W/o BHAJAN SINGH, R/o M-168, Greater Kailash-2, New Delhi-110048, have changed my name and shall hereafter be known as PAL KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAL KAUR alias PAUL KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAM KUMAR alias MANBODH URPHA PAPPU S/o MEWA LAL, currently residing at B-727, J J Colony, Inderpuri, Delhi-110012, permanent residence at Gram Larpur, Post-Shudanipur, Shudanipur, Jaunpur, Uttar Pradesh-222161 have changed my name and I shall hereafter be known as MANBODH GAUTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM KUMAR alias MANBODH URPHA PAPPU
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HIMALAYA S/o Sh. YOUNG VIR SINGH, R/o 3746, First Floor, Gali Kumharan, Old Subzi Mandi, Malka Ganj, North Delhi, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as HIMALAYA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HIMALAYA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ASHA KHURANA W/o AJAY BHALLA, residing at A-4/59, Paschim Vihar, West Delhi, Delhi-110063 have changed my name and I shall hereafter be known as ASHA BHALLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHA KHURANA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJINDER SINGH alias RAJENDER SINGH S/o TEK CHAND KAUSHIK, residing at H. No. 977 Pooth Khurd, North West Delhi-110039, have changed my name and shall hereafter be known as RAJENDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJINDER SINGH alias RAJENDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SATYAWAN S/o CHANDER, employed as Private Secretary in the Ministry of Railways residing at Anchra Khurd (33), Jind, Haryana-126112, have changed my name and shall hereafter be known as SATYAWAN LATHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATYAWAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIPIN S/o ANOOP SINGH, R/o A-39/L, New Colony, PWD Office, Ward No.-9, Palwal, Faridabad, Haryana-121102, have changed my name and shall hereafter be known as VIPIN SEHRAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIPIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUNITA wife of VIJENDER, residing at 640, Pana Begwan Vill, Bawana, North West Delhi, Delhi-110039, have changed my name and shall hereafter be known as SAVITA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRATEEK S/o KRISHAN KUMAR, R/o Neeyar, Railway Road, House No. 142/7, Uchana Kalan (109), Uchana, Jind, Haryana-131001, have changed my name and shall hereafter be known as PRATEEK GURANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRATEEK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KAUSHILA DEVI alias KAUSHLA DEVI D/o Late PRATAP SINGH W/o Late MAN SINGH, residing at 35, Soangoan, Post Office Jairam Bakhl, Almora, Uttrakhand-263656, have changed my name and shall hereafter be known as KAUSHILA DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAUSHILA DEVI alias KAUSHLA DEVI
[Thumb Impression]

I hitherto known as SANGITA GOYAL alias SANGEETA GARG D/o SHYAM LAL GOEL W/o RAJEEV KUMAR, residing at E-34, Milap Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as SANGEETA GARG.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANGITA GOYAL alias SANGEETA GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHUBHAM KAJAL son of RAMESH CHANDRA KAJAL, residing at 2242, Bahadur Pura, Near Old Bus Stand, Mathura, Uttar Pradesh-281001, have changed my name and shall hereafter be known as ISAAC PAUL. I have changed only my name not my religion.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHUBHAM KAJAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ABHISHEK son of Sh. SUDHIR KUMAR, residing at B-934 MIG Flats East Of Loni Road Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as ABHISHEK KHOKHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHISHEK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HARMANPREET KAUR alias HARMANPREET KAUR SIDHU D/o ZORA SINGH, R/o Opp Dhaliwal Stadium Near Nirankari Bhawan Raikot, Distt-Ludhiana, Punjab-141109, have changed my name and shall hereafter be known as HARMANPREET KAUR SIDHU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARMANPREET KAUR alias
HARMANPREET KAUR SIDHU
[Signature (in existing old name)]

I, ZABI S/o ALI AHMED, R/o D-39, Jhilmil Colony, Delhi-110095, have changed the name of my minor son ARYAN aged 14 years and he shall hereafter be known as ZAKI TAJZAI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ZABI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as RAKESH KUMAR alias RAKESH NAGARWAL son of MOTILAL NAGARWAL, residing at 9C/10, N.P.L. Colony, New Rajender Nagar, New Delhi-110060, have changed my name and shall hereafter be known as RAKESH KUMAR NAGARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKESH KUMAR alias RAKESH NAGARWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GOVARDHAN GOND S/o RAMAYAN GOUR, residing at RPDS, Pocket 16, Near Mother Dairy, Sector 20, Rohini, Sultanpuri, C Block, North West Delhi, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as GOVARDHAN GOUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GOVARDHAN GOND
[Thumb Impression]

I hitherto known as RITA D/o ATTAR SINGH, W/o JAGDISH KUMAR, R/o H. No.190, 2nd Floor, Avtar Enclave, Paschim Vihar, New Delhi, Delhi-110063, have changed my name and shall hereafter be known as RITA KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RITA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto Known as ARBAZ, S/o LAIQUE AHMED R/o H. No. 28, Gali No. 1, Moonga Nagar, Karawal Nagar, North East Delhi, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be Known as ARBAZ MALIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARBAZ
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ALKA alias ALKA SINDHWANI wife of SHRIDHAR, daughter of SUBHASH CHANDER, residing at GH-1/246, Archana Apartment, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name and shall hereafter be known as ALKA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ALKA alias ALKA SINDHWANI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as POONAM Alias KM MAHA LAXMI, D/o UMA SHANKAR, W/o ANIL PRATAP SINGH, R/o House No. 1432, Ground Floor, Gali No. 53, Block-E3, Molarband Extention, Badarpur, South Delhi, Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as MAHA LAXMI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

POONAM alias KM MAHA LAXMI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DEEPANKAR SHARMA Alias DEEPANKUR SHARMA, Son of HARVINDER SINGH, residing at D-215, Ranjit Nagar, Seona Road, Patiala, Punjab-147001, have changed my name and shall hereafter be known as ROHIT SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPANKAR SHARMA alias DEEPANKUR SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANUJ KAPOOR S/o RAMESH CHAND KAPOOR, R/o 275, 2nd Floor, Gagan Vihar, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be known as ANNUJ KAPOOR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANUJ KAPOOR
[Signature (in existing old name)]

I, REENA THAKUR W/o VIJAY KUMAR THAKUR, R/o 67/8, Ordnance Depot, Shakur Basti Depot, Delhi-110056, have changed the name of my minor daughter VANSHIKA, aged 14 years and she shall hereafter be known as VANSHIKA THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REENA THAKUR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as BABLOO S/o SHISHUPAL SINGH, R/o A-31, Vijay Nagar, Gali No. 3, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as BABLOO ROY GAUTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABLOO
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NEHA GOLA alias NEHA THAKUR, D/o Late Sh. VINOD KUMAR, W/o Sh. ATUL THAKUR, R/o Plot No. 76, 1st Floor, Abchal Nagar, Dalip Vihar, Nilothi Ext., Nangloi, West Delhi, Delhi-110041, have changed my name and shall hereafter be known as NEHA THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEHA GOLA alias NEHA THAKUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRERNA W/o RAVI, R/o H.No. 286, Tyagi Mohalla, Burf Factory Ke Pass, Holambi Kalan, North West Delhi, Delhi-110082, have changed my name and shall hereafter be known as PAVITRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRERNA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANIL KUMAR RELHAN alias ANIL KUMAR S/o HUKAM CHAND RELHAN, R/o WZ-224, Street No.4 Sri Nagar, Shakur Basti, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as ANIL KUMAR RELHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KUMAR RELHAN alias ANIL KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AMAN S/o SWATANTAR SHARMA, R/o 3090, Mahendra Park, Rani Bagh, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as JIVANSH SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HARSHIKA BENIWAL alias TINA CHAHAL D/o PREETAM SINGH, W/o DEEPAK CHAHAL, residing at K-32F, K-Block, Saket, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as TINA CHAHAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARSHIKA BENIWAL alias TINA CHAHAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KAMLA Wife of Shri RAM PAL, residing at 16, Block-A, V.P. Singh Camp, Railway Colony, Tughlakabad, Badarpur, South Delhi, Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as KAMLESH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMLA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANIL KUMAR alias ANIL KUMAR GUPTA S/o SUBHASH CHAND GUPTA, R/o H.No. F-54, First Floor Gali No-3, Samaspur Road, Pandav Nagar, Delhi-110091 have changed my name and shall hereafter be known as ANIL KUMAR GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KUMAR alias ANIL KUMAR GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RENU DEVI W/o RAMANUJ SINGH, R/o Vill & Post-Kumar, P.S-Sikandra, Distt-Jamui, and Bihar-811315, have changed my name and shall hereafter be known as BHARTI KUMARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RENU DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HASHIM Son of ABDUL RASHEED, Residing at D-78, Street No. 9, Mohan Puri, Maujpur, Delhi-110053, have changed my name and shall hereafter be known as HASHIM GAZI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HASHIM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as YOGESH VATS alias YOGESH VATSA S/o O P SHARMA, residing at A-50, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as YOGESH VATS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YOGESH VATS alias YOGESH VATSA
[Signature (in existing old name)]

I, ANJALI RAJPUT W/o CHANDER KANT, R/o RZB-46a, Dabri Extension, Palam Village, South West, Delhi-110045, have changed the name of my minor son DHAIRYA, aged 05 years and he shall hereafter be known as DHAIRYA RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJALI RAJPUT
[Signature of Guardian]

I, ANJALI RAJPUT W/o CHANDER KANT, R/o RZB-46A, Dabri Extension, Palam Village, South West, Delhi-110045, have changed the name of my minor daughter PRANAVI, aged 08 years and he shall hereafter be known as PRANAVI RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJALI RAJPUT
[Signature of Guardian]

I hitherto known as LAKSHIT S/o MURARI LAL SHARMA, residing at Near Santoshi Mata Mandir, Ward No. 14, Mandi Dabwali, Distt. Sirsa, Pincode-125104, have changed my name and shall hereafter be known as LAKSHIT SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAKSHIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DILIP KUMAR alias DULI CHAND, S/o DHANI RAM, R/o C-27, Gali No. 21-22, Near Sharda Math, Sukhbir Nagar, Karala, North West Delhi, Delhi-110081, have changed my name and shall hereafter be known as DILIP KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DILIP KUMAR alias DULI CHAND
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BAHADUR SINGH S/o ARJAN SINGH, R/o VPO Ibban, Distt. Kapurthala, Punjab-144601, have changed my name and shall hereafter be known as BAHADAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BAHADUR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GURBAS KAUR W/o KARMJIT SINGH, R/o Jai Hind Colony, City Goraya, Post Office Goraya, Jalandhar, Punjab-144409, have changed my name and shall hereafter be known as GURBAKSH KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURBAS KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, VIJAY KUMAR SINGH S/o ONKAR SINGH, R/o G-171, Type-IV, Qtr South Moti Bagh, Nanak Pura, New Delhi-110021, have changed the name of my minor son RITVIK SINGH, aged 14 years and he shall hereafter be known as ANUSHTHAN SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY KUMAR SINGH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SANJAY KUMAR GUPTA alias SANJAY GUPTA S/o LATE SHYAM SUNDER SAH R/o Flat No. 113, GH-26, Part 3, Lord Budha Apartment, Sector-21C, Faridabad-121001, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as SANJAY GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJAY KUMAR GUPTA alias SANJAY GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJIV KUMAR JHA alias RAJEEV KUMAR JHA alias RAJEEV JHA, S/o Sh. CHUN CHUN JHA, R/o Gali No. 7, Milan Vihar, Near Pusta, Village Jagatpur, Burari, North Delhi, Delhi-110084, have changed my name and shall hereafter be known as RAJEEV JHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJIV KUMAR JHA alias RAJEEV KUMAR JHA alias
RAJEEV JHA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JYOTI CHAUDHARY D/o Sh. SURENDRA SINGH, W/o Sh. VISHAN KUMAR, R/o F-62, 2nd Floor, Naveen Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYA CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JYOTI CHAUDHARY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as POONAM KUMARI D/o RAJARAM SHARMA, R/o H. No. 627, Chauhan Mohalla, Madanpur Khadar, Sarita Vihar, New Delhi-110076, Permanent Address Ward No. 14, Village-Pachhatti, Bodhgaya, Gaya, Bihar-824231, have changed my name and shall hereafter be known as POONAM SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

POONAM KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUDHANSHU PANDEY alias SHREYA PANDEY, D/o HARI SHANKAR PANDEY, W/o BHARAT ARORA, R/o E-27 Sec-9, New Vijay Nagar, Ghaziabad, UP-201001, have changed my name and shall hereafter be known as SHREYA PANDEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUDHANSHU PANDEY alias SHREYA PANDEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRIYANKA RAWAT W/o PRADEEP SINGH, R/o G-60, Flat No. 202, Rama Park Road, Mohan Garden, Near Sunil Dairy, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYANKA NEGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYANKA RAWAT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LAXMI alias LAXMI MANOJ D/o BANNE SINGH, W/o MANOJ KUMAR MANDAL, R/o E-1928, J.J. Colony, Bawana, Delhi-110039, have changed my name and shall hereafter be known as LAXMI MANOJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXMI alias LAXMI MANOJ
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GAJANAN S/o UTTIMANAD R/o Shyampur, Near Durga Mandir, Ambiwala, Dehradun, Uttarakhand-248007, have changed my name and shall hereafter be known as GAJANAND NAUTIYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAJANAN
[Signature (in existing old name)]

CHANGE OF RELIGION

I, RAKHI D/o NARESH W/o MOHD. SAHJIM Present, residing at 848 First Floor, Zakir Nagar, Jamia Nagar, South Delhi-110025 and Currently R/o WZ-52/156, Raghubir Nagar, Tagore Garden, West Delhi-110027, do hereby solemnly affirm and declare that I, have embraced MUSLIM Religion and renounced HINDUISM with effect from 30-11-2022.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKHI
[Signature]

I, KARISHMA alias KARISHMA HUSSAIN W/o MR. IQBAL HUSSAIN, R/o D-35, Third Floor, Gujranwala Apartment, Vikaspur, New Delhi-110018, do hereby solemnly affirm and, declare that I have embraced ISLAM Religion and renounced HINDUISM with effect from 05-08-2021.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KARISHMA alias KARISHMA HUSSAIN
[Signature]

I hitherto known as VEENA DEVI , W/o RIGZEN ANGDU, R/o Charru, Gangless, Gangless, Leh, Jammu and Kashmir- 194101, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced Buddhism religion and renounced Hindu w.e.f. 26/02/2022.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VEENA DEVI
[Signature]

I, MANI SHARMA D/o RAJ KUMAR SHARMA, residing at F-36, 4th Floor, Nafees Road, Joga Bai, Okhla, New Delhi-110025, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced ISLAM and renounced HINDUISM with effect from 17.11.2022.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANI SHARMA
[Signature]

I, TARANNUM HASINA D/o MOHAMMAD AHASAN KHAN and W/o PARUSH GUPTA, residing at T-45, Jain Colony Part-1, Uttam Nagar West, Delhi-110059, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced HINDUISM and renounced ISLAM with effect from 26.08.2022.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TARANNUM HASINA
[Signature]

I, KARIPOTHU PRAKASH S/o PRASAD, residence at H. No. 14-14, Kotturu, Kamavarapukota, West Godavari 534449, Andhra Pradesh, do here by solemnly affirm and declare that I have Embraced CHRISTIANITY and Renounced HINDUISM with effect from 08-04-2014. I have changed my Religion, not my name.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KARIPOTHU PRAKASH
[Signature]

PUBLIC NOTICE

I, NIDHI DHAMANIYA D/o Shri MAHENDRA KUMAR DHAMANIYA, R/o H.No. 104, First Floor, Seth Phoolchand Nagar, Ward No. 01, Behind Ganga Hospital, Mandideep, Raisen, Madhya Pradesh-462046, hereby undertake that I, NIDHI DHAMANIYA want to change my name to NIHIT DHAMANIYA and gender as male.

I, NIDHI DHAMANIYA henceforth be known as NIHIT DHAMANIYA S/o Shri MAHENDRA KUMAR DHAMANIYA.

The above statement is made by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. If any legal issue arises in this regard at any stage. I will be personally responsible for the same and the department of publication will not be liable for any consequences arising therefrom.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIDHI DHAMANIYA
[Signature]

I, MOHINI D/o MAHESH SAH, R/o H.No. 71A, Sainik Enclave Part 3, CRPF Camp, Jharoda Kalan, South West Delhi, Delhi-110072, hereby undertake that I want to change my name to RUDRA JAISINGH and gender as male.

I, MOHINI henceforth be known as RUDRA JAISINGH S/o MAHESH SAH.

The above statement made by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. I will be personally responsible for the same and, the Department of Publication will not be liable for any consequences arising therefrom.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHINI
[Signature]

I, PAYAL KUSHWAH D/o Shri RAJESH KUMAR KUSHWAH, residing at E-182/183, Solanki Road, Vishwash Park, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, hereby undertake that I, PAYAL KUSHWAH want to change my name to ROHAN KUSHWAH and gender as male.

2. I, PAYAL KUSHWAH henceforth be known as ROHAN KUSHWAH S/o Shri RAJESH KUMAR KUSHWAH.

3. The above statement is made by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. If any legal issue arises in this regard at any stage. I will be personally responsible for the same and the department of publication will not be liable for any consequences arising therefrom.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAYAL KUSHWAH
[Signature]

It is for general information that I, SONICA KATYAL W/o RAKESH KATYAL, R/o 117 Second Floor, A-Block, Lok Vihar, Pitampura North West Delhi-110034, declare that name of mine has been wrongly written as SONICA in my minor son namely KRITANT KATYAL aged 17 years in his educational documents. The actual name of mine is SONICA KATYAL, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SONICA KATYAL
[Signature]

It is for general information that I HARMEET SINGH S/o SURJEET SINGH, R/o C-5/30A, Keshav Puram, Tri Nagar, North West Delhi, Delhi-110035, declare that name of my minor son has been wrongly written as DIVJYOT SINGH in my minor son DIVJOT SINGH aged 14 years in his school records. The actual name of my minor son is DIVJOT SINGH respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARMEET SINGH
[Signature]

It is for general information that I, DILIP KUMAR WAALE S/o R N WAALE R/o Flat No.-393, Police Colony, Pocket 1, Sector-B4, Narela, North West Delhi, Delhi-110040, declare that name of mine has been wrongly written as DILIP WAVLE in my Service Records. The actual name of mine is DILIP KUMAR WAALE, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DILIP KUMAR WAALE
[Signature]

It is for general information that I, SUMEDHA BATRA W/o SATYA PAL BATRA, R/o 25/147, Shakti Nagar, Delhi-110007, declare that name of mine has been wrongly written as SUMEDHA in my Voter ID DL/03/19//051659 and name of my husband has been wrongly written as S.P. BATRA in my Aadhar Card No. 6770 4927 4624. The actual name of mine and my husband are SUMEDHA BATRA and SATYA PAL BATRA respectively, which, may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUMEDHA BATRA
[Signature]

It is for general information that I, YOGENDRA SINGH SENGAR S/o Late FATEH SINGH R/o Old H.No. 125B-3, New 331 Friends Colony, Safipur-2, Kanpur Nagar-07, declare that name of mine has been wrongly written as YOGENDRA SINGH in my service records. The actual name of mine is YOGENDRA SINGH SENGAR, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YOGENDRA SINGH SENGAR
[Signature]

It is for general information that I, BHAGAT BAHADUR RAI S/o RATNAJUNG RAI, R/o 224, 21 Canal Road Kaulagarh, Dehradun, I.P.E., Dehradun, Uttarakhand-248195, declare that name of my wife has been wrongly written as Smt. ANITA RAI in my Service Records. The actual name of my wife is KUMARI RAI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAGAT BAHADUR RAI
[Signature]

it is for general information that I, DALVIR RAI S/o- DINESH RAI, R/o House No. 656/B, Street No. 3, Punjabi Basti, Anand Parvat, Karol Bagh, Central Delhi, Delhi-110005, declare that name of mine has been wrongly written as DALBIR RAI in my driving License No. DL120210012779. The actual name of mine is DALVIR RAI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DALVIR RAI
[Signature]

It is for general information that I, NARENDER KUMAR S/o Shri KRISHAN KUMAR, R/o 1456, Saini Vihar, Phase-3, Baltana, Zirakpur, Distt. Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali) Punjab-140604, declare that name of mine has been wrongly written as NARENDER SHARMA in my minor son PIYUSH aged 16 years in his 10th class educational documents. The actual name of mine is NARENDER KUMAR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARENDER KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, NIRMALA DEVI W/o HARISH SINGH, residing at Pratimayan Chowk Lower Natthanpur, Mohakampur, Dehradun, Uttarakhand -248005, declare that name of mine has been wrongly written as NIRMALA in my minor son PRIYANSHU NEGI aged 16 years in his 10th Class Educational Documents. The actual name of mine is NIRMALA DEVI respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIRMALA DEVI
[Signature]

It is for general information that I, PUSHPA EKKA W/o VIJAY KHES, R/o House No-20, Delhi Police Officers Flats, Mandir Marg, New Delhi G.P.O., Delhi -110001, declare that name of mine has been wrongly written as PUSHPA KHES in my minor daughter JASMINE KHES aged 17 years in her Educational Document and Birth Certificate No-MCDOLR05267281. The actual name of mine is PUSHPA EKKA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUSHPA EKKA
[Signature]

It is for general information that I, VISHAL S/o MOLAN RAM, R/o- C-1341, C-Block, Jahangirpuri, Jahangir puri A Block, North West Delhi, Delhi-110033, declare that name of my father has been wrongly written as MOLAN in my 10th, 12th class marksheet and certificate and birth Certificate no-MCDOLIR-2218-007233985. The actual name of my father is MOLAN RAM, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISHAL
[Signature]

It is for general information that I, SUNITA RANI W/o Late Shri DHARAMJIT SINGH, R/o A-1, Fire Station, Kautilya Marg, Chanakya Puri, New Delhi-110021, declare that name of mine has been wrongly written as SUNITA DHANKHAR in my husband service record (PPO)

No. 09/97/B/SFP/EX-gratia/052/2004. The actual name of mine is SUNITA RANI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA RANI
[Signature]

It is for general information that I, SHIVANI D/o NARENDRA SINGH CHAUHAN, R/o Village Chhara, Post Office Purola, Uttarkashi, Uttarakhand-249185, declare that name of mine has been wrongly written as KM SHIVANI in my 10th and 12th educational documents. The actual name of mine is SHIVANI respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVANI
[Signature]

It is for general information that I, PREM LATA D/o MURLI DHAR SINGH, R/o RZ- 238, Gali No. -11 Near Rail Factory Gopal Nagar, Extn. Najafgarh, Papravat, South West, Delhi-110043, declare that name of my mother has been wrongly written as RADA SINGH in my 10th and 12th Educational Certificate. The actual name of my mother is RADHA SINGH respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PREM LATA
[Signature]

It is for general information that I, RESHMA D/o HAFIZ RIYAZUDDIN W/o ABID R/o House No. G-240, Gali No-13/6, Bhagirathi Vihar, Gokal Pur, North East Delhi, Delhi-110094, declare that name of my father has been wrongly written as RIYAJUDDIN in my Pan Card No-FMEPR9488G. The actual name of my father is HAFIZ RIYAZUDDIN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RESHMA
[Signature]

It is for general information that I, AHMAD UMAR son MAJHAR KHAN, residing of Ram Jeevan Nagar, Saharanpur-247001, declare that name of my father and my mother has been wrongly written as MAZHAR UMAR KHAN and SHAGUFTA KHAN in my educational documents. The actual name of my father is MAJHAR KHAN and my mother name is SHAGUFTA respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AHMAD UMAR
[Signature]

It is for general information that I, GURRAJ SINGH KALRA S/o RAJINDER SINGH KALRA, R/o Flat No. 8A, Noor Villa-1, Near Shivjot Enclave, Kharar, SAS Nagar (Mohali), Punjab-140301, declare that name of mine, my father and my mother have been wrongly written as GURRAJ SINGH, RAJINDER SINGH and POONAM SETHI in my 10th class marksheet and certificate. The actual name of mine, my father and my mother are GURRAJ SINGH KALRA, RAJINDER SINGH KALRA and POONAM SETHI KARLA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURRAJ SINGH KALRA
[Signature]

It is for the general information that I, RAMBATI W/o Shri OM PRAKASH, R/o RZF-760/A/2, Gali No-3, Raj Nagar Part-2 Palam Colony, South West Delhi, Delhi-110077, declare that name of mine has been wrongly written as RAMWATI in my minor son TANISH aged 15 years his Education documents. The actual name of mine is RAMBATI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMBATI
[Signature]

It is for general information that I, MUKESH DAWAR S/o Late SURINDER KUMAR DAWAR, R/o A-1513, 2nd Floor Front Portion, Green Field Colony, Sec-42, Faridabad-121010, Haryana, declare that the name of my father has been wrongly written as SURENDER DAWAR in my all educational certificates. The actual name of my father is SURINDER KUMAR DAWAR, which may be amended accordingly in all educational certificates.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKESH DAWAR
[Signature]

It is for general information that I, KUSUM LATA W/o LOKENDRA KUMAR SENGAR, R/o E-25, Ground Floor, Gali No. 17, Hindon Vihar, Sector-49, Near DSC Road, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, declare that name of mine has been wrongly written as KUSAM LATA in the school record of my minor son SAURABH SENGAR aged 12 years. The actual name of mine is KUSUM LATA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KUSUM LATA
[Signature]

It is for general information that I, AKASH KUMAR S/o ARUN KUMAR, R/o RZF-570 Raj, Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077, declare that name of my mother has been wrongly written as BABITA in my educational documents. The actual name of my mother is BABITA DEVI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AKASH KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, CHANDRESH SHARMA S/o Shri SATISH SHARMA, R/o H-261, 2nd Floor, Block-H, Omicron-1, Gaur Atulyam, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201310, declare that name of my father has been wrongly written as PYARELAL SHARMA in my all educational documents. The actual name of my father is SATISH SHARMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDRESH SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, AKSHIT KUMAR S/o KRISHAN PAL, R/o RZ -7B, Gali No.3, Shankar Park, West Sagar Pur, New Delhi-110046, declare that name of my Father has been wrongly written as KRISHAN KUMAR in my educational documents. The actual name of my Father is KRISHAN PAL, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AKSHIT KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, RAJEEV KUMAR S/o DARIYAV SINGH, R/o House No-7, Gali No-1, A-Block, Mahalaxmi Enclave, Karawal Nagar, North East Delhi, Delhi-110094, declare that name of mine and my father have been wrongly written as RAJEEVE KUMAR and DARYAVE SINGH in my 10th class marksheet and certificate and as RAJIV KUMAR and DARIYAB SINGH in my Pan Card No-APJPK4389L and the name of mine has been wrongly written as RAJEEV in my Aadhar Card No-745895560020. The actual name of mine and father are RAJEEV KUMAR and DARIYAV SINGH, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJEEV KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, AJEET MEHTA S/o H S MEHTA R/o B-5, Brahma Apartment, Plot No.7, Sector-7, Dwarka, South West Delhi, Delhi-110075, declare that name of my minor son YASHASV MEHTA, aged 16 years has been wrongly written as YASHASVI MEHTA in his passport. The actual name of my minor son is YASHASV MEHTA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJEET MEHTA
[Signature]

It is for general information that I, NIKKI D/o ANIL KUMAR DAS, R/o A-85, Laxmi Park, Nangloi, West Delhi-110041, declare that name of mine and my father has been wrongly written as NIKKI KUMARI and ANIL KUMAR in my SC Certificate No. 90510000009812. The actual name of mine and my father are NIKKI and ANIL KUMAR DAS, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIKKI
[Signature]

It is for general information that I, MUKESH BAWARIYA S/o RANGLAL BAWARIYA, R/o H.No-1290, Phase-3, J J Colony, Madanpur Khadar, Sarita Vihar, South Delhi, Delhi-110076, declare that name of mine, my wife and my minor son have been wrongly written as MUKESH, SHEELA and VIVEK in my minor son VIVEK BAWARIYA aged 10 years in his school records and Birth Certificate No-MCDOLIR-0113-005560361. The actual name of mine, my wife and my minor son are MUKESH BAWARIYA, SHEELA BAWARIYA and VIVEK BAWARIYA, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKESH BAWARIYA
[Signature]

It is for general information that I, MUKESH BAWARIYA S/o RANGLAL BAWARIYA R/O H.No-1290, Phase 3, J J Colony, Madanpur Khadar, Sarita Vihar, South Delhi, Delhi-110076, declare that name of mine and my father has been wrongly written as MUKESH AND RANGLAL in my Driving Licence No-DL0320110233510. The actual name of mine and my father are MUKESH BAWARIYA and RANGLAL BAWARIYA, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKESH BAWARIYA
[Signature]

It is for general information that I, PRAKASH CHAND S/o DANI CHAND, R/o Village Pasam, Post Rousha, Distt. Champawat, Uttarakhand-262524, declare that name of mine and my Father has been wrongly written as PRAKASH CHANDRA and DANI CHANDRA in my service records. The actual name of mine and my Father are PRAKASH CHAND and DANI CHAND, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAKASH CHAND
[Signature]

It is for general information that I, TUSHAR KANDA S/o RAVINDER KUMAR KANDA, residing at BC-1, Ground Floor, West Shalimar Bagh, Delhi-110088, declare that name of mine, my Father and my Mother have been wrongly written as TUSHAR GARG, RAVINDER GARG and LAXMI DEVI in my Passport No. Z4423785 and in my all Educational Documents. My and my Father name also mention as TUSHAR GARG and RAVINDER GARG in my Aadhar Card No. 957242726217, PAN Card No. ASWPG8962F and Driving Licence No. DL08 20110112518. The actual name of mine, my Father and my Mother are TUSHAR KANDA, RAVINDER KUMAR KANDA and LAXMI DEVI KANDA respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TUSHAR KANDA
[Signature]

It is for general information that I, MD. SUFIYAN S/o MD. WASE, R/o Dilawarpur, Chilha, Darbhanga, Bihar-847101, declare that Name of My Father has been wrongly written as MD WARIS in my Education Document. The actual name of My Father is MD. WASE, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MD. SUFIYAN
[Signature]

It is for general information that I, SABYASACHI GHOSH S/o RATAN KUMAR GHOSH, R/o Saradapally, Rajarhat Gopalpur(M), Hatiara, North 24 Parganas, West Bengal-700157, declare that Name of Mine and My Father has been wrongly written as SABYASACHI GHOW and RATAN KUMAR GHOW in my Class 10th, 12th and Bachelor Degree Educational Documents. The actual name of Mine and My Father are SABYASACHI GHOSH and RATAN KUMAR GHOSH, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SABYASACHI GHOSH
[Signature]

It is for general information that I, NISHA CHAUDHARAY D/o ARJUN SINGH , R/o Praveen Kumar Indane Gas Service, Nidhauri Road, Etah, Uttar Pradesh-207001, declare that Name of My Mother has been wrongly written as PINKEY CHAUDHARAY in my All Educational Documents . The actual name of My Mother is PINKI CHAUDHARY, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NISHA CHAUDHARAY
[Signature]

It is for general information that I, JITENDRA CHOUHAN S/o MOHARI LAL CHOUHAN, R/o 40-A, Paramhansh Colony, Bandhu Nagar, Murlipura, Jaipur, Rajasthan- 302023, declare that Name of My Father has been wrongly written as M L CHOUHAN in my 10th Class Certificate and 12th Class Certificate . The actual name of My Father is MOHARI LAL CHOUHAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JITENDRA CHOUHAN
[Signature]

It is for general information that I, SATINDER SINGH S/o BALWANT SINGH, R/o H. No.-1, amandeep avenue, maqsudan, jalandhar, punjab-144008, declare that name of mine has been wrongly written as SATINDER SINGH DHANOA in my minor son SAMARVEER DHANOA aged 17 years in his 10th class educational documents. The actual name of mine is SATINDER SINGH respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATINDER SINGH
[Signature]

It is for general information that I, SURINDER SINGH S/o MEHAR SINGH R/o Village - Bishan Pur, Mukerian, Hoshiarpur, Punjab-144211, declare that my name has been wrongly written as SURENDER SINGH in my Pension Payment Order (PPO) N0- S/040129/2000 (ARMY). The actual name of mine is SURINDER SINGH , which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURINDER SINGH
[Signature]

It is for general information that I, AARTI ANAND alias AARTI ANAND DUBEY D/o DHARAMPAL ANAND, Ex. W/o Late PUNEET DUBEY, resident of 36/201 Emaar Palm Hills, Sector-77 Gurgaon, Haryana-122004, declare that my husband Expired on 03-06-2021 and the death Certificate was issued with Registration No. D-2021: 6-90171-007974 dated 14-06-2021. Further, I remarried with GAURAV SAXENA S/o SURENDRA MOHAN R/o Flat No. 101, Tower 9, Emaar Palm Hills, Sector 77, Gurgaon, Haryana-122004, vide Marriage Registration No. 323/ADC/MRG dated 28-09-2022. Henceforth, the name of my minor son KAYAAN DUBEY aged 9 years and minor daughter KYRA DUBEY aged 9 years may be known as KAYAAN SAXENA and KYRA SAXENA, respectively and also the name of father of my minor son and daughter may be known as GAURAV SAXENA in future for all purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AARTI ANAND alias AARTI ANAND DUBEY
[Signature]

It is for the general public information that I, RAJENDRA SINGH RAWAT S/o Shri JAGAT SINGH RAWAT Permanent Address Naugaon, Gutu, Uttarkashi Gatu, Uttarakhand-249171 Residing at Quarter No-634, Sector-1, R.K. Puram, New Delhi-110022, declare that name of mine and my father has been wrongly written as RAJENDRA SINGH and JAGAT SINGH in my service Records. The actual name of mine and my father are RAJENDRA SINGH RAWAT and JAGAT SINGH RAWAT respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJENDRA SINGH RAWAT
[Signature]

It is for the general public information that I, VIRENDRA SINGH PUNDIR S/o Shri RAITHA SINGH PUNDIR Permanent Address 556, T-Estate, Behind Electricity Office, Banjarewala Mafi, Dehradun, Uttarakhand-248001 Residing at Quarter No-262, B-Block, Type-III, Nanakpura, South Motibag, New Delhi-110021, declare that name of mine and my father has been wrongly written as VIRENDRA SINGH and RAITHA SINGH in my education documents and service Records. The actual name of mine and my father are VIRENDRA SINGH PUNDIR and RAITHA SINGH PUNDIR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIRENDRA SINGH PUNDIR
[Signature]

It is general information that I, SOWARAN SINGH TOMAR S/o Late BHARAT SINGH TOMAR, R/o Village & Post Sudhar, District Jalaun (Uttar Pradesh) Pin-285123 declare that name of mine has been wrongly written as SOWARAN SINGH in my Discharge book No. 42488 and PPO No. 248201001857. The actual name of mine is SOWARAN SINGH TOMAR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOWARAN SINGH TOMAR
[Signature]

It is for general information that I, ANURAG WALIA S/o SURESH KUMAR, R/o F-1001, 10th Floor, Antriksh Golf View 2, Sector- 78, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201301, Declare that Name of My Father has been wrongly written as SURESH WALIA in my Educational Documents and Pan Card . The actual name of My Father is SURESH KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANURAG WALIA
[Signature]

It is for general information that I, DADAM VINEETH REDDY S/o DADAM SATHYAM REDDY, R/o H.No:5-121/69, Trishul Defence Colony, Sammakka Sarakka Temple, Ameenpur, Dist; Sangareddy, Telangana-502032, declare that name of mine & my father and my mother has been wrongly written as D. VINEETH REDDY & D. SATHYAM REDDY and D. SUGUNA in my SSC certificate. The actual name of mine & my father and my mother are DADAM VINEETH REDDY and DADAM SATHYAM REDDY & DADAM SUGUNA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DADAM VINEETH REDDY
[Signature]

It is for general information that I, AMANVEER SINGH Son of PARUPKAR SINGH, residing at H.No.570/3-14, inside Sultanwind Gate, Mahna Singh, Amritsar-143001, Punjab declare that name of my mother has been wrongly written as PARAMPREET KAUR in my 10th and 12th Class Certificate. But the actual name of my mother is DAVINDER KAUR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMANVEER SINGH
[Signature]

It is for general information that JASHANPREET SINGH BATH S/o GURMEET SINGH, R/o. VPO. Cheema Bath Tehsil baba Bakala Amritsar, Punjab declare that my father's name has been wrongly written as GURMEET BATH In My passport No.R8383876. The actual name of my father is GURMEET SINGH respectively, which may be amended.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASHANPREET SINGH BATH
[Signature]

It is for general information that I, HEERACAR SONY D/o HEERACAR HARIKRISHAN , R/o 4-15, Kokapet, Near Gramapanchayathi, Kokapet, C.B.I.T K.V. Rangareddy, Telangana- 500075, Declare that Name of My Father has been wrongly written as H HARIKRISHNA in my Educational Documents . The actual name of My Father is HEERACAR HARIKISHAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEERACAR SONY
[Signature (in existing old name)]

It is For General Information that I, PARAMJIT SINGH S/o JOGINDER SINGH, R/o Vill Jasso Nangal Bhorchhi Rajputan, Amritsar, Punjab-143111, declare that name of my wife has been wrongly written as VARINDER KAUR in my passport no. B1094949. The actual name of my wife is RAVINDER KAUR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAMJIT SINGH
[Signature]

It is for general information that I, Dr SOMA MUKHERJEE, wife of Dr DEVDATTA NEOGI, residing at HIG 142, Amarnath Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh 462042, declare that name of my minor son has been wrongly written as AYAANSH NEOGI in my minor son's namely AYAANSH NEOGI aged six years in his educational documents, passport and citizenship registration certificate.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Dr SOMA MUKHERJEE
[Signature]

It is for general information that I, MOHAMMAD SALAHUDDIN son of MOHAMMAD ISLAMUDDIN Residing at B-295, Top Floor, New Ashok Nagar, Vasundhra Enclave, East Delhi, Delhi-110096, declare that name of mine has been wrongly written as SALAUDDIN in my minor daughter ALFISHA ZOONE aged 16 years in her 10th Class Educational Documents. The actual name of mine is MOHAMMAD SALAHUDDIN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMAD SALAHUDDIN
[Signature]

It is for general information that I, VIKAS KUMAR S/o TRILOK CHAND, R/o D-452, Gali No. 4, Gamri Extn. Bhajanpura, Delhi-110053, declare that name of mine has been wrongly written as VIKAS in my driving Licence No. DL05 20110122209. The actual name of mine is VIKAS KUMAR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, MODI MULCHAND BHAI KASTURBHAI S/o SH. KASTURBHAI MODI R/o Qtr. No.6, Second Floor, Type-2, Block-1, old Const. 22BN, ITBP Tigri Camp New Delhi-110062, declare that name of my minor daughter has been wrongly written as KINJAL in my minor daughter's namely KINJAL MODI aged 14 years in her School Record. The actual name of my minor daughter is KINJAL MODI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MODI MULCHAND BHAI KASTURBHAI
[Signature]

It is for general information that I, MODI MULCHAND BHAI KASTURBHAI S/o SH. KASTURBHAI MODI R/o Qtr. No.6, Second Floor, Type-2, Block-1, Old Const. 22BN, ITBP Camp New Delhi-110062, declare that name of my minor son has been wrongly written as MODI RITESH in my minor son's namely RITESH MODI aged 11 years in his School Record. The actual name of my minor son is RITESH MODI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MODI MULCHAND BHAI KASTURBHAI
[Signature]

It is for general information that I, DEEPAK GARG S/o SH. KANTI PRASAD, R/o Kh-No-10/10, House No-138A, Main 25 Foota Road, Near DVS Public School, Uttarakhand Enclave, Burari, Delhi-110084, declare that name of my father has been wrongly written as SURENDER GARG in my PAN Card No-AHXP6329A and Voter ID Card No-LNV1446277. The actual name of my father is KANTI PRASAD which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK GARG
[Signature]

It is for general information that I, SARITA, D/o ANIL KUMAR, R/o A-496, South Ganesh Nagar, East Delhi, Delhi-110092, declare that name of mine has been wrongly written as SARITA KUMARI in my OBC Certificate No.-90500000075210. The actual name of mine is SARITA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARITA
[Signature]

It is general information that I, NAZIMA SHEIKH D/o BOJLUR RAHMAN, residing at Flat No-6/302, Plot No-1, Shahajahanbad Appartment, Dwarka, Sector-11, South West Delhi, Delhi-110075, declare that name of my father has been wrongly written as B in my Class 10th Marksheet and Certificate. The actual name of my father is BOJLUR RAHMAN which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAZIMA SHEIKH
[Signature]

It is for general information that I, KHIM SINGH BOHRA, S/o BAHADUR SINGH BOHRA, R/o -254, Vijay Nagar, Sector-B, Nilmatha, Lucknow Uttar Pradesh, Pin- 226002, declare that name of mine and my wife has been erroneously mentioned as KHIM SINGH BOHARA and PUSHPA BOHARA in my Sheet Roll, e- PPO No- 169200000115 and original PPO No- S/018525/2000. Actual name of mine and my wife should have been KHIM SINGH BOHRA and PUSHPA BOHRA respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KHIM SINGH BOHRA
[Signature]

It is for general information that I, SEWA SINGH S/o CHANAN SINGH, residing at Village - Baharwali, Tehsil - Zira, Distt. Ferozepur, Punjab - 142044, declare that the name of mine and my wife have been wrongly written as SEVA SINGH and NIRMALJIT KAUR in my PPO No.-165200400428. The actual name of mine and my wife are SEWA SINGH and NIRMALJEET KAUR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SEWA SINGH
[Signature]

It is for general information that I, ANJALI KUMARI, D/o RANJIT GUPTA, R/o F-6/458 F-6 Block Sultanpuri Delhi-110086, declare that name of my father has been wrongly written as RANJIT in my 10th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my father is RANJIT GUPTA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJALI KUMARI
[Signature]

It is for general information that I, PRADEEP KUMAR S/o VIRENDRA SINGH, Presently residing at Qtr. No.-174/14, Kabul Line, Delhi Cantt., Delhi-110010, and Permanently residing at H. No.-661, Goela, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh-251318, declare that name of my minor son namely DEVANSH BALIYAN aged 13 years has been wrongly written as DEVANCE CHOUDHARY in my Service Records and in his School Records. The actual name of my minor son is DEVANSH BALIYAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRADEEP KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, RAJWATI, W/o MEELAL, R/o 159, Harijan Basti, Khanpur Guntu, Buland Shahar, UP-245405, declare that name of mine and my husband has been wrongly written as RAMWATI and MEELAL SINGH in my aadhar Card No. 5021 6790 1431. The actual name of mine and my husband are RAJWATI and MEELAL respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJWATI
[Thumb Impression]

It is for general information that I, SEEMA DUBEY, W/o JAYSHANKAR DUBEY, residing at Room No. 29, Ground floor, Block-E, Nehru vihar, Near Timarpur, Delhi-110054, declare that the name of my husband has been wrongly written as JAY SHANKAR in my minor daughter ANJALI DUBEY age 14 years in her School Records. The actual name of my husband is JAYSHANKAR DUBEY which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SEEMA DUBEY
[Signature]

It is for general information that I, LALIT NARANG son of PARMANAND NARANG, Residing at 447, Block-C, Majlis Park, Adrash Nagar, Delhi-110033, declare that name of my minor Daughter AVNI aged 13 years has been wrongly written as AVNI NARANG in her School Records. The actual name of my minor daughter is AVNI respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LALIT NARANG
[Signature]

It is for general information that I, ARVIND KUMAR S/o AZAD VEER, R/o B-55, Gali no-2, Sushila Garden, Mandoli extn., DELHI-110093, declare that name of mine and my father has been wrongly written as ARVIND PAL W/o CHANDRA PAL in my Bank of Baroda A/c no 06430100009395 records. The actual name of mine and my father are ARVIND KUMAR son of AZAD VEER which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, SARITA, D/o YEMLAL residing 3A Gali No. 4 Vidhya Nagar, Ghora Farm Road, Hisar, Haryana-125001, declare that name of my Father has been wrongly written as AMLAL POUDLE in my all educational documents. The actual name of my Father is YEMLAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARITA
[Signature]

It is for general information that I, SATNAM SINGH S/o GURCHARAN SINGH, R/o H.No. BX-105, Street No.-2, Kishanpura, Jalandhar-1, Punjab-144004, declare that the name of my mother has been wrongly written as SURJIT KAUR in my birth certificate and passport. That the actual name of my mother is SUKHWINDER KAUR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATNAM SINGH
[Signature]

It is for general information that I, G. R C MURTY, son of Late Shri G.K. RAO, residing at Y-4, HUDCO Place Extension, Andrewsganj, South Delhi-110049, declare that name of mine has been wrongly written as GANNAVARAPU RAMA CHANDRA MURTHY in the provisional degree of Master of Arts in German (Translation & Interpretation), JNU, GANNAVARAPU RAMA CHANDRA MURTY in Master's Degree in original certificate of JNU, G RAMA CHANDRA MURTHY mentioned as Semester Grade report of M.Phil in German Studies (JNU), G. RAMACHANDRA MURTY in the certificate of University Grants Commission for National Educational Test (Master's Level), G. RAMA CHANDRA MURTY mentioned in the provisional certificate of Master of Philosophy.

The actual name of mine is G R C MURTY MURTY which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

G R C MURTY
[Signature]

It is for general information that I, HAKEEM REHMAN S/o SH. ABDUL REHMAN, R/o D-190A, First Floor, Abul Fazal Enclave Part-1, Jamia Nagar, South Delhi, Delhi-110025, declare that the name of mine has been wrongly written as HAKEEM in my Driving License DL0320000088716. The actual name of mine is HAKEEM REHMAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HAKEEM REHMAN
[Signature]

It is for general information that I, RAJ KUMAR GUPTA, S/o SHRI MOOL CHAND GUPTA, R/o C-22, Shiv Ram Parkr Ext-2, Nilothi More, Nangloi, Delhi-110041, declare that name of mine has been wrongly written as RAJ KUMAR in my minor daughter's namely KANIKA GUPTA aged 16 years in her Educational Documents. The actual name of mine is RAJ KUMAR GUPTA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KUMAR GUPTA
[Signature]

It is for general information that I, HIMMAT SINGH Son of TRILOK SINGH, Residing at 1030 Janta Flats, GTB Enclave, Nand Nagari, North East Delhi, Delhi-110093, declare that name of mine and my father has been wrongly written as Mr HIMMAT SINGH CHOUHAN and TRILOK SINGH CHOUHAN in my SBI Saving Bank Account No.10172560926 and as Mr. HIMMAT SINGH CHOUHAN and TRILOK SINGH CHOUHAN in my State Bank of India Saving Account No.30049162349. The actual name of mine and my father are HIMMAT SINGH and TRILOK SINGH, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HIMMAT SINGH
[Signature]

It is for general information that I, RIYAZ AHMED S/o SAEED AHMAD, R/o 3483/12A, Phatak Darogha Kucha Pandit, Lal Kuan, North Delhi, Delhi-110006, declare that name of mine has been wrongly written as M RIYAZ AHMED in my minor son MOHD FAIZAN aged 17 years in his school records. The actual name of mine is RIYAZ AHMED respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RIYAZ AHMED
[Signature]

It is for general information that I, SANJEEDA, W/o KHALIL AHMED, residing at House No. E-604, Gali No. 22, Old Mustafabad, Delhi-110094, declare that the name of mine and my husband have been wrongly written as SANJEDA and MUNNA SAIPI in my Voter ID Card No. XCN1218619. The actual name of mine and my husband are SANJEEDA and KHALIL AHMED respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJEEDA
[Signature]

It is for general information that I, ABID S/o MOHD YASEEN, R/o H.No. G240, Gali No. 13/6, Bhagirathi Vihar, Gokal Pur, North East Delhi, Delhi-110094, declare that name of my father has been wrongly written as YASEEN in my Pan Card No. BFYP3790P. The actual name of my father is MOHD YASEEN respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABID
[Signature]

It is for general information that I, DEVESHWARI DEVI, W/o KALAM SINGH KANDARI, R/o RZA-119, Gali No.1, Sita Puri, Part-2, Palam Village, South West Delhi, Delhi-110045, declare that name of mine and my minor son has been wrongly written as DEVOSHRI DEVI and NAVEEN in my minor son NAVEEN KANDARI aged 17 years in his educational documents. The actual name of mine and my minor son are DEVESHWARI DEVI and NAVEEN KANDARI respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVESHWARI DEVI
[Signature]

It is for general information that I, SHASHI BHUSHAN PRASAD S/o RAMNATH RAY, Permanent R/o Pearepur, Samastipur, Bahadurpur Patory, Bihar- 848504, Presently residing as 8/191, Sector -3, Rajender Nagar, Sahibabad, Distt. Ghaziabad, UP-201005, declare that name of my wife has been wrongly written as CHANCHAL in my minor daughter namely SANGINI aged 17 years in her 10th class Certificate. The actual name of my wife is CHANCHAL KUMARI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHASHI BHUSHAN PRASAD
[Signature]

It is for general information that I, ABHAY YADAV S/o SHIV SINGH, R/o Village & Post-Khudaganj, Distt-Farrukhabad, Uttar Pradesh-209724, declare that name of mine has been wrongly written as SHAIENDRA KUMAR in my Aadhar Card No.-895990110256. The actual name of mine is ABHAY YADAV respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHAY YADAV
[Signature]

It is for general information that I, KANHAYA LAL VERMA S/o HEM NATH VERMA, R/o 629/5, Gali No.13, Prashant Enclave, Baprola, New Delhi-110043, declare that name of mine has been wrongly written as KANHIA LAL VERMA in my minor son YASH KUMAR VERMA aged 13 years in his school records. The actual name of mine is KANHAYA LAL VERMA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANHAYA LAL VERMA
[Signature]

It is for general information that I, Dr. KAMAL BISHT S/o SABAR SINGH, residing, R/o A-212 Type -4, Haiderpur Road, Delhi Govt. Officer Flats Shalimar Bagh, North West Delhi, Delhi - 110088, declare that name of my Father has been wrongly written as SABAR BISHT in my Aadhar Card No. 482723154006 , PAN Card No. CSHPS1454H and S BISHT in my Driving License No. DL - 0920140259516. The actual name of my Father is SABAR SINGH respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Dr. KAMAL BISHT
[Signature]

It is for general information that I, ARIF HUSSAIN S/o SHARFUDDIN, R/o H.No. V-72, Gali No. 24 Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053, declare that name of my minor son has been wrongly written as ADIL AHMAD in my minor son's namely ADIL AHAMAD age 16 years in his educational documents. That actual name of my son is ADIL AHAMAD respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARIF HUSSAIN
[Signature]

It is for general information that I, SUJIT KUMAR S/o RAM CHANDRA, R/o C-319, F-3, Shalimar Garden Extn. 2, Sahibabad, Ghaziabad, UP-201005, declare that name of my minor daughter has been wrongly written as PRASHASTI, in my minor daughter's namely PRASHASTI PARMESHTHI, aged 08 years in her school record The actual name of my minor daughter is PRASHASTI PARMESHTHI, respectively which may be amended accordingly .

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUJIT KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, SURENDER KUMAR GOYAL Son of SHANTI KUMAR GOYAL, Residing at C-11, 1st Floor, Chander Nagar, Janakpuri West Metro Station, Janakpuri B-1, West Delhi, Delhi-110058, declare that name of mine, my wife and my minor son has been wrongly written as Mr. SURINDER GOEL, Mrs. VANDANA GOEL and RAGHAV GOEL in my minor son RAGHAV GOYAL, aged 14 years in his School Records. The actual name of mine, my wife and my minor son are SURENDER KUMAR GOYAL, VANDANA GOYAL and RAGHAV GOYAL, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURENDER KUMAR GOYAL
[Signature]

It is for general information that I, ABHISHEK KASHYAP S/o Late Sh. DALEEP KUMAR, R/o H.No. 39-A, LIG Flats, DG-1, D-Block, Vikas Puri, New Delhi-110018, declare that name of my father has been wrongly written as DALIP KUMAR in my educational documents. The actual name of my father is DALEEP KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHISHEK KASHYAP
[Signature]

It is for general information that I, ANITA RANI W/o SOM DUTT SHARMA, residing at 243, NTO Apartment, Plot No. 3A, Sector-22, Dwarka, South West, Delhi-110077, declare that the name of mine has been wrongly written as ANITA DEVI in my Voter ID Card No. DL/03/028/261097. The actual name of mine is ANITA RANI respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA RANI
[Signature]

It is for general information that I, KAVITA W/o KULDEEP, R/o 462 Dalhai Mohalla, Gali No. 9, Bhola Nath Nagar, Shahdara, North East Delhi-110032, declare that the name of mine has been wrongly written as SEEMA in daughter namely ROUNAK aged 14 years and my minor son namely VANSI PARCHA aged 12 years in their school record. The actual name of mine is KAVITA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAVITA
[Signature]

It is for general information that I, DEVESH PRAKASH BAIRWA Son of OM PRAKASH, Residing at 11167/68, Swarn Gali Idgah Road, Motia Khan, Pahar Ganj, Swami Ram Tirth Nagar S.O., Central Delhi, Delhi-110055, declare that name of mine has been wrongly written as DAVESH PRAKASH, in my SC Caste Certificate No. 251/1064. The actual name of mine is DEVESH PRAKASH BAIRWA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVESH PRAKASH BAIRWA
[Signature]

It is for general information that I, DHARAMDEV CHHARIA S/o SANJIV CHHARIA, R/o 12-C, Citizen Enclave, Sec.-14, Extn. Rohini, Delhi, declare that name of mine has been wrongly written as DHAARAM DEVI CHHARIA, in my 10th and 12th educational documents. The actual name of mine is DHARAMDEV CHHARIA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHARAMDEV CHHARIA
[Signature]

It is for general information that I, PRABHJOT SINGH VIRK S/o S. GURBAZ SINGH VIRK, R/o H.No. 1402 M Block, 66 Ft. Road, Jalandhar Heights-II, Pholriwala, Jalandhar, Punjab-144022, declare that name of mine has been wrongly written as PRABHJOT SINGH, in my Passport. The actual name of mine is PRABHJOT SINGH VIRK respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRABHJOT SINGH VIRK
[Signature]

It is for general information that I, ANJALI D/o KARAN SINGH, R/o 4/1837A, Rama Block, Gali No. 4, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032, hereby declare that name of my mother has been wrongly written as ANITA GAUTAM, in my educational documents. The actual name of my mother is ANITA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJALI
[Signature]

It is for general information that I, RENU MALIK D/o RAMESH CHAND, R/o VPO Risalu (18) Panipat, Haryana-132104, declare that name of my mother has been wrongly written as SUNITA MALIK, in my all educational documents. The actual name of my mother is RUKHMANI DEVI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RENU MALIK
[Signature]

It is for general information that I, MANJU DEVI W/o VINOD KUMAR residing at 64A, Sukhbir Nagar Karala Delhi-110081, declare that name of mine has been wrongly written as MANJU, in my minor daughter namely BHAWNA in her 10th mark sheet Certificate. The actual name of mine is MANJU DEVI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANJU DEVI
[Signature]

It is for general information that I, KAJAL D/o MADAN SAH, R/o E-37, JJ Colony, Khayala, Delhi-110018, declare that name of my father has been wrongly written as MADAN SHAH, in my 10th and 12th educational documents. The actual name of my father is MADAN SAH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAJAL
[Signature]

It is for general information that I, SACHIN RATHOD S/o SHRIDHAR RATHOD, R/o H.No. 114, Street No. 4, Block A, Shastri Park Extension Burari, Delhi-84, declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as SACHIN RATHOR, SHRIDHAR RATHOR and SUNITA respectively in my Xth & XIIth documents.

And declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as SACHIN SHRIDHAR RATHOR, SHRIDHAR RATHOR & SUNITA RATHOR respectively in my Graduation documents.

The actual name of mine, my father and my mother is SACHIN RATHOD, SHRIDHAR RATHOD and SUNITA RATHOD respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SACHIN RATHOD
[Signature]

It is for general information that I, SAHIL CHAUHAN S/o SUBHASH CHAUHAN, R/o H.No. B-2-900, JJ Colony, Madanpur Khadar, Sarita Vihar S.O. South Delhi, Delhi-110076, declare that name of mine has been wrongly written as SAHIL, in my 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of mine is SAHIL CHAUHAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAHIL CHAUHAN
[Signature]

It is for general information that I, DHANWATI DEVI D/o RAM SINGH, W/o Late OMPAL SINGH, R/o Bewal Barkatpur Tahsil Faridpur Distt. Bareilly, declare that name of mine has been wrongly written as MUNNY, in my father's service record. The actual name of mine is DHANWATI DEVI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHANWATI DEVI
[Signature]

It is for general information that I, DEVINDER PATELA S/o YOG RAJ, R/o 96, Mausam Apartments, West Enclave, Near Vardhman Market, Pitampura, North West Delhi-110034, declare that name of mine has been wrongly written as DEVINDER KUMAR, in my driving Licence No. DL 0819960133834. The actual name of mine is DEVINDER PATELA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVINDER PATELA
[Signature]

It is for general information that I, BHOOP SINGH SHARMA Son of PARMA NAND, Residing at O 151 Geeta Enclave, Vani Vihar, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, declare that name of mine has been wrongly written as Sh. BHOOP SINGH, in my Pension Book. The actual name of mine is BHOOP SINGH SHARMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHOOP SINGH SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, BHUNESH KUMAR Son of PURAN CHAND, Residing at Plot No. 80-A, Khasra No. 42/25/2, Bhagya Vihar, Madan Pur Dabas, North West Delhi, Delhi-110081, declare that name of mine has been wrongly written as BHUNESH, in my Driving Licence No. DL-0820180407145. The actual name of mine is BHUNESH KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHUNESH KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, MANISH KUMAR NANDA S/o BHUSHAN KUMAR NANDA, residing At, 66, Radhey Puri Extn. 1, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051, declare that name of mine and my minor daughter has been wrongly written as MANISH NANDA and AKSHITA in my minor daughter namely AKSHITA NANDA, aged 15 Years in 10th class mark sheet. The actual name of mine and my minor daughter are MANISH KUMAR NANDA and AKSHITA NANDA respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANISH KUMAR NANDA
[Signature]

It is for general Information that I, ANIRUDDH CHAUDHARY, S/o ANURAG CHAUDHARY, R/o D-54, Third Floor, Saket, New Delhi-110017, declare that name of mine has been wrongly written as ANIRUDDH CHOUDHARY, in my Driving License. The actual name of mine is ANIRUDDH CHAUDHARY which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIRUDDH CHAUDHARY
[Signature]

It is for general information that I, NEERAJ KUMAR S/o ASHOK KUMAR, R/o VPO Guhna, District Sonipat, Haryana-131408, declare that name of mine has been wrongly written NEERAJ, in my 12th class education documents. The actual name of mine is NEERAJ KUMAR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEERAJ KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, KAVYANSH KUMAR S/o ANIL KUMAR, R/o 233, Veersavarkar Nagar, 100 Foota Road, Near Gate No. 5, Bareilly, Uttar Pradesh-243122, declare

that name of mine has been wrongly written as KAVYANSH, in my 10th class educational documents. The actual name of mine is KAVYANSH KUMAR respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAVYANSH KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, MANDEEP KAUR W/o SURINDER SINGH, R/o Athaula, Jalandhar, Punjab-144002, declare that name of my husband has been wrongly written as SALINDER SINGH, in my passport No. S4124540. The actual name of my husband is SURINDER SINGH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANDEEP KAUR
[Thumb Impression]

It is for general information that I, SIRAJUDDIN S/o KAMRUDDIN, R/o H.No. 1102, Street No. 18/4, Near Chand Masjid, Nehru Vihar, Saba Pur, North East Delhi, Delhi-110094, declare that name of my minor son AMAN, aged 7 years has been wrongly written as ISHAAN, in his Aadhar Card No. 600232416122. The actual name of my minor son is AMAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIRAJUDDIN
[Signature]

It is for general information that I, PANKAJ KUMAR son of Shri KISHAN, Residing at 225/15, Rajpura Village, Model Town, North Delhi, Delhi-110007, declare that name of my father has been wrongly written as KISHAN, in my 10th and 12th Class Educational Documents. The actual name of my father is Shri KISHAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PANKAJ KUMAR
[Signature]

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड

उपनियमावली

गुजरात-382355, दिनांक 25 अगस्त 2022

विषयसूची

पृष्ठ संख्या

भाग क: सामान्य

अध्याय 1: शीर्षक और प्रारंभ 3625

अध्याय 2: परिभाषाएँ 3625

अध्याय 3: निदेशक मंडल और समितियाँ 3628

भाग ख: प्रतिभूतियों का व्यापार 3630

अध्याय 4: संचालन निर्देश और विज्ञप्ति जारी करने की शक्ति 3630

अध्याय 5: प्रतिभागी 3631

अध्याय 6: लाभार्थी स्वामियों के अधिकार और दायित्व 3641

अध्याय 7: समझौता 3643

अध्याय 8: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन 3643

अध्याय 9: क्लीयरिंग सदस्यों के अधिकार और दायित्व 3644

अध्याय 10: लाभार्थी स्वामियों और प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय 3644

अध्याय 11: प्रतिभूतियाँ 3646

अध्याय 12: जारीकर्ताओं और उनके आरटीए के अधिकार और दायित्व 3647

अध्याय 13: पुस्तक प्रविष्टि वार खाते/लेनदेन 3648

अध्याय 14: गिरवी और उपप्रायधीन 3655

अध्याय 15: प्रतिभूतियों को उधार देना 3657

अध्याय 16: मिलान, लेखा और लेखा परीक्षा 3657

भाग ग: बुलियन/बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों में लेनदेन 3661

अध्याय 17: बुलियन संचालन निर्देशों को तैयार करने और संशोधित करने की शक्ति 3661

अध्याय 18: आईआईडीआईएल के कार्य 3663

अध्याय 19: लेनदेन 3667

अध्याय 20: ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय 3667

अध्याय 21: तिजोरी में बुलियन जमा करना और निकालना 3668

अध्याय 22: बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को जारी करना, संशोधित करना, स्थानांतरित करना और रद्द करना और उनमें संशोधन करना 3671

अध्याय 23: ग्राहकों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और डेबिट 3672

अध्याय 24: डीमैट खाते और/या एक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के संचालन का निलंबन 3673

अध्याय 25: शेष राशि का हस्तांतरण 3674

अध्याय 26: बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का प्रसारण 3674

अध्याय 27: गिरवी 3674

अध्याय 28: गैर-निर्दिष्ट ग्राहकों की बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम तक पहुंच 3675

अध्याय 29: मिलान, लेखा और लेखा परीक्षा 3675

अध्याय 30: सूचना और रिकॉर्ड रखने का तरीका	3676
अध्याय 31: गोपनीयता की सुरक्षा	3676
अध्याय 32: आउटसोर्सिंग पर आईआईडीआईएल की बाध्यता	3677
अध्याय 33: दायित्व की सीमा	3677
भाग घ: अन्य	99
अध्याय 34: अनुशासनात्मक कार्रवाई	3678
अध्याय 35: अपील	3681
अध्याय 36: अस्वीकरण और क्षतिपूर्ति	3682
अध्याय 37: सुलह और मध्यस्थता	3683
अध्याय 38: क्षेत्राधिकार	3684
अध्याय 39: विविध	3684

अनुलग्नक

अनुलग्नक क —	3685
निवल सम्पत्ति का प्रमाणपत्र	
अनुलग्नक ख—	3687
आईआईडीआईएल और एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के बीच समझौता	
अनुलग्नक ग —	3701
एक प्रतिभागी और एक लाभार्थी स्वामी का खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति के बीच समझौता	
अनुलग्नक घ —	3703
एक प्रतिभागी और एक क्लियरिंग सदस्य के बीच समझौता	
अनुलग्नक ङ —	3710
आईआईडीआईएल और जारीकर्ता के बीच समझौता	
अनुलग्नक च —	3721
आईआईडीआईएल, एक जारीकर्ता और उसके आरटीए के बीच त्रिपक्षीय समझौता	
अनुलग्नक छ—	3732
आईआईडीआईएल और तिजोरी मैनेजर के बीच समझौता	

भाग क: सामान्य

अध्याय 1: शीर्षक और प्रारंभ

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थान) विनियम, 2021 (जिसे यहां पर "एमआईआई विनियम" कहा गया है) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 (जिसे यहां पर "बुलियन एक्सचेंज विनियम" कहा गया है) और अन्य लागू कानूनों के साथ पठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड (जिसे यहां पर "आईएफएससी अधिनियम" या "अधिनियम" कहा गया है) एतद् द्वारा निम्नलिखित उपनियमों का निर्माण करता है जिन्हें आईएफएससीए द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।

- 1.1. इन उप-नियमों को 'इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड के उप नियम' कहा जाएगा और संक्षिप्तता और सुविधा के लिए यहां 'उप-नियम' या 'ये उप-नियम' या 'आईआईडीआईएल के उप-नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है।
- 1.2. ये उपनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जब आईएफएससीए अधिनियम के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जिसे यहां पर 'आईएफएससीए' या "द आईएफएससीए" या "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है), अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड (जो यहां पर आईआईडीआईएल के रूप में संदर्भित है) को लागू कानूनों के अंतर्गत आईएफएससीए को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में मान्यता प्रदान करता है, या मान्यता प्रदान करने की तिथि के बाद की तिथि से प्रभावी होंगे जैसा कि इस संबंध में आईआईडीआईएल का बोर्ड अधिसूचित करता है।
- 1.3. ये उपनियम आईएफएससीए अधिनियम के प्रावधानों और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों और एमआईआई विनियमों और बुलियन एक्सचेंज विनियमों और आईएफएससीए और/या इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के अतिरिक्त होंगे। ये उपनियम हमेशा आईएफएससीए अधिनियम, आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों तथा आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इनके अंतर्गत जारी परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के अधीन और समय समय पर आईएफएससीए और/या भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, आदेशों, निर्देशों, नियमों और परिपत्रों के अधीन पढा जाएगा।
- 1.4. आईआईडीआईएल के किसी भी उपनियम के प्रावधानों और आईएफएससीए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के बीच अंतर के मामले में, आईएफएससीए अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनियम और बुलियन एक्सचेंज विनियम और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश आईआईडीआईएल के उपनियमों के स्थान पर मान्य होंगे।

अध्याय 2: परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यक न हो:

- 2.1 "लागू कानून" का अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम 2021, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015, और सभी नियम, विनियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश और/या उनके अंतर्गत जारी किए गए निर्देश/आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार और/या सेबी या किसी अन्य नियामक जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों/आईएफएससी में निर्दिष्ट समय-समय पर और आईआईडीआईएल और आईएफएससी में इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी लागू कानूनों से संबंधित हैं, जिसमें प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत नियम और विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके तहत नियम, विनियम, निर्देश या दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 (लागू सीमा तक), डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियम और विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियम शामिल हो सकते हैं।
- 2.2 "संस्था के अंतर्नियम" का अर्थ है आईआईडीआईएल के एसोसिएशन के अंतर्नियम।
- 2.3 "प्राधिकरण" या "आईएफएससीए" का अर्थ है आईएफएससीए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण।
- 2.4 "लाभार्थी स्वामी" का अर्थ (1) प्रतिभूतियों के संबंध में उस व्यक्ति से है जिसका नाम आईआईडीआईएल के रूप में दर्ज है और प्रतिभूतियों के संबंध में लाभकारी स्वामी के लिए लागू कानूनों के अनुसार आवश्यकता को पूरा करता है; (2) बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के संबंध में इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका नाम आईआईडीआईएल के साथ दर्ज किया गया है और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार लाभार्थी स्वामी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और समय समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में "लाभार्थी स्वामी" को दिए गए अर्थ के समान होगा।
- 2.5 "बोर्ड" या "निदेशक मंडल" का अर्थ है आईआईडीआईएल का निदेशक मंडल जिसका गठन इन उप कानूनों और एमआईआई विनियमों, बुलियन एक्सचेंज विनियमों और किसी भी अन्य लागू कानूनों के अध्याय 3 के अनुसार किया गया है।

- 2.6 "बुलियन" या "सराफा" का अर्थ है कीमती धातु जिसमें सोना, चांदी या कोई अन्य कीमती धातु शामिल है, जो बार या गैर आबंटित सोना, चांदी, या ऐसी अन्य कीमती धातुओं के रूप में होती है, जैसा कि आईएफएससीए इस संबंध में समय-समय पर बुलियन ट्रेडिंग के संबंध में अच्छी डिलीवरी, गुणवत्ता, मात्रा और किसी अन्य पहलू जिसे आईएफएससीए प्रासंगिक समझ सकता है, और समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में अवधि के लिए निर्दिष्ट अर्थ होगा।
- 2.7 'बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन' का अर्थ है आईएफएससीए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत एक वित्तीय संस्थान जिसे जिसे बुलियन एक्सचेंज विनियमों के अंतर्गत आईएफएससीए द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जो सराफा बाजार में समाशोधन और निपटान कार्यों को प्रदान करता है, और समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमावली में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।
- 2.8 "बुलियन अनुबंध" का अर्थ है सराफा, सराफा निक्षेपागार रसीदें या ऐसे अन्य बुलियन उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए एक अनुबंध जिनमें बुलियन पर डेरिवेटिव, बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऐसे अन्य अनुबंध शामिल हैं, जिन्हें आईएफएससीए द्वारा अनुमति दी जा सकती है, और इसका अर्थ वही होगा जो समय समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमावली में निर्दिष्ट होगा।
- 2.9 "बुलियन डिपॉजिटरी रसीद" का अर्थ है, आईआईडीआईएल द्वारा सराफा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक रसीद जिसे सराफा निक्षेपागार द्वारा बुलियन एक्सचेंज विनियमों के अंतर्गत जमाकर्ता को पैनलबद्ध वाउल्ट द्वारा भण्डार में रखने के लिए सराफा की प्राप्ति पर जारी किया जाता है, जिसका कारोबार एक्सचेंज में किया जा सकता है, और इसका अर्थ वही होगा जैसा कि समय समय पर संशोधित सराफा एक्सचेंज विनियमावली में दिया गया है।
- 2.10 "बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम" का अर्थ है आईआईडीआईएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, जिसमें अन्य के अतिरिक्त सुरक्षित और सटीक निर्माण, भंडारण, रखरखाव, निरस्तीकरण, बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों का हस्तांतरण और गिरवी रखने और हटाने और सीमित उद्देश्य वाली ई-नीलामी शामिल है।
- 2.11 "बुलियन एक्सचेंज" का अर्थ आईएफएससीए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के तहत एक वित्तीय संस्थान है, जो आईएफएससी में बुलियन अनुबंधों की सहायता, विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से स्थापित और मान्यता प्राप्त है, और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में दिए गए अर्थ के समान होगा।
- 2.12 "सराफा बाजार" में बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन डिपॉजिटरी, तिजोरी, बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स और कोई अन्य व्यक्ति शामिल हैं, और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
- 2.13 "सराफा कारोबारी सदस्य" का अर्थ है बुलियन एक्सचेंज विनियमों के संदर्भ में बुलियन एक्सचेंज पर कारोबार का अधिकार रखने वाला व्यक्ति और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमावली में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
- 2.14 "सराफा संचालन निर्देश" का अर्थ है ऐसे दिशानिर्देश, परिपत्र और नियमावली जिनमें समय-समय पर आईआईडीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम की सेवाओं से संबंधित प्रथाओं, प्रक्रियाओं, कार्यात्मक और परिचालन मानकों को शामिल किया गया है।
- 2.15 "उपनियमावली" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित आईआईडीआईएल के उप-नियम।
- 2.16 "क्लियरिंग कॉरपोरेशन" का अर्थ है एक ऐसी इकाई जो आईएफएससी में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निपटाए गए या कारोबार किए जाने वाले प्रतिभूतियों या अन्य उपकरणों या उत्पादों में कारोबारों की क्लीयरिंग और निपटान की गतिविधि करने के लिए स्थापित की गई है और इसमें एक क्लियरिंग हाउस भी शामिल है।
- 2.17 "क्लीयरिंग सदस्य" का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन में क्लीयरिंग अधिकार रखने वाला व्यक्ति है।
- 2.18 "ग्राहक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली बुलियन डिपॉजिटरी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आईआईडीआईएल के साथ एक खाता खोला है और इसमें एक लाभार्थी स्वामी और/या जमाकर्ता, जैसा लागू हो, शामिल है, जो ऐसी सेवाओं का उपयोग करता है।
- 2.19 "समिति(यों)" का अर्थ इन उप-नियमों के अध्याय 3 के अनुसार गठित आईआईडीआईएल की समिति।
- 2.20 "कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य पिछले कंपनी कानून, जैसा लागू हो, के तहत गठित और पंजीकृत कोई इकाई है।
- 2.21 "उपभोक्ता" का अर्थ है बुलियन ट्रेडिंग सदस्य का एक घटक और जैसा कि समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
- 2.22 "कॉर्पोरेट एक्शन" में बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथियां, ब्याज या लाभांश के भुगतान के लिए अंतिम अवधि तिथियां, वार्षिक आम बैठकों की तिथियां, प्रतिभूतियों के मोचन या परिपक्वता की तिथियां, डिबेंचर के रूपांतरण की तिथियां, वारंट, कॉल मनी की तिथियां और समय-समय पर जारीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट करने से संबंधित कोई भी कार्यवाई शामिल हैं।

- 2.23 "कॉर्पोरेट लाभ" का अर्थ है, ऐसे लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित ऐसे जारीकर्ता की प्रतिभूतियों के संबंध में जारीकर्ता से लाभार्थी स्वामी को समय-समय पर होने वाले लाभ और इसमें लाभांश, ब्याज, बोनस शेयर, अधिकार, अधिमाम्य आवंटन, वारंट, डिस्काउंट कूपन, प्रीमियम पर मोचन और ऐसे अन्य लाभ शामिल हैं।
- 2.24 "जमाकर्ता" का अर्थ है एक उपभोक्ता जो भंडारण के लिए आईआईडीआईएल के पैनल में रखे तिजोरियों में बुलियन डिलीवर करता है और जिसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
- 2.25 "डीमैट खाता" का अर्थ है आईआईडीआईएल में ग्राहक द्वारा खोला गया खाता, जिसका उद्देश्य आईएफएससीए में बुलियन एक्सचेंज/स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध बुलियन डिपोजिटरी रसीदों/प्रतिभूतियों का कारोबार करना या लागू कानूनों के संबंध में आईएफएससीए में इस प्रकार के खातों में कोई अन्य अनुमतिप्राप्त दस्तावेज रखना है।
- 2.26 "अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति" का अर्थ है इन उप-नियमों के अध्याय 34 के तहत गठित समिति।
- 2.27 "इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस" का अर्थ है आईआईडीआईएल द्वारा जारी बुलियन डिपोजिटरी रसीदों के डेबिट और क्रेडिट के बाद प्राप्त शुद्ध शेष राशि, जैसा कि क्लाइंट के डीमैट खाते में दर्शाया गया है।
- 2.28 "योग्य सुरक्षा (ओं)" का अर्थ है एक सुरक्षा/प्रतिभूति या अन्य उपकरण जो आईआईडीआईएल द्वारा एमआईआई विनियमों के विनियम 44 के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, जो इन उप कानूनों और लागू कानूनों के अनुसार आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप में रखने योग्य है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 के अनुसार जारी या सूचीबद्ध ऐसी प्रतिभूतियाँ/दस्तावेज शामिल हैं।
- 2.29 "सरकारी प्रतिभूतियों" का अर्थ वही होगा जैसा कि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में "सरकारी सुरक्षा" शब्द को निर्दिष्ट किया गया है, जो प्रतिभूतियाँ आईएफएससी में जारी/धारित/व्यापार करने के लिए पात्र हैं।
- 2.30 "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (क्यू) में दिया गया है।
- 2.31 "आईएफएससीए" या "आईएफएससीए" या "या" प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा जो इन उप-नियमों के पैराग्राफ 1.2 में दिया गया है।
- 2.32 "आईएफएससीए अधिनियम" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019।
- 2.33 "सूचना" में डेटा, संदेश, पाठ, चित्र, ध्वनि, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस या माइक्रो-फ़िल्म या कंप्यूटर-जनित माइक्रो फ़िश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप शामिल हैं।
- 2.34 "जारीकर्ता" का अर्थ होगा (i) भारत में निगमित कोई भी इकाई जो भारतीय रुपये के अलावा विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने की मांग कर रही है, जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) या विनियम नियंत्रण नियमों के तहत अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया है, जो लागू हो सकता है; या (ii) एक विदेशी क्षेत्राधिकार में निगमित एक इकाई, बशर्ते ऐसी इकाई को अपने निगमन या स्थापना के देश के बाहर या अपने निगमन के देश, क्षेत्राधिकार या व्यापार के स्थल से बाहर इसके संविधान के कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति हो, या (iii) कोई भी सुपरनैशनल, बहुपक्षीय या सांविधिक संगठन/संस्था/एजेंसी बशर्ते कि ऐसे संगठन/संस्थान/एजेंसी को अन्य लागू कानूनों के साथ पठित एमआईआई विनियमों और समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार, अपने संविधान के अनुसार प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति है, और इसका अर्थ आईएफएससी के संदर्भ में लागू कानूनों के तहत परिभाषित किया जाएगा, जिसमें ऐसी संस्थाएँ शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 के अनुसार आईएफएससी में अपनी प्रतिभूतियों को जारी या सूचीबद्ध कर सकती हैं।
- 2.35 "प्रमुख प्रबंधन कार्मिक" या "केएमपी" का वही अर्थ होगा जो एमआईआई विनियमों के तहत दिया गया है।
- 2.36 "सीमित उद्देश्य ई-नीलामी" का अर्थ है सीमित उद्देश्य वाली ई-नीलामी की प्रक्रिया जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी आयोजित करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जा सकता है।
- 2.37 "प्रबंध निदेशक" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी लागू कानून के तहत दिया गया है।
- 2.38 "मार्केट कारोबार" का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से संपन्न कारोबार और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से क्लियर और निपटान, जिसने इन उप-नियमों के अनुसार आईआईडीआईएल के साथ एक समझौता किया है और इसमें ऐसे ट्रेड शामिल हैं जिनका सौदा निजी तौर पर किया जाता है और ऐसे क्लियरिंग निगम के माध्यम से क्लियरिंग के लिए रिपोर्ट किया जाता है।
- 2.39 "ऑफ मार्केट ट्रांसफर" का अर्थ उन कारोबारों से है जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से क्लियर या सेटल नहीं हुए हैं, जिन्होंने इन उप-नियमों के संदर्भ में आईआईडीआईएल के साथ एक समझौता किया है।
- 2.40 "संचालन निर्देश" का अर्थ है, और इसमें ऐसे निर्देश, विनिर्देश, दिशानिर्देश, परिपत्र और मैनुअल शामिल हैं, जिसमें आईआईडीआईएल द्वारा योग्य सुरक्षा से संबंधित प्रथाओं, प्रक्रियाओं, कार्यात्मक और परिचालन मानकों को शामिल किया गया है, जिसमें आईआईडीआईएल, जारीकर्ता, जारीकर्ता एजेंट/आरटीए, प्रतिभागी और लाभार्थी स्वामी के बीच के बीच

सूचना के प्रसारण का इंटरफ़ेस और विधि शामिल है, जैसा कि समय-समय पर आईआईडीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित किया जाता है।

- 2.41 "अन्य डिपॉजिटरी" का अर्थ है आईआईडीआईएल के अलावा प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त आईएफएससी में एक डिपॉजिटरी जो आईएफएससी अधिनियम और एमआईआई विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत और स्थापित है।
- 2.42 "प्रतिभागी" का अर्थ समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12(1क) के तहत पंजीकृत व्यक्ति से है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें लागू कानूनों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।
- 2.43 "गिरवीदार" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका आईआईडीआईएल में खाता है जिसके पक्ष में ग्राहक/जमाकर्ता ने वित्तीय सहायता के लिए जमानत के रूप में सराफा गिरवी रखा है।
- 2.44 "प्रासंगिक प्राधिकरण" का अर्थ होगा बोर्ड, आईएफएससी, या आईआईडीआईएल का ऐसा अन्य प्राधिकरण/समिति जैसा कि आईएफएससी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।
- 2.45 "आरटीए" का अर्थ है किसी प्रतिभूति के निर्गम के लिए रजिस्ट्रार और/या उस निमित्त जारीकर्ता द्वारा नियुक्त किसी प्रतिभूति के संबंध में एक हस्तांतरण एजेंट जिसे लागू कानूनों के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- 2.46 "सिक्क्योरिटी" या "सिक्क्योरिटीज" का अर्थ सिक्क्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 के तहत दिया गया है, और इसमें योग्य सिक्क्योरिटीज और/या ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स शामिल होंगे जिन्हें आईएफएससी में अधिसूचित/आयोजित/व्यापार/निपटारा जा सकता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 के संदर्भ में जारी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।
- 2.47 "सेवाओं" का अर्थ है प्रतिभूतियों और बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज/बुलियन एक्सचेंज और/या बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के हिस्से के रूप में कारोबार करने के लिए डिपॉजिटरी सेवाएं, जिसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के तहत अधिसूचित किया जा सकता है।
- 2.48 "स्टॉक एक्सचेंज" का अर्थ है आईएफएससी में प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या कारोबार करने के व्यवसाय में सहायता, विनियमन या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू कानूनों के तहत स्थापित एक इकाई।
- 2.49 "उपयोगकर्ता" का अर्थ है और इसमें आईआईडीआईएल के साथ बातचीत करने वाला कोई भी बाजार मध्यस्थ शामिल है और इसमें प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लीयरिंग निगम और क्लीयरिंग सदस्य शामिल होंगे।
- 2.50 "वाउल्ट" का अर्थ कोई भी ऐसा परिसर जहां वाउल्ट (तिजोरी) प्रबंधक जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए बुलियन को अपने कब्जे में लेता है और इसमें आईएफएससी द्वारा अनुमोदित भंडारण के लिए एक जगह शामिल है और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में अवधि के लिए निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
- 2.51 "वाउल्टिंग व्यापार" का अर्थ है सराफा के भंडारण के लिए तिजोरी की स्थापना और रखरखाव का व्यवसाय और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में अवधि के लिए निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
- 2.52 "वाउल्ट मैनेजर" (तिजोरी प्रबंधक) का अर्थ है आईएफएससी द्वारा पंजीकृत एक व्यक्ति, जो वाउल्टिंग व्यवसाय को चलाने के लिए आईआईडीआईएल द्वारा सूचीबद्ध वाउल्ट का प्रबंधन करता है और इसका अर्थ समय-समय पर संशोधित बुलियन एक्सचेंज विनियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

जहां कहीं भी इन उप-नियमों में "प्रतिभागी", "लाभार्थी स्वामी", "जारीकर्ता" और "आरटीए" शब्द आते हैं, जब तक कि उनके संदर्भ या अर्थ द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो, आईआईडीआईएल के संबंध में इनका अर्थ "प्रतिभागी", "लाभार्थी स्वामी", "जारीकर्ता" और "आरटीए" होगा।

इन उपनियमों में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जिन्हें यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन लागू कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उन्हें कथित कानूनों के अंतर्गत उन्हें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आईएफएससी और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम सपठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) निर्देशावली, 2015 (लागू सीमा तक), और उसमें जारी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 और आईएफएससी और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जारी परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत नियम और भारतीय विनियम, प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और इसके अंतर्गत नियम, विनियम, निर्देश और दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (डिपोजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियमावली, 2018 (लागू सीमा तक), डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत बने नियम और विनियम।

आईआईडीआईएल समय-समय पर आईएफएससी के पूर्व अनुमोदन के साथ, एमआईआई विनियमों और बुलियन एक्सचेंज विनियमों के साथ पठित आईएफएससी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, उप-नियमों के अनुलग्नकों में ऐसे संशोधन या परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। आईआईडीआईएल और प्रतिपक्षों के बीच और उप-नियमों के अनुसार प्रतिपक्षों के बीच सभी समझौते जो इस तरह के संशोधन या संशोधन की तारीख को पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं, इस तरह के संशोधन या परिवर्तन की तारीख से वास्तव में संशोधन या परिवर्तन के अनुसार संशोधित और/या परिवर्तित माने जाएंगे।

अध्याय 3: निदेशक बोर्ड और समितियां

- 3.1. कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके आंतरिक नियमों सहित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार गठित आईआईडीआईएल का निदेशक मंडल, आईआईडीआईएल के संचालनों को प्रबंधित, रखरखाव, नियंत्रण, विनियमित और सुविधा प्रदान कर सकता है, जो लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन है जिनमें एमआईआई विनियम, बुलियन एक्सचेंज विनियम, आईएफएससी अधिनियम, और

उसके अंतर्गत निर्मित नियम, विनियम और अन्य लागू उपनियम हैं, जो उस समय पर लागू हैं और जो आईआईडीआईएल और इसके कार्यों को शासित करते हैं।

- 3.2. निदेशक मंडल के पास आईएफएससीए से अनुमोदन के अधीन, आईआईडीआईएल के संचालन के प्रभावी और सुचारु संचालन, परिचालन और विनियमन के लिए आवश्यक उप-नियमों को तैयार करने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 3.3. बोर्ड की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संस्था के अंतर्नियमों के तहत प्रदान की जाएंगी और एमआईआई विनियमों, बुलियन एक्सचेंज विनियमों, आईएफएससीए अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और किसी भी अन्य लागू कानूनों सहित आईआईडीआईएल और उसके कार्यों को नियंत्रित करने वाले समय पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन होंगी।
- 3.4. निदेशक मंडल अपने व्यक्तिगत निदेशकों के समग्र प्रदर्शन और कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करेगा, जैसा कि लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकता है।
- 3.5. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
 - 3.5.1. आईआईडीआईएल के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आईएफएससीए, या बोर्ड या प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है, आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार संहिता और नियमों का पालन करेंगे।
- 3.6. योग्य और उचित व्यक्ति
 - 3.6.1. आईआईडीआईएल के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और इस संबंध में आईएफएससीए/बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्तियों को आईएफएससीए द्वारा निर्धारित 'योग्य और उचित' व्यक्ति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसा कि बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट।
- 3.7. समितियां:
 - 3.7.1. बोर्ड ऐसी समितियों का गठन करेगा जो लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें समय-समय पर ऐसी समितियां शामिल हैं, जिनमें बोर्ड के सदस्य या ऐसे अन्य लोग शामिल हैं जिन्हें बोर्ड अपने विवेक से उचित या आवश्यक समझे।
 - 3.7.2. आईआईडीआईएल के दैनिक मामलों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा एक या अधिक समिति (समितियों) को नियुक्त किया जा सकता है।
 - 3.7.3. निदेशक मंडल को समय-समय पर समितियों या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कोई शक्तियाँ सौंपी गई हैं, और ऐसे निर्देश समिति और/या ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होंगे।
 - 3.7.4. *समिति की शक्तियां* लागू कानूनों के अधीन:
 - 3.7.4.1. बोर्ड समय-समय पर समिति (समितियों) को ऐसी शक्तियां और ऐसी शर्तों पर सौंप सकता है जो उनमें निहित हैं जिन्हें वह आईआईडीआईएल के सभी या किसी भी मामलों का प्रबंधन करने, रद्द करने, वापस लेने के लिए और समय-समय पर ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों को परिवर्तित या परिवर्तित करने के लिए उचित समझता है।
 - 3.7.4.2. (समितियां) समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए बाध्य होंगी और प्रतिनिधित्व की सभी शर्तों और समिति की शक्तियों पर सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।
 - 3.7.4.3. अपने गठन के नियमों और शर्तों के अधीन, समितियां ऐसी उप-समितियों का गठन ऐसे उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं जो वह उचित समझे। ऐसी उप-समिति (समितियों) का गठन, शक्तियों और जिम्मेदारियों का निर्धारण उस समिति द्वारा किया जा सकता है जो ऐसी उप-समितियों का गठन करती है।
 - 3.7.4.4. समिति समय-समय पर और अपने गठन के नियमों और शर्तों के अधीन, प्रबंध निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को इस संबंध में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कार्यों, गतिविधियों और कार्यों को करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो जिम्मेदारियों को पूरा करने और बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए अधिकारों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं।
 - 3.7.5. *समिति के सदस्य की अयोग्यता*
 - 3.7.5.1. लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, कोई भी ऐसा व्यक्ति समिति (समितियों) का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह संस्था के अंतर्नियमों में प्रदान की गई या आईएफएससीए/केंद्र सरकार/बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से पीड़ित होता है। समिति के किसी भी सदस्य को, वास्तव में, यदि वह ऐसी किसी भी अयोग्यता का शिकार होता है, तो कार्यालय को खाली कर दिया माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी समिति के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में सद्भावपूर्वक किया गया कुछ भी ऐसा कार्य केवल इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा कि ऐसा कार्य, मामला या बात उसकी अयोग्यता के बाद उसके द्वारा किया गया हो सकता है लेकिन उसकी अयोग्यता के ज्ञान के बिना किया गया है।

- 3.7.6. समिति की बैठक
- 3.7.6.1. एक समिति प्रेषण, स्थगन, भौतिक/आभासी बैठकों, बैठकों की आवृत्ति, बैठकों में मतदान (प्रॉक्सी वोटिंग, यदि कोई हो सहित), परिपत्र प्रस्ताव या किसी अन्य मामले सहित अपने व्यवसाय के संचालन के तरीके और ढंग पर निर्णय ले सकती है। आईएफएससीए/केंद्र सरकार/बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्धारित निर्देशों के अधीन, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अन्यथा अपनी बैठकों और कार्यवाही को विनियमित करना चाहिए।
- 3.7.6.2. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति आईएफएससीए/केंद्र सरकार /बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- 3.7.6.3. अध्यक्ष के अधिकार के तहत आईआईडीआईएल का कोई भी कर्मचारी किसी भी समय ऐसी समिति की बैठक बुला सकता है।
- 3.7.6.4. समितियों की किसी भी बैठक में निर्णय संस्था के अंतर्नियमों में प्रदान किए गए या आईएफएससीए/केंद्र सरकार/बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार लिया जाएगा।
- 3.7.6.5. समिति की सभी बैठकों में, सामान्यतः अध्यक्षता अध्यक्ष ही करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित समिति के सदस्य आईएफएससीए/केंद्रीय सरकार/बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके, यदि कोई हो, के अनुसार ऐसी बैठक के अध्यक्ष के रूप सदस्यों में से किसी एक को चुन सकते हैं। समिति का एक सदस्य बैठक से पहले व्यवसाय में अपनी रुचि, यदि कोई हो, प्रकट करेगा और उक्त मामले पर चर्चा, मतदान और निर्णयों से दूर रहेगा। यदि अध्यक्ष बैठक के कार्य में रुचि रखता है तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।
- 3.7.7. अध्यक्ष
- 3.7.7.1. समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, जो आईएफएससीए/केंद्र सरकार/बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण, यदि कोई हो, द्वारा जारी निर्देशों/विनियमों के अनुसार समिति का अध्यक्ष होगा।
- 3.7.7.2. अध्यक्ष ऐसी सभी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है और ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन कर सकता है जो उसे समय-समय पर समिति द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
- 3.7.7.3. अध्यक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में, समिति द्वारा चुने गए व्यक्ति, समिति द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जब भी उसकी राय होगी कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, जो समिति द्वारा इस तरह की कार्रवाई की पुष्टि क अधीन होगी।
- 3.7.7.4. समिति, अपनी बैठक में जहां एक कोरम मौजूद है, सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम होगा जो ऐसी समिति में निहित या प्रयोग योग्य हैं।

भाग ख: प्रतिभूतियों में व्यापार

इस भाग के प्रावधान प्रतिभागियों, जारीकर्ता, आरटीए, लाभार्थी मालिकों और किसी भी अन्य संस्था/ व्यक्ति पर लागू होंगे जो आईएफएससी में किसी भी प्रतिभूति/योग्य प्रतिभूतियों/सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित हैं, जैसा भी मामला हो और लागू हो।

अध्याय 4: संचालन निर्देश और विज्ञप्ति जारी करने की शक्ति

- 4.1 आईआईडीआईएल, संचालनों और कार्यों के सभी पक्षों की व्याख्या करते हुए समय-समय पर, निर्देश, विनिर्देश और दिशा-निर्देश जारी करने का हकदार होगा जिसे "संचालन निर्देश" के रूप में जाना जाता है, जिनमें आईआईडीआईएल, जारीकर्ताओं, जारीकर्ता एजेंट/आरटीए, प्रतिभागी और लाभार्थी स्वामी के बीच इंटरफेस और सूचना के प्रसारण की विधियां शामिल हैं।
- 4.2. एमआईआई विनियमों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, आईआईडीआईएल को समय-समय पर संचालन निर्देशों या उसके किसी भाग को निरस्त करने, हटाने, संशोधित करने और/या बदलने या नए संचालन निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, बशर्ते कि आईआईडीआईएल आईएफएससीए को संचालन निर्देशों की एक प्रति या उसमें संशोधन या परिवर्तनों, जैसा भी मामला हो, सहित आईआईडीआईएल द्वारा प्रभावी होने से कम से कम सात कार्य दिवस पहले दाखिल करेगा।
- 4.3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में संचालन निर्देश जारी कर सकता है:
- 4.3.1. आईआईडीआईएल के डिपॉजिटरी सिस्टम में कामकाज और संचालन का तरीका;
- 4.3.2. मानदंड जो प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लियरिंग सदस्यों और क्लियरिंग निगमों द्वारा इस तरह कार्य करते समय पालन करने की आवश्यकता होगी;
- 4.3.3. प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए और क्लियरिंग निगमों द्वारा स्थापित और रखरखाव के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर;

- 4.3.4. प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्यों और क्लीयरिंग निगमों द्वारा आईआईडीआईएल को देय समय-समय पर शुल्क, प्रणाली उपयोग शुल्क, जमा, मार्जिन, दंड और अन्य धन का निर्धारण;
- 4.3.5. प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण और पुनः भौतिकीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया;
- 4.3.6. एक प्रतिभागी के साथ लाभार्थी स्वामी का खाता खोलने, संचालन, रखरखाव और बंद करने की प्रक्रिया;
- 4.3.7. क्लीयरिंग निगमों और क्लीयरिंग सदस्यों के साथ कारोबार का संचालन;
- 4.3.8. आईआईडीआईएल द्वारा प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्यों और क्लीयरिंग निगमों और प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्यों और क्लीयरिंग निगमों द्वारा और प्रतिभागियों द्वारा आईआईडीआईएल और उनके लाभकारी स्वामियों को लेनदेन और होल्डिंग से संबंधित सूचना का संचार;
- 4.3.9. आईआईडीआईएल और प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए और क्लीयरिंग निगमों के बीच रिकॉर्ड का मिलान;
- 4.3.10. प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्यों और क्लीयरिंग निगमों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले रिकॉर्ड और बही खाते।
- 4.3.11. आईआईडीआईएल द्वारा स्थापित सभी निधियों (फंडों) का प्रशासन, रखरखाव और निवेश, जिसमें कोष, अभिवृद्धि और योगदान या फंड शामिल हैं;
- 4.3.12. प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्यों और क्लीयरिंग निगमों द्वारा आईआईडीआईएल के संबंध में उनकी गतिविधियों के संबंध में आईआईडीआईएल को आवधिक रिटर्नजमा करने के लिए आवश्यकताएं, तरीके और प्रारूप;
- 4.3.13. तरीका और प्रारूप जिसमें प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए और क्लीयरिंग निगम आईआईडीआईएल के साथ संचार के निरंतर इलेक्ट्रॉनिक साधन बनाए रखेंगे;
- 4.3.14. आईआईडीआईएल के कार्य दिवस और घंटे और व्यवसाय संचालन के घंटे;
- 4.3.15. कोई अन्य मामला जो आईआईडीआईएल द्वारा तय किया जा सकता है
- 4.4. आईआईडीआईएल उपनियमों या संचालन निर्देशों या किसी प्रक्रियात्मक या संचालनात्मक मुद्दे के किसी भी पहलू पर कार्यान्वयन और/या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग निगम और क्लीयरिंग सदस्यों को समय-समय पर नोटिस, परिपत्र और सूचना (जिसे यहां पर "संचार" कहा गया है) जारी करने का हकदार होगा। ऐसी सभी विज्ञप्तियां प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, क्लीयरिंग निगम या क्लीयरिंग सदस्यों के लिए उसी शक्ति और प्रभाव से बाध्यकारी होगी जैसा कि उपनियमों और संचालन निर्देशों के अनुसार बाध्यकारी हैं।

अध्याय 5: प्रतिभागी

5.1. प्रतिभागियों का प्रवेश

- 5.1.1. प्रतिभागी के रूप में भर्ती होने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट शुल्क के साथ आईआईडीआईएल के माध्यम से आईएफएससीए को एक प्रतिभागी के रूप में प्रारंभिक पंजीकरण/अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, यदि कोई आवेदक पहले से ही किसी अन्य डिपोजिटरी का प्रतिभागी है और आईआईडीआईएल का प्रतिभागी बनना चाहता है तो वह ऐसे अन्य डिपोजिटरी को एक प्रतिभागी के रूप में आईआईडीआईएल में प्रवेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसा अन्य डिपोजिटरी उचित परिश्रम और आंतरिक अनुमोदन प्रक्रिया का प्रयोग करने के बाद और सभी प्रासंगिक पात्रता आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में संतुष्ट होने पर आवेदक को अनुमोदन प्रदान कर सकता है। आवेदक को प्रारंभिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आईएफएससीए को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, संभावित प्रतिभागी को आईआईडीआईएल के साथ प्रतिभागी के रूप में सक्रिय होने से पहले आईआईडीआईएल के माध्यम से आईएफएससीए को लागू फीस का भुगतान करना होगा।
- 5.1.2. इस तरह के आवेदन के साथ ऐसी फीस, सुरक्षा जमा और/या आईआईडीआईएल को देय ऐसी अन्य राशि देय होगी जो आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा लागू कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट की जा सकती है।
- 5.1.3. इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के अंदर आईआईडीआईएल द्वारा प्रत्येक आवेदन का निपटारा किया जाएगा और यदि ऐसा आवेदन आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित प्रवेश के मानदंडों को पूरा करता है, तो आईआईडीआईएल इसे अपनी सिफारिशों के साथ आईएफएससीए को अग्रेषित करेगा।
- 5.1.4. एक आवेदन, जो सभी तरह से पूर्ण नहीं है और निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आईआईडीआईएल, किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, आवेदक को लिखित रूप में, आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर, उसके द्वारा इंगित आपत्तियों को दूर करने का अवसर दे सकता है।

- 5.1.5. आईआईडीआईएल को आवेदक को ऐसी और जानकारी या स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी आवश्यकता ऐसे समय के अंदर हो सकती है, जैसा वह निर्दिष्ट कर सकता है। प्रदान किए गए समय के अंदर या आगे दिए गए समय के अंदर कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल होने पर, आवेदन को वापस ले लिया गया माना जाएगा।
- 5.1.6. निदेशक मंडल किसी आवेदन की जांच, प्रक्रिया, मूल्यांकन और स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति को निदेशकों की एक समिति को सौंप सकता है जैसा वह उचित समझे।
- 5.1.7. ऐसी समिति जिसे इस प्रकार की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, वह ऐसे किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और यदि आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के लिए आधार लिखित रूप में निर्धारित किया जाएगा। आईआईडीआईएल उन आधारों से अवगत कराएगा जिन पर आवेदक को आवेदन खारिज कर दिया गया है। आवेदक इस तरह की अस्वीकृति के विरुद्ध निदेशक मंडल में अपील कर सकता है और इस संबंध में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.1.8. प्रत्येक प्रतिभागी जिसे आईआईडीआईएल में इस रूप में प्रवेश दिया गया है, को आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर अपने कर्तव्यों और दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में आईआईडीआईएल को निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। आईआईडीआईएल को आईआईडीआईएल द्वारा सुरक्षा या जमा के रूप में प्राप्त किसी भी राशि पर प्रतिभागी को कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि आईआईडीआईएल द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।
- 5.1.9. आईआईडीआईएल के पास इस तरह के योगदान और/या धन के लिए अतिरिक्त योगदान करने के लिए, और इस तरह के शुल्क, जमा, और अतिरिक्त सुरक्षा जमा का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में करने के लिए कॉल करने का अधिकार होगा या लाभार्थी स्वामियों के हितों की सुरक्षा के लिए निधियों में अंशदान के संबंध में कोई धनराशि जमा करने, कोई अतिरिक्त गारंटी प्रस्तुत करने या मांग करने के लिए प्रतिभागी को कॉल करने का अधिकार होगा।
- 5.2. प्रवेश के मानदंड
- 5.2.1. कोई भी आवेदक आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के रूप में तब तक भर्ती होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदक समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा उपनियमों और/या संचालन निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, यदि कोई हो।
- 5.2.2. आवेदक निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करेगा:
- 5.2.2.1. आवेदक ने अपने व्यवसाय और इक्विटी होल्डिंग से संबंधित ऐसी जानकारी और विवरण प्रस्तुत किया है जो आवेदन की तिथि से तुरंत पहले या इसकी स्थापना की तारीख से कम से कम 3 (तीन) वर्ष की न्यूनतम अवधि से संबंधित है, यदि 3 (तीन) वर्ष से कम है।
- 5.2.2.2. आवेदक (किसी भी प्रतिभागी सहित, जहां आवेदक एक साझेदारी फर्म है, और कोई भी निदेशक या कोई भी व्यक्ति जो आवेदक के मामलों को नियंत्रित करने की स्थिति में या अन्यथा कोई महत्वपूर्ण हित रखता है, जहां आवेदक एक कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट है) धन और प्रतिभूतियों के दुरुपयोग, चोरी, धन के गबन, कपटपूर्ण रूपांतरण, जालसाजी या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अन्य अपराध से जुड़े किसी भी मामले में आवेदन दाखिल करने से पिछले 5 (पांच) वर्षों के दौरान किसी में भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए;
- 5.2.2.3. आवेदक (किसी भी प्रतिभागी सहित, जहां आवेदक एक साझेदारी फर्म है, और कोई भी निदेशक या कोई भी व्यक्ति जो आवेदक के मामलों को नियंत्रित करने की स्थिति में या अन्यथा कोई महत्वपूर्ण हित रखता है, जहां आवेदक एक कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट है) आईएफएसीए या किसी अन्य प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निष्कासित, प्रतिबंधित या निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। बशर्ते कि, यदि निष्कासन, प्रतिबंध या निलंबन, जैसा भी मामला हो, की अवधि समाप्ति से 3 (तीन) वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत चुकी हो, आईआईडीआईएल अपने विवेक से ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।
- 5.2.2.4. निवल मूल्य की आवश्यकता: आवेदक न्यूनतम निवल मूल्य को पूरा करेगा जैसा कि समय-समय पर लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है। आवेदक आईआईडीआईएल को ऑडिट किए गए बहीखातों के आधार पर एक निवल मूल्य प्रमाणपत्र (उसकी गणना सहित) प्रस्तुत करेगा, और आईआईडीआईएल द्वारा जारी किए गए परिचालन निर्देशों में समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके और रूप में गणना और सारणीबद्ध किया जाएगा और एक सांविधिक ऑडिटर या अभ्यासकर्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
- 5.2.2.5. आवेदक ने अपने निदेशक मंडल/प्रतिभागियों/प्राधिकृत अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, का विवरण प्रस्तुत किया हो जो एक प्रतिभागी के रूप में आवेदक के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

5.2.2.6. आवेदक के पास अपने स्टाफ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या होगी जो आइआईडीआईएल निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं या जो आइआईडीआईएल की राय में, अन्यथा पर्याप्त रूप से योग्य हैं या उनके पास आइआईडीआईएल प्रणाली के काम करने के परिचालन, कार्यात्मक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित पर्याप्त कौशल और ज्ञान है।

5.2.2.7. आवेदक को इन उप-नियमों के अनुपालन के लिए और लाभार्थी स्वामियों की शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए आइआईडीआईएल के साथ बातचीत करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा।

5.2.2.8. आवेदक के पास विशेष रूप से आइआईडीआईएल संचालन के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान है।

5.2.2.9. आवेदक ने आइआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं, जोखिम नियंत्रण और बीमा आवश्यकताओं सहित प्रभावी और सुरक्षित डिपॉजिटरी संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

5.2.2.10. प्रतिभागियों के स्थायी पंजीकरण का अनुदान:

5.2.2.10.1. एक प्रतिभागी जिसे प्रारंभिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, प्रारंभिक पंजीकरण के प्रमाण पत्र की अवधि की समाप्ति से 3 (तीन) महीने पहले, किसी भी डिपॉजिटरी के माध्यम से आवेदन कर सकता है जिसमें वह एक प्रतिभागी के रूप में कार्य कर रहा है जिसके साथ आईएफएसीए द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ इस तरह के फॉर्म में स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

5.2.2.10.2. जिस प्रतिभागी को पहले ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है या पंजीकरण के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्राप्त कर लिया है, पंजीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति से 3 (तीन) महीने पहले या उससे पहले, किसी भी ऐसे डिपॉजिटरी के माध्यम से, जिसमें वह काम कर रहा है, आईएफएसीए द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में स्थायी पंजीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है।

बशर्ते कि आवेदक, उसके निदेशक, स्वामी, प्रतिभागी और सहयोगी एमआईआई विनियमों और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए उपयुक्त और उचित मानदंड को पूरा करते हों।

बशर्ते कि आवेदक ने पिछले निरीक्षणों में या आईएफएसीए/डिपॉजिटरी या अन्य नियामकों द्वारा शुरू की गई या की जा चुकी कार्रवाई के मामले में अवलोकन की गई गई कमियों या अनियमितताओं को दूर करने के लिए संतोषजनक सुधारात्मक कदम उठाए हों।

बशर्ते कि, आवेदक ने आईएफएसीए और डिपॉजिटरी को देय सभी लंबित शुल्क/देय राशि का भुगतान कर दिया है और कोई भी राशि अतिदेय नहीं है।

5.2.2.10.3. स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ प्रारंभिक पंजीकरण या नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, की मांग करते समय आईएफएसीए को प्रस्तुत की गई जानकारी में किसी भी विवरण परिवर्तन का विवरण, और एक घोषणा होनी चाहिए कि स प्रकार के विवरण में वर्णित परिवर्तनों के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

5.2.2.10.4. स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन को उसी तरह से निपटाया जाएगा जैसे कि यह प्रारंभिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक नया आवेदन हो। बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी, अपने विवेक से और लाभार्थी स्वामियों के हित में, मौजूदा प्रतिभागी के स्थायी पंजीकरण के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उपनियम 5.2.2.3 के तहत आता है, यदि निष्कासन, प्रतिबंध या निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है, भले ही इस तरह की समाप्ति से 3 (तीन) वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई हो।

5.3. आइआईडीआईएल के संबंध में प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व

5.3.1. कोई भी प्रतिभागी प्रतिभागी के रूप में तब तक कोई व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि उसने इन उप-नियमों के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार आइआईडीआईएल के साथ समझौता नहीं किया है।

5.3.2. एक प्रतिभागी किसी लाभार्थी स्वामी के साथ भागीदार के रूप में कोई व्यवसाय करते समय आइआईडीआईएल के एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

5.3.3. लाभार्थी स्वामी या आइआईडीआईएल के उचित निर्देश के बिना प्रतिभागी किसी लाभार्थी स्वामी के खाते में डेबिट या क्रेडिट नहीं करेगा।

5.3.4. प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा अपने प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम पर अलग-अलग खाते बनाए जाएंगे और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग किया जाएगा, और अन्य लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों या प्रतिभागी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

5.3.5. प्रतिभागी आईआईडीआईएल को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

- 5.3.5.1. निवल संपत्ति प्रमाण पत्र: प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष आईआईडीआईएल को संलग्नक "ए" के तहत प्रदान किए गए रूप में निवल मूल्य प्रमाण पत्र और परिचालन निर्देशों में निर्धारित किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं को प्रस्तुत करेगा।
बशर्ते कि जब आईआईडीआईएल इस बात से संतुष्ट हो जाए कि निवल संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए परिस्थितियों के विस्तार की आवश्यकता है, तो यह प्रतिभागी को ऐसा विस्तार प्रदान कर सकता है।
- 5.3.5.2. यदि प्रतिभागी आईएफएससीए (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के अनुसार एक बिचौलिया है, तो प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी मालिकों की उसके माध्यम से आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का समुचित मूल्य समय समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट की गई सीमा के अनुसार होगा और यदि इनका मूल्य किसी विशिष्ट दिन को अधिक हो जाता है तो प्रतिभागी आईआईडीआईएल को इस बारे में सूचित करेगा।
- 5.3.5.3. यदि प्रतिभागी किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का सदस्य है, तो स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी नियम, विनियम या उप-नियमों के उल्लंघन की स्थिति में क्लियरिंग कॉरपोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसकी सदस्यता या निलंबन या समाप्ति जैसा भी मामला हो, की स्थिति में प्रतिभागी तुरंत आईआईडीआईएल को इसकी सूचना देगा।
- 5.3.5.4. पिछले महीने के दौरान लाभार्थी स्वामियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, पिछली अवधि की अनसुलझी शिकायतें, उनकी प्रकृति, स्थिति और निवारण का तरीका, हर महीने एक बार;
- 5.3.6. प्रत्येक प्रतिभागी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह आईआईडीआईएल से प्रतिभागी द्वारा प्राप्त सभी सलाहों, बयानों और रिपोर्टों के विवरण की अपने स्वयं के रिकॉर्ड के साथ तुरंत जांच और मिलान करें और ऐसी सलाहों, बयानों और रिपोर्टों में निहित किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में आईआईडीआईएल को तुरंत सूचित करें।
- 5.3.7. आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की गई कोई भी सलाह, बयान या रिपोर्ट प्रकट त्रुटि या धोखाधड़ी के अभाव में इसकी विषय वस्तु के रूप में निर्णायक होगी। आईआईडीआईएल द्वारा अन्यथा सहमति के अलावा, आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी सलाह, बयान या रिपोर्ट में किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में आईआईडीआईएल को सूचित करने में एक प्रतिभागी की विफलता, आईआईडीआईएल के पक्ष में ऐसे प्रतिभागी द्वारा आवश्यकता के किसी भी अधिकार के लिए एक छूट माना जाएगा।
- 5.3.8. आईआईडीआईएल, यदि संतुष्ट है कि यह लाभार्थी स्वामियों के हित में है, तो एक प्रतिभागी द्वारा पूर्वोक्त त्रुटि या चूक को सुधारने के लिए देर से अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। यदि आईआईडीआईएल किसी प्रतिभागी द्वारा देर से किए गए अनुरोध पर विचार करता है, तो इस तरह के देर से अनुरोध के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए प्रतिभागी उत्तरदायी होगा।
- 5.3.9. प्रत्येक प्रतिभागी अपने रिकॉर्ड को आईआईडीआईएल के रिकॉर्ड के साथ दैनिक आधार पर मिलान करेगा।
- 5.3.10. एक प्रतिभागी को आईआईडीआईएल के निर्देश पर किसी भी समय सुरक्षा या अतिरिक्त या कोलेटरल सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित किए गए रूप, सीमा और तरीके से प्रदान करना अनिवार्य हो सकता है। सुरक्षा या अतिरिक्त या कोलेटरल सुरक्षा की राशि का निर्धारण करने के लिए, आईआईडीआईएल अन्य बातों के साथ, प्रतिभागियों के अधिकारियों, एजेंटों और कर्मचारियों की ओर से किसी भी धोखाधड़ी, लापरवाही, त्रुटि या चूक के कारण असंगत शेष राशि और प्रतिभूतियों के अधिक या घाटे के स्तर को ध्यान में रखेगा सुरक्षा किसी भी सुरक्षा के अतिरिक्त और अलग होगी जिसे आईआईडीआईएल ऐसे प्रतिभागी के दायित्वों और देनदारियों के लिए किसी भी समय धारण कर सकता है।
- 5.3.11. उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल यह निर्णय लेने के उद्देश्य से कि किसी प्रतिभागी को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं, एक प्रतिभागी पर जोखिम सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।
- 5.3.12. एक प्रतिभागी आईआईडीआईएल को सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई या इसी तरह के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई सभी या किसी भी संपत्ति पर किसी भी बंधक, प्रभार या अन्य भार के निर्माण की अनुमति नहीं देगा।
- 5.3.13. एक प्रतिभागी, कोई खाता खोलने से पहले या किसी लाभार्थी स्वामी के निर्देश पर कार्य करते समय:
 - 5.3.13.1. अन्य बातों के साथ-साथ उचित सावधानी बरतते हुए इच्छुक लाभार्थी स्वामी की प्रामाणिकता का पता लगाने में उचित सावधानी और ध्यान रखेगा;
 - 5.3.13.2. खाता खोलने के लिए या प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लिए लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेगा।
 - 5.3.13.3. प्रतिभूतियों के संयुक्त स्वामियों के मामले में ऐसे सभी संयुक्त स्वामियों से लिखित में प्राधिकार प्राप्त करेगा।
- 5.3.14. किसी भी लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक प्रतिभागी एमआईआई विनियमों और आईएफएससीए (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम अवधि के लिए, एमआईआई विनियमों और

समय-समय पर संशोधित आईएफएससीए (पूँजी बाजार और बिचौलिया) विनियम, 2021 के अनुसार सभी मूल दस्तावेजों और अभिलेखों को संरक्षित करेगा जिसमें खाता खोलने के फॉर्म, लाभार्थी मालिकों के साथ समझौते, एक लाभार्थी स्वामी के अधिकार और दायित्व दस्तावेज की प्राप्ति की पावती सहित दस्तावेज/प्रपत्र अभौतिकीकरण अनुरोध फॉर्म, पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फार्म और प्राप्त निर्देश शामिल हैं।

- 5.3.15. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल में उस प्रतिभागी द्वारा या उसके माध्यम से किए गए सभी लेन-देन के संबंध में आईआईडीआईएल को सभी शुल्क, प्रभार, बकाया और दंड के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा, भले ही प्रतिभागी ने संबंधित लाभार्थी स्वामी से ऐसी कोई राशि वसूल की हो या नहीं। लाभार्थी स्वामी से ऐसी वसूली प्रतिभागी की एकमात्र जिम्मेदारी है।
- 5.3.16. प्रत्येक प्रतिभागी किसी भी लाभार्थी स्वामी से प्राप्त निर्देशों को जहाँ तक संभव हो सके उसी दिन, और असफल होने पर तुरंत बाद के कार्य दिवस के कार्य घंटों के बंद होने से पहले पूरा करेगा।
- 5.3.17. प्रत्येक प्रतिभागी के पास एक ग्रहणाधिकार होगा और आईआईडीआईएल के पूर्व अनुमोदन के साथ प्रतिभागी के पास लाभार्थी मालिक के खाते में रखी प्रतिभूतियों के संबंध लाभार्थी मालिक के सभी कार्यों को प्रतिबंधित करके लाभार्थी मालिक से संबंधित किसी भी प्रतिभूति पर इस ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जो प्रतिभूति प्रतिभागी को लाभार्थी मालिक द्वारा देय की रिकवरी के लिए होगी, जिसमें प्रतिभागी और/या आईआईडीआईएल को लाभार्थी मालिक द्वारा किसी भी धोखाधड़ी, लापरवाही या गलती के कारण होने वाली क्षति या नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। प्रतिभागी, आईआईडीआईएल से इस तरह के अनुमोदन की प्राप्ति पर, लाभार्थी स्वामी के खाते में धारित ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, जैसा कि आईआईडीआईएल निर्दिष्ट कर सकता है, प्रतिभागी द्वारा इस तरह के ग्रहणाधिकार के प्रयोग के संबंध में संबंधित लाभार्थी स्वामी को लिखित रूप में नोटिस देगा।
- 5.3.18. प्रतिभागी, किसी भी प्रतिभूति, लिखित दस्तावेजों, या दस्तावेजों के किसी भी नुकसान का पता लगने पर, जो उसके व्यवसाय के दौरान प्रतिभागी के हाथ में आ सकता है, तुरंत आईआईडीआईएल, और संबंधित जारीकर्ता या उसके आरटीए और लाभार्थी मालिक को सूचित करेगा।
- 5.3.19. यह सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रतिभागी की जिम्मेदारी होगी कि लागू कानून के अनुसार, लाभार्थी के साथ या उसके माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के संबंध में लाभार्थी मालिकों और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा उचित स्टॉप शुल्क, यदि लागू हो, का भुगतान किया जाता है।
- 5.3.20. आईआईडीआईएल प्रतिभागी की या उससे संबंधित या उसके द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों को (जिसमें उसके सभी अधिकार और हक शामिल हैं, यदि कोई है) को प्रतिभागी को पूर्व सूचना दिए बिना इस प्रकार के प्रतिभागी की आईआईडीआईएल की ओर किसी देनदारी या उत्तरदायित्व को, या प्रतिभागी की इसके लाभार्थी मालिक की ओर देनदारी या उत्तरदायित्व को पूरा करने में या पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकता है।
- 5.3.21. सुरक्षा के रूप में एक प्रतिभागी से आईआईडीआईएल द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के संबंध में, ऐसे प्रतिभागी के प्रति आईआईडीआईएल का दायित्व आईआईडीआईएल, लाभार्थी स्वामियों, जारीकर्ता, आरटीए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और अन्य प्रतिभागी के प्रति ऐसे प्रतिभागी के सभी दायित्वों और देनदारियों (वास्तविक या आकस्मिक) की संतुष्टि के बाद शेष राशि की सीमा तक तक होगा।
- 5.3.22. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को सभी नुकसान, हानि, क्षति, चोट, कर, दंड, लेवी, उपकर और कर्तव्यों से, और सभी मुकदमों, कार्रवाई, मध्यस्थता से मुक्त रखेगा और इसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा। आईआईडीआईएल, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों या उनमें से किसी को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन या अन्य कार्यवाही (सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित) जो क्षति या हानियां प्रतिभागी, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा लागू कानून, इन उपनियमों या आईआईडीआईएल के साथ अनुबंध के किसी नियम एवं शर्त के विपरित किए गए किसी गतिविधि, कार्य, मामले या किसी चूक के कारण हो सकती हैं या किसी गलती, त्रुटि, दुराचार, जानबूझकर कदाचार, गलत बयानी, धोखाधड़ी, लसाली, चोरी, दुर्विनियोजन के कारण या प्रतिभागी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा या आईआईडीआईएल और/या इसके किसी लाभार्थी स्वामियों और/या किसी अन्य प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रति अपने दायित्वों और/या देनदारियों को पूरा करने में प्रतिभागी के विफल रहने के कारण हो सकती हैं।
- 5.3.23. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई प्रतिभागी लागू कानूनों, इन उपनियमों, समझौतों, आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देशों के अंतर्गत किसी भी कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी है, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, और एजेंट के कृत्य या चूक, चाहे जानबूझकर किया गया हो या नहीं, प्रतिभागी के कार्य या चूक के रूप में समझे जाएंगे।

- 5.3.24. जहां आईआईडीआईएल, इसके अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट को हानि, नुकसान, क्षति, चोट, करों, उपकरणों, जुमानों, प्रशुल्कों, शुल्कों, मुकदमों, कार्रवाइयों, कानूनी प्रक्रियाओं, मध्यस्थता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजनों या अन्य प्रक्रियाओं (और उनसे उत्पन्न लागतों, प्रभारों और व्ययों) को वहन करना पड़ता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों की गतिविधि, कार्य, मामले या उनके द्वारा करवाए गए या उनके द्वारा आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों, उपनियमों, इस अनुबंध और संचालन निर्देशों किसी नियम, शर्त और विनियम के उल्लंघन में दी गई अनुमति के कारण हो हो सकते हैं, या प्रतिभागी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा की गई गलतियों, त्रुटियों, जानबूझ कर दुर्व्यवहार, गलतबयानी, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, हेराफेरी या विश्वास को तोड़ने के कारण वहन करने पड़ सकते हैं या आईआईडीआईएल और/या इसके किसी लाभार्थी मालिक और/या किसी अन्य भागीदार, जारीकर्ता, आरटीए या क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के प्रति किसी दायित्व और/या जिम्मेदारी को पूरा करने में प्रतिभागी की विफलता के कारण हो सकते हैं, ऐसे मामले में आईआईडीआईएल के पास इस प्रकार के प्रतिभागी से ऐसी राशि को रिकवर करने का अधिकार होगा जैसा कि आईआईडीआईएल उचित समझता है। यदि लाभार्थी स्वामी को प्रतिभागी की लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो आईआईडीआईएल इस प्रकार के लाभार्थी स्वामी को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा और जहां प्रतिभागी की लापरवाही के कारण इस प्रकार की हानि की भरपाई आईआईडीआईएल द्वारा की जाती है, आईआईडीआईएल के पास इस प्रकार से प्रतिभागी से वसूली करने का अधिकार होगा।
- 5.3.25. उप-नियमों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, आईआईडीआईएल किसी प्रतिभागी के निदेश पर कोई लेन-देन या कोई अन्य कार्रवाई को प्रभावी करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि यह किसी सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी लागू कानून, डिक्री या आदेश या केंद्र या राज्य सरकार या आईएफएससीए या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश का उल्लंघन करता है।
- 5.3.26. किसी लाभार्थी स्वामी के खाते को फ्रीज करने या लाभकारी स्वामी के खाते के संबंध में कोई कार्रवाई करने से संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश जो लागू कानूनों के तहत डिफॉजिटरी पर डाले गए दायित्वों के दायरे में आता है, आईआईडीआईएल या प्रतिभागी द्वारा केवल ऐसे प्राधिकरण से लाभार्थी स्वामी के पहचान पत्र (बीओआईडी) या स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ साथ विशिष्ट निर्देशों प्राप्त होने पर ही प्रभावी किया जाएगा।
- 5.3.27. यहां निहित कुछ भी आईआईडीआईएल को किसी भी लेनदेन को प्रभावित करने या किसी सक्षम अदालत या न्यायाधिकरण के किसी डिक्री या आदेश या केंद्र या राज्य सरकार या आईएफएससीए या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में किसी भी लेनदेन को से इनकार करने से नहीं रोकेंगा।
- 5.3.28. आईआईडीआईएल किसी प्रतिभागी के साथ किसी भी लाभार्थी स्वामी के खाते में किए गए किसी भी गलत लेनदेन को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईआईडीआईएल द्वारा कोई सुधार किए जाने की स्थिति में, आईआईडीआईएल संबंधित प्रतिभागी और लाभार्थी स्वामी को इस तरह के सुधार के बारे में सूचित करेगा।
- 5.3.29. किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल के पास किसी भी त्रुटि, गलती या प्रतिभागी की ओर से लापरवाही के कारण कोई गलत लेनदेन होने की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी लाभार्थी स्वामी के खाते में ऋणात्मक शेष राशि हो सकती है, आईआईडीआईएल:
- 5.3.29.1. प्रतिभागी से प्रासंगिक प्रतिभूतियों को तुरंत फिर से भरने की मांग कर सकता है;
- 5.3.29.2. प्रतिभागी को उस राशि की नकद राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे आईआईडीआईएल सुरक्षा के रूप में उपयुक्त समझता है और प्रतिभागी द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि के संबंध में आईआईडीआईएल का एकमात्र दायित्व होगा कि ऐसे प्रतिभागी की आईआईडीआईएल या लाभार्थी मालिक के प्रति सभी दायित्वों (वास्तविक या आकस्मिक) को पूरा करने के बाद ऐसे प्रतिभागी के खाते में शेष राशि के बराबर राशि का भुगतान प्रतिभागी को करेगा। आईआईडीआईएल स्वयं किसी भी समय प्रतिभागी की ओर से पात्र प्रतिभूतियां प्रतिपूर्ति के रूप में ऐसी कीमत पर खरीद सकता है, जो आईआईडीआईएल द्वारा प्रचलित बाजार मूल्य और शर्तें, यदि कोई हो, या अन्य मामलों में उपलब्ध शर्तों पर अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है। खरीद के संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा किए गए खर्च और अन्य खर्च प्रतिभागी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 5.3.30. प्रत्येक प्रतिभागी प्रतिभागी की ओर से आईआईडीआईएल द्वारा पात्र प्रतिभूतियों की खरीद या प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा वहन लागतों, शुल्कों, खर्चों, देनदारियों, हानियों और क्षतियों के लिए आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

5.3.31. कोई भी प्रतिभागी आईआईडीआईएल के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो आईआईडीआईएल समय से निर्धारित कर सकता है, एक प्रतिभागी के रूप में अपने व्यवसाय और/या कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं करेगा या अपने व्यवसाय और/या कार्यों का नियंत्रण या संचालन किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न या निदेशक मंडल के गठन या साझेदारी की संरचना में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवसाय और/या कार्यों को प्रत्यायोजन माना जाएगा।

5.3.32. यह सुनिश्चित करना प्रतिभागी का कर्तव्य होगा कि किसी भी लाभार्थी स्वामी का कोई भी खाता तब तक नहीं खोला जाए जब तक कि वह आईआईडीआईएल द्वारा जारी किसी भी परिचालन निर्देश, विज्ञप्ति, पत्र या संचार सहित लागू कानूनों, इन उप नियमों के सभी प्रावधानों और आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन नहीं करता है।

5.4. लाभार्थी स्वामियों के संबंध में प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व

5.4.1. कोई भी प्रतिभागी एक प्रतिभागी के रूप में व्यवसाय का संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि लाभार्थी स्वामी ने "लाभार्थी मालिकों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व" दस्तावेज़ की प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया है, जैसा कि आईएफएससीए/आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसे यहां पर "डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज़" के रूप में संदर्भित किया गया है। सहभागी और लाभार्थी दोनों, समय-समय पर परिचालन निर्देशों में प्रदान किए गए वैधानिक डीपी-बीओ अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज़ से बंधे होंगे और उनका पालन करेंगे। लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रतिभागी और डीपी-बीओ अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज़ के साथ किए गए समझौते के बीच किसी भी अंतर की सीमा तक, बाद वाला मान्य होगा। डीपी-बीओ समझौता, जिसका एक नमूना इन उप-नियमों के अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न किया गया है, डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज़ के लागू होने की तारीख से काम करना बंद कर देगा।

बशर्ते कि प्रतिभागी को डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज़ की प्राप्ति की पावती की एक प्रति प्रदान करने और/या संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, यदि लाभार्थी स्वामी ऐसी श्रेणियों से संबंधित है जैसा कि लागू कानूनों के तहत प्रदान किया गया है जिसके लिए ऐसी छूट प्रदान की गई है।

5.4.2. किसी भी पक्ष द्वारा लाभार्थी स्वामी के खाते को बंद करने की स्थिति में, या लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रतिभागी को दिए गए अधिकार को वापस लेने पर, पक्षों को उस पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

5.4.3. प्रतिभागी या लाभार्थी स्वामी द्वारा खाते को बंद करने के बावजूद, डीपी-बीओ समझौते के प्रावधान या डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज़, जैसा भी मामला हो, और इससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व जारी रहेंगे। पक्ष डीपी-बीओ समझौते या डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज़ के प्रभावी रहने दौरान किए गए सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और किए गए लेनदेन और व्यवहार के संबंध बाध्यकारी होंगे। बशर्ते कि डीपी-बीओ समझौते के प्रावधान किसी भी सौदे या संचालन के संबंध में पार्टियों पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जहां तक कि इस तरह के सौदे या संचालन इस तरह के समापन या वापसी के विपरीत और/या असंगत हैं।

5.4.4. लाभार्थी स्वामी द्वारा डीपी-बीओ अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज़ की प्राप्ति की पावती दिए जाने और उसके द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत होने के बाद ही लाभार्थी स्वामी को ऐसे लाभार्थी की ओर से सुरक्षा शेष रखने के लिए उसके साथ एक खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार खोला गया खाता उस प्रतिभागी के साथ अन्य लाभार्थी स्वामियों के खातों से अलग होगा।

5.4.5. प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी या ऐसे व्यक्ति के निर्देशों पर कार्य करेगा, जिसे आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लाभार्थी स्वामी द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया हो।

5.4.6. प्रतिभागी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियां उसकी अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित न हों।

5.4.7. लाभार्थी स्वामी से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से संबंधित कई निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में, जो प्रतिभागी के पास बनाए गए लाभार्थी स्वामी के खाते में शेष राशि से अधिक हैं, प्रतिभागी द्वारा निर्देशों के निष्पादन का क्रम निम्नानुसार होगा:

5.4.7.1. लाभार्थी स्वामी द्वारा निर्देशों के निष्पादन के अनुक्रम को निर्दिष्ट करने की स्थिति में, उसी क्रम में जैसा कि लाभार्थी स्वामी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उस सीमा तक जिसे उस लाभार्थी स्वामी के प्रतिभागी के खाते में उपलब्ध शेष राशि के साथ निष्पादित किया जा सकता है;

5.4.7.2. लाभार्थी स्वामी के कालानुक्रमिक क्रम में विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जिसमें लाभार्थी स्वामी से ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं, उस सीमा तक निष्पादित किए जा सकते हैं जब तक लाभार्थी स्वामी के सहभागी के खाते राशि शेष है।

5.5. समाप्ति, निलंबन और वापसी

5.5.1. आईआईडीआईएल द्वारा समाप्ति

- 5.5.1.1. आईआईडीआईएल, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, निम्नलिखित परिस्थितियों में लिखित में सूचना द्वारा प्रतिभागी के साथ समझौते को समाप्त कर सकता है:
 - 5.5.1.1.1. प्रतिभागी अब प्रतिभागी बनने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है;
 - 5.5.1.1.2. एक प्रतिभागी की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, या एक प्रतिभागी के एक प्रतिभागी के रूप में विघटन की स्थिति में;
 - 5.5.1.1.3. यदि एक प्रतिभागी एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट है और जब यह बंद हो जाता है या एक आधिकारिक परिसमापक या अनंतिम परिसमापक को ऐसी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट के निगमन के लागू कानूनों के तहत नियुक्त किया जाता है;
 - 5.5.1.1.4. यदि कोई प्रतिभागी आईआईडीआईएल के संचालन से संबंधित व्यवसाय करना बंद कर देता है;
 - 5.5.1.1.5. आईआईडीआईएल के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है या आईआईडीआईएल या इसके लाभकारी स्वामियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होगा;
 - 5.5.1.1.6. किसी प्रतिभागी की किसी संपत्ति पर या उसके विरुद्ध किसी संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया के आरोपित या लागू या तामील किए जाने की स्थिति में;
 - 5.5.1.1.7. किसी प्रतिभागी के दिवालियापन, दिवाला, परिसमापन या समापन या उसके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में या यदि आईआईडीआईएल अपने पूर्ण विवेक से मानता है कि ऐसी घटनाओं का होना आसन्न या संभावित है;
 - 5.5.1.1.8. एक प्रतिभागी की संपत्ति पर एक रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति की स्थिति में या एक प्रतिभागी के अपने लेनदारों के साथ एक संरचना स्थापित होने की स्थिति में या अदालत द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की एक योजना की स्थिति में (पुनर्निर्माण या समामेलन के अलावा) या आईआईडीआईएल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से विचार करने की स्थिति में कि ऐसी घटनाओं की घटना आसन्न या संभावित है;
 - 5.5.1.1.9. इन उप-नियमों या आईआईडीआईएल के साथ समझौते के तहत आवश्यक सुरक्षा जमा, शुल्क या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में या आईआईडीआईएल द्वारा अतिरिक्त या कोलेटरल प्रतिभूतियों की मांग करने पर उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहने पर;
 - 5.5.1.1.10. प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने में प्रतिभागी की विफलता की स्थिति में;
 - 5.5.1.1.11. आईआईडीआईएल के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी लापरवाही, कपटपूर्ण या बेईमान आचरण के लिए जिम्मेदार है या आईआईडीआईएल को किसी भी बयान में एक महत्वपूर्ण गलत बयानी की है या एक महत्वपूर्ण तथ्य बताने से चूक गया है;
 - 5.5.1.1.12. प्रतिभागी ने इन उप-नियमों, या आईआईडीआईएल के साथ समझौते के लागू कानूनों के किसी भी प्रावधान के पालन या प्रदर्शन में कोई उल्लंघन या चूक की है या आईआईडीआईएल के किसी भी संचालन निर्देश का पालन करने में विफल रहा है;
 - 5.5.1.1.13. आईएफएससीए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा दिए गए प्रतिभागी के पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर दिया गया है;
 - 5.5.1.1.14. यदि प्रतिभागी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, तो प्रतिभागी को निष्कासित कर दिया गया है, या उसके व्यापारिक विशेषाधिकार स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं;
 - 5.5.1.1.15. प्रतिभागी आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार लाभार्थी स्वामियों की शिकायतों का निवारण करने में विफल रहा है;

5.5.1.1.16. आईआईडीआईएल के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी अपनी गतिविधियों को ऐसे तरीके से कर रहा है जो आईआईडीआईएल और/या लाभार्थी स्वामियों के हित के लिए हानिकारक है या कि प्रतिभागियों या आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रमबद्ध प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए लाभार्थी स्वामियों या अन्य की सुरक्षा के लिए प्रतिभागी के साथ संबंध समाप्त करना आवश्यक है।

5.5.1.1.17. प्रतिभागी को जोखिम है या होने की संभावना है, जो आईआईडीआईएल की राय में, प्रतिभागी के निवल मूल्य के अनुरूप नहीं है।

5.5.1.1.18. एक प्रतिभागी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता आईआईडीआईएल की राय में संतोषजनक नहीं है जैसा कि लाभार्थी स्वामियों और/या अन्य प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए, और क्लियरिंग निगमों की शिकायतों से प्रमाणित है;

बशर्ते कि आईआईडीआईएल पूर्वोक्त के रूप में कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि आईआईडीआईएल ने प्रतिभागी को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रतिभागी के साथ समझौते को समाप्त करने की मांग की गई है और प्रतिभागी को एक इस संबंध में सदस्य चयन समिति द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और आईआईडीआईएल ऐसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होने पर कि ऐसे प्रतिभागी के साथ समझौते को समाप्त करना आवश्यक है।

बशर्ते कि प्रतिभागी द्वारा आईएफएससीए या आईआईडीआईएल को अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क, प्रभार, दंड या ब्याज के रूप में कोई राशि देय या बकाया नहीं है।

बशर्ते कि आईआईडीआईएल, यदि किसी भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे उपयुक्त और उचित समझे, तो पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले, प्रतिभागियों को ऐसी अवधि के अंदर उल्लंघन या चूक को सुधारने या सुधारने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो आईआईडीआईएल उचित समझे।

5.5.1.2. प्रतिभागी ऊपर उल्लिखित किसी भी परिस्थिति के घटित होने की सूचना आईआईडीआईएल को तत्काल देगा।

5.5.2. निलंबन

5.5.2.1. किसी भी अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और इन उप कानूनों में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, आईआईडीआईएल किसी भी नोटिस जारी करने से पहले या नोटिस अवधि और/या पूछताछ लंबित होने से पहले आईआईडीआईएल में किसी भी प्रतिभागी की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सकता है।

5.5.3. एक प्रतिभागी द्वारा निकासी

5.5.3.1. एक प्रतिभागी आईआईडीआईएल के साथ अपने समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे के कम से कम 30 (तीस) दिनों की सूचना देकर आईआईडीआईएल को लिखित रूप में एक संचार जारी करके आईआईडीआईएल से एक प्रतिभागी के रूप में निकास करने का हकदार होगा। आईआईडीआईएल इस तरह के नोटिस की प्राप्ति से 3 (तीन) महीने से अधिक की अवधि के लिए आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के रूप में अपना व्यवसाय या आईआईडीआईएल के कामकाज को जारी रखने के लिए प्रतिभागी को आदेश देने का हकदार होगा यदि आईआईडीआईएल लाभार्थी स्वामियों के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे। आईआईडीआईएल उस प्रतिभागी लाभार्थी स्वामियों और अन्य प्रतिभागियों को प्रतिभागी के रूप में कार्य करना बंद करने के सात दिनों के अंदर सूचित करेगा।

5.5.3.2. किसी भी प्रतिभागी को आईआईडीआईएल से एक प्रतिभागी के रूप में वापस लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे प्रतिभागी ने आईआईडीआईएल को संतोषजनक साक्ष्य प्रदान नहीं किया हो किया है।

5.5.3.2.1. प्रतिभागी ने इसके साथ खाते रखने वाले सभी लाभार्थी स्वामियों को अपनी इच्छित निकासी की सूचना जारी की है;

5.5.3.2.2. सहभागी के पास धारित लाभार्थी स्वामियों के सभी खाते या तो आईआईडीआईएल में लाभार्थी स्वामी की पसंद के किसी अन्य सहभागी (प्रतिभागियों) को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण द्वारा और/या उसमें रखी गई प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण द्वारा बंद कर दिए गए हैं;

5.5.3.2.3. लाभार्थी स्वामियों या आईआईडीआईएल के कोई लंबित निर्देश या अनसुलझी शिकायतें नहीं हैं या प्रतिभागी ने अन्यथा उस संबंध में संतोषजनक व्यवस्था की है;

5.5.3.2.4. प्रतिभागी द्वारा आईएफएससीए या आईआईडीआईएल को अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क, शुल्क, दंड या ब्याज के रूप में कोई राशि देय, देय या देय नहीं है।

5.5.3.2.5. प्रतिभागी ने ऐसे अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि आईआईडीआईएल ने उस संबंध में निर्दिष्ट किया हो।

5.5.4. एक प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति और/या वापसी के परिणाम

5.5.4.1. प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति पर या प्रतिभागी द्वारा निकासी पर, जब तक कि इन उप-नियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, आईआईडीआईएल वापस आ जाएगा या प्रतिभागी द्वारा संग्रह के लिए उपलब्ध कराएगा, सभी सुरक्षा जमा या आईआईडीआईएल द्वारा धारित अन्य प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में या प्रतिभागी की अतिरिक्त सुरक्षा, आईएफएससीए द्वारा एक प्रतिभागी के रूप में पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की समाप्ति पर या लंबित निवेशक शिकायतों को हल करने के बाद, यदि कोई हो, टर्ज़र्टटर्ज़र्टडम्बल् की संतुष्टि के लिए, जो भी बाद में हो।

बशर्ते कि आईआईडीआईएल के पास राशियों को समायोजित या समायोजित करने या आईआईडीआईएल, अन्य प्रतिभागियों और लाभार्थी स्वामियों के कारण हो सकने वाली या देय राशि के बराबर सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार होगा (बिना किसी अन्य अधिकार या आईआईडीआईएल के लिए उपलब्ध उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले) उस प्रतिभागी से, यदि लागू हो।

5.5.4.2. आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति, इससे पहले हुए लेन-देन से उत्पन्न होने वाले प्रतिभागी के किसी भी अधिकार, देनदारियों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी और प्रतिभागी के ऐसे किसी भी अधिकार या देनदारियों के निपटान के सीमित उद्देश्य के लिए, आईआईडीआईएल प्रतिभागी को प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करना जारी रखें।

5.5.4.3. उपरोक्त प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, आईआईडीआईएल आईआईडीआईएल के माध्यम से ऐसे प्रतिभागी के विरुद्ध किसी भी दावे के हकदार आईआईडीआईएल या किसी अन्य व्यक्ति के कारण किसी भी राशि के विरुद्ध प्रतिभागी के किसी भी पहले के दावों या अधिकारों को सेट करने का हकदार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा काउंटर दावा प्रतिभागी के समझौते के साथ समाप्ति की तारीख के बाद उत्पन्न हुआ है।

5.5.4.4. आईआईडीआईएल, प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति पर या प्रतिभागी से लिखित में संचार प्राप्त होने पर आईआईडीआईएल से वापस लेने और/या प्रतिभागी के साथ समझौते को समाप्त करने के अपने निर्णय को सूचित करने पर, अन्य सभी प्रतिभागियों को सूचित करेगा और सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। लाभार्थी स्वामियों और अन्य प्रतिभागियों के हितों की।

5.5.4.5. आईआईडीआईएल इन उपनियमों के तहत प्रतिभागी की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के अंदर प्रतिभागी और अन्य प्रतिभागियों और आईएफएससीए को सूचित करेगा।

5.5.4.6. प्रतिभागी को आईआईडीआईएल के लिए अपने सभी बकाया दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होगी, चाहे वह प्रतिभागी के रूप में कार्य करते समय या उसके बाद खर्च किया गया हो, लेकिन उस अवधि के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी कार्रवाई, लेनदेन या व्यवहार से उत्पन्न हुआ हो।

5.5.4.7. एक प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति पर या आईआईडीआईएल से प्रतिभागी द्वारा वापस लेने पर, उस प्रतिभागी के प्रत्येक लाभार्थी मालिक के पास विकल्प होगा कि वह या तो प्रतिभागी के साथ अपनी प्रतिभूतियों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करवाए, या प्रतिभूतियों को फिर से प्राप्त करे। इस तरह की समाप्ति के बाद भी ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, प्रतिभागी सीमित उद्देश्य के लिए प्रतिभागी के रूप में कार्य करेगा या तो प्रतिभागी के साथ रखी गई प्रतिभूतियों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करवाएगा या प्रतिभूतियों को फिर से भौतिक रूप में प्राप्त करेगा।

5.5.4.8. एक प्रतिभागी के साथ समझौते की समाप्ति पर, आईआईडीआईएल ऐसे प्रतिभागी के साथ खाते रखने वाले सभी लाभार्थी स्वामियों को लिखित रूप में नोटिस देगा और लाभार्थी स्वामियों से इस तरह के नोटिस की प्राप्ति से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अपने खातों को किसी अन्य प्रतिभागी को स्थानांतरित करने के लिए कहेगा। किसी भी लाभार्थी के मालिक होने की स्थिति में, जो अपने खाते को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करने में विफल रहे हैं, आईआईडीआईएल एक या एक से अधिक प्रतिभागियों को नामित करेगा, जिनको ऐसे खाते कुछ समय के लिए स्थानांतरित किए जाएंगे, हालांकि इसके संबंध में कोई लेनदेन नहीं होगा। ऐसे खाते में प्रतिभूतियां उस समय तक प्रभावी होंगी जब तक कि संबंधित लाभार्थी स्वामी ने प्राप्ति की पावती नहीं दी होगी और इस तरह ऐसे प्रतिभागी के लिए डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज से बाध्य होने के लिए सहमत होंगे।

अध्याय 6: लाभार्थी स्वामियों के अधिकार और दायित्व

- 6.1. एक लाभार्थी स्वामी एक या अधिक प्रतिभागियों के साथ एक या अधिक खाते खोल सकता है और किसी भी या सभी प्रतिभागियों के साथ एक या अधिक खाते बंद कर सकता है या एक प्रतिभागी के साथ एक खाते में अपनी प्रतिभूतियों को उसी प्रतिभागी या किसी अन्य प्रतिभागी के साथ दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकता है।
- 6.2. लाभार्थी स्वामी प्रतिभागी को इस तरह के शुल्क, प्रभार और जमा राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है, जो अपने खाते को खोलने और बनाए रखने के लिए, निर्देशों को पूरा करने के लिए और प्रतिभागी के साथ उक्त खाते में प्रतिभूतियों को रखने वाले और लेन-देन करने वाले लाभार्थी स्वामी को ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो आकस्मिक या परिणामी हो सकते हैं। प्रतिभागी समय-समय पर उक्त शुल्क, प्रभार या जमा को बदलने या संशोधित करने का हकदार होगा, जो इस तरह की पूर्व सूचना के अधीन होगा जैसा कि पार्टियों के बीच सहमति हो सकती है।
- 6.3. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी प्राथमिक रूप से निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:
 - 6.3.1. प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाता खोलने के फॉर्म में निर्धारित सभी विवरणों और कथनों की सत्यता;
 - 6.3.2. प्रतिभागी के साथ खाता खोलते समय प्रतिभागी को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता;
 - 6.3.3. प्रतिभागियों को अभौतिकीकरण के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियों के शीर्षक के रूप में प्रतिनिधित्व;
 - 6.3.4. यह सुनिश्चित करना कि उसके खाते में जमा की गई प्रतिभूतियां किसी भी लेनदेन को प्रभावी करने के लिए प्रतिभागी को जारी किए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;
 - 6.3.5. लाभार्थी स्वामी के खाते के विवरण जैसे पता, बैंक विवरण, स्थिति, प्राधिकरण, अधिदेश, नामांकन, हस्ताक्षर, आदि में परिवर्तन के बारे में प्रतिभागी को जल्द से जल्द सूचित करना;
 - 6.3.6. प्रतिभूतियों के किसी भी इश्यू की सदस्यता लेते समय सटीक पहचान विवरण प्रस्तुत करना;
 - 6.3.7. डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज के नियमों और शर्तों का अनुपालन।
- 6.4. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी आईएफएससीए/आईआईडीएल द्वारा निर्धारित समय पर और मोड पर, अपने प्रतिभागी से उस लाभार्थी स्वामी के खाते के विवरण का हकदार होगा।
- 6.5. लाभार्थी स्वामी और उसके सहभागी के बीच विवाद की स्थिति में और प्रतिभागी खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, आईआईडीआईएल सीधे या ऐसे प्रतिभागी के माध्यम से ऐसी अवधि के लिए ऐसे लाभार्थी स्वामी के खाते का विवरण प्रदान करेगा।
- 6.6. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी प्रतिभागी से प्राप्त अपने खाते के प्रत्येक विवरण की सटीकता और सत्यता के लिए जांच करेगा और इस तरह के विवरण की प्राप्ति के एक पखवाड़े के अंदर प्रतिभागी को किसी भी गलती, अशुद्धि या विसंगतियों को इंगित करने के लिए बाध्य होगा।
- 6.7. प्रतिभागी के ग्रहणाधिकार के अधिकार के अधीन और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, आईएफएससीए, केंद्र या राज्य सरकार या इस संबंध में सक्षम किसी अन्य प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्देश या निर्देशों के अधीन, प्रत्येक लाभार्थी मालिक के पास उस प्रतिभागी को निर्देश देने का अधिकार होगा जिसके साथ इस प्रकार के लाभार्थी मालिका का खाता है, जिनकी अनुपालना इन निर्देशों के जारी होने के दिन ही करनी होगी और इसमें विफल होने पर इनकी अनुपालना अगले कार्यदिवस के समाप्त होने से पहले करनी होगी, बशर्ते कि उक्त के अधीन लाभार्थी मालिक निर्देशों के अनुसार उसके खाते को क्रेडिट करने के लिए प्रतिभागी को स्थायी निर्देश दे सकता है।
- 6.8. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी उचित देखभाल और सावधानी बरतेंगे ताकि उनके द्वारा प्राप्त डिलीवरी चेक की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित हो सके और प्रतिभागी और आईआईडीआईएल को किसी भी नुकसान के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा और लापरवाही के कारण किसी भी चेक के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
- 6.9. लाभार्थी स्वामी द्वारा खाता बंद करना
 - 6.9.1. लाभार्थी स्वामी प्रतिभागी के साथ अपना डीमैट खाता प्रतिभागी को बिना कोई कारण बताए बंद कर सकता/सकती है, जिसके लिए वह उसे निर्देश देगा, बशर्ते कि खाते में कोई प्रतिभूतियां न हों या कोई निर्देश लंबित या अप्रभावित न रहे और लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रतिभागी को कोई शुल्क या प्रभार देय न हो।

- 6.9.2. ऐसी स्थिति में लाभार्थी स्वामी उस संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रतिभागी को एक आवेदन करेगा। लाभार्थी स्वामी खाता बंद करने के फॉर्म को निष्पादित करके अपना खाता बंद कर सकता है यदि उसके खाते में कोई शेष राशि नहीं है। यदि बंद किए जाने वाले खाते में प्रतिभूतियों का कोई शेष मौजूद है, तो खाता निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बंद किया जा सकता है:
- 6.9.2.1. उसके खाते में सभी मौजूदा शेष राशि के पुनः भौतिकीकरण द्वारा;
- 6.9.2.2. उसके खाते में सभी मौजूदा शेष राशि को किसी अन्य प्रतिभागी के पास रखे गए उसके एक या अधिक खाते/खातों में स्थानांतरित करके;
- 6.9.2.3. अपने खाते में मौजूदा शेष राशि के एक हिस्से के पुनः भौतिकीकरण द्वारा और शेष को किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अपने एक या अधिक खाते/खातों में स्थानांतरित करके।
- 6.9.3. प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के अंदर, लाभार्थी स्वामी के खाते में शेष राशि के हस्तांतरण या प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा।
- 6.9.4. लाभार्थी स्वामी का खाता बंद नहीं किया जाएगा यदि लाभार्थी स्वामी के खाते में ऐसी कोई प्रतिभूतियां मौजूद हैं जो गिरवी रखी गई हैं या दृष्टिबंधक हैं या खाते का मिलान नहीं किया गया है या यदि ऐसे खाते को बंद करने से अदालत, न्यायाधिकरण या वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश या निषेधाज्ञा का उल्लंघन होगा।
- 6.9.5. प्रतिभागी के एक प्रतिभागी के रूप में समपन होने की स्थिति में, लाभार्थी स्वामी या तो अपनी प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण की मांग कर सकता है या किसी अन्य प्रतिभागी के साथ खोले गए खाते में अपने खाते में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।
- 6.10. प्रतिभागी द्वारा खाता बंद करना
- 6.10.1. लाभार्थी स्वामी की निम्न स्थितियों में प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को तत्काल बंद करने का हकदार होगा:
- 6.10.1.1. उस संबंध में की गई मांग की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के अंदर पारस्परिक रूप से सहमत शुल्क या शुल्क का भुगतान करने में विफल रहना;
- 6.10.1.2. किसी भी प्रमाण पत्र या नाम के अन्य दस्तावेज जो जाली, नकली पाए जाते हैं या चोरी हो गए हैं या जालसाजी द्वारा प्राप्त किए गए हैं या जिनका हस्तांतरण किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, प्राधिकरण या कोई वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण को दी गई किसी भी वाचा या उपक्रम के तहत किसी निर्देश, आदेश या डिक्री द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध है।
- 6.10.1.3. प्रतिभागी के साथ अपने व्यवहार में किसी धोखाधड़ी या नैतिक अधमता के अन्य कृत्य में भागीदार होना;
- 6.10.1.4. अन्यथा किसी भी प्रकार से स्वयं दुराचार करना।
- 6.10.2. प्रतिभागी किसी भी कारण से और बिना कोई कारण बताए, लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिभागी ने इस संबंध में लाभार्थी स्वामी को कम से कम 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया हो।
- 6.10.3. प्रतिभागी द्वारा खाता बंद करने की स्थिति में, प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी से यह निर्दिष्ट करने के लिए कहेगा कि क्या वह अपने खाते में सुरक्षा शेष राशि को किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अपने खाते में स्थानांतरित करना चाहता है या इन उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से उसे पुनः भौतिक बनाना चाहता है और सहभागी तदनुसार लाभार्थी स्वामी का खाता बंद कर देंगे।
- 6.10.4. जहां किसी लाभार्थी स्वामी का डीमैट खाता किसी ऐसे कारण से बंद किया गया है जो लाभार्थी स्वामी के कारण नहीं है, लाभार्थी स्वामी के खाते को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करने या ऐसे खाते में प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण में शामिल लागत, शुल्क और व्यय प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 6.10.5. यदि प्रतिभागी से डीमैट खाते को बंद करने के लिए नोटिस प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी किसी अन्य प्रतिभागी के साथ खाते को निर्दिष्ट करने में विफल रहता है, जिसमें मौजूदा शेष राशि को स्थानांतरित किया जाना है या यदि प्रतिभागी प्रतिभूतियों को इस तरह के खाते को किसी अन्य प्रतिभागी के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहता है, तो आईआईडीआईएल किसी अन्य प्रतिभागी को नामित करेगा, जिसे इस तरह के खाते को कुछ समय के लिए स्थानांतरित किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे स्थानांतरित खाते में प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेनदेन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे समय तक जैसा कि लाभार्थी स्वामी

ने प्राप्ति की पावती नहीं दी है और एतद द्वारा डीपी-बीओ अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज से बाध्य होने के लिए उस प्रतिभागी के साथ सहमत नहीं होगा जिसे आईआईडीआईएल द्वारा ऐसा खाता स्थानांतरित किया गया है।

- 6.10.6. किसी भी पक्ष द्वारा डीमैट खाते को बंद करने के बावजूद, समझौते के प्रावधान या डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, और इससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व पार्टियों के लिए बाध्यकारी बने रहेंगे। समझौते या डीपी-बीओ दायित्वों के दस्तावेज के संचालन के दौरान किए गए सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और किए गए लेनदेन और लेनदेन का सम्मान करेंगे। बशर्ते कि डीपी-बीओ समझौते/डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज के प्रावधान पार्टियों पर बाध्यकारी नहीं होंगे यदि इससे उत्पन्न होने वाले अधिकार या दायित्व ऐसे समापन के विपरीत और/या असंगत हैं।

अध्याय 7: निपटारा

7.1. बाजार कारोबार निपटारा

- 7.1.1. बाजार कारोबारों के संबंध में, आईआईडीआईएल लागू कानूनों, इन उप-नियमों और संचालन निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जारी सलाह के अनुसार, भुगतान की पुष्टि लाभार्थी स्वामी के खाते को डेबिट और/या क्रेडिट करेगा।

7.2. ऑफ मार्केट ट्रेड सेटलमेंट

- 7.2.1. ऑफ मार्केट कारोबारों के संबंध में, आईआईडीआईएल डिलिवर करने वाले लाभार्थी स्वामी से और प्राप्तकर्ता लाभार्थी स्वामी से उनके संबंधित प्रतिभागियों के माध्यम से, जो प्रतिभूतियों के विवरण की पुष्टि करता है, पुष्टि प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी के खाते को डेबिट और/या क्रेडिट करेगा जो इस प्रकार के क्रेडिट या डेबिट, जो भी मामला हो, का हकदार है।

7.3. इंटर-डिपोजिटरी निपटान

- 7.3.1. आईआईडीआईएल प्रत्येक अन्य डिपोजिटरी (यदि कोई हो) के साथ एक समझौता करेगा जिसमें इंटर-डिपोजिटरी लेनदेन, निपटान अनुसूचियां और प्रक्रियाएं, रिकॉर्ड का मिलान, प्रतिभागियों के बीच या प्रतिभागियों के बीच या विभिन्न डिपोजिटरीज में लाभार्थी स्वामियों के बीच विवादों, मतभेदों या दावों का मध्यस्थता के द्वारा समाधान किया जाएगा जिसमें आपसी सहमति होगी। ऐसा कोई समझौता तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे पहले आईएफएससीए द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

अध्याय 8: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन

8.1. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का प्रवेश

- 8.1.1. ऐसे क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को इन उप-नियमों के अनुलग्नक 'घ' के अंतर्गत आईआईडीआईएल के साथ एक समझौता करने पर आईआईडीआईएल में प्रवेश दिया जा सकता है।

8.2. प्रवेश का मानदंड

- 8.2.1. एक क्लीयरिंग निगम को आईआईडीआईएल में प्रवेश दिया जाएगा यदिरू

- 8.2.1.1. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिलिवरी के बदले भुगतान की गारंटी देता है और उसके पास आईएफएससीए द्वारा अनुमोदित एक ट्रेड गारंटी फंड या कोई अन्य फंड है;

- 8.2.1.2. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास आईआईडीआईएल के साथ संप्रेषण करने के लिए पर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं;

- 8.2.1.3. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आईआईडीआईएल के संबंध में अपने संचालन के संबंध में लाभार्थी स्वामियों, क्लीयरिंग सदस्यों और प्रतिभागियों की शिकायतों के निवारण के लिए हर समय कार्य करता है;

- 8.2.1.4. आईआईडीआईएल की राय में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास आईआईडीआईएल में स्वीकार की गई प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन के क्लीयरिंग और निपटान से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की परिचालन क्षमता है, जिसे डीमैट रूप में रखा जाना है।

8.3. क्लीयरिंग निगम के अधिकार और दायित्व

- 8.3.1. आईआईडीआईएल लागू कानूनों और इन उपनियमों के अनुसार लाभकारी मालिकों के खाते खोले जाने और उनका रखरखाव करने के अलावा, ऐसे अन्य खातों को खोलने और रखरखाव करने का हकदार होगा जैसा कि क्लीयरिंग/निपटान प्रक्रिया के लिए परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है ताकि आईआईडीआईएल के

किसी भी कार्य और/या आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को सुविधाजनक बनाया जा सके जिसमें अन्य के साथ साथ गिरवी और दृष्टिबंधक, उधार और ऋण, निर्धारण, लॉक-इन, फ्रीजिंग, ट्रेडिंग, क्लीयरिंग और ऐसे नियम और शर्तों के अनुसार जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी परिचालन निर्देशों के अनुसार निपटान शामिल हैं।

- 8.3.2. यदि बही खातों को बंद करते समय या रिकॉर्ड की तिथि को किसी कारण से उक्त उद्देश्य के लिए खोले गए और रखरखाव किए गए खातों में प्रतिभूतियां निरंतर बनी रहती हैं, तो आईआईडीआईएल इस प्रकार के सभी खातों का विवरण जारीकर्ता/आटीए को देगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां कॉर्पोरेट लाभों के योग्य होंगी, जिन्हें उस समय घोषित किया जा सकता है।
- 8.3.3. उपरोक्त खातों में रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में अर्जित होने वाले सभी कॉर्पोरेट लाभों का लाभ उठाया जाएगा और संबंधित लाभार्थी स्वामी के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाएगा और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

8.4. क्षतिपूर्ति

- 8.4.1. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईआईडीआईएल, उसके कर्मचारियों और सेवकों को सभी दावों, मांगों, दंडों, मुकदमों, कार्यों, मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, अभियोजन और किसी भी कार्यवाही (सभी लागतों, शुल्कों और उससे संबंधित खर्चों सहित) से हानिरहित रखेगा करेगा और उनकी क्षतिपूर्ति करेगा जो क्षतियां आईआईडीआईएल को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से किसी खाते में डेबिट या क्रेडिट के संबंध में प्राप्त किसी असत्य, गलत या त्रुटिपूर्ण परामर्श, सूचना या जानकारी के कारण या खोले गए किसी खाते के संचालन में किसी लापरवाही, त्रुटि या जालसाजी के कारण वहन करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट है, जिनका कारण इन उपनियमों या इनके अनुसार जारी संचालन निर्देशों और/या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया कोई उलंघन या चूक हो सकते हैं।
- 8.4.2. आईआईडीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सभी दावों, मांगों, मुकदमों, कार्रवाई, मुकदमेबाजी, अभियोजन और हर प्रकार की कार्यवाही (सभी लागतों, शुल्कों और उससे संबंधित खर्चों सहित) और किसी भी नुकसान, हानि, क्षति या चोट से क्षतिरहित रखेगा जो आईआईडीआईएल द्वारा किए जा रहे किसी भी गलत या त्रुटिपूर्ण क्रेडिट या डेबिट के कारण क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वहन करना पड़ सकता है या वह पीड़ित हो सकता है, जो क्रेडिट या डेबिट आईआईडीआईएल को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से प्राप्त परामर्श, सूचना और जानकारी के अनुरूप नहीं हैं या जिनका कारण लागू कानूनों या इन उपनियमों या इनके अंदतर्गत जारी संचालन निर्देशों के संबंध आईआईडीआईएल द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करना हो सकता है।

अध्याय 9: क्लियरिंग सदस्यों के अधिकार और दायित्व

- 9.1. एक क्लियरिंग सदस्य जो आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ कारोबारों के निपटान के उद्देश्य से ऐसे खाते खोलेगा जो परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 9.2. प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य, जो आईआईडीआईएल में प्रतिभागी नहीं है, एक प्रतिभागी के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के बाद, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ व्यापार के निपटान के उद्देश्य से ऐसे खाते खोल सकता है जैसा कि परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 9.3. आईआईडीआईएल किसी भी क्लियरिंग सदस्य को इन उपनियमों के तहत और समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी किए जा सकने वाले परिचालन निर्देशों के तहत क्लियरिंग सदस्य के दायित्वों के उचित पालन और प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए आईआईडीआईएल को कोई सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग सकता है।

अध्याय 10: लाभार्थी स्वामियों और प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय

- 10.1. आईआईडीआईएल, समय-समय पर, यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की स्थापना के लिए निर्देश/आदेश/संचालन निर्देश जारी कर सकता है कि डिपॉजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा की जा रही है, जैसा कि वह अपने विवेक से उपयुक्त या जरूरी समझ सकता है। इस तरह के उपायों में एक मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी के रूप में अपनी गतिविधियों के कारण होने वाले जोखिमों के विरुद्ध लाभार्थी मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा शामिल हो सकता है।
- 10.2. आकस्मिकता निधि
- 10.2.1. पूर्वोक्त के साथ पूर्वाग्रह के बिना, आईआईडीआईएल समय-समय पर इन उप-नियमों के तहत स्थापित किए जा सकने वाले प्रतिभागियों और लाभकारी स्वामियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अलग-अलग फंड/रिजर्व

(“आकस्मिक निधि”) स्थापित कर सकता है। प्रत्येक प्रतिभागी को समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार इन निधियों में योगदान करना होगा।

- 10.2.2. आईआईडीआईएल संचालन निर्देशों में या एक अलग लिखत के माध्यम से, इन निधियों की स्थापना, संचालन और प्रशासन की प्रक्रिया और उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करेगा जिसके लिए समय-समय पर इन निधियों का उपयोग किया जा सकता है।
- 10.2.3. आईआईडीआईएल परिचालन निर्देश या अन्य साधन, जैसा भी मामला हो, में उन संस्थाओं को निर्दिष्ट करेगा निधियों पर दावा करने के हकदार हैं, और निधियों पर दावा करने की प्रक्रिया, और ऐसे दावों की परस्पर प्राथमिकता को निर्दिष्ट करेगा।
- 10.2.4. प्रतिभागियों और लाभार्थी स्वामियों, जैसा भी मामला हो, के लाभ के लिए आईआईडीआईएल द्वारा आकस्मिकता निधि को ट्रस्ट में रखा जाएगा।
- 10.3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली
 - 10.3.1. आईआईडीआईएल व्यापक रूप से जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- 10.4. व्यापार निरंतरता योजना और आपदा वसूली
 - 10.4.1. आईआईडीआईएल के पास डेटा और लेनदेन की अखंडता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली साइट होगी जैसा कि आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 10.5. गोपनीयता
 - 10.5.1. आईआईडीआईएल अपने सभी कर्मचारियों से यह कथन करते हुए एक गोपनीयता अनुबंध निष्पादित करवाएगा कि कर्मचारी हमेशा किसी भी लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के संबंध में इस प्रकार के डेटा या सूचना के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखेगा, जो सूचना और डेटा एक डिपॉजिटरी के रूप में अपने व्यवसाय के सामान्य कारोबार के दौरान कर्मचारियों के पास हो सकती है, और इस डेटा या सूचना में किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक कारोबार का निषेध) विनियमावली, 2015 के विनियम 2(1)(एन) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
 - 10.5.2. आईआईडीआईएल, प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन और क्लीयरिंग सदस्य किसी भी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित ऐसे विवरण, जानकारी, डेटा या सूचना प्रदान या प्रकट कर सकते हैं जैसा कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या कोई अन्य नियामक या राजस्व प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में आवश्यक या निर्देशित किया जा सकता है, जो उस संबंध में या संबंधित जारीकर्ता और/या आरटीए या क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन या कानून में किसी भी दायित्वों के अनुपालन के लिए या इसके किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है, या किसी अन्य या संबंधित लाभार्थी स्वामी के बिना अपने हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, बशर्ते कि उक्त को छोड़कर और उक्त के अलावा, उनमें से कोई भी ऐसे किसी विवरण, सूचना, डेटा या जानकारी को किसी भी पक्ष या व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा और इस प्रकार की सूचना, विवरण, डेटा और जानकारी को सख्ती से गोपनीय बनाए रखेगा।
- 10.6. सिस्टम और प्रक्रियाओं की सुरक्षा, और डेटा
 - 10.6.1. आईआईडीआईएल के पास डिपॉजिटरी की नियंत्रण प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त तंत्र होगा। आईआईडीआईएल अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का सालाना निरीक्षण करवाएगा और रिपोर्ट की एक प्रति आईएफएससीए को अग्रेषित करेगा।
 - 10.6.2. आईआईडीआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की अखंडता हर समय बनी रहे। आईआईडीआईएल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी सावधानी बरतेगा कि रिकॉर्ड गुप्त, नष्ट या छेड़छाड़ न हो और नुकसान या विनाश की स्थिति में, सुनिश्चित करें कि रिकॉर्ड का पर्याप्त बैकअप हर समय एक अलग स्थानों पर उपलब्ध हो।
 - 10.6.3. आईआईडीआईएल प्रणाली के तहत डेटा के संचरण और भंडारण की सुरक्षा के लिए आईआईडीआईएल आवश्यक कदम उठाएगी। डेटा को अनधिकृत पहुंच, हेरफेर और विनाश से संरक्षित किया जाएगा। डेटा का प्रसारण एन्क्रिप्टेड रूप में होगा ताकि डेटा के अनधिकृत अवरोधन की संभावना को समाप्त किया जा सके। आईआईडीआईएल द्वारा आईआईडीआईएल प्रणाली के तहत संग्रहीत डेटा का बैकअप क्रमशः आईआईडीआईएल, और ऐसे प्रतिभागियों,

जारीकर्ताओं, आरटीए और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की विशेष अभिरक्षा में रखा जाएगा। आईआईडीआईएल संचालन के डेटा तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहुंच को रोकने के लिए आईआईडीआईएल पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा। आईआईडीआईएल प्रत्येक परिवर्तन के लिए या तो खाते के विवरण में या प्रतिभूतियों के लाभकारी स्वामित्व में लेनदेन लॉग और ऑडिट ट्रेल के रखरखाव के लिए पर्याप्त उपाय करेगा।

अध्याय 11: प्रतिभूतियां

- 11.1. आईएफएससी के संबंध में एमआईआई विनियमों और लागू कानूनों के दायरे में सभी प्रतिभूतियां आईआईडीआईएल में डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए पात्र होंगी।
- 11.2. बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकरण आईआईडीआईएल के साथ प्रतिभूतियों के प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करेगा और इसे अभौतिक रूप में रखा जाएगा और इसे समय-समय पर प्रकाशित किया जाएगा।
- 11.3. आईआईडीआईएल में पूर्वोक्त किसी भी प्रतिभूति के संबंध में डीमैटरियलाइजेशन शुरू होने से पहले, जारीकर्ता या उसका आरटीए, यदि कोई हो, निम्नलिखित का पालन करेगा:
 - 11.3.1. अनुलग्नक 'ड' या अनुलग्नक "च" में दिए गए फॉर्म के अनुसार आईआईडीआईएल के साथ एक समझौता करेगा। इस खंड में निहित कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां:
 - (i) आईआईडीआईएल प्रतिभूतियों का जारीकर्ता है;
 - (ii) केंद्र/राज्य सरकार सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती है।
 - 11.3.2. जारीकर्ता और/या उसका आरटीए, ऑपरेटिंग निर्देशों में समय-समय पर निर्दिष्ट आईआईडीआईएल के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राप्त करेगा।
 - 11.3.3. जारीकर्ता और/या उसका आरटीए लाभार्थी स्वामियों और प्रतिभागियों की शिकायतों का शीघ्र निवारण करने का वचन देगा।
 - 11.3.4. जारीकर्ता और/या उसका आरटीए सहमत होगा और समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मानकों का कड़ाई से पालन करने का वचन देगा।
 - 11.3.5. प्रतिभूतियों के आवंटन, हस्तांतरण और समाप्ति से संबंधित सभी मामले, प्रतिभूतियों के धारकों के रिकॉर्ड का रखरखाव, भौतिक प्रतिभूतियों की हैंडलिंग और डिपॉजिटरी के साथ संपर्क स्थापित करने से संबंधित सभी मामलों को एक ही बिंदु पर संभाला और बनाए रखा जाता है, या तो जारीकर्ता द्वारा या आरटीए द्वारा इन-हाउस किया जाता है। .
- 11.4. किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकारी जारीकर्ता की किसी भी प्रतिभूति को पात्र प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने से मना कर सकता है या उसे पात्र प्रतिभूतियों की सूची से हटा सकता है, यदि:
 - 11.4.1. जारीकर्ता इन उप कानूनों के तहत या आईआईडीआईएल के साथ अपने समझौते के तहत अपने दायित्वों के निरंतर उल्लंघन या चूक करता है और इस तरह के उल्लंघन या डिफॉल्ट को सुधारने या दूर करने में विफल रहता है, या;
 - 11.4.2. जारीकर्ता के पास यहां निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने की परिचालन क्षमता नहीं है या समाप्त हो गई है, या;
 - 11.4.3. बोर्ड/प्रासंगिक प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो निवेशकों के हित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं।
- 11.5. आईआईडीआईएल पूर्वोक्त के रूप में किसी भी सुरक्षा को तब तक नहीं हटाएगा जब तक:
 - 11.5.1. आईआईडीआईएल ने संबंधित जारीकर्ता को लिखित में कम से कम 30 (तीस) दिनों का नोटिस जारी किया है जिसमें जारीकर्ता को यह कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उक्त सुरक्षा को पूर्वोक्त के रूप में क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, और;
 - 11.5.2. जारीकर्ता को इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
- 11.6. आईआईडीआईएल सभी प्रतिभागियों, संबंधित जारीकर्ता और उसके आरटीए और संबंधित लाभार्थी स्वामियों को इस तरह के पूर्वोक्त के अनुसार हटाए जाने पर तुरंत सूचित करेगा।

अध्याय 12: जारीकर्ताओं और उनके आरटीए के अधिकार और दायित्व

- 12.1. जहां एक जारीकर्ता ने एक आरटीए नियुक्त किया है, और जहां आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता और उसके आरटीए के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, तो जारीकर्ता और उसके आरटीए के बीच किसी भी समझौते, व्यवस्था या इसके विपरीत समझौते के बावजूद, आईआईडीआईएल में इसके संचालन के संबंध में इस तरह के आरटीए द्वारा किसी भी अधिनियम, विलेख, मामले या चीज के संबंध में सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए जारीकर्ता मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। इस खंड में निहित कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां केंद्र या राज्य सरकार सरकारी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता हैं।
- 12.2. प्रत्येक जारीकर्ता आईआईडीआईएल पर स्वीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में आईआईडीआईएल को बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथियां, ब्याज या लाभांश के भुगतान की तिथियां, वार्षिक आम बैठक की तिथियां, प्रतिभूतियों के मोचन या परिपक्वता तिथि, रूपांतरण की तिथियां, वारंट, कॉल मनी तिथियां, अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाइयों का विवरण और ऐसी अन्य जानकारी जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है, के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करेगा। इस खंड में निहित कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां केंद्र या राज्य सरकार सरकारी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता हैं।
- 12.3. एक जारीकर्ता आईआईडीआईएल में भर्ती किसी भी पात्र प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि जारीकर्ता संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जारीकर्ता द्वारा वैध रूप से जारी किए गए प्रतिभूतियों को जारीकर्ता द्वारा जारी किया गया है और किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या किसी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के आदेश या डिक्री, या किसी कानून के तहत या उन प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या डीमैटरियलाइजेशन को रोकने या रोकने के लिए उन प्रतिभूतियों को जारी करने के नियमों और शर्तों के तहत सशक्त हैं। इस खंड में निहित कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां केंद्र या राज्य सरकार किसी भी प्रतिभूति के जारीकर्ता हैं।
- 12.4. प्रत्येक जारीकर्ता या उसका आरटीए, परिचालन निर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभागी के माध्यम से लाभार्थी स्वामी से पुनः भौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त करने के विरुद्ध, और आईआईडीआईएल से इस तरह के अनुरोध की पुष्टि की प्राप्ति पर, प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा जिनके संबंध में कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर रीमैटरियलाइजेशन की मांग की गई है। सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः भौतिकीकरण नीचे दिए गए अध्याय 13 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- 12.5. जारीकर्ता या उसका आरटीए, दैनिक आधार पर, आईआईडीआईएल के साथ, लाभार्थी स्वामियों के साथ अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के शेष के संबंध में अभिलेखों का मिलान करेगा और आईआईडीआईएल को पुष्टि करेगा कि कुल सुरक्षा शेष भौतिक और साथ ही साथ अपनी बहियों में अभौतिक रूप में है। बशर्ते कि, जहां केंद्र या राज्य सरकार किसी भी प्रतिभूति के जारीकर्ता हैं, आईआईडीआईएल दैनिक आधार पर लाभार्थी मालिकों के खातों में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में रिकॉर्ड का मिलान करेगा, जैसा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाता है।
- 12.6. जारीकर्ता या उसका आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा आवश्यक तरीके से सभी लाभार्थी स्वामियों के लिए आईआईडीआईएल आवंटन विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को जमा करने का विकल्प चुना है। उन सभी प्रतिभूतियों के लिए जहां केंद्र या राज्य सरकार जारीकर्ता है, आईआईडीआईएल उन सभी प्रतिभूतियों के आवंटन विवरण के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा, जो उन लाभकारी स्वामियों को आवंटन की सीमा तक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को जमा करने का विकल्प चुना है।
- 12.7. जारीकर्ता/आरटीए आईआईडीआईएल को समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी किए गए जारीकर्ताओं/आरटीए के लिए परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट शुल्क, लागत, शुल्क और जमा राशि का भुगतान करेगा। जारीकर्ता/आरटीए द्वारा संबंधित देय तिथियों को या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह के शुल्क, लागत, प्रभार या जमा का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, आईआईडीआईएल किसी भी विलंबित भुगतान पर इस उप कानून के अनुसार आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज वसूलने का हकदार होगा।
- 12.8. जारीकर्ता और उसका आरटीए आईआईडीआईएल और इसके प्रतिभागियों को उन सभी दावों और मांगों और सभी मुकदमों, कार्रवाइयों, न्यायिक प्रक्रियाओं, अभियोजनों या अन्य कार्यवाहियों (जिनमें सभी लागतें, प्रभार, व्यय, जुर्माने, हानियां और परिणामी नुकसान शामिल हैं) के विरुद्ध हानिरहित या क्षति रहित रखेगा, जो कानून के उल्लंघन और/या उपनियमों, आईआईडीआईएल और जारीकर्ता और/या आरटीए के बीच समझौते के अंतर्गत संचालन निर्देशों, विज्ञप्तियों, पत्रों, सूचनाओं का उल्लंघन करते हुए आईआईडीआईएल में प्रतिभूतियों के सृजन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइलों/डेटा या किसी अन्य प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण या प्रतिभूतियों को आईआईडीआईएल में जारी करने के कारण आईआईडीआईएल और/या इसके प्रतिभागी(यों) को भुगतान पड़ सकते हैं।

- 12.9. जारीकर्ता या उसका आरटीए यह सुनिश्चित करेगा कि आईआईडीआईएल से संबंधित उसके डिपॉजिटरी संचालन के संबंध में एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत और प्रबंधन लेखाकार द्वारा एक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके पास अभ्यासकर्ता का प्रमाणपत्र हो, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे अंतराल किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति आईआईडीआईएल को प्रस्तुत की जाएगी
- 12.10. जारीकर्ता या उसका आरटीए यह सुनिश्चित करेगा कि उसके डिपॉजिटरी परिचालनों के संबंध में निम्नलिखित मदों को उसके निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है:
- प्रबंधन टिप्पणियों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष।
 - प्रबंधन टिप्पणियों के साथ डिपॉजिटरी के निरीक्षण निष्कर्ष।

अध्याय 13: पुस्तक प्रविष्टि वार खाते/लेनदेन

13.1. खाता खोलना

- 13.1.1. आईआईडीआईएल प्रत्येक प्रतिभागी के संबंध में प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के संबंध में अलग-अलग खाते रखेगा।
- 13.1.2. प्रतिभागी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी और अपने स्वयं के खाते के संबंध में अलग-अलग खाते बनाए रखेगा।
- 13.1.3. कोई भी संभावित लाभार्थी स्वामी जो आईआईडीआईएल की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, उसे एक प्रतिभागी के माध्यम से आईआईडीआईएल में एक खाता खोलना होगा।
- 13.1.4. लाभार्थी स्वामी को इस उद्देश्य के लिए आईआईडीआईएल द्वारा जारी ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रतिभागी को एक आवेदन करना होगा।
- 13.1.5. लाभार्थी स्वामी को प्रतिभागी को डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज की प्राप्ति की सूचना देनी होगी।
- 13.1.6. एक बार जब प्रतिभागी द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक को एक लाभार्थी स्वामी खाता संख्या जारी की जाएगी।

13.2. अभौतिकीकरण

- 13.2.1. किसी भी लाभकारी स्वामी के खाते में प्रतिभूतियों का क्रेडिट भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण पर या अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों के नए निर्गम पर या किसी अन्य डिपॉजिटरी में खाते से अभौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन पर किया जाएगा। इस खंड में निहित कुछ भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा।

13.2.2. भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:

- 13.2.2.1. संबंधित सुरक्षा प्रमाणपत्रों के साथ आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट एक अभौतिकीकरण अनुरोध फॉर्म (जिसे यहां पर "डीआरएफ" के रूप में संदर्भित किया गया है) में प्रतिभागी को आवेदन करके भौतिक रूप में रखी गई अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में परिवर्तित कर सकता है।
- 13.2.2.2. प्रतिभागी इस प्रकार प्राप्त डीआरएफ को संबंधित सुरक्षा प्रमाणपत्रों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआईडीआईएल के साथ इस तरह के अनुरोध को पंजीकृत करने के बाद जारीकर्ता या उसके आरटीए को अग्रेषित करेगा। प्रतिभागी द्वारा इस प्रकार के डीआरएफ को लाभार्थी स्वामी से प्राप्त होने के बाद 7 (सात) कार्यदिवसों के अंदर अग्रेषित किया जाएगा और तब तक भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में रखेगा।
- 13.2.2.3. प्रत्येक प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस्तावेज, जिसमें प्रमाण पत्र और/या अभौतिकीकरण के लिए प्रतिभागी द्वारा प्राप्त आवंटन पत्र शामिल हैं, "अभौतिकीकरण के लिए समर्पित" शब्दों के साथ मुद्रित होने चाहिए। अभौतिकीकरण के लिए ऐसे दस्तावेज प्राप्त होने पर, प्रतिभागी को दस्तावेज पर ऐसे अन्य पहचान चिह्न बनाने होंगे जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- 13.2.2.4. आईआईडीआईएल इलेक्ट्रॉनिक रूप से, दैनिक आधार पर, संबंधित जारीकर्ता या उसके आरटीए को सभी अभौतिकीकरण अनुरोधों को सूचित करेगा।
- 13.2.2.5. प्रतिभागी से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर जारीकर्ता/आरटीए डिपॉजिटरी को इस बात की पुष्टि करेगा कि उक्त प्रमाणपत्र में शामिल प्रतिभूतियां आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। जारीकर्ता या उसका आरटीए सुरक्षा प्रमाणपत्रों और/या आवंटन पत्रों की

वैधता के साथ-साथ इस तथ्य को भी सत्यापित करेगा कि सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर धारक या प्रतिभूतियों का कोई अन्य रजिस्टर, जैसा कि कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, में सदस्य के रूप में दर्ज व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा अभौतिकीकरण की आवश्यकता है; बशर्ते कि लिस्टिंग अनुमोदन के संबंध में इस खंड के प्रावधान असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे।

- 13.2.2.6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सत्यापन के बाद, जारीकर्ता या उसका आरटीए आईआईडीआईएल को सूचित करेगा और उसके बाद लाभार्थी स्वामी के पक्ष में उस सुरक्षा के लिए क्रेडिट को अधिकृत करने वाले प्रतिभागी को सूचित करेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल और प्रतिभागी संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टि करवाएंगे।
- 13.2.2.7. किसी भी लाभार्थी स्वामी के खाते में किसी भी प्रतिभूति का कोई क्रेडिट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आईआईडीआईएल को जारीकर्ता या उसके आरटीए से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जैसा कि यहां निर्दिष्ट किया गया है।
- 13.2.2.8. जारीकर्ता या उसका आरटीए उसकी प्राप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर अभौतिकीकरण अनुरोधों की पुष्टि करेगा और 21 (इक्कीस) दिनों से अधिक के लिए लंबित पुष्टिकरण प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान करेगा और देरी का कारण दर्ज करेगा। जारीकर्ता या उसका आरटीए, आईआईडीआईएल और प्रतिभागी को क्रेडिट अधिकृत करने की सूचना जारी करने के साथ-साथ, संबंधित प्रमाणपत्र को समाप्त और रद्द कर देगा, इसके रिकॉर्ड में आईआईडीआईएल के नाम को इसके पंजीकृत मालिक के रूप में प्रतिस्थापित करेगा और आईआईडीआईएल और प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को जिसके साथ प्रतिभूति सूचीबद्ध है को इस आशय का एक प्रमाण पत्र भेजेगा।
- 13.2.2.9. जारीकर्ता या उसका आरटीए सभी मामलों में डीआरएफ को अपने पास रखेगा। जारीकर्ता या उसका आरटीए संबंधित प्रतिभागी को उन प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र लौटाएगा, जिनके संबंध में जारीकर्ता या उसके आरटीए द्वारा अभौतिकीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है, जब तक कि उस समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो।
- 13.2.2.10. ऐसे सभी मामलों में जहां कोई जारीकर्ता या उसका आरटीए किसी भी प्रतिभूति के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करता है, जारीकर्ता या उसका आरटीए संबंधित प्रतिभागी और लाभार्थी स्वामी को लिखित रूप में ऐसी अस्वीकृति के कारण के बारे में सूचित करेगा।
- 13.2.3. जारीकर्ता या उसका आरटीए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आईआईडीआईएल का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट देता है कि ऐसी प्रतिभूतियां मौजूद हैं, वैध रूप से जारी की गई हैं और जारीकर्ता या उसके आरटीए के रिकॉर्ड में लाभार्थी स्वामी के नाम पर हैं, जिन्होंने इसके संबंध में अभौतिकीकरण की मांग की है।
- 13.2.4. अभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन और/या आवंटन:
 - 13.2.4.1. किसी भी जारीकर्ता या उसके आरटीए से आईआईडीआईएल द्वारा किसी लाभार्थी स्वामी को अभौतिक रूप में किसी भी प्रतिभूति के आवंटन के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित लाभार्थी स्वामी के खातों को क्रेडिट करेगा;
 - 13.2.4.2. आईआईडीआईएल को जारीकर्ता या उसके आरटीए से किसी लाभार्थी स्वामी के खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट के लिए सूचना प्राप्त होने की स्थिति में, जिसकी पहचान आईआईडीआईएल में स्थापित नहीं की जा सकती है, आईआईडीआईएल ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और सुधार के लिए इस तरह की अस्वीकृति का विवरण जारीकर्ता या उसके आरटीए को जारीकर्ता को भेज सकता है।
- 13.3. सरकारी प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण (क्रेडिट)

एक लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है:

 - 13.3.1. भौतिक रूप में धारित केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:
 - 13.3.1.1. एक लाभार्थी स्वामी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी भौतिक रूप में धारित अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकरण आग्रह पत्र-सरकारी प्रतिभूतियां ("डीआरएफ-जीएस") में प्रतिभागी को आवेदन करके अभौतिक रूप में परिवर्तित करवा सकता है जिसके साथ उचित सुरक्षा प्रमाणपत्र और इस संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थानांतरण पत्र दाखिल करने होंगे। प्रतिभागी प्रतिभूतियों के पंजीकृत धारक के अलावा प्रतिभूतियों के लिए किसी भी अभौतिकीकरण अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
 - 13.3.1.2. इस तरह के अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत करने के बाद, प्रतिभागी आईआईडीआईएल को सुरक्षा प्रमाण पत्र के साथ डीआरएफ-जीएस और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा। प्रतिभागी ऐसे डीआरएफ-जीएस को इसकी प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के अंदर आईआईडीआईएल को अग्रेषित करेगा।

- 13.3.1.3. प्रत्येक प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक प्रमाण पत्र 'अभौतिकीकरण के लिए समर्पण' की मुद्रा लगाकर या 2 छिद्र करके विकृत नहीं किया गया है। प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि शब्द "निरस्तीकरण और एसजीएल खाता संख्या (..) में क्रेडिट के लिए प्रस्तुत" शब्द "प्रमाण पत्र के पीछे "मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर" कॉलम में मुद्रित हों।
- 13.3.1.4. आईआईडीआईएल, आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार को हस्तांतरण के विधिवत भरे हुए फॉर्म के साथ सुरक्षा प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र अग्रेषित करेगा और उक्त सरकारी प्रतिभूतियों का क्रेडिट अपने सीएसजीएल खाते/इसी तरह के खाते में प्राप्त करेगा। इसके बाद, आईआईडीआईएल परिचालन निर्देशों के अनुसार संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टियां करवाएगा।
- 13.3.1.5. जहां आईएफएससीए/आईआईडीआईएल केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सरकारी सुरक्षा के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करता है, आईआईडीएल ऐसी अस्वीकृति के 7 (सात) दिनों के अंदर प्रतिभागी को इस तरह की अस्वीकृति के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।
- 13.3.1.6. आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभौतिकीकरण अनुरोध की अस्वीकृति की प्राप्ति पर, आईआईडीएल प्रतिभागी को संबंधित सुरक्षा प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के साथ डीआरएफ-जीएस को वापस कर देगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामले जहां प्रमाण पत्र और दस्तावेज आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं।
- 13.3.2. *केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को अन्य पात्र इकाई से आईआईडीआईएल के लाभार्थी स्वामी के खाते में स्थानांतरण या अंतरण द्वारा*
- 13.3.2.1. एक लाभार्थी स्वामी या उसके उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति, एसजीएल खाते में धारित अपनी धारिता को अन्य पात्र संस्था के साथ डीआरएफ-जीएस में प्रतिभागी को आवेदन करके और परिचालन निर्देशों के तहत निर्धारित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को हस्तांतरित कर सकते हैं।
- 13.3.2.2. इस तरह के अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत करने के बाद प्रतिभागी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीआरएफ-जीएस को आईआईडीआईएल को अग्रेषित करेगा। प्रतिभागी इस तरह के डीआरएफ-जीएस और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को इसकी प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के अंदर आईआईडीआईएल को अग्रेषित करेगा।
- 13.3.2.3. आईआईडीआईएल अनुरोध को आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर अग्रेषित करेगा।
- 13.3.2.4. आईआईडीआईएल इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रतिभूतियों को अपने सीएसजीएल खाते/इसी के समान खाते में जमा कराएगा। इस प्रयोजन के लिए सीएसजीएल खाते/इसी तरह के खाते में शेष राशि जमा होने पर आईआईडीआईएल इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीमैट अनुरोध को स्वीकार करेगा और संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टि करवाएगा।
- 13.3.2.5. यदि आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी भी कारण से स्थानांतरण/ट्रांसमिशन को अस्वीकार/मना करता है तो आईआईडीएल प्रतिभागी को ऐसे दस्तावेज लौटाएगा जैसा कि ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट है और संबंधित प्रतिभागी को लिखित रूप में ऐसी अस्वीकृति/मना करने का कारण बताएगा।
- 13.3.3. *सरकारी प्रतिभूतियों की सदस्यता/आवंटन द्वारा*
- 13.3.3.1. एक लाभार्थी स्वामी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की सदस्यता ले सकता है और इस उद्देश्य के लिए सीधे राज्य या केंद्र सरकार से आईआईडीआईएल के उद्देश्य के लिए सीएसजीएल खाते/इसी तरह के खाते में आवंटन द्वारा प्राप्त कर सकता है।
- 13.3.3.2. आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक लाभार्थी स्वामी, आईआईडीआईएल को सदस्यता राशि के साथ आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
- 13.3.3.3. आईआईडीआईएल नीलामी की तिथि को आवश्यक नीलामी फॉर्म भरेगा और आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को जमा करेगा। आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए सीएसजीएल खाते/समान खाते में आवंटित प्रतिभूतियों को क्रेडिट करेगा। इसके बाद आईआईडीआईएल संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में सरकारी प्रतिभूतियों को क्रेडिट करेगा।
- 13.3.3.4. यदि आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर देता है, फंड आईआईडीएल के आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला

हो, के चालू खाते में रहेगा। आईआईडीआईएल परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से इसे लाभार्थी स्वामी को प्रेषित करेगा।

13.4. खाते को फ्रिज करना

13.4.1. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के पास यह विकल्प होगा कि वह प्रतिभागी के पास अपने खाते को या तो डेबिट के लिए या क्रेडिट के लिए या दोनों के लिए फ्रीज कर सकता है ताकि इसे निष्क्रिय किया जा सके। आईआईडीआईएल या प्रतिभागी परिचालन निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में संबंधित लाभार्थी स्वामी से इस संबंध में उसके द्वारा या प्रतिभागी द्वारा प्राप्त लिखित निर्देशों पर उसके पास रखे गए लाभार्थी स्वामी के खाते को फ्रीज कर देगा।

13.4.2. आईआईडीआईएल या सहभागी इसके साथ अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी के खाते को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी सरकार या आईएफएससीए या वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत निर्मित प्राधिकार के आदेशों या निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से फ्रिज कर देगा।

बशर्ते कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी लाभार्थी स्वामी के खाते को फ्रीज करने या लाभार्थी स्वामी के खाते के संबंध में कोई कार्रवाई करने से संबंधित कोई आदेश जो लागू कानून के तहत एक डिपॉजिटरी के दायित्वों के दायरे में है, लाभार्थी स्वामी की पहचान संख्या (बीओआईडी) या स्थायी खाता संख्या (पैन) और विशिष्ट निर्देशों को प्राप्त करने के बाद ही लागू किए जाएंगे, यदि उन्हें पर्याप्त शुद्धता के साथ इस प्रकार के आदेश में निर्धारित नहीं किया गया है।

13.4.3. इस तरह से फ्रिज किए हुए खाते को लाभार्थी स्वामी के लिखित निर्देशों पर सक्रिय किया जाएगा, जहां इसे एक लाभार्थी स्वामी के कहने पर फ्रीज किया गया है, और किसी आदेश के जारी होने या न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकार के आदेश को निरस्त, खाली या रद्द करने के निर्देशों के अनुसार आईआईडीआईएल से निर्देश प्राप्त होने पर सक्रिय किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि किसी भी घटना में खाते के फ्रीज होने पर, ऐसे लाभार्थी स्वामी का प्रतिभागी कोई डेबिट प्रविष्टि या ऐसा कोई अन्य लेनदेन तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि खाते को फ्रीज करने के निर्देश या आदेश को पूर्वोक्त के रूप में वापस नहीं लिया गया हो, रद्द कर दिया गया हो, खाली कर दिया गया हो, रद्द कर दिया गया हो या संशोधित कर दिया गया हो। हालांकि, प्रतिभागी फ्रिज हुए खाते में लाभ जमा करेगा।

13.4.4. आईआईडीआईएल प्रतिभागी द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में उसके पास खोले गए खाते को बंद करेगा या प्रतिभागी को बंद करने के निर्देश देगा:

13.4.4.1. किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी सरकार या आईएफएससीए या किसी भी कानून के तहत बनाए गए किसी अन्य प्राधिकरण के आदेशों या निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से;

13.4.4.2. यदि प्रतिभागी दिवालिया हो जाता है, या किसी कॉर्पोरेट निकाय के बंद होने की स्थिति में।

बशर्ते कि फ्रिज किए गए खाते को उस प्राधिकारी के निर्देश पर जारी किया जा सकता है जिसके निर्देश के तहत ऐसे खाते को फ्रिज किया गया था।

13.4.5. इस उप-नियमावली में कुछ भी होने के बावजूद, जहां केवाईसी दस्तावेजों में कमी पाई जाती है, आईआईडीआईएल समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से लाभार्थी मालिक के किसी भी खाते को फ्रीज करने का हकदार होगा।

13.4.6. फ्रीज/अनफ्रीज खाते के लिए संयुक्त डिमैट खाते में अधिकार-पत्र और/या आईएसआईएन और/या प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या के लिए तरीका और प्रारूप परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक संयुक्त डिमैट खाता धारक संयुक्त रूप से और पृथक् रूप में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के प्रति स्वयं या किसी अन्य संयुक्त डिमैट खाता धारक या अधिकृत प्रतिनिधि (शक्ति की सीमा के अंदर) द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं के लिए उत्तरदायी होगा।

13.5. पुनः भौतिकीकरण

13.5.1. एक लाभार्थी स्वामी आईआईडीआईएल के साथ अपने किसी भी सुरक्षा शेष को किसी भी समय अपने प्रतिभागी के माध्यम से आईआईडीआईएल को इस आशय का एक आवेदन देकर प्राप्त कर सकता है। प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि पुनः भौतिकीकरण के लिए अनुरोध लाभार्थी स्वामी की ओर से जारी किया गया है और विधिवत अधिकृत है और ठीक से किया गया है। इस खंड में निहित कुछ भी उन प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा जहां आईएफएससीए/आरबीआई केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सरकारी प्रतिभूतियों का जारीकर्ता है।

- 13.5.2. आईआईडीआईएल में अपनी स्वयं की प्रतिभूति रखने वाला प्रतिभागी किसी भी समय आईआईडीआईएल को इस आशय का एक आवेदन देकर आईआईडीआईएल के साथ अपने किसी भी सुरक्षा शेष को वापस ले सकता है।
- 13.5.3. लाभार्थी स्वामी अपने खाते में शेष राशि की निकासी का अनुरोध पुनःभौतिकीकरण आवेदन प्रपत्र (जिसे यहां पर "आरआरएफ" के रूप में संदर्भित) में करेगा जैसा कि ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट है।
- 13.5.4. आरआरएफ प्राप्त होने पर, प्रतिभागी यह जांच करेगा कि लाभार्थी स्वामी के खाते में पर्याप्त भार रहित प्रासंगिक सुरक्षा शेष उपलब्ध है या नहीं। यदि पर्याप्त शेष है, तो प्रतिभागी उक्त आरआरएफ को स्वीकार करेगा और लाभार्थी स्वामी के खाते में पड़ी संबंधित सुरक्षा के शेष राशि को उस मात्रा तक रोक देगा, जिसके लिए पुनः भौतिकीकरण की मांग की गई है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआईडीआईएल को अनुरोध की सूचना दी जाएगी।
- 13.5.5. ऊपर उल्लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल प्रतिभागी के खाते में पड़ी संबंधित प्रतिभूतियों की शेष राशि को उस सीमा तक रोक देगा, जिसके लिए पुनः भौतिकीकरण की मांग की गई है।
- 13.5.6. आईआईडीआईएल ऐसे सभी स्वीकृत अभौतिकीकरण अनुरोधों को जारीकर्ता या उसके आरटीए को दैनिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।
- 13.5.7. लाभार्थी स्वामी से इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने के 2 (दो) कार्य दिवसों के अंदर प्रतिभागी जारीकर्ता या उसके आरटीए को आरआरएफ अग्रेषित करेगा। जारीकर्ता या उसका आरटीए आरआरएफ को मान्य करने के बाद आईआईडीआईएल और प्रतिभागी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करेगा कि आरआरएफ स्वीकार कर लिया गया है। तत्पश्चात जारीकर्ता या उसका आरटीए ऐसे आरआरएफ की प्राप्ति से 30 (तीस) दिनों की अवधि के अंदर अभौतिकीकरण अनुरोध से उत्पन्न सुरक्षा प्रमाण पत्र आरआरएफ में नामित लाभार्थी स्वामी को उसमें निर्धारित पते पर इस तरह की सावधानियां बरतते हुए भेजेगा, जो अग्रेषण के दौरान होने वाले नुकसान के विरुद्ध आवश्यक हो सकती हैं।
- 13.5.8. जारीकर्ता या उसके आरटीए से इस तरह की स्वीकृति प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित प्रतिभागी या संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में, जैसा भी मामला हो, अभौतिक प्रतिभूतियों की सीमा तक सुरक्षा शेष राशि को कम कर देगा।
- 13.6. डिपोजिटरी से सरकारी प्रतिभूतियों का आहरण
- 13.6.1. एक लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित तरीके से डिपॉजिटरी से बाहर निकास का विकल्प चुन सकता है:
- 13.6.1.1. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आईआईडीआईएल में उसके/उसके लाभार्थी स्वामी खाते में रखी गई प्रतिभूतियों का पुनर्भौतिकीकरण:
- 13.6.1.1.1. इस संबंध में जारी परिचालन निर्देशों के अनुसार अभौतिकीकरण अनुरोध फॉर्म ("आरआरएफ-जीएस") में आईआईडीआईएल से अनुरोध करके भौतिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्णय ले सकता है।
- 13.6.1.1.2. आरआरएफ-जीएस प्राप्त होने पर, प्रतिभागी यह जांच करेगा कि लाभार्थी स्वामी के खाते में पर्याप्त मुक्त प्रासंगिक सुरक्षा शेष उपलब्ध है या नहीं। यदि पर्याप्त शेष राशि है, तो प्रतिभागी उक्त आरआरएफ-जीएस को स्वीकार करेगा और लाभार्थी स्वामी के खाते में पड़ी संबंधित प्रतिभूति की शेष राशि को उस मात्रा तक रोक देगा, जिसके लिए पुनः भौतिकीकरण की मांग की गई है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआईडीआईएल को अनुरोध की सूचना दी जाएगी।
- 13.6.1.1.3. प्रतिभागी इसकी प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के अंदर आईआईडीआईएल को आरआरएफ-जीएस अग्रेषित करेगा। आईआईडीआईएल ऐसे अनुरोध को आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ समय-समय पर अग्रेषित करेगा।
- 13.6.1.1.4. आईआईडीआईएल इस प्रयोजन के लिए आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार के साथ अपना सीएसजीएल खाता/इसके समान खाता खोलेगा जिसे डेबिट किया जाना है और आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार से भौतिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, जो भी मामला हो। इसके बाद आईआईडीआईएल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरआरएफ-जीएस की स्वीकृति की पुष्टि करेगा और आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति/प्राधिकरण/विभाग को भौतिक प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा यदि आईएफएससीए/आरबीआई, केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, अभौतिकीकरण के अनुरोध को अस्वीकार

करता है, तो आईआईडीएल संचालन निर्देशों में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रतिभागी को वापस कर देगा और ऐसी अस्वीकृति के लिए संबंधित प्रतिभागी को लिखित रूप में कारण(कारणों) को सूचित करेगा।

13.6.1.2. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों का स्थानांतरण या हस्तांतरण, जो लाभार्थी स्वामी द्वारा आईआईडीआईएल में उसके खाते में किसी अन्य पात्र संस्था के साथ रखे गए खाते में रखा गया है।

13.6.1.2.1. यदि अनुरोध केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आईआईडीआईएल के खाते से किसी अन्य पात्र संस्था के खाते में जारी सरकारी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से संबंधित है, तो आईआईडीआईएल, लाभार्थी स्वामी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के बल पर, उचित प्रपत्र निष्पादित करेगा और केंद्र या राज्य सरकार या अन्य योग्य उपक्रम को अग्रेषित करेगा, जिसके साथ लाभार्थी स्वामी कथित प्रतिभूतियों को रखना चाहता है। पात्र संस्था इसे केंद्र या राज्य सरकार के पास दर्ज कराएगी। केंद्र या राज्य सरकार के साथ आईआईडीआईएल के सीएसजीएल खाते से सरकारी प्रतिभूतियों को डेबिट किए जाने पर, आईआईडीआईएल प्रतिभागी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरआरएफ की स्वीकृति की पुष्टि करेगा।

13.6.1.2.2. आईआईडीआईएल द्वारा स्वीकृति पर, सरकारी प्रतिभूतियों को संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते से डेबिट कर दिया जाएगा।

13.6.1.2.3. यदि राज्य या केंद्र सरकार स्थानांतरण/ट्रांसमिशन अनुरोध को अस्वीकार/मना करती है, तो आईआईडीआईएल परिचालन निर्देशों में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रतिभागी को वापस कर देगा और इस तरह की अस्वीकृति के कारणों के साथ संबंधित प्रतिभागी को लिखित रूप में सूचित करेगा।

13.6.1.3. परिपक्वता की तारीख पर मोचन

13.6.1.3.1. आईआईडीआईएल निर्धारित समय के अंदर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मोचन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा और परिपक्वता आय को आरबीआई के साथ अपने चालू खाते में जमा करेगा और उस प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी मालिकों को राशि वितरित करने की व्यवस्था करेगा जैसा कि इस संबंध में जारी परिचालन निर्देशों में निर्धारित है।

13.7. खाता बंद करना

13.7.1. एक खाता बंद करने के इच्छुक लाभार्थी स्वामी को परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रतिभागी को एक आवेदन करना होगा।

13.7.2. लाभार्थी स्वामी अपना खाता बंद कर सकता है यदि उसके खाते में कोई शेष राशि नहीं है। यदि कोई शेष राशि मौजूद है, तो खाता निम्नलिखित तरीके से बंद किया जा सकता है:

13.7.2.1. अपने खाते में अपनी मौजूदा शेष राशि के अभौतिकीकरण द्वारा;

13.7.2.2. उसी प्रतिभागी के पास या किसी अन्य प्रतिभागी के पास रखे गए उसके अन्य खाते (खातों) में अपनी सुरक्षा शेष राशि को स्थानांतरित करके।

13.7.2.3. अपने मौजूदा शेष राशि के एक हिस्से का पुनः भौतिकीकरण करके और शेष को उसी प्रतिभागी या किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अपने दूसरे खाते में स्थानांतरित करके।

13.7.3. प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे खाते को बंद करने से पहले सभी लंबित लेनदेन के साथ-साथ निलंबित शेष राशि को समायोजित और व्यवस्थित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाभार्थी स्वामी के खाते में कोई शेष राशि नहीं है, उपनियम 13.7.2 के अधीन प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी के खाते को बंद करने के अनुरोध को निष्पादित करेगा।

13.7.4. किसी भी लाभार्थी स्वामी का कोई खाता बंद नहीं किया जाएगा यदि लाभार्थी स्वामी के खातों में कोई प्रतिभूतियां मौजूद हैं जो गिरवी रखी गई हैं, कोलेटरल या दृष्टिबंधक हैं या खाता निलम्बन में है या यदि ऐसे खाते को बंद करने से किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी आदेश या निषेधाज्ञा का उल्लंघन होगा।

13.8. शेष राशि का स्थानांतरण

13.8.1. कोई भी सहभागी किसी भी लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते में कोई डेबिट या क्रेडिट शुरू नहीं करेगा, सिवाय लाभार्थी स्वामी के निर्देशों के, या आईआईडीएल की मंजूरी या निर्देशों पर आईआईडीएल द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के।

13.8.2. मोड और प्राधिकरण का रूप संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

- 13.8.3. जहां एक प्रतिभागी के लाभार्थी स्वामी के खाते से दूसरे प्रतिभागी के लाभार्थी स्वामी के खाते में सुरक्षा का हस्तांतरण होता है, दोनों प्रतिभागियों को क्रमशः डिलीवरी और रसीद के लिए ऐसे निर्देशों को आईआईडीआईएल को सूचित करना चाहिए। आईआईडीआईएल तंत्र में निर्देशों का मिलान होने के बाद ऐसा स्थानांतरण आईआईडीआईएल द्वारा किया जाएगा।
- 13.8.4. एक प्रतिभागी के एक प्रतिभागी न रहने की स्थिति में, उस प्रतिभागी का लाभार्थी स्वामी, या तो प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है या उसके खाते में रखी गई प्रतिभूतियों के किसी अन्य प्रतिभागी के साथ खोले गए खाते में हस्तांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।
- 13.8.5. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए संयुक्त डीमैट खाते में प्राधिकरण का तरीका और रूप। प्रत्येक संयुक्त खाता धारक स्वयं या किसी अन्य संयुक्त डीमैट खाता धारक या अधिकृत प्रतिनिधि (शक्ति की सीमा के अंदर) द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के प्रति संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होगा।
- 13.9. प्रतिभूतियों का संचरण
- 13.9.1. प्रत्येक लाभार्थी स्वामी, चाहे वह प्रतिभागी के साथ खाता (लाभार्थी स्वामी खाता) खोलते समय हो या उसके बाद किसी भी समय लाभार्थी की मृत्यु पर अधिकतम 3 (तीन) व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करने का हकदार होगा ताकि ऐसे खाते में धारित प्रतिभूतियों के उत्तराधिकार प्राप्त कर सकें। जहां कोई लाभार्थी स्वामी खाता खोला जाता है या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होता है, तो ऐसे नामांकित व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। लाभार्थी स्वामी ऐसे नामांकन को रद्द कर सकता है या किसी भी समय नए नामांकन के साथ उसे प्रतिस्थापित कर सकता है।
- 13.9.2. जहां, किसी प्रतिभूति के संबंध में, जिसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति के धारक द्वारा उसके अभौतिकीकरण से पहले नामांकन किया गया था, लाभार्थी स्वामी का खाता खोलते समय किए गए किसी भी नामांकन को एक नया नामांकन निरस्त करने वाला माना जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में किए गए पिछले नामांकन का अधिक्रमण होगा।
- 13.9.3. जहां एक लाभार्थी स्वामी खाता एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो, उनमें से किसी की मृत्यु की स्थिति में, पूर्वोक्त किसी भी नामांकन के बावजूद, ऐसे खाते में जमा होने वाली प्रतिभूतियां मृत खाताधारक के कानूनी वारिसों के ट्रस्टी के रूप में जीवित खाताधारक में निहित होंगी।
- 13.9.4. जहां एक लाभार्थी स्वामी खाता एकमात्र व्यक्ति के नाम पर है, लाभार्थी स्वामी की मृत्यु की स्थिति में, ऐसे खाते में जमा होने वाली प्रतिभूतियां नामिती में निहित होंगी और जहां ऐसा कोई नामांकन नहीं किया जाता है, ऐसी प्रतिभूतियों के उत्तराधिकार निर्धारण कानून के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में प्रोबेट, वसीयत, प्रशासन के पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति के लिए आवश्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि जहां ऐसे खाते में धारित लाभार्थी स्वामी की मृत्यु की तारीख को प्रतिभूतियों का कुल बाजार मूल्य आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो, निदेशक मंडल, अपने विवेकाधिकार से, यहां तक कि मृतक की संपत्ति के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में भी, ऐसे खाते को वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, क्रेडिट के लिए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- 13.9.5. प्रतिभागी उस व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिभूतियों के संचरण के लिए परिचालन निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके खाता खोलने की मांग करने हकदार होंगे जिनके पक्ष में प्रतिभूतियों को हस्तांतरित किया जाना है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
- 13.9.6. वह व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके पक्ष में प्रतिभूतियां पूर्वोक्त रूप में हस्तांतरित की जाती हैं, वे भी प्रतिभागी के पास किसी भी सुरक्षा जमा राशि के लाभ के हकदार होंगे, जो कि इन उप-नियमों के अनुसार प्रतिभागी के लिए किसी भी कटौती या समायोजन के अधीन हो सकती हैं।
- 13.9.7. यदि लाभार्थी स्वामी को पागल या न्यायनिर्णित दिवालिया घोषित किया जाता है या अन्यथा अपने लाभार्थी स्वामी खाते को संचालित करने में असमर्थ पाया जाता है, तो आईआईडीआईएल, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, ऐसे खाते में पड़े सुरक्षा शेष को किसी अन्य खाते के रूप में स्थानांतरित करेगा जैसा कि आदेश दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा लाभार्थी स्वामी के परिसमापन की स्थिति में, प्रतिभूतियां उस खाते में हस्तांतरित की जाएंगी जैसा कि न्यायालय/न्यायाधिकरण के आदेश में उस आशय का निर्देश दिया गया है। हालांकि, यदि लाभार्थी स्वामी स्वैच्छिक समापन (अदालत/न्यायाधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं) करता है, तो प्रतिभूतियों को ऐसे खाते में स्थानांतरित किया जाएगा जैसा कि इस तरह के स्वैच्छिक समापन के लिए पारित प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया जाता है।

- 13.9.8. जहां लाभार्थी स्वामी खाता एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो उनमें से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में, नया खाता खोलने के विकल्प के अतिरिक्त, जीवित खाताधारकों को प्रतिभूतियों के संचरण के लिए परिचालन निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसी खाते को जारी रखने का विकल्प दिया जाएगा।

13.10. कॉर्पोरेट कार्रवाइयां

- 13.10.1. सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मामले में जारीकर्ता या उसका आरटीए आईआईडीआईएल कॉर्पोरेट कार्रवाईयों के बारे में सूचित करेगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मामले में कॉर्पोरेट कार्रवाई की तिथि से 7 (सात) स्पष्ट दिनों की पूर्व सूचना के साथ सूचित करेगा।
- 13.10.2. उक्त सूचना प्राप्त होने पर, लाभार्थी स्वामियों की होल्डिंग का विवरण आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता या उसके आरटीए को रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर तिथि के 5 (पांच) कार्य दिवसों के अंदर कॉर्पोरेट लाभ वितरण के उद्देश्य के लिए कट ऑफ तिथि (उस विशेष कॉर्पोरेट कार्रवाई से संबंधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाएगा।
- 13.10.3. जारीकर्ता या उसका आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर लाभांश, ब्याज और अन्य मौद्रिक लाभ और साथ ही अपात्र प्रतिभूतियों को सीधे लाभार्थी मालिकों को वितरित करेगा।
- 13.10.4. यदि लाभ प्रतिभूतियों के रूप में हैं, तो जारीकर्ता या उसका आरटीए संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करके आईआईडीआईएल के माध्यम से लाभार्थी मालिकों को ऐसे लाभ वितरित कर सकते हैं बशर्ते कि:
- 13.10.4.1. नव सृजित प्रतिभूति एक योग्य प्रतिभूति है और इसे आईआईडीआईएल में जमा कराई गई है;
- 13.10.4.2. संबंधित लाभार्थी स्वामी ने आईआईडीआईएल के माध्यम से नई सृजित प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में प्राप्त करने की सहमति दी है।
- 13.10.5. ऐसे मामले में, जारीकर्ता या उसका आरटीए आईआईडीआईएल को सभी लाभार्थी स्वामियों के आवंटन विवरण प्रदान करेगा।
- 13.10.6. आवंटन विवरण प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित लाभार्थी स्वामी के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टियां करवाएगा।
- 13.10.7. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में उपनियम 13.10.1 से 13.10.6 लागू नहीं होंगे। सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूल राशि या किसी भी राशि का भुगतान निर्धारित तारीख के तुरंत बाद सरकारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

13.11. गैर-निपटान अनुबंध/गैर-निपटान समझौते/अन्य भार (गिरवी और उपप्रायधीन के अलावा) को दर्ज करना

- 13.11.1. गिरवी या उपप्रायधीन के अलावा, यदि लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित में से कोई भी भार सृजित करना चाहता है:
- 13.11.1.1. शेयरों के लिए स्वतंत्र और विपणन योग्य नाम पर कोई प्रतिबंध, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निष्पादित हो;
- 13.11.1.2. ग्रहणाधिकार, ऋणात्मक ग्रहणाधिकार, गैर-निपटान उपक्रम
- 13.11.1.3. कोई अनुबंध, लेन-देन, शर्त या व्यवस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निष्पादित हो

उसके द्वारा अपने डीमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों पर, वह परिचालन निर्देशों में बताए गए तरीके से संबंधित प्रतिभागी के माध्यम से आईआईडीआईएल को एक आवेदन करेगा। उक्त ऋणभार जारी होने तक, उक्त प्रतिभूतियों के किसी भी हस्तांतरण, किसी भी प्रकृति के ऋणभार (गिरवी या उपप्रायधीन सहित), उधार, पुनःभौतिकीकरण, या किसी भी तरह से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की अनुमति उन प्रतिभूतियों के संबंध में नहीं दी जाएगी। उपरोक्त किसी भी ऋणभार को जारी करना परिचालन निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अध्याय 14: गिरवी और उपप्रायधीन

- 14.1. गिरवी रखने वाले और गिरवीदार के पास गिरवी के लिए आईआईडीआईएल में एक खाता होना चाहिए। हालाँकि, गिरवीकर्ता और गिरवीदार दो अलग-अलग प्रतिभागियों के माध्यम से खाता रख सकते हैं।
- 14.2. प्रतिभूतियों के किसी भी गिरवी या उपप्रायधीन के सृजन के प्रयोजन के लिए, आईआईडीआईएल या एक प्रतिभागी, किसी लाभार्थी स्वामी के आवेदन पर, लाभार्थी स्वामी को होल्डिंग का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें यह

प्रमाणित किया जाएगा कि लाभार्थी स्वामी अपने नाम से ऐसी संख्या में ऐसे जारीकर्ता की प्रतिभूतियों को रखने का हकदार है जिन्हें गिरवी या उपप्रायधीन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

- 14.3. आईआईडीआईएल के प्रतिभागी को गिरवी या उपप्रायधीन के सृजन के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, गिरवीदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक करके या गिरवी या उपप्रायधीन को दर्ज करेगा। गिरवी रखने वाले के खाते में रखी गई प्रतिभूतियों को फ्रीज करेगा और गिरवी रखने वाले और गिरवीदार को इसकी सूचना जारी करेगा।

बशर्ते कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की गिरवी इस संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति/निर्देशों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अधीन होगी।

- 14.4. आईआईडीआईएल या एक प्रतिभागी गिरवी रखने वाले या उपप्रायधीन रखने वाले को गिरवी या उपप्रायधीन के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों पर गिरवी या उपप्रायधीन सृजित करने की अनुमति देने से इनकार नहीं करेगा यदि उन प्रतिभूतियों के संबंध में संचालनों को किसी न्यायालय, न्यायधीकरण, केंद्र सरकार, आईएफएससीए, या आरबीआई के किसी आदेश या निर्देश के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है आरबीआई या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकार या स्वयं आईआईडीआईएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों के मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यदि आईआईडीआईएल या एक प्रतिभागी, जो भी मामला हो, इस प्रकार का गिरवी या उपप्रायधीन सृजित नहीं करते हैं, वे इच्छुक गिरवी रखने वाले या गिरवीधारी को इस प्रकार से मना करने के कारणों की सूचना देंगे।

- 14.5. गिरवीदार की पूर्व सहमति के बिना आईआईडीआईएल द्वारा गिरवी या बंधक की कोई प्रविष्टि रद्द नहीं की जाएगी। गिरवीदार से गिरवी या दृष्टिबंधक को रद्द करने की सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल उन प्रतिभूतियों को अनलॉक या अनफ्रीज करेगा जिनके लिए गिरवी या उपप्रायधीन रखा गया था। आईआईडीआईएल गिरवी या उपप्रायधीन को रद्द करने पर गिरवीदार को इस तरह के रद्द किए जाने के बारे में सूचित करेगा।

- 14.6. गिरवी/उपप्रायधीन दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन, गिरवीदार अपने प्रतिभागी के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, गिरवी या उपप्रायधीन का आह्वान कर सकता है और इस तरह के आह्वान पर, आईआईडीआईएल गिरवी को ऐसी प्रतिभूतियों के लाभार्थी स्वामी के रूप में पंजीकृत करेगा और तदनुसार अपने अभिलेखों में संशोधन करेगा। इसके बाद, आईआईडीआईएल तुरंत गिरवीदार और गिरवीदार के प्रतिभागियों को परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा और जो बदले में अपने रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करेगा और क्रमशः गिरवीदार और गिरवी रखने वाले को सूचित करेगा।

- 14.7. आईआईडीआईएल, एक लाभार्थी स्वामी के रूप में उपप्रायधीन को पंजीकृत करने से पहले, उपप्रायधीन रखने वाले की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा।

14.8. मार्जिन गिरवी और पुनः गिरवी

- 14.8.1. प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन के रूप में कोलेटरल प्रदान करने के उद्देश्य से, गिरवीदार एक अलग प्रकार की गिरवी अर्थात् मार्जिन गिरवी के तहत स्टॉक ब्रोकर के साथ प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगा।

- 14.8.2. गिरवीदार स्टॉक ब्रोकर/क्लियरिंग सदस्य, जिसके पक्ष में मार्जिन गिरवी रखा गया है, ऐसी गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को क्लियरिंग सदस्य या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पक्ष में फिर से गिरवी रखकर रख सकता है।

- 14.8.3. गिरवीदार की पूर्व सहमति के बिना आईआईडीआईएल द्वारा मार्जिन गिरवी की कोई प्रविष्टि रद्द नहीं की जाएगी। गिरवीदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की सहमति प्रदान करने से पहले पुनः गिरवी, यदि कोई हो, रद्द कर दिया गया है।

- 14.8.4. मार्जिन गिरवी रखने और फिर से गिरवी रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और समय-समय पर निर्दिष्ट परिचालन निर्देशों के अनुसार होगी।

- 14.8.5. गिरवी/उपप्रायधीन/मार्जिन गिरवी/मार्जिन पुनः गिरवी (सृजन, समापन और आह्वान और उसकी पुष्टि, जैसा लागू हो) के लिए संयुक्त डीमैट खाते में प्राधिकरण के तरीके और प्रपत्र को परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक संयुक्त डीमैट खाता धारक स्वयं या किसी अन्य संयुक्त डीमैट खाता धारक या अधिकृत प्रतिनिधि (शक्ति की सीमा के अंदर) द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के प्रति संयुक्त रूप से और गंभीरता से उत्तरदायी होगा।

अध्याय 15: प्रतिभूतियों को उधार देना

लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, आईएफएससी में प्रतिभूतियों को उधार देने या उधार लेने का इच्छुक कोई भी लाभकारी मालिक, आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से ऐसा कर सकता है।

अध्याय 16: मिलान, खाते और लेखा परीक्षा

16.1. मिलान

- 16.1.1. आईआईडीआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास हर समय ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो उसे प्रतिभागियों और जारीकर्ताओं या इसके आरटीए के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाती हैं और दैनिक आधार पर प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं या इसके आरटीए के साथ रिकॉर्ड के मिलान की सुविधा प्रदान करती हैं।
- 16.1.2. प्रत्येक प्रतिभागी दैनिक आधार पर आईआईडीआईएल के साथ अपने रिकॉर्ड का मिलान करेगा।
- 16.1.3. आईआईडीआईएल जारीकर्ता या उसके आरटीए को दिन के अंत में आईआईडीआईएल के साथ अभौतिक रूप में जारीकर्ता के सभी सुरक्षा शेषों के बारे में सूचित करेगा और उक्त शेष राशि का मिलान जारीकर्ता या उसके आरटीए द्वारा दैनिक आधार पर किया जाएगा।
- 16.1.4. जारीकर्ता या आरटीए इन उपनियमों के अनुसार दैनिक आधार पर अपने द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के साथ अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड का मिलान करेगा। बशर्ते कि जहां केंद्र या राज्य सरकार किसी प्रतिभूति का जारीकर्ता है, वहां आईआईडीआईएल दैनिक आधार पर अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड का मिलान करेगा।
- 16.1.5. जारीकर्ता और/या उसका आरटीए, इन उप-नियमों या परिचालन निर्देशों और आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी संचार के अनुसार, जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में मिलान करेगा, और सभी दावों और मांगों और सभी मुकदमों, कार्यों, मुकदमों, अभियोजन या अन्य कार्यवाही (लागत, शुल्क और खर्च सहित) से आईआईडीआईएल और उसके प्रतिभागियों को हानि रहित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो आईआईडीआईएल और/या इसके प्रतिभागी को जारीकर्ता/आरटीए द्वारा इन उप-नियमों के संदर्भ में और जारीकर्ता/आरटीए के साथ समझौते के संदर्भ में समय पर और नियमित मिलान करने में विफल रहने के कारण वहन करने पड़ सकते हैं।
- 16.1.6. यदि ऊपर बताए अनुसार मिलान विफल हो जाता है, तो आईआईडीआईएल आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें एक प्रतिभागी को निलंबित करना या किसी विशेष सुरक्षा में लेनदेन को तब तक स्थगित करना शामिल है जब तक कि समाधान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

16.2. लेखांकन, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्ट और रिटर्न

- 16.2.1. आईआईडीआईएल कम से कम 20 (बीस) वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिट्रीवल फॉर्म में निम्नलिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखेगा:
 - 16.2.1.1. अभौतिकीकृत और पुनः भौतिकीकृत प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड;
 - 16.2.1.2. हस्तांतरणकर्ता, अंतरिती के नाम और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की तिथियां;
 - 16.2.1.3. लाभार्थी स्वामियों का एक रजिस्टर और एक सूचकांक;
 - 16.2.1.4. प्रत्येक दिन के अंत में लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों की धारिता का विवरण;
 - 16.2.1.5. प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, जारीकर्ताओं के एजेंटों/आरटीए और लाभार्थी मालिकों से प्राप्त और भेजे गए निर्देशों का रिकॉर्ड;
 - 16.2.1.6. गिरवी या उपप्रायधीन के अनुमोदन, नोटिस, प्रविष्टि और रद्द करने का रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो;
 - 16.2.1.7. प्रतिभागियों का विवरण;
 - 16.2.1.8. डिपॉजिटरी में अभौतिकीकरण के लिए पात्र घोषित प्रतिभूतियों का विवरण; तथा
 - 16.2.1.9. ऐसे अन्य रिकॉर्ड जो आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- 16.2.2. आईआईडीआईएल आईएफएससीए को उस स्थान की सूचना देगा जहां ऐसे रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाते हैं।
- 16.2.3. आईआईडीआईएल आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऐसे रिटर्न, विवरण प्रस्तुत करेगा। आईआईडीआईएल आईएफएससीए को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण और रिटर्न हर साल सितंबर की 30 (तीस) तारीख तक प्रस्तुत करेगा।

- 16.2.4. प्रत्येक प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष आईआईडीआईएल को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और वह प्रतिभागी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 6 (छह) महीने के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

बशर्ते कि जब आईआईडीआईएल संतुष्ट हो कि परिस्थितियों में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार आवश्यक है, तो यह प्रतिभागी को ऐसा विस्तार प्रदान कर सकता है।

- 16.2.5. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल के संचालन के संबंध में खाते और रिकॉर्ड रखेगा, जो प्रतिभागी द्वारा किए गए किसी भी अन्य गतिविधियों के संबंध में रिकॉर्ड और खातों से अलग और स्वतंत्र होगा।
- 16.2.6. आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के अनुसार आईआईडीआईएल के संचालन के संबंध में आईआईडीआईएल के साथ-साथ प्रतिभागियों द्वारा उचित खातों का रखरखाव किया जाएगा।
- 16.2.7. आईआईडीआईएल के संचालन से संबंधित प्रतिभागियों के खाते और रिकॉर्ड आईआईडीआईएल के अधिकारियों या प्रतिनिधियों के निरीक्षण, जांच और लेखा परीक्षा के लिए खुले रहेंगे।
- 16.2.8. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को सामान्य कार्यालय समय के दौरान अपने परिसर में प्रवेश करने और आईआईडीआईएल के संचालन से संबंधित अपने रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- 16.2.9. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल के संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट प्रारूप में आईआईडीआईएल में अपने व्यवसाय और संचालन के संबंध में आईआईडीआईएल को आवधिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 16.2.10. प्रत्येक प्रतिभागी निम्नलिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखेगा:
- 16.2.10.1. आईआईडीआईएल के साथ और एक लाभार्थी स्वामी के साथ और लाभार्थी स्वामी की ओर से किए गए सभी लेन-देन का रिकॉर्ड
- 16.2.10.2. लाभार्थी स्वामी की ओर से अभौतिकीकृत और पुनःभौतिकीकृत प्रतिभूतियों का विवरण;
- 16.2.10.3. लाभार्थी स्वामियों से प्राप्त निर्देशों का रिकॉर्ड और लाभार्थी स्वामियों को प्रदान किए गए खाते के विवरण की प्रतियां, और,
- 16.2.10.4. अनुमोदन, नोटिस, प्रविष्टियां और गिरवी या उपप्रायधीन को रद्द करने का रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो।
- 16.2.11. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल को उस स्थान के बारे में सूचित करेगा जहां रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाते हैं।
- 16.2.12. लागू कानून के प्रावधानों के अधीन, प्रतिभागी 8 (आठ) वर्षों की ऐसी न्यूनतम अवधि के लिए रिकॉर्ड और दस्तावेजों को सुरक्षित रखेगा। बशर्ते, हालांकि, प्रतिभूतियों के इश्यू या हस्तांतरण से संबंधित सभी पुस्तकों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को कम से कम 20 (बीस) वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिट्रिवल फॉर्म में प्रतिभागी द्वारा बनाए रखा जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। बशर्ते यह भी कि प्रतिभागी दस्तावेजों के संबंधित मूल रूपों को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में संरक्षित और बनाए रखेगा, जिनकी प्रतियां केंद्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस या किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उनके द्वारा की गई किसी भी जांच के लिए ली गई हैं, जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता।
- 16.2.13. प्रत्येक प्रतिभागी आईआईडीआईएल को उसके द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न दायित्वों से संबंधित ऐसी जानकारी आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा ताकि आईआईडीआईएल अपने प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी कर सके और लागू कानून, इन उपनियमों और आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संचालन निर्देश प्रावधानों के अनुपालन के स्तर का पता लगा सके।
- 16.2.14. आईआईडीआईएल प्रतिभागियों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा और निगरानी कर सकता है और प्रतिभागियों को विसंगतियों, अनियमितताओं और गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, को ऐसी समय सीमा के अंदर ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझ सकता है।
- 16.2.15. यदि प्रतिभागी लागू कानून, इन उप-नियमों और संचालन निर्देशों आदि के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, और आईआईडीआईएल द्वारा जारी किए गए निर्देशों की उपेक्षा या अवहेलना करना जारी रखता है, तो मामले को ऐसे प्रयोजन के लिए, ऐसी कार्रवाई करने के लिए आईआईडीआईएल द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जा सकता है जो वह ठीक समझे। ऐसी समिति द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई आईएफएससीए द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

16.3. लेखापरीक्षा

- 16.3.1. आईआईडीआईएल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक वार्षिक आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक से ऑडिट किया गया निवल मूल्य प्रमाणपत्र आईएफएससीए को प्रस्तुत करेगा।

- 16.3.2. प्रत्येक प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि आईआईडीआईएल से संबंधित प्रतिभागी के संचालन के संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा समय-समय पर एक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति आईआईडीआईएल को प्रस्तुत की जाएगी।
- 16.3.3. इस तरह के ऑडिट के दायरे में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अस्तित्व, दायरे और दक्षता, लागू कानून के प्रावधानों, इन उप-कानूनों, संचालन निर्देशों, समझौतों का अनुपालन और सिस्टम सुरक्षा और आईआईडीआईएल के संचालन के संबंध में प्रतिभागी के कार्यालय में बीमा शामिल होंगे।
- 16.3.4. इसके अलावा, आईआईडीआईएल, यदि यह महसूस करता है कि ऐसा करना लाभार्थी स्वामियों के हित में है, तो निर्देश दे सकता है कि प्रतिभागी के रिकॉर्ड का ऑडिट ऐसे ऑडिटर द्वारा किया जाएगा जिसे आईआईडीआईएल द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जा सकता है, जहां तक रिकॉर्ड और आईआईडीआईएल के संचालन का संबंध है। आईआईडीआईएल इस तरह की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स या कंपनी सचिवों या एक अभ्यासकर्ता लागत लेखाकार को सूचीबद्ध कर सकता है।
- 16.3.5. प्रत्येक जारीकर्ता तिमाही आधार पर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट या एक अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव द्वारा ऑडिट किए गए कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी और अभौतिक रूप में आईआईडीआईएल द्वारा धारित पूंजी के मिलान के उद्देश्य से लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तिमाही के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन का विवरण और सभी स्टॉक एक्सचेंजों से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक अनुमोदन, जहां यह आगे जारी किए जाने के संबंध में सूचीबद्ध है, प्रस्तुत करेगा। बशर्ते कि यदि जारीकर्ता ने राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है, तो सिक्योरिटीज के आगे जारी करने के लिए ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना लागू कानून का पर्याप्त अनुपालन होगा।
- 16.3.5.1. इस तरह की लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाणित करेगी कि क्या तिमाही के दौरान सदस्यों के रजिस्टर को अपडेट किया गया है और इन उप-नियमों के अनुसार अभौतिकीकरण अनुरोधों की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में उन डीमैट अनुरोधों को भी निर्दिष्ट किया जाएगा जो अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों से अधिक समय तक पुष्टि के लिए लंबित रहे हैं और ऐसे विलंब के कारण भी प्रस्तुत करेगा।
- 16.3.5.2. जारीकर्ता इसके द्वारा जारी, सूचीबद्ध, और आईआईडीआईएल द्वारा अभौतिक रूप में रखी गई पूंजी में कोई अंतर तुरंत आईआईडीआईएल और स्टॉक एक्सचेंजों के ध्यान में लाएगा।
- 16.3.5.3. यहां ऊपर उल्लिखित ऑडिट रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही आधार पर (प्रत्येक तिमाही के अंत के 30 दिनों के अंदर) प्रस्तुत की जाएगी, और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उसकी एक प्रति आईआईडीआईएल को भेजी जाएगी।
- 16.4. निरीक्षण और जांच
- 16.4.1. आईएफएससीए द्वारा निरीक्षण
- 16.4.1.1. आईएफएससीए किसी भी समय आईआईडीआईएल, उसके सहयोगियों या उसके किसी शेयरधारक का निरीक्षण, पूछताछ और ऑडिट कर सकता है।
- 16.4.1.2. जहां आईएफएससीए द्वारा निरीक्षण किया जाता है, आईआईडीआईएल के प्रत्येक प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इसके शेयरधारक या सहयोगी आईएफएससीए के साथ सहयोग करेंगे।
- 16.4.1.3. आईएफएससीए निरीक्षण या जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे।
- 16.4.2. निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी
- 16.4.2.1. जहां आईआईडीआईएल आवश्यक समझे, वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है ताकि वे प्रतिभागियों के खातों, अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकें और/या नीचे उल्लिखित मामलों की जांच कर सकें, जहां तक वे नीचे निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए आईआईडीआईएल संचालन से संबंधित हैं:
- 16.4.2.1.1. क्या बही खातों और अन्य बहियों का अनुरक्षण अपेक्षित ढंग से किया जा रहा है;
- 16.4.2.1.2. लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं;
- 16.4.2.1.3. क्या इन उप-नियमों और इसके तहत जारी परिचालन निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है;

- 16.4.2.1.4. लाभार्थी स्वामियों, अन्य प्रतिभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच किसी ऐसे मामले पर करने के लिए जहां तक उनका संबंध प्रतिभागी की गतिविधियों से है।
- 16.4.2.1.5. सामान्य रूप से लाभार्थी स्वामियों के हित में प्रतिभागी के मामलों में, किसी भी कारण से, जांच करने के लिए जहां परिस्थितियां के अनुसार आवश्यक हो;
- 16.4.2.1.6. आईआईडीआईएल के साथ प्रतिभागी के रिकॉर्ड दो कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के लिए मेल न खाने की स्थिति में अभिलेखों के मिलान की सुविधा के लिए;
- 16.4.2.1.7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रतिभागी द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं;
- 16.4.2.1.8. सरकार सहित किसी भी अदालत या नियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश के अनुपालन में।
- 16.4.2.2. आईआईडीआईएल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ता और/या जांच प्राधिकरण जैसा कि यहां ऊपर निर्दिष्ट है, या तो इसके अपने अधिकारी या बाहरी पेशेवर हो सकते हैं।
- 16.4.2.3. जब आईआईडीआईएल बाहरी पेशेवरों को एक निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, तो यह प्रतिभागी को निरीक्षण/जांच के समय निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त पेशेवरों या फर्मों के नाम और पते के बारे में सूचित करेगा।
- 16.4.2.4. जब बाहरी पेशेवरों को एक प्रतिभागी के संबंध में निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और ऐसे पेशेवर पहले से ही प्रतिभागी या उसके सहयोगियों के साथ किसी अन्य क्षमता से संबंधित या जुड़े हुए हैं तो ऐसे प्रतिभागी तुरंत आईआईडीआईएल को इस तरह के संबंध के बारे में सूचित करेंगे।
- 16.4.2.5. जब किसी बाहरी पेशेवर की किसी प्रतिभागी के संबंध में निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद, प्रतिभागी या उसका कोई सहयोगी प्रतिभागी या उसके किसी सहयोगी के साथ ऐसी अन्य पेशेवर क्षमता में अपनी सेवाओं के लिए ऐसे पेशेवर की सेवाएं लेता है, तो पेशेवर आईआईडीआईएल की पूर्व सहमति के बिना इसमें शामिल नहीं होगा।।
- 16.4.3. *नोटिस*
- 16.4.3.1. इन उप-नियमों के तहत कोई भी निरीक्षण और/या जांच करने से पहले, आईआईडीआईएल उस उद्देश्य के लिए प्रतिभागी को उचित नोटिस देगा।
- 16.4.3.2. यहां ऊपर दी गई किसी बात के बावजूद, जहां आईआईडीआईएल की राय है कि किसी भी मामले की परिस्थितियों में, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में निर्देश दे सकता है कि अभिलेखों और मामलों का निरीक्षण और/या जांच ऐसे नोटिस के बिना की जाएगी;
- 16.4.4. *निरीक्षण/जांच पर एक प्रतिभागी का दायित्व*
- 16.4.4.1. प्रत्येक प्रतिभागी (इसके निदेशकों, भागीदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों सहित), जैसा भी मामला हो, जिसका रिकॉर्ड या मामलों का निरीक्षण किया जा रहा है और/या जांच की जा रही है, का यह कर्तव्य होगा कि वे निरीक्षण और/या जांच अधिकारी को अपने कब्जे या नियंत्रण में सभी बहीखाते, आईआईडीआईएल में प्रतिभागियों के व्यवसाय और संचालन से संबंधित प्रतिभूतियों, खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों को पेश करें या ऐसी पुस्तकों, प्रतिभूतियों, खातों, रिकॉर्ड और दस्तावेजों को पेश करने की व्यवस्था करें जब वे किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में होते हैं और इस तरह के बयान और जानकारी ऐसे समय के अंदर प्रस्तुत करें जो उक्त प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।
- 16.4.4.2. प्रतिभागी निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा और उसके कब्जे में किसी भी पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कम्प्यूटरकृत डेटा की जांच करने के लिए उचित सुविधाएं भी प्रदान करेगा और किसी अन्य व्यक्ति की और दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों की प्रतियां भी प्रदान करें जो निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी की राय में प्रासंगिक हैं।
- 16.4.4.3. निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी, निरीक्षण और/या जांच के दौरान प्रतिभागी के किसी निदेशक, प्रतिभागी, अधिकारी और कर्मचारी या ऐसे प्रतिभागी के किसी सहयोगी के बयानों की जांच या उन्हें दर्ज कर सकता है।
- 16.4.4.4. प्रत्येक ऐसे प्रतिभागी, उसके निदेशक, भागीदार, अधिकारी और कर्मचारी का उत्तरदायित्व है या जहां एक सहयोगी की जांच की जाती है, ऐसे सहयोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण और/या जांच अधिकारी को निरीक्षण

और/या जांच के संबंध में सभी सहायता प्रदान करे, जैसा कि प्रतिभागी से उचित रूप से देने की अपेक्षा की जा सकती है।

16.4.4.5. उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति की जांच करने या किसी भी रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, जो आईआईडीआईएल के संचालन से संबंधित नहीं है।

16.4.5. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

16.4.5.1. निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, आईआईडीआईएल को एक निरीक्षण और/या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

16.4.5.2. निरीक्षण और/या जांच करने वाला प्राधिकारी पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा और उसे प्रस्तुत किए गए या उसके द्वारा निरीक्षण किए गए दस्तावेजों में निहित किसी भी जानकारी को किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या प्राधिकरण को तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक कि उस समय लागू किसी कानून द्वारा आवश्यक न हो।

16.4.5.3. आईआईडीआईएल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, निरीक्षणकर्ता और/अथवा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों पर आईआईडीआईएल द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने से पहले प्रतिभागी को निष्कर्षों से अवगत कराएगा ताकि उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

16.4.5.4. प्रतिभागी से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल प्रतिभागी से ऐसे उपाय करने के लिए कह सकता है जो आईआईडीआईएल लाभार्थी स्वामियों के हित में उचित समझे।

16.4.5.5. यदि निरीक्षण और/या जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट एक प्रतिभागी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए किसी भी आधार के अस्तित्व को इंगित करती है, तो आईआईडीआईएल संतुष्ट होने पर निरीक्षण/जांच रिपोर्ट की एक प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को सौंप देगा ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।

भाग ग: सराफा/सराफा रसीदों में लेनदेन

इस भाग के प्रावधान बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटर, वाउल्ट और आईएफएससी में सराफा/सराफा अनुबंध/बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों से संबंधित किसी भी अन्य संस्था/व्यक्ति सहित सराफा बाजार पर लागू होंगे।

आईआईडीआईएल के किसी भी उप-नियमों, नियमों और व्यावसायिक नियमों/विनियमों के प्रावधानों और आईएफएससी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों और आईएफएससी और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के बीच मतभेद के मामले में आईएफएससी और/या केंद्र सरकार, आईएफएससी अधिनियम और उसके तहत आईएफएससी और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधान और आईएफएससी और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश प्रभावी होंगे।

अध्याय 17: बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों का निर्माण और संशोधित करने की शक्ति

17.1. आईआईडीएल के निदेशक मंडल के पास समय-समय पर आईआईडीएल के सराफा संचालन निर्देशों का निर्माण और संशोधित करने का अधिकार होगा।

17.2. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल के निदेशक मंडल के पास निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए अन्य उद्देश्यों के साथ उपनियम और/या सराफा परिचालन निर्देशों के निर्माण की शक्ति होगी:

17.2.1. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ;

17.2.2. आईआईडीआईएल के अंदर खाता खोलने और अन्य लेनदेन की प्रक्रिया;

17.2.3. सराफा डिपॉजिटरी सिस्टम में कामकाज, संचालन और प्रक्रियाओं का तरीका;

17.2.4. बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के ग्राहकों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड;

17.2.5. बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम में वाउल्ट मैनेजर के साथ व्यवहार करने और बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के निर्माण का तरीका;

17.2.6. मिलान के लिए प्रक्रिया;

17.2.7. ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया;

17.2.8. लाभकारी स्वामियों के स्वामित्व वाले बुलियन के संबंध में गिरवी या दृष्टिबंधक बनाने और लागू करने का तरीका;

17.2.9. त्रुटियों और चूकों के सुधार का तरीका;

- 17.2.10. वाउल्ट मैनेजर के साथ रिकॉर्ड के मिलान का तरीका;
- 17.2.11. आईआईडीआईएल और उसके ग्राहकों के बीच परस्पर अधिकार और दायित्व;
- 17.2.12. फीस और शुल्क;
- 17.2.13. सुलह और मध्यस्थता सहित शिकायत निवारण की प्रक्रिया;
- 17.2.14. लेखा परीक्षा, समीक्षा और निगरानी के लिए प्रक्रिया सहित आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड;
- 17.2.15. रिकॉर्ड का रखरखाव;
- 17.2.16. सिस्टम ऑडिट सहित निरीक्षण और ऑडिट;
- 17.2.17. एक वाउल्ट प्रबंधक के साथ एक समझौता करना जिसके पास सराफा के सुरक्षित भंडारण और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, और मापदण्ड मौजूद हैं;
- 17.2.18. आईआईडीआईएल, वाउल्ट मैनेजर और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच डेटा के इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन और मिलान तंत्र के मानकों की स्थापना;
- 17.2.19. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर और एक सूची का रखरखाव;
- 17.2.20. परिसर, सुविधाओं, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा भंडारण साइटों और सुविधाओं सहित बैंक अप साइटों और सुविधाओं और आईआईडीआईएल, तिजोरी प्रबंधक और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचार नेटवर्क और नियंत्रण, निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक समान;
- 17.2.21. आईआईडीआईएल या उसके किसी कर्मचारी के गलत कार्य, लापरवाही या चूक के कारण ऐसे लाभार्थी स्वामियों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाभार्थी स्वामियों की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा सहित व्यवस्था;
- 17.2.22. विभिन्न निर्देश प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र;
- 17.2.23. किए जाने वाले अनुबंधों के प्रपत्र और शर्तें, और अनुबंधों के निष्पादन का समय, तरीका और विधि;
- 17.2.24. आईआईडीआईएल पर कारोबार करने का समय, स्थान और तरीका;
- 17.2.25. आईआईडीआईएल, इसके ग्राहकों से जुड़े विवादों, शिकायतों, दावों का निपटान सराफा संचालन निर्देशों और/या उप-नियमों के अधीन है, जिसमें बुलियन संचालन निर्देशों और/या समय-समय पर लागू होने वाले उप-नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटान शामिल है;
- 17.2.26. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों (आईओएससीओ) द्वारा निर्धारित शासन के व्यापक सिद्धांतों और वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) के सिद्धांतों और ऐसे अन्य शासन मानदंडों को आगे बढ़ाने में अपनाया/कार्य करना, जो आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;
- 17.2.27. वाउल्ट सेवा प्रदाताओं, जांच एजेंसियों, रसद सेवा प्रदाता की नियुक्ति और कामकाज के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;
- 17.2.28. आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता और आचार संहिता का पालन करने के लिए आईआईडीआईएल के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के निर्देश/मार्गदर्शन/पैरामीटर;
- 17.2.29. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा बुलियन एक्सचेंज विनियमों या आचार संहिता और नैतिक नियमों का पालन करने में विफलता या हितों के टकराव के मामले में, और आईएफएससीए द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए लिए आईएफएससीए को संदर्भ प्रदान करना/सूचित करना, जहां आईएफएससीए कोई भी कार्रवाई कर सकता है जिसमें किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी को हटाना शामिल है।
- 17.2.30. आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपने नियामक विभागों को अन्य विभागों से अलग करना;
- 17.2.31. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के लिए विवरण निर्धारित करना;
- 17.2.32. एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति जो बुलियन एक्सचेंज विनियमों, या आईएफएससीए द्वारा जारी परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए और ग्राहक की शिकायतों के निवारण के लिए और गैर-अनुपालन की आईएफएससीए के अनुपालन अधिकारी द्वारा तत्काल और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के तरीके के लिए जिम्मेदार होगा; आईएफएससीए के अनुपालन अधिकारी द्वारा

- 17.2.33. अपने सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और भौतिक शेयरधारकों के लिए हर समय फिट और उचित व्यक्ति होने के लिए मानदंड निर्धारित करना और आईएफएससीए/बुलियन एक्सचेंज विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों का पालन करना;
- 17.2.34. डिलिवरी के समय बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के खरीदार के नाम पर हस्तांतरण का रूप और तरीका;
- 17.2.35. डिजाइन तंत्र जिसमें संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है जिसमें वाउल्ट सेवा प्रदाता, जांचकर्ता और निरंतर निगरानी शामिल है;
- 17.2.36. आईएफएससीए को समय-समय पर अपेक्षित विवरण और सूचना तथा ऐसे विवरण प्रस्तुत करना;
- 17.2.37. आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट विनियामक शुल्क का भुगतान;
- 17.2.38. आईआईडीआईएल के कामकाज के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति;
- 17.2.39. कोई अन्य मामला जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है लेकिन बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है या तो स्वयं या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है; तथा
- 17.2.40. कोई अन्य मामला जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया गया हो या आईएफएससीए द्वारा बुलियन एक्सचेंज विनियमों की किसी भी आवश्यकता को आगे बढ़ाने/अपनाने के लिए निर्देशित किया गया हो।
- 17.3. ऊपर उल्लिखित शक्तियों के अतिरिक्त, निदेशक मंडल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में बुलियन परिचालन निर्देश तैयार कर सकता है:
- 17.3.1. समय-समय पर ग्राहकों द्वारा आईआईडीआईएल को देय शुल्क, सिस्टम उपयोग शुल्क, जमा, मार्जिन और अन्य धन के रूप में निर्धारण;
- 17.3.2. ग्राहकों के अनुमोदन के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं;
- 17.3.3. मानदंड, नियम और शर्तें जिनका ग्राहकों द्वारा कार्य करते समय पालन और अनुपालन करना आवश्यक होगा;
- 17.3.4. आईआईडीआईएल द्वारा स्थापित निधि (फंडों) का प्रशासन, रखरखाव और निवेश, जिसमें आकस्मिकता निधि और ग्राहक संरक्षण कोष शामिल हैं;
- 17.3.5. बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम पर सूचना, घोषणाओं का प्रसार;
- 17.3.6. क्लाइंट प्रोटेक्शन रिजर्व सहित आईआईडीआईएल द्वारा बनाए गए भंडार का प्रशासन और संचालन;
- 17.3.7. कोई अन्य मामला जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जा सकता है।
- 17.4. आचार संहिता और नैतिक नियम;
- 17.4.1. आईआईडीआईएल के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो इस संबंध में आईएफएससीए/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, आईएफएससीए/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार संहिता और आचार संहिता का पालन करेंगे।
- 17.5. फिट और उचित व्यक्ति
- 17.5.1. आईआईडीआईएल के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो इस संबंध में आईएफएससीए/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, को आईएफएससीए/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति की शर्तों को पूरा करना चाहिए।

अध्याय 18: आईआईडीआईएल के कार्य

- 18.1. आईआईडीआईएल निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
- 18.1.1. दस्तावेजी और/या भौतिक सत्यापन के माध्यम से जमाकर्ता की पहचान और पता, जिसके पक्ष में एक तिजोरी प्रबंधक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करना चाहता है;
- 18.1.2. आईआईडीआईएल पर ग्राहकों के खाते खोलने, प्रबंधन और बंद करने की सुविधा;
- 18.1.3. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को जारी करना, संशोधन, स्थानांतरण, शमन, गिरवी और सीमित उद्देश्य की ई-नीलामी को सुगम बनाना; तथा

- 18.1.4. इस तरह के अन्य आकस्मिक और सहायक कार्य जो इन उप-नियमों और/या लागू कानूनों के तहत और/या आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- 18.2. आईआईडीआईएल के अधिकार और दायित्व
- 18.2.1. आईआईडीआईएल क्लाइंट के साथ कोई भी व्यवसाय करते समय पूरी लगन से कार्य करेगा।
- 18.2.2. आईआईडीआईएल लागू कानून के तहत आवश्यक खातों की ऐसी पुस्तकों को तैयार करेगा और बनाए रखेगा।
- 18.2.3. आईआईडीआईएल समय-समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली ऐसी निष्पादन गारंटी या किसी भी संशोधन को हर समय उपलब्ध कराएगा और बनाए रखेगा।
- 18.2.4. आईआईडीआईएल वित्तीय प्रबंधन, बीमा, लेखा और रिकॉर्ड-कीपिंग के संबंध में किसी भी विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा जैसा कि आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- 18.2.5. आईआईडीआईएल बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम में वाउल्ट मैनेजर्स के साथ व्यवहार के लिए लागू कानून के तहत निर्धारित मानदंडों, प्रक्रियाओं और विधियों का सख्ती से पालन करेगा।
- 18.2.6. आईआईडीआईएल समय-समय पर प्राधिकरण/आईएफएससीए द्वारा निर्धारित ग्राहकों को शामिल करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।
- 18.2.7. आईआईडीआईएल समय-समय पर प्राधिकरण/आईएफएससीए द्वारा निर्धारित गिरवी को बनाने, जारी करने और लागू करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।
- 18.2.8. आईआईडीआईएल सीमित उद्देश्य वाली ई-नीलामी उस तरीके से शुरू करेगा जैसा कि प्राधिकरण/आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- 18.2.9. आईआईडीआईएल समय-समय पर प्राधिकरण/आईएफएससीए द्वारा निर्धारित तरीके से त्रुटियों और चूकों का सुधार करेगा।
- 18.2.10. लागू कानून के अधीन, आईआईडीआईएल निम्नलिखित रिकॉर्ड बनाए रख सकता है:
- 18.2.10.1. प्रतिमाह ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति, स्थिति और निवारण का तरीका;
- 18.2.10.2. प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस के अंत में ट्रेडों के ऑफ-मार्केट निपटान के लिए किए गए स्थानान्तरण की संख्या।
- 18.2.11. आईआईडीआईएल द्वारा अनुरक्षित कोई भी सलाह, कथन या रिपोर्ट, प्रकट त्रुटि के अभाव में, इसकी विषय-वस्तु के संबंध में निर्णायक होगी।
- 18.2.12. आईआईडीआईएल दैनिक आधार पर या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समयावधि के अंदर अपने रिकॉर्ड का मिलान करेगा।
- 18.2.13. आईआईडीआईएल, कोई खाता खोलने से पहले या किसी ग्राहक के निर्देश पर कार्य करते समय:
- 18.2.13.1. ऐसी पूछताछ करेगा जो आवश्यक हो और अन्य बातों के साथ-साथ उचित सावधानी बरतते हुए संभावित ग्राहक की वास्तविकता का पता लगाने में उचित सावधानी और ध्यान रखेगा;
- 18.2.13.2. खाता खोलने के लिए ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेगा;
- 18.2.13.3. बुलियन के संयुक्त मालिकों के मामले में, ऐसे सभी संयुक्त मालिकों से लिखित में अधिकार प्राप्त करेगा;
- 18.2.13.4. प्रासंगिक प्राधिकारी या आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित/निर्देशित कोई अन्य आवश्यकता/आवश्यकताएँ।
- 18.2.14. उप-नियमों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, आईआईडीआईएल किसी भी लेनदेन को प्रभावित करने या कोई अन्य कार्यवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि यह किसी भी सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी भी लागू कानून, डिक्री, अदालत के आदेश, विनियमन या आदेश का उल्लंघन करता है या यदि आईआईडीआईएल निर्धारित करता है कि यह आईआईडीआईएल या ग्राहकों के हित में नहीं होगा।
- 18.2.15. उप-नियमों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, आईआईडीआईएल को किसी न्यायालय या केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम सांविधिक प्राधिकारी के आदेश या निर्णय को प्रभावी करने के लिए लेनदेन शुरू करने या कोई अन्य कार्यवाई करने का अधिकार होगा।

- 18.2.16. आईआईडीआईएल ग्राहक के खातों में किसी भी गलत लेनदेन को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 18.2.17. किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आईआईडीआईएल के पास यदि आईआईडीआईएल द्वारा इन उपनियमों के अनुसार किसी ग्राहक के खातों में किसी भी गलत क्रेडिट प्रविष्टियों के सुधार के परिणामस्वरूप, एक ऋणात्मक शेष उत्पन्न होता है, तो आईआईडीआईएल इस संबंध में संबंधित पात्र बुलियन को प्रतिस्थापित कर सकता है।
- 18.3. आईआईडीआईएल और ग्राहक के अधिकार और दायित्व
- 18.3.1. आईआईडीआईएल अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों में निर्धारित रूप और तरीके से ग्राहक से उसकी पावती प्राप्त करेगा।
- 18.3.2. इसके बाद आईआईडीआईएल अपने ग्राहकों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखने के लिए अपने प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग खाता खोलेगा।
- 18.3.3. आईआईडीआईएल ग्राहकों को लेन-देन विवरण और होल्डिंग स्टेटमेंट सहित खातों का विवरण ऐसे रूप और तरीके से प्रदान करेगा जैसा कि उप-नियमों और/या सराफा संचालन निर्देशों के तहत निर्दिष्ट किया जाता है।
- 18.3.4. आईआईडीआईएल ग्राहक के निर्देशों पर उपनियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों के तहत निर्धारित तरीके से कार्य करेगा।
- 18.3.5. आईआईडीआईएल अपने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एक ग्राहक की बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों की होल्डिंग अन्य ग्राहकों की बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों की होल्डिंग्स के साथ मिश्रित नहीं है।
- 18.3.6. होल्डिंग के हस्तांतरण से संबंधित ग्राहक से प्राप्त कई निर्देशों की स्थिति में, जो आईआईडीआईएल के साथ बनाए गए ग्राहक के खाते में शेष राशि से अधिक है, आईआईडीआईएल द्वारा निर्देशों के निष्पादन का क्रम निम्नानुसार होगा:
- 18.3.6.1. क्लाइंट द्वारा निर्देशों के निष्पादन के क्रम को निर्दिष्ट करने की स्थिति में, उसी क्रम में जैसा कि क्लाइंट द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिस सीमा तक इसे आईआईडीआईएल के साथ उस क्लाइंट के खाते में उपलब्ध शेष राशि के साथ निष्पादित किया जा सकता है;
- 18.3.6.2. कालानुक्रमिक क्रम में ग्राहक से विशिष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में, जिसमें ग्राहक से ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं, जिस हद तक इसे उस ग्राहक के आईआईडीआईएल के खाते में उपलब्ध शेष राशि के साथ निष्पादित किया जा सकता है।
- 18.4. ग्राहकों के अधिकार और दायित्व
- 18.4.1. एक ग्राहक आईआईडीआईएल के साथ एक या अधिक डीमैट खाते खोल सकता है और आईआईडीआईएल के साथ एक या अधिक डीमैट खाते बंद कर सकता है या आईआईडीआईएल के एक खाते में अपने इलेक्ट्रॉनिक शेष को आईआईडीआईएल के दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकता है।
- 18.4.2. ग्राहक आईआईडीआईएल को इस तरह के शुल्क, प्रभार और जमा राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल खाता खोलने और बनाए रखने के उद्देश्य से, निर्देशों को पूरा करने के लिए और ऐसी अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है जो ग्राहक की होल्डिंग के लिए प्रासंगिक या परिणामी हैं जो आईआईडीआईएल के साथ उक्त खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और लेनदेन के लिए आवश्यक है। आईआईडीआईएल समय-समय पर उक्त शुल्क, प्रभार या जमा को संशोधित या रिवाइज करने का हकदार होगा।
- 18.4.3. प्रत्येक ग्राहक मुख्य रूप से निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:
- 18.4.3.1. डीमैट खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों और विवरणों की सत्यता;
- 18.4.3.2. आईआईडीआईएल के साथ डीमैट खाता खोलते समय आईआईडीआईएल को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता और मौलिकता;
- 18.4.3.3. बुलियन के स्वामित्व के संबंध में अभ्यावेदन तिजोरी प्रबंधक के पास जमा करना और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के लिए आईआईडीआईएल को प्रस्तुत करना;
- 18.4.3.4. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी लेनदेन को प्रभावी करने के लिए आईआईडीआईएल को जारी किए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर्याप्त है;

- 18.4.3.5. डीमैट खाते में परिवर्तन जैसे पता, बैंक विवरण, स्थिति, प्राधिकरण, अधिदेश, नामांकन, हस्ताक्षर, आदि के बारे में आईआईडीआईएल को जल्द से जल्द सूचित करना;
- 18.4.3.6. सटीक पहचान विवरण प्रस्तुत करना;
- 18.4.3.7. ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज़ और समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन।
- 18.4.4. प्रत्येक ग्राहक आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित आवश्यकता और मोड पर आईआईडीआईएल से अपने खाते के विवरण का हकदार होगा।
- 18.4.5. प्रत्येक ग्राहक आईआईडीआईएल से प्राप्त अपने खाते के प्रत्येक विवरण की सटीकता और सत्यता के लिए जांच करेगा और इस तरह के विवरण की प्राप्ति के एक पखवाड़े के अंदर आईआईडीआईएल को किसी भी गलती, अशुद्धि या विसंगतियों को इंगित करने के लिए बाध्य होगा।
- 18.4.6. आईआईडीआईएल के ग्रहणाधिकार के अधिकार के अधीन और न्यायालय, न्यायाधिकरण, आईएफएससीए, केंद्र या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्देश या निर्देशों के अधीन, प्रत्येक ग्राहक उसके द्वारा आईआईडीआईएल को, जिसके साथ ऐसे ग्राहक का खाता अत्यंत सावधानी के साथ चलाया जाना है वैध निर्देश जारी करने का हकदार होगा और ऐसे निर्देश उसी दिन निष्पादित किए जाएंगे जिस दिन ये निर्देश जारी किए जाते हैं और कार्य दिवस के कार्य घंटों के बंद होने से पहले विफल रहने के मामले में अगले दिन निष्पादित किए जाएंगे।
- बशर्ते कि, उपरोक्त के अधीन, ग्राहक निर्देशों के अनुसार अपने खाते को क्रेडिट या डेबिट करने के लिए आईआईडीआईएल को स्थायी निर्देश जारी कर सकता है।
- 18.5. ग्राहक द्वारा खाता बंद करना
- 18.5.1. ग्राहक, बिना कोई कारण बताए आईआईडीआईएल के पास रखे डीमैट खाते को बंद करने के लिए आईआईडीआईएल को कॉल करके बंद कर सकता है, बशर्ते कि खाते में कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस न हो और कोई निर्देश लंबित या निष्पादित न हो और ग्राहक द्वारा आईआईडीआईएल को कोई शुल्क या प्रभार देय न हो।
- 18.5.2. ऐसी स्थिति में, ग्राहक उस संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में आईआईडीआईएल को एक आवेदन करेगा। ग्राहक खाता बंद करने के फॉर्म को निष्पादित करके अपना डीमैट खाता बंद कर सकता है। यदि खाते में कोई इलेक्ट्रॉनिक शेष मौजूद है जिसे बंद करने की मांग की गई है, तो खाते में इलेक्ट्रॉनिक शेष को समाप्त करके डीमैट खाता बंद किया जा सकता है।
- 18.5.3. ग्राहक का डीमैट खाता बंद नहीं किया जाएगा यदि ग्राहक के डीमैट खाते में कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद है जो गिरवी रखा गया है या बंधक है या खाते का मिलान नहीं किया गया है या यदि ऐसे डीमैट खाते को बंद करने से किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण की डिक्री या आदेश या निषेधाज्ञा का उल्लंघन या उपेक्षा होगी।
- 18.6. आईआईडीआईएल द्वारा डीमैट खाता बंद करना
- 18.6.1. ग्राहक निम्नलिखित स्थितियों में आईआईडीआईएल ग्राहक के डीमैट खाते को तत्काल बंद करने का हकदार होगा:
- 18.6.1.1. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के लिए प्रस्तुत करना जो जाली, नकली या चोरी हो गया है या जालसाजी द्वारा प्राप्त किया गया है या किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण को दी गई किसी भी वाचा या उपक्रम के तहत के किसी भी निर्देश, आदेश या डिक्री द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध है;
- 18.6.1.2. आईआईडीआईएल के साथ अपने व्यवहार में किसी धोखाधड़ी या नैतिक अधमता के अन्य कृत्य करना या उसमें भाग लेना;
- 18.6.1.3. अन्यथा किसी भी तरीके से कदाचार के मामले में जो प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा जारी निर्देशों के नियामक अनुपालन के लिए हानिकारक हो;
- 18.6.1.4. आईआईडीआईएल किसी भी कारण से ग्राहक के डीमैट खाते को बंद कर सकता है, बशर्ते आईआईडीआईएल ने इस संबंध में ग्राहक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि की पूर्व सूचना दी हो;
- 18.6.2. आईआईडीआईएल द्वारा डीमैट खाते को बंद करने की स्थिति में, इन उप-नियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों और/या लागू कानून के तहत निर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शेष राशि समाप्त हो जाएगी।

- 18.6.3. जहां किसी ग्राहक का डीमैट खाता किसी भी कारण से बंद कर दिया गया है जो आईआईडीआईएल के कारण नहीं किया गया है और ग्राहक अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को समाप्त करना चाहता है, तो ऐसे खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को समाप्त करने में आने वाली लागत, शुल्क और खर्च ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा। .
- 18.6.4. ग्राहक या आईआईडीआईएल द्वारा डीमैट खाते को बंद करने के बावजूद, समझौते के प्रावधान या ग्राहक के अधिकार और दायित्व दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, और उससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व समझौते या ग्राहक के अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज के संचालन के दौरान किए गए सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और किए गए लेनदेन के संबंध में ग्राहक या आईआईडीआईएल पर बाध्यकारी बने रहेंगे। बशर्ते कि ग्राहक के समझौते/अधिकारों और दायित्वों के दस्तावेज के प्रावधान पार्टियों पर बाध्यकारी नहीं होंगे यदि इससे उत्पन्न होने वाले अधिकार या दायित्व इस तरह के समापन के विपरीत और/या असंगत हैं।

अध्याय 19: लेनदेन

19.1. बुलियन एक्सचेंज से संबंधित निपटान

- 19.1.1. बुलियन एक्सचेंज से संबंधित निपटान के संबंध में, आईआईडीआईएल उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक के खाते को डेबिट और/या क्रेडिट करेगा।

19.2. एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक को स्थानांतरण

- 19.2.1. एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक को लेनदेन के संबंध में, आईआईडीआईएल ऐसे क्रेडिट या डेबिट के हकदार ग्राहक के खाते को डिलीवरिंग क्लाइंट से निर्देश प्राप्त करने और प्राप्त करने वाले क्लाइंट से पुष्टि के बाद डेबिट और/या क्रेडिट करेगा, जैसा भी मामला हो, .

19.3. सीमित उद्देश्य के लिए ई-नीलामी

- 19.3.1. आईआईडीआईएल अपने उपनियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में सीमित प्रयोजन ई-नीलामी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आईआईडीआईएल के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन मानदंडों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा। इस तरह के मानदंड और प्रक्रियाएं ऐसे संशोधनों के अधीन होंगी जिनकी आईआईडीआईएल को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय 20: ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय

20.1. आकस्मिकता निधि

- 20.1.1. आईआईडीआईएल समय-समय पर इन उप कानूनों के तहत ग्राहकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न आकस्मिक निधि/भंडार स्थापित कर सकता है ("आकस्मिकता फंड") जैसा कि लागू कानून के तहत आवश्यक हो सकता है। इन निधियों/भंडारों में योगदान प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगा या समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें आईआईडीआईएल द्वारा ग्राहक से प्राप्त धन का प्रतिशत जमा करना शामिल हो सकता है।
- 20.1.2. आईआईडीआईएल उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों में या अलग-अलग विनियमों के माध्यम से या अन्यथा इन निधियों/रिजर्व की स्थापना, संचालन और प्रशासन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है, और उस उद्देश्य को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके लिए इन निधियों/रिजर्व का उपयोग समय-समय पर किया जा सकता है।
- 20.1.3. आईआईडीआईएल दावे करने के हकदार व्यक्तियों, दावे करने की प्रक्रिया और ऐसे दावों की परस्पर प्राथमिकता को भी निर्दिष्ट कर सकता है।
- 20.1.4. आकस्मिकता निधि का संचालन और प्रशासन ग्राहकों के लाभ के लिए आईआईडीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा न्यास के विलेख के अनुसार किया जाएगा।
- 20.1.5. इस प्रकार स्थापित निधियों को ग्राहकों के लाभ के लिए आईआईडीआईएल द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा।

20.2. डेटा की सुरक्षा

- 20.2.1. आईआईडीआईएल बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के तहत डेटा के प्रसारण और भंडारण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। डेटा को अनधिकृत पहुंच, हेरफेर और क्षति से संरक्षित किया जाएगा। डेटा का प्रसारण एन्क्रिप्टेड रूप में होगा और इसे क्लाइंट के सिरे पर डिक्रिप्ट करना होगा ताकि डेटा के अनधिकृत अवरोधन की संभावना को समाप्त किया जा सके। आईआईडीआईएल द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के तहत संग्रहीत डेटा का बैकअप

आईआईडीएल द्वारा रखा जाएगा। आईआईडीआईएल समय-समय पर उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट आईआईडीआईएल संचालन के डेटा तक अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।

20.2.2. आईआईडीआईएल के पास किसी भी आपदा को रोकने, तैयार करने और उससे उबरने के लिए डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए पर्याप्त व्यवसाय निरंतरता योजना होगी।

20.3. ग्राहकों के खातों की सुरक्षा

20.3.1. ग्राहकों के पास इन उप-नियमों के अनुसार आईआईडीआईएल के साथ अपने डीमैट खातों को फ्रीज करने का विकल्प है ताकि उन्हें सीमित अवधि के लिए निष्क्रिय किया जा सके। एक बार जब ग्राहक खाते को फ्रीज करने का विकल्प चुनता है, तो आईआईडीआईएल किसी भी डेबिट या क्रेडिट प्रविष्टि या ऐसे किसी अन्य लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि ग्राहक द्वारा खाते को फ्रीज करने का निर्देश वापस नहीं ले लिया गया हो।

20.4. ग्राहक सुरक्षा कोष

20.4.1. आईआईडीआईएल ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक क्लाइंट प्रोटेक्शन फंड की स्थापना और रखरखाव भी कर सकता है, जैसा कि लागू कानून के तहत आवश्यक हो सकता है।

20.4.2. इस प्रकार स्थापित ग्राहक सुरक्षा कोष का उपयोग इन उप-नियमों के तहत अपेक्षित ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

20.4.3. ग्राहक सुरक्षा कोष में योगदान और उपयोग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा।

अध्याय 21: तिजोरी में बुलियन जमा करना और निकालना

21.1. आईआईडीआईएल तिजोरी में सराफा को जमा करने और निकालने के लिए लागू कानूनों के संबंध में परिचालन निर्देशों का पालन करेगा जिसमें बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वाउल्ट मैनेजर और बुलियन डिपोजिटरी पर आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी संचालन दिशानिर्देश शामिल हैं, और एक वाउल्ट मैनेजर के माध्यम से सराफा के भण्डारण और सुरक्षा तथा बुलियन एक्सचेंज में कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में सराफा भण्डारण रसीद को जारी करने के कार्यों को करेगा। आईआईडीआईएल बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित वाउल्ट मैनेजर द्वारा संचालित तिजोरी में अंतर्निहित बुलियन पर बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करेगा।

21.2. तिजोरी का पैल

21.2.1. आईआईडीआईएल तिजोरी प्रबंधक के साथ एक समझौता करेगा जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचा, सराफा के सुरक्षित भंडारण और इसकी सुरक्षा के लिए मानक शामिल हैं। उक्त समझौता अनुबंध 'छ' में दिए गए रूप में होगा।

21.2.2. वाउल्ट मैनेजर के पास आईआईडीआईएल को सूचना के एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन और वाउल्ट मैनेजर और आईआईडीआईएल के बीच डेटा का सिस्टम-आधारित सामंजस्य प्रदान करने के लिए सिस्टम, मैकेनिज्म और संबंधित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

21.2.3. आईआईडीआईएल तिजोरी को सूचीबद्ध करने से पहले पात्रता आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य भौतिक निरीक्षण करेगा।

21.2.4. तिजोरी प्रबंधक बुलियन विनियम विनियमों और/या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट "उपयुक्त और उचित मानदंड" का पालन करेगा।

21.2.5. वाउल्ट मैनेजर स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और रिकॉर्ड कीपिंग के संबंध में समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा विकसित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

21.2.5.1. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार प्रणालियों का विवरण, उनकी क्षमता, कार्य और स्थान;

21.2.5.2. डेटा भंडारण और बैक अप प्रक्रियाओं और साइटों, उनकी क्षमता, कार्य और स्थान का विवरण;

21.2.5.3. आपदा वसूली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण।

21.3. आईएफएससीए/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के अंदर प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए तिजोरी।

- 21.4. आईआईडीआईएल, आईआईडीआईएल के साथ वाउल्ट मैनेजर द्वारा साझा किए गए विवरण के आधार पर वाउल्ट मैनेजर के पास जमा किए गए सराफा के लिए सराफा डिपॉजिटरी रसीद जारी करेगा और आईआईडीआईएल द्वारा अपने उपनियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में समय-समय पर निर्धारित तरीके से बुलियन की निकासी की अनुमति देगा।
- 21.5. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम में जारी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद द्वारा दर्शाए गए बुलियन के जमा और निकासी के लिए प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- 21.6. तिजोरी प्रबंधक जमाकर्ता द्वारा बुलियन के जमा और निकासी के संबंध में समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित तरीके से जानकारी साझा करेगा।
- 21.7. जमाकर्ता आईआईडीआईएल के पैनल में शामिल तिजोरी के साथ बुलियन जमा करने के लिए अनुरोध करेगा।
- 21.8. जमाकर्ता द्वारा बुलियन जमा करते समय, तिजोरी प्रबंधक, या इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।
- 21.9. बुलियन को जमा करते समय, तिजोरी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक बुलियन तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करता है जैसा कि बुलियन एक्सचेंज और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित एक जांच द्वारा भौतिक बुलियन की जांच करवाएगा। इसके अलावा, यदि तिजोरी प्रबंधक की राय है कि भौतिक सराफा लागू कानूनों के अनुसार बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किसी भी तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं है, तो तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल से इस तरह की भौतिक जांच के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षक/परीक्षक नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है और एक राय व्यक्त कर सकता है कि क्या भौतिक सराफा अच्छी डिलिवरी के उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है।
- 21.10. आईआईडीआईएल समय-समय पर जांचकर्ताओं के पंजीकरण/मान्यता के लिए नियम/मानदंड/मानदंड तय कर सकता है।
- 21.11. तिजोरी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि तिजोरी में जमा किया गया सराफा अच्छी डिलिवरी के मानक को पूरा करता है, जैसा कि बुलियन एक्सचेंज/प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 21.12. सराफा की निकासी के लिए एक लाभकारी मालिक से बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को समाप्त करने का अनुरोध प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल एक अनुमोदन प्रदान करेगा और संबंधित तिजोरी प्रबंधक को इसकी सूचना देगा। पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त होने पर, तिजोरी प्रबंधक ऐसी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद द्वारा दर्शाए गए बुलियन को लाभार्थी स्वामी को वितरित करेगा, बशर्ते कि लाभार्थी स्वामी ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जो आवश्यक हो और बुलियन की रसीद को लिखित रूप में स्वीकार करे।
- 21.13. यदि कोई तिजोरी प्रबंधक बुलियन विनियम विनियमों और/या उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में सराफा को वितरित करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो इनकार या विफलता के वैध कारण को प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व तिजोरी प्रबंधक पर होगा।
- 21.14. तिजोरी से बुलियन की वापसी पर, तिजोरी प्रबंधक इसकी सूचना आईआईडीआईएल को देगा।
- 21.15. जब किसी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के संबंध में एक शमन अनुरोध जारी किया गया है, तो तिजोरी प्रबंधक सराफा डिपॉजिटरी रसीद के लाभार्थी मालिक को तब तक बुलियन डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है और तिजोरी प्रबंधक को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर दिए जाते हैं।
- 21.16. आईआईडीआईएल के अधिकृत कर्मियों को बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के भौतिक बुलियन के साथ के मिलान के लिए बुलियन डिपॉजिटरी को तिजोरी प्रबंधक के साथ जोड़ने वाले परिसर, सुविधाओं, डेटा सिस्टम, डेटा स्टोरेज साइटों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचार नेटवर्क से संबंधित किसी भी अन्य सुविधाओं तक किसी विशिष्ट दिन को पहुंच (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) प्रदान की जाएगी होगी।
- 21.17. तिजोरी प्रबंधक को सराफा के लिए तिजोरी सेवाओं के लिए भंडारण क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना होगा जिसके संबंध में बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी की जाती है। बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के लिए भौतिक भंडारण अन्य गतिविधियों के लिए प्रदान की जाने वाली वॉल्टिंग सेवाओं से अलग होगा।
- 21.18. आईआईडीआईएल किसी भी कारण से होने वाली हानि के प्रति लाभार्थी मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, जो इस प्रकार के लाभार्थी मालिक को आईआईडीआईएल या इसके एजेंटों या सिकी कर्मचारी या तिजोरी प्रबंधक द्वारा किए गए किसी गलत कार्य, लापरवाही या चूक के कारण हो सकते हैं।

- 21.19. आईआईडीआईएल समय-समय पर तिजोरी प्रबंधकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है, जिसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:
- 21.19.1. तिजोरी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया।
- 21.19.2. भौतिक बुलियन जमा करने और सुपुर्दगी की प्रक्रिया;
- 21.19.3. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार जमा किए जाने वाले भौतिक सराफा की परख की प्रक्रिया;
- 21.19.4. भौतिक सराफा की गुणवत्ता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया और जमाकर्ता को सूचना;
- 21.19.5. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को संसाधित करने के लिए तिजोरी प्रबंधक के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विवरण को रखने की प्रक्रिया ;
- 21.19.6. भौतिक सराफा की आग, चोरी, सेंधमारी आदि से सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया;
- 21.19.7. भौतिक बुलियन के लिए किसी भी एम्बेडेड ट्रैकिंग तंत्र सहित भौतिक बुलियन के भंडारण की प्रक्रिया जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- 21.19.8. न्यूनतम सामान्य कारक तक संग्रहीत भौतिक बुलियन की स्पष्ट पहचान के लिए प्रक्रिया (उदाहरण के लिए, लॉट का आकार);
- 21.19.9. आग, बाढ़, भूकंप, सेंधमारी, दुर्विनियोग, धोखाधड़ी, लापरवाही, आतंकवाद और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई हानियों के निर्धारण की प्रक्रिया;
- 21.19.10. स्टॉक के आंतरिक सत्यापन की प्रक्रिया;
- 21.19.11. शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया;
- 21.19.12. कर्मचारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां (आउटसोर्स कर्मचारियों सहित);
- 21.19.13. बाहरी ऑडिटर के माध्यम से तिजोरी प्रबंधक के वार्षिक ऑडिट की प्रक्रिया;
- 21.19.14. कोई अन्य शर्त जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।
- 21.20. आईआईडीआईएल समय-समय पर तिजोरी प्रबंधक को डेटा/रिकॉर्ड्स/बहीखातों के रखरखाव, संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
- 21.20.1. तिजोरी सुरक्षा और अभिगम नियंत्रण प्रणाली;
- 21.20.2. वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए सिस्टम;
- 21.20.3. जोखिम नियंत्रण और संचालन नियमावली (प्रतिष्ठा संलग्न करें);
- 21.20.4. लेखांकन सुरक्षित रखने और रिपोर्टिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा के लिए स्वतंत्र आंतरिक नियंत्रण तंत्र;
- 21.20.5. कोई अन्य मामला जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है या जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा प्रासंगिक समझा जा सकता है।
- 21.21. आईआईडीआईएल और तिजोरी प्रबंधक रिफाइनर के एक एकीकृत डेटाबेस को बनाए रखेंगे जिसका सराफा बुलियन एक्सचेंज पर व्यापार के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार्य होगा।
- 21.22. तिजोरी प्रबंधक बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अच्छी डिलिवरी के मानकों के लिए मान्यता प्राप्त रिफाइनरों के आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान किए गए सिस्टम-आधारित इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ रिफाइनर के विवरण को सत्यापित करके आपूर्ति श्रृंखला अखंडता स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 21.23. आईआईडीआईएल, पाक्षिक आधार पर, तिजोरी में जमा भौतिक छड़ों की जांच तिजोरी प्रबंधक द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के सृजन के दौरान प्रदान किए गए विवरण के साथ करेगा। इसके अलावा, आईआईडीआईएल जब भी उचित समझे, नोटिस के साथ या बिना सूचना के तिजोरी का औचक निरीक्षण कर सकता है और तिजोरी प्रबंधक ऐसा निरीक्षण प्रदान करने और उसके लिए सहयोग करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे किसी भी निरीक्षण की रिपोर्ट आईएफएससीए को प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, आईआईडीआईएल समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा

चिन्हित किसी बाहरी एजेंसी द्वारा या तो स्वयं या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तिजोरी का वार्षिक निरीक्षण भी कर सकता है। ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट आईएफएससीए को लागू कानून के अनुसार या आईएफएससीए द्वारा निर्देशित किए जाने पर अग्रेषित की जाएगी।

अध्याय 22: बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को जारी करना, संशोधित करना, स्थानांतरित करना और रद्द करना और उनमें संशोधन करना

- 22.1. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को जारी करना, हस्तांतरणीयता और रद्द करना बुलियन एक्सचेंज विनियमों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार होगा।
- 22.2. आईआईडीआईएल ऐसी निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।
- 22.3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियात्मक ढांचे का पालन करेगा:
 - 22.3.1. बुलियन का लाभकारी मालिक बुलियन डिपॉजिटरी और तिजोरी प्रबंधक को बुलियन के आवंटन के बारे में सूचित करेगा जो बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के निर्माण के लिए उसकी ओर से तिजोरी रखता है।
 - 22.3.2. बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अच्छे वितरण मानकों के पालन के अधीन, तिजोरी प्रबंधक आपूर्तिकर्ता को भौतिक बुलियन की स्वीकृति की सूचना देगा।
 - 22.3.3. तिजोरी प्रबंधक आपूर्तिकर्ता से भौतिक बुलियन की प्राप्ति की पुष्टि करेगा और आईआईडीआईएल को उक्त बुलियन का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगा।
 - 22.3.4. तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी तिजोरी में रखे जाने वाले बुलियन के निम्नलिखित विवरण प्रदान करेगा, अर्थात्
 - 22.3.4.1. लाभार्थी स्वामी का नाम और पता।
 - 22.3.4.2. तिजोरी प्रबंधक का विवरण।
 - 22.3.4.3. रिफाइनर का विवरण, जिसके चिह्न भौतिक सलाखों पर उकेरे गए हैं।
 - 22.3.4.4. रिफाइनर द्वारा प्रदान किए गए और भौतिक छड़ों पर उकेरे गए सीरियल नंबर।
 - 22.3.4.5. प्रति 1000 भागों में बार की शुद्धता अर्थात् 995/1000, 999/1000, 999.9/1000 आदि।
 - 22.3.4.6. भौतिक बार का वजन जो ग्राम, किलोग्राम या औंस, जैसा भी मामला हो, में दर्शाया जाता है।
 - 22.3.5. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के अधीन, आईआईडीआईएल एक विशिष्ट पहचानकर्ता के साथ अंतर्निहित बुलियन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी कर सकता है।
 - 22.3.6. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें आईआईडीआईएल को बार के आरंभिक लाभार्थी स्वामी द्वारा व्यापार के लिए बारों के आवंटन की पुष्टि के 2 (दो) घंटे, या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य समय के अंदर सृजित की जाएंगी।
- 22.4. आईआईडीआईएल पर जारी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को आईआईडीआईएल द्वारा संबंधित ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, मोबाइल एप्लिकेशन या अन्य माध्यमों से अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 22.5. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें आईआईडीआईएल द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से जारी की जाएंगी।
- 22.6. तिजोरी प्रबंधक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में निहित जानकारी में कोई बदलाव करने का हकदार नहीं होगा।
- 22.7. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में आवश्यक संशोधन आईआईडीआईएल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, और जैसा कि और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा आगे निर्धारित किया जा सकता है –
 - 22.7.1. मौजूदा बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को रद्द करना; और सही जानकारी के साथ एक नई बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करना; या

- 22.7.2. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में संशोधन करना।
- 22.8. यह आईआईडीआईएल और तिजोरी प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वह उस क्लाइंट को सूचित करें जिसके पक्ष में बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी की गई है, जो कि उपरोक्त उप-कानून के तहत शुरू की जा सकती है।
- 22.9. आईआईडीआईएल बुलियन एक्सचेंज के परामर्श से प्रत्येक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के लाभार्थी स्वामी को ट्रेक और ट्रेस करने के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।
- 22.10. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का शमन
- 22.10.1. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के विरुद्ध भौतिक बुलियन प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी स्वामी को बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को सरेंडर करना होगा।
- 22.10.2. आईआईडीआईएल बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के समर्पण और लाभार्थी स्वामी से पुनः भौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को समाप्त कर देगा।
- 22.10.3. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद की सूचना एकीकृत प्रणाली के माध्यम से तिजोरी मैनेजर्स पोस्ट को प्रेषित की जाएगी, जो बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के लाभार्थी मालिक को भौतिक बुलियन की सुपुर्ग की जाएगी।
- 22.10.4. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में, आईआईडीआईएल द्वारा ऑडिट ट्रेल को 10 (दस) वर्षों के लिए या ऐसे अन्य समय के लिए बनाए रखा जाएगा जैसा कि आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- 22.10.5. आईआईडीआईएल और तिजोरी प्रबंधक हर समय सक्रिय बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों की सूची के संबंध में जानकारी का मिलान करेंगे।
- 22.10.6. यदि कोई सुलह संबंधी समस्या है, तो उसकी सूचना तुरंत प्राधिकरण, बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दी जाएगी और जांच पूरी होने तक नई जमा/निकासी को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
- 22.10.7. जांच पूरी होने के बाद प्राधिकरण के अनुमोदन से ही जमा और निकासी को फिर से शुरू किया जाएगा।
- 22.10.8. भौतिक बुलियन की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, निकासी की प्रक्रिया के दौरान, आईआईडीआईएल द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र जांचकर्ता से एक गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त करके उसका निपटारा किया जाएगा।

अध्याय 23: ग्राहकों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और डेबिट

- 23.1. बुलियन जमा करने या तिजोरी से बुलियन की निकासी या आईआईडीआईएल के पास रखे गए एक डीमैट खाते से दूसरे खाते में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन के कारण ग्राहक के डीमैट खाते में डेबिट या क्रेडिट उपनियम और/या बुलियन परिचालन निर्देश में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
- 23.2. आईआईडीआईएल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की होल्डिंग का विवरण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय के अंदर जारी करेगा।
- 23.3. होल्डिंग्स के विवरण में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्लाइंट के पास बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के तहत बुलियन का अधिकार होगा।
- 23.4. होल्डिंग्स स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के अस्तित्व और आईआईडीआईएल में आयोजित बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के रिकॉर्ड और तिजोरी प्रबंधक द्वारा संग्रहीत और रखे गए संबंधित बुलियन का प्रमाण होगा।
- 23.5. सराफा को अनुमोदित तिजोरी में जमा करने से पहले, ग्राहक के लिए आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके और प्रक्रिया से आईआईडीआईएल के साथ एक डीमैट खाता खोलना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट लाभकारी स्वामी पहचान संख्या बनाई जाएगी।
- 23.6. निर्दिष्ट जांच सहित प्रक्रिया का पालन करके तिजोरी में भौतिक बुलियन जमा करने के बाद, तिजोरी प्रबंधक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी दर्ज करेगा और जैसा कि समय-समय पर इन उप नियमों के अंतर्गत और प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और ग्राहक के संबंधित लाभार्थी स्वामी की पहचान संख्या के विरुद्ध एक अद्वितीय लॉट आईडी उत्पन्न करेगा। लागू कानूनों के अनुसार आईआईडीआईएल

द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें सृजित की जाएंगी और ग्राहक के डीमैट अकाउंट को ऐसे ग्राहक द्वारा जमा किए सराफा के लिए क्रेडिट किया जाएगा।

- 23.7. जब भी लेनदेन निष्पादित किया जाएगा, आईआईडीआईएल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित ग्राहक और तिजोरी प्रबंधक को डेबिट और क्रेडिट के सभी विवरण सूचित करेगा।

अध्याय 24: डीमैट खाते और/या एक बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के संचालन का निलंबन

- 24.1. डीमैट खाता रखने वाले प्रत्येक ग्राहक को अपने खाते में या तो डेबिट या क्रेडिट के लिए या दोनों के लिए परिचालन को निलंबित करने का अधिकार होगा ताकि इसे निष्क्रिय किया जा सके। आईआईडीआईएल उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों के तहत निर्धारित तरीके से और ग्राहक से उस संबंध में प्राप्त लिखित निर्देशों पर उसके पास रखे गए ग्राहक के ऐसे खाते के संचालन को निलंबित कर देगा।

- 24.2. ग्राहक निम्न को निलंबित करने का अनुरोध कर सकता है:

24.2.1. आईआईडीआईएल के पास रखा गया इसका खाता; या

24.2.2. अपने खाते में एक विशेष बुलियन डिपॉजिटरी रसीद; या

24.2.3. अंतर्राष्ट्रीय पहचान संख्या (आईएसआईएन) के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिभूतियां या अपने डीमैट खाते में बुलियन डिपोजिटरी रसीद के माध्यम से या उसके अंतर्गत रखे गए इस प्रकार की पहचान संख्या को आईआईडीआईएल को इस प्रकार के निर्देश देकर और इस प्रकार के प्रारूप में और इस प्रकार की विधि से निर्देश देकर निलम्बित करने का अनुरोध कर सकता है जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

- 24.3. आईआईडीआईएल को केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए से प्राप्त निर्देशों/आदेशों के आधार पर या किसी ट्रिब्यूनल या अदालत या ऐसे आदेश देने के लिए सक्षम किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के आधार पर आईआईडीआईएल डीमैट खाते के संचालन को निलंबित कर देगा।

- 24.4. ग्राहक से प्राप्त अनुरोध के आधार पर या केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के अनुसार, आईआईडीआईएल डीमैट खाते और/या बुलियन डिपॉजिटरी रसीद और/या बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या और उक्त ग्राहक के डीमैट खाते द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त बुलियन के संचालन को निलंबित/फ्रीज कर देगा।

बशर्ते कि किसी एक डीमैट खाते के संबंध में किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकार का कोई भी आदेश या एक डीमैट खाते के संबंध में कोई भी कार्रवाई, जो बुलियन एक्सचेंज विनियमावली के अंतर्गत आईआईडीआईएल को दिए गए उत्तरदायित्व के अंतर आती है, वह कार्रवाई इस प्रकार के प्राधिकार से डीमैट खाता पहचान संख्या या स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार के साथ साथ विशिष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही आईआईडीआईएल द्वारा प्रभाव में लाई जाएगी, यदि इस प्रकार के निर्देश पर्याप्त शुद्धता के साथ इस प्रकार के आदेश में नहीं दिए गए हैं।

- 24.5. आईआईडीआईएल, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने ग्राहकों और/या आईआईडीआईएल और/या इस प्रकार की पहचान संख्या द्वारा चिह्नित बुलियन के संचालन को ग्राहक के नाम पर धारित बुलियन डिपोजिटरी रसीदों की सीमा तक तक निलंबित करेगा –

24.5.1. इस संबंध में केंद्र या राज्य सरकार या आईएफएससीए या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों के आधार पर; या

24.5.2. उप-नियमों में निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति द्वारा पारित आदेशों के आधार पर; या

24.5.3. आईआईडीआईएल को दिवालिया, दिवाला घोषित किया गया है या आईआईडीआईएल को बंद किया जा रहा है; या

24.5.4. ऐसे अन्य कारण जिन्हें आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है

- 24.6. इस प्रकार निलंबित किए गए खाते को केवल ग्राहक से लिखित निर्देशों पर ही सक्रिय किया जाएगा, जहां इसे ग्राहक के कहने पर निलंबित किया गया है, या न्यायालय, ट्रिब्यूनल या ऊपर उल्लिखित किसी प्राधिकार द्वारा किसी आदेश के पारित होने या आदेश को खाली करने, रद्द करने या निरस्त करने के निर्देश जारी करने के अनुसार सक्रिय किया जाएगा।

बशर्ते कि खाते के निलंबित होने पर, आईआईडीआईएल किसी भी डेबिट प्रविष्टि या ऐसे किसी अन्य लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि खाते के निलंबन के निर्देश या आदेश को वापस नहीं लिया गया हो, रद्द नहीं कर

दिया गया हो, या पूर्वोक्त रूप में संशोधित नहीं किया गया हो। हालांकि, आईआईडीआईएल फ्रिज किए गए खाते में लाभों को क्रेडिट करने का हकदार होगा जब तक कि ग्राहक द्वारा विशेष रूप से या खाते की कुर्की/जब्त/फ्रीजिंग के आदेश द्वारा निषिद्ध न हो।

अध्याय 25: शेष राशि का हस्तांतरण

- 25.1. आईआईडीआईएल ऐसे ग्राहक के प्राधिकरण या उसकी सहमति के बिना, या जब तक अन्यथा उप-नियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों और/या लागू कानूनों के तहत आवश्यक न हो, तब तक ग्राहक के खाते में किसी भी डेबिट या क्रेडिट को निष्पादित नहीं करेगा।
- 25.2. प्राधिकरण का तरीका और प्रारूप उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्दिष्ट या समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

अध्याय 26: बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का प्रसारण

- 26.1. डीमैट खाता रखने वाले ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, ऐसे खाते की बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें, प्रोबेट, वसीयत, प्रशासन के पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो सकता है, जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार मृतक के कानूनी वारिसों के पक्ष में कानून के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।
- 26.2. आईआईडीआईएल संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस व्यक्ति या व्यक्तियों को उचित प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए एक डीमैट खाता खोलने के लिए निर्देश दे सकता है जिनके पक्ष में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें पूर्वोक्त रूप में प्रेषित की जानी हैं।
- 26.3. यदि ग्राहक को पागल या न्यायनिर्णय दिवालिया घोषित किया जाता है या अन्यथा अपने डीमैट खाते को संचालित करने में असमर्थ है, तो आईआईडीआईएल सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर या तो ऐसे खाते में पड़ी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को किसी अन्य खाते में प्रेषित कर सकता है या अन्यथा आदेश दिया जा सकता है।
- 26.4. न्यायालय के आदेश द्वारा निगमित निकाय के रूप में एक ग्राहक के समापन की स्थिति में, बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों को ऐसे डीमैट खाते में प्रेषित किया जाएगा जैसा कि न्यायालय के आदेश में इस आशय का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि, यदि कोई ग्राहक एक कॉर्पोरेट निकाय होने के कारण स्वैच्छिक समापन (ट्रिब्यूनल के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं) कर देता है या विलय कर देता है या किसी अन्य संस्था द्वारा अधिग्रहित किया गया है, तो बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें ऐसे डीमैट खाते में प्रेषित की जाएंगी जैसा कि इस तरह के स्वैच्छिक समापन या विलय या अधिग्रहण के लिए एक सक्षम अदालत या प्राधिकरण के आदेश के आधार पर, जैसा भी मामला हो, पारित प्रस्ताव में प्रावधान किया जाता है।

अध्याय 27: गिरवी

- 27.1. यदि ग्राहक तिजोरी में जमा बुलियन को गिरवी रखना चाहता है, तो ग्राहक को एक डीमैट खाता खोलने और उसका रखरखाव करने की आवश्यकता होगी।
- 27.2. ग्राहक (गिरवीकर्ता) और गिरवीदार दोनों द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर आईआईडीआईएल अपने रिकॉर्ड में गिरवी के पक्ष में बुलियन डिपॉजिटरी रसीद पर एक गिरवी अंकित करेगा।
- 27.3. बुलियन डिपॉजिटरी रसीद पर गिरवी के प्रयोजन के लिए, गिरवीकर्ता और गिरवीदार समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा उपनियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्धारित प्रपत्रों में ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे।
- 27.4. डीमैट खाते में बुलियन डिपॉजिटरी रसीद रखने वाला कोई भी ग्राहक, आईआईडीआईएल द्वारा उपनियमों और/या बुलियन संचालन निर्देशों में समय-समय पर निर्धारित तरीके से बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में दर्शाए गए बुलियन के विरुद्ध गिरवी बनाने का हकदार होगा।
- 27.5. आईआईडीआईएल निर्धारित तरीके से आवेदन प्राप्त होने पर और इस संतुष्टि के बाद कि बुलियन गिरवी के लिए उपलब्ध है, ऐसे समय के अंदर और समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित तरीके से गिरवी सृजित करेगा और दर्ज करेगा।
- 27.6. गिरवी की अवधि के लिए बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से दर्शाए गए बुलियन पर गिरवी का ग्रहणाधिकार होगा और यदि इसके विरुद्ध जारी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद पर गिरवी मौजूद है तो तिजोरी प्रबंधक को तिजोरी से बुलियन जारी करने का अधिकार नहीं होगा।

- 27.7. गिरवीदार आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर उपनियमों के अंतर्गत और/या जारी किए बुलियन परिचालन निर्देशों में निर्धारित तरीके ग्रहणाधिकार को हटाने की पहल करेगा।
- 27.8. एक बार गिरवी रखने के बाद, गिरवीदार खुद को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ग्राहक के रूप में पंजीकृत करेगा और तदनुसार अपने रिकॉर्ड में संशोधन करेगा। आईआईडीआईएल के रिकॉर्ड में परिवर्तन मूल ग्राहक, गिरवीदार और तिजोरी प्रबंधक के लिए बाध्यकारी होगा।
- 27.9. गिरवी के निर्माण, आह्वान, निरस्तीकरण और/या निरसन का तरीका और स्वरूप इन उप-नियमों के तहत निर्दिष्ट के अलावा प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर उप-नियमों और/या बुलियन संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार किया जाएगा।
- 27.10. यदि आईआईडीआईएल इन उप-नियमों या बुलियन संचालन निर्देशों या आईआईडीआईएल के किसी भी निर्देश के अनुसार आवश्यक अवधि के अंदर गिरवी सृजित नहीं करता है, तो आईआईडीआईएल कारणों के साथ, सृजन न करने की सूचना गिरवीकर्ता और गिरवीदार को भेजेगा।
- 27.11. गिरवीकर्ता या गिरवीदार आईआईडीआईएल द्वारा उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों में समय-समय पर निर्धारित तरीके से किए गए गिरवी की प्रविष्टि को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
- 27.12. आईआईडीआईएल गिरवी के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के संबंध में एक गिरवी सृजन के अनुरोध को तब तक अस्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के संबंध में संचालन को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, केंद्र सरकार, आईएफएससीए या अन्य सक्षम के किसी आदेश या स्वयं आईआईडीआईएल के निर्देश के आधार पर प्रतिबंधित या फ्रीज नहीं किया जाता है और यदि आईआईडीआईएल निर्धारित समय के अंदर इस तरह की गिरवी को सृजित नहीं करता है, आईआईडीआईएल संबंधित ग्राहक को और गिरवीदार को अपने निर्णय की जानकारी मना करने के कारणों के साथ देगा।
- 27.13. गिरवीदार गिरवी दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन और आईआईडीआईएल द्वारा अपने उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए गए अनुसार गिरवीदार गिरवी को लागू कर सकता है।

अध्याय 28: गैर-निर्दिष्ट ग्राहकों की बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम तक पहुंच

- 28.1. आईआईडीआईएल किसी अन्य व्यक्ति को एक्सेस प्रदान कर सकता है जो विशेष रूप से ग्राहकों की परिभाषा में शामिल नहीं है और जिसे बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 28.2. उपरोक्त उप-नियम के अनुसार इस तरह की पहुंच की अनुमति समय-समय पर ऐसे प्रत्येक ग्राहक के लिए प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन के साथ आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अधीन होगी और इस प्रकार के ग्राहकों के इस तरह के अनुमोदनों के अधीन होगी जैसा कि विनियमांक प्राधिकारों से प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

अध्याय 29: मिलान, लेखा और लेखा परीक्षा

- 29.1. मिलान
 - 29.1.1. आईआईडीआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास लागू कानूनों के अनुसार रिकॉर्ड के मिलान के लिए हर समय ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हों।
 - 29.1.2. एक तिजोरी प्रबंधक बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के साथ अपनी हिरासत में बुलियन के भौतिक स्टॉक के मिलान के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसा मिलान दैनिक आधार पर, या ऐसी आवृत्ति पर और इस तरह से किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण या आईआईडीआईएल समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। समय।
 - 29.1.3. आईआईडीआईएल तिजोरी प्रबंधकों को इस तरह के मिलान को ऐसे प्रारूप में और ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा जो प्राधिकरण या आईआईडीआईएल समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।
 - 29.1.4. तिजोरी प्रबंधक प्राधिकरण या आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्रत्येक मिलान के बाद प्राधिकरण और आईआईडीआईएल को एक मिलान रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 - 29.1.5. प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर उन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें आईआईडीआईएल को मिलान करने के लिए अनुपालन करना होगा।
 - 29.1.6. यदि ऊपर बताए अनुसार मिलान विफल हो जाता है, तो आईआईडीआईएल स्थिति को प्राधिकरण के संज्ञान में ला सकता है और उस पर निर्देशों का पालन कर सकता है।

- 29.1.7. हालांकि, मिलान से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद की स्थिति में, आईआईडीआईएल के रिकॉर्ड को अंतिम माना जाएगा या आईएफएससीए द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 29.2. लेखांकन, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्ट और रिटर्न
- 29.2.1. आईआईडीआईएल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के अंदर निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करेगा।
- 29.2.2. आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के अनुसार आईआईडीआईएल के संचालन के संबंध में आईआईडीआईएल और तिजोरी प्रबंधकों द्वारा उचित खातों का रखरखाव किया जाएगा।
- 29.2.3. आईआईडीआईएल लागू कानूनों के तहत आवश्यक ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, जिसमें निम्नलिखित रिकॉर्ड और दस्तावेज शामिल हो सकते हैं:
- 29.2.3.1. एक ग्राहक के साथ किए गए सभी लेनदेन का रिकॉर्ड;
- 29.2.3.2. जारी किए गए बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों और जारी की गई पावती का विवरण;
- 29.2.3.3. ग्राहकों से प्राप्त निर्देशों का रिकॉर्ड और ग्राहकों को प्रदान किए गए खाते के विवरण; तथा
- 29.2.3.4. गिरवी के सृजन, अनुमोदन, नोटिस, प्रविष्टि, आह्वान और रद्द करने के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो।
- 29.2.4. किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन और जब तक आईएफएससीए द्वारा विशेष रूप से निर्देश नहीं दिया जाता है, आईआईडीएल कम से कम 20 (बीस) वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा रिकॉर्ड और दस्तावेजों को संरक्षित करेगा।
- बशर्ते कि आईआईडीआईएल भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में दस्तावेजों को संरक्षित और रखरखाव कर सकता है, जिनकी प्रतियां केंद्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस या किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी द्वारा किसी भी जांच या जांच के दौरान परीक्षण पूरा होने तक उनके द्वारा की गई जांच के दौरान ली गई हैं।

अध्याय 30: सूचना और रिकॉर्ड रखने का तरीका

30.1. आईआईडीआईएल सुनिश्चित करेगा कि:

- 30.1.1. सूचना और रिकॉर्ड का समय पर और उचित रिकॉर्ड रखा जाता है;
- 30.1.2. सिस्टम की गोपनीयता को हर समय बनाए रखा जाता है;
- 30.1.3. सूचना और रिकॉर्ड को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं किया जाता है;
- 30.1.4. आपदा की स्थिति में भी सूचना और अभिलेख नष्ट नहीं होने चाहिए।
- 30.2. आईआईडीआईएल वार्षिक रूप से प्राधिकरण को इस अध्याय के उप-खंड 30.1 के अंतर्गत उठाए गए कदमों और सावधानियों की रिपोर्ट करेगा, जैसा कि बुलियन एक्सचेंज विनियमों, आईएफएससीए अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और किसी भी अन्य लागू कानूनों सहित लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो सकता है।
- 30.3. यदि प्राधिकरण आईआईडीआईएल को कोई निर्देश जारी करता है, तो आईआईडीआईएल ऐसे निर्देश का अपने स्वयं के खर्च पर और निर्देश में निर्दिष्ट समय अवधि के अनुसार पालन करेगा।

अध्याय 31: गोपनीयता की सुरक्षा

- 31.1. आईआईडीआईएल केवल जानने की आवश्यकता के आधार पर पहुंच प्रदान करेगा।
- 31.2. बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के बारे में जानकारी तक पहुंच उन ग्राहकों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास ऐसी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें हैं, उस तिजोरी प्रबंधक को, जिसके पास क्लाइंट के पास बुलियन की भौतिक जमा राशि है और उस गिरवीदार को, जिसके साथ क्लाइंट एक गिरवी रखना चाहता है।
- 31.3. आईआईडीआईएल इन उप-नियमों में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अधीन, ग्राहक की अनुमति के बिना ग्राहक, गिरवीदार या तिजोरी प्रबंधक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के बारे में जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं देगा।
- 31.4. आईआईडीआईएल, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, अपने कार्य के दौरान उसके द्वारा प्राप्त या अर्जित की गई किसी भी जानकारी को साझा नहीं करेगा, सिवाय कानून की उचित प्रक्रिया के आवश्यक होने के।

- 31.5. आईआईडीएल, प्राधिकरण से मांग पर, डेटा एक्सेस के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसमें डेटा तक पहुंचने वाले प्रत्येक स्टाफ सदस्य की पहचान करने वाला लॉग, एक्सेस का समय, एक्सेस किए गए डेटा की प्रकृति और उद्देश्य शामिल है।
- 31.6. आईआईडीआईएल विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए एक्सेस के अधिकार तैयार करेगा, और ऐसे ग्राहक अधिकारों के अनुसार उन्हें एक्सेस प्रदान करेगा।
- 31.7. प्राधिकरण समय-समय पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है जिनका पालन आईआईडीएल को करना होगा और आईआईडीएल के लिए इसका अनुपालन करना अनिवार्य हो जाएगा।

अध्याय 32: आउटसोर्सिंग पर आईआईडीआईएल की बाध्यता

- 32.1. आईआईडीआईएल प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना अपनी किसी भी सेवा/मुख्य कार्यों को असाइन या आउटसोर्स नहीं करेगा।
- 32.2. भले ही प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद सेवाओं को आउटसोर्स किया गया हो, आईआईडीआईएल आउटसोर्स इकाई के सभी कृत्यों के लिए और बुलियन एक्सचेंज विनियम, आईएफएससीए अधिनियम, नियमों, विनियमों सहित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 32.3. आईआईडीआईएल अपनी सेवाएं सौंपते या आउटसोर्स करते समय निम्नलिखित उचित सावधानी रखेगा:
 - 32.3.1. किसी भी कार्य या गतिविधि की आउटसोर्सिंग आईआईडीआईएल की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है;
 - 32.3.2. हितों का कोई टकराव नहीं है जो आउटसोर्स की गई इकाई के आवश्यक मानदण्ड को पूरा करने की क्षमता को क्षीण कर सकता है;
 - 32.3.3. आवश्यक कार्यों को संतोषजनक ढंग से वितरित करने के लिए संभावित आउटसोर्स इकाई की क्षमता की एक विस्तृत समीक्षा की जाती है;
 - 32.3.4. आईआईडीआईएल ने आउटसोर्स की गई इकाई के साथ उनके संबंधित अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए एक लिखित समझौता किया है;
 - 32.3.5. आउटसोर्सिंग आईआईडीआईएल की शासन प्रणाली की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है;
 - 32.3.6. आउटसोर्सिंग आईआईडीआईएल के कामकाज की निगरानी के लिए प्राधिकरण की क्षमता को बाधित नहीं करता है;
 - 32.3.7. आउटसोर्स की गई इकाई, आउटसोर्स किए गए कार्यों या गतिविधि को उसी तरीके से और उसी सीमा तक उसके साथ साझा किए गए या उसके द्वारा उत्पन्न डेटा की गोपनीयता बनाए रखता है जिस सीमा तक आईआईडीआईएल ने बनाए रखा है,
 - 32.3.8. आउटसोर्सिंग से आईआईडीआईएल और बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के निर्माण और प्रबंधन के लिए जोखिम में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती है; तथा
 - 32.3.9. आउटसोर्स की गई इकाई को आईआईडीआईएल को किसी भी प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है जो आउटसोर्स किए गए कार्यों को करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। क्त

अध्याय 33: दायित्व की सीमा

- 33.1. आईआईडीआईएल के एक ग्राहक द्वारा किसी भी तिजोरी में जमा किए गए बुलियन, जिसके लिए बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी की जाती, की गुणवत्ता और मात्रा के कारण आईआईडीआईएल के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
- 33.2. जमाकर्ता या ग्राहक और तिजोरी प्रबंधक लागू कानूनों और संबंधित सरकारी प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट विनियमों और अन्य राज्य/केंद्र सरकार के कानूनों और इस संबंध में जारी किए जाने वाले कानूनों की अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनमें अन्य के साथ साथ डिलिवरी के मानदंड, कर, सरकारी शुल्क आदि शामिल हैं। आईआईडीआईएल एक जमाकर्ता या एक ग्राहक द्वारा गैर-अनुपालना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 33.3. बुलियन डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से जारी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद उन मापदंडों को दर्ज करने तक सीमित है जो एक तिजोरी प्रबंधक द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का सृजन करने के लिए आवश्यक हैं और आईआईडीआईएल को बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों में उल्लिखित मापदंडों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

- 33.4. एक तिजोरी प्रबंधक द्वारा बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के तहत जमा और/या बुलियन की डिलीवरी से उत्पन्न गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित सभी दावों का निपटारा केवल जमाकर्ता/ग्राहक और तिजोरी प्रबंधक के बीच किया जाएगा और आईआईडीआईएल इससे उत्पन्न किसी विवाद का पक्ष नहीं होगा।

भाग घ: अन्य

अध्याय 34: अनुशासनात्मक कार्यवाही

प्रतिभागी द्वारा उप-नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार में आएगा

34.1. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति

- 34.1.1. प्रतिभागियों से संबंधित किसी भी अनुशासनात्मक मामलों से निपटने के लिए निदेशक मंडल द्वारा एक अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति नियुक्त की जा सकती है।
- 34.1.2. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति की अधिकतम शक्ति बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- 34.1.3. निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति में निदेशक और सदस्यों की संख्या संख्या समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 34.1.4. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड का निर्णय प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

34.2. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति की शक्तियां

- 34.2.1. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति के पास ऐसी जिम्मेदारियां और शक्तियां होंगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जा सकती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्वहन की जाने वाली निम्नलिखित जिम्मेदारियां और शक्तियां शामिल हो सकती हैं:
- 34.2.1.1. एक प्रतिभागी का जुर्माने के साथ या बिना जुर्माना निलंबन;
- 34.2.1.2. किसी प्रतिभागी का जुर्माने के साथ या उसके बिना निष्कासन;
- 34.2.1.3. आईआईडीआईएल पर बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के सृजन के लिए एक तिजोरी को 'अयोग्य' घोषित करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध करना;
- 34.2.1.4. प्रतिभागी के खाते को फ्रीज करना;
- 34.2.1.5. निरीक्षण करने की शक्ति
- 34.2.1.6. जांच/पूछताछ करने की शक्ति;
- 34.2.1.7. निलंबन/निष्कासन के लिए रिकॉर्ड मंगवाने और प्रतिभागियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की शक्ति;
- 34.2.1.8. आईआईडीआईएल में भर्ती किसी प्रतिभूति को अपात्र घोषित करना;
- 34.2.1.9. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाई करना।

34.3. साझेदारों, एजेंटों और कर्मचारियों के लिए प्रतिभागी की जिम्मेदारी

- 34.3.1. एक प्रतिभागी अपने निदेशकों, अधिकृत अधिकारियों, अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सभी कृत्यों, चूकों और गलतियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आईआईडीआईएल यह मान लेगा कि ऐसे सभी कार्य, चूक और गलतियां प्रतिभागी द्वारा ही किए गए थे और आईआईडीआईएल के उपनियमों के प्रावधानों की सीमा तक उन्हीं जुर्मानों के अधीन होगा।
- 34.4. एक प्रतिभागी का निलंबन
- 34.4.1. जब एक प्रतिभागी इन उप-नियमों में प्रदान किए गए प्रवेश के मानदंडों को पूरा करने की निरंतर आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति उसके व्यवसाय को निलंबित कर सकती है और व्यवसाय का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रतिभागी आवश्यकताओं को पूरा करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता।
- 34.4.2. अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति को एक प्रतिभागी को अपने व्यवसाय को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है, जहां अन्य बातों के साथ:

- 34.4.2.1. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की राय में, प्रतिभागी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह निवल मूल्य के मानदंडों से नीचे चला गया है या प्रतिभागी इसे बुलियन परिचालन निर्देशों और/या आईआईडीआईएल के उप-नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखने में विफल रहता है;
- 34.4.2.2. प्रतिभागी अधिनियम, विनियमों, इन उपनियमों और/या बुलियन परिचालन निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
- 34.4.2.3. प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी/ग्राहक के निर्देशों का पालन नहीं करता है;
- 34.4.2.4. प्रतिभागी की कानूनी कम्पनी के प्रबंधन, संगठन या नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है, चाहे निदेशक बोर्ड में परिवर्तन या इसके साझेदारों के संगठन या शेयरधारिता पैटर्न में हो या कानूनी कम्पनी की प्रकृति में परिवर्तन हो, और इस प्रकार का परिवर्तन उपनियमों और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्देशों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

34.5. एक प्रतिभागी का निष्कासन

- 34.5.1. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रतिभागी को आईआईडीआईएल से निष्कासित कर सकती है:
- 34.5.1.1. यदि प्रतिभागी इस संबंध में आईआईडीआईएल से बार-बार अनुस्मारक के बावजूद, उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करता है;
- 34.5.1.2. यदि प्रतिभागी खुद को जोखिम में डालता है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की राय में प्रतिभागी की निवल संपत्ति के अनुरूप नहीं है;
- 34.5.1.3. यदि प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की राय में संतोषजनक नहीं है, जैसा कि उसके ग्राहक/लाभार्थी स्वामी की शिकायतों से प्रमाणित है;
- 34.5.1.4. यदि प्रतिभागी गतिविधियों को ऐसे तरीके से करता है जो आईआईडीआईएल प्रणाली के हितधारकों के हितों के लिए हानिकारक है और आईआईडीआईएल के निरंतर अस्तित्व के साथ-साथ सामान्य रूप से लाभार्थी मालिकों/ग्राहकों के हितों के लिए हानिकारक है;
- 34.5.1.5. प्रतिभागी एक प्रतिभागी के रूप में व्यवसाय करना बंद कर देता है।

34.6. निलंबन को वापिस लेना

- 34.6.1. ऊपर बताए गए उप-नियमों के तहत व्यवसाय का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रतिभागी को अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति द्वारा इस तरह की जमा राशि का भुगतान करने या ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने या ऐसा कार्य करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में इस तरह के सबूत प्रदान करने पर व्यवसाय फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

34.7. निष्कासन/निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया

- 34.7.1. एक प्रतिभागी अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति या इस प्रकार की अन्य समिति या अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के अधिकृत सदस्यों, आईआईडीआईएल के अधिकारियों, जिन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, के सम्मुख पेश होगा और अपने निदेशकों, भागीदारों, अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को पेश करेगा और गवाही देगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति या समिति(यों) या आईआईडीआईएल के अधिकारी, जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया है, के सम्मुख इस प्रकार के बहीखाते, पत्राचार, दस्तावेज, कागजात और रिकॉर्ड या उनका कोई अंश प्रस्तुत करेगा जो उसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकता है और जांच या पूछताछ के अंतर्गत मामले के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- 34.7.2. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति संबंधित प्रतिभागी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसे कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समय के अंदर या ऐसे विस्तारित समय के अंदरजवाब देना होगा जो किए गए आवेदन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति द्वारा दिया जा सकता है।
- 34.7.3. संबंधित प्रतिभागी व्यक्तिगत सुनवाई का हकदार होगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की पूर्व सहमति से अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति द्वारा दी गई किसी भी सुनवाई में प्रतिभागी स्वयं या पेशेवर वकील, अधिवक्ता, परामर्शदाता या अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

- 34.7.4. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति अभिवचनों के लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण और तर्कों को ध्यान में रखते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति अपने अंतिम आदेश की एक प्रति प्रतिभागी, आईआईडीआईएल बोर्ड और आईएफएससीए को भेजेगी।
- 34.7.5. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रतिभागी को आईआईडीआईएल के बोर्ड में अपील करने का अधिकार होगा।
- 34.8. दंड का अधिरोपण
- 34.8.1. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति किसी प्रतिभागी को ऐसी अवधि के लिए या ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति उचित समझे, निंदा/निलंबित/निष्कासित करने का आदेश पारित कर सकती है, जो बनाए गए उपनियम और/या बुलियन परिचालन निर्देश के अंतर्गत प्रत्येक उल्लंघन के लिए लागू होने वाले मौद्रिक दंड लगाने तक सीमित नहीं है।
- 34.9. निलंबन के परिणाम
- 34.9.1. एक प्रतिभागी के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे:
- 34.9.1.1. प्रतिभागी के अधिकारों का निलंबन: निलंबित प्रतिभागी को इसके निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिबंधित किया जाएगा और आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से बाहर रखा जाएगा;
- 34.9.1.2. ग्राहकों के अधिकार अप्रभावित होंगे: निलंबन निलंबित प्रतिभागी के ग्राहकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा;
- 34.9.1.3. लेनदारों के अधिकार अप्रभावित रहेंगे: निलंबन निलंबित प्रतिभागी के लेनदारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें चक लेनदार भी शामिल हैं जो अन्य प्रतिभागी हैं;
- 34.9.1.4. गिरवीदार के अधिकार अप्रभावित: निलंबन किसी भी लाभार्थी स्वामी/ग्राहक की सुरक्षा या बुलियन के संबंध में किसी भी गिरवीदार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, जिनका खाता निलंबित प्रतिभागी के साथ है;
- 34.9.1.5. दायित्वों की पूर्ति: निलंबित प्रतिभागी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के निर्देशानुसार निलंबन के समय बकाया दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। आईआईडीआईएल के पास ऐसे प्रतिभागी के निलंबन के समय बकाया निलंबित प्रतिभागी के लाभार्थी स्वामी/ग्राहकों के प्रति सभी दायित्वों को पूरा करने की शक्ति होगी;
- 34.9.1.6. आगे व्यापार निषिद्ध होगा: निलंबित प्रतिभागी अपने निलंबन की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रतिभागी के साथ या उसके माध्यम से किसी भी डिपॉजिटरी व्यवसाय का लेन-देन नहीं करेगा;
- 34.9.1.7. प्रतिभागी कारोबार नहीं करेगा: कोई भी प्रतिभागी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की पूर्व अनुमति के बिना निलंबित प्रतिभागी के लिए या उसके निलंबन की अवधि के दौरान व्यापार नहीं करेगा।
- 34.9.2. एक प्रतिभागी के निलंबन के मामले में, लाभार्थी स्वामी/ग्राहक के पास या तो प्रतिभागी के पास रखी गई प्रतिभूतियों को आईआईडीआईएल के अंदर किसी अन्य प्रतिभागी को स्थानांतरित करने या अन्य डिपॉजिटरी के साथ एक प्रतिभागी को स्थानांतरित करने या प्रतिभूतियों को फिर से भौतिक बनाने का विकल्प होगा।
- 34.10. निष्कासन के परिणाम
- 34.10.1. एक प्रतिभागी के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे:
- 34.10.1.1. प्रतिभागी के अधिकार जब्त होंगे: एक प्रतिभागी के रूप में निष्कासित प्रतिभागी के अधिकार जब्त हो जाएंगे और एक प्रतिभागी के रूप में सभी अधिकार और विशेषाधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हालांकि, ऐसे किसी भी प्रतिभागी का आईआईडीआईएल या आईआईडीआईएल के किसी अन्य प्रतिभागी या इसके किसी लाभकारी स्वामी/ग्राहक के प्रति दायित्व जारी रहेगा और इसके निष्कासन से अप्रभावित रहेगा;
- 34.10.1.2. पदभार मुक्त: निष्कासन से आईआईडीआईएल में निष्कासित प्रतिभागी द्वारा धारित कोई भी पद एक रिक्ति का सृजन करेगा;
- 34.10.1.3. लाभार्थी स्वामियों/ग्राहकों के अधिकार अप्रभावित: निष्कासन लाभार्थी स्वामी/ग्राहकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो निष्कासित प्रतिभागी के लाभार्थी स्वामी/ग्राहक हैं;
- 34.10.1.4. लेनदारों के अधिकार अप्रभावित: निष्कासन से निष्कासित प्रतिभागी के लेनदारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें लेनदार भी शामिल हैं जो अन्य प्रतिभागी हैं;
- 34.10.1.5. दायित्वों की पूर्ति: निष्कासित प्रतिभागी अपने निष्कासन के समय बकाया लेनदेन को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की अनुमति से किसी अन्य प्रतिभागी के साथ या उसके माध्यम

से ऐसे बकाया लेनदेन को बंद कर सकता है। आईआईडीआईएल के पास ऐसे प्रतिभागी के निष्कासन के समय बकाया निलंबित प्रतिभागी के लाभार्थी स्वामी/ग्राहकों के प्रति सभी दायित्वों को पूरा करने की शक्ति होगी;

34.10.1.6. प्रतिभागियों को कारोबार नहीं करना चाहिए: कोई भी प्रतिभागी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की पूर्व अनुमति के बिना निष्कासित प्रतिभागी के साथ कारोबार नहीं करेगा।

34.10.2. प्रतिभागी के निष्कासन के मामले में, ग्राहक के पास या तो प्रतिभागी के पास रखी गई प्रतिभूतियों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करने या प्रतिभूतियों को फिर से भौतिक बनाने का विकल्प होगा।

34.11. निष्कासन नियम लागू होंगे

34.11.1. जब कोई प्रतिभागी मृत्यु के अलावा किसी अन्य तरीके से व्यवसाय करना बंद कर देता है, तो प्रतिभागी को निष्कासित माना जाएगा और उस स्थिति में इन उप-नियमों में निहित निष्कासन से संबंधित सभी प्रावधान ऐसे संबंधित प्रतिभागी पर सभी तरह से लागू होंगे।

34.12. व्यवसाय के निष्कासन/समाप्ति/निलंबन की सूचना

34.12.1. अन्य सभी प्रतिभागियों को आईआईडीआईएल की प्रणाली के माध्यम से एक प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल के संचालन के संबंध में व्यवसाय के निष्कासन, समाप्ति या निलंबन की सूचना दी जाएगी या किसी अन्य शुल्क, उसके भागीदारों, अधिकृत प्रतिनिधियों या अन्य कर्मचारी पर लगाए गए दंड की सूचना दी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में और इस तरह से जो वह उचित समझे, आईआईडीआईएल के प्रतिभागियों और/या ग्राहकों और जनता को सूचित कर सकता है कि ऐसी अधिसूचना में नामित किसी भी व्यक्ति को निष्कासित, निलंबित कर दिया गया है या उसके व्यवसाय को निलंबित कर दिया गया है या वह एक प्रतिभागी नहीं रह गया है। आईआईडीआईएल या अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, या अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के किसी सदस्य या आईआईडीआईएल के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इस तरह की अधिसूचना के प्रकाशन या प्रसार के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई कार्रवाई या अन्य कार्यवाही, ऐसे निलंबित/निष्कासित/समाप्त हो चुके प्रतिभागी द्वारा करने योग्य नहीं होगी।

34.13. लाभार्थी स्वामी/ग्राहक/प्रतिभागी और आईआईडीआईएल के बीच अनुबंध को रद्द करने की प्रक्रिया

34.13.1. लाभार्थी स्वामी/ग्राहकों और प्रतिभागी और आईआईडीआईएल के बीच किया गया समझौता निम्नलिखित मामलों में रद्द कर दिया जाएगा:-

34.13.1.1. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति द्वारा प्रतिभागी के निष्कासन पर; या

34.13.1.2. इन उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार आईआईडीआईएल द्वारा प्रतिभागी या उसकी सेवाओं की समाप्ति पर।

34.13.2. समझौता तभी रद्द रहेगा जब इस तरह के रद्द को आईआईडीआईएल द्वारा अनुमोदित किया गया हो। आईआईडीआईएल ऐसे समझौते को रद्द करने के लिए तभी स्वीकृति देगा जब:

34.13.2.1. लाभार्थी स्वामी/प्रतिभागियों के साथ ग्राहकों और आईआईडीआईएल के सहभागियों के खातों में कोई निलम्बन शेष नहीं है;

34.13.2.2. प्रतिभागी के सभी ग्राहकों के खाते बंद कर दिए गए हैं और कोई शेष राशि मौजूद नहीं है;

34.13.2.3. प्रतिभागी ने आईआईडीआईएल को अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान या निपटान कर दिया है;

34.13.2.4. लाभार्थी स्वामी और सहभागी के बीच अनुबंध को रद्द करने से लाभार्थी स्वामी/ग्राहक और सहभागी के दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अनुबंध के रद्द होने से बचा रहेगा।

34.13.3. उपनियम 34.13.2 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार समझौते को रद्द करना प्रतिभागी द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में उस समय उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या दावों को प्रभावित नहीं करेगा जब वह आईआईडीआईएल का प्रतिभागी था।

अध्याय 35: अपील

35.1. अपील का अधिकार

35.1.1. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति द्वारा पारित आदेश से व्यथित किसी भी प्रतिभागी को अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के उक्त आदेश के विरुद्ध आईआईडीआईएल में अपील करने का अधिकार होगा।

35.2. अपील की प्रक्रिया

35.2.1. अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर एक प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल में अपील दायर की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील के कारणों और

आधारों को बताते हुए निदेशक मंडल के साथ एक नोट और अपील का ज्ञापन दाखिल करके अपील दायर की जा सकती है और इसमें मांगी गई राहत, यदि कोई हो, का भी उल्लेख होना चाहिए।

- 35.2.2. आईआईडीएल का बोर्ड या इस संबंध में अधिकृत आईआईडीएल के बोर्ड की कोई भी समिति अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति के आदेश और प्रतिभागी द्वारा दायर अपील पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति के आदेश से सहमत होगी या पारित किसी भी आदेश पर ऐसी अवधि के लिए और ऐसे नियम एवं शर्तों पर रोक लगा देगी जैसा कि आईआईडीआईएल या आईआईडीआईएल के बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, उचित समझे।

35.3. अपील पर विचार

- 35.3.1. अपील की सुनवाई आईआईडीआईएल के बोर्ड या आईआईडीआईएल के बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी जिसे सुनवाई की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। ऐसी सुनवाई में, अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हो सकता है या निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति से अधिवक्ताओं, वकीलों, अधिवक्ताओं और अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकता है।

- 35.3.2. आईआईडीआईएल के बोर्ड या आईआईडीआईएल के बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति को दी गई अपील के निपटान की समय सीमा ऐसी अपील करने की तारीख से या आईआईडीआईएल के बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य विस्तारित समय की तारीख से दो महीने तक होगी।

35.4. अभिलेख

- 35.4.1. अपील से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाई समिति और आईआईडीआईएल के बोर्ड के रिकॉर्ड की एक प्रति प्राधिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रस्तुत की जाएगी।

35.5. तीसरे पक्ष के दावे

- 35.5.1. तीसरे पक्ष के दावों से निपटने का तरीका रू किसी लाभार्थी स्वामी/ग्राहक द्वारा आईआईडीआईएल में धारित किसी भी प्रतिभूति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे की स्थिति में, उस प्रतिभागी द्वारा लिखित रूप में प्राप्त किया जा रहा है जिसके माध्यम से उस लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रतिभूतियां रखी गई हैं/ ग्राहक, या तो सीधे दावेदार से या प्रतिभागी के माध्यम से, प्रतिभागी तत्काल आईआईडीआईएल और इस तरह के दावे के लाभार्थी मालिक/ग्राहक को सूचित करेगा।

बशर्ते कि, आईआईडीआईएल ऐसे दावे के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के उचित आदेश या निर्देश के अभाव में ऐसे दावे या नोटिस पर कार्यवाई नहीं करेगा।

बशर्ते कि आईआईडीआईएल इस तरह के दावे या नोटिस की प्राप्ति पर, यदि वह ऐसा उचित समझे, तो संबंधित लाभार्थी मालिक/ग्राहक को आईआईडीआईएल या संबंधित लाभार्थी मालिक/ग्राहक पक्ष में आईआईडीआईएल की एक शर्त के रूप में एक उपयुक्त क्षतिपूर्ति निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है जिसमें लाभार्थी मालिक/ग्राहक को विवादित प्रतिभूतियों के साथ कारोबार करने की अनुमति दी जा सकती है।

- 35.5.2. जहां ऐसा दावा आईआईडीआईएल द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है, आईआईडीआईएल ऐसे दावे के प्रतिभागी को तुरंत सूचित करेगा और पूर्वोक्त सभी कार्यवाइयां करेगा।

अध्याय 36: अस्वीकरण और क्षतिपूर्ति

36.1. अस्वीकरण

- 36.1.1. जहां लागू कानूनों या इन उप-नियमों या परिचालन निर्देशों या उसके अनुसरण में निष्पादित समझौतों के प्रावधानों के अनुपालन में चूक या गलती या त्रुटि के किसी भी कार्य के कारण किसी पार्टी या व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति होती है या किसी भी प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लियरिंग सदस्य या क्लियरिंग निगम या उनके कर्मचारियों, नौकरों या एजेंटों की ओर से लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण हानि होती है, और यदि आईआईडीआईएल को इस प्रकार के पक्ष या व्यक्ति को इस प्रकार से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी है तो आईआईडीआईएल इस प्रकार से क्षतिपूर्ति की राशि को चूक करने वाले प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लियरिंग सदस्य या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से वसूल करेगा।

- 36.1.2. जहां किसी पक्ष या व्यक्ति को बुलियन एक्सचेंज विनियम, आईएफएससीए अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और किसी भी अन्य सहित लागू कानूनों, उप-नियम और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देश या इन उपनियमों और/या बुलियन संचालन निर्देशों या उनके अनुसार किए गए अनुबंधों के उलंघन के कारण क्षति हुई है या किसी ग्राहक द्वारा की गई लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण हानि हुई है और यदि आईआईडीआईएल को इस प्रकार के

पक्ष या व्यक्ति को इस प्रकार से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी है तो आईआईडीआईएल इस प्रकार से क्षतिपूर्ति की राशि को चूक करने ग्राहक से वसूल करेगा।

36.2. क्षतिपूर्ति

- 36.2.1. आईआईडीआईएल लाभार्थी स्वामियों को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा जो ऐसे लाभार्थी स्वामियों को आईआईडीआईएल या इसके प्रतिभागियों या आईआईडीआईएल के किसी कर्मचारी के गलत कार्य, लापरवाही या चूक के कारण हो सकता है।
- 36.2.2. प्रत्येक प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्य और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आईआईडीआईएल और प्रत्येक अन्य प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्य और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को सभी नुकसान, हानि, क्षति, चोट और दंड से सुरक्षित रखेगा और सभी लागतों, प्रभारों, और व्ययों से सुरक्षित रखेगा जो किसी प्रतिभागी, जारीकर्ता, क्लीयरिंग सदस्य और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को किसी मुकदमें, कार्यवाही, मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के कारण उन्हें वहन करने पड़ सकते हैं, जिनका सामना लागू कानूनों या इन उपनियमों या संचालन निर्देशों या उनके अनुसार निष्पादित किए गए अनुबंधों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन या चूक के कारण या प्रतिभागी, जारीकर्ता, आरटीए, क्लीयरिंग सदस्य और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, इसके कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा की गई लापरवाही के कारण करना पड़ सकता है।
- 36.2.3. प्रत्येक ग्राहक आईआईडीआईएल और प्रत्येक अन्य ग्राहक को सभी नुकसान, हानि, क्षति, चोट और दंड से सुरक्षित रखेगा और सभी लागतों, प्रभारों, और व्ययों से सुरक्षित रखेगा जो किसी आईआईडीआईएल या किसी ग्राहक को किसी मुकदमें, कार्यवाही, मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के कारण उन्हें वहन करने पड़ सकते हैं, जिनका सामना लागू कानूनों, जिनमें बुलियन एक्सचेंज विनियमों, आईएफएससीए अधिनियम, और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियम शामिल हैं, और अन्य लागू कानूनों या इन उपनियमों और/या बुलियन संचालन निर्देशों या उनके अनुसार निष्पादित अनुबंध की गैर अनुपालना या चूक या ग्राहक, उसके कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों सहित, द्वारा की गई लापरवाही के कारण करना पड़ सकता है।
- 36.2.4. आईआईडीआईएल सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर अपनी प्रणाली और सेवाएं प्रदान करेगा और आईआईडीआईएल और/या इसके निदेशक, कर्मचारी और एजेंट किसी भी ग्राहक को ऐसी खराबी, देरी या कार्य न करने के कारण, जिस पर आईआईडीआईएल का नियंत्रण नहीं है, किसी भी ग्राहक को हुई क्षति के लिए कोई दायित्व नहीं लेंगे।
- 36.2.5. आईआईडीआईएल बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, ट्रांसफर और तिजोरी प्रबंधकों द्वारा रखे गए बुलियन के संबंध में उनके लेखांकन की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी ग्राहक या जमाकर्ता या तिजोरी प्रबंधक, आईआईडीआईएल और/या इसके निदेशकों, कर्मचारियों और एजेंटों के धोखाधड़ी या कदाचार के कारण बुलियन के अधिकार सहित बुलियन में किसी भी दोष की स्थिति में, आईआईडीआईएल और/या इसके निदेशक, कर्मचारी और एजेंट किसी ग्राहक सहित किसी भी व्यक्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
- 36.2.6. पूर्वोक्त के साथ पूर्वाग्रह के बिना, गलत कार्य, लापरवाही या आईआईडीआईएल या प्रतिभागी की चूक के कारण लाभार्थी स्वामी को हुई किसी भी हानि के संबंध में, आईआईडीआईएल ऐसे लाभार्थी स्वामी की क्षतिपूर्ति करेगा। बशर्ते कि जहां प्रतिभागी की लापरवाही के कारण हुए नुकसान की आईआईडीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है, आईआईडीआईएल को ऐसे प्रतिभागी से इसे वसूल करने का अधिकार होगा।

अध्याय 37: सुलह और मध्यस्थता

37.1. समझौता

- 37.1.1. आईआईडीआईएल में सौदों के संबंध में उत्पन्न सभी दावों, मतभेदों और विवादों में, चाहे आईआईडीआईएल एक पक्ष हो या नहीं, जिनमें उपनियमों और/आईआईडीआईएल के बुलियन संचालन निर्देशों के अधीन या उनके अनुसार किए गए समझौते, अनुबंध और लेनदेन शामिल हैं, या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ण करने या पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के संबंध में सभी दावों, मतभेदों और विवादों में, और जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या इस प्रकार के सौदे, लेनदेन, समझौते और अनुबंध किए गए हैं या नहीं, पक्ष समझौते की प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग प् के प्रावधानों के अधीन होंगे।

37.2. मध्यस्थता

- 37.2.1. लागू कानूनों के अधीन, आईआईडीआईएल मध्यस्थों का एक पैनल बनाएगा, जिसमें आईआईडीआईएल द्वारा उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में मध्यस्थता के मामलों का अनुभव है और मध्यस्थता कार्यवाही आईएफएससीए या आईआईडीआईएल द्वारा समय – समय पर निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की जाएगी।

अध्याय 38: क्षेत्राधिकार

38.1. क्षेत्राधिकार

- 38.1.1. इन उप-नियमों के तहत आईआईडीआईएल और किसी भी मध्यस्थ के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को गांधीनगर, गुजरात में आईआईडीआईएल की कम्प्यूटरकृत प्रसंस्करण इकाई में उत्पन्न माना जाएगा और लाभार्थी मालिकों/ग्राहकों के बीच अनुबंध का स्थान गांधीनगर में होगा। लाभार्थी स्वामी/ग्राहक अपने अनुबंधों/करारों पर स्पष्ट रूप से यह दर्ज करेंगे कि इन उप-नियमों के तहत या किसी मामले के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में उन्होंने गांधीनगर में सिविल कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया है और केवल गांधीनगर में सिविल कोर्ट इस तरह के विवाद से उत्पन्न होने वाले दावों में अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा। इस धारा के प्रावधान आपवस में अन्य पक्षों के बीच/दूसरे पक्ष के साथ किसी भी ऐसे विवाद को किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तय करने पर आपत्ति नहीं करेंगे, जिसमें आईआईडीआईएल एक पक्ष नहीं है।
- 38.1.2. एक केंद्रीय प्रेसेसिंग इकाई या प्रसंस्करण इकाइयों या कंप्यूटर प्रोसेसिंग इकाइयों के समूह द्वारा रखा गया आईआईडीआईएल का रिकॉर्ड, चाहे किसी रजिस्टर में रखा गया हो, चुंबकीय भंडारण इकाइयों, इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाइयों, ऑप्टिकल भंडारण इकाइयों या कंप्यूटर भंडारण इकाइयों या किसी अन्य तरीके से संग्रहित किया गया हो, उसे स्वचालित व्यापार प्रणाली के माध्यम से किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में सहमत और प्रामाणिक रिकॉर्ड माना जाएगा। किसी भी विवाद के प्रयोजनों के लिए आईआईडीआईएल द्वारा कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को आईआईडीआईएल के ग्राहकों के बीच या आईआईडीआईएल के ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के बीच किसी भी विवाद या दावे में वैध साक्ष्य माना जाएगा।

38.2. क्षतिपूर्ति

- 38.2.1. आईआईडीआईएल ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ग्राहक ऐसे किसी भी दावे या इस तरह के विवाद से होने वाले नुकसान के लिए आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 38.2.2. ग्राहक/जमाकर्ता, जमा किए गए सराफा या बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के तहत डिलिवर किए गए सराफा की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में तिजोरी प्रबंधक और जमाकर्ता/ग्राहक के बीच किसी भी दावे, अंतर या विवाद के कारण आईआईडीआईएल द्वारा वहन किए गए किसी भी नुकसान, दावों या हानि के विरुद्ध आईआईडीआईएल को सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।

38.3. केवल ग्राहक मान्यता प्राप्त पक्ष होंगे

- 38.3.1. आइआईडीआईएल ग्राहकों और लाभकारी स्वामियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी सौदे के लिए पार्टियों के रूप में मान्यता नहीं देता है। प्रत्येक लाभार्थी स्वामी/ग्राहक प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से उपनियमों और आईआईडीआईएल के बुलियन संचालन निर्देशों के अनुसार, और उनकी सीमा तक प्रत्येक अन्य ग्राहक के लिए उत्तरदायी है जिसके साथ ऐसा ग्राहक डिपॉजिटरी सिस्टम का उपयोग करके सेवाएं प्रदान कर सकता है, चाहे ऐसा उपयोग लाभार्थी स्वामी/ग्राहक के लिए या लाभार्थी स्वामी/ग्राहक की ओर से किया गया हो।

38.4. उपनियमों और बुलियन परिचालन निर्देशों के अधीन सेवाएं

- 38.4.1. डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थी मालिकों/ग्राहकों द्वारा प्राप्त सभी सेवाएं आईआईडीआईएल के उप-नियमों के अनुसार होंगी और उपनियमों और/या आईआईडीआईएल के बुलियन संचालन निर्देशों के अधीन होंगी और यह सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का एक हिस्सा होंगी और इन उपनियमों और/या आईआईडीआईएल के बुलियन संचालन निर्देशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संबंध में उचित प्राधिकार द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों के अधीन होंगी।

अध्याय 39: विविध

- 39.1. आईआईडीआईएल को लाभार्थी मालिकों/ग्राहकों/जमाकर्ताओं/उपभोक्ताओं द्वारा लेनदेन करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध या शर्तें लगाने का अधिकार होगा यदि आईआईडीआईएल की राय में यह डिपॉजिटरी सिस्टम के निष्पक्ष और व्यवस्थित कामकाज के लिए न्यायसंगत और उचित है या यदि यह अन्यथा व्यापार और जनहित में उचित है। इस तरह के प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के दौरान, कोई भी प्रतिभागी, किसी भी खाते के लिए, जिसमें उसका हित है या किसी लाभकारी स्वामी/ग्राहक के खाते के लिए, ऐसे प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होगा।
- 39.2. उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों या आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट को छोड़कर आईआईडीआईएल के संवर्धन, सहायता, विनियमित, प्रबंधित और संचालित करने में, आईआईडीआईएल का कोई दायित्व नहीं माना जाना

चाहिए, और तदनुसार डिपोजिटरी सिस्टम में लाभार्थी सवामी/ग्राहक के किसी लेनदेन के संबंध में या किसी अन्य मामले के संबंध में आईआईडीआईएल या उसकी तरफ से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा या उपाय नहीं किया जाना चाहिए।

- 39.3. इस उपनियमावली, या किसी उप कानून, बुलियन ऑपरेटिंग निर्देश, जहां लागू हो, की किसी भी आवश्यकता का पालन करने या अनुपालन करने में विफलता को संबंधित प्राधिकरण द्वारा ऐसे उप कानूनों और /या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों के उल्लंघन के रूप में निपटाया जा सकता है।
- 39.4. आईआईडीआईएल और/या आईआईडीआईएल के लिए काम करने वाले किसी भी अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के कामकाज के संबंध में कोई भी दावा, मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो कार्य सदभावना से किया गया है या किसी भी कानून के अंतर्गत या वर्तमान में लागू प्रत्यायोजित कानून के अंतर्गत आईआईडीआईएल द्वारा किसी आदेश या अन्य बाध्यकारी निर्देश के अनुसार किया गया है।
- 39.5. आईआईडीआईएल के सभी रिकॉर्ड, पत्राचार, डेटा, सूचना, कार्यवाही, विवरण, निर्णय गोपनीय होंगे और आईआईडीआईएल को किसी भी पाक्ष या व्यक्ति को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब आईएफएससीए या किसी सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर ऐसा करने के लिए कहा जाए।
- 39.6. उप-नियमों और/या बुलियन ऑपरेटिंग निर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में किसी भी कठिनाई के मामले में या टकराव के मामले में, आईआईडीआईएल के पास स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति होगी, यदि परिस्थितियों की मांग है और ऐसा स्पष्टीकरण अंतिम और सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 39.7. बोर्ड/उचित प्राधिकार/आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट या बनाए गए उपनियम और/या बुलियन संचालन निर्देश, जिनमें सभी परिवर्तन, बदलाव और संशोधन शामिल हैं, समय समय पर आईएफएससीए द्वारा जारी नियमों/विनियमों/निर्देशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन होंगे और इस प्रकार के सभी नियम/विनियम/निर्देश/अधिसूचनाएं/परिपत्र जो आईएफएससीए द्वारा आईआईडीआईएल के लिए उसके के संबंध में जारी किए हैं, उपनियमों और या बोर्ड/उचित प्राधिकार/बुलियन डिपोजिटरी द्वारा निर्दिष्ट बुलियन संचालन निर्देशों में शामिल माने जाएंगे और बोर्ड/उचित प्राधिकार/आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट उपनियम और/या बुलियन संचालन निर्देश आईएफएससीए द्वारा अधिसूचना की तिथि को प्रभावी संशोधनों/परिवर्तनों की सीमा तक परिवर्तित/संशोधित माने जाएंगे।

इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड
के लिए

(कौशल विजयकुमार सम्पत्त)

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन 09451743)

अनुलग्नक क

संविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [●] (दिन/माह/वर्ष) को इस रिपोर्ट के साथ सलग्न परिकलित विवरण के अनुसार [●] (निक्षेपागार प्रतिभागी का नाम) की शुद्ध सम्पत्ति [●] भारतीय रुपये मात्र है।

इसके अलावा प्रमाणित किया जाता है कि लेखों, अभिलेखों और दस्तावेजों की मेरी/हमारी जांच के आधार पर शुद्ध सम्पत्ति का आकलन मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और मेरी/हमारी संतुष्टि के लिए प्रदान की गई सूचना के अनुसार है।

स्थान: [●] दिनांक: [●]

[●] (संविधिक लेखापरीक्षक फर्म का नाम) के लिए

हिस्सेदार का नाम:

चार्टर्ड लेखापरीक्षक:

सदस्यता संख्या:

नोट: यह प्रमाणपत्र संविधिक लेखापरीक्षक फर्म के नाम से पत्र पर दिया जाएगा।

अनुलग्नक क

शुद्ध सम्पत्ति का परिकलन

क्रम संख्या		विवरण	चालू वर्ष (भारतीय रुपये)	पिछला वर्ष (भारतीय रुपये)
1.		चूकता पूंजी + आरक्षित निधि – शेयर आवेदन धनराशि (कुल रिजर्व घटा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि और निर्दिष्ट आरक्षित निधि)		
		घटा:		
	क	संचित हानियां		
	ख	प्राप्य (6 माह से अधिक पहले का)		
	ग	ग्रुप कम्पनियों से प्राप्य		
	घ	अमूर्त सम्पत्तियां		
	ङ	प्रारंभिक और कार्यपूर्व खर्च जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है		
	च	गिरवी प्रतिभूति के मूल्य से अधिक ऋण		
	छ	गिरवी सम्पत्तियों के मूल्य से अधिक ऋण		
	ज	ग्रुप कम्पनियों में निवेश		
	झ	अन्य निक्षेपागारों के लिए आवश्यक शुद्ध सम्पत्ति		
	ञ	ग्रुप कम्पनियों को ऋण और अग्रिम		
	ट	शुद्ध आकस्मिक देयताएं		
2.		उप-योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)		
		उपलब्ध शुद्ध सम्पत्ति (1-2)		

टिप्पणियां:

1. मद संख्या ग, छ, ज, झ, ट और ङ के अंतर्गत वर्णित विवरणों को इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. संविधिक आकस्मिक देयताओं के मामले में देयताओं का केवल 50 प्रतिशत घटाया जाएगा।
3. सभी निवेशों का प्रतिभूति-वार विवरण (उद्धृत और अनुद्धृत) इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया जाएगा।

अनुलग्नक ख

इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड और एक डिपोजिटरी प्रतिभागी के बीच अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को पर निम्न के बीच हुआ:

इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट-310 व 311, तीसरा तल, सिगनेचर टॉवर, ब्लॉक-13, रोड 1 सी, जॉन-1, जीआईएफटी एसईजेड, गिफ्ट सिटी गांधीनगर-382355 (जिसे यहां पर "आईआईडीआईएल") कहा गया है, जो प्रथम पक्ष है;

और

..... (कानूनी इकाई का विवरण), जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में स्थित है जो प्रथम पक्ष है जिसे यहां पर "प्रतिभागी" कहा गया है, जिसे दूसरा पक्ष कहा गया है।

जबकि प्रतिभागी ने आईआईडीआईएल को एक प्रतिभागी के रूप में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (आईएफएससीए) द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु दिनांक को एक आवेदन किया था।

और जबकि आईआईडीआईएल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (आईएफएससीए अधिनियम) सपठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली 2021 (एमआईआई विनियमावली) और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत प्रतिभागी को एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उक्त आवेदन को आईएफएससीए को अग्रेसित करने के लिए सहमति दी है।

और जबकि आईआईडीआईएल प्रतिभागी को नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों पर एक प्रतिभागी के रूप में आईआईडीआईएल में अनुमति देने के लिए सहमत हुआ है जो आईएफएससीए द्वारा उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर अधीन है।

इसलिए अब प्रतिभागी को आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के रूप में अनुमति प्रदान करने लिए आईआईडीआईएल की सहमति पर विचार करते हुए दोनों पक्ष एतद द्वारा निम्न से सहमत हैं और अनुबंध करते हैं:

1. सामान्य अनुच्छेद

- 1.1 इन उपनियमों में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जिन्हें यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन लागू कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उन्हें कथित कानूनों के अंतर्गत उन्हें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम सपठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) निर्देशावली, 2015 (लागू सीमा तक), और उसमें जारी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जारी परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत नियम और भारतीय विनियम, प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और इसके अंतर्गत नियम, विनियम, निर्देश और दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (डिपोजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियमावली, 2018 (लागू सीमा तक), डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत बने नियम और विनियम।
- 1.2 यदि संदर्भ या उसके अर्थ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो, यहां प्रयोग किए गए "लाभप्रद स्वामी", "क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन", "जारीकर्ता", "प्रतिभागी" और "आरटीए" शब्दों का अर्थ आईआईडीआईएल के संबंध में क्रमशः एक लाभप्रद सदस्य, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, जारीकर्ता, प्रतिभागी, और एक इश्यु के लिए रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट (जो भी मामला हो) होगा और "अधिनियम", "उपनियम", और "संचालन निर्देश" का अर्थ क्रमशः होगा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना) विनियमावली, 2021", आईआईडीआईएल के उपनियम और आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देश।
- 1.3 प्रतिभागी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपोजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 (लागू सीमा तक) और एमआईआई विनियमों और अन्य लागू कानूनों के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम द्वारा बाध्य होंगे और उपनियमों और आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संचालन निर्देशों का उसी तरह और उसी सीमा पालन तक करने के लिए सहमत होंगे जैसे कि यहां निर्धारित किए गए हों और इस समझौते का हिस्सा हों।
- 1.4 प्रतिभागी सभी मामलों, प्रविष्टियों या लेन-देन के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने या उनके अनुपालन के लिए जहां तक आवश्यक हो, प्रतिभागी बनने के बाद भी, उप-नियमों और संचालन निर्देशों से बाध्य रखेंगे जो हो सकता है कि प्रतिभागी ने प्रतिभागी बनने से पहले किए हों, निष्पादित किया हो, प्रवेश किया हो, शुरू किया हो या करने की आवश्यकता हो और जो उसके प्रतिभागी बनने के समय बकाया, अधूरे या लंबित हो।

- 1.5 यहां दिए गए प्रतिभागी के उद्देश्य इन उपनियमों और संचालन निर्देशों में दिए गए दायित्वों के अतिरिक्त हैं, और इस प्रकार के किसी एक या अधिक दायित्वों को अनुबंध से हटाने का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि वे यहां दिए गए दायित्वों में छूट है।

2 शुल्क, प्रभार और जमा

- 2.1 प्रतिभागी, ऐसी फीस, प्रभार और जमा राशियों के अलावा, जो आईएफएसीए को देय हो सकते हैं, आईआईडीआईएल को ऐसे शुल्क, प्रभार और जमा राशि का भुगतान करना होगा जैसा कि समय-समय पर इसके संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाता है। प्रतिभागी द्वारा शुल्क, प्रभार या जमा, जैसा भी मामला हो, का आईआईडीआईएल द्वारा इसके संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट संबंधित निर्धारित तिथि तक, भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, तब, किसी भी अधिकार या उपचारों के अतिरिक्त जो प्रतिभागी के विरुद्ध आईआईडीआईएल के पास हो सकते हैं, प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर इस तरह के विलंबित भुगतान की मात्रा पर इस तरह के विलंबित भुगतान या उसके हिस्से पर आईआईडीआईएल को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह के शुल्क, प्रभार और जमा आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के अधीन होंगे, बशर्ते कि आईआईडीआईएल, प्रतिभागी द्वारा देय शुल्क, प्रभार या जमा में किसी भी वृद्धि को प्रभावित करने से पहले, इस संबंध में प्रतिभागी को कम से एक महीने का नोटिस।

3 युनीक पहचान संख्या

- 3.1 आईआईडीआईएल प्रतिभागी को एक युनीक पहचान संख्या प्रदान करेगा ("प्रतिभागी आईडी")।

4 प्रतिभागी द्वारा स्थापित किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

- 4.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल से संबंधित गतिविधियों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, संचार उपकरण और निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने परिसर में स्थापित करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 4.2 इसके अलावा यह भी सहमति दी जाती है कि जब तक आईआईडीआईएल या उसके एजेंटों द्वारा सीधे आपूर्ति नहीं की जाती है, सभी कंप्यूटर, संचार उपकरण, प्रिंटर, निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयां और प्रतिभागी द्वारा खरीदे गए अन्य सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्दिष्ट कॉन्फिगरेशन के होंगे और केवल आईआईडीआईएल के पैनल में शामिल ब्रांडों या किसी अन्य ब्रांड से जिसे आईआईडीआईएल द्वारा ऐसी खरीद से पहले लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो, से सोर्स किए जाएंगे।
- 4.3 उपरोक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रतिभागी द्वारा विशेष रूप से आईआईडीआईएल के विशिष्ट एप्लिकेशन मॉड्यूल के लिए किया जाएगा और भले ही कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग या डेटा स्टोरेज क्षमता हो, इसका उपयोग आरटीए के बैंक-ऑफिस सहित किसी अन्य एप्लिकेशन के लिए नहीं किया जाएगा।
- 4.4 उपरोक्त हार्डवेयर को आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रतिभागी द्वारा अपने इंटर-ऑफिस वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) से नहीं जोड़ा जाएगा। आईआईडीआईएल ऐसी अनुमति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी राय में, इस तरह की अनुमति देने में दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित आईआईडीआईएल के अपने वैन के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लंघन होता है या यदि इसकी अनुमति देने में, आईआईडीआईएल को अपने वैन की विश्वसनीयता को जोखिम की आशंका है या किसी अन्य कारण से जोखिम है जैसा कि आईआईडीआईएल उचित समझता है।
- 4.5 प्रतिभागी, समय-समय पर, अपनी स्वयं की लागत पर, उक्त हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के ऐसे परिवर्धन, संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन का कार्य करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

5 कनेक्टिविटी और सिस्टम

- 5.1 प्रतिभागी और आईआईडीआईएल एक दूसरे के साथ संचार के एक सतत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की स्थापना और रखरखाव करेंगे।
- 5.2 आईआईडीआईएल प्रतिभागी को समय-समय पर आवश्यक परिचालन निर्देश प्रदान करेगा, जैसा कि डिपॉजिटरी संचालन से संबंधित व्यवसाय के प्रभावी और त्वरित संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है।
- 5.3 प्रतिभागी, आईआईडीआईएल में प्रतिभागी के रूप में अपने संचालन के संबंध में, अपनी लागत पर इस तरह की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संचार के साधनों, बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरणों और बैंक-अप सुविधाओं की खरीद और रखरखाव करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल निर्दिष्ट कर सकता है और समय-समय पर इसे अपग्रेड या प्रतिस्थापित करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

- 5.4 प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा और कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों के कार्यप्रदर्शन की लेखा परीक्षा में विशेषज्ञता या विशेष कौशल वाले पेशेवरों की आईआईडीआईएल द्वारा नियुक्त एक या अधिक टीमों (जिन्हें 'सिस्टम ऑडिट टीम' कहा जाता है) को प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के आवधिक मूल्यांकन के लिए अपने सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देगा।
- 6 गतिविधि शुरू करने की प्रभावी तिथि
- 6.1 एक प्रतिभागी के रूप में उसके द्वारा गतिविधि को शुरू करने की तिथि निम्नलिखित अंतिम तिथियां होंगी:
- 6.1.1 इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि;
- 6.1.2 आईएफएससीए द्वारा प्रतिभागी को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने की तिथि;
- 6.2 न तो यहां दिए गए किसी प्रावधान का और न ही इस अनुबंध के अनुसार किसी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी कार्य का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र का हकदार है और आईआईडीआईएल किसी भी तरह से किसी भी लागत, प्रभार, व्यय, हानियों, क्षतियों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं हैं जो आईएफएससीए द्वारा प्रतिभागी के रूप में पंजीकरण के आवदेन को अस्वीकार करने या उसे प्रदान के बाद रद्द करने की स्थिति में प्रतिभागी को हो सकती हैं।
- 7 प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल को प्रस्तुत किए जाने हैं सूचना/दस्तावेज
- 7.1 प्रतिभागी ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र आईआईडीआईएल को आईआईडीआईएल उपनियमों और/या संचालन निर्देशों की अवधि के अंदर प्रदान करेगा।
- 7.1.1 प्रतिभागी की निवल संपत्ति इस खंड के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट अंतिम मूल्य से नीचे आने की स्थिति में, प्रतिभागी तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित करेगा और यदि आईआईडीआईएल द्वारा ऐसा आवश्यक है तो आईआईडीआईएल को एक नया निवल संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जो पूर्वोक्त के रूप में गणना और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। इसके बाद आईआईडीआईएल आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों, उपनियमों या इस समझौते के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित और आवश्यक समझे।
- 7.2 जहां प्रतिभागी किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का सदस्य है या किसी अन्य डिपॉजिटरी में भागीदार है और इस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या अन्य डिपॉजिटरी जो भी मामला हो, के उपनियमों का उल्लंघन या चूक कतरा है या केंद्र या राज्य सरकार या आईएफएससीए के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है या उसके संचालनों, गतिविधियों या सदस्यता को निलम्बित कर दिया जाता है या इस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या अन्य डिपॉजिटरी, जो भी मामला हो, द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की चूक की प्रकृति, निलम्बन या समापन के बारे में सूचित करना होगा।
- 7.3 माह के दौरान लाभार्थी स्वामियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें, शेष शिकायतों का निवारण, उनकी प्रकृति और स्थिति और उनके निवारण के लिए प्रतिभागी द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना अगले माह की 10 (दस) तारीख से पहले दी जानी है।
- 7.4 प्रतिभागी आईआईडीआईएल को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में निहित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी विवरण के संबंध में किसी भी परिवर्तन के बारे में जल्द से जल्द आईआईडीआईएल को सूचित करेगा।
- 7.5 प्रतिभागी लाभार्थी स्वामियों और उनके खाते से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो।
- 8 प्रतिभागी के दायित्व
- 8.1 इस अनुबंध के चलते किसी भी लाभार्थी स्वामी के साथ कोई अनुबंध करने या खाता खोलने से पहले प्रतिभागी:
- 8.1.1 ऐसी सभी पूछताछ करेगा और उचित सावधानी बरतते हुए अन्य बातों के साथ-साथ इच्छुक लाभार्थी स्वामी के वास्तविकताओं को सुनिश्चित करने और ट्रैक रिकॉर्ड का पता लगाने में सावधानी और सावधानी रखेगा, जो आवश्यक हो;
- 8.1.2 लाभार्थी स्वामियों द्वारा खाता खोलने या प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करना;
- 8.1.3 जहां प्रतिभूतियां संयुक्त रूप से धारित हैं या एक से अधिक नामों से धारित हैं, खाता सभी धारकों के नाम से उसी क्रम में खोला जाएगा जैसा कि उन प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाणपत्रों पर दिखाई देता है;

- 8.1.4. जहां खाता एक से अधिक नामों से खोला गया है और उसमें नामित खाताधारक समय-समय पर प्रतिभागी को निर्देश जारी करने के लिए उनमें से एक या अधिक को अधिकृत करना चाहता है, तो प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकृत धारकों द्वारा अन्य धारकों से उचित प्राधिकार प्राप्त किया गया है।
- 8.1.5 प्रतिभागी किसी लाभार्थी स्वामी के खाते में तब तक कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं करेगा जब तक कि:
- 8.1.5.1 प्रतिभागी ने इसके लिए लाभार्थी स्वामी या आईआईडीआईएल से लिखित में पूर्व उचित निर्देश प्राप्त नहीं किए हैं और
- 8.1.5.2 इसके लिए पर्याप्त ऑडिट नहीं करवाया गया है।
- 8.1.6 प्रतिभागी द्वारा प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम से अलग खाते खोले और रखे जाएंगे और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग रखा जाएगा और अन्य लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों या प्रतिभागी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।
- 8.1.7 किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन, प्रतिभागी खाता खोलने के फॉर्म सहित, समय-समय पर संशोधित एमआईआई विनियमों के अनुसार सभी मूल दस्तावेजों और अभिलेखों और लाभकारी स्वामियों के साथ अनुबंध और लाभकारी स्वामियों से प्राप्त निर्देशों के साथ साथ अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रपत्रों और पुनःभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रपत्रों की प्रतियों को को न्यूनतम 20 (बीस) वर्षों के लिए संरक्षित रखेगा।
- 8.1.8 प्रतिभागी द्वारा या उसके माध्यम से किए गए या किए गए सभी लेनदेन और प्रविष्टियों के संबंध में आईआईडीआईएल को सभी शुल्क, प्रशुल्क, बकाया और दंड के भुगतान के लिए प्रतिभागी की जिम्मेदारी और दायित्व बिना शर्त रहेगा और ऐसी राशि प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल को इस बात पर ध्यान दिए बिना देय होगी कि प्रतिभागी ने संबंधित लाभकारी स्वामी से कोई राशि प्राप्त की है या वसूल की है या नहीं, लाभार्थी स्वामी से ऐसी वसूली प्रतिभागी की एकमात्र जिम्मेदारी है।
- 8.1.9 प्रतिभागी, जहां तक संभव हो, किसी भी लाभार्थी स्वामी से प्राप्त निर्देशों को उसी दिन लागू करेगा जिस दिन निर्देश प्राप्त होते हैं और असफल होने पर, अगले दिन के कार्य घंटे के समापन से पहले निर्देशों का पालन करेंगे।
- 8.1.10 प्रतिभागी आईआईडीआईएल की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिभागी के साथ खाते में अभौतिक रूप में रखी लाभार्थी स्वामियों की किसी भी प्रतिभूति पर लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रतिभागी को देय बकाया की रिकवरी के लिए जमानत के रूप में किसी ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जिसमें लाभार्थी स्वामी द्वारा की गई धोखाधड़ी, लापरवाही या गलती के कारण प्रतिभागी और/या आईआईडीआईएल को हुए किसी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति शामिल है। आईआईडीआईएल से अनुमति प्राप्त होने पर प्रतिभागी संबंधित लाभार्थी स्वामी को लाभार्थी स्वामी के खाते में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में इस प्रकार के ग्रहणाधिकार के प्रयोग की सूचना देगा, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 8.1.11 किसी लाभार्थी स्वामी से संबंधित या उसकी तरफ बकाया किसी भी प्रतिभूति, उपकरण या दस्तावेज किसी भी हानि, क्षति या चोरी का पता चलने पर, जिसे कारोबार के दौरान प्रतिभागी को सौंपा गया है या उसके हाथ में आ जाते हैं, तो प्रतिभागी इसकी सूचना आईआईडीआईएल, संबंधित जारीकर्ता और/या आरटीए और लाभार्थी स्वामी को देगा।
- 8.1.12 प्रतिभागी स्वयं ही यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी शुल्क, कर या लेवी, यदि कोई हो, जो किसी भी प्रकृति के या किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत देय हो सकते हैं, जो कि प्रतिभागी द्वारा या उसके माध्यम से किए गए प्रविष्टियों के लेनदेन या स्थानान्तरण के संबंध में विधिवत हैं। कानून में आवश्यक के रूप में भुगतान किया।
- 8.1.13 प्रतिभागी अकेले ही यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि किसी भी प्रकृति के सभी शुल्क, कर या लेवी, यदि कोई हो, जो प्रतिभागी द्वारा या उसके माध्यम से किए गए लेनदेनों या हस्तांतरणों के संबंध में केंद्र या राज्य अधिनियमों के अंतर्गत देय हो सकते हैं, का भुगतान कर दिया गया है।
- 8.1.14 प्रतिभागी लाभार्थी स्वामियों से प्राप्त अनुरोधों को ऐसे समय के अंदर और ऐसे तरीके से संसाधित करेगा जो उप-नियमों और और आईआईडीआईएल द्वारा संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इसके लिए विनियमों द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा।
- 8.1.15 यहां दिए गए उपनियमों में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्रतिभागी किसी भी प्रविष्टि या लेनदेन को प्रभावी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और आईआईडीआईएल किसी भी प्रविष्टि या लेनदेन को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो किसी कानून या किसी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी आदेश

या डिग्री या केंद्र या राज्य सरकार या आईएफएससीए का उलंघन करता है या किसी अन्य वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के किसी आदेश का उलंघन करता है और जो प्रतिभागी या आईआईडीआईएल को दिया गया हो या और जो उनके ज्ञान के अनुसार किसी न्यायालय, न्यायधीकरण, या कानूनी या राजस्व परिधाकार के नियमों और अनुबंध का उलंघन है या जिसे आईआईडीआईएल अन्यथा इसके हित में या प्रतिभागी या लाभार्थी स्वामी के हित में नहीं समझता है।

- 8.1.16 किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी लाभकारी स्वामी के खाते को फ्रीज करने या लाभकारी स्वामी के खाते के संबंध में कोई कार्रवाई करने से संबंधित कोई आदेश जो आईएफएससीए अधिनियम और/या एमआईआई विनियम के अंतर्गत एक डिपॉजिटरी पर डाले गए दायित्वों के दायरे में है, आईआईडीआईएल या प्रतिभागी द्वारा केवल तभी प्रभावी किए जाएंगे जब इस प्रकार के प्राधिकार से लाभार्थी स्वामी पहचान संख्या (बीओआईडी) या पैन नम्बर के साथ विशिष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं यदि इन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ इसी अनुक्रम में नहीं रखा गया है।
- 8.1.17 लाभार्थी स्वामी द्वारा दिए गए निर्देशों और/या शासनादेश पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केवल प्रतिभागी ही जिम्मेदार होगा और निर्देशों और/या अधिदेशों को पूरा करने में विफलता के लिए केवल प्रतिभागी ही लाभार्थी स्वामी के लिए उत्तरदायी होगा।
- 8.1.18 प्रतिभागी डेटा प्रविष्टि और हस्तांतरण के लिए आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय सारिणी का कड़ाई से पालन करेंगे।
- 8.1.19 यदि एक माह के अंदर एक भी प्रविष्टि या लेनदेन हुआ है, तो प्रतिभागी प्रत्येक माह के अंत में लाभार्थी स्वामी को निर्दिष्ट तरीके से उसके खाते का विवरण प्रदान करेगा, और किसी भी सूरत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करेगा। प्रतिभागी इस प्रकार का विवरण लाभार्थी स्वामी की मांग के अनुसार न्यूनतम अवधि के अंदर यह विवरण प्रदान करेगा और लाभार्थी स्वामी प्रतिभागी द्वारा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेगा।
- 8.1.20 प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी द्वारा या उसकी तरफ से जारी निर्देशों की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा जिसमें लाभार्थी स्वामी(यों) के निर्देश पत्रियों पर हस्ताक्षर शामिल हैं और निर्देश पत्रियों पर हस्ताक्षरों के सत्यापन करने करने के बाद उन निर्देशों को प्रोसेस करने का वचन देता है। प्रतिभागी सुनिश्चित करेगा कि उसके पास उचित सिस्टम और/या प्रक्रियाएं हैं जैसा कि आईआईडीआईएल और/या आईएफएससीए समय समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।
- 8.1.20 यह सुनिश्चित करना प्रतिभागी की जिम्मेदारी होगी कि लाभार्थी स्वामी का कोई भी खाता न खोला जाए यदि वह आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमावली, आईआईडीआईएल द्वारा जारी दिशानिर्देशों, अधिसूचना, परिपत्र या किसी भी नाम से जारी किसी संचार और आईएफएससीए और आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी और लागू परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करता है।

9 प्रतिभागी के स्वयं के खाते से संबंधित दायित्व

- 9.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों को लाभार्थी स्वामियों की ओर से प्रतिभागी के रूप में धारित प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं करेगा।
- 9.2 प्रतिभागी को अपने स्वयं के किसी भी खाते में जमा और प्रतिभूतियों की निकासी के लिए ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा (लाभकारी मालिकों के खातों से अलग) जैसा कि उप-नियमों और परिचालन निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

10 अभिलेखों का रखरखाव

- 10.1 प्रतिभागी अपने आईआईडीआईएल से संबंधित कार्यों के संबंध में सभी दस्तावेजों और अभिलेखों का रखरखाव इस तरह से करेगा जैसा कि एमआईआई विनियमों, उप-नियमों और संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11 त्रुटियों का मिलान और परिशोधन

- 11.1 प्रतिभागी दैनिक आधार पर आईआईडीआईएल के साथ अपने रिकॉर्ड का मिलान करेगा। प्रतिभागी, एक सतत प्रक्रिया के रूप में और निरंतर आधार पर, आईआईडीआईएल से प्रतिभागी द्वारा प्राप्त सभी रिकॉर्ड, शेष राशि, सलाह, विवरण और रिपोर्ट के अपने स्वयं के और अपने लाभार्थी स्वामियों के रिकॉर्ड की जांच और मिलान करेगा। और इस तरह के रिकॉर्ड, शेष, सलाह, बयान और रिपोर्ट में किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में आईआईडीआईएल को तुरंत सूचित करेगा।
- 11.2 आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की गई कोई भी सलाह, कथन या रिपोर्ट, प्रकट त्रुटि या धोखाधड़ी की अनुपस्थिति में, इसकी विषय वस्तु के रूप में अंतिम होगी। जब तक आईआईडीआईएल द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है,

आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी सलाह, कथन या रिपोर्ट में आईआईडीआईएल को किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में सूचित करने में प्रतिभागी की विफलता प्रतिभागी के सुधार की आवश्यकता के अधिकार की उसके द्वारा आईआईडीआईएल के पक्ष में छूट माना जाएगा।

- 11.3 आईआईडीआईएल यदि संतुष्ट है कि यह किसी भी लाभार्थी स्वामी के हित में है, तो प्रतिभागी द्वारा पूर्वोक्त त्रुटि या चूक को सुधारने के लिए देर से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। यदि आईआईडीआईएल प्रतिभागी द्वारा देर से किए गए अनुरोध पर विचार करता है, तो इस तरह के देर से किए गए अनुरोध के कारण आईआईडीआईएल या किसी अन्य प्रतिभागी या लाभकारी मालिक को हुए किसी भी नुकसान के लिए प्रतिभागी उत्तरदायी होगा।
- 11.4 आईआईडीआईएल किसी भी लाभकारी स्वामी के खाते में की गई किसी भी गलत प्रविष्टि या लेनदेन को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईआईडीआईएल द्वारा ऐसा कोई सुधार किए जाने की स्थिति में, आईआईडीआईएल प्रतिभागी और संबंधित लाभकारी स्वामी को इस तरह के सुधार के बारे में सूचित करेगा।
- 11.5 आईआईडीआईएल के किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभागी की ओर से किसी त्रुटि, गलती या लापरवाही की स्थिति में, जिससे किसी लाभार्थी स्वामी के खाते में प्रतिभूतियों में नकारात्मक कमी आती है या नकारात्मक शेष रहता है तो आईआईडीआईएल अपने पूर्ण विवेक से निम्न में से कोई एक अधिक कार्यवाही कर सकता है:
 - 11.5.1 प्रतिभागी की अपनी लागत और व्यय पर कमी वाली प्रतिभूतियों में आई कमी को फिर से पूरा करने के लिए मांग कर सकता है;
 - 11.5.2 स्वयं प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीद कर भरपाई कर सकता है। आईआईडीआईएल द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद के संबंध में आई लागत और खर्च को प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाएगा। प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा उपरोक्तानुसार की गई प्रतिभूतियों की खरीद या पुनःपूर्ति के संबंध में आईआईडीआईएल को आई सभी लागतों, शुल्कों, प्रभारों, व्ययों, देनदारियों, हानियों और क्षतियों की प्रतिपूर्ति करेगा;
 - 11.5.3 यदि किसी भी कारण से आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर फिर से प्रतिभूतियों में आई कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो आईआईडीआईएल प्रतिभागी से इस प्रकार की गलत प्रविष्टियां लेनदेन की तिथि को या इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की तिथि को, जो भी अधिक हो, कम हो चुकी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के बराबर धन राशि का नकद भुगतान करने के लिए लाभार्थी स्वामी को आदेश दे सकता है और प्रतिभागी से उस अवधि के अंदर इस प्रकार की भरपाई करने की मांग कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे;
 - 11.5.4 प्रतिभूति के माध्यम से या कम हो चुकी प्रतिभूतियों की लंबित भरपाई के माध्यम से या उसके बदले में प्रतिपूर्ति के माध्यम से आईआईडीआईएल प्रतिभागी को तुरंत भुगतान करने का आदेश देगा।
- 11.6 उक्त अनुच्छेद 11.5 के उद्देश्य के लिए, "प्रतिभूतियों में कमी" शब्द में बोनस या अधिकार या लाभांश और अन्य कॉर्पोरेट लाभों के माध्यम से लाभार्थी स्वामी को त्रुटिपूर्ण कमी से होने वाली प्रतिभूतियों की हानि शामिल है।

12 स्वामित्व की सीमा

- 12.1 यदि प्रतिभागी एक स्टॉक ब्रोकर है, तो प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों का कुल बाजार मूल्य प्रतिभागी के साथ उनके खातों में किसी भी दिन आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो और यदि यह किसी भी दिन उक्त सीमा से अधिक हो जाता है, तो प्रतिभागी तुरंत आईआईडीआईएल को इसके बारे में सूचित करेगा और आईआईडीआईएल इस तरह के संचालन निर्देश जारी करने के लिए हकदार होगा जैसा कि उस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

13 अनुबंध का प्रारूप जो बाध्यकारी होगा

- 13.1 यहां निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, प्रतिभागी प्रत्येक अनुबंध के संबंध में, जो प्रतिभागी द्वारा क्रमशः प्रत्येक लाभार्थी स्वामी और क्लीयरिंग सदस्य के साथ किया जा सकता है, इन उपनियमों के साथ सलग्न मसौदा अनुबंध के प्रारूप का सख्ती से पालन करेगा और आईआईडीआईएल से लिखित अनुमति को छोड़कर इसमें कोई बदलाव, परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन नहीं करेगा या किसी प्रावधान को हटाएगा नहीं। प्रतिभागी उक्त मसौदा अनुबंध और/या उपनियमों और संचालन निर्देशों के विपरित या उनके असंगत या उनके अलावा या जो आईआईडीआईएल द्वारा अधिकृत नहीं है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कथन या प्रतिनिधित्व या लिए गए दायित्वों या जिम्मेदारियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा

14 आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट

- 14.1 प्रतिभागी उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और आईआईडीआईएल को प्रेषित डेटा की विश्वसनीयता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने आंतरिक संचालन की समीक्षा करने के लिए अलग आंतरिक नियंत्रण और एक ऑडिट विभाग की स्थापना सहित उपयुक्त सिस्टम, ऑडिट और नियंत्रण उपायों को स्थापित करेगा और उनका रखरखाव करेगा, जैसा कि उपनियमों और संचालन निर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 14.2 प्रतिभागी अपनी गतिविधियों और संचालन के संबंध में, समय-समय पर इस तरह के परिचालनात्मक, वित्तीय, तकनीकी या अन्य डेटा, सूचना, रिपोर्ट और रिटर्न, एक भागीदार के रूप में दाखिल करेगा और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, एक अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव, या एक सिस्टम ऑडिटर जो भी मामला हो, द्वारा य विधिवत लेखा परीक्षित और प्रमाणित करवा कर ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा जैसा कि उपनियमों और संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

15 आईआईडीआईएल द्वारा निरीक्षण

- 15.1 आईआईडीआईएल प्रतिभागियों के सभी किए गए सभी व्यवहारों से संबंधित सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों का निरीक्षण ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से करने का हकदार होगा जो आईआईडीआईएल द्वारा इस संबंध में अधिकृत हो सकते हैं और प्रतिभागी इस प्रकार से अधिकृत व्यक्तियों को किसी भी कार्य दिवस पर नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने परिसर में प्रवेश और अपनी सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों तक पहुंच की अनुमति देगा और इसकी प्रतियां बनाने की अनुमति देगा।

16 प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल को तुरंत सूचित की जाने वाली घटनाएं

- 16.1 प्रतिभागी निम्न घटनाओं को तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित करेगा:
- 16.1.1 यदि प्रतिभागी एक व्यक्ति है, तो इस तरह कार्य करने में उसकी अक्षमता की स्थिति में;
- 16.1.2 यदि प्रतिभागी एक साझेदारी फर्म है, तो फर्म के विघटन की स्थिति में या जब भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 43 के अंतर्गत नोटिस या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 44 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा रहा है;
- 16.1.3 यदि प्रतिभागी एक कंपनी या निगमित निकाय है, तो किसी न्यायालय में समापन की याचिका प्रस्तुत की गई है या प्रतिभागी के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है;
- 16.1.4 प्रतिभागी के विलय, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई जा रही;
- 16.1.5 इसके दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए किसी आवेदन या याचिका की प्रस्तुति के बारे में पता लगने पर;
- 16.1.6 किसी भी कर, शुल्क, लेवी, दंड, उपकर या बकाया की वसूली के लिए प्रतिभागी या उसकी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी कानूनी या राजस्व प्राधिकरण द्वारा किसी भी संकट, निष्पादन, कुर्की या अन्य प्रक्रिया के खतरे की संभावना के बारे में पता लगने पर;
- 16.1.7 प्रतिभागी की संपत्ति की कुर्की के लिए किसी भी अदालत में वाद प्रस्तुत किए जाने पर;
- 16.1.8 उसकी वित्तीय स्थितियों में किसी भी परिवर्तन के मामले में जिसके कारण उसका दिवाला या विघटन या समापन हो सकता है या यदि उसे अपने लेनदारों के साथ एक विलय करना पड़ता है;
- 16.1.9 उसकी किसी भी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक या रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए या परिस्थितियों में किसी भी अन्य परिवर्तन पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक का आयोजन करने पर जो एक प्रतिभागी के रूप में कार्य करने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है;
- 16.1.10 यदि प्रतिभागी एक क्लियरिंग सदस्य भी है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित किए जाने या निलंबित किए जाने पर या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या आईएफएससीए या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।
- 16.1.11 प्रतिभागी के मध्यस्थ होने की स्थिति में (प्रतिभागी के अलावा किसी भी क्षमता में) जैसा कि आईएफएससीए अधिनियम द्वारा विचार किया गया है, आईएफएससीए या किसी अन्य विनियामक निकाय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिभागी का निलम्बन या समापन या पंजीकरण की समाप्ति करने पर।

- 16.1.12 आईएफएससीए और/या आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित किसी भी पात्रता और/या प्रवेश मानदंड को पूरा करने के लिए प्रतिभागी के अयोग्य होने की स्थिति में।
- 16.1.13 जब प्रतिभागी को किसी ऐसी घटना के बारे में पता चलता है जिससे उसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता या अस्तित्व या इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों को पूरा करने की उसकी योग्यता पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है या जो आईआईडीआईएल या आईएफएससीए या लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अन्य विनियामक प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता मानदण्डों में महत्वपूर्ण विपरित परिवर्तन करती है।
- 17 बीमा सुरक्षा
- 17.1 प्रतिभागी समय समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट बीमा सुरक्षा रखेगा।
- 18 निधियों में योगदान
- 18.1 लाभार्थी स्वामियों और/या प्रतिभागियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिभागी उपनियमों, संचालन निर्देशों या उस संबंध में सृजित या निष्पादित किए गए एक अलग विलेख, दस्तावेज, उपकरण या लेख में निर्दिष्ट तरीके से स्थापित एक या अधिक ट्रस्टों या निधियों में योगदान करेगा।
- 19 प्रतिभागी द्वारा दी जाने वाली जमानत
- 19.1 आईआईडीआईएल किसी भी समय प्रतिभागी से ऐसी जमानत या अतिरिक्त और कोलेटरल जमानत उस सीमा तक और तरीके से मांग कर सकता है जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति या अतिरिक्त या कोलेटरल जमानत की राशि का निर्धारण करने के लिए आईआईडीआईएल अन्य बातों के साथ साथ लाभार्थी स्वामियों के खाते में मिलान रहित शेष और अतिरिक्त या प्रतिभागी द्वारा किसी धोखाधड़ी, लापरवाही, गलती या चूक के कारण घाटे को ध्यान में रख जाएगा। इस प्रकार की जमानत प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल को पूर्व में दी गई किसी जमानत से अलग और स्वतंत्र होगी।
- 19.2 प्रतिभागी किसी भी आईआईडीआईएल को जमानत या अतिरिक्त या कोलेटरल जमानत के रूप में प्रदान की गई किसी भी सम्पत्ति के अधिकार को बेचेगा नहीं, हस्तांतरित या अन्यथा अलग नहीं करेगा या उस पर किसी रहन, प्रभार या अन्य ऋणभार सृजित या अनुमति नहीं देगा या कुर्की की अनुमति नहीं देगा या उसे जोखिम में नहीं डालेगा।
- 19.3 आईआईडीआईएल प्रतिभागी द्वारा दी गई सभी या किसी भी सुरक्षा जमा/ओं या अन्य सुरक्षा (अतिरिक्त या कोलेटरल सुरक्षा सहित) को किसी भी समय प्रतिभागी को बिना किसी पूर्व सूचना के या किसी भी दायित्वों और/या आईआईडीआईएल या किसी भी लाभकारी स्वामी/यों, अन्य प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए या क्लीयरिंग कॉर्पोरेशनों के प्रति प्रतिभागी की देनदारियों जैसा भी मामला हो, को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकता है।
- 20 अधिकृत प्रतिनिधि
- 20.1 प्रतिभागी इस समझौते के निष्पादन के साथ, आईआईडीआईएल को इसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जो आईआईडीआईएल के साथ प्रतिभागी की ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेंगे। इस तरह की सूची में कोई भी परिवर्तन, जिसमें परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन शामिल हैं, को तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित किया जाएगा।
- 21 गोपनीयता
- 21.1 इस अनुबंध के पक्षकार सभी तकनीकी और व्यावसायिक सूचनाओं को कड़ाई से गोपनीय रखना रखेंगे, जिसमें इस अनुबंध के अंतर्गत या उप-नियमों के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण किया जा सकता है या उसे बताया जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी पक्ष अन्य पक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका प्रकटीकरण नहीं करेगा।
- 21.2 इस अनुबंध का कोई भी पक्ष किसी भी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित इस तरह के विवरण, ब्यौरे, डेटा या जानकारी को किसी भी समय उस सीमा तक निरीक्षण या किसी भाग को प्राप्त करने की अनुमति के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि किसी भी लाभकारी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित ऐसे विवरण, सूचना, डेटा या जानकारी प्रदान करने या प्रकट करने के लिए किसी भी कानून द्वारा आवश्यक हो, जैसा कि किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीआई या किसी भी नियामक या राजस्व प्राधिकरण जो उस संबंध में कानून द्वारा सक्षम है, द्वारा मांगा या निर्देशित किया जा सकता है या कानून में किसी भी दायित्वों के अनुपालन के लिए या इसके किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या अपने हितों की सुरक्षा के लिए बिना किसी संदर्भ या समर्थन के अन्य के संदर्भ के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि उक्त के सिवाय, जारीकर्ता और/या

आरटीए किसी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते के संबंध में इस प्रकार का कोई भी विवरण, ब्यौरा, डेटा या सूचना किसी पक्ष या व्यक्ति को नहीं देगा और इस प्रकार के विवरण, ब्यौरे, डेटा और सूचना को सख्ती से गोपनीय रखेगा।

22 पते में परिवर्तन

22.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल उसके कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के साथ-साथ परिसर के स्थान के किसी भी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले सूचित करेंगे जहां कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपकरण, आईआईडीआईएल के साथ बैकअप सुविधाएं स्थापित हैं।

23 बैक-अप सुविधाएं

23.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित बैक-अप प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगा। डेटा बेस के नवीनतम बैक-अप की एक प्रति हर समय किसी दूरस्थ साइट पर रखी जाएगी। कम्प्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा के नवीनतम बैकअप को बनाए रखने के लिए आरटीए की विफलता से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए आईआईडीआईएल प्रतिभागी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

23.2 प्रतिभागी आईआईडीआईएल द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को उसकी बैक-अप सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और आईआईडीआईएल को उक्त बैक-अप सुविधाओं में रखे गए अभिलेखों के ऐसे उद्धरण या रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा आवश्यक हो सकता है।

24 आपदा रिकवरी योजना

24.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल को आरटीए और आईआईडीआईएल के बीच कनेक्टिविटी के किसी भी नुकसान या विफलता के बारे में तुरंत सूचित करेगा।

24.2 प्रतिभागी ऐसी योजना, स्कीम या प्रक्रिया (जिसे 'आपदा रिकवरी योजना' कहा गया है) का कड़ाई से पालन करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल किसी भी स्थिति या घटना का सामना करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कनेक्टिविटी की हानि या संचार की विफलता, नुकसान या डेटा खराब हो सकता है या उपकरण, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को नुकसान हो सकता है, चाहे वह किसी तकनीकी विफलता, अनधिकृत पहुंच, आपदा, दुर्घटना, तोड़फोड़ या किसी अन्य कारण से हो सकता है।

25 लाभार्थी मालिक(को) की शिकायतों का निवारण

25.1 प्रतिभागी लाभार्थी स्वामियों की सभी शिकायतों को सुनेगा और उनके प्राप्त होने के 30 (तीस) दिन के अंदर उनके समाधान की रिपोर्ट आईआईडीआईएल को इस प्रकार से भेजेगा जैसा कि उपनियमों और संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

26 कार्यभार सौंपने का निषेध

26.1 इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य, अधिकारों या दायित्वों को आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभागी द्वारा किसी भी पक्ष या व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा या प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कथित प्रत्यायोजन या प्रतिनिधित्व शून्य और अप्रभावी होगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न या निदेशक बोर्ड के गठन या आरटीए की साझेदारी की संरचना में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवसाय का एक प्रत्यायोजन माना जाएगा।

27 निलम्बन और समापन

27.1 यदि आईआईडीआईएल संतुष्ट है कि ऐसा करना अनिवार्य है, तो वह किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थिति मयों में लिखित सूचना देकर उचित शर्तों पर प्रतिभागी के साथ इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है:

27.1.1 प्रतिभागी आईएफएससीए और/या आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित प्रतिभागी बनने के लिए पात्रता और/या प्रवेश मानदंडों को पूरा करना बंद कर देता है;

27.1.2 यदि प्रतिभागी एक व्यक्ति या एकमात्र मालिक है, तो प्रतिभागी की मृत्यु या शारीरिक या मानसिक अक्षमता की स्थिति में;

27.1.3 यदि प्रतिभागी एक साझेदारी फर्म है, तो फर्म के विघटन की स्थिति में;

- 27.1.4 प्रतिभागी के कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट होने की स्थिति में, समापन के लिए किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किए जाने या प्रतिभागी के समापन के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने पर;
- 27.1.5 यदि प्रतिभागी आईआईडीआईएल के साथ एक भागीदार के रूप में व्यवसाय करना बंद कर देता है;
- 27.1.6 यदि आईआईडीआईएल के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है या आईआईडीआईएल या उसके लाभार्थी स्वामियों के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होगा;
- 27.1.7 प्रतिभागी की किसी संपत्ति पर या उसके विरुद्ध किसी संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया के शुरू किए जाने या लागू या तामील किए जाने की स्थिति में;
- 27.1.8 प्रतिभागी के दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या समापन या उसके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में या यदि आईआईडीआईएल अपने पूर्ण विवेक से मानता है कि ऐसी घटना आसन्न या संभावित है;
- 27.1.9 प्रतिभागी की संपत्ति पर एक रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति की स्थिति में या प्रतिभागी के अपने लेनदारों के साथ एक विलय होने की स्थिति में या एक न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था किए जाने की स्थिति में (पुनर्निर्माण या समामेलन के प्रयोजनों के अलावा) या आईआईडीआईएल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से यह विचार करने की स्थिति में कि ऐसी घटना आसन्न या संभावित है;
- 27.1.10 सहभागी द्वारा उप-नियमों या इस अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित सुरक्षा जमा, शुल्क या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में (किसी भी संशोधित या बढ़ी हुई फीस, प्रभारों या जमाओं सहित) या ऐसे समय के अंदर अतिरिक्त या कोलेटरल जमानत प्रस्तुत करने में विफल रहने पर जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा अपेक्षित है;
- 27.1.11 प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने में प्रतिभागी की विफलता की स्थिति में;
- 27.1.12 यदि आईआईडीआईएल के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी लापरवाही या धोखाधड़ी या बेईमानी पूर्ण आचरण के लिए जिम्मेदार है या आईआईडीआईएल को किसी भी बयान में एक महत्वपूर्ण तथ्य को सूचित करने से चूक गया है;
- 27.1.13 यदि प्रतिभागी ने आईएफएसीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों, उपनियमों या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के पालन या कार्यप्रदर्शन कोई उल्लंघन या चूक की है या किसी भी संचालन निर्देश का पालन करने में विफल रहा है;
- 27.1.14 यदि सेबी ने प्रतिभागी का पंजीकरण निलंबित या रद्द कर दिया गया है;
- 27.1.15 प्रतिभागी के स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होने की स्थिति में, यदि प्रतिभागी को निष्कासित कर दिया गया है या उसके व्यापारिक विशेषाधिकार ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं;
- 27.1.16 यदि आईएफएसीए अधिनियम और/या एमआईआई विनियमों के अनुसार प्रतिभागी एक मध्यस्थ (प्रतिभागी के अलावा अन्य) है, तो आईएफएसीए या इस संबंध में कानून द्वारा सक्षम किसी अन्य नियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा ऐसे मध्यस्थ के रूप में प्रतिभागी के निलंबन, समाप्ति या पंजीकरण रद्द करने की स्थिति में;
- 27.1.17 आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार लाभार्थी स्वामियों की शिकायतों का निवारण करने में प्रतिभागी के विफल रहने की स्थिति में;
- 27.1.18 यदि आईआईडीआईएल के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिभागी अपनी गतिविधियों को इस तरह से कर रहा है जो आईआईडीआईएल और/या लाभकारी मालिकों के हित के लिए हानिकारक है या लाभकारी स्वामियों या अन्य प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए या आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रमबद्ध प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभागी के साथ संबंध समाप्त करना आवश्यक है;
- 27.1.19 यदि प्रतिभागी को जोखिम है या होने की संभावना है, जो आईआईडीआईएल की राय में प्रतिभागी की निवल सम्पत्ति के अनुरूप नहीं है;
- 27.1.20 यदि प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता आईआईडीआईएल की राय में संतोषजनक नहीं है, जैसा कि लाभकारी मालिकों और/या अन्य प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं, आरटीए और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन की शिकायतों से प्रमाणित होता है;

बशर्ते कि आईआईडीआईएल ऐसे आधारों का उल्लेख करते हुए प्रतिभागी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिनके आधार पर इस अनुबंध को समाप्त किया जा रहा है और प्रतिभागी को आईआईडीआईएल द्वारा

अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सुनवाई करने का अवसर दिया जाएगा और आईआईडीआईएल इस प्रकार के अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होगा कि प्रतिभागी के साथ यह अनुबंध समाप्त करना अनिवार्य है।

बशर्ते कि यदि आईआईडीआईएल किसी भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उचित समझता है, उक्त कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले आईआईडीआईएल उचित अवधि के अंदर और उचित नियम एवं शर्तों पर किए गए उलंघन या चूक में सुधार या उपचार करने के लिए प्रतिभागी को आदेश दे सकता है।

बशर्ते कि आईएफएससीए या आईआईडीआईएल को प्रतिभागी द्वारा कोई राशि देय न हो जिनमें अन्य के साथ साथ शुल्क, प्रभार, जुर्माना या ब्याज शामिल हैं।

- 27.2 आईआईडीआईएल के अधिकारों के साथ भेदभाव किए बिना, उक्त सूचीबद्ध किसी भी घटना की स्थिति में आईआईडीआईएल नोटिस को जारी करने से पहले या नोटिस अवधि और/या उपनियमों के अंतर्गत जांच के लम्बित रहते हुए प्रतिभागी के आईआईडीआईएल में कारोबार और गतिविधियों को तुरंत निलम्बित कर सकता है।

28 प्रतिभागी द्वारा निकास

- 28.1 प्रतिभागी कम से कम 30 (तीस) दिनों की सूचना देते हुए आईआईडीआईएल को लिखित रूप में एक संचार जारी करके आईआईडीआईएल के साथ एक प्रतिभागी के रूप में इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, जो समापन तीस दिनों की उक्त अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाती है, से लागू होगा। फिर भी प्रतिभागी को आईआईडीआईएल में एक प्रतिभागी के रूप में अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए इस तरह की नोटिस की प्राप्ति से 3 (तीन) महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी रखने की मांग कर सकता है यदि आईआईडीआईएल लाभार्थी मालिकों के हित में या आईआईडीआईएल के कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए उचित समझता है। आईआईडीआईएल प्रतिभागी के लाभार्थी मालिकों, अन्य प्रतिभागियों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों और आईएफएससीए को प्रतिभागी के समापन के बारे में 7 (सात) दिनों के अंदर सूचित करेगा।

- 28.2 प्रतिभागी को आईआईडीआईएल से एक प्रतिभागी के रूप में निकास करने की अनुमति नहीं होगी यदि वह आईआईडीआईएल को निम्नलिखित प्रमाण नहीं देता है:

- 28.2.1 कि उसने उसके साथ खाते रखने वाले सभी लाभार्थी स्वामियों को अपनी इच्छित निकासी की सूचना जारी की है;
- 28.2.2 लाभार्थी स्वामियों के सभी खाते आईआईडीआईएल में लाभार्थी स्वामी की पसंद के किसी अन्य सहभागी को हस्तांतरित किया गया है;
- 28.2.3 सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी स्वामियों, आईआईडीआईएल, जारीकर्ता/आरटीए या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कोई निर्देश या अनसुलझी शिकायतें लंबित नहीं हैं;
- 28.2.4 इस तरह के अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है जैसा कि आईआईडीआईएल ने उस संबंध में निर्दिष्ट किया हो।
- 28.2.5 आईएफएससीए या आईआईडीआईएल को अन्य बातों के साथ-साथ फीस, प्रभार, दंड या ब्याज के रूप में देय, देय या देय कोई राशि नहीं।

29 समापन/निकासी के परिणाम

- 29.1 इस समझौते के समाप्त होने पर या प्रतिभागी द्वारा निकासी पर, आईआईडीआईएल प्रतिभागी की सभी सुरक्षा जमा या अन्य प्रतिभूतियों को आईएफएससीए द्वारा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने की तारीख से 6 (छह) महीने की समाप्ति या आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए लंबित निवेशक शिकायतों, यदि कोई हो, को हल करने के बाद वापस कर देगा या संग्रह के लिए उपलब्ध कराएगा जो प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल को कोलेटरल या अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई हो सकती है। बशर्ते कि आईआईडीआईएल के पास किसी भी सुरक्षा/जमा को रखने या ऐसी सुरक्षा जमा से राशि को समायोजित या काट लेने का अधिकार होगा (किसी भी अन्य अधिकार या कानून में आईआईडीआईएल के लिए उपलब्ध उपाय के पूर्वाग्रह के बिना) जो कि आईआईडीआईएल के कारण देय या देय होने की संभावना है, जो प्रतिभागी द्वारा इस अनुबंध के प्रभावी रहने के दौरान किए गए लेनदेनों के संबंध में आईआईडीआईएल, अन्य प्रतिभागी या लाभार्थी मालिक को देय हो सकती है।

- 29.2 उक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल को आईआईडीआईएल को देय या या आईआईडीआईएल के माध्यम से प्रतिभागी के विरुद्ध दोनों के हकदार व्यक्तियों को देय राशियों के विरुद्ध प्रतिभागी के पूर्व के दावों और अधिकारों को समायोजित करने का अधिकार होगा, बावजूद इसके कि इस प्रकार के दावे इस अनुबंध के समापन की तिथि के बाद उत्पन्न हो सकते हैं।

- 29.3 आईआईडीआईएल द्वारा इस अनुबंध को समाप्त करने के बाद या आईआईडीआईएल के साथ इस अनुबंध को समाप्त करने की लिखित सूचना प्रतिभागी से प्राप्त होने पर आईआईडीआईएल सभी अन्य प्रतिभागियों को इसकी सूचना देगा और लाभार्थी मालिकों और अन्य प्रतिभागियों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएगा। आईआईडीआईएल इस अनुबंध के समाप्त होने के 7 (सात) दिन के अंदर अन्य प्रतिभागियों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों, जारीकर्ता/आरटीए और आईएफएससीए को सूचित करेगा।
- 29.4 प्रतिभागी को आईआईडीआईएल को देय अपने बकाया दायित्वों को पूरा करना होगा, चाहे वे प्रतिभागी के रूप में कार्य करने के दौरान उत्पन्न हुए हों या बाद में उत्पन्न हुए हों लेकिन इस अनुबंध के दौरान प्रतिभागी द्वारा किए गए किसी कार्य, लेनदेन या सौदों से उत्पन्न हुए हों।
- 29.5 इस अनुबंध की समाप्ति पर या प्रतिभागी द्वारा आईआईडीआईएल से निकासी पर, प्रतिभागी के साथ खाता रखने वाले प्रत्येक लाभार्थी मालिक के पास विकल्प होगा कि वह या तो प्रतिभागी के पास रखी गई अपनी प्रतिभूतियों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करवा सकता है या उसे पुनः भौतिक रूप में प्राप्त कर सकता है। इस तरह की समाप्ति या निकासी के बाद भी ऊपर किए गए कथन के बावजूद, प्रतिभागी सीमित उद्देश्य के लिए प्रतिभागी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा या प्रतिभागी के साथ रखी गई प्रतिभूतियों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित कर देगा या प्रतिभूतियों को फिर से भौतिक बना देगा।
- 29.6 इस समझौते की समाप्ति पर, आईआईडीआईएल प्रतिभागी के साथ खाते रखने वाले सभी लाभकारी स्वामियों को लिखित रूप में नोटिस देगा और लाभार्थी स्वामियों से इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपने खातों को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करने का आदेश देगा। यदि कोई भी लाभकारी मालिक उपरोक्त के रूप में किसी अन्य प्रतिभागी को अपने खाते स्थानांतरित करवाने में विफल रहता है तो आईआईडीआईएल एक या एक से अधिक प्रतिभागियों को नामित करेगा, जिनके पास खाते स्थानांतरित हो जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरित खाते में प्रतिभूतियां उस समय तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक कि संबंधित लाभार्थी स्वामी ने किसी अन्य भागीदार के साथ समझौता नहीं किया हो।
- 29.7 आईआईडीआईएल द्वारा इस समझौते को समाप्त करने या प्रतिभागी द्वारा निकास करने के बावजूद, इस समझौते के प्रावधान और इससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकारों और दायित्व, जहां तक यह इस तरह की समाप्ति या वापसी के विपरीत या असंगत है को छोड़ कर, इस समझौते के प्रभावी होने की अवधि के दौरान किए गए सभी कार्यों, कार्यों, विलेखों, मामलों और किए गए कार्यों और लेनदेन के संबंध में इसके पक्षों के लिए बाध्यकारी रहेंगे।
- 30 अनुशासनात्मक कार्रवाई
- 30.1 प्रतिभागी इन उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई समीति के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- 31 क्षतिपूर्ति
- 31.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों और एजेंटों को सभी हानियों, नुकसान, क्षति, चोट, करों, उपकरणों, जुर्मानों, प्रशुल्कों, शुल्कों, मुकदमों, कार्रवाईयों, कानूनी प्रक्रियाओं, मध्यस्थता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजनों या अन्य प्रक्रियाओं (और उनसे उत्पन्न लागतों, प्रभारों और व्ययों) से सुरक्षित और मुक्त रखेगा जो आईआईडीआईएल, इसके अधिकारियों, सेवकों या एजेंटों को वहन करने पड़ने सकते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों की गतिविधि, कार्य, मामले या उनके द्वारा करवाए गए या उनके द्वारा आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों, उपनियमों, इस अनुबंध और संचालन निर्देशों किसी नियम, शर्त और विनियम के उलंघन में दी गई अनुमति के कारण हो सकते हैं, या प्रतिभागी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा की गई गलतियों, त्रुटियों, जानबूझ कर दुर्व्यवहार, गलतबयानी, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, हेराफेरी या विश्वास को तोड़ने के कारण वहन करने पड़ सकते हैं या आईआईडीआईएल और/या इसके किसी लाभार्थी मालिक और/या किसी अन्य भागीदार, जारीकर्ता, आरटीए या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रति किसी दायित्व और/या जिम्मेदारी को पूरा करने में प्रतिभागी की विफलता के कारण हो सकते हैं या प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता में कमी के कारण हो सकते हैं। इस अनुच्छेद के उद्देश्य से उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों और एजेंटों के उलंघन और चूक के सभी कार्य, चाहे जानबूझ कर किए गए हों या अनजाने में, प्रतिभागी के उलंघन और चूक माने जाएंगे। जहां प्रतिभागी की लापरवाही के कारण किसी लाभार्थी मालिक को हानि होती है तो आईआईडीआईएल इस प्रकार के नुकसान की भरपाई प्रतिभागी से करने का हकदार होगा जिसके लिए अन्य बातों के साथ साथ आईआईडीआईएल द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमाओं को समायोजन किया जाएगा।

- 31.2 आईआईडीआईएल प्रतिभागी को उसको होने वाली सभी हानियों, नुकसान, क्षति, चोट, करों, उपकरों, जुर्मानों, प्रशुल्कों, शुल्कों, मुकदमों, कार्रवाइयों, कानूनी प्रक्रियाओं, मध्यस्थता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजनों या अन्य प्रक्रियाओं (और उनसे उत्पन्न लागतों, प्रभारों और व्ययों) से सुरक्षित और मुक्त रखेगा जो आईआईडीआईएल, इसके अधिकारियों, सेवकों या एजेंटों जो प्रत्यक्ष या उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों की गतिविधि, कार्य, मामले या उनके द्वारा करवाए गए या उनके द्वारा आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों, उपनियमों, इस अनुबंध और संचालन निर्देशों किसी नियम, शर्त और विनियम के उल्लंघन में दी गई अनुमति के कारण हो सकते हैं, या आईआईडीआईएल, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा की गई गलतियों, त्रुटियों, जानबूझ कर दुर्व्यवहार, गलतबयानी, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, हेराफेरी या विश्वास को तोड़ने के कारण होती हैं या प्रतिभागी के प्रति किसी दायित्व और/या जिम्मेदारी को पूरा करने में आईआईडीआईएल की विफलता के कारण होती हैं या आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता में कमी के कारण होती हैं।
- 32 सरकारी शुल्क
- 32.1 यहां मौजूद दोनों पक्षों के बीच इस अनुबंध और/या इसके संबंध में किसी विलेख, दस्तावेज या लिखित दस्तावेज पर देय किसी भी सरकारी शुल्क (जिसमें उस पर लगाया गया ब्याज या जुर्माना शामिल है) का भुगतान प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।
- 33 अप्रत्याशित घटना, आदि
- 33.1 इस अनुबंध में या उपनियमों में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, इस अनुबंध के अंतर्गत कोई पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसे उल्लंघन, विफलता या किसी कर्तव्य को पूरा करने में देरी के लिए या किसी ऐसे कारण से दूसरे पक्ष को हुई हानि, नुकसान, क्षति या चोट की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिनमें अन्य के साथ साथ समुद्री लहरें, तुफान, चक्रवात, बाढ़, आसमानी बिजली, भूकम्प, आग, ब्लास्ट, विस्फोट या अन्य ईश्वरीय आपदा, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, प्रतिरोध या प्रतिबंध, रास्ता रोकना, दंगा, नागरिक उपद्रव, श्रम गतिविधि या अंशाति जिनमें हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी उपयोगिता सेवा में बाधा या विफलता, दुश्मन की कार्यवाही, आपराधिक षडयंत्र, आतंकी गतिविधि या तोड़फोड़, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक बाधा या दखल, सैटेलाइट को नुकसान या क्षति, सैटेलाइट या किसी अन्य संचार डेटा से लिंक टूटना, कॉनेक्टिविटी खो जाना या कोई अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति या मजबूरी शामिल हैं।
- 34 नोटिस देना
- 34.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या संचार लिखित में होगा और केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगा जब इसे अंतिम ज्ञात पते पर संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से भेजा जाएगा।
- 35 प्रावधान का अलगाव
- 35.1 यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या विनियमांक प्राधिकार द्वारा गैर-कानूनी, शून्य या लागू न करने योग्य करार दिया जाता है या यदि कोई प्रावधान किसी कानूनी संशोधन, अधिसूचना या किसी न्यायिक निर्णय के कारण शून्य या लागू न किए जाने योग्य बन जाता है तो इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक सीमा तक इस अनुबंध से अलग कर दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधानों में जहां तक संभव हो परिवर्तन किए बिना अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के शेष प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।
- 36 आईएफएससीए के आदेश पर संशोधन/परिवर्तन बाध्यकारी होगा
- 36.1 इस अनुबंध में या इसके किसी प्रावधान में किसी भी परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन या विलोपन इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे जैसा कि आईएफएससीए द्वारा आदेश या निर्देश दिया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी विलेख, दस्तावेज, लेख तैयार करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।
- 37 कोई अधित्याग नहीं
- 37.1 इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का त्याग अमान्य होगा, बशर्ते कि इस संबंध में एक लिखित अनुबंध नहीं किया जाता और इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, एकाधिकार या उपचार के प्रयोग में किसी पक्ष की विफलता या देरी को अधित्याग या इस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा किसी कार्यवाही या परिणामस्वरूप उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एक या आंशिक प्रयोग इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य या आगे के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेगा, या निष्पक्षता से यह सहमति हो जाती है कि इस प्रकार के अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपपचार एक दूसरे से अलग और संचयी हैं।

38 मध्यस्थता और सुलह

38.1 दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और मतभेदों के संबंध में दोनों पक्ष उपनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मध्यस्थता और सुलह से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता का स्थान गांधीनगर होगा।

39 शापी भाषा

39.1 कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विलेख, दस्तावेज और लेख तथा इस अनुबंध की विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच होने वाले पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे जो इस अनुबंध के पक्षों के बीच प्रशासन की भाषा होगी।

40 शासी कानून

40.1 यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित होगा और समझा जाएगा।

41 क्षेत्राधिकार

40.1 इस अनुबंध के पक्ष गांधीनगर में स्थिति न्यायालय के एकमात्र क्षेत्राधिकार से सहमत हैं।

42 शीर्षक

42.1 इस अनुबंध में शीर्षक केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी तरह से इस अनुबंध के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

43 व्याख्या

43.1 यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है तो एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों में एकवचन शब्द शामिल हैं और पुलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में स्त्रिलिंग और स्त्रिलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में पुलिंग शब्द शामिल हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम या अध्यादेश या विद्यान या उनके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में उनमें किया गया कोई भी संशोधन या पुनः अध्यादेश शामिल होगा।

44 अनुबंध का कार्यान्वयन

44.1 यह समझौता अनुलिपि में तैयार किया गया है और प्रत्येक पक्ष के पास इसकी एक प्रति होगी।

अनुलिपि में तैयार इस अनुबंध के साक्ष्य में उक्त तिथि, माह, वर्ष और स्थान पर इस अनुबंध के पक्ष अपने अपने हस्ताक्षर/मुहर इस पर चिह्नित कर रहे हैं।

“आईआईडीआईएल” इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी

आईएफएससी लिमिटेड की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“प्रतिभागी” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

अनुलग्नक ग

आईएफएससीए और इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार लाभार्थी मालिकों और डिपोजिटरी प्रतिभागियों के अधिकार और जिम्मेदारियां

सामान्य अनुच्छेद

1. लाभार्थी स्वामी और डिपोजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 ('आईएफएससीए अधिनियम'), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 ('एमआईआई विनियम'), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपोजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 (लागू सीमा तक), और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी नियम, विनियम, परिपत्र, निर्देश, संचालन निर्देश, समय-समय पर प्राधिकरण ('आईएफएससीए') और इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड ('आईआईडीआईएल') द्वारा जारी किए गए उपनियम और संचालन निर्देश और समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी अधिकारियों की प्रासंगिक अधिसूचनाएं लागू होंगी।
2. डीपी केवल खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही आईआईडीआईएल डिपोजिटरी सिस्टम में एक लाभार्थी स्वामी का डीमैट खाता खोलेगा/सक्रिय करेगा।

लाभार्थी स्वामी की सूचना

3. डीपी खाता खोलने के फॉर्म में उल्लेख किए गए लाभार्थी स्वामी(यों) के सभी विवरणों, उनके द्वारा जमा किए गए सहायक दस्तावेजों और/या लाभार्थी स्वामी से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी को गोपनीय रखेगा और किसी अन्य व्यक्ति को इसका खुलासा नहीं करेगा सिवाय इसके कि जैसा कि इस संबंध में किसी भी वैधानिक, कानूनी या नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक है।
4. यदि डीमैट खाता खोलते समय या समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत किए गए खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो लाभार्थी स्वामी तुरंत डीपी को लिखित रूप में इसकी जानकारी देगा।

शुल्क/प्रभार/टैरिफ

5. लाभार्थी स्वामी अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण के उद्देश्य से और डीपी और लाभार्थी मालिक के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार डिपोजिटरी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए डीपी को शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि डीपी द्वारा प्रदान की गई टैरिफ शीट में निर्धारित किया जाएगा। लाभार्थी स्वामी को यह सूचित किया जा सकता है कि "डीमैट खाता खोलने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है"।
6. बुनियादी सेवा डीमैट खाते के मामले में, डीपी संबंधित आईएफएससीए और/या आईआईडीआईएल परिपत्रों/निर्देशों/समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित प्रभार संरचना की अनुपालना करेगा।
7. डीपी सहमत हुए किसी भी शुल्क/टैरिफ में तब तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि उसने इसके बारे में लाभार्थी स्वामी को कम से कम तीस दिनों की लिखित सूचना न दी हो।

अभौतिकीकरण

8. लाभार्थी स्वामी को उन प्रतिभूतियों को इन उपनियमों और आईआईडीआईएल के परिचालन निर्देशों के अनुसार अभौतिक रूप में परिवर्तित करवाने का अधिकार होगा जिन्हें आईआईडीआईएल में स्वीकार किया गया है।

पृथक खाते

9. डीपी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम पर अलग-अलग खाते खोलेगा और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग किया जाएगा और अन्य लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों और/या डीपी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा जो कि डीमैट रूप में रखी गई हैं।
10. डीपी लाभार्थी स्वामी को अभौतिकीकरण के लिए जमा और/या डीमैट खाते में रखी गई सभी या किसी भी प्रतिभूतियों पर कोई भी गिरवी और/या उपप्रायधीन या किसी अन्य हित या भार को सृजित करने की सुविधा या अनुमति नहीं देगा, सिवाय आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमों और आईआईडीआईएल के उपनियमों/परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए रूप और तरीके को छोड़कर।

प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

11. डीपी लाभार्थी स्वामी के डीमैट खातों में हस्तांतरण को केवल लाभार्थी स्वामी द्वारा अधिकृत आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश या आदेश, अधिदेश के आधार पर प्रभावित करेगा और डीपी ऐसे प्राधिकारों के मूल दस्तावेजों और ऑडिट ट्रेल का रखरखाव करेगा।

12. लाभार्थी स्वामी के पास अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने के संबंध में स्थायी निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित है और डीपी ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

खातों का विवरण

13. डीपी लाभार्थी स्वामी को खातों के विवरण सहमत प्रारूप और तरीके से और सहमत समय पर प्रदान करेगा जैसा कि इस संबंध में आईएफएससीए/आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
14. हालांकि, यदि डीमैट खाते में कोई लेनदेन नहीं होता है, या यदि वर्ष के दौरान शेष राशि शून्य हो जाती है, तो डीपी ऐसे लाभार्थी स्वामियों को वार्षिक होल्डिंग का एक भौतिक विवरण भेजेगा और लेनदेन होने पर उसका विवरण भेजेगा।
15. यदि लाभार्थी स्वामी चाहता है तो डीपी इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट खातों का विवरण जारी करने की सेवाएं प्रदान कर सकता है। डीपी अपने डिजिटल हस्ताक्षर के तहत लाभार्थी स्वामी को डीमैट खातों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत निर्दिष्ट है। हालांकि यदि डीपी के पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट खाते का विवरण प्रदान करने की सुविधा नहीं है, तो प्रतिभागी डीमैट खातों के विवरण को भौतिक रूप में अग्रेषित करने के लिए बाध्य होगा।
16. बुनियादी सेवा डीमैट खातों के मामले में, डीपी समय-समय पर आईएफएससीए और/या आईआईडीआईएल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार लेनदेन विवरण भेजेगा।

डीमैट खाते को बंद करने का तरीका

17. डीपी के पास किसी भी कारण से लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने का अधिकार होगा, बशर्ते डीपी ने लाभार्थी स्वामी के साथ-साथ आईआईडीआईएल को कम से कम तीस दिनों का लिखित नोटिस दिया हो। इसी प्रकार, लाभार्थी स्वामी को डीपी के पास अपने डीमैट खाते को बंद करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि डीपी को दिया जाने वाला कोई शुल्क उसकी तरफ बकाया न हो। ऐसी स्थिति में, लाभार्थी स्वामी यह निर्दिष्ट करेगा कि उनके डीमैट खाते में शेष राशि को किसी अन्य डीपी के पास धारित लाभार्थी स्वामी के किसी अन्य डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या धारित सुरक्षा शेष को पुनर्भौतिक बनाना चाहिए।
18. लाभार्थी स्वामी के निर्देशों के आधार पर, डीपी आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तीस दिनों की अवधि के अंदर प्रतिभूति शेष राशि को स्थानांतरित करने या ऐसे प्रतिभूति शेष को फिर से भौतिक बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बशर्ते कि डीमैट खाते को बंद करने से लाभार्थी स्वामी या डीपी के अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पक्ष को उनके संतोषजनक समापन के लिए बाध्य रहेंगे।

शुल्क के भुगतान में चूक

19. मांग की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि के भुगतान में लाभार्थी स्वामी द्वारा चूक करने की स्थिति में, लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के डीपी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डीपी इस तरह की चूक की अवधि के लिए समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज वसूल सकता है।
20. यदि लाभार्थी स्वामी ऊपर निर्दिष्ट अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीपी के पास लाभार्थी स्वामी को दो दिन का नोटिस देने के बाद लाभार्थी के निर्देशों के प्रसंस्करण को ब्याज सहित, यदि कोई है, भुगतान करने तक रोकने का अधिकार होगा।

आईआईडीआईएल की देयता

21. लागू कानून के अनुसार और उप-नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत:
 - 21.1 वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईआईडीआईएल या डीपी की लापरवाही के कारण लाभार्थी स्वामी को हुई किसी हानि की भरपाई आईआईडीआईएल करेगा।
 - 21.2 जहां उक्त अनुच्छेद (1) के अंतर्गत किसी डीपी की लापरवाही के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति आईआईडीआईएल द्वारा की जाती है, आईआईडीआईएल को ऐसे डीपी से इसकी वसूली का अधिकार होगा।

खातों का फ्रीजिंग/डिफ्रीजिंग

22. लाभार्थी स्वामी डीपी के पास अपने डीमैट खाते को आईआईडीआईएल के उप-नियमों और परिचालन निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और प्रतिबंधों के अधीन फ्रीज/डिफ्रीज करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
23. डीपी या आईआईडीआईएल को किसी भी विनियामक या न्यायालय या किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामियों के खातों को फ्रीज/डिफ्रीज करने का अधिकार होगा।

निवेशक की शिकायत का निवारण

24. डीपी के विरुद्ध लाभार्थी स्वामी की शिकायत प्राप्त होने पर डीपी सभी शिकायतों का निवारण शिकायत प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर करेगा।

अधिकृत प्रतिनिधि

25. यदि लाभार्थी स्वामी एक निगमित निकाय या कानूनी इकाई है, तो वह खाता खोलने के प्रपत्र के साथ, डीपी को उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जो डीपी के साथ उसकी ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेगा। ऐसी सूची में कोई भी परिवर्तन, जिसमें परिवर्धन, विलोपन या संशोधन शामिल हैं, डीपी को तत्काल सूचित किया जाएगा।

कानून और अधिकार क्षेत्र

26. इस दस्तावेज़ में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अलावा, डीपी और लाभार्थी स्वामी किसी भी अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे जो डीपी या लाभार्थी स्वामी के पास आईआईडीआईएल के उपनियमों और संचालन निर्देशों और जारी किए गए परिपत्रों/नोटिस, आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत हो सकते हैं।
27. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचना, आईएफएससीए द्वारा जारी किए गए किसी भी नियम, विनियम, दिशा-निर्देशों और परिपत्रों/नोटिसों और आईआईडीआईएल के उप-नियमों और संचालन निर्देशों के अधीन होंगे, जहां लाभार्थी स्वामी का खाता होता है, जैसा समय समय पर लागू हो सकता है।
28. लाभार्थी स्वामी और डीपी आईआईडीआईएल के उप-नियमों के तहत निर्धारित मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया का पालन करेंगे और ऐसी प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच किसी भी विवाद पर लागू होगी।
29. इस दस्तावेज़ में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा कि उपनियमों और परिचालन निर्देशों और उनके अंतर्गत आईआईडीआईएल और/या आईएफएससीए के अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिया गया है, यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है।
30. आईएफएससीए/आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में कोई भी परिवर्तन तुरंत ग्राहकों के ध्यान में लाया जाएगा।
31. यदि आईएफएससीए के नियमों और विनियमों, या आईआईडीआईएल के उप-नियमों और/या संचालन निर्देशों में परिवर्तन के आधार पर पक्षों के अधिकारों और दायित्वों में कोई बदलाव आता है, तो इस प्रकार के बदलाव इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और कृतव्यों के परिवर्तन के अनुसार यहां शामिल होंगे।

अनुलग्नक घ

प्रतिभागी और क्लीयरिंग सदस्य के बीच अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को पर निम्न के बीच हुआ है:

..... (कानूनी इकाई का विवरण), जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में स्थित है जो प्रथम पक्ष है जिसे यहां पर "प्रतिभागी" कहा गया है;

और

..... (कानूनी इकाई का विवरण), जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में स्थिति है जो दूसरा पक्ष है जिसे यहां पर "क्लीयरिंग सदस्य" कहा गया है।

जबकि प्रतिभागी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ("आईएफएससीए") द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 ("आईएफएससीए अधिनियम"), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 ("एमआईआई विनियमावली") के अंतर्गत प्रमाणपत्र संख्या दिनांकित, प्रदान किया गया है और उसे इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससीए लिमिटेड (जिसे यहां पर "आईआईडीआईएल") द्वारा प्रतिभागी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

और जबकि आईआईडीआईएल ने अभौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में अपने क्लीयरिंग सदस्यों के द्वारा किए गए कारोबारों के निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए (जिसे यहां पर "क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन" कहा गया है) के साथ एक इंटरफेस स्थापित किया है।

और जबकि कथित उद्देश्य के लिए क्लीयरिंग सदस्य को आईआईडीआईएल के परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार खातों को खोलने की आवश्यकता होती है।

और जबकि क्लीयरिंग सदस्य ने प्रतिभागी को एक निर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन किया है जिसमें प्रतिभागी को क्लीयरिंग सदस्य के नाम से प्रतिभागी के साथ आईआईडीआईएल के संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार खाते खोलने का आग्रह किया है, जिसके लिए प्रतिभागी यहां निर्धारित नियम एवं शर्तों पर सहमत हुआ है।

इसलिए अब आईआईडीआईएल के संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार क्लीयरिंग सदस्य के के नाम पर खाते (जिन्हें सामूहिक रूप से "विशिष्ट खाते" कहा गया है) खोलने और एक प्रतिभागी के रूप में क्लीयरिंग सदस्य को सेवा प्रदान करने की प्रतिभागी की सहमति पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष एतद्द्वारा सहमत हैं और निम्नलिखित प्रकार से एक दूसरे से अनुबंध करते हैं:

1 सामान्य अनुच्छेद

- 1.1 इन उपनियमों में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जिन्हें यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन लागू कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उन्हें कथित कानूनों के अंतर्गत उन्हें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम सपठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) निर्देशावली, 2015 (लागू सीमा तक), और उसमें जारी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जारी परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत नियम और भारतीय विनियम, प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और इसके अंतर्गत नियम, विनियम, निर्देश और दिशानिर्देश, डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 और इसके अंतर्गत नियम और विनियम।
- 1.2 यदि संदर्भ या उसके अर्थ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो, यहां प्रयोग किए गए "लाभप्रद स्वामी", "जारीकर्ता", "प्रतिभागी" और "आरटीए" शब्दों का अर्थ आईआईडीआईएल के संबंध में क्रमशः एक लाभप्रद सदस्य, जारीकर्ता, प्रतिभागी, और एक ईश्यू के लिए रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट (जो भी मामला हो) होगा और "संचालन निर्देश" का अर्थ क्रमशः होगा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना) विनियमावली, 2021", आईआईडीआईएल के उपनियम और आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देश।
- 1.3 दोनों पक्ष आईएफएससीए अधिनियम सपठित एमआईआई विनियमों और अन्य लागू कानूनों द्वारा बाध्य होंगे और उपनियमों और समय समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देशों से उसी प्रकार से सहमत होंगे मानो वे इसी अनुबंध का हिस्सा हैं।
- 1.4 प्रतिभागी और क्लीयरिंग सदस्य उप नियमों और संचालन निर्देशों से प्रतिभागी या एक क्लीयरिंग सदस्य न रहने पर भी बंधे रहेंगे जहां तक सभी मामलों, प्रविष्टियों या लेनदेनों के संबंध उनकी देनदारियों के पूर्ण होने या अनुपालना का संबंध है, जिन्हें प्रतिभागी या एक क्लीयरिंग सदस्य ने उसके प्रतिभागी या क्लीयरिंग सदस्य रहते हुए किया है, कार्यान्वित किया है, अनुबंध किया है, वचन दिया है और जो उसके प्रतिभागी या एक क्लीयरिंग सदस्य न रहने के समय पर बकाया, अपूर्ण या लम्बित हैं।

2 शुल्क, प्रभार और जमा

- 2.1 क्लीयरिंग सदस्य ऐसे शुल्कों, प्रभारों और जमाओं का भुगतान प्रतिभागी को करेंगे जैसा कि पारस्परिक सहमति से कथित खाते खोलने और उनके रखरखाव, निर्देशों का पालन करने और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए तय हुआ है जो कथित संचालनों के परिणामस्वरूप या आकस्मिक होते हैं जैसा कि प्रतिभागी और क्लीयरिंग सदस्य के बीच तय हुआ है। प्रतिभागी को कथित शुल्क, प्रभार या जमाओं को समय समय पर संशोधित करने का अधिकार होगा लेकिन बशर्ते कि प्रतिभागी द्वारा उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यदि प्रतिभागी ने उसके संबंध में क्लीयरिंग सदस्य को एक माह का नोटिस नहीं दिया है।
- 2.2 क्लीयरिंग सदस्य सहमत है कि यदि क्लीयरिंग सदस्य शुल्कों, प्रभारों या अन्य का उनकी संबंधित बकाया तिथियों को या उनकी मांग किए जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर प्रतिभागी को भुगतान करने में चूक कर देता है तो प्रतिभागी को बकाया या भुगतान रहित राशि पर प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूलने का अधिकार होगा।

3. युनीक पहचान संख्या

- 2.3 क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आईआईडीआईएल के परामर्श पर क्लीयरिंग सदस्य को एक युनीक पहचान संख्या प्रदान करेगा ("क्लीयरिंग सदस्य आईडी")।

4. क्लीयरिंग सदस्य की जिम्मेदारियां

- 4.1 क्लीयरिंग सदस्य निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:

- 4.1.1 खाता खोलने के फॉर्म, उसके समर्थन में या संलग्न दस्तावेजों और इस समझौते में निर्धारित सभी विवरणों की सत्यता;

- 4.1.2 खाता खोलने के फॉर्म के साथ या उसके समर्थन में या बाद में प्रतिभागी को प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता और सत्यता;
- 4.1.3 हर समय यह सुनिश्चित करना कि उसके विशेष खाते में जमा की गई प्रतिभूतियां किसी भी लेनदेन को प्रभावी करने के लिए प्रतिभागी को जारी किए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;
- 4.1.4 खाता खोलते समय या समय-समय पर प्रतिभागी को प्रस्तुत आवेदन पत्र में निर्धारित विवरण जैसे पता, बैंक विवरण, स्थिति, अधिकरण, आदेश नामांकन, हस्ताक्षर, आदि के संबंध में प्रतिभागी को तुरंत सूचित करना।
5. क्लीयरिंग सदस्यों द्वारा खातों को खोला जाना है
- 5.1 क्लीयरिंग सदस्य ऐसे खाते खोलेगा जो परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- 5.1.1 क्लीयरिंग सदस्य प्रतिभूतियों के निपटान के उद्देश्य से अभौतिक रूप में ऐसे खाते खोलेगा और उनका रखरखाव करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 5.2 किसी भी प्रतिभूति को विशेष खाते में जमा करने के लिए प्रतिभागी को जारी निर्देशों के लिए क्लीयरिंग सदस्य पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। क्लीयरिंग सदस्य सभी कॉर्पोरेट लाभों को प्राप्त करेगा जो विशेष खातों में रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में अर्जित हो सकते हैं और लाभकारी स्वामी के लाभ के लिए उन्हें ट्रस्ट में रखेगा जो अंततः उन प्रतिभूतियों के हकदार होंगे। क्लीयरिंग सदस्य ऐसे लाभकारी स्वामी के लाभ के लिए इस तरह के कॉर्पोरेट लाभों का लाभों को प्राप्त करने या धारण करने में किसी भी लापरवाही, त्रुटि या चूक के कारण उन प्रतिभूतियों के हकदार लाभार्थी स्वामी को होने वाली हानि कि क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।
- 6 प्रतिभागी प्रत्येक क्लीयरिंग सदस्य के लिए एक अलग खाता खोलेगा
- 6.1 प्रतिभागी प्रत्येक क्लीयरिंग सदस्य के लिए अलग-अलग विशेष खाते रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्लीयरिंग सदस्य की प्रतिभूतियां किसी अन्य क्लीयरिंग सदस्य या प्रतिभागी की प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं हैं।
7. प्रतिभागी केवल समाशोधन सदस्य के निर्देशों पर कार्य करेगा
- 7.1 प्रतिभागी केवल क्लियरिंग सदस्य या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के निर्देश या आदेश पर कार्य करेगा, जिसे आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से क्लियरिंग सदस्य द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया हो।
- 7.2 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य या आईआईडीआईएल के उचित निर्देशों के बिना क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खातों में कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करेगा।
- 7.3 प्रतिभागी क्लियरिंग सदस्य के निर्देशों के निष्पादन के लिए पर्याप्त ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा।
- 8 गिरवी/उपप्रायधीन
- 8.1 समाशोधन सदस्य को प्रतिभागी के साथ अपने विशेष खातों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखने, दृष्टिबंधक रखने, प्रभार रखने, गिरवी रखने या अन्यथा ऋणग्रस्त करने का अधिकार नहीं होगा।
- 9 क्लीयरिंग सदस्य के खाते पर रोक लगाना/फिर से चालू करना
- 9.1 क्लीयरिंग सदस्य किसी भी समय प्रतिभागी के साथ अपने विशेष खाते/खातों को फ्रीज करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है ताकि प्रतिभागी के साथ उसके विशेष खाते में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी संचालनों को क्लीयरिंग सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए रोका जा सके। प्रतिभागी किसी भी क्लीयरिंग सदस्य के खाते पर रोक लगाने में विफलता के कारण होने वाले नुकसान, हानि और क्षति से क्लीयरिंग सदस्य को वैध निर्देशों की प्राप्ति से ऐसी अवधि के अंदर और ऐसे तरीके से सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि उप नियमों और संचालन निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 9.2 क्लीयरिंग सदस्य किसी भी समय प्रतिभागी के पास अपने विशेष खाते को प्रक्रिया के अनुसार और उपनियमों और परिचालन निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन रोक हटाने और पुनः सक्रिय करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य की किसी भी नुकसान, हानि, क्षति या चोट से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो समाशोधन सदस्य को वैध निर्देशों की प्राप्ति से ऐसे समय के भीतर समाशोधन सदस्य के विशेष खाते को निष्क्रिय करने में प्रतिभागी की विफलता के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है। उस ओर से और ऐसे तरीके से जैसा कि उप-नियमों और संचालन निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 9.3 किसी न्यायालय न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या किसी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के किसी भी निर्देश, आदेश या डिक्री के प्राप्त होने पर प्रतिभागी द्वारा क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खाते को फ्रीज कर

दिया जाएगा। आईआईडीआईएल के लिखित निर्देशों के अनुसार प्रतिभागी को ऐसा करने के लिए कहा जाता है और इस तरह के खाते पर रोक लगाने पर प्रतिभागी तुरंत इसकी सूचना क्लीयरिंग सदस्य को देगा।

10 प्रतिभागी का ग्रहणाधिकार

10.1 प्रतिभागी आईआईडीआईएल के पूर्वानुमोदन के बिना प्रतिभागी के पास किसी भी खाते में अभौतिक रूप में धारित क्लीयरिंग सदस्यों की किसी भी प्रतिभूतियों पर, क्लीयरिंग सदस्य द्वारा उसकी क्षमता में प्रतिभागी को बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी भी ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कि क्लीयरिंग सदस्य की ओर से धोखाधड़ी, लापरवाही या गलती के कारण प्रतिभागी और/या आईआईडीआईएल को हुई किसी भी हानि के लिए कोई मुआवजा शामिल है।

11 क्लीयरिंग सदस्य के खातों का विवरण

11.1 यदि किसी महीने के दौरान और किसी भी घटना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक बार एक भी प्रविष्टि या लेन-देन हुआ है, तो प्रतिभागी को प्रत्येक माह के अंत में अपने खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा विवरण आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा। प्रतिभागी ऐसी कम अवधि में ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जो क्लीयरिंग सदस्य द्वारा ऐसे प्रभारों के भुगतान पर समाशोधन सदस्य द्वारा अपेक्षित हो, जैसा कि प्रतिभागी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11.2 क्लीयरिंग सदस्य प्रतिभागी से प्राप्त अपने खातों के प्रत्येक विवरण की सटीकता और सत्यता के लिए जांच करेगा और इस तरह के बयानों में किसी भी गलती, अशुद्धि या विसंगतियों को तुरंत प्रतिभागी के ध्यान में लाएगा।

12 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य के विरुद्ध दावों के लिए जवाबदेह नहीं होगा

12.1 प्रतिभागी किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावों से उत्पन्न होने वाले नुकसान, देनदारियों और/या खर्चों के लिए या क्लीयरिंग सदस्य के विशिष्ट खाते में क्रेडिट की गई प्रतिभूतियों के संबंध में किसी के भी केंद्रीय, राज्य, कानूनी या राजस्व प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क, प्रभारों, करों, प्रशुल्कों, लेवी या मांगे गए जुर्माने के लिए क्लीयरिंग सदस्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

13. अधिकृत प्रतिनिधि

13.1 जहां क्लीयरिंग सदस्य एक निगमित निकाय है, वह इस समझौते के निष्पादन के साथ-साथ प्रतिभागी को उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जो प्रतिभागी के साथ उसकी ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेगा। ऐसी सूची में कोई भी परिवर्तन, जिसमें परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन शामिल हैं, प्रतिभागी को तुरंत सूचित किया जाएगा।

14. गोपनीयता

14.1 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य और उसके खाते के संबंध में ऐसे विवरण, डेटा या सूचना प्रदान करने या प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि किसी न्यायालय, न्याधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या किसी ऐसे विनियामक या राजस्व प्राधिकार द्वारा आवश्यक हो सकता है जिसे कानून या आईआईडीआईएल या संबंधित जारीकर्ता और/या आरटीए या आईआईडीआईएल के माध्यम से क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अधिकृत होता है, या कानूनी अनुपालनाओं के लिए या क्लीयरिंग सदस्य के संदर्भ या सहारा लिए बिना इसके अधिकारों को लागू करने के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, बशर्ते कि उक्त को छोड़ कर, प्रतिभागी इस प्रकार के विवरण, डेटा या सूचना को किसी भी पक्ष या व्यक्ति के सामने उजागर या अनुमति या प्रकट नहीं करेगा और इस प्रकार के विवरण, डेटा और सूचना को गोपनीय बनाए रखेगा।

15. क्लीयरिंग सदस्य द्वारा तुरंत सूचना की आवश्यकता की घटनाएं

15.1 क्लीयरिंग सदस्य आईआईडीआईएल और प्रतिभागी को तुरंत सूचित करेगा:

15.1.1 यदि क्लीयरिंग सदस्य एक व्यक्ति है, तो क्लीयरिंग सदस्य के रूप में कार्य करने में उसकी अक्षमता की स्थिति में;

15.1.2 यदि क्लीयरिंग सदस्य एक साझेदारी फर्म है, तो इसके विघटन की स्थिति में (फर्म के विघटन के लिए किसी भी प्रकार के विघटन की सूचना जारी करने या मुकदमा दायर करने सहित);

15.1.3 यदि क्लीयरिंग सदस्य एक निगमित निकाय है, तो उसे समाप्त करने के लिए किसी याचिका को स्वीकार करने या एक अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति करने या इसके समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए एक आदेश पारित होने की स्थिति में;

- 15.1.4 इसके दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या अपनी संपत्ति की कुर्की के लिए किसी आवेदन या याचिका की प्रस्तुति के बारे में पता लगने पर;
- 15.1.5 किसी भी संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया के बारे में पता लगने पर जो उसकी संपत्ति पर या उसके विरुद्ध लगाया जा रहा है;
- 15.1.6 इसकी वित्तीय स्थितियों में किसी भी परिवर्तन के मामले में जो इसके दिवालियेपन या विघटन या समापन का कारण बन सकता है या यदि इसे अपने लेनदारों के साथ एक संयोजन करना पड़ता है;
- 15.1.7 किसी भी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक या रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कोई बैठक बुलाने पर, या परिस्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन जो क्लीयरिंग सदस्य के रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है;
- 15.1.8 यदि क्लियरिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है या निलंबित किया जा रहा है, या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज या आईएफएससीए द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त की जा रही है;
- 15.1.9 आईएफएससीए या किसी अन्य प्राधिकार, जिसका क्लीयरिंग सदस्य एक सदस्य या खाताधारक है, द्वारा क्लीयरिंग हाउस, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज की समाप्ति, निलंबन या पंजीकरण रद्द करने पर।
16. क्लीयरिंग सदस्य की शिकायतों का निवारण
- 16.1 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य की सभी शिकायतों की सुनवाई तुरंत करेगा और प्रतिभागी के क्षेत्राधिकार में आने वाली इस प्रकार की शिकायतों के आने की 21 (इक्कीस) दिन की अवधि के अंदर इस प्रकार की सभी शिकायतों का निवारण करेगा और क्लीयरिंग सदस्य की अन्य सभी शिकायतों को उसके संज्ञान में आते ही तुरंत आईआईडीआईएल के पास भेजेगा और उनकी निगरानी करेगा और उनके जल्दी निवारण का प्रयास करेगा।
17. खाते को बंद करना
- 17.1 क्लीयरिंग सदस्य किसी भी समय प्रतिभागी को बुलाकर प्रतिभागी के साथ उसके विशिष्ट खातों को बंद करने के लिए इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि कोई निर्देश लंबित या निष्पादित न हो और कोई शुल्क या प्रशुल्क क्लीयरिंग सदस्य द्वारा प्रतिभागी को देय न हो। ऐसी स्थिति में क्लीयरिंग सदस्य उस संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रतिभागी को एक आवेदन करेगा। क्लीयरिंग सदस्य खाता बंद करने के फॉर्म को निष्पादित करके ऐसे विशेष खाते को बंद कर सकता है यदि इस तरह के विशेष खाते में कोई शेष राशि जमा नहीं होती है। यदि बंद किए जाने वाले खाते में प्रतिभूतियों का कोई शेष मौजूद है, तो विशेष खातों को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बंद किया जा सकता है:
- 17.1.1 ऐसे विशेष खाते में मौजूदा शेष राशि के पुनः भौतिकीकरण द्वारा;
- 17.1.2 ऐसे विशेष खाते में मौजूदा शेष राशि को किसी अन्य भागीदार के पास रखे गए उसके एक या अधिक विशेष खाते में स्थानांतरित करके;
- 17.1.3 इस तरह के विशेष खाते में मौजूदा शेष राशि के एक हिस्से का पुनः भौतिकीकरण करके और शेष को किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अपने एक या अधिक अन्य विशेष खाते में स्थानांतरित करके।
- 17.2 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खाते में शेष राशि के हस्तांतरण या प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा, जैसा भी मामला हो, और यह इस संबंध में यह प्रक्रिया क्लीयरिंग सदस्य से निर्देश प्राप्त होने की तिथि से दो कार्य दिवसों की अवधि के अंदर शुरू होगी।
- 17.3 क्लीयरिंग सदस्य का विशेष खाता बंद नहीं किया जाएगा यदि क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खातों में कोई प्रतिभूति मौजूद है जो गिरवी रखी गई है या दृष्टिबंधक है या विशेष खाते का मिलान नहीं किया गया है या यदि ऐसे विशेष खाते को बंद करने से किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के आदेश या निषेधाज्ञा का उल्लंघन होगा।
- 17.4 प्रतिभागी के एक प्रतिभागी के रूप में न रहने की स्थिति में, क्लीयरिंग सदस्य या तो अपनी प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण की मांग कर सकता है या किसी अन्य प्रतिभागी के साथ खोले गए अन्य विशेष खातों में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।
18. समापन
- 18.1 प्रतिभागी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि क्लीयरिंग सदस्य:
- 18.1.1 प्रतिभागी को समय-समय पर निर्देश जारी करने में विफल रहता है;

- 18.1.2 उस संबंध में की गई मांग की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर पारस्परिक रूप से सहमत शुल्क या प्रशुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;
- 18.1.3 उक्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित या डिफॉल्टर घोषित किया जाना या अन्यथा उक्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहना;
- 18.1.4 आईएफएससीए द्वारा क्लीयरिंग हाउस, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज की समाप्ति, निलंबन या पंजीकरण रद्द होने पर या उस संबंध में कानून द्वारा या अधिकृत किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण रद्द होने पर;
- 18.1.5 प्रतिभागी के साथ वह अपने व्यवहार में किसी धोखाधड़ी या नैतिक उलंघन के अन्य कार्य करता है या उसमें भाग लेता है;
- 18.1.6 अन्यथा किसी भी प्रकार का दुराचार करता है;
- 18.2 प्रतिभागी ऐसी समाप्ति के लिए कोई कारण बताए बिना भी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है बशर्ते प्रतिभागी ने इस संबंध में क्लीयरिंग सदस्य को कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस जारी किया हो।
- 18.3 प्रतिभागी द्वारा इस अनुबंध को समाप्त करने की स्थिति में, प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य से यह निर्दिष्ट करने के लिए कहेगा कि क्या वह अपने विशेष खातों में सुरक्षा शेष राशि को किसी अन्य भागीदार के साथ अपने विशेष खातों में स्थानांतरित करना चाहता है या उसे इस तरीके से पुनः भौतिक रूप में बनाना चाहता है जैसा कि उपनियमों में निर्दिष्ट किया गया है और प्रतिभागी तदनुसार क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खाते को बंद कर देगा। जहां प्रतिभागी द्वारा विशेष खाते/खातों को किसी भी कारण से बंद कर दिया जाता है, जिसके लिए क्लीयरिंग सदस्य जिम्मेदार नहीं है, तो क्लीयरिंग सदस्य के विशेष खाते को किसी अन्य प्रतिभागी को हस्तांतरित करने या ऐसे विशेष खाते में प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण में शामिल लागत, शुल्क और खर्च प्रतिभागी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 18.4 इस समझौते की समाप्ति पर यदि क्लीयरिंग सदस्य किसी अन्य प्रतिभागी के साथ विशेष खाते को निर्दिष्ट करने में विफल रहता है, जिसमें मौजूदा शेष राशि को स्थानांतरित किया जाना है या यदि प्रतिभागी ऐसे विशेष खाते में प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहता है, तो आईआईडीआईएल किसी अन्य प्रतिभागी को नामित करेगा, जिसे इस तरह के विशेष खाते को कुछ समय के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरित खाते में प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेनदेन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि क्लीयरिंग सदस्य उस प्रतिभागी के साथ एक समझौता नहीं करता जिसके खाते में आईआईडीआईएल द्वारा इस तरह का विशेष खाता हस्तांतरित किया जाएगा।
- 18.5 प्रतिभागी द्वारा इस समझौते को समाप्त करने या क्लीयरिंग सदस्य द्वारा ऐसे विशेष खातों को बंद करने के बावजूद, इस समझौते के प्रावधान और इससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व सभी अधिनियमों, अनुबंधों, मामलों और कार्यों और इस अनुबंध के प्रभावी रहने के दौरान किए गए लेनदेनों के संबंध में दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी रहेंगे, जहां तक कि वे इस प्रकार के समापन या बंद करने के विपरीत या प्रतिकूल नहीं हैं।
19. क्षतिपूर्ति
- 19.1 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य को सभी हानियों, नुकसान, क्षति और सभी दावों, मांगों, मुकदमों, कार्यवाहियों, दण्डों और प्रत्येक अन्य ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं (जिनमें उनसे संबंधित सभी लागतें, प्रभार और व्यय शामिल हैं) से सुरक्षित और बचाए रखेगा, जो प्रतिभागी द्वारा क्लीयरिंग सदस्य के निर्देशों की पुष्टि के बिना या उनके विपरीत या उलंघन में उसके विशेष खाते में प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट करने के कारण क्लीयरिंग सदस्य को वहन करने पड़ते हैं या अन्यथा क्लीयरिंग सदस्य के निर्देशों की पालना करने में विफल होने के कारण या प्रतिभागी, उसके कर्मचारियों, नौकरों या एजेंटों की लापरवाही के कारण या कोई ऐसा कार्य, अनुबंध मामले या गतिविधि करने के कारण वहन करने पड़ते हैं जिनसे आईएफएससीए अधिनियम, एमआईआई विनियमावली, उपनियमावली और आईआईडीआईएल के संचालन निर्देशों का उलंघन होता है।
- 19.2 प्रतिभागी क्लीयरिंग सदस्य को सभी हानियों, नुकसान, क्षति और सभी दावों, मांगों, मुकदमों, कार्यवाहियों, दण्डों और प्रत्येक अन्य ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं (जिनमें उनसे संबंधित सभी लागतें, प्रभार और व्यय शामिल हैं), जो प्रतिभागी को उसे दाखिल जाली, नकली, चुराई हुई, रद्द की हुई प्रतिभूतियों या ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज के कारण वहन करनी पड़ सकती हैं जो किसी न्यायालय, न्यायधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार या किसी ऐसे अन्य प्राधिकार की डिक्री, आदेश या निषेधाज्ञा के कारण वहन करने पड़ते हैं, जो इस संबंध में उन प्रतिभूतियों के स्थानांतरण को प्रतिबंधित या निषेध के लिए सक्षम होते हैं या इस प्रकार की प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित करने के लिए सक्षम हैं जो किसी कानूनी निकाय या प्राधिकार के पक्ष में किसी अनुबंध या समझौते का उलंघन करती हैं।

20. सरकारी शुल्क

20.1 यहां मौजूद दोनों पक्षों के बीच इस अनुबंध और/या इसके संबंध में किसी विलेख, दस्तावेज या लिखित दस्तावेज पर देय किसी भी सरकारी शुल्क (जिसमें उस पर लगाया गया ब्याज या जुर्माना शामिल है) का भुगतान क्लीयरिंग सदस्य द्वारा किया जाएगा।

21. अप्रत्याशित घटना, आदि

21.1 इस अनुबंध में या उपनियमों में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, इस अनुबंध के अंतर्गत कोई पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसे उलंघन, विफलता या किसी कर्तव्य को पूरा करने में देरी के लिए या किसी ऐसे कारण से दूसरे पक्ष को हुई हानि, नुकसान, क्षति या चोट की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिनमें अन्य के साथ साथ समुद्री लहरें, तुफान, चक्रवात, बाढ़, आसमानी बिजली, भूकम्प, आग, ब्लास्ट, विस्फोट या अन्य ईश्वरीय आपदा, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, प्रतिरोध या प्रतिबंध, रास्ता रोकना, दंगा, नागरिक उपद्रव, श्रम गतिविधि या अंशाति जिनमें हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी उपयोगिता सेवा में बाधा या विफलता, दुश्मन की कार्यवाही, आपराधिक षडयंत्र, आतंकी गतिविधि या तोड़फोड़, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक बाधा या दखल, सैटेलाइट को नुकसान या क्षति, सैटेलाइट या किसी अन्य संचार डेटा से लिंक टूटना, कॉनेक्टिविटी खो जाना या कोई अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति या मजबूरी शामिल हैं।

22. नोटिस देना

22.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या संचार लिखित में होगा और केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगा जब इसे अंतिम ज्ञात पते पर संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से भेजा जाएगा।

23. प्रावधान का अलगाव

23.1 यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या विनियमाक प्राधिकार द्वारा गैर-कानूनी, शून्य या लागू न करने योग्य करार दिया जाता है या यदि कोई प्रावधान किसी कानूनी संशोधन, अधिसूचना या किसी न्यायिक निर्णय के कारण शून्य या लागू न किए जाने योग्य बन जाता है तो इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक सीमा तक इस अनुबंध से अलग कर दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधानों में जहां तक संभव हो परिवर्तन किए बिना अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के शेष प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।

24. आईएफएससीए के आदेश पर संशोधन/परिवर्तन बाध्यकारी होगा

24.1 इस अनुबंध में या इसके किसी प्रावधान में किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन या विलोपन इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे जैसा कि आईएफएससीए द्वारा आदेश या निर्देश दिया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी विलेख, दस्तावेज, लेख तैयार करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

25. कोई अधित्याग नहीं

25.1 इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का त्याग अमान्य होगा, बशर्ते कि इस संबंध में एक लिखित अनुबंध नहीं किया जाता और इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, एकाधिकार या उपचार के प्रयोग में किसी पक्ष की विफलता या देरी को अधित्याग या इस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा किसी कार्यवाही या परिणामस्वरूप उलंघन नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एक या आंशिक प्रयोग इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य या आगे के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेगा, या निष्पक्षता से यह सहमति हो जाती है कि इस प्रकार के अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपपचार एक दूसरे से अलग और संचयी हैं।

26. मध्यस्थता और सुलह

26.1 दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और मतभेदों के संबंध में दोनों पक्ष उपनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मध्यस्थता और सुलह से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता का स्थान गांधीनगर होगा।

27. शाषी भाषा

27.1 कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विलेख, दस्तावेज और लेख तथा इस अनुबंध की विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच होने वाले पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे जो इस अनुबंध के पक्षों के बीच प्रशासन की भाषा होगी।

28. शासी कानून

28.1 यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित होगा और समझा जाएगा।

29. क्षेत्राधिकार

29.1 इस अनुबंध के पक्ष गांधीनगर में स्थिति न्यायालय के एकमात्र क्षेत्राधिकार से सहमत हैं।

30. शीर्षक

30.1 इस अनुबंध में शीर्षक केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी तरह से इस अनुबंध के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

31. व्याख्या

31.1 यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है तो एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों में एकवचन शब्द शामिल हैं और पुलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में स्त्रिलिंग और स्त्रिलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में पुलिंग शब्द शामिल हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम या अध्यादेश या विद्यान या उनके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में उनमें किया गया कोई भी संशोधन या पुनः अध्यादेश शामिल होगा।

32. अनुबंध का निष्पादन

यह समझौता अनुलिपि में तैयार किया गया है और प्रत्येक पक्ष के पास इसकी एक प्रति होगी।

अनुलिपि में तैयार इस अनुबंध के साक्ष्य में उक्त तिथि, माह, वर्ष और स्थान पर इस अनुबंध के पक्ष अपने अपने हस्ताक्षर/मुहर इस पर चिह्नित कर रहे हैं।

“प्रतिभागी” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

3.

4.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“क्लीयरिंग सदस्य” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

3.

4.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

अनुलग्नक ड

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. अनुबंध लागू कानून के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट की वाली राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए।
2. अनुबंध के सभी पृष्ठों पर मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।
3. अनुबंध के अंतिम पृष्ठ पर गवाह का नाम और हस्ताक्षर मौजूद होना चाहिए।
4. सभी प्रतियों पर मुहर लगी होनी चाहिए और मूल रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
5. अनुबंध के निष्पादन की तिथि कम्पनी को प्रवेश देने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद आईआईडीएल द्वारा अंकित की जाएगी। यदि यह अनुबंध इस पर लिखित तिथि के साथ प्राप्त होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और आरटीए को एक नया अनुबंध निष्पादित करना होगा।

यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया जारीकर्ता प्रवेश प्रकोष्ठ से पर सम्पर्क करें।

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड और जारीकर्ता के बीच अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को पर निम्नलिखित के बीच हुआ है:

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट-310 एवं 311, तीसरा तल, सिगनेचर टॉवर ब्लॉक-13, रोड 1 सी, जोन-1, जीआईएफटी एसईजेड, गिफ्ट सिटी गांधीनगर-382355, (जिसे यहां पर "आईआईडीआईएल" कहा गया है) जो प्रथम पक्ष है

और

..... (कानूनी इकाई का विवरण) जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय पर स्थित है (जिसे यहां पर जारीकर्ता कहा गया है), जो दूसरा पक्ष है

जबकि आईआईडीआईएल प्रतिभूतियों की घोषणा करने के लिए सहमत हुआ है जैसे शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, ऋणपत्र या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां (जिन्हें यहां पर "प्रतिभूतियां" कहा गया है) जो समय-समय पर जारीकर्ता द्वारा जारी किया जाता है और जो आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप में रखने योग्य होती हैं।

और जबकि जारीकर्ता आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप से प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण में सहायता के लिए आईआईडीआईएल के साथ एक व्यवस्था करने का इच्छुक है, जिसके लिए आईआईडीआईएल ने सहमति दी है।

और जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार अधिनियम 2019 ("आईएफएससीए अधिनियम") सपठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (बाजार बुनियादी ढांचा) विनियमावली, 2021 ("एमआईआई विनियम") के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार ("आईएफएससीए") द्वारा आरटीए को पंजीकरण का प्रमाणपत्र संख्या दिनांकित..... प्रदान किया गया है।

1. सामान्य अनुच्छेद

- 1.1 इस अनुबंध में प्रयोग किए गए लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए बल्कि लागू कानूनों के अंतर्गत परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उक्त कानूनों में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 सपठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) निर्देशावली, 2015 (लागू सीमा तक) के अंतर्गत आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, और उनके अंतर्गत जारी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (बाजार बुनियाद संरचना) विनियमावली, 2021 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जारी परिपत्र या दिशानिर्देश या निर्देश, प्रतिभूति अनुबंध (निनियम) अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत निर्मित नियम, विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश, भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और और उसके अंतर्गत नियम, विनियम, निर्देश और दिशानिर्देश, डिपोजिटरी एक्ट 1996 और उसके अंतर्गत नियम और विनियम।
- 1.2 यदि संदर्भ या अर्थ द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं है, यहां प्रयोग किए गए "लाभकारी स्वामी", "जारीकर्ता", "प्रतिभागी", और "आरटीए" शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ आईआईडीआईएल के संबंध में क्रमशः एक लाभकारी सदस्य, जारीकर्ता, प्रतिभागी और एक ईश्यू का रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट (जो भी मामला हो) होगा और "अधिनियम", "विनियमावली", "उपनियमावली" और "संचालन निर्देशों" का अर्थ क्रमशः "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार अधिनियम, 2019", "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सेवा प्राधिकार (बाजार संरचनात्मक ढांचा) विनियमावली, 2021", आईआईडीआईएल की उपनियमावली और आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देश होगा।
- 1.3 जारीकर्ता आईएफएससीए अधिनियम सपठित एमआईआई विनियमों की अनुपालना करने के लिए बाध्य होंगे और आईआईडीआईएल के उपनियमों और समय समय पर जारी संचालन निर्देशों की अनुपालना के लिए उसी तरह से और उसी सीमा तक बाध्य होंगे मानो वो इस अनुबंध का हिस्सा हैं।
- 1.4 जारीकर्ता एक जारीकर्ता के रूप में समाप्त होने के बाद भी उपनियमों और संचालन निर्देशों की अनुपालना के लिए बाध्य रहेंगे, जहां तक सभी मामलों, प्रविशिष्टियों या लेनदेनों के संबंध में उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें जारीकर्ता पूरा और निष्पादित कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, वचन दे सकते हैं या ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें एक जारीकर्ता के रूप में समापन से पहले प्रतिभूतियों की भौतिकीकरण या पुनः भौतिकीकरण के लिए लंबित आग्रह शामिल हैं और जो एक जारीकर्ता जो भी मामला हो, के रूप में समापन के समय पर बकाया, अपूर्ण या लंबित हो सकते हैं।
- 1.5 यहां दिए गए जारीकर्ता के दायित्व उपनियमों और संचालन निर्देशों में दिए गए दायित्वों का दोहराव और/या अतिरिक्त हैं, और इस अनुबंध से इन दायित्वों में से किसी एक या अधिक को हटाना किसी भी तरह से उन दायित्वों में छूट नहीं माना जाएगा जो यहां नहीं दिए गए हैं।

2 लागतें, शुल्क और प्रशुल्क

- 2.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल को व्यक्तिगत रूप से ऐसे शुल्कों, लागतों, प्रभारों और जमाओं का भुगतान करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय समय पर जारीकर्ता के लिए संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार

के शुल्कों, लागतों, प्रभारों और जमाओं, जैसा भी मामला हो, का अंतिम तिथि को भुगतान करने में जारीकर्ता के विफल रहने पर आईआईडीआईएल के पास निर्धारित दर से देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज वसूलने का अधिकार होगा।

3 युनीक पहचान संख्या

3.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता को एक युनीक जारीकर्ता आईडी आबंटित करेगा।

4 जारीकर्ता द्वारा स्थापित किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

4.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल से संबंधित गतिविधियों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, संचार उपकरण और निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने परिसर में स्थापित करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

4.2 इसके अलावा यह भी सहमति दी जाती है कि जब तक आईआईडीआईएल या उसके एजेंटों द्वारा सीधे आपूर्ति नहीं की जाती है, सभी कंप्यूटर, संचार उपकरण, प्रिंटर, निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयां और आरटीए द्वारा खरीदे गए अन्य सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्दिष्ट कॉन्फिगरेशन के होंगे और केवल आईआईडीआईएल के पैनल में शामिल ब्रांडों या किसी अन्य ब्रांड से जिसे आईआईडीआईएल द्वारा ऐसी खरीद से पहले लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो, से सोर्स किए जाएंगे।

4.3 उपरोक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग जारीकर्ता द्वारा विशेष रूप से आईआईडीआईएल के विशिष्ट एप्लिकेशन मॉड्यूल के लिए किया जाएगा और भले ही कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग या डेटा स्टोरेज क्षमता हो, और इसका उपयोग जारीकर्ता के बैंक-ऑफिस सहित किसी अन्य एप्लिकेशन के लिए नहीं किया जाएगा।

4.4 उपरोक्त हार्डवेयर को आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जारीकर्ता द्वारा अपने इंटर-ऑफिस वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) से नहीं जोड़ा जाएगा। आईआईडीआईएल ऐसी अनुमति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी राय में, इस तरह की अनुमति देने में दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित आईआईडीआईएल के अपने वैन के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लंघन होता है या यदि इसकी अनुमति देने में, आईआईडीआईएल को अपने वैन की विश्वसनीयता को जोखिम की आशंका है या किसी अन्य कारण से जोखिम है जैसा कि आईआईडीआईएल उचित समझता है।

4.5 आरटीए, समय-समय पर, अपनी स्वयं की लागत पर, उक्त हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के ऐसे परिवर्धन, संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन का कार्य करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

5 कनेक्टिविटी और सिस्टम

5.1 जारीकर्ता और आईआईडीआईएल एक दूसरे के साथ संचार के एक सतत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की स्थापना और रखरखाव करेंगे।

5.2 आईआईडीआईएल जारीकर्ता को समय-समय पर आवश्यक परिचालन निर्देश प्रदान करेगा, जैसा कि डिपॉजिटरी संचालन से संबंधित व्यवसाय के प्रभावी और त्वरित संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है।

5.3 जारीकर्ता आईआईडीआईएल के जारीकर्ता के रूप में अपने संचालन के संबंध में, अपनी लागत पर इस तरह की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संचार के साधनों, बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरणों और बैंक-अप सुविधाओं की खरीद और रखरखाव करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल निर्दिष्ट कर सकता है और समय-समय पर इसे अपग्रेड या प्रतिस्थापित करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5.4 जारीकर्ता आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा और कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों (जिन्हें 'सिस्टम ऑडिट टीम' कहा जाता है) के कार्य प्रदर्शन की लेखा परीक्षा में विशेषज्ञता या विशेष कौशल वाले पेशेवरों की आईआईडीआईएल द्वारा नियुक्त एक या अधिक टीमों को प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के आवधिक मूल्यांकन के लिए अपने सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देगा।

6 अभौतिकीकरण और पुनः भौतिकीकरण को शुरू करने की प्रभावी तिथि

6.1 प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरण और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रभावी तिथि इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख को या उसके बाद होगी।

7 सूचना/दस्तावेज जो जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल को प्रस्तुत किए जाने हैं

7.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में लिस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति देने वाले पत्र की एक प्रति इसकी तिथि से 5 (पांच) दिनों के अंदर और मौजूदा प्रतिभूतियों के

साथ समकक्ष रैंक की गई प्रतिभूतियों के किसी भी नए ईश्यू के मामले में इस तरह के पत्र के जारी होने की तिथि से 5 (पांच) दिनों के अंदर।

7.2 जारीकर्ता आईआईडीआईएल को निम्न की सूचना प्रदान करेगा:

7.2.1 प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अन्य ईश्यू, यदि कोई हो, जैसे अधिकार, बोनस, सार्वजनिक पेशकश आदि, सभी प्रासंगिक विवरणों जैसे कि खोलने और बंद करने की तारीख, ईश्यू का आकार, ईश्यू का मूल्य, रिकॉर्ड तिथि, पुस्तक बंद करने की तिथि, अनुपात, समकक्ष स्थिति आदि के साथ प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति;

7.2.2 वह तिथि जिसके बाद रूपांतरण, आगे के ईश्यू, अंतिम कॉल भुगतान आदि से उत्पन्न होने वाली नई प्रतिभूतियां उसकी मौजूदा प्रतिभूतियों के समकक्ष हो जाती हैं;

7.2.3 कोई अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई।

7.3 ऐसी जानकारी आईआईडीआईएल को उसी दिन प्रस्तुत की जाएगी जिस दिन इसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और अन्य सभी मामलों में जारीकर्ता द्वारा औपचारिक निर्णय लेने के बाद 2 (दो) दिन के अंदर।

8 आईआईडीआईएल जारीकर्ता को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा

8.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता को रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभार्थी स्वामियों का विवरण प्रस्तुत करेगा। इस तरह के विवरण आईआईडीआईएल द्वारा परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट समय के अंदर प्रदान किए जाएंगे।

8.2 आईआईडीआईएल जारीकर्ता के रिकॉर्ड को ऐसी अवधियों में अपडेट करने के लिए लाभार्थी मालिकों का विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8.3 उपरोक्त के अलावा, आईआईडीआईएल अपने विवेक से, जब जारीकर्ता द्वारा आवश्यक हो, ऐसे शुल्कों के भुगतान पर, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लाभकारी स्वामियों के विवरण के साथ-साथ अभौतिकीकरण और पुनःभौतिकीकरण के लिए लंबित अनुरोध और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अन्य विवरण या जानकारी प्रदान कर सकता है।

9 अभौतिकीकरण

9.1 आईआईडीआईएल अपने प्रतिभागियों से प्राप्त होने वाले अभौतिकीकरण के सभी अनुरोधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दैनिक आधार पर आरटीए को सूचित करेगा।

9.2 अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रपत्र ("डीआरएफ") प्राप्त होने पर, जिन प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की मांग की गई है, आरटीए सबसे पहले प्रतिभूतियों के लिए प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता और सभी विषय वस्तु की सटीकता को सत्यापित करेगा और दूसरा, अपने रिकॉर्ड से पुष्टि करेगा कि इस तरह के अभौतिकीकरण की मांग उस व्यक्ति द्वारा की गई है जिसका नाम उन प्रतिभूतियों के संबंध में आरटीए द्वारा रखे गए प्रतिभूतियों के रजिस्टर में उन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में है।

9.3 जारीकर्ता यह वचन देता है कि आईआईडीआईएल के माध्यम से प्रतिभागियों से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित डेटा जारीकर्ता द्वारा रखे गए प्रतिभूतियों के डेटाबेस के विरुद्ध मान्य किया जाएगा और केवल स्पष्ट शीर्षक वाली वैध प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति दी जाएगी।

9.4 पूर्वोक्त सत्यापन के बाद, जारीकर्ता आईआईडीआईएल को लाभार्थी स्वामी के पक्ष में संबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिक रूप में एक क्रेडिट अधिकृत करने के लिए सूचित करेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित हितधारक के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टि करवाएगा। किसी भी लाभार्थी स्वामी के खाते में किसी भी प्रतिभूति का क्रेडिट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आईआईडीआईएल को यहां ऊपर निर्धारित आरटीए से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

9.5 जारीकर्ता यह वचन देता है कि किसी भी प्रतिभूति के संबंध में उसके द्वारा अभौतिकीकरण का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा या आईआईडीआईएल को सूचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह किसी न्यायालय, न्यायधीकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या इसके लिए सक्षम किसी कानूनी या राजस्व प्राधिकार के किसी निर्देश, आदेश या डिक्री के अंतर्गत किसी प्रतिबंध, निषेधाज्ञा, निषेध या जब्ती के अधीन नहीं है या जिनका जारी करने के नियम एवं शर्तों के अनुसार हस्तांतरण करना निषिद्ध है।

9.6 जारीकर्ता आईआईडीआईएल के उप-नियमों/संचालन निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर अभौतिकीकरण के प्रत्येक अनुरोध की पुष्टि या अस्वीकृति के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआईडीआईएल को सूचित करेगा।

- 9.7 जारीकर्ता सभी मामलों में डीआरएफ को उस अवधि के लिए अपने पास रखेगा, जैसा कि उस संबंध में कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो न्यूनतम 5 (पांच) वर्षों की अवधि के अधीन होगा।
- 9.8 जारीकर्ता निम्नलिखित कारणों को छोड़कर आईआईडीआईएल में किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार या अस्वीकार नहीं करेगा:
- 9.8.1 प्रतिभूतियों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज चोरी, जाली, जाली या नकली पाए जाते हैं
- 9.8.2 जारीकर्ता को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, आईएफएससीए, केंद्र या राज्य सरकार या अन्य वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के किसी भी आदेश, डिक्री या निर्देश द्वारा उन प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या रोक लगाने के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें जब्ती, संकट या निष्पादन का आदेश शामिल है;
- 9.8.3 यदि अभौतिकीकरण के लिए उसी संख्या में अधिकार के डुप्लीकेट प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज ओरिजिनल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के स्थान पर जारी कर दिए गए हैं;
- 9.8.4 जिन प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण की मांग की गई है, वे लागू किसी कानून के तहत या उसके जारी करने के नियमों और शर्तों के तहत हस्तांतरण पर किसी प्रतिबंध या निषेध के अधीन हैं;
- 9.8.5 आईआईडीआईएल द्वारा अपने परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य कारण।
- 9.9 जारीकर्ता संबंधित प्रतिभागी को अभौतिकीकरण के लिए जमा की गई प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र और/या अन्य दस्तावेजों को वापस कर देगा, जैसा कि जारीकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, बशर्ते कि अभौतिकीकरण की स्थिति में या उपरोक्त अनुच्छेद 9.8 में निर्धारित कारण से पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है तो, उन प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र को जारीकर्ता द्वारा बनाए रखा जाएगा और कानून के अनुसार जारीकर्ता द्वारा निपटाया जाएगा।
- 9.10 उन सभी मामलों में जहां जारीकर्ता किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है, आरटीए संबंधित प्रतिभागी को इस तरह की अस्वीकृति के सटीक कारण के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा।
- 9.11 जारीकर्ता तुरंत उन प्रतिभूतियों का विवरण देते हुए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को सूचना भेजेगा, जहां अभौतिक प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, जिन्हें संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अभौतिक किया गया है।
- 9.12 आईआईडीआईएल को किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति देने वाली प्रत्येक सूचना जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल को एक संयुक्त या कुछ प्रतिनिधित्वों और आश्वसानों द्वारा समर्थित किया जाएगा कि ऐसी प्रतिभूतियां मौजूद हैं, वैध रूप से जारी की गई हैं और जारीकर्ता के रिकॉर्ड में हैं और/या लाभार्थी स्वामी के नाम पर हैं जिसने उन प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण की मांग की है।
- 9.13 जारीकर्ता उसके द्वारा अभौतिकीकरण के लिए प्राप्त और स्वीकार की गई प्रतिभूतियों और/या स्वामित्व के अन्य दस्तावेजों के रद्द, विकृत या नष्ट होने के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और निरस्त, विकृत या नष्ट होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सहमत हैं;
- 9.14 जारीकर्ता सहमत हैं और वचन देता है कि जिन प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्रों का रिकॉर्ड जिनका अभौतिकीकरण किया गया है, जारीकर्ता द्वारा इस तरह से रखा जाएगा जैसा कि उप-नियमों और परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- 9.15 जारीकर्ता आईआईडीआईएल में स्वीकृत पात्र प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि जारीकर्ता यह सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमतियां, मंजूरी, अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं, जिनमें कंपनी मामलों का मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार, आरबीआई, आईएफएससीए या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण शामिल हैं, और संचालन निर्देशों और/या आईआईडीआईएल द्वारा उस संबंध में समय-समय पर जारी किसी भी संचार में निर्धारित प्रक्रियाओं का विधिवत अनुपालन किया गया है।
- 9.16 जारीकर्ता/आरटीए पुष्टि करता है कि इस तरह का अभौतिकीकरण अधिनियम, विनियमों, इन उप-नियमों और समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी परिचालन निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं है।
- 9.17 जारीकर्ता हमेशा सख्ती से सुनिश्चित करेगा कि निक्षेपागार में प्रत्येक आईएसआईएन में अभौतिक रूप में रखी गई समुचित प्रतिभूतियां, जिसमें आईआईडीआईएल शामिल है, और भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियां जो स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से अधिक नहीं हैं और असूचिबद्ध प्रतिभूतियों के मामले में, निक्षेपागार में अभौतिक रूप में प्रत्येक आईएसआईएन के अंतर्गत रखी समुचित प्रतिभूतियां, आईआईडीआईएल सहित, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों को मिलाकर कानून के अनुसार आबंटित और कम्पनी रजिस्ट्रार और/या इसके लिए किसी अन्य सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में

कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर निर्दिष्ट प्रारूप, घोषणाओं, वचनों और अन्य दस्तावेजों द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों से अधिक नहीं हैं। जारीकर्ता दैनिक आधार पर मिलान करेगा। बशर्ते कि उपनियमावली के प्रावधान उन प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें सरकारी कम्पनियों द्वारा जारी किया गया है जहां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध नहीं हैं।

10 पुनः भौतिकीकरण

- 10.1 आईआईडीआईएल द्वारा प्रतिभागी से पुनःभौतिकीकरण आग्रह पत्र (आरआरएफ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त होने पर जो लाभार्थी स्वामी से उसे प्राप्त हो चुका होता है, आईआईडीआईएल संबंधित लाभार्थी के खाते में पड़ी संबंधित प्रतिभूतियों की शेष राशि को तुरंत उस मात्रा की सीमा तक ब्लॉक कर देगा जिसके लिए पुनः भौतिकीकरण की मांग की गई है और दैनिक आधार पर ऐसे सभी पुनःभौतिकीकरण के अनुरोधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीए को सूचित करेगा। एक बार उक्त शेष राशि को पूर्वोक्त के रूप में अवरुद्ध करने पर, आईआईडीआईएल पुनः भौतिकीकरण के अंतर्गत लंबित अवरुद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी डेबिट या किसी भी गिरवी या दृष्टिबंधक के सृजन की अनुमति नहीं देगा।
- 10.2 प्रतिभागी से आरआरएफ प्राप्त होने पर, जारीकर्ता आरआरएफ में निहित विवरणों का कंप्यूटर सिस्टम पर आईआईडीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों से मिलान करेगा, और आरआरएफ में निर्धारित विवरणों की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट करने पर आरटीए आईआईडीआईएल और संबंधित प्रतिभागी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करेगा कि आरआरएफ स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद, आरटीए इस तरह के आरआरएफ की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के अंदर अभौतिकीकरण के अनुरोध से उत्पन्न होने वाले प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को आरआरएफ में नामित लाभार्थी मालिक को उसमें निर्धारित पते पर भेज देगा, और उस नुकसान के लिए सावधानी रखेगा जो मार्ग में हो सकता है।
- 10.3 जारीकर्ता से आरआरएफ की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित लाभकारी स्वामी के खाते में पुनःभौतिकीकरण की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक प्रतिभूति शेष को कम कर देगा। आरटीए प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को इस आशय की सूचना भेजेगा जहां पुनःभौतिकीकरण की गई प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। इस तरह की सूचना आरटीए द्वारा ऐसे आवधिक अंतराल पर भेजी जाएगी जैसा कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा या परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 10.4 आरटीए आरआरएफ को उस अवधि के लिए अपने पास रखेगा, जैसा कि उस संबंध में कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो कम से कम 5 (पांच) वर्षों की अवधि के अधीन है।
- 10.5 जारीकर्ता या आरटीए पुनःभौतिकीकरण शुल्क के रूप में ऐसी राशि ले सकता है, जिस पर जारीकर्ता और आईआईडीआईएल द्वारा सहमति हो।

10 प्रतिभूतियों का नया ईश्यू

- 11.1 जहां जारीकर्ता प्रतिभूतियों का कोई और ईश्यू जारी करता है, जारीकर्ता आईआईडीआईएल द्वारा अपेक्षित तरीके से आईआईडीआईएल के आवंटन विवरण को उन सभी लाभकारी स्वामियों के लिए प्रस्तुत करेगा, जिन्होंने नई आवंटित प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने का विकल्प चुना है।

12 प्रक्रिया जहां लाभार्थी स्वामी की पहचान स्थापित नहीं होती है

- 12.1 आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता से किसी भी ऐसे लाभार्थी स्वामी के खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट के लिए सूचना प्राप्त होने की स्थिति में, जिसकी पहचान आईआईडीआईएल में स्थापित नहीं की जा सकती है, आईआईडीआईएल जारीकर्ता द्वारा ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और सुधार के लिए इस तरह की अस्वीकृति का विवरण दे सकता है जिसे जारीकर्ता उचित समझता है।

13 कॉर्पोरेट कार्रवाई/लाभ

- 13.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता को बहीखाते बंद करने की तिथि/रिकॉर्ड तिथि या समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी ऐसी तिथि के अनुसार प्रासंगिक विवरण के साथ लाभकारी मालिकों की एक सूची प्रदान करने का वचन देता है। आईआईडीआईएल जारीकर्ता को होने वाले किसी भी ऐसे नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता को लाभकारी मालिकों और/या उनकी होल्डिंग्स से संबंधित किसी भी गलत या असत्य जानकारी जारीकर्ता को भेजने के कारण हो सकता है।
- 13.2 प्रतिभूतियों के संबंध में जारीकर्ता आईआईडीआईएल को सभी कॉर्पोरेट कार्रवाई के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें खातों को बंद करने की तिथि, रिकॉर्ड तिथियां, ब्याज या लाभांश के भुगतान की तिथियां, वार्षिक आम बैठक और अन्य बैठकों की तिथियां, प्रतिभूतियों के मोचन या परिपक्वता की तिथियां, ऋण को इक्विटी में बदलने की तिथियां, वारंट का प्रयोग करने की तिथियां, कॉल मनी की तिथियां, अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई का विवरण जैसे कि विलय, समामेलन या जारीकर्ता का

पुनर्निर्माण, पूंजी की कमी, जब्ती, पुन ईश्यू जारी करना, कर्ज का इक्विटी में रूपांतरण, उप-विभाजन या समेकन आदि और ऐसी अन्य जानकारीयां शामिल हैं जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

- 13.3 आरटीए आईआईडीआईएल को सभी कॉर्पोरेट कार्रवाई की समय पर सूचना देने और उसकी सटीकता के साथ-साथ सभी कॉर्पोरेट लाभों के वितरण के लिए भी जिम्मेदार होगा। जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल को बताए गए कॉर्पोरेट लाभों के संबंध में परामर्श की सटीकता के लिए जारीकर्ता जिम्मेदार होगा। जारीकर्ता आईआईडीआईएल को जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल को दी गई किसी भी गलत या असत्य जानकारी के कारण आईआईडीआईएल को हुए किसी भी नुकसान के लिए आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति करेगा।

14 अभौतिकीकरण से संबंधित विवाद

- 14.1 यदि किसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा उन प्रतिभूतियों के संबंध में कोई दावा, मांग या विवाद उत्पन्न किया जाता है जिन्हें अभौतिक किया गया है और जारीकर्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार आईआईडीआईएल द्वारा किसी लाभार्थी के खाते में क्रेडिट किया जाता है या जिनके संबंध में जारीकर्ता द्वारा कॉर्पोरेट लाभों को आबंटित किया गया है, तो इस प्रकार के दावे, मांग या विवाद या उसके परिणामस्वरूप दायित्व जारीकर्ता जिम्मेदारी होगी और आईआईडीआईएल किसी भी तरह से देनदार, जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.2 यदि किसी ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा दावा, मांग या विवाद उत्पन्न किया जाता है जिनका पुनः भौतिकीकरण किया गया है, आरआरएफ में निहित विवरण में किसी त्रुटि या गलती को छोड़ कर, तो इस प्रकार के दावे, मांग या विवाद और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दायित्व, यदि कोई है, जारीकर्ता की जिम्मेदारी होगी और आईआईडीआईएल किसी भी तरह से देनदार, जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.3 किसी ऐसी प्रतिभूति के भौतिकीकरण या पुनःभौतिकीकरण की अनुमति देने वाले जारीकर्ता के कारण पीड़ित किसी पक्ष या व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना एकमात्र जारीकर्ता की जिम्मेदारी होगी, जिसके संबंध में किसी न्यायालय या न्याधीकरण या आईएफएससीए या केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य कानूनी या राजस्व प्राधिकार का कोई निर्देश, जो हस्तांतरण को रोकता या प्रतिबंधित करता है या कुर्की का कोई आदेश या कोई निषेधाज्ञा इस प्रकार के अभौतिकीकरण या पुनःभौतिकीकरण के समय लागू है और उस आदेश को जारीकर्ता के पास भेजा गया है।

15 रिकॉर्ड का मिलान

- 15.1 जारीकर्ता उपनियमों के अनुसार दैनिक आधार पर अपने द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के साथ अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड का मिलान करेगा।

16 आईआईडीआईएल द्वारा निरीक्षण

- 16.1 आईआईडीआईएल, उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से जारीकर्ता के सभी सभी सौदों से संबंधित जारीकर्ता की सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों का निरीक्षण करने का हकदार होगा और जारीकर्ता इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को किसी भी कार्य दिवस पर नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने परिसर में प्रवेश देने की अनुमति देगा और इसकी सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों तक पहुंच और इसकी प्रतियां बनाने की अनुमति देगा।

17 जारीकर्ता द्वारा तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित की जाने वाली घटनाएं

- 17.1 जारीकर्ता तुरंत आईआईडीआईएल को निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:

- 17.1.1 जारीकर्ता के समापन की याचिका पर किसी न्यायालय में विचार किया जा रहा है या जारीकर्ता के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है;
- 17.1.2 जारीकर्ता के विलय, सम्मेलन या पुनर्निर्माण के लिए बनाई जा रही कोई योजना;
- 17.1.3 इसके दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या अपनी संपत्ति की कुर्की के लिए किसी आवेदन या याचिका की प्रस्तुति के बारे में जानकारी मिलने पर;
- 17.1.4 किसी भी कर, शुल्क, लेवी, दंड, उपकर या बकाया की वसूली के लिए जारीकर्ता या उसकी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण द्वारा किसी भी संकट, निष्पादन, कुर्की या अन्य प्रक्रिया के खतरे या निष्पादन के बारे में जानकारी मिलने पर;
- 17.1.5 जारीकर्ता की संपत्ति या संपत्तियों की कुर्की के लिए किसी भी अदालत में किसी भी आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर;
- 17.1.6 इसकी वित्तीय स्थितियों में किसी भी बदलाव के मामले में जो इसके दिवालियेपन या समापन का कारण बन सकता है या यदि इसे अपने लेनदारों के साथ एक संरचना का सामना करना पड़ता है;

- 17.1.7 किसी भी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक या रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए या परिस्थितियों में किसी भी अन्य परिवर्तन जो जारीकर्ता के व्यवसाय को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है, पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक का आयोजन करने पर;
- 17.1.8 जारीकर्ता की संपत्ति के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा एक रिसीवर या प्रशासक नियुक्त किए जाने पर;
- 17.1.9 जारीकर्ता को किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज से कोई नोटिस प्राप्त होने पर जहां जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों को सूचित बद्ध किया गया है या कारोबारी की अनुमति दी गई है, जिस नोटिस में उस एक्सचेंज में इस प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार या सूचिबद्धता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार की कार्यवाही की चेतावनी देने वाला कारण बताओ नोटिस या अन्य नोटिस शामिल है;
- 17.1.10 जारीकर्ता को किसी भी ऐसी घटना के बारे में पता होने पर जिसमें इस समझौते के तहत उसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता या अस्तित्व या अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
- 17.1.11 जारीकर्ता द्वारा जारी शेयर पूंजी या किसी भी अन्य प्रतिभूतियों में कोई वृद्धि या कमी, और जारीकर्ता द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां;
- 17.1.12 दैनिक आधार पर मिलान की प्रक्रिया के दौरान रिपोर्ट की गई किसी भी असंगत शेष राशि की सूचना।
- 18 अधिकृत प्रतिनिधि
- 18.1 जारीकर्ता समझौते के निष्पादन के साथ, आईआईडीआईएल को जारीकर्ता द्वारा अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे, जो आईआईडीआईएल के साथ जारीकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेंगे। इस तरह की सूची में कोई भी परिवर्तन, जिसमें परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन शामिल हैं, को तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित किया जाएगा।
- 19 गोपनीयता
- 19.1 इस अनुबंध के पक्षकारों को सभी तकनीकी और व्यावसायिक सूचनाओं को कड़ाई से गोपनीय रखना होगा, जिसमें इस अनुबंध के तहत या उप-नियमों के तहत दायित्वों को पूरा करने के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण किया जा सकता है या उसे बताया जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी पक्ष अन्य पक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका प्रकटीकरण नहीं करेगा।
- 19.2 इस अनुबंध कोई भी पक्ष किसी भी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित इस तरह के विवरण, ब्यौरे, डेटा या जानकारी को किसी भी समय उस सीमा तक निरीक्षण या किसी भाग को प्राप्त करने की अनुमति के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि किसी भी लाभकारी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित ऐसे विवरण, सूचना, डेटा या जानकारी प्रदान करने या प्रकट करने के लिए किसी भी कानून द्वारा आवश्यक हो, जैसा कि किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीआई या किसी भी नियामक या राजस्व प्राधिकरण जो उस संबंध में कानून द्वारा सक्षम है, द्वारा मांगा या निर्देशित किया जा सकता है या कानून में किसी भी दायित्वों के अनुपालन के लिए या इसके किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या अपने हितों की सुरक्षा के लिए बिना किसी संदर्भ या समर्थन के अन्य के संदर्भ के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि उक्त के सिवाय, जारीकर्ता किसी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते के संबंध में इस प्रकार का कोई भी विवरण, ब्यौरा, डेटा या सूचना किसी पक्ष या व्यक्ति को नहीं देगा और इस प्रकार के विवरण, ब्यौरे, डेटा और सूचना को सख्ती से गोपनीय रखेगा।
- 20 पते में परिवर्तन
- 20.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल को जारीकर्ता के कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के साथ-साथ परिसर के स्थान के किसी भी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले सूचित करेंगे जहां कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपकरण, आईआईडीआईएल के साथ बैकअप सुविधाएं स्थापित हैं।
- 21 बैक-अप सुविधाएं
- 21.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित बैक-अप प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगा। डेटा बेस के नवीनतम बैक-अप की एक प्रति हर समय किसी दूरस्थ साइट पर रखी जाएगी। कम्प्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा के नवीनतम बैकअप को बनाए रखने के लिए जारीकर्ता की विफलता से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए आईआईडीआईएल जारीकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

- 21.2 जारीकर्ता आईआईडीआईएल द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को उसकी बैंक-अप सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और आईआईडीआईएल को उक्त बैंक-अप सुविधाओं में रखे गए अभिलेखों के ऐसे उद्धरण या रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- 22 आपदा रिकवरी योजना
- 22.1 जारीकर्ता आईआईडीआईएल और जारीकर्ता के बीच कनेक्टिविटी के किसी भी नुकसान या विफलता के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
- 22.2 जारीकर्ता ऐसी योजना, स्कीम या प्रक्रिया (जिसे 'आपदा रिकवरी योजना' कहा गया है) का कड़ाई से पालन करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल किसी भी स्थिति या घटना का सामना करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कनेक्टिविटी की हानि या संचार की विफलता, नुकसान या डेटा खराब हो सकता है या उपकरण, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को नुकसान हो सकता है, चाहे वह किसी तकनीकी विफलता, अनधिकृत पहुंच, आपदा, दुर्घटना, तोड़फोड़ या किसी अन्य कारण से हो सकता है।
- 23 लाभार्थी स्वामी की शिकायत की शिकायतों का निवारण
- 23.1 जारीकर्ता के डोमेन या विशिष्ट नियंत्रण के मामलों के संबंध में प्रतिभूतियों से संबंधित लाभार्थी स्वामियों की सभी शिकायतों पर जारीकर्ता द्वारा सुना जाएगा और उनके प्राप्त होने के 30 (तीस) दिन के अंदर उनका समाधान किया जाएगा और सभी शिकायतों के संबंध में जारीकर्ता अविलम्ब आईआईडीआईएल और संबंधित प्रतिभागी(यों) या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास भेजेगा जो अनिवार्य हो सकता है। जारीकर्ता आईआईडीआईएल को उसके द्वारा निवारण की गई और लंबित शिकायतों की संख्या और प्रकृति के बारे में सूचित रखेगा।
- 24 कार्यभार सौंपने के विरुद्ध निषेध आदि
- 24.1 इस समझौते के तहत कार्यों, अधिकारों या दायित्वों को जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी पक्ष या व्यक्ति (किसी ईशू के रजिस्ट्रार और/या शेयर ट्रांसफर एजेंट सहित) को सौंपा या प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कथित प्रत्यायोजन या प्रतिनिधित्व शून्य और अप्रभावी होगा।
- 25 क्षतिपूर्ति
- 25.1 जारीकर्ता सहमत है और वचन देते हैं कि वह आईआईडीआईएल, इसके कर्मचारियों या सेवकों को उन सभी दावों, मांगों, जुर्मानों, मुकदमों, कार्यवाहियों, कानूनी मुकदमों, मध्यस्थता, अभियोग और जारीकर्ता और/या आरटीए के किसी असत्य या गलत सूचना को आईआईडीआईएल के पास भेजने और किसी आदेश, डिक्री, निषेधाज्ञा, अनुबंध या लागू कानून के उल्लंघन में नकली, जालसाजी से तैयार, असत्य या रद्द प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों के आधार पर प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति देने या जिनके संबंध में डुप्लीकेट/विस्थापन/नवीनीकरण को जारी किया गया है, के कारण या जारीकर्ता और/या उपनियमों या संचालन निर्देशों या इस अनुबंध के अंतर्गत आरटीए द्वारा अन्य चूक के कारण हुए किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं और आईआईडीआईएल और/या इसके प्रतिभागियों को उनके परिणामस्वरूप सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों से सुरक्षित रखेंगे।
- 25.2 आईआईडीआईएल सहमत है और वचन देता है कि वह सभी हानियों, नुकसानों, क्षति या चोट, दावों, मांगों, मुकदमों, कार्रवाइयों, कानूनी याचिकाओं, अभियोजना और सभी कानूनी प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित लागतों, प्रभारों और व्ययों से जारीकर्ता को सुरक्षित रखेगा जो आईआईडीआईएल, इसके कर्मचारियों या सेवकों द्वारा इस अधिनियम, विनियमों, उपनियमों, इस अनुबंध या संचालन निर्देशों के अंतर्गत दायित्वों के किसी उल्लंघन, चूक या लापरवाही के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।
- 26 सरकारी शुल्क
- 26.1 इस अनुबंध के पक्षों के बीच इस अनुबंध और/या इसके संबंध में निष्पादित किसी विलेख, दस्तावेज या लेख पर किसी भी सरकारी शुल्क (जिसमें उस पर लगा ब्याज या जुर्माना शामिल है) का भुगतान जारीकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- 27 अप्रत्याशित घटना
- 27.1 इस अनुबंध में या उपनियमों में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, इस अनुबंध के अंतर्गत कोई पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसे उल्लंघन, विफलता या किसी कर्तव्य को पूरा करने में देरी के लिए या किसी ऐसे कारण से दूसरे पक्ष को हुई हानि, नुकसान, क्षति या चोट की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिनमें अन्य के साथ साथ समुद्री लहरें, तुफान, चक्रवात, बाढ़, आसमानी बिजली, भूकम्प, आग, ब्लास्ट, विस्फोट या अन्य ईश्वरीय आपदा, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, प्रतिरोध या प्रतिबंध, रास्ता रोकना, दंगा, नागरिक उपद्रव, श्रम गतिविधि या अंशाति जिनमें हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी उपयोगिता सेवा में बाधा या विफलता, दुश्मन की कार्यवाही,

आपराधिक षडयंत्र, आंतकी गतिविधि या तोड़फोड़, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक बाधा या दखल, सैटेलाइट को नुकसान या क्षति, सैटेलाइट या किसी अन्य संचार डेटा से लिंक टूटना, कॉनेक्टिविटी खो जाना या कोई अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति या मजबूरी शामिल हैं।

28 नोटिस देना

28.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या संचार लिखित में होगा और केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगा जब इसे अंतिम ज्ञात पते पर संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से भेजा जाएगा।

29 प्रावधान का अलगाव

29.1 यदि इस अनुबंध के किसी प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या विनियमाक प्राधिकार द्वारा गैर-कानूनी, शून्य या लागू न करने योग्य करार दिया जाता है या यदि कोई प्रावधान किसी कानूनी संशोधन, अधिसूचना या किसी न्यायिक निर्णय के कारण शून्य या लागू न किए जाने योग्य बन जाता है तो इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक सीमा तक इस अनुबंध से अलग कर दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधानों में जहां तक संभव हो परिवर्तन किए बिना अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के शेष प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।

30 आईएफएससीए के आदेश पर संशोधन/परिवर्तन बाध्यकारी होगा

30.1 इस अनुबंध में या इसके किसी प्रावधान में किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन या विलोपन इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे जैसा कि आईएफएससीए द्वारा आदेश या निर्देश दिया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी विलेख, दस्तावेज, लेख तैयार करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

31 कोई अधित्याग नहीं

31.1 इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का त्याग अमान्य होगा, बशर्ते कि इस संबंध में एक लिखित अनुबंध नहीं किया जाता और इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, एकाधिकार या उपचार के प्रयोग में किसी पक्ष की विफलता या देरी को अधित्याग या इस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा किसी कार्यवाही या परिणामस्वरूप उलंघन नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एक या आंशिक प्रयोग इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य या आगे के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेगा, या निष्पक्षता से यह सहमति हो जाती है कि इस प्रकार के अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपपचार एक दूसरे से अलग और संचयी हैं।

32 मध्यस्थता और सुलह

29.1 दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और मतभेदों के संबंध में दोनों पक्ष उपनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मध्यस्थता और सुलह से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता का स्थान गांधीनगर होगा।

33 शापी भाषा

33.1 कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विलेख, दस्तावेज और लेख तथा इस अनुबंध की विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच होने वाले पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे जो इस अनुबंध के पक्षों के बीच प्रशासन की भाषा होगी।

34 शासी कानून

34.1 यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित होगा और समझा जाएगा।

35 क्षेत्राधिकार

35.1 इस अनुबंध के पक्ष गांधीनगर में स्थिति न्यायालय के एकमात्र क्षेत्राधिकार से सहमत हैं।

36 शीर्षक

36.1 इस अनुबंध में शीर्षक केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी तरह से इस अनुबंध के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

37 व्याख्या

37.1 यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है तो एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों में एकवचन शब्द शामिल हैं और पुलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में स्त्रिलिंग और स्त्रिलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में पुलिंग शब्द शामिल हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम या अध्यादेश या विधान या उनके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में उनमें किया गया कोई भी संशोधन या पुनः अध्यादेश शामिल होगा।

38.1 अनुबंध का कार्यान्वयन

38.1 यह समझौता अनुलिपि में तैयार किया गया है और प्रत्येक पक्ष के पास इसकी एक प्रति होगी।

अनुलिपि में तैयार इस अनुबंध के साक्ष्य में उक्त तिथि, माह, वर्ष और स्थान पर इस अनुबंध के पक्ष अपने अपने हस्ताक्षर/मुहर इस पर चिह्नित कर रहे हैं।

“आईआईडीआईएल” इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी

आईएफएससी लिमिटेड की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“जारीकर्ता” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1
2

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

महत्वपूर्ण निर्देश:

2. अनुबंध लागू कानून के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट की वाली राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए।
2. अनुबंध के सभी पृष्ठों पर मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. अनुबंध के अंतिम पृष्ठ पर गवाह का नाम और हस्ताक्षर मौजूद होना चाहिए।
2. सभी प्रतियों पर मुहर लगी होनी चाहिए और मूल रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. अनुबंध के निष्पादन की तिथि कम्पनी को प्रवेश देने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद आईआईडीएल द्वारा अंकित की जाएगी। यदि यह अनुबंध इस पर लिखित तिथि के साथ प्राप्त होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और आरटीए को एक नया अनुबंध निष्पादित करना होगा।

यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया जारीकर्ता प्रवेश प्रकोष्ठ से पर सम्पर्क करें।

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड, जारीकर्ता और आईटीएस आरटीए के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को पर निम्न के मध्य निष्पादित किया गया है:

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट-310 व 311, तीसरा तल, सिग्नेचर टॉवर, ब्लॉक-13, रोड 1 सी, जोन-1, जीआईएफटी एसईजेड, गिफ्ट सिटी गांधीनगर-382355 (जिसे यहां पर "आईआईडीआईएल") कहा गया है, जो प्रथम पक्ष है;

और

.....(कानूनी कम्पनी का विवरण), जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे यहां पर "जारीकर्ता" कहा गया है), जो दूसरा पक्ष है;

और

..... (एक ईश्यू और/या शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार की कानूनी कम्पनी का विवरण) जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे यहां पर "आरटीए" कहा गया है), जो तीसरा पक्ष है।

जबकि आईआईडीआईएल प्रतिभूतियों की घोषणा करने के लिए सहमत हुआ है जैसे शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, ऋणपत्र या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां (जिन्हें यहां पर "प्रतिभूतियां" कहा गया है) जो समय समय पर जारीकर्ता द्वारा जारी किया जाता है और जो आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप में रखने योग्य होती हैं।

और जबकि जारीकर्ता आईआईडीआईएल में अभौतिक रूप से प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण में सहायता के लिए आईआईडीआईएल के साथ एक व्यवस्था करने का इच्छुक है, जिसके लिए आईआईडीआईएल ने सहमति दी है।

और जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार अधिनियम 2019 ("आईएफएससीए अधिनियम") सपठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (बाजार बुनियादी ढांचा) विनियमावली, 2021 ("एमआईआई विनियम") के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार ("आईएफएससीए") द्वारा आरटीए को पंजीकरण का प्रमाणपत्र संख्या दिनांकित..... प्रदान किया गया है।

और जबकि जारीकर्ता ने आरटीए को अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों के संबंध में एक ईश्यू के रजिस्ट्रार और/या शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया है।

इसलिए अब आईएफएससीए एक्ट और एमआईआई विनियमावली के अनुसार, और यहां किए गए पारस्परिक वचनों पर विचार करते हुए इस अनुबंध के पक्ष एतद द्वारा पारस्परिक रूप से निम्न सहमति देते हैं और अनुबंध करते हैं:

1. सामान्य अनुच्छेद

- 1.1 इस अनुबंध में प्रयोग किए गए लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए बल्कि लागू कानूनों के अंतर्गत परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उक्त कानूनों में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 सपठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) निर्देशावली, 2015 (लागू सीमा तक) के अंतर्गत आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, और उनके अंतर्गत जारी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (बाजार बुनियाद संरचना) विनियमावली, 2021 और आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जारी परिपत्र

या दिशानिर्देश या निर्देश, प्रतिभूति अनुबंध (निनियम) अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत निर्मित नियम, विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश, डिपोजिटरी एक्ट 1996 और उसके अंतर्गत नियम और विनियम।

- 1.2 यदि संदर्भ या अर्थ द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं है, यहां प्रयोग किए गए "लाभकारी स्वामी", "जारीकर्ता", "प्रतिभागी", और "आरटीए" शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ आईआईडीआईएल के संबंध में क्रमशः एक लाभकारी सदस्य, जारीकर्ता, प्रतिभागी और एक ईश्यू का रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट (जो भी मामला हो) होगा और "अधिनियम", "विनियमावली", "उपनियमावली" और "संचालन निर्देशों" का अर्थ क्रमशः "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार अधिनियम, 2019", "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सेवा प्राधिकार (बाजार संरचनात्मक ढांचा) विनियमावली, 2021", आईआईडीआईएल की उपनियमावली और आईआईडीआईएल द्वारा जारी संचालन निर्देश होगा।
- 1.3 जारीकर्ता और आरटीए आईएफएससीए अधिनियम एमआईआई विनियमों की अनुपालना करने के लिए बाध्य होंगे और आईआईडीआईएल के उपनियमों और समय समय पर जारी संचालन निर्देशों की अनुपालना के लिए उसी तरह से और उसी सीमा तक बाध्य होंगे मानो वो इस अनुबंध का हिस्सा हैं।
- 1.4 जारीकर्ता और आरटीए, जारीकर्ता या आरटीए के रूप में समाप्त होने के बाद भी, जो भी मामला हो, उपनियमों और संचालन निर्देशों की अनुपालना के लिए बाध्य रहेंगे, जहां तक सभी मामलों, प्रविशिष्टियों या लेनदेनों के संबंध में उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें जारीकर्ता पूरा, निष्पादित कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, वचन दे सकते हैं या ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें एक जारीकर्ता या आरटीए के रूप में समापन से पहले प्रतिभूतियों की भौतिकीकरण या पुनः भौतिकीकरण के लिए लंबित आग्रह शामिल हैं और जो एक जारीकर्ता या आरटीए, जो भी मामला हो, के रूप में समापन के समय पर बकाया, अपूर्ण या लंबित हो सकते हैं।
- 1.5 यहां दिए गए जारीकर्ता/आरटीए के दायित्व उपनियमों और संचालन निर्देशों में दिए गए दायित्वों का दोहराव और/या अतिरिक्त हैं, और इस अनुबंध से इन दायित्वों में से किसी एक या अधिक को हटाना किसी भी तरह से उन दायित्वों में छूट नहीं माना जाएगा जो यहां नहीं दिए गए हैं।

2 लागतें, शुल्क और प्रशुल्क

- 6.1 जारीकर्ता और आरटीए आईआईडीआईएल को व्यक्तिगत रूप से ऐसे शुल्कों, लागतों, प्रभारों और जमाओं का भुगतान करेंगे जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय समय पर जारीकर्ता/आरटीए के लिए संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के शुल्कों, लागतों, प्रभारों और जमाओं, जैसा भी मामला हो, का अंतिम तिथि को भुगतान करने में जारीकर्ता/आरटीए के विफल रहने पर आईआईडीआईएल के पास निर्धारित दर से देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज वसूलने का अधिकार होगा।

3 युनीक पहचान संख्या

- 3.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता और आरटीए को एक युनीक जारीकर्ता आईडी और आरटीए आईडी आबंटित करेगा।

4 आरटीए द्वारा स्थापित किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

- 4.1 आरटीए आईआईडीआईएल से संबंधित गतिविधियों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, संचार उपकरण और निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने परिसर में स्थापित करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 4.2 इसके अलावा यह भी सहमति दी जाती है कि जब तक आईआईडीआईएल या उसके एजेंटों द्वारा सीधे आपूर्ति नहीं की जाती है, सभी कंप्यूटर, संचार उपकरण, प्रिंटर, निर्बाध बिजली आपूर्ति इकाइयां और आरटीए द्वारा खरीदे गए अन्य सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्दिष्ट कॉन्फिगरेशन के होंगे और केवल आईआईडीआईएल के पैनेल में शामिल ब्रांडों या किसी अन्य ब्रांड से जिसे आईआईडीआईएल द्वारा ऐसी खरीद से पहले लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो, से सोर्स किए जाएंगे।
- 4.3 उपरोक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग आरटीए द्वारा विशेष रूप से आईआईडीआईएल के विशिष्ट एप्लिकेशन मॉड्यूल के लिए किया जाएगा और भले ही कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग या डेटा स्टोरेज क्षमता हो, और इसका उपयोग आरटीए के बैक-ऑफिस सहित किसी अन्य एप्लिकेशन के लिए नहीं किया जाएगा।
- 4.4 उपरोक्त हार्डवेयर को आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आरटीए द्वारा अपने इंटर-ऑफिस वैन (वाइड 4.5 एरिया नेटवर्क) से नहीं जोड़ा जाएगा। आईआईडीआईएल ऐसी अनुमति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी राय में, इस तरह की अनुमति देने में दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित आईआईडीआईएल के अपने वैन के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लंघन होता है या यदि इसकी अनुमति देने में, आईआईडीआईएल को अपने वैन की विश्वसनीयता को जोखिम की आशंका है या किसी अन्य कारण से जोखिम है जैसा कि आईआईडीआईएल उचित समझता है।

- 4.5 आरटीए, समय-समय पर, अपनी स्वयं की लागत पर, उक्त हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के ऐसे परिवर्धन, संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन का कार्य करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- 5 कॉनेक्टिविटी और सिस्टम
- 5.1 आरटीए और आईआईडीआईएल एक दूसरे के साथ संचार के एक सतत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की स्थापना और रखरखाव करेंगे।
- 5.2 आईआईडीआईएल आरटीए को समय-समय पर आवश्यक परिचालन निर्देश प्रदान करेगा, जैसा कि डिपॉजिटरी संचालन से संबंधित व्यवसाय के प्रभावी और त्वरित संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है।
- 5.3 आरटीए, आईआईडीआईएल में आरटीए के रूप में अपने संचालन के संबंध में, अपनी लागत पर इस तरह की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संचार के साधनों, बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरणों और बैक-अप सुविधाओं की खरीद और रखरखाव करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल निर्दिष्ट कर सकता है और समय-समय पर इसे अपग्रेड या प्रतिस्थापित करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 5.4 आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा और कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों (जिन्हें 'सिस्टम ऑडिट टीम' कहा जाता है) के कार्यप्रदर्शन की लेखा परीक्षा में विशेषज्ञता या विशेष कौशल वाले पेशेवरों की आईआईडीआईएल द्वारा नियुक्त एक या अधिक टीमों को प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के आवधिक मूल्यांकन के लिए अपने सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देगा।
- 6 अभौतिकीकरण और पुनः भौतिकीकरण को शुरू करने की प्रभावी तिथि
- 6.1 प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरण और डीमेट रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रभावी तिथि इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख को या उसके बाद होगी।
- 7 सूचना/दस्तावेज जो आरटीए द्वारा आईआईडीआईएल को प्रस्तुत किए जाने हैं
- 7.1 आरटीए, आईआईडीआईएल को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में लिस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति देने वाले पत्र की एक प्रति इसकी तिथि से 5 (पांच) दिनों के अंदर और मौजूदा प्रतिभूतियों के साथ समकक्ष रैंक की गई प्रतिभूतियों के किसी भी नए इश्यू के मामले में इस तरह के पत्र के जारी होने की तिथि से 5 (पांच) दिनों के अंदर।
- 7.2 आरटीए आईआईडीआईएल को निम्न की सूचना प्रदान करेगा:
- 7.2.1 प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अन्य इश्यू, यदि कोई हो, जैसे अधिकार, बोनस, सार्वजनिक पेशकश आदि, सभी प्रासंगिक विवरणों जैसे कि खोलने और बंद करने की तारीख, इश्यू का आकार, इश्यू का मूल्य, रिकॉर्ड तिथि, पुस्तक बंद करने की तिथि, अनुपात, समकक्ष स्थिति आदि के साथ प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति;
- 7.2.2 वह तिथि जिसके बाद रूपांतरण, आगे के इश्यू, अंतिम कॉल भुगतान आदि से उत्पन्न होने वाली नई प्रतिभूतियां उसकी मौजूदा प्रतिभूतियों के समकक्ष हो जाती हैं;
- 7.2.3 कोई अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई।
- 7.3 ऐसी जानकारी आईआईडीआईएल को उसी दिन प्रस्तुत की जाएगी जिस दिन इसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और अन्य सभी मामलों में जारीकर्ता द्वारा औपचारिक निर्णय लेने के बाद 2 (दो) दिन के अंदर।
- 8 आईआईडीआईएल निम्न को प्रस्तुत करेगा
- 8.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता/आरटीए को रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभार्थी स्वामियों का विवरण प्रस्तुत करेगा। इस तरह के विवरण आईआईडीआईएल द्वारा परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट समय के अंदर प्रदान किए जाएंगे।
- 8.2 आईआईडीआईएल जारीकर्ता/आरटीए के रिकॉर्ड को ऐसी अवधियों में अपडेट करने के लिए लाभार्थी मालिकों का विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 8.3 उपरोक्त के अलावा, आईआईडीआईएल अपने विवेक से, जब जारीकर्ता/आरटीए द्वारा आवश्यक हो, ऐसे शुल्कों के भुगतान पर, जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लाभकारी स्वामियों के विवरण के साथ-साथ अभौतिकीकरण और पुनःभौतिकीकरण के लिए लंबित अनुरोध और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अन्य विवरण या जानकारी प्रदान कर सकता है।

9 अभौतिकीकरण

- 9.1 आईआईडीआईएल अपने प्रतिभागियों से प्राप्त होने वाले अभौतिकीकरण के सभी अनुरोधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दैनिक आधार पर आरटीए को सूचित करेगा।
- 9.2 अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रपत्र ("डीआरएफ") प्राप्त होने पर, जिन प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की मांग की गई है, आरटीए सबसे पहले प्रतिभूतियों के लिए प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता और सभी विषयवस्तु की सटीकता को सत्यापित करेगा और दूसरा, अपने रिकॉर्ड से पुष्टि करेगा कि इस तरह के अभौतिकीकरण की मांग उस व्यक्ति द्वारा की गई है जिसका नाम उन प्रतिभूतियों के संबंध में आरटीए द्वारा रखे गए प्रतिभूतियों के रजिस्टर में उन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में है।
- 9.3 आरटीए यह वचन देता है कि आईआईडीआईएल के माध्यम से प्रतिभागियों से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित डेटा जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा रखे गए प्रतिभूतियों के डेटाबेस के विरुद्ध मान्य किया जाएगा और केवल स्पष्ट शीर्षक वाली वैध प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति दी जाएगी।
- 9.4 पूर्वोक्त सत्यापन के बाद, आरटीए आईआईडीआईएल को लाभार्थी स्वामी के पक्ष में संबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिक रूप में एक क्रेडिट अधिकृत करने के लिए सूचित करेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित हितधारक के खाते में आवश्यक क्रेडिट प्रविष्टि करवाएगा। किसी भी लाभार्थी स्वामी के खाते में किसी भी प्रतिभूति का क्रेडिट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आईआईडीआईएल को यहां ऊपर निर्धारित आरटीए से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- 9.5 आरटीए यह वचन देता है कि किसी भी प्रतिभूति के संबंध में उसके द्वारा अभौतिकीकरण का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा या आईआईडीआईएल को सूचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह किसी न्यायालय, न्यायधीकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीए या इसके लिए सक्षम किसी कानूनी या राजस्व प्राधिकार के किसी निर्देश, आदेश या डिक्री के अंतर्गत किसी प्रतिबंध, निषेधाज्ञा, निषेध या जब्ती के अधीन नहीं है या जिनका जारी करने के नियम एवं शर्तों के अनुसार हस्तांतरण करना निषिद्ध है।
- 9.6 आरटीए आईआईडीआईएल के उप-नियमों/ऑपरेटिंग निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर अभौतिकीकरण के प्रत्येक अनुरोध की पुष्टि या अस्वीकृति के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआईडीआईएल को सूचित करेगा।
- 9.7 आरटीए सभी मामलों में डीआरएफ को उस अवधि के लिए अपने पास रखेगा, जैसा कि उस संबंध में कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो न्यूनतम 5 (पांच) वर्षों की अवधि के अधीन होगा।
- 9.8 आरटीए निम्नलिखित कारणों को छोड़कर आईआईडीआईएल में किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार या अस्वीकार नहीं करेगा:
- 9.8.1 प्रतिभूतियों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज चोरी, जाली, जाली या नकली पाए जाते हैं;
 - 9.8.2 जारीकर्ता या आरटीए को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, आईएफएससीए, केंद्र या राज्य सरकार या अन्य वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण के किसी भी आदेश, डिक्री या निर्देश द्वारा उन प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या रोक लगाने के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें जब्ती, संकट या निष्पादन का आदेश शामिल है;
 - 9.8.3 यदि अभौतिकीकरण के लिए उसी संख्या में अधिकार के डुप्लीकेट प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज ओरिजिनल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के स्थान पर जारी कर दिए गए हैं;
 - 9.8.4 जिन प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण की मांग की गई है, वे लागू किसी कानून के तहत या उसके जारी करने के नियमों और शर्तों के तहत हस्तांतरण पर किसी प्रतिबंध या निषेध के अधीन हैं;
 - 9.8.5 आईआईडीआईएल द्वारा अपने परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य कारण।
- 9.9 आरटीए संबंधित प्रतिभागी को अभौतिकीकरण के लिए जमा की गई प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र और/या अन्य दस्तावेजों को वापस कर देगा, जैसा कि आरटीए द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, बशर्ते कि अभौतिकीकरण की स्थिति में या उपरोक्त अनुच्छेद 9.8 में निर्धारित कारण से पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है तो, उन प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र को आरटीए द्वारा बनाए रखा जाएगा और कानून के अनुसार आरटीए द्वारा निपटारा जाएगा।
- 9.10 उन सभी मामलों में जहां आरटीए किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के किसी भी अनुरोध को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है, आरटीए संबंधित प्रतिभागी को इस तरह की अस्वीकृति के सटीक कारण के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा।

- 9.11 आरटीए तुरंत उन प्रतिभूतियों का विवरण देते हुए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को सूचना भेजेगा, जहां अभौतिक प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, जिन्हें संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अभौतिक किया गया है।
- 9.12 आईआईडीआईएल को किसी भी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति देने वाली प्रत्येक सूचना जारीकर्ता और आरटीए द्वारा आईआईडीआईएल को एक संयुक्त या कुछ प्रतिनिधित्वों और आश्वसानों द्वारा समर्थित किया जाएगा कि ऐसी प्रतिभूतियां मौजूद हैं, वैध रूप से जारी की गई हैं और जारीकर्ता के रिकॉर्ड में हैं और / या आरटीए लाभार्थी स्वामी के नाम पर हैं जिसने उन प्रतिभूतियों के संबंध में अभौतिकीकरण की मांग की है।
- 9.13 जारीकर्ता और आरटीए उनके द्वारा अभौतिकीकरण के लिए प्राप्त और स्वीकार की गई प्रतिभूतियों और/या स्वामित्व के अन्य दस्तावेजों के रद्द करने, विकृत होने या नष्ट होने के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और निरस्त, विकृत या नष्ट होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सहमत हैं;
- 9.14 जारीकर्ता और/या आरटीए सहमत हैं और वचन देते हैं कि जिन प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्रों का रिकॉर्ड जिनका अभौतिकीकरण किया गया है, जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा इस तरह से रखा जाएगा जैसा कि उप-नियमों और परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और, इस समझौते की समाप्ति पर या प्रतिभूतियों के संबंध में आरटीए द्वारा इस तरह से कार्य करना बंद करने पर, ऐसे सभी रिकॉर्ड जारीकर्ता की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दंगे
- 9.15 जारीकर्ता/आरटीए आईआईडीआईएल में स्वीकृत पात्र प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि जारीकर्ता/आरटीए यह सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमतियां, मंजूरी, अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं, जिनमें कंपनी मामलों का मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार, आरबीआई, आईएफएससीए या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण शामिल हैं, और संचालन निर्देशों और/या आईआईडीआईएल द्वारा उस संबंध में समय-समय पर जारी किसी भी संचार में निर्धारित प्रक्रियाओं का विधिवत अनुपालन किया गया है।
- 9.16 जारीकर्ता/आरटीए पुष्टि करता है कि इस तरह का अभौतिकीकरण अधिनियम, विनियमों, इन उप-नियमों और समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी परिचालन निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं है।
- 9.17 जारीकर्ता/आरटीए हमेशा सख्ती से सुनिश्चित करेगा कि निक्षेपागार में प्रत्येक आईएसआईएन में अभौतिक रूप में रखी गई समुचित प्रतिभूतियां, जिसमें आईआईडीआईएल शामिल है, और भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियां जो स्टॉक एक्सचेंज(जो) में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से अधिक नहीं हैं और असूचिबद्ध प्रतिभूतियों के मामले में, निक्षेपागार में अभौतिक रूप में प्रत्येक आईएसआईएन के अंतर्गत रखी समुचित प्रतिभूतियां, आईआईडीआईएल सहित, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों को मिलाकर कानून के अनुसार आबंटित और कम्पनी रजिस्ट्रार और/या इसके लिए किसी अन्य सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर निर्दिष्ट प्रारूप, घोषणाओं, वचनों और अन्य दस्तावेजों द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों से अधिक नहीं हैं। जारीकर्ता/आरटीए दैनिक आधार पर मिलान करेगा। बशर्ते कि उपनियमावली के प्रावधान उन प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें सरकारी कम्पनियों द्वारा जारी किया गया है जहां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज(जो) में सूचीबद्ध नहीं हैं।

10 पुनःभौतिकीकरण

- 10.1 आईआईडीआईएल द्वारा प्रतिभागी से पुनःभौतिकीकरण आग्रह पत्र (आरआरएफ) प्राप्त होने पर जो लाभार्थी स्वामी से उसे प्राप्त हो चुका होता है, आईआईडीआईएल संबंधित लाभार्थी के खाते में पड़ी संबंधित प्रतिभूतियों की शेष राशि को तुरंत उस मात्रा की सीमा तक ब्लॉक कर देगा जिसके लिए पुनः भौतिकीकरण की मांग की गई है और दैनिक आधार पर ऐसे सभी पुनःभौतिकीकरण के अनुरोधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीए को सूचित करेगा। एक बार उक्त शेष राशि को पूर्वोक्त के रूप में अवरुद्ध करने पर, आईआईडीआईएल पुनः भौतिकीकरण के अंतर्गत लंबित अवरुद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी डेबिट या किसी भी गिरवी या दृष्टिबंधक के सृजन की अनुमति नहीं देगा।
- 10.2 प्रतिभागी से आरआरएफ प्राप्त होने पर, आरटीए आरआरएफ में निहित विवरणों का कंप्यूटर सिस्टम पर आईआईडीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों से मिलान करेगा, और आरआरएफ में निर्धारित विवरणों की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट करने पर आरटीए आईआईडीआईएल और संबंधित प्रतिभागी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करेगा कि आरआरएफ स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद, आरटीए इस तरह के आरआरएफ की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के अंदर अभौतिकीकरण

के अनुरोध से उत्पन्न होने वाले प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को आरआरएफ में नामित लाभार्थी मालिक को उसमें निर्धारित पते पर भेज देगा, और उस नुकसान के लिए सावधानी रखेगा जो मार्ग में हो सकता है।

- 10.3 आरटीए से आरआरएफ की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, आईआईडीआईएल संबंधित लाभकारी स्वामी के खाते में पुनःभौतिकीकरण की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक प्रतिभूति शेष को कम कर देगा। आरटीए प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को इस आशय की सूचना भेजेगा जहां पुनःभौतिकीकरण की गई प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। इस तरह की सूचना आरटीए द्वारा ऐसे आवधिक अंतराल पर भेजी जाएगी जैसा कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा या परिचालन निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 10.4 आरटीए आरआरएफ को उस अवधि के लिए अपने पास रखेगा, जैसा कि उस संबंध में कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो कम से कम 5 (पांच) वर्षों की अवधि के अधीन है।
- 10.5 जारीकर्ता या आरटीए पुनःभौतिकीकरण शुल्क के रूप में ऐसी राशि ले सकता है, जिस पर जारीकर्ता और/या आरटीए और आईआईडीआईएल द्वारा सहमति हो।
- 11 प्रतिभूतियों का नया इश्यू
 - 11.1 जहां जारीकर्ता प्रतिभूतियों का कोई और इश्यू जारी करता है, जारीकर्ता और/या आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा अपेक्षित तरीके से आईआईडीआईएल के आवंटन विवरण को उन सभी लाभकारी स्वामियों के लिए प्रस्तुत करेगा, जिन्होंने नई आवंटित प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने का विकल्प चुना है।
- 12 प्रक्रिया जहां लाभार्थी स्वामी की पहचान स्थापित नहीं होती है
 - 12.1 आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता और/या आरटीए से किसी भी ऐसे लाभार्थी स्वामी के खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट के लिए सूचना प्राप्त होने की स्थिति में, जिसकी पहचान आईआईडीआईएल में स्थापित नहीं की जा सकती है, आईआईडीआईएल जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और सुधार के लिए इस तरह की अस्वीकृति का विवरण दे सकता है जिसे जारीकर्ता और/या आरटीए
- 13 कॉर्पोरेट कार्रवाई/लाभ
 - 13.1 आईआईडीआईएल जारीकर्ता और/या आरटीए को बहीखाते बंद करने की तिथि/रिकॉर्ड तिथि या समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी ऐसी तिथि के अनुसार प्रासंगिक विवरण के साथ लाभकारी मालिकों की एक सूची प्रदान करने का वचन देता है। आईआईडीआईएल जारीकर्ता और/या आरटीए को होने वाले किसी भी ऐसे नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो आईआईडीआईएल द्वारा जारीकर्ता और/या आरटीए को लाभकारी मालिकों और/या उनकी होल्डिंग्स से संबंधित किसी भी गलत या असत्य जानकारी जारीकर्ता को और/या आरटीए को भेजने के कारण हो सकता है।
 - 13.2 प्रतिभूतियों के संबंध में आरटीए आईआईडीआईएल को सभी कॉर्पोरेट कार्रवाई के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें खातों को बंद करने की तिथि, रिकॉर्ड तिथियां, ब्याज या लाभांश के भुगतान की तिथियां, वार्षिक आम बैठक और अन्य बैठकों की तिथियां, प्रतिभूतियों के मोचन या परिपक्वता की तिथियां, ऋण को इक्विटी में बदलने की तिथियां, वारंट का प्रयोग करने की तिथियां, कॉल मनी की तिथियां, अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई का विवरण जैसे कि विलय, समामेलन या जारीकर्ता का पुनर्निर्माण, पूंजी की कमी, जब्ती, पुनः इश्यू जारी करना, कर्ज का इक्विटी में रूपांतरण, उप-विभाजन या समेकन आदि और ऐसी अन्य जानकारियां शामिल हैं जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
 - 13.3 आरटीए आईआईडीआईएल को सभी कॉर्पोरेट कार्रवाई की समय पर सूचना देने और उसकी सटीकता के साथ-साथ सभी कॉर्पोरेट लाभों के वितरण के लिए भी जिम्मेदार होगा। जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा आईआईडीआईएल को बताए गए कॉर्पोरेट लाभों के संबंध में परामर्श की सटीकता के लिए जारीकर्ता और आरटीए भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। जारीकर्ता और/या आरटीए आईआईडीआईएल को जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा आईआईडीआईएल को दी गई किसी भी गलत या असत्य जानकारी के कारण आईआईडीआईएल को हुए किसी भी नुकसान के लिए आईआईडीआईएल की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 14 अभौतिकीकरण से संबंधित विवाद
 - 14.1 यदि किसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा उन प्रतिभूतियों के संबंध में कोई दावा, मांग या विवाद उत्पन्न किया जाता है जिन्हें अभौतिक किया गया है और जारीकर्ता या आरटीए से प्राप्त सूचना के अनुसार आईआईडीआईएल द्वारा किसी लाभार्थी के खाते में क्रेडिट किया जाता है या जिनके संबंध में जारीकर्ता और/या आरटीए द्वारा कॉर्पोरेट लाभों को आवंटित किया गया है, तो इस प्रकार के दावे, मांग या विवाद या उसके परिणामस्वरूप दायित्व जारीकर्ता और आरटीए की संयुक्त जिम्मेदारी होगी और आईआईडीआईएल किसी भी तरह से देनदार, जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
 - 14.2 यदि किसी ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा दावा, मांग या विवाद उत्पन्न किया जाता है जिनका पुनः भौतिकीकरण किया गया है, आरआरएफ में निहित विवरण में किसी त्रुटि या गलती को छोड़ कर, तो इस प्रकार के दावे, मांग

या विवाद और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दायित्व, यदि कोई है, जारीकर्ता और आरटीए की संयुक्त जिम्मेदारी होगी और आईआईडीआईएल किसी भी तरह से देनदार, जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

- 14.3 किसी ऐसी प्रतिभूति के भौतिकीकरण या पुनःभौतिकीकरण की अनुमति देने वाले जारीकर्ता और/या आरटीए के कारण पीड़ित किसी पक्ष या व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना जारीकर्ता और आरटीए की संयुक्त जिम्मेदारी होगी, जिसके संबंध में किसी न्यायालय या न्याधीकरण या आईएफएससीए या केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य कानूनी या राजस्व प्राधिकार का कोई निर्देश, जो हस्तांतरण को रोकता या प्रतिबंधित करता है या कुर्की का कोई आदेश या कोई निषेधाज्ञा इस प्रकार के अभौतिकीकरण या पुनःभौतिकीकरण के समय लागू है और उस आदेश को जारीकर्ता और/या आरटीए के पास भेजा गया है।
- 15 रिकॉर्ड का मिलान
 - 15.1 आरटीए उपनियमों के अनुसार दैनिक आधार पर अपने द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के साथ अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड का मिलान करेगा।
- 16 आईआईडीआईएल द्वारा निरीक्षण
 - 16.1 आईआईडीआईएल, उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से जारीकर्ता के सभी सौदों से संबंधित आरटीए की सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों का निरीक्षण करने का हकदार होगा और आरटीए इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को किसी भी कार्य दिवस पर नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने परिसर में प्रवेश देने की अनुमति देगा और इसकी सुविधाओं, प्रणालियों, अभिलेखों और पुस्तकों तक पहुंच और इसकी प्रतियां बनाने की अनुमति देगा।
- 17 जारीकर्ता द्वारा तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित की जाने वाली घटनाएं
 - 17.1 जारीकर्ता तुरंत आईआईडीआईएल को निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:
 - 17.1.1 जारीकर्ता के समापन की याचिका पर किसी न्यायालय में विचार किया जा रहा है या जारीकर्ता के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है;
 - 17.1.2 जारीकर्ता के विलय, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए बनाई जा रही कोई योजना;
 - 17.1.3 इसके दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या अपनी संपत्ति की कुर्की के लिए किसी आवेदन या याचिका की प्रस्तुति के बारे में जानकारी मिलने पर;
 - 17.1.4 किसी भी कर, शुल्क, लेवी, दंड, उपकर या बकाया की वसूली के लिए जारीकर्ता या उसकी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण द्वारा किसी भी संकट, निष्पादन, कुर्की या अन्य प्रक्रिया के खतरे या निष्पादन के बारे में जानकारी मिलने पर;
 - 17.1.5 जारीकर्ता की संपत्ति या संपत्तियों की कुर्की के लिए किसी भी अदालत में किसी भी आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर;
 - 17.1.6 इसकी वित्तीय स्थितियों में किसी भी बदलाव के मामले में जो इसके दिवालियेपन या समापन का कारण बन सकता है या यदि इसे अपने लेनदारों के साथ एक संरचना का सामना करना पड़ता है;
 - 17.1.7 किसी भी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक या रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए या परिस्थितियों में किसी भी अन्य परिवर्तन जो जारीकर्ता के व्यवसाय को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है, पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक का आयोजन करने पर;
 - 17.1.8 जारीकर्ता की संपत्ति के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा एक रिसीवर या प्रशासक नियुक्त किए जाने पर;
 - 17.1.9 जारीकर्ता को किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज से कोई नोटिस प्राप्त होने पर जहां जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों को सूचित बद्ध किया गया है या कारोबारी की अनुमति दी गई है, जिस नोटिस में उस एक्सचेंज में इस प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार या सूचिबद्धता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार की कार्यवाही की चेतावनी देने वाला कारण बताओ नोटिस या अन्य नोटिस शामिल है;
 - 17.1.10 जारीकर्ता को किसी भी ऐसी घटना के बारे में पता होने पर जिसमें इस समझौते के तहत उसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता या अस्तित्व या अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
 - 17.1.11 जारीकर्ता द्वारा जारी शेयर पूंजी या किसी भी अन्य प्रतिभूतियों में कोई वृद्धि या कमी, और जारीकर्ता द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां;

- 17.1.12 दैनिक आधार पर मिलान की प्रक्रिया के दौरान रिपोर्ट की गई किसी भी असंगत शेष राशि की सूचना।
- 18 आरटीए द्वारा तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित की जाने वाली घटनाएं
- 18.1 आरटीए निम्नलिखित की सूचना तुरंत आईआईडीआईएल को देगा:
- 18.1.1 यदि आरटीए एक व्यक्ति है, तो इस तरह कार्य करने में उसकी अक्षमता की स्थिति में;
- 18.1.2 यदि आरटीए एक साझेदारी फर्म है, तो फर्म के विघटन की स्थिति में या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 43 के तहत नोटिस दिया जा रहा है या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 44 के तहत मुकदमा दायर किया जा रहा है। ;
- 18.1.3 मामले में आरटीए एक कंपनी या एक निकाय कॉर्पोरेट है, समापन के लिए एक याचिका पर किसी भी अदालत में प्रस्तुत किया जा रहा है या आरटीए के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है;
- 18.1.4 आरटीए के विलय, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई जा रही है;
- 18.1.5 उसके दिवालियेपन, दिवाला, परिसमापन या उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए किसी आवेदन या याचिका की प्रस्तुति के बारे में जानकारी मिलने पर
- 18.1.6 किसी भी कर, शुल्क, लेवी, दंड, उपकर या बकाया की वसूली के लिए जारीकर्ता या उसकी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी वैधानिक या राजस्व प्राधिकरण द्वारा किसी भी संकट, निष्पादन, कुर्की या अन्य प्रक्रिया के खतरे या निष्पादन के बारे में जानकारी मिलने पर
- 18.1.7 आरटीए की संपत्ति या संपत्ति की कुर्की के लिए किसी भी अदालत में प्रस्तुत किए जाने पर किसी भी आवेदन पर;
- 18.1.8 उसकी वित्तीय स्थितियों में किसी भी परिवर्तन के मामले में जिसके कारण इसका दिवाला या विघटन या समापन हो सकता है या यदि यह अपने लेनदारों के साथ एक संरचना का सामना करता है;
- 18.1.9 इसकी किसी भी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक या रिसीवर या प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक के आयोजन पर या परिस्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन जो आरटीए और/या शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- 18.1.10 आरटीए की संपत्ति या संपत्तियों के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा एक रिसीवर या प्रशासक नियुक्त किए जाने पर;
- 18.1.11 आरटीए के मध्यस्थ होने की स्थिति में (रजिस्ट्रार और/या ट्रांसफर एजेंट के अलावा किसी भी क्षमता में) जैसा कि लागू कानून के तहत विचार किया जा रहा है, आईएफएससीए या किसी विनियामक प्राधिकार या ऐसा करने में सक्षम प्राधिकार द्वारा आरटीए के निलंबन या समाप्ति पर या पंजीकरण के समापन पर
- 18.1.12 आरटीए को किसी भी घटना या घटना के बारे में पता होने पर जो इस समझौते के तहत उसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता या अस्तित्व या उसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है या जो आईएफएससीए या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी योग्यता मानदण्ड में एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन करता है;
- 18.1.13 जारीकर्ता द्वारा जारी शेयर पूंजी या किसी भी अन्य प्रतिभूतियों में कोई वृद्धि या कमी, और जारीकर्ता द्वारा किए जाने वाली प्रस्तावित सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां;
- 18.1.14 दैनिक आधार पर मिलान की प्रक्रिया के दौरान रिपोर्ट की गई मिलान रहित शेष राशि।
- 19 अधिकृत प्रतिनिधि
- 19.1 जारीकर्ता और आरटीए, एक साथ इस समझौते के निष्पादन के साथ, आईआईडीआईएल को जारीकर्ता और आरटीए द्वारा अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे, जो आईआईडीआईएल के साथ जारीकर्ता और आरटीए की ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेंगे। इस तरह की सूची में कोई भी परिवर्तन, जिसमें परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन शामिल हैं, को तुरंत आईआईडीआईएल को सूचित किया जाएगा।
- 20 गोपनीयता
- 20.1 इस अनुबंध के पक्षकारों को सभी तकनीकी और व्यावसायिक सूचनाओं को कड़ाई से गोपनीय रखना होगा, जिसमें इस अनुबंध के तहत या उप-नियमों के तहत दायित्वों को पूरा करने के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण किया जा सकता है या उसे बताया जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी पक्ष अन्य पक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका प्रकटीकरण नहीं करेगा।

- 20.2 इस अनुबंध कोई भी पक्ष किसी भी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित इस तरह के विवरण, ब्यौरे, डेटा या जानकारी को किसी भी समय उस सीमा तक निरीक्षण या किसी भाग को प्राप्त करने की अनुमति के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि किसी भी लाभकारी स्वामी और/या उसके खाते से संबंधित ऐसे विवरण, सूचना, डेटा या जानकारी प्रदान करने या प्रकट करने के लिए किसी भी कानून द्वारा आवश्यक हो, जैसा कि किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार, आईएफएससीआई या किसी भी नियामक या राजस्व प्राधिकरण जो उस संबंध में कानून द्वारा सक्षम है, द्वारा मांगा या निर्देशित किया जा सकता है या कानून में किसी भी दायित्वों के अनुपालन के लिए या इसके किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या अपने हितों की सुरक्षा के लिए बिना किसी संदर्भ या समर्थन के अन्य के संदर्भ के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि उक्त के सिवाय, जारीकर्ता और/या आरटीए किसी लाभार्थी स्वामी और/या उसके खाते के संबंध में इस प्रकार का कोई भी विवरण, ब्यौरा, डेटा या सूचना किसी पक्ष या व्यक्ति को नहीं देगा और इस प्रकार के विवरण, ब्यौरे, डेटा और सूचना को सख्ती से गोपनीय रखेगा।
- 21 पते में परिवर्तन
- 21.1 जारीकर्ता और आरटीए आईआईडीआईएल को जारीकर्ता के कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय और आरटीए के पते में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के साथ-साथ परिसर के स्थान के किसी भी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले सूचित करेंगे जहां कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपकरण, आईआईडीआईएल के साथ बैकअप सुविधाएं स्थापित हैं।
- 22 बैक-अप सुविधाएं
- 22.1 आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा अनुशंसित बैक-अप प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगा। डेटा बेस के नवीनतम बैक-अप की एक प्रति हर समय किसी दूरस्थ साइट पर रखी जाएगी। कम्प्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा के नवीनतम बैकअप को बनाए रखने के लिए आरटीए की विफलता से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए आईआईडीआईएल आरटीए के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- 22.2 आरटीए आईआईडीआईएल द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को उसकी बैक-अप सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और आईआईडीआईएल को उक्त बैक-अप सुविधाओं में रखे गए अभिलेखों के ऐसे उद्धरण या रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- 23 आपदा रिकवरी योजना
- 23.1 आरटीए आईआईडीआईएल को आरटीए और आईआईडीआईएल के बीच कनेक्टिविटी के किसी भी नुकसान या विफलता के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
- 23.2 आरटीए ऐसी योजना, स्कीम या प्रक्रिया (जिसे 'आपदा रिकवरी योजना' कहा गया है) का कड़ाई से पालन करेगा, जैसा कि आईआईडीआईएल किसी भी स्थिति या घटना का सामना करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कनेक्टिविटी की हानि या संचार की विफलता, नुकसान या डेटा खराब हो सकता है या उपकरण, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को नुकसान हो सकता है, चाहे वह किसी तकनीकी विफलता, अनधिकृत पहुंच, आपदा, दुर्घटना, तोड़फोड़ या किसी अन्य कारण से हो सकता है।
- 24 लाभार्थी स्वामी की शिकायत की शिकायतों का निवारण
- 24.1 जारीकर्ता/आरटीए के डोमेन या विशिष्ट नियंत्रण के मामलों के संबंध में प्रतिभूतियों से संबंधित लाभार्थी स्वामियों की सभी शिकायतों पर जारीकर्ता/आरटीए द्वारा सुना जाएगा और उनके प्राप्त होने के 30 (तीस) दिन के अंदर उनका समाधान किया जाएगा और सभी शिकायतों के संबंध में जारीकर्ता/आरटीए अविलम्ब आईआईडीआईएल और संबंधित प्रतिभागी(यों) या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास भेजेगा जो अनिवार्य हो सकता है। जारीकर्ता/आरटीए आईआईडीआईएल को उसके द्वारा निवारण की गई और बकाया शिकायतों की संख्या और प्रकृति के बारे में सूचित रखेगा।
- 25 कार्यभर सौंपने के विरुद्ध निषेध आदि
- 25.1 इस अनुबंध के तहत कार्य, अधिकारों या दायित्वों को आईआईडीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना आरटीए द्वारा किसी भी पक्ष या व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा या प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कथित प्रत्यायोजन या प्रतिनिधित्व शून्य और अप्रभावी होगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न या निदेशक मंडल के गठन या आरटीए की साझेदारी की संरचना में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवसाय का एक प्रत्यायोजन होगा।
- 26 संयुक्त दायित्व
- 26.1 इस अनुबंध में कोई भी प्रावधान और जारीकर्ता और आरटीए के बीच किसी भी अनुबंध के बावजूद, जारीकर्ता और आरटीए आईआईडीआईएल, इसके प्रतिभागियों और लाभकारी मालिकों के लिए इस अनुबंध और उपनियमों व संचालन निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से दायित्वों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे।

27 समापन

- 27.1 जारीकर्ता और आरटीए प्रतिभूतियों के संबंध में एक दूसरे के साथ इस अनुबंध या व्यवस्था को आईआईडीआईएल को प्रस्तावित समान की सूचना कम से कम 1 (एक) माह पहले सूचित किए बिना समाप्त नहीं करेंगे और जारीकर्ता या तो इसी प्रकार के त्रिपक्षीय समझौते में किसी अन्य आरटीए का समझौता आईआईडीआईएल के साथ करवाएगा जारीकर्ता आईआईडीआईएल के साथ प्रतिभूतियों के संबंध इस प्रकार का ऐसा द्विपक्षीय समझौता करेगा जैसा कि उपनियमों में निर्दिष्ट है। आईआईडीआईएल के साथ निर्धारित अवधि की समाप्ति पर या इससे पहले किसी अन्य आरटीए का त्रिपक्षीय समझौता करवाने या स्वयं आईआईडीआईएल के साथ द्विपक्षीय समझौता करने में एक जारीकर्ता की विफलता पर जारीकर्ता द्वारा आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया गया माना जाएगा और आईआईडीआईएल उस जारीकर्ता के लिए एक आरटीए आईडी सृजित करेगा जिसमें "जारीकर्ता का नाम-बंद/निष्क्रिय/समाप्त आरटीए" विवरण दिया गया होगा और जारीकर्ता का आईएसआईएन लिंक इसके वर्तमान आरटीए आईडी से "जारीकर्ता का नाम बंद/निष्क्रिय/समाप्त आरटीए" की नई आरटीए आईडी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभौतिकीकरण और पुनःभौतिकीकरण के आग्रहों को जारीकर्ता द्वारा किसी दूसरे आरटीए को नियुक्त करने तक प्रसंकृत नहीं किया जाएगा, जो एक त्रिपक्षीय अनुबंध करता है या जारीकर्ता आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करता है।
- 27.2 आईआईडीआईएल किसी भी समय इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि इसकी राय में आरटीए ने अधिनियम, विनियमावली, उपनियमावली या संचालन निर्देशों या इस अनुबंध के किसी नियम या शर्त का उलंघन किया है या आईआईडीआईएल के अनुसार उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आईआईडीआईएल आरटीए को एक समापन नोटिस भेजेगा जो 30 (तीस) दिनों की अवधि तक प्रभावी रहेगा और साथ ही जारीकर्ता को एक नोटिस भेजेगा जिसमें जारीकर्ता से किसी आरटीए/शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो भी मामला हो, के साथ 30 (तीस) दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले इसी के समान एक त्रिपक्षीय समझौता करवाने या स्वयं आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करने की मांग करेगा। निर्धारित अवधि के अंदर जारीकर्ता द्वारा किसी अन्य आरटीए के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करवाने या स्वयं आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करने में विफल रहने पर, जारीकर्ता का आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता माना जाएगा और आईआईडीआईएल उस जारीकर्ता के लिए एक आरटीए आईडी सृजित करेगा जिसमें "जारीकर्ता का नाम-बंद/निष्क्रिय/समाप्त आरटीए" विवरण दिया गया होगा और जारीकर्ता का आईएसआईएन लिंक इसके वर्तमान आरटीए आईडी से "जारीकर्ता का नाम बंद/निष्क्रिय/समाप्त आरटीए" की नई आरटीए आईडी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभौतिकीकरण और पुनःभौतिकीकरण के आग्रहों को जारीकर्ता द्वारा किसी दूसरे आरटीए को नियुक्त करने तक प्रसंकृत नहीं किया जाएगा, जो एक त्रिपक्षीय अनुबंध करता है या जारीकर्ता आईआईडीआईएल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करता है।
- 27.3 उपरोक्त के रूप में समाप्ति की स्थिति में, आरटीए को आईआईडीआईएल को अपने सभी बकाया दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होगी, चाहे ये दायित्व उसके आरटीए के रूप में कार्य करने के दौरान उत्पन्न हुए हों या इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान आरटीए द्वारा किए गए कार्यों, लेनदेनों या सौदों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, बशर्ते कि यदि आरटीए उक्त दायित्वों को पूरा करने में विफल हो जाता है तो इस प्रकार के दायित्व जारीकर्ता के दायित्व होंगे।
- 27.4 आईआईडीआईएल या आरटीए द्वारा इस समझौते को समाप्त करने के बावजूद, इस समझौते के प्रावधान और इससे उत्पन्न होने वाले सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व, जहां तक यह इस तरह की समाप्ति के विपरीत या असंगत है, इस समझौते के प्रभावी होने की अवधि के दौरान किए गए सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और किए गए कार्यों और लेनदेन के संबंध में पक्षों पर बाध्यकारी बने रहेंगे।

28 क्षतिपूर्ति

- 28.1 जारीकर्ता और आरटीए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से सहमत है और वचन देते हैं कि वे आईआईडीआईएल, इसके कर्मचारियों या सेवकों को उन सभी दावों, मांगों, जुर्मानों, मुकदमों, कार्यवाहियों, कानूनी मुकदमों, मध्यस्थता, अभियोग और जारीकर्ता और/या आरटीए के किसी असत्य या गलत सूचना को आईआईडीआईएल के पास भेजने और किसी आदेश, डिक्री, निषेधाज्ञा, अनुबंध या लागू कानून के उलंघन में नकली, जालसाजी से तैयार, असत्य या रद्द प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों के आधार पर प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की अनुमति देने या जिनके संबंध में डुप्लिकेट/विस्थापन/नवीनीकरण को जारी किया गया है, के कारण या जारीकर्ता और/या उपनियमों या संचालन निर्देशों या इस अनुबंध के अंतर्गत आरटीए द्वारा अन्य चूक के कारण हुए किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं और आईआईडीआईएल और/या इसके प्रतिभागियों को उनके परिणामस्वरूप सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों से सुरक्षित रखेंगे।

29 सरकारी शुल्क

- 29.1 इस अनुबंध के पक्षों के बीच इस अनुबंध और/या इसके संबंध में निष्पादित किसी विलेख, दस्तावेज या लेख पर किसी भी सरकारी शुल्क (जिसमें उस पर लगा ब्याज या जुर्माना शामिल है) का भुगतान जारीकर्ता/आरटीए द्वारा किया जाएगा।

30 अप्रत्याशित घटना

30.1 इस अनुबंध में या उपनियमों में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, इस अनुबंध के अंतर्गत कोई पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसे उलंघन, विफलता या किसी कर्तव्य को पूरा करने में देरी के लिए या किसी ऐसे कारण से दूसरे पक्ष को हुई हानि, नुकसान, क्षति या चोट की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिनमें अन्य के साथ साथ समुद्री लहरें, तुफान, चक्रवात, बाढ़, आसमानी बिजली, भूकम्प, आग, ब्लास्ट, विस्फोट या अन्य ईश्वरीय आपदा, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, प्रतिरोध या प्रतिबंध, रास्ता रोकना, दंगा, नागरिक उपद्रव, श्रम गतिविधि या अंशाति जिनमें हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी उपयोगिता सेवा में बाधा या विफलता, दुश्मन की कार्यवाही, आपराधिक षडयंत्र, आतंकी गतिविधि या तोड़फोड़, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक बाधा या दखल, सैटेलाइट को नुकसान या क्षति, सैटेलाइट या किसी अन्य संचार डेटा से लिंक टूटना, कॉनेक्टिविटी खो जाना या कोई अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति या मजबूरी शामिल हैं।

31 नोटिस देना

31.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या संचार लिखित में होगा और केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगा जब इसे अंतिम ज्ञात पते पर संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से भेजा जाएगा।

32 प्रावधान का अलगाव

32.1 यदि इस अनुबंध के सिकी प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या विनियमाक प्राधिकार द्वारा गैर-कानूनी, शून्य या लागू न करने योग्य करार दिया जाता है या यदि कोई प्रावधान किसी कानूनी संशोधन, अधिसूचना या किसी न्यायिक निर्णय के कारण शून्य या लागू न किए जाने योग्य बन जाता है तो इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक सीमा तक इस अनुबंध से अलग कर दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधानों में जहां तक संभव हो परिवर्तन किए बिना अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के शेष प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।

33 आईएफएससीए के आदेश पर संशोधन/परिवर्तन बाध्यकारी होगा

33.1 इस अनुबंध में या इसके किसी प्रावधान में किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन या विलोपन इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे जैसा कि आईएफएससीए द्वारा आदेश या निर्देश दिया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी विलेख, दस्तावेज, लेख तैयार करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

34 कोई अधित्याग नहीं

34.1 इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का त्याग अमान्य होगा, बशर्ते कि इस संबंध में एक लिखित अनुबंध नहीं किया जाता और इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, एकाधिकार या उपचार के प्रयोग में किसी पक्ष की विफलता या देरी को अधित्याग या इस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा किसी कार्यवाही या परिणामस्वरूप उलंघन नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एक या आंशिक प्रयोग इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य या आगे के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेंगे, या निष्पक्षता से यह सहमति हो जाती है कि इस प्रकार के अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपपचार एक दूसरे से अलग और संचयी हैं।

35 मध्यस्थता और सुलह

35.1 दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और मतभेदों के संबंध में दोनों पक्ष उपनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मध्यस्थता और सुलह से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता का स्थान गांधीनगर होगा।

36 शासी भाषा

36.1 कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विलेख, दस्तावेज और लेख तथा इस अनुबंध की विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच होने वाले पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे जो इस अनुबंध के पक्षों के बीच प्रशासन की भाषा होगी।

37 शासी कानून

37.1 यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित होगा और समझा जाएगा।

38 क्षेत्राधिकार

38.1 इस अनुबंध के पक्ष गांधीनगर में स्थिति न्यायालय के एकमात्र क्षेत्राधिकार से सहमत हैं।

39 शीर्षक

39.1 इस अनुबंध में शीर्षक केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी तरह से इस अनुबंध के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

40 व्याख्या

40.1 यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है तो एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों में एकवचन शब्द शामिल हैं और पुलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में स्त्रिलिंग और स्त्रिलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में पुलिंग शब्द शामिल हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम या अध्यादेश या विद्यान या उनके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में उनमें किया गया कोई भी संशोधन या पुनः अध्यादेश शामिल होगा।

41 अनुबंध का कार्यान्वयन

41.1 यह समझौता अनुलिपि में तैयार किया गया है और प्रत्येक पक्ष के पास इसकी एक प्रति होगी।

अनुलिपि में तैयार इस अनुबंध के साक्ष्य में उक्त तिथि, माह, वर्ष और स्थान पर इस अनुबंध के पक्ष अपने अपने हस्ताक्षर/मुहर इस पर चिह्नित कर रहे हैं।

“आईआईडीआईएल” इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी

आईएफएससी लिमिटेड की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“जारीकर्ता” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“आरटीए” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

1.

2.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. अनुबंध लागू कानून के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट की वाली राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है।
2. अनुबंध के सभी पृष्ठों पर मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।
3. अनुबंध के अंतिम पृष्ठ पर गवाह का नाम और हस्ताक्षर मौजूद होना चाहिए।
4. सभी प्रतियों पर मुहर लगी होनी चाहिए और मूल रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड और प्रबंधक प्रबंधक के बीच अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को पर निम्न के बीच किया गया है:

इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड, एक कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 2014 के अंतर्गत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट-310 और 311, तीसरा तल, सिग्नेचर टॉवर ब्लॉक 13, रोड 1सी, जोन-1, जीआईएफटी एसईजेड, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर-382355 पर स्थिति है (जिसे यहां पर आईआईडीआईएल कहा गया है), जो प्रथम पक्ष है;

और

.....(कानूनी इकाई का विवरण) जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय पर स्थित है (जिसे यहां पर "प्रबंधक प्रबंधक") कहा गया है, जो कि दूसरा पक्ष है।

जबकि आईआईडीआईएल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ('आईएफएससी') में अभौतिक रूप में (अर्थात् बुलियन डिपोजिटरी रसीदों के रूप में) आईआईडीआईएल में रखे जाने वाले बुलियन के संबंध में डिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करता है।

और जबकि प्रबंधक प्रबंधक को अनिवार्य रूप से आईआईडीआईएल के साथ अनुबंध करने के लिए आईआईडीआईएल के साथ अनुबंध करने की आवश्यकता है ताकि प्रबंधक का कारोबार किया जा सके और बुलियन के भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सके, जिसके संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा बुलियन डिपोजिटरी रसीदें लागू कानूनों के अनुसार जारी की जाएंगी।

इसलिए अब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 ("आईएफएससीआई अधिनियम") के अनुसरण में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 ('बुलियन एक्सचेंज विनियम') और बुलियन एक्सचेंज पर ऑपरेटिंग दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, तिजोरी प्रबंधक और बुलियन डिपोजिटरी 25 अगस्त, 2021 (धोपरेटिंग गाइडलाइंस) को जारी किया गया था, और इसमें निहित आपसी वादों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियां एतद्वारा एक दूसरे के साथ सहमत और अनुबंध करती हैं:

1. सामान्य अनुच्छेद

- 1.1 इस अनुबंध में प्रयोग किए गए लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन लागू कानूनों के अंतर्गत परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ प्राथमिकता के निम्नलिखित अनुक्रम में वही होगा जैसा कि उक्त कानूनों में दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 सपटित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (सर्पाफा बाजार) विनियमावली, 2020, और इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार (आईएफएससीए) और/या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, सर्पाफा बाजार, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, प्रबंधक प्रबंधक और बुलियन डिपोजिटरी 25 अगस्त 2021 को आईएफएससीए द्वारा जारी संचालन निर्देश और वे सभी नियम, विनियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश और/या समय समय पर आईएफएससीए और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश।
- 1.2 वॉल्ट प्रबंधक प्रतिनिधित्व करता है, अनुबंध करता है, गारंटी देता है कि वह अपने व्यवसाय के संबंध में सभी लागू कानूनों का पालन करेगा और आईएफएससीए अधिनियम सपटित सर्पाफा बाजार विनियमों और संचालन निर्देशों व आईएफएससीए में किए गए अपने व्यवसाय पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के अंतर्गत बाध्य होगा और इन उपनियमों तथा सर्पाफा बाजार संचालन निर्देशों तथा समय समय पर आईआईडीआईएल द्वारा जारी नोटिसों, परिपत्रों, संचारों, निर्देशों और इसी तरह के अन्य आदेशों की अनुपालना उसी तरह से और उसी सीमा तक करेगा मानो वो इस अनुबंध का हिस्सा हैं।
- 1.3 यहां दिए गए प्रबंधक प्रबंधक के कर्तव्य इन उपनियमों और सर्पाफा संचालन निर्देशों में दिए गए कर्तव्यों का दोहराव और/या उनके अलावा हैं, और इस अनुबंध में दिए गए इस प्रकार के किसी एक या अधिक कर्तव्यों को हटाने का अर्थ किसी भी तरह से इन कर्तव्यों में छूट नहीं माना जाएगा, जैसे कि यहां नहीं दिए गए हैं।

6 प्रबंधक प्रबंधक की नियुक्ति और विशिष्टता

- 2.1 इस अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अधीन और, अन्य बातों के साथ साथ, इस अनुबंध में दिए गए प्रबंधक प्रबंधक के अभिवेदनों, वारंटियों, अनुबंधों और वचनों पर निर्भर होते हुए, आईआईडीआईएल एतद द्वारा प्रबंधक प्रबंधक को नियुक्त करने पर सहमत है, और प्रबंधक प्रबंधक इस प्रकार की नियुक्ति को स्वीकार करने और इस अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार आईआईडीआईएल को प्रबंधक सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।
- 2.2 प्रबंधक प्रबंधक एतद द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान किसी अन्य व्यक्ति/कम्पनी को प्रबंधक सेवाओं को प्रदान करने के लिए नियुक्त करने के आईआईडीआईएल के अधिकार को सीमित नहीं करेगा, जैसा कि इस अनुबंध के अंतर्गत प्रबंधक प्रबंधक द्वारा आईआईडीआईएल को प्रदान की रही हैं।

3 सर्राफा का भण्डारण

- 3.1 प्रबंधक प्रबंधक इस अनुबंध की अनुसूची 1 में चिन्हित किए गए अनुसार और आईआईडीआईएल और प्रबंधक प्रबंधक के बीच समय समय पर सहमति के अनुसार और आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के अधीन बुलियन को भण्डारित करने के लिए सहमत है।

4. प्रबंधक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

- 4.1 प्रबंधक प्रबंधक निम्न के लिए सहमत है और वचन देता है:
- 4.2 सर्राफा बाजार विनियमों के अंतर्गत और/या समय समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट "उचित और सही मापदण्ड" की अनुपालना करना।
- 4.3 न्यूनतम शुद्ध सम्पत्ति को बनाए रखना जैसा कि आईएफएससीए द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 4.4 इस अनुबंध के कार्यान्वयन होने पर आईआईडीआईएल को वापसी योग्य जमानत राशि का भुगतान करना जैसा कि संचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाता है और आगे जमानत राशि को लौटाने के लिए सहमत है जैसा कि समय समय आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 4.5 समय समय पर सर्राफा बाजार/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट सही डिलिवरी के सिद्धांतों को अपनाना।
- 4.6 हमेशा समय-समय पर संशोधित संचालन दिशानिर्देशों के साथ पठित सर्राफा बाजार विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं का अनुपालन करना और लागू कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करने।
- 4.7 संचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट और आईआईडीआईएल और आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रबंधक संबंधी मानकों को पूरा करना, जिसमें भौतिक सर्राफा वस्तुओं की गुणवत्ता, न्यूनतम वार्षिक मात्रा आवश्यकताएं और वित्तीय मानकों के बारे में वैध शिकायतों के निवारण के संबंध में अपनाए जाने वाले मानक शामिल हैं।
- 4.8 समय-समय पर आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट सभी दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना।

5 आधारभूत संरचना आवश्यकताएं

- 5.9 प्रबंधक प्रबंधक सहमत है और आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित भौतिक सर्राफा के उचित संचालन और भंडारण के लिए अधिमानतः भूमिगत सुविधा और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए सहमति देता है।
- 5.10 प्रबंधक प्रबंधक आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार सर्राफा के भंडारण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित इनडोर सुविधा प्रदान करने का वचन देता है। भौतिक सर्राफा के लिए ऐसे प्रबंधक आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए एक बख्तरबंद वाहन द्वारा सुलभ होने चाहिए।
- 5.11 प्रबंधक प्रबंधक सहमत है कि आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए किसी भी गैरकानूनी प्रवेश, चोरी, हेराफेरी या क्षति या जमा भौतिक सर्राफा को संभावित नुकसान के मामले में तत्काल संचार के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात रखेगा।
- 5.12 प्रबंधक प्रबंधक दो अलग-अलग बिजली की आपूर्ति को समायोजित करने का प्रावधान करेगा, एक मुख्य प्रकाश/पंखों के लिए और दूसरा सेंसर, कैमरे आदि के लिए। आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए वॉल्ट के अंदर सभी विद्युत तारों को अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए।
- 5.13 प्रबंधक प्रबंधक सहमत है और वचन देता है कि वह समय-समय पर, अपनी लागत पर, आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त, संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन को पूरा करेगा।

6 प्रबंधक प्रबंधक द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्थापना

- 6.1 प्रबंधक प्रबंधक आईआईडीआईएल को सूचना के एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन प्रदान करने और आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए तिजोरी प्रबंधक और आईआईडीआईएल के बीच डेटा के सिस्टम-आधारित मिलान प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी प्रणालियों, तंत्र और आईटी के संबंधित बुनियादी ढांचे को अपने परिसर में स्थापित करेगा और बनाए रखेगा।
- 6.2 प्रबंधक प्रबंधक आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्न शामिल हैं :

- 6.2.1 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार प्रणालियों का विवरण, उनकी क्षमता, कार्य और स्थान;
- 6.2.2 डेटा भंडारण और बैक अप प्रक्रियाओं और साइटों, उनकी क्षमता, कार्य और स्थान का विवरण;
- 6.2.3 आपदा वसूली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण।
- 6.3 प्रबंधक प्रबंधक सहमत है और वचन देता है कि वह आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार समय-समय पर, अपनी लागत पर, आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के ऐसे परिवर्धन, संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन करेगा
- 7 सर्राफा को जमा करना और निकास
- 7.1 सर्राफा जमा करते समय प्रबंधक प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक सर्राफा तकनीकी निर्देशों को पूरा करता है जैसा कि बुलियन एक्सचेंज और आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित एक जांच द्वारा भौतिक सर्राफा की जांच करवाएगा। इसके अलावा, यदि तिजोरी प्रबंधक की राय में भौतिक सर्राफा लागू कानूनों के अनुसार सर्राफा बाजार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी तकनीकी निर्देश के अनुरूप नहीं है, तो तिजोरी प्रबंधक इस तरह के भौतिक सर्राफा की जांच करने और एक राय व्यक्त करने के लिए कि क्या भौतिक बुलियन अच्छी डिलीवरी के उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है, आईआईडीआईएल को एक स्वतंत्र निरीक्षक/परीक्षक नियुक्त करने के लिए एक लिखित अनुरोध करेगा।
- 7.2 तिजोरी प्रबंधक, जमाकर्ता से भौतिक सर्राफा स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक सर्राफा समय-समय पर बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी निर्देशों को पूरा करता है।
- 7.3 भौतिक बुलियन प्राप्त करने पर तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल को उक्त बुलियन के निम्नलिखित विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगा।
- 7.3.1 लाभार्थी स्वामी का नाम और पता।
- 7.3.2 तिजोरी प्रबंधक का विवरण
- 7.3.3 रिफाइनर का विवरण जिसका चिह्न भौतिक बार पर उकेरा गया है।
- 7.3.4 रिफाइनर द्वारा प्रदान किए गए और भौतिक बार पर उकेरे गए सीरियल नंबर।
- 7.3.5 प्रति 1000 भागों में बार की शुद्धता अर्थात् 995/1000, 999/1000, 999.9/1000 आदि।
- 7.3.6 ग्राम, किलोग्राम या औंस में अंकित भौतिक बार का वजन, जैसा भी मामला हो।
- उपरोक्त के अलावा, प्रबंधक प्रबंधक, आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए समय-समय पर आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा निर्धारित अतिरिक्त विवरण को प्रदान करेगा।
- 7.4 तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल द्वारा जारी बुलियन डिपॉजिटरी रसीद में निहित जानकारी में कोई बदलाव नहीं करेगा।
- 7.5 प्रबंधक प्रबंधक जमाकर्ता द्वारा बुलियन जमा करने और निकालने के संबंध में आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से और आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार जानकारी साझा करेगा।
- 7.6 तिजोरी प्रबंधक द्वारा बुलियन और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का भंडारण लागू कानून के तहत और आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 7.7 तिजोरी से बुलियन की निकासी और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद का उन्मुलन आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार उप-नियमों, सर्राफा संचालन निर्देशों, संचालन निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा और जैसा कि समय-समय पर आईआईडीआईएल / आईएफएससीए द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 7.8 तिजोरी से बुलियन निकालने पर, तिजोरी प्रबंधक इसकी सूचना आईआईडीआईएल को देगा।
- 7.9 जहां तिजोरी प्रबंधक सर्राफा बाजार विनियमों और/या उपनियमों और/या सर्राफा संचालन निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में सर्राफा को वितरित करने से मना करता है या विफल रहता है, तो वहां प्रमाण का भार तिजोरी प्रबंधक पर होगा कि वह मना करने या विफलता के लिए एक वैध कारण के होने का प्रमाण दे।
- 7.10 तिजोरी प्रबंधक सहमत है और वचन देता है कि वह समय-समय पर, अपनी लागत पर, आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा बुलियन जमा करने और निकालने के संबंध में आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुसार निर्दिष्ट अतिरिक्त कार्यों को पूरा करेगा।

8 रिफाइनर

- 8.1 तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल की सहमति से उन रिफाइनरों का एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेगा, जिनके सर्राफा को बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, जैसा कि आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है।
- 8.2 तिजोरी प्रबंधक, बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उचित डिलिवरी के मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त रिफाइनर के आईआईडीआईएल द्वारा प्रदान किए गए सिस्टम-आधारित इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ रिफाइनर की डिलिवरी को सत्यापित करके आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

9 अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति

- 9.1 तिजोरी प्रबंधक, समय-समय पर, बुलियन एक्सचेंज विनियमों और/या उपनियमों और/या सर्राफा संचालन निर्देशों और/या संचालन दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अनुपालन अधिकारी या ऐसे अन्य प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति करेगा, ताकि आईएफएससीआई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम और दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

10 संचालन

अपने प्रबंधक के कारोबार के संचालन में प्रबंधक प्रबंधक निम्न के लिए सहमत है:

- 10.1 केवल भौतिक सर्राफा में सौदा करना जिसे आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- 10.2 सर्राफा डिपोजिटरी रसीद के धारक को उसके मांगे जाने पर बुलियन डिपोजिटरी रसीद में उल्लिखित भौतिक सर्राफा की डिलिवरी प्रबंधक संबंधी ग्रहणाधिकार की पुष्टि करने के बाद करना;
- 10.3 सुनिश्चित करना कि बुलियन डिपोजिटरी रसीद धारक, तिजोरी प्रबंधक से भौतिक बुलियन प्राप्त करने पर, आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए आईआईडीआईएल द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से भौतिक बुलियन की प्राप्ति को स्वीकार करता है;
- 10.4 तिजोरी में रखे भौतिक बुलियन की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है;
- 10.5 आईआईडीआईएल/बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से आईएफएससीए को उसके द्वारा स्टोर में रखी गई धातु को किसी भी नुकसान के बारे में सूचित करना, जब भी ऐसी क्षति इस हद तक होती है कि धातु को सुपुर्दगी योग्य नहीं बनाया जा सकता है;
- 10.6 समय समय पर आईआईडीआईएल/आईएफएससीए की निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक तिजोरी के संचालन से संबंधित सभी लेनदेन के रिकॉर्ड और खातों का एक पूर्ण और सटीक तरीके से बनाए रखना और दर्ज करना;
- 10.7 सुनिश्चित करना कि भौतिक सूची दैनिक आधार पर रिकॉर्ड के साथ सटीक रूप से मेल खाती है;
- 10.8 मौजूदा तिजोरी की क्षमता या क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना;
- 10.9 तिजोरी भंडारण स्थान का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना;
- 10.10 किसी भी हेराफेरी की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखना;
- 10.11 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपकरण काम करने की स्थिति में हैं, समय-समय पर जांच करना;
- 10.12 आईएफएससीए द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- 10.13 शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान, यदि कोई हो;
- 10.14 तिजोरी के उपयोग और उस तक पहुंच के संबंध में जमाकर्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करना;
- 10.15 तिजोरी में संवय का भौतिक सर्राफा जमा न करना;
- 10.16 आईएफएससीए की अनुमति के अलावा बुलियन एक्सचेंज पर व्यापार के उद्देश्य से, तिजोरी में जमा किए गए भौतिक सर्राफा में कोई हित नहीं बेचना, हटाना या निपटाना या सृजित करना;
- 10.17 सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना, जिसमें सर्वोत्तम और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाना शामिल है;
- 10.18 अपने वॉल्ट व्यवसाय को उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम के साथ संचालित करना;
- 10.19 पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने मामलों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए उचित सावधानी बरतना;
- 10.20 सर्राफा बाजार विनियमों और/या उपनियमों और/या सर्राफा संचालन निर्देशों और/या संचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित पर्याप्त वित्तीय संसाधन और रिकॉर्ड बनाए रखना;

10.21 बाजार के आचरण के उचित मानकों का पालन करना।

11 लागत, शुल्क और प्रभार

11.1 वउल्ट प्रबंधक आईआईडीआईएल को ऐसे शुल्क, लागत, प्रभार और जमा राशि का भुगतान करेगा जो आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर तिजोरी प्रबंधक के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है या लागू कानूनों के अनुसार भुगतान करना अनिवार्य है, जिसमें आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट शुल्क/लागत/प्रभार/जमा शामिल है। हालांकि, आईआईडीआईएल द्वारा किसी भी नए/संशोधित शुल्क, लागत, प्रशुल्क या जमा की वसूली से पहले, आईआईडीआईएल ऐसी फीस, लागत, शुल्क या जमा लगाने से पहले तिजोरी प्रबंधक को 30 (तीस) दिनों की पूर्व सूचना देगा। तिजोरी प्रबंधक द्वारा संबंधित देय तिथियों पर या उससे पहले किसी भी तरह की फीस, लागत, शुल्क, या जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, आईआईडीआईएल किसी भी ऐसे बकाया पर ब्याज/जुर्माना/जुर्माना वसूलने का हकदार होगा।

12 परिसर का निरीक्षण और पहुंच

12.1 तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल या उसके द्वारा चिन्हित किसी अन्य एजेंसी ("बाहरी एजेंसी") को उप-नियमों के अनुसार और/या लागू कानूनों के अंतर्गत और/या आईएफएससीए द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार जांच के लिए, परिसर, सुविधाओं, डेटा सिस्टम, डेटा स्टोरेज साइटों और आईआईडीआईएल के साथ प्रबंधक प्रबंधक के साथ जोड़ने वाले इलैक्ट्रॉनिक डेटा कॉन्म्युनिकेशन नेटवर्क तक भौतिक पहुंच (भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक) के लिए अनुमति प्रदान करेगा ताकि किसी विशिष्ट दिन को सर्राफा डिपोजिटरी रसीदों का भौतिक सर्राफा के साथ मिलान किया जा सके।

12.2 प्रबंधक प्रबंधक आईएफएससीए, आईआईडीआईएल द्वारा या बाहरी एजेंसी द्वारा, जो भी मामला हो, जांच के लिए उनके कब्जे या नियंत्रण में इस प्रकार के खातों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा और अपने निदेशकों, अधिकारियों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों और कर्मचारियों से प्रस्तुत करवाएगा और प्रबंधक प्रबंधक के रूप में उनकी गतिविधियों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचनाएं निर्धारित अवधि के अंदर प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता जांचकर्ता अधिकारी को हो सकती है। प्रबंधक प्रबंधक उसके कब्जे में या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में परिसर को जांचकर्ता अधिकारी को उचित पहुंच प्रदान करेगा और प्रबंधक प्रबंधक के कब्जे में बही-खातों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और उन दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां प्रदान करेगा जो जांच अधिकारी की राय में जांच के लिए आवश्यक हैं। प्रबंधक प्रबंधक अपने निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से जांच अधिकारियों को सभी सहायता प्रदान करवाएगा जो जांच के संबंध में आवश्यक हैं।

13 बीमा

13.1 तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए हर समय अपने तिजोरी में संग्रहीत भौतिक सर्राफा के मूल्य को सर्राफा से संबंधित सभी संभावित खतरों के विरुद्ध बीमा के तहत पूरी तरह से कवर करना सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए बीमा कवर उपलब्ध है और आवश्यक है।

13.2 तिजोरी प्रबंधक बाढ़, चक्रवात, भूकंप और अचानक दहन, चोरी और डाका और दंगों, हड़तालें, आतंकवाद सहित विशेष खतरों और संबद्ध खतरों जैसे जोखिमों के लिए बीमा कवर रखने और और उनका शमन करने के लिए आईआईडीआईएल की संतुष्टि के लिए समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त जोखिम के लिए पर्याप्त बीमा रखने का वचन देगा।

13.3 तिजोरी प्रबंधक द्वारा रखे गए भौतिक सर्राफा के सभी डिलिवरी योग्य स्टॉक को कवर करने के लिए तिजोरी प्रबंधक को निष्ठा गारंटी और अपराध बीमा और पेशेवर क्षतिपूर्ति कवर लेना होगा।

13.4 बीमित किए जाने वाले भौतिक सर्राफा का मूल्य निरंतर आधार पर प्रतिस्थापन मूल्य पर बाजार में अंकित किया जाना चाहिए।

13.5 तिजोरी प्रबंधक भौतिक बुलियन के बीमा कवरेज के बारे में आईआईडीआईएल को तिमाही या आंतरिक रूप से ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जैसा कि समय-समय पर आईआईडीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

14 गोपनीयता

14.1 तिजोरी प्रबंधक अपनी ओर से और निदेशकों और एजेंटों सहित अपने सभी कर्मचारियों की ओर से वचन देता है कि वह उन ग्राहकों के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा, जिनका लेनदेन तिजोरी के साथ है या उनके द्वारा बुलियन जमा या निकासी के संबंध में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं देगा, सिवाय इसके कि आईएफएससीए/बुलियन एक्सचेंज/आईआईडीआईएल द्वारा अनुमति दी गई हो।

14.2 तिजोरी प्रबंधक वॉल्टिंग सिस्टम के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जिसकी आईएफएससीए/आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है।

- 14.3 इस अनुबंध के पक्ष सभी तकनीकी और व्यावसायिक सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इस समझौते के तहत या उप-नियमों के तहत दायित्वों को पूरा करने के दौरान प्रकट की जा सकती हैं, और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना इस सूचना को किसी तीसरे पक्ष को उजागर करेगा।
- 15 गतिविधियों का पृथक्करण
- 15.1 जहां एक प्रबंधक प्रबंधक वाउल्टिंग सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी सेवा को प्रदान करता है, तब प्रबंधक प्रबंधक सहमत है कि वह प्रबंधक प्रबंधक के रूप में इसके व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों को अन्य सभी गतिविधियों से अलग रखेगा जिनमें बुलियन डिपोजिटरी रसीदों के व्यापार के लिए भण्डारण के लिए स्थान को और मूल्यवान धातुओं से संबंधित अन्य व्यापार के लिए माल के भण्डारण के स्थान को अलग अलग रखना।
- 16 आचार संहिता
- 16.1 तिजोरी प्रबंधक बुलियन एक्सचेंज विनियमों, संचालन दिशानिर्देशों, उपनियमों और/या सर्राफा के संचालन निर्देशों और/या आईएफएससीए/आईआईडीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नियमों के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए सहमत और वचनबद्ध है।
- 17 अभिलेखों का रखरखाव और उसका मिलान
- 17.1 तिजोरी प्रबंधक आईआईडीआईएल/आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि के लिए रिकॉर्ड और रिटर्न का रखरखाव करेगा।
- 17.2 तिजोरी प्रबंधक समय-समय पर आईआईडीआईएल के साथ बुलियन डिपोजिटरी रसीदों के संबंधित रिकॉर्ड के साथ जमा किए गए भौतिक सर्राफा का भौतिक मिलान करेगा, जैसा कि उपनियमों / सर्राफा के संचालन निर्देशों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।
- 18 दायित्व
- 18.1 तिजोरी प्रबंधक के दायित्व बुलियन एक्सचेंज विनियमों/संचालन दिशानिर्देशों/उपनियमों/सर्राफा के संचालन निर्देशों के तहत निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 19 प्रतिनिधित्व, वारंटी और अनुबंध
- 19.1 तिजोरी प्रबंधक इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि को आईआईडीआईएल के साथ प्रतिनिधित्व करती है, गारंटी देता है, अनुबंध करता है और वचन देता है कि जब तक कि निम्न के संबंध में समाप्त नहीं किया जाता है:
- 19.1.1 तिजोरी प्रबंधक विधिवत रूप से संगठित, वैध रूप से अस्तित्व में और लागू कानूनों के तहत अच्छी स्थिति में है और इस अनुबंध में प्रवेश करने, निष्पादित करने और डिलिवर करने और इसके द्वारा अपेक्षित लेनदेन करने के लिए पूर्ण रूप से शक्ति और अधिकार रखता है;
- 19.1.2 तिजोरी प्रबंधक द्वारा इस अनुबंध के निष्पादन और वितरण और इसके द्वारा विचार किए गए लेनदेन के तिजोरी प्रबंधक द्वारा प्रदर्शन को तिजोरी प्रबंधक की सभी आवश्यक कॉर्पोरेट या अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाता है;
- 19.1.3 यह अनुबंध प्रबंधक प्रबंधक के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जिसे इसकी शर्तों के अनुसार प्रबंधक प्रबंधक के विरुद्ध लागू किया जा सकता है;
- 19.1.4 तिजोरी प्रबंधक के पास बुलियन एक्सचेंज विनियमावली, संचालन दिशानिर्देश, अनुबंध / उपनियम / बुलियन संचालन निर्देशों सहित लागू कानूनों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, आवश्यकताएं, सुरक्षा मानदंड, पात्रता मानदंड, वित्त, बुनियादी ढांचा और संसाधन हैं।
- 19.2 इस अनुबंध में कोई भी प्रावधान होते हुए भी, प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी अलग और स्वतंत्र होगी और इस समझौते के किसी अन्य अनुच्छेद, पैराग्राफ या किसी भी चीज़ के संदर्भ द्वारा सीमित नहीं होगी।
- 20 क्षतिपूर्ति
- 20.1 तिजोरी प्रबंधक सहमत है कि वह आईआईडीआईएल, इसके कर्मचारियों, एजेंटों, परामर्शदाताओं, सम्बद्धों, सदस्यों, निदेशक और अधिकारियों को सभी दावों, मांगों, जुर्मानों, मुकदमों, कार्रवाईयों, अभियोग, मध्यस्थता, अभियोजन और किसी भी कानूनी प्रक्रिया और इस संबंध में आई सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों और आईआईडीआईएल को इस संबंध में हुई किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि, नुकसान, क्षति या चोट से सुरक्षित रखेगा, जिनमें प्रबंधक प्रबंधक (इसके कर्मचारियों, निदेशकों, सदस्यों, हिस्सेदारों, मालिकों, एजेंटों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों, संबंधित व्यक्तियों सहित) द्वारा किए गए किसी कार्य या भूल या

इस समझौते की शर्तों, लागू कानूनों के संबंध में किए गए उलंघन या गलत प्रतिनिधित्व या चूक और/या आईआईडीआईएल को कोई भी झूठी या गलत सूचना भेजने/गलत प्रतिनिधित्व करने परिणामस्वरूप किसी भी तीसरे पक्ष को हुई हानियां या किसी आदेश, कानूनी आदेश, निषेधाज्ञा या अनुबंध या लागू कानून का उलंघन करते हुए सर्राफा को जमा करने या निकास करने की अनुमति देने या प्रबंधक प्रबंधक (या इसके किसी कर्मचारी जिनमें निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और एजेंट शामिल हैं) द्वारा बुलियन एक्सचेंज विनियमावली, संचालन दिशानिर्देश, उपनियमों या सर्राफा के संचालन निर्देश या इस अनुबंध सहित लागू कानूनों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के कारण हुई हानियां शामिल हैं।

21 अवधि और समापन

21.1 यह अनुबंध इसे निष्पादन की तिथि से वैध होगा और निम्न प्रकार से समापन करने तक निरंतर जारी रहेगा।

21.2 इस अनुबंध को निम्न प्रकार से समाप्त किया जा सकता है:

- 21.2.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 30 (तीस) दिनों की पूर्व सूचना देकर; या
- 21.2.2 पक्षों के बीच आपसी लिखित समझौते से; या
- 21.2.3 आईएफएसीए द्वारा तिजोरी प्रबंधक के पंजीकरण को रद्द करने के तुरंत बाद; या
- 21.2.4 तिजोरी प्रबंधक द्वारा आईएफएसीए को पंजीकरण के प्रमाण पत्र को समर्पित करने पर।

21.3 किसी भी कारण से इस अनुबंध को समाप्त करने पर, तिजोरी प्रबंधक:

- 21.3.1 तुरंत आईआईडीआईएल को प्रबंधक संबंधी सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगा;
- 21.3.2 उसकी तिजोरी में मौजूदा भौतिक सर्राफा के आईएफएसीए के साथ पंजीकृत किसी अन्य तिजोरी में हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएगा;
- 21.3.3 जब तक भौतिक सर्राफा का ऐसा हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता तब तक मौजूदा भौतिक सर्राफा के जमा के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा;
- 21.3.4 आईआईडीआईएल के पास ऐसे सभी दस्तावेजों/अभिलेखों/विवरणों की प्रतियां जमा करेगा जैसा कि आईआईडीआईएल द्वारा अनुरोध किया जा सकता है; तथा
- 21.3.5 मौजूदा भौतिक सर्राफा के संबंध में आईआईडीआईएल/आईएफएसीए द्वारा जारी किए जा सकने वाले सभी निर्देशों का पालन करना।

22 अतिरिक्त गारंटी

22.1 प्रबंधक प्रबंधक वचन देता है कि वह ऐसे सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र/सूचना/कागजात/रिपोर्ट निष्पादित करेगा और अपने कर्मचारियों, एजेंटों, परामर्शदाताओं, संबद्धों, सदस्यों, निदेशकों और अधिकारियों से करवाएगा और/या ऐसे सभी कदम उठाएगा या उठवाएगा जो इस अनुबंध के नियमों के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और/या आईएफएसीए अधिनियम, बुलियन एक्सचेंज विनियमावली या संचालन दिशानिर्देशों, और उपनियमों और आईआईडीआईएल द्वारा जारी बुलियन संचालन निर्देशों और/या आईआईडीआईएल के निर्देशों/आदेशों सहित लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना आईआईडीआईएल की संतुष्टि के अनुरूप करेगा, और इसके बाद कोई भी उलंघन या गैर-अनुपालना प्रबंधक प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।

23 सरकारी शुल्क

23.1 यहां दिए गए पक्षों के बीच इस अनुबंध और/या इसके संबंध में निष्पादित किसी विलेख, दस्तावेज या लेख पर किसी भी सरकारी शुल्क (जिसमें उस पर लगा ब्याज या जुर्माना शामिल है) का भुगतान प्रबंधक प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

24 अप्रत्याशित घटना

24.1 इस अनुबंध में या उपनियमों में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, इस अनुबंध के अंतर्गत कोई पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसे उलंघन, विफलता या किसी कर्तव्य को पूरा करने में देरी के लिए या किसी ऐसे कारण से दूसरे पक्ष को हुई हानि, नुकसान, क्षति या चोट की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिनमें अन्य के साथ साथ समुद्री लहरें, तुफान, चक्रवात, बाढ़, आसमानी बिजली, भूकम्प, आग, ब्लास्ट, विस्फोट या अन्य ईश्वरीय आपदा, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, प्रतिरोध या प्रतिबंध, रास्ता रोकना, दंगा, नागरिक उपद्रव, श्रम गतिविधि या अंशाति जिनमें हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी उपयोगिता सेवा में बाधा या विफलता, दुश्मन की कार्यवाही, आपराधिक षडयंत्र, आतंकी गतिविधि या तोड़फोड़, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक बाधा या दखल, सैटेलाइट को नुकसान या क्षति, सैटेलाइट या किसी अन्य संचार डेटा से लिंक टूटना, कॉनेक्टिविटी खो जाना या कोई अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति या मजबूरी शामिल हैं।

25 नोटिस देना

25.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या संचार लिखित में होगा और केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगा जब इसे अंतिम ज्ञात पते पर संचालन निर्देशों में निर्दिष्ट विधि से भेजा जाएगा।

26 प्रावधान का अलगाव

26.1 यदि इस अनुबंध के सिकी प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या विनियमाक प्राधिकार द्वारा गैर-कानूनी, शून्य या लागू न करने योग्य करार दिया जाता है या यदि कोई प्रावधान किसी कानूनी संशोधन, अधिसूचना या किसी न्यायिक निर्णय के कारण शून्य या लागू न किए जाने योग्य बन जाता है तो इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक सीमा तक इस अनुबंध से अलग कर दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधानों में जहां तक संभव हो परिवर्तन किए बिना अप्रभावी हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के शेष प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगे।

27 आईएफएससीए के आदेश पर संशोधन/परिवर्तन बाध्यकारी होगा

27.1 इस अनुबंध में या इसके किसी प्रावधान में किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन या विलोपन इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे जैसा कि आईएफएससीए द्वारा आदेश या निर्देश दिया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी विलेख, दस्तावेज, लेख तैयार करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

28 कोई अधित्याग नहीं

28.1 इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का त्याग अमान्य होगा, बशर्ते कि इस संबंध में एक लिखित अनुबंध नहीं किया जाता और इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, एकाधिकार या उपचार के प्रयोग में किसी पक्ष की विफलता या देरी को अधित्याग या इस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा किसी कार्यवाही या परिणामस्वरूप उलंघन नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एक या आंशिक प्रयोग इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्यथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य या आगे के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को नहीं रोकेगा, या निष्पक्षता से यह सहमति हो जाती है कि इस प्रकार के अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार एक दूसरे से अलग और संचयी हैं।

29 मध्यस्थता और सुलह

29.1 दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और मतभेदों के संबंध में दोनों पक्ष उपनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मध्यस्थता और सुलह से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता का स्थान गांधीनगर होगा।

30 शापी भाषा

30.1 कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विलेख, दस्तावेज और लेख तथा इस अनुबंध की विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच होने वाले पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे जो इस अनुबंध के पक्षों के बीच प्रशासन की भाषा होगी।

31 शासी कानून

31.1 यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित होगा और समझा जाएगा।

32 क्षेत्राधिकार

32.1 इस अनुबंध के पक्ष गांधीनगर में स्थिति न्यायालय के एकमात्र क्षेत्राधिकार से सहमत हैं।

33 शीर्षक

33.1 इस अनुबंध में शीर्षक केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी तरह से इस अनुबंध के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

34 व्याख्या

34.1 यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है तो एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों में एकवचन शब्द शामिल हैं और पुलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में स्त्रिलिंग और स्त्रिलिंग के लिए प्रयोग शब्दों में पुलिंग शब्द शामिल हैं, और किसी भी कानून, अधिनियम या अध्यादेश या विद्यान या उनके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में उनमें किया गया कोई भी संशोधन या पुनः अध्यादेश शामिल होगा।

35 अनुबंध का कार्यान्वयन

35.1 यह समझौता अनुलिपि में तैयार किया गया है और प्रत्येक पक्ष के पास इसकी एक प्रति होगी।

अनुलिपि में तैयार इस अनुबंध के साक्ष्य में उक्त तिथि, माह, वर्ष और स्थान पर इस अनुबंध के पक्ष अपने अपने हस्ताक्षर/मुहर इस पर चिन्हित कर रहे हैं।

“आईआईडीआईएल” इंडिया इंटरनैशनल डिपोजिटरी

आईएफएससी लिमिटेड की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

3.

4.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

“प्रबंधक प्रबंधक” की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री

द्वारा

3.

4.

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किया गया और प्रदान किया गया

अनुसूची 1

सर्चा का अर्थ है समय समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा में सोने और/या चांदी की छड़ें, जिनका कारोबार बुलियन एक्सचेंज में किया जाता है जिसको आईआईडीआईएल ने डिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करने की सहमति दी है।

INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED

BYE LAWS

Gujarat-382355, the 25th August 2022

I N D E X

	Page Nos.
PART A: GENERAL	3743746
CHAPTER 1: TITLE AND COMMENCEMENT	3746
CHAPTER 2: DEFINITIONS	3746
CHAPTER 3: BOARD OF DIRECTORS AND COMMITTEES	3749
PART B: DEALING IN SECURITIES	
CHAPTER 4: POWER TO ISSUE OPERATING INSTRUCTIONS AND COMMUNIQUÉS	3751
CHAPTER 5: PARTICIPANTS	3752
CHAPTER 6: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BENEFICIAL OWNERS	3761
CHAPTER 7: SETTLEMENT	3763
CHAPTER 8: CLEARING CORPORATION	3763
CHAPTER 9: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CLEARING MEMBERS	3764
CHAPTER 10: SAFEGUARDS TO PROTECT INTEREST OF BENEFICIAL OWNERS AND PARTICIPANTS	3765
CHAPTER 11: SECURITIES	3765
CHAPTER 12: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ISSUERS AND THEIR RTAs	376666
CHAPTER 13: ACCOUNTS / TRANSACTIONS BY BOOK ENTRY	3767
CHAPTER 14: PLEDGE AND HYPOTHECATION	3774
CHAPTER 15: SECURITIES LENDING	3775
CHAPTER 16: RECONCILIATION, ACCOUNTS AND AUDIT	3775
PART C: DEALING IN BULLION/ BULLION DEPOSITORY RECEIPTS	
CHAPTER 17: POWER TO FRAME AND AMEND BULLION OPERATING INSTRUCTIONS	3779
CHAPTER 18: FUNCTIONS OF IIDIL	3781
CHAPTER 19: TRANSACTIONS	3784
CHAPTER 20: SAFEGUARDS TO PROTECT INTEREST OF CLIENTS	3784
CHAPTER 21: DEPOSIT AND WITHDRAWAL OF BULLION IN THE VAULT	3785
CHAPTER 22: ISSUANCE, MODIFICATION, TRANSFERABILITY AND CANCELATION OF BULLION DEPOSITORY RECEIPTS AND MODIFICATION THEREOF	3787
CHAPTER 23: ELECTRONIC CREDIT AND DEBIT IN THE ACCOUNTS OF CLIENTS	3789
CHAPTER 24: SUSPENSION OF OPERATION OF DEMAT ACCOUNT AND/OR A BULLION DEPOSITORY RECEIPT	3789
CHAPTER 25: TRANSFER OF BALANCES	3790
CHAPTER 26: TRANSMISSION OF THE BULLION DEPOSITORY RECEIPT	3790
CHAPTER 27: PLEDGE	3790
CHAPTER 28: ACCESS TO BULLION DEPOSITORY SYSTEM BY NON SPECIFIED CLIENTS	3791
CHAPTER 29: RECONCILIATION, ACCOUNTS AND AUDIT	3379191
CHAPTER 30: MANNER OF KEEPING INFORMATION AND RECORDS	3792

CHAPTER 31: PRESERVATION OF CONFIDENTIALITY	3792
CHAPTER 32: OBLIGATIONS OF IIDIL ON OUTSOURCING	3792
CHAPTER 33: LIMITATION OF LIABILITY	3793
PART D: OTHER	
CHAPTER 34: DISCIPLINARY ACTION	3793
CHAPTER 35: APPEALS	3797
CHAPTER 36: DISCLAIMER AND INDEMNITY	3798
CHAPTER 37: CONCILIATION AND ARBITRATION	3799
CHAPTER 38: JURISDICTION	3799
CHAPTER 39: MISCELLANEOUS	3801

ANNEXURES

ANNEXURE A -

NET WORTH CERTIFICATE

ANNEXURE B -

AGREEMENT BETWEEN IIDIL AND A DEPOSITORY PARTICIPANT

ANNEXURE C -

AGREEMENT BETWEEN A PARTICIPANT AND A PERSON SEEKING TO OPEN
A BENEFICIAL OWNER'S ACCOUNT

ANNEXURE D -

AGREEMENT BETWEEN A PARTICIPANT AND A CLEARING MEMBER

ANNEXURE E -

AGREEMENT BETWEEN IIDIL AND ISSUER

ANNEXURE F -

TRIPARTITE AGREEMENT BETWEEN IIDIL, AN ISSUER AND ITS RTA

ANNEXURE G –

AGREEMENT BETWEEN IIDIL AND VAULT MANAGER

ANNEXURE A

Certificate from Statutory Auditors

This is to certify that the net worth of [•] (*Depository Participant's Name*) as on [•] (*Date/Month/Year*) as per the statement of computation of even date annexed to this report is INR [•] only.

It is further certified that the computation of net worth based on my / our scrutiny of the audited books of accounts, records and documents is true and correct to the best of my/our knowledge and as per information provided to my/our satisfaction.

Place: [•] Date: [•]

for [•] (*Name of Statutory Auditor's Firm*)

Name of Partner:

Chartered Accountant:

Membership Number:

Note: This certificate shall be given on the letterhead of the Statutory Auditors' Firm.

COMPUTATION OF NET WORTH

Sr. No	Particulars	Current Year (INR)	Previous Year (INR)
	Paid-up Capital + Free Reserves – Share Application Money (Total Reserves less Revaluation Reserves and Specified Reserves)		
	Less:		
	Accumulated Losses		
	Receivable (more than 6 months old)		
	Receivable from Group Companies		
	Intangible Assets		
	Preliminary and Pre-operative expenses not written off		
	Loan in excess of value of Pledged Securities		
	Loan in excess of value of Pledged Assets		
	Investment in Group Companies		
	Net worth required for other depositories		
	Loans and advances to group Companies		
	Statutory Contingent Liabilities		
	Sub-Total (A+B+C+D+E++F+G+H+I+J+K)		
	Available Net Worth (1-2)		

Notes:

1. Details of item mentioned under Sr. No. C, G, H, I, K and L shall be provided as annexure to the certificate.
2. In case of statutory contingent liabilities, only 50% (fifty percent) of the liabilities shall be deducted.
3. Security-wise details of all investments (quoted as well as unquoted securities) shall be provided as annexure to the certificate.

PART A: GENERAL

CHAPTER 1: TITLE AND COMMENCEMENT

In exercise of the powers conferred under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (hereinafter referred to as “the IFSCA Act” or the “Act”) read with the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as “the MII Regulations”) and the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as “the Bullion Exchange Regulations”) and other Applicable Laws, India International Depository IFSC Limited hereby makes the following Bye Laws which have been approved by the IFSCA.

- 1.1. These Bye Laws shall be called the “Bye Laws of India International Depository IFSC Limited” and are for the sake of brevity and convenience, herein referred to as “the Bye-Laws” or “these Bye Laws” or “the Bye Laws of IIDIL.”
- 1.2. These Bye Laws shall come into force with effect from such date as the International Financial Services Centres Authority (hereinafter referred to as “the IFSCA” or “IFSCA” or the “Authority”) established under the IFSCA Act grants recognition to India International Depository IFSC Limited (hereinafter referred to as “the IIDIL”) in terms of the powers given to the IFSCA under Applicable Laws or such other later date (post such recognition) as the Board of IIDIL may notify in that behalf.
- 1.3. These Bye Laws shall be in addition to the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government and the MII Regulations and the Bullion Exchange Regulations and the circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder. These Bye laws shall at all times be read subject to the provisions of the IFSCA Act, and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder and the circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, as amended from time to time and the, directives, orders, guidelines, norms and circulars issued by the Government of India and/or IFSCA from time to time.
- 1.4. In case of difference between the provisions of any Bye Laws of IIDIL and the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder and the circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder and the Bullion Exchange Regulations and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, shall prevail over the relevant Bye Law of IIDIL.

CHAPTER 2: DEFINITIONS

Unless the context otherwise requires:

- 2.1. “Applicable Laws” shall mean the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations 2021, the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015, and all rules, regulations, instructions, orders, circulars, guidelines and/or directions issued/ may be issued by the IFSCA and / or Central Government and /or SEBI or any other regulator with respect to regulation of financial products, financial services and financial institutions that are permitted in the International Financial Services Centres / IFSC are concerned, from time to time and all other applicable laws governing IIDIL and its activities in the IFSC, which may include the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Securities and Exchange Board of India (Depositories & Participants) Regulations, 2018 (to the extent applicable), Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder, Companies Act, 2013 and rules thereunder.
- 2.2. “Articles of Association” means the articles of association of IIDIL.
- 2.3. “Authority” or “IFSCA” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the IFSCA Act.
- 2.4. “Beneficial Owner” or “beneficial owner” in relation to a: (i) Securities means a person whose name is recorded as such with IIDIL and fulfils the requirement as per the Applicable Laws for a beneficial owner in relation to the Securities; (ii) Bullion Depository Receipt means a person whose name is recorded as such with IIDIL and fulfils the requirement as per the Applicable Laws for a beneficial owner in relation to the Bullion Depository Receipt, and shall have the meaning assigned to term “beneficial owner” in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.5. “Board” or “Board of Directors” means the Board of Directors of IIDIL constituted in terms of CHAPTER 3: of these Bye Laws and the MII Regulations, the Bullion Exchange Regulations and any other applicable laws.

- 2.6. “Bullion” or “bullion” shall mean precious metals, including gold, silver or any other precious metal in the form of bars or unallocated gold, silver, or such other precious metals, as the IFSCA may consider relevant in this regard, relating to good delivery, quality, quantity, and any other aspect in relation to bullion trading from time to time, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.7. “Bullion Clearing Corporation” means a Financial Institution under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the IFSCA Act, recognised by the IFSCA under the Bullion Exchange Regulations, to offer clearing and settlement functions in the Bullion Market, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.8. “Bullion Contract” means a contract for the purchase and sale of Bullion, Bullion Depository Receipts or such other Bullion products, including derivatives on Bullion, bullion spot delivery contracts, and such other contracts as may be permitted by the IFSCA, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.9. “Bullion Depository Receipt” means a receipt issued in electronic form with underlying Bullion by IIDIL, under the Bullion Exchange Regulations, to a Depositor on receipt of Bullion for storage by an empanelled Vault, which can be traded on the Bullion Exchange, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.10. “Bullion Depository System” means the electronic system of IIDIL for the purposes including but not limited to safe and accurate creation, storage, maintenance, cancellation, transfer of Bullion Depository Receipts and for creation and removal of pledge and Limited Purpose E-Auction thereof.
- 2.11. “Bullion Exchange” means a Financial Institution under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the IFSCA Act, established and recognised for the purpose of assisting, regulating and controlling Bullion Contracts in an IFSC, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.12. “Bullion Market” includes the Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, bullion depositories, Vaults, Bullion Contracts dealt therein, and any other persons involved therein, and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.13. “Bullion Trading Member” means a person having trading rights on the Bullion Exchange in terms of the Bullion Exchange Regulations and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.14. “Bullion Operating Instructions” means and includes such guidelines, circulars and manuals, containing the practices, procedures, functional and operational parameters, relating to services of the Bullion Depository System as approved and notified by the Board of IIDIL from time to time.
- 2.15. “Bye Laws” means the Bye Laws of IIDIL as amended from time to time.
- 2.16. “Clearing Corporation” means an entity that is established to undertake the activity of clearing and settlement of trades in Securities or other instruments or products that are dealt with or traded on a recognised Stock Exchange in IFSC and includes a clearing house.
- 2.17. “Clearing Member” means a person having clearing rights in any recognised Clearing Corporation.
- 2.18. “Client” means a person who has opened an account with IIDIL, for availing bullion depository services offered by IIDIL and includes a Beneficial Owner and/or Depositor, as may be applicable, who uses such services.
- 2.19. “Committee(s)” means the Committee of IIDIL formed in accordance with CHAPTER 3: of these Bye Laws.
- 2.20. “Company” means any entity formed and registered under Companies Act, 1956, the Companies Act, 2013 or any other previous company law, as applicable.
- 2.21. “Consumer” means a constituent of a Bullion Trading Member and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.22. “Corporate Action” includes any action relating to specifying dates for book closures, record dates, shut period dates for payment of interest or dividend, dates for annual general meetings, dates of redemption or maturity of Securities, dates of conversion of debentures, warrants, call money dates and such other actions taken by the Issuer from time to time.
- 2.23. “Corporate Benefits” means benefits accruing from time to time from the Issuer to the Beneficial Owner in respect of the Securities of such Issuer held by such Beneficial Owner and includes dividends, interest, bonus shares, rights, preferential allotments, warrants, discount coupons, redemption at premium and such other benefits.

- 2.24. "Depositor" means a Consumer who delivers Bullion to the Vaults empanelled with IIDIL for storage and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.25. "Demat Account" means the account of the Client opened with IIDIL, for the purposes of dealing with the Bullion Depository Receipts/ Securities listed on Bullion Exchange/ Stock Exchange in IFSC or for holding any other instrument allowed and capable of being held in such account in IFSC in terms of the Applicable Laws, as the case maybe.
- 2.26. "Disciplinary Action Committee" means the committee as formed under CHAPTER 34 of these Bye Laws.
- 2.27. "Electronic Balance" with reference to Client shall mean the net balance arrived after debit and credit of Bullion Depository Receipts issued by IIDIL as reflected in the Demat Account of the Client.
- 2.28. "Eligible Security(ies)" means a Security/ Securities or other instruments which is specified by IIDIL pursuant to Regulation 44 of the MII Regulations to be eligible for being held in dematerialized form in IIDIL in accordance with these Bye Laws and the Applicable Laws, including such securities/instruments issued or listed as per International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021.
- 2.29. "Government Securities" shall have the meaning assigned to the term "Government security" in the Government Securities Act, 2006, which securities are eligible to be issued / held / traded in IFSC.
- 2.30. "IFSC" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.
- 2.31. "IFSCA" or "the IFSCA" or "Authority" shall have the meaning as ascribed to it in Paragraph 1.2 of these Bye Laws.
- 2.32. "IFSCA Act" means International Financial Services Centres Authority Act, 2019.
- 2.33. "Information" includes data, message, text, images, sound, voice, codes, computer programs, software and databases or micro-film or computer-generated micro fiche or any other electronic form.
- 2.34. "Issuer" shall mean (i) any entity incorporated in India seeking to raise capital in foreign currency other than Indian rupee which has obtained requisite approval under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) or exchange control regulations as may be applicable; or (ii) an entity incorporated in a foreign jurisdiction, provided such entity is permitted to issue Securities outside the country of its incorporation or establishment or place of business as per the laws and regulations of its country of incorporation, jurisdiction or its constitution, or (iii) any supranational, multilateral or statutory organization/ institution/ agency provided such organization/ institution/ agency is permitted to issue Securities as per its constitution, in terms of the MII Regulations read with other Applicable Laws and as amended from time to time, and shall have the meaning as provided to it under the Applicable Laws with reference to IFSC, including such entities which can issue or list its securities in IFSC as per International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021.
- 2.35. "Key Management Personnel" or "KMP" shall have the meaning as ascribed to it under MII Regulations.
- 2.36. "Limited Purpose E-Auction" means the process of limited purpose E-Auction as may be prescribed by IIDIL for the purpose of conducting auction on an online electronic platform.
- 2.37. "Managing Director" shall have the meaning as ascribed to it under Companies Act, 2013 or under any Applicable Laws.
- 2.38. "Market Trades" means trades concluded through the trading system of a recognised Stock Exchange and cleared and settled through the Clearing Corporation which has entered into an agreement with IIDIL as required by these Bye Laws and include trades which are negotiated privately and reported for clearing and settlement through such Clearing Corporation.
- 2.39. "Off Market Transfers" means the trades that are not cleared or settled through the Clearing Corporation which has entered into an agreement with IIDIL in terms of these Bye Laws.
- 2.40. "Operating Instructions" means and includes such instructions, specifications, guidelines, circulars and manuals, containing the practices, procedures, functional and operational parameters, relating to dealing of Eligible Security by IIDIL, including the interface and method of transmission of information between IIDIL, Issuers, issuers' agents/ RTAs, Participants and Beneficial Owners, as approved and notified by the Board of IIDIL from time to time.
- 2.41. "Other Depository" means a depository in an IFSC recognized by the Authority, other than IIDIL, which is registered and established in accordance with the provisions of the IFSCA Act and the MII Regulations.

- 2.42. “Participant” means a person registered as such under Section 12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended from time to time and shall include such persons which are recognized as such in terms of the Applicable Laws.
- 2.43. “Pledgee” means the person having an account with IIDIL in whose favor the Client/Depositor has pledged the Bullion as security for the financial assistance.
- 2.44. “Relevant Authority” shall mean the Board, IFSCA, or such other authority/ Committee of IIDIL as specified by the IFSCA from time to time as relevant for a specified purpose.
- 2.45. “RTA” means a Registrar to an issue of any Securities and/or a transfer agent in respect of any Securities appointed by the Issuer in that behalf who has been granted the certificate of registration under Applicable Laws.
- 2.46. “Security” or “Securities” shall have the meaning as ascribed to it under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and shall include Eligible Securities and / or such instruments as may be notified / allowed to be held / traded / dealt with, in the IFSC, including such securities issued in terms of International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021.
- 2.47. “Services” means depository services in relation to the Securities and Bullion Depository Receipts to be traded on the Stock Exchange/ Bullion Exchange in IFSC and /or as part of the Bullion Depository System, including such services as may be notified by the Board or under Applicable Laws, from time to time.
- 2.48. “Stock Exchange” means an entity established under Applicable Laws for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in Securities in IFSC.
- 2.49. “User” means and includes any market intermediary interacting with IIDIL and shall include Participants, Issuers, RTAs, Clearing Corporations and Clearing Members.
- 2.50. “Vault” means any premises wherein the Vault Manager takes custody of the Bullion deposited by the Depositor and includes a place for storage as approved by the IFSCA and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.51. “Vaulting Business” means the business of establishing and maintaining Vaults for storage of Bullion and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.
- 2.52. “Vault Manager” means a person, registered by the IFSCA who manages the Vault empanelled by IIDIL for carrying on the Vaulting Business and shall have the meaning assigned to term in the Bullion Exchange Regulations, as amended from time to time.

Wherever the terms “Participant,” “Beneficial Owner,” “Issuer” and “RTA” occur in these Bye Laws, unless otherwise warranted by the context or meaning thereof, the same shall mean a “Participant,” “Beneficial Owner,” “Issuer” and “RTA” in relation to IIDIL

Words and expressions used but not defined in these Bye Laws but defined under Applicable Laws shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder read with Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 (to the extent applicable), and rules, regulations, circulars, notifications issued therein, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder.

IIDIL may from time to time make such amendments or modifications to the annexures to the Bye Laws as it may deem fit, with the prior approval of IFSCA, consistent with the provisions of the IFSCA Act read with the MII Regulations and the Bullion Exchange Regulations. All agreements between IIDIL and counter parties and amongst counter parties as per Bye Laws that have already been executed as on the date of such amendment or modification, shall ipso facto be deemed to have stood amended and/or modified in accordance with amendment or modification effected to the concerned annexure with effect from the date of such amendment or modification.

CHAPTER 3: BOARD OF DIRECTORS AND COMMITTEES

- 3.1. The Board of Directors of IIDIL, constituted in accordance with the provisions of the Applicable Laws including the Companies Act, 2013 and its Articles of Association, may organize, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of IIDIL, subject to the provisions of Applicable Laws including MII Regulations, Bullion

- Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws, for the time being in force, governing IIDIL and its functions.
- 3.2. The Board of Directors shall have the authority to formulate, amend, and repeal the Bye Laws which are required for effective and smooth functioning, operation and regulation of the operations of IIDIL, subject to approval from IFSCA.
- 3.3. The roles and responsibilities of the Board shall be such as provided under the Articles of Association and shall be subject to the provisions of Applicable Laws including MII Regulations, Bullion Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws, for the time being in force, governing IIDIL and its functions.
- 3.4. The Board of Directors shall review the overall performance and the performance of its individual directors regularly, as may be required under Applicable Laws.
- 3.5. Code of Conduct for directors and key management personnel
- 3.5.1. Every director and key management personnel of IIDIL and such other persons as may be specified by IFSCA, or the Board or Relevant Authority from time to time in this regard, shall adhere to the Code of Ethics and Conduct as may be prescribed by IFSCA from time to time.
- 3.6. Fit and proper person:
- 3.6.1. Every director and key management personnel of IIDIL and such other persons as maybe specified by IFSCA/ Board/ Relevant Authority from time to time in this regard, must fulfill the requirements for a 'fit and proper' person as may be prescribed by IFSCA/ the Board/ Relevant Authority from time to time.
- 3.7. Committees:
- 3.7.1. The Board shall constitute such Committees as may be required under the Applicable Laws, including such committees, from time to time, comprising members of the Board or such others as the Board may in its discretion deem fit or necessary.
- 3.7.2. One or more Committee(s) may be appointed by the Board for the purposes of managing the day-to-day affairs of IIDIL
- 3.7.3. The Board of Directors shall have the authority to issue directives from time to time to the Committees or any person or persons to whom any powers have been delegated by the Board of Directors, and such directives shall be binding on the Committee and/or such other person/ persons as the case may be.
- 3.7.4. Powers of the Committee: Subject to the Applicable Laws:
- 3.7.4.1. The Board may delegate from time to time to the Committee(s) such powers vested in them and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of IIDIL and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
- 3.7.4.2. The Committee(s) shall be bound and obliged to carry out and implement any directives issued by the Board from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Committee(s) as may be prescribed.
- 3.7.4.3. A Committee(s) so constituted may constitute, subject to the terms and conditions of its constitution, such sub-committees for such purposes as it may deem fit. The constitution, powers and responsibilities of such sub-committee(s) may be determined by the Committee which constitutes such sub-committee(s).
- 3.7.4.4. The Committee may from time to time and subject to the terms and conditions of its constitution, authorise Managing Director or such other person(s) to carry out such acts, deeds and functions in accordance with such provisions as may be laid down in this regard for fulfilling the responsibilities and discharging the powers delegated to it by the Board.
- 3.7.5. Disqualification of member of the Committee
- 3.7.5.1. Subject to the provisions of the Applicable Laws, no person shall be eligible to be a member of a Committee(s), if he suffers any disqualification as provided in the Articles of Association or as specified by IFSCA/ Central Government / Board/ Relevant Authority. A member of the Committee shall, ipso facto, be deemed to have vacated the office, if he suffers any such disqualification, provided however that nothing done in good faith by such person in his capacity as a member of such Committee shall be rendered invalid merely because such act, deed, matter or thing may have been done by him subsequent to his disqualification but without knowledge of his disqualification.

3.7.6. Meetings of the Committee

- 3.7.6.1. A Committee may decide on the mode and manner of transacting its business including for dispatch of business, adjournment, physical/ virtual meetings, frequency of meetings, voting at meetings (including proxy voting, if any), circular resolutions or any other matter as may be specified by the Board from time to time and otherwise regulate its meetings and proceedings as it thinks fit, subject to the directions as may be laid down by the IFSCA/ Central Government / Board/ Relevant Authority in this behalf.
- 3.7.6.2. The quorum for a meeting of the Committee shall be as laid down by the IFSCA/ Central Government / Board/ Relevant Authority in this behalf from time to time.
- 3.7.6.3. The Chairman of the Committee or any employee of IIDIL under the authority of the Chairman may at any time convene a meeting of such Committee.
- 3.7.6.4. Decisions at any meeting of the Committees shall be taken as provided in the Articles of Association or as specified by IFSCA/ Central Government / Board/ Relevant Authority.
- 3.7.6.5. At all meetings of the Committee, the Chairman shall ordinarily preside and in his absence, the members of the Committee present may choose one from among themselves to be the Chairman of such meeting in accordance with the manner prescribed, if any, by IFSCA/ Central Government / the Board/ Relevant Authority. A member of the Committee shall disclose his/her interest in the business, if any, before the meeting and shall abstain from discussions, voting and decisions on the said matter. If the Chairman is interested in the business of the meeting, he shall abstain from chairing the meeting.

3.7.7. Chairman

- 3.7.7.1. The members of the Committee may elect a Chairman from amongst themselves, who shall be the chairman of the Committee in accordance with directives/regulations issued by IFSCA/ Central Government/ Board/ Relevant Authority, if any.
- 3.7.7.2. The Chairman may assume and exercise all such powers and perform all such duties as may be delegated to him by the Committee from time to time.
- 3.7.7.3. The Chairman, and in his absence, a person elected by the Committee, shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Committee whenever he/she be of the opinion that immediate action is necessary, subject to such action being confirmed by the Committee.
- 3.7.7.4. The Committee, at its meeting at which a quorum is present, shall be competent to exercise all or any of the powers and discharge all such functions as are vested in or exercisable by such Committee.

PART B: DEALING IN SECURITIES

The provisions of this part shall apply to Participants, Issuer, RTAs, Beneficial Owners and any other entity/ person dealing with any Securities / Eligible Securities / Government Securities or other securities in IFSC, as the case may be and as applicable.

CHAPTER 4: POWER TO ISSUE OPERATING INSTRUCTIONS AND COMMUNIQUÉS

- 4.1. IIDIL shall be entitled to issue, from time to time, instructions, specifications and guidelines, to be known as "Operating Instructions," explaining all aspects of its functioning and operations, including the interface and method of transmission of information between IIDIL, Issuers, issuers' agents/ RTAs, Participants and Beneficial Owners.
- 4.2. Subject to the provisions of MII Regulations and other Applicable Laws, IIDIL shall have power to repeal, delete, amend and/or alter the Operating Instructions or any part thereof or issue new or fresh Operating Instructions from time to time provided however that IIDIL shall inform IFSCA of the same and submit a copy of the Operating Instructions or the amendment to or modification thereof, as the case may be, at least seven working days before the same are given effect to by IIDIL.
- 4.3. Without prejudice to the generality of the foregoing, IIDIL may issue Operating Instructions inter alia, with respect to:
 - 4.3.1. mode of functioning and operation in the depository system of IIDIL;
 - 4.3.2. norms which shall be required to be followed by the Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations while acting as such;

- 4.3.3. hardware and software required to be installed and maintained by Participants, Issuers, RTAs and Clearing Corporations;
- 4.3.4. determination from time to time, fees, system usage charges, deposits, margins, penalties and other monies payable to IIDIL by the Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations;
- 4.3.5. detailed procedure for dematerialization and rematerialization of Securities;
- 4.3.6. procedure for opening, operating, maintaining and closing Beneficial Owner's account with a Participant;
- 4.3.7. conduct of business with the Clearing Corporations and Clearing Members;
- 4.3.8. communication of information relating to transactions and holdings by IIDIL to Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations and by the Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations inter se and by Participants to IIDIL and their Beneficial Owners;
- 4.3.9. reconciliation of records between IIDIL and Participants, Issuers, RTAs, and Clearing Corporations;
- 4.3.10. records and books of account to be maintained by Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations;
- 4.3.11. administration, maintenance and investment of all fund(s) set up by IIDIL, including the corpus, accretions and contributions of or to the fund(s);
- 4.3.12. requirements, manner and format for submission of periodic returns by Participants, Issuers, RTAs, Clearing Members and Clearing Corporations to IIDIL in relation to their activities in connection with IIDIL;
- 4.3.13. manner and form in which the Participants, Issuers, RTAs and Clearing Corporations shall maintain continuous electronic means of communication with IIDIL;
- 4.3.14. the working days and hours of IIDIL and the hours of business operations;
- 4.3.15. any other matter as may be decided by IIDIL
- 4.4. IIDIL shall be entitled to issue, from time to time notices, circulars and information (hereinafter called as "Communiqués") to Participants, Issuers, RTAs, Clearing Corporation and Clearing Members for implementation of and/or clarification on any aspect of Bye Laws or the Operating Instructions or on any procedural or operational issue. All such Communiqués shall bind the Participants, Issuers, RTAs, Clearing Corporation or Clearing Members with the same force and effect as the Bye Laws and the Operating Instructions.

CHAPTER 5: PARTICIPANTS

5.1. Admission of Participants

- 5.1.1. Any person desiring to be admitted as a Participant shall submit an application for grant of certificate of initial registration / approval as a Participant to IFSCA through IIDIL, in such form together with fees specified under Applicable Laws. However if an applicant is already a Participant of another depository and desires to become a Participant of IIDIL then it shall submit an application to such other depository for admission to IIDIL as a Participant. Such other depository may grant approval to the applicant after exercising due diligence and internal approval process and on being satisfied about the compliance of all relevant eligibility requirements. The applicant need not make a separate application to IFSCA for grant of certificate of initial registration. However, the prospective Participant has to make the applicable payment of fees to IFSCA through IIDIL before activating as Participant with IIDIL
- 5.1.2. Such application shall be accompanied by such fees, security deposits and/or such other sums of monies payable to IIDIL as may be specified by IIDIL / IFSCA in accordance with the Applicable Laws.
- 5.1.3. Every application shall be dealt with by IIDIL within 30 (thirty) days of receipt of such application and if such application meets the criteria for admission laid down by IIDIL, IIDIL shall forward the same to the IFSCA with its recommendations.
- 5.1.4. An application, which is not complete in all respects and does not conform to the requirements specified shall be rejected. IIDIL may, before rejecting any application, give to the applicant in writing, an opportunity to remove within such time as may be specified by IIDIL, the objections indicated by it.
- 5.1.5. IIDIL may require the applicant to furnish such further information or clarifications as may be required within such time as it may specify. On failure to provide any information within the time provided or such further time as may be granted, the application shall be deemed to have been withdrawn.
- 5.1.6. The Board of Directors may delegate the power to scrutinize, process, evaluate and accept or reject an application to a committee of directors as it may deem fit.
- 5.1.7. The Committee to whom the powers are so delegated may accept or reject any such application and shall, if the application is rejected, set out in writing the grounds for such rejection. IIDIL shall convey the grounds on

which the application has been rejected to the applicant. The applicant may appeal to the Board of Directors against such rejection and the decision of the Board of Directors in this regard shall be final.

5.1.8. Every Participant who is admitted as such in IIDIL shall be required to pay to IIDIL such amounts by way of admission fees, annual fees or any other fees for the due performance of its duties and obligations within such time as may be specified by IIDIL. IIDIL shall not be obliged to pay any interest to the Participant on any sum received by IIDIL as security or deposit unless otherwise agreed by IIDIL.

5.1.9. IIDIL shall have the right to call upon the Participant to make such contribution and/or additional contributions towards funds, and to pay such fees, deposits, and additional security deposit in cash or in kind, or to furnish any additional guarantee or to require the deposit of any monies in respect of contribution to funds for protection of the interests of Beneficial Owners.

5.2. Admission Criteria

5.2.1. No applicant shall be eligible to be admitted as a Participant to IIDIL unless and until the applicant shall have met with the eligibility criteria as set forth thereof in the Bye Laws and/or Operating Instructions by IIDIL from time to time, if any.

5.2.2. The applicant shall satisfy all the following conditions:

5.2.2.1. The applicant has furnished such information and details pertaining to its business and equity holding relating to a minimum period of 3 (three) years immediately preceding the date of the application or from the date of its inception, if less than 3 (three) years.

5.2.2.2. The applicant (including any partner, where the applicant is a partnership firm, and any director or any person holding any substantial interest in or being otherwise in a position to control the affairs of the applicant, where the applicant is a company or other body corporate) should not have been convicted in any of the 5 (five) years immediately preceding the filing of the application in any matter involving misappropriation of funds and Securities, theft, embezzlement of funds, fraudulent conversion, forgery or any other offence involving moral turpitude;

5.2.2.3. The applicant (including any partner, where the applicant is a partnership firm, and any director or any person holding any substantial interest in or being otherwise in a position to control the affairs of the applicant, where the applicant is a company or other body corporate) should not have been expelled, barred or suspended by IFSCA or by any other authority or recognised Stock Exchange. Provided however that, if a period of 3 (three) years or more has elapsed from the expiry of the period of expulsion, debarment or suspension, as the case may be, IIDIL may, in its discretion, consider such application.

5.2.2.4. Net worth requirement: The applicant shall meet the minimum net worth as may be specified under Applicable Laws from time to time. The applicant shall submit to IIDIL, a Net worth Certificate (including the computation thereof) based on the audited books of accounts, and calculated and itemized in the manner and form as may be specified from time to time in the Operating Instructions issued by IIDIL from time to time and duly certified by a Statutory Auditor or Practicing Chartered Accountant.

5.2.2.5. The applicant shall have furnished the details of its Board of Directors/ Partners / Authorised Officials as the case may be, who shall be responsible for the conduct of the business of the applicant as a Participant.

5.2.2.6. The applicant shall have on its staff such number of persons as IIDIL may specify who are adequately trained or who, in the opinion of IIDIL, are otherwise sufficiently qualified or have adequate skill and knowledge relating to the operational, functional and technical aspects of the working of IIDIL system.

5.2.2.7. The applicant shall have appointed a Compliance Officer to interact with IIDIL on its behalf for compliance with these Bye Laws and for resolution and redressal of Beneficial Owners' grievances.

5.2.2.8. The applicant has adequate office space exclusively for IIDIL operations.

5.2.2.9. The applicant has made adequate arrangements for conducting effective and safe depository operations including security measures, software and hardware requirements, risk containment and insurance requirements, as specified by IIDIL

5.2.2.10. Grant of permanent registration of Participants:

5.2.2.10.1. A Participant who has been granted a certificate of initial registration may, 3 (three) months before the expiry of the period of certificate of initial registration, make an application through any of the depositories in which it is acting as a Participant for grant of a certificate of permanent registration in such form together with fees specified by IFSCA.

5.2.2.10.2. The Participant who has already been granted a certificate of registration or has obtained renewal of certificate of registration, may 3 (three) months before the expiry of validity of certificate of registration or before, make an application through any of the depositories in which it is acting as a Participant for grant of a certificate of permanent registration in such form together with fees specified by IFSCA.

Provided however that the applicant, its directors, proprietor, partners and associates satisfy the Fit and Proper Criteria as provided under the MII Regulations and other Applicable Laws.

Provided however that the applicant has taken satisfactory corrective steps to rectify the deficiencies or irregularities observed in the past inspections or in case of actions initiated / taken by IFSCA / depository(s) or other regulators.

Provided however that, the applicant has paid all pending fees / dues payable to IFSCA and depository and no amount is overdue.

5.2.2.10.3. The application for grant of a certificate of permanent registration shall be accompanied by details of the changes that have taken place in the information that was submitted to IFSCA while seeking initial registration or renewal, as the case may be, and a declaration stating that no changes other than those as mentioned in such details have taken place.

5.2.2.10.4. The application for permanent registration shall be dealt with in the same manner as if it were a fresh application for grant of a certificate of initial registration. Provided that the Relevant Authority may, in its discretion and in the interest of Beneficial Owners, consider an application for permanent registration of an existing Participant in case falling under Bye Law 5.2.2.3., if the period of expulsion, debarment or suspension has expired, even though a period of 3 (three) years has not elapsed from such expiry.

5.3. Rights and Obligations of Participants in relation to IIDIL

5.3.1. No Participant shall conduct any business as a Participant unless it has entered into an agreement with IIDIL as per Annexure "B" to these Bye Laws.

5.3.2. A Participant while conducting any business as a Participant with a Beneficial Owner shall act as an agent of IIDIL.

5.3.3. The Participant shall not effect a debit or credit to the account of a Beneficial Owner without appropriate instruction from the Beneficial Owner or IIDIL.

5.3.4. Separate accounts shall be maintained by every Participant in the name of each of its Beneficial Owners and the Securities of each Beneficial Owner shall be segregated, and shall not be mixed up with the Securities of other Beneficial Owners or with the Participant's own Securities.

5.3.5. The Participant shall submit the following information to IIDIL:

5.3.5.1. Net worth certificate: The Participant shall submit Net worth certificate to IIDIL every year in form as provided under Annexure "A" herein and any additional requirements as may be prescribed in the Operating Instructions.

Provided that when IIDIL is satisfied that the circumstances warrant an extension of time to furnish the net worth certificate, it may grant such extension to the Participant.

5.3.5.2. In the case of a Participant being a broker dealer as per IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, the Participant shall ensure that the aggregate market value of portfolio of Securities of all the Beneficial Owners held in dematerialised form in IIDIL through him shall be as specified by IFSCA from time to time and if it so exceeds on any given day, the Participant shall forthwith inform IIDIL about it. IIDIL shall have a right to give such instructions as it deems fit in order to reduce the aggregate market value of portfolio of Securities of all the Beneficial Owners held in dematerialised form in IIDIL through such Participant.

- 5.3.5.3. In case the Participant is a member of any recognised Stock Exchange and/or any Clearing Corporation, in the event of violation of any rules, regulations or bye-laws of the Stock Exchange or the Clearing Corporation or in the event of suspension or termination of its membership by the Stock Exchange or the Clearing Corporation as the case may be, the Participant shall forthwith inform IIDIL of the same.
- 5.3.5.4. The number of complaints received from Beneficial Owners during the previous month, unresolved complaints of previous period, their nature, status and manner of redressal, once every month;
- 5.3.6. It shall be the responsibility of each Participant to promptly check and reconcile with its own records the details of all advices, statements and reports received by the Participant from IIDIL and to promptly notify IIDIL of any error or omission contained in such advices, statements and reports.
- 5.3.7. Any advice, statement or report provided by IIDIL shall in the absence of manifest error or fraud be conclusive as to its subject matter. Except as otherwise agreed by IIDIL, the failure of a Participant to inform IIDIL of any error or omission in any advice, statement or report within the time frame stipulated by IIDIL shall constitute a waiver in favour of IIDIL by such Participant of any right to require rectification.
- 5.3.8. IIDIL may, if it is satisfied that it is in the interest of the Beneficial Owners, entertain a late request by a Participant to rectify an error or omission as aforesaid. If IIDIL entertains a late request by a Participant, the Participant shall be liable for any loss caused due to such late request.
- 5.3.9. Every Participant shall reconcile its records with those of IIDIL on a daily basis.
- 5.3.10. IIDIL may at any time require a Participant to provide on demand, security or additional or collateral security in such form, extent and manner as is determined by IIDIL. For determining the amount of security or additional or collateral security, IIDIL shall take into account inter alia, the level of unreconciled balance and excess or deficit balance of Securities due to any fraud, negligence, error or omission on the part of the officers, agents and employees of the Participant. The security shall be in addition to and independent of any security which IIDIL may at any time hold for the obligations and liabilities of such Participant.
- 5.3.11. Without prejudice to the above, IIDIL may, for the purpose of deciding whether or not to require a Participant to provide security, specify exposure limits on a Participant.
- 5.3.12. A Participant shall not create or permit the creation of any mortgage, charge or other encumbrance over all or any of the assets provided as security or for such similar purpose to IIDIL.
- 5.3.13. A Participant shall, before opening any account or while acting upon the instruction of any Beneficial Owner:
 - 5.3.13.1. make such inquiries as may be necessary and exercise due care and caution in ascertaining the bona fides of the intending Beneficial Owner inter alia, by carrying out appropriate due diligence;
 - 5.3.13.2. scrutinize the authenticity of the documents produced by the Beneficial Owner for opening the account or for dematerialisation of Securities.
 - 5.3.13.3. in case of joint owners of Securities, obtain authority in writing from all such joint owners.
- 5.3.14. Subject to the provisions of any Applicable Laws, every Participant shall preserve for a minimum period as provided under the MII Regulations and IFSCA (Capital Market Intermediaries), 2021 Regulations, all original documents and records in accordance with the MII Regulations and IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 as amended from time to time, including account opening forms, agreements with Beneficial Owners, document / form containing an acknowledgement of a Beneficial Owner of receipt of Rights and Obligations document, dematerialisation request forms, rematerialisation request forms and instructions received from Beneficial Owners.
- 5.3.15. Every Participant shall be primarily responsible for payment to IIDIL of all charges, fees, dues, and penalties in respect of all transactions carried out by or through that Participant in IIDIL irrespective of whether the Participant has recovered any such amount from the concerned Beneficial Owner or not, such recovery from the Beneficial Owner being the sole responsibility of the Participant.
- 5.3.16. Every Participant shall carry out instructions received from any Beneficial Owner on the same day in as far as may be possible and failing that before the close of working hours of the immediately succeeding working day.
- 5.3.17. Every Participant shall have a lien on and shall be entitled with the prior approval of IIDIL, to exercise lien on any Securities belonging to the Beneficial Owners held in dematerialised form in any account with the Participant by freezing all operations by the Beneficial Owner in respect of Securities held in the Beneficial

Owner's account with the Participant, as security for recovery of dues owed by Beneficial Owner to the Participant in his capacity as such including any compensation for any loss caused to the Participant and/or IIDIL by reason of fraud, negligence or mistake on the part of the Beneficial Owner. The Participant shall, upon receipt of such approval from IIDIL, give notice in writing to the concerned Beneficial Owner of the exercise of such lien by the Participant in respect of such of the Securities held in the Beneficial Owner's account as IIDIL may specify.

- 5.3.18. The Participant shall, upon discovering any loss of any Securities, instruments, or documents, that may have come into the hands of the Participant in the course of its business, forthwith notify IIDIL, and the concerned Issuer or its RTA and Beneficial Owner in that behalf.
- 5.3.19. It shall be the responsibility of every Participant to ensure that proper stamp duty, if applicable, in accordance with Applicable Law is paid by the Beneficial Owners and Clearing Members holding accounts with the Participant in respect of all transactions effected by or through the Participant.
- 5.3.20. IIDIL may apply all or any of the Securities (including all rights and entitlements thereto, if any) owned or belonging to and furnished by a Participant at any time without prior notice to a Participant in or towards satisfaction of any of the obligations and liabilities of such Participant to IIDIL or such Participant's obligations and liabilities to its Beneficial Owners.
- 5.3.21. In respect of any sums received by IIDIL from a Participant as security, the obligation of IIDIL to such Participant shall be to the extent of the amount remaining after satisfaction of all obligations and liabilities (actual or contingent) of such Participant to IIDIL, Beneficial Owners, Issuers, RTAs, Clearing Corporation and other Participants.
- 5.3.22. Every Participant shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its officers, employees and agents from all harm, loss, damage, injury, taxes, penalties, levies, cesses and duties whatsoever, and from and against all suits, action, arbitration, disciplinary action, prosecution or other proceedings (including all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by IIDIL, its officers, employees or agents or any of them, whether directly or indirectly on account of or as a result of any act, deed, matter or thing made done committed or omitted, or suffered or permitted or caused to be done by the Participant, its officers, employees, servants or agents contrary to or inconsistent with or in breach of any provision/s of the Applicable Law, these Bye Laws, or the terms, condition and covenants contained in its agreement with IIDIL or by reason of any mistake, error, misfeasance, willful misconduct, misrepresentation, fraud, forgery, theft, misappropriation or breach of trust by the Participant, its officers, employees, servants or agents or on account of the Participant failing to meet any of its obligations and/or liabilities to IIDIL and/or to any of its Beneficial Owners and/ or to any Participants, Issuers, RTAs, and Clearing Corporations.
- 5.3.23. For the purpose of determining whether a Participant is liable for any acts or omission under Applicable Laws, these Bye Laws, agreements, Operating Instructions issued by IIDIL, the acts or omissions, whether done intentionally or not, of its officers, employees, servants and agents, shall be deemed to be acts or omissions of the Participant.
- 5.3.24. In case where IIDIL, its officers, employees and agents suffer or incur harm, loss, damage, injury, taxes, penalties, cesses, duties, suit, action, arbitration, disciplinary action, prosecution or other proceedings (and all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by them or any of them, whether directly or indirectly on account of or as a result of any act, deed, matter or thing made done committed or omitted, or suffered or permitted or caused to be done or any default or breach of the Applicable Laws, these Bye Laws, agreements, and Operating Instructions issued by IIDIL or any misrepresentation, fraud, forgery, theft, misappropriation or breach of trust by the Participant, its officers, employees, servants or agents or on account of the Participant failing to meet any of its obligations and/ or liabilities to IIDIL and/ or to any of its Beneficial Owners and/ or to any Participants, Issuers, RTAs, and Clearing Corporations, IIDIL shall have the right to recover from such Participant, such amount as IIDIL may deem fit and appropriate. In case any loss is caused to the Beneficial Owner due to the negligence of any Participant, IIDIL shall indemnify the loss incurred by such Beneficial Owner and where such loss due to the negligence of the Participant is indemnified by IIDIL, IIDIL shall have the right to recover the same from such Participant.
- 5.3.25. Notwithstanding anything to the contrary in the Bye Laws, IIDIL shall not be bound to give effect to any transaction or take any other action upon the instructions of a Participant if it would violate any applicable law, decree or order of a competent court or tribunal or an order of the Central or State Government or IFSCA or other competent authority.

- 5.3.26. Any order of a Court, Tribunal, Government or other competent authority relating to freezing of a Beneficial Owner account or taking any action in relation to a Beneficial Owner account which is within the purview of obligations cast on a depository under Applicable Laws, shall be effected by IIDIL or Participant only on receipt from such authority the Beneficial Owner Identification Number (BOID) or Permanent Account Number (PAN) coupled with specific directions if the same are not set out in such order with sufficient accuracy.
- 5.3.27. Nothing herein contained shall prevent IIDIL from effecting any transaction or refusing to give effect to any transaction in compliance with any decree or order of a competent court or tribunal or an order of the Central or State Government or IFSCA or that of any other competent authority.
- 5.3.28. IIDIL reserves the right to rectify any erroneous transaction made to the account of any Beneficial Owner with a Participant. In the event of IIDIL carrying out any rectification, IIDIL shall inform the concerned Participant and Beneficial Owner of such rectification.
- 5.3.29. Without prejudice to any other right IIDIL may have, in the event of any erroneous transaction having been effected on account of any error, mistake or negligence on the part of the Participant resulting in a negative balance in the account of any Beneficial Owner, IIDIL may:
- 5.3.29.1. require the Participant to replenish the relevant Securities forthwith;
- 5.3.29.2. require the Participant to pay to it forthwith a cash sum of such amount as IIDIL considers appropriate as security and the only obligation of IIDIL in respect of such sum so paid by the Participant shall be to pay such Participant an amount equal to the balance remaining to its credit after satisfaction of all obligations and liabilities (actual or contingent) of such Participant to IIDIL or to a Beneficial Owner. IIDIL may itself at any time purchase as replenishment, eligible Securities on behalf of the Participant, at such price as may be determined by IIDIL to be the prevailing market price and terms, if any, or in other cases at its discretion on the terms available. The cost and other expenses incurred by IIDIL in connection with purchase shall be borne by the Participant.
- 5.3.30. Each Participant shall be responsible to indemnify IIDIL against all costs, fees, expenses, liabilities, losses and damages of any nature whatsoever incurred by IIDIL as a result of or in connection with the purchase or replenishment of eligible Securities by IIDIL on behalf of the Participant.
- 5.3.31. No Participant shall assign its business and/or functions as a Participant or entrust the control or conduct of its business and/or functions to any person except with the prior written approval of IIDIL and subject to such terms and conditions as IIDIL may stipulate from time to time. For the purposes of this clause, any substantial change in the share holding pattern or constitution of the Board of Directors or in the composition of the partnership shall constitute an assignment of the business and/or functions.
- 5.3.32. It shall be the duty of the Participant to ensure that no account of any Beneficial Owner is opened unless it complies with all the provisions of Applicable Laws, these Bye Laws including any Operating Instructions, Communiqués, letters or communication in any form issued by IIDIL and circulars issued by IFSCA, from time to time as may be applicable.
- 5.4. Rights and Obligations of Participants in relation to Beneficial Owners
- 5.4.1. No Participant shall conduct the business as a Participant unless the Beneficial Owner has acknowledged receipt of "Rights and Obligations of the Beneficial Owners and Depository Participant" document, as may be specified by IFSCA/ IIDIL from time to time, hereinafter for the sake of convenience referred to as "DP-BO Rights and Obligations document." Both, the Participant and the Beneficial Owner shall be bound by and adhere to the statutory DP-BO Rights and Obligations document as may be provided in the Operating Instructions from time to time. To the extent of any difference between the agreement that the Beneficial Owner may have executed with the Participant and the DP-BO Rights and Obligations document, the latter shall prevail. DP-BO Agreement, a specimen whereof was annexed as Annexure-C to these Bye Laws shall cease to be operative from the date DP-BO Rights and Obligations document comes into operation.
- Provided however that the Participant need not provide a copy of and/or preserve acknowledgement of receipt of DP-BO Rights and Obligations document if the Beneficial Owner belongs to such categories as provided under the Applicable Laws for which such exemption is provided.
- 5.4.2. In the event of closure of a Beneficial Owner account by either of the parties, or on withdrawal of the authority conferred on the Participant by the Beneficial Owner, the parties shall take necessary steps to act on the same.
- 5.4.3. Notwithstanding closure of the account either by the Participant or the Beneficial Owner, the provisions of the DP-BO Agreement or the DP-BO Rights and Obligations document, as the case may be, and all mutual rights

and obligations arising there from shall continue to be binding on the parties in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the operation of either the DP-BO Agreement or the DP-BO Rights and Obligations document. Provided however that the provisions of the DP-BO Agreement will not be binding on the parties in relation to any dealing or operations in so far as such dealing or operations are contrary to and/or inconsistent with such closure or withdrawal.

- 5.4.4. Only after the Beneficial Owner shall have acknowledged receipt of and thereby shall have agreed to be bound by DP-BO Rights and Obligations document shall that Beneficial Owner be permitted by that Participant to open an account with it for holding security balances on behalf of such Beneficial Owner. The account so opened shall be separate and distinct from accounts of other Beneficial Owners with that Participant.
- 5.4.5. The Participant shall act on the instructions of the Beneficial Owner or of such person as may have been duly authorised by the Beneficial Owner in that behalf in the manner specified by IIDIL
- 5.4.6. The Participant shall maintain a separate account for each Beneficial Owner and ensure that the Securities of the Beneficial Owner are not mixed with its own Securities.
- 5.4.7. In the event of multiple instructions received from the Beneficial Owner relating to transfer of Securities which exceed the balance in the account of the Beneficial Owner maintained with the Participant, the sequence of execution of instructions by the Participant shall be as follows:
 - 5.4.7.1. in the event of the Beneficial Owner specifying the sequence of execution of instructions, in the same sequence as specified by the Beneficial Owner to the extent it can be executed with the balance available in that Beneficial Owner's account with the Participant;
 - 5.4.7.2. in the absence of specific instructions from the Beneficial Owner in the chronological order in which such instructions are received from the Beneficial Owner, to the extent it can be executed with the balance available in that Beneficial Owner's account with the Participant.
- 5.5. Termination, Suspension and Withdrawal
 - 5.5.1. Termination by IIDIL
 - 5.5.1.1. IIDIL may, if it is satisfied that it is necessary so to do, at any time and on such conditions as it thinks fit, terminate the agreement with the Participant by communication in writing under the following circumstances:
 - 5.5.1.1.1. the Participant no longer meets the eligibility criteria to be a Participant;
 - 5.5.1.1.2. in the event of the death or incapacity of a Participant being an individual, or the dissolution of a Participant being a partnership;
 - 5.5.1.1.3. in the event of a Participant being a company or body corporate when it is wound up or an official liquidator or provisional liquidator is appointed under the applicable laws of incorporation of such company or body corporate;
 - 5.5.1.1.4. in the event of a Participant ceasing to do business which relates to IIDIL operations;
 - 5.5.1.1.5. IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant is approaching financial difficulty or will be unable to meet its obligations to IIDIL or its Beneficial Owners;
 - 5.5.1.1.6. in the event of any distress, execution or other process being levied or enforced or served upon or against any property of a Participant;
 - 5.5.1.1.7. in the event of bankruptcy, insolvency, liquidation or winding up of a Participant or the initiation of any proceedings in relation thereto or if IIDIL considers in its absolute discretion that the occurrence of such events are imminent or likely;
 - 5.5.1.1.8. in the event of the appointment of a receiver or administrator over the assets of a Participant or in the event of a Participant suffering a composition with its creditors or in the event of a scheme of arrangement being approved by the court (other than for the purposes of reconstruction or amalgamation) or in the event of IIDIL considering in its absolute discretion that the occurrence of such events are imminent or likely;
 - 5.5.1.1.9. in the event of failure to pay security deposits, fees or any other charges as required under these Bye Laws or the agreement with IIDIL or furnish additional or collateral securities as may be required by IIDIL;
 - 5.5.1.1.10. in the event of failure of a Participant to fulfill the obligations arising out of the indemnification of IIDIL by the Participant;

- 5.5.1.1.11. IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant has been responsible for negligence, fraudulent or dishonest conduct or has made a material misstatement or omitted to state a material fact in any statement to IIDIL;
- 5.5.1.1.12. the Participant has violated or committed any breach or default in the observance or performance of any provisions of Applicable Laws these Bye Laws, or agreement with IIDIL or has failed to comply with any Operating Instructions of IIDIL;
- 5.5.1.1.13. the Participant's registration granted by IFSCA or by any other governmental agency has been suspended or cancelled;
- 5.5.1.1.14. if the Participant is a member of a Stock Exchange, the Participant has been expelled, or its trading privileges have been suspended by the Stock Exchange;
- 5.5.1.1.15. the Participant has failed to redress grievances of Beneficial Owners to the satisfaction of IIDIL;
- 5.5.1.1.16. IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant has been carrying on its activities in a manner which is detrimental to the interest of IIDIL and/or Beneficial Owners or that the termination of relationship with the Participant is necessary for the protection of Beneficial Owners or other Participants or to facilitate the orderly performance of services rendered by IIDIL.
- 5.5.1.1.17. the Participant has or is likely to expose itself to risks, which, in the opinion of IIDIL, are not commensurate with the Participant's net worth.
- 5.5.1.1.18. the quality of the services rendered by a Participant is not satisfactory in the opinion of IIDIL as evidenced by the complaints of the Beneficial Owners and/ or other Participants, Issuers, RTAs, and Clearing Corporations;

Provided however that IIDIL shall not take any action as aforesaid unless and until IIDIL shall have issued a show-cause notice to the Participant setting out the grounds on which the agreement with the Participant is sought to be terminated and the Participant shall have been given a reasonable opportunity of being heard by the Member selection Committee in that behalf and IIDIL being satisfied on the strength of the report of such Committee that it is necessary to terminate the agreement with such Participant.

Provided however that no amount is due, owing or payable by the Participant to IFSCA or to IIDIL inter alia by way of fees, charges, penalties or interest.

Provided however that IIDIL may, if it so considers it fit and proper in the facts and circumstances of any case, before issuing the show-cause notice as aforesaid, issue notice calling upon the Participants to rectify or remedy the breach or default within such period and on such terms and conditions as IIDIL may deem fit.

- 5.5.1.2. The Participant shall forthwith inform IIDIL of the occurrence of any of the circumstances mentioned herein above.

5.5.2. Suspension

- 5.5.2.1. Without prejudice to any other rights IIDIL may have and notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye Laws, IIDIL may suspend with immediate effect, the activities of any Participant in IIDIL, before issuance of any notice or pending the notice period and/or enquiry under these Bye Laws.

5.5.3. Withdrawal by a Participant

- 5.5.3.1. A Participant shall be entitled to withdraw as a Participant from IIDIL by issuing to IIDIL a communication in writing giving notice of not less than 30 (thirty) days of its intention to terminate its agreement with IIDIL with effect from the expiry of the said period of 30 (thirty) days or such further period as may be specified in the notice. IIDIL shall be entitled to require the Participant to continue its business as a Participant in IIDIL for such further period not exceeding 3 (three) months from the receipt of such notice if IIDIL shall deem it necessary to do so in the interest of the Beneficial Owners or the functioning of IIDIL. IIDIL shall notify the Participant, Beneficial Owners of that Participant and other Participants within seven days of the Participant ceasing to act as such.
- 5.5.3.2. No Participant shall be permitted to withdraw as a Participant from IIDIL unless and until such Participant shall have provided satisfactory evidence to IIDIL that:

- 5.5.3.2.1. the Participant has issued notice of its intended withdrawal to all Beneficial Owners holding accounts with it;
 - 5.5.3.2.2. all accounts of Beneficial Owners held with the Participant have been closed either by transfer of Securities to any other Participant(s) of the Beneficial Owner's choice in IIDIL and/or by rematerialisation of the Securities held therein;
 - 5.5.3.2.3. there remain no pending instructions or unresolved grievances of Beneficial Owners or the IIDIL or that the Participant has otherwise made satisfactory arrangements in that regard;
 - 5.5.3.2.4. no amount is due, owing or payable by the Participant to IFSCA or to IIDIL inter alia by way of fees, charges, penalties or interest.
 - 5.5.3.2.5. the Participant has complied with such other terms and conditions as IIDIL may have specified in that behalf.
- 5.5.4. Consequences of Termination and/ or Withdrawal of the agreement with a Participant
- 5.5.4.1. On termination of the agreement with the Participant or on withdrawal by the Participant, unless otherwise provided in these Bye Laws, IIDIL shall return to or make available for collection by the Participant, all security deposits or other securities held by IIDIL by way of collateral or additional security of the Participant, on expiry of 3 (three) years from the date of cancellation of the certificate of registration as a Participant by IFSCA or after resolving pending investor grievances, if any, to the satisfaction of IIDIL, whichever is later.

Provided that IIDIL shall have the right (without prejudice to any other right or remedy available to IIDIL in law) to adjust or set off amounts or to retain security equivalent to the amount due or which may become due to IIDIL, other Participants and Beneficial Owners from that Participant, if applicable.
 - 5.5.4.2. The termination of agreement with a Participant in IIDIL will not affect any rights, liabilities or obligations of the Participant arising out of transactions which have taken place prior thereto and for the limited purpose of settlement of any such rights or liabilities of the Participant, IIDIL may continue to treat the Participant as a Participant.
 - 5.5.4.3. Without prejudice to the above provisions, IIDIL shall be entitled to set off any earlier claims or rights of the Participant against any amounts due to IIDIL or any other persons entitled to any claim against such Participant through IIDIL, irrespective of the fact that such counter claim has arisen after the date of termination with the agreement of the Participant.
 - 5.5.4.4. IIDIL shall, upon termination of the agreement with the Participant or on receipt of communication in writing from the Participant conveying its decision to withdraw from IIDIL and/or to terminate the agreement with the Participant, notify all other Participants and initiate suitable steps for the protection of the interests of Beneficial Owners and other Participants.
 - 5.5.4.5. IIDIL shall notify the Participant and other Participants and IFSCA within 7 (seven) days of the termination of the Participant under these Bye Laws.
 - 5.5.4.6. The Participant shall be required to meet all its outstanding obligations to IIDIL, whether incurred while the Participant was acting as such or incurred thereafter but arising out of any action, transaction or dealings by the Participant during that period.
 - 5.5.4.7. On termination of the agreement with a Participant or on withdrawal by the Participant from IIDIL, every Beneficial Owner of that Participant shall have the option of either getting his Securities held with the Participant transferred to another Participant, or get the Securities rematerialised. Notwithstanding anything stated above even after such termination, the Participant shall act as a Participant for the limited purpose of either getting the Securities held with the Participant transferred to another Participant or get the Securities rematerialised.
 - 5.5.4.8. Upon termination of the agreement with a Participant, IIDIL shall give notice in writing to all Beneficial Owners holding accounts with such Participant calling upon the Beneficial Owners to have their accounts transferred to any other Participant within 15 (fifteen) days from the receipt of such notice. In the event of there being any Beneficial Owners who have failed to have their accounts transferred to any other Participant as aforesaid, IIDIL shall nominate one or more Participants to whom such accounts shall stand transferred for the time being provided however that no transactions in respect of the Securities in such account shall be effected until such time as the concerned Beneficial Owner shall have acknowledged receipt of and thereby shall have agreed to be bound by the DP-BO Rights and Obligations document, to such Participant.

CHAPTER 6: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BENEFICIAL OWNERS

- 6.1. A Beneficial Owner may open one or more accounts with one or more Participants and may close one or more accounts with any or all Participants or transfer his Securities in one account with a Participant to another account with the same Participant or with any other Participant.
- 6.2. The Beneficial Owner shall pay such fees, charges and deposits to the Participant, as may be mutually agreed upon, for the purpose of opening and maintaining his/its account, for carrying out the instructions and for rendering such other services as are incidental or consequential to the Beneficial Owner holding Securities in and transacting through the said account with the Participant. The Participant shall be entitled to change or revise the said fees, charges or deposits from time to time subject to such prior notice as may be agreed between the parties.
- 6.3. Every Beneficial Owner shall be primarily responsible for:
 - 6.3.1. the veracity of all statements and particulars set out in the account opening form specified by the Relevant Authority;
 - 6.3.2. the authenticity and genuineness of all documents submitted to the Participant at the time of opening of an account with the Participant;
 - 6.3.3. representation as to the title to the Securities submitted to the Participant for dematerialization;
 - 6.3.4. ensuring that the Securities to the credit of his account are sufficient to meet the instructions issued to the Participant for effecting any transaction;
 - 6.3.5. informing the Participant at the earliest of changes in the account particulars of the Beneficial Owner such as address, bank details, status, authorisations, mandates, nomination, signature, etc.;
 - 6.3.6. furnishing the accurate identification details whilst subscribing to any issue of Securities;
 - 6.3.7. complying with the terms and conditions of the DP-BO Rights and Obligations document.
- 6.4. Every Beneficial Owner shall be entitled to a statement of the account of that Beneficial Owner from his Participant, at a periodicity and mode as prescribed by IFSCA/ IIDIL
- 6.5. In the event of dispute between the Beneficial Owner and his Participant and the Participant is not furnishing the statement of account, IIDIL shall provide directly or cause to provide through such Participant a statement of the account of such Beneficial Owner for such period as requested by the Beneficial Owner.
- 6.6. Every Beneficial Owner shall scrutinize every statement of his account received from Participant for the accuracy and veracity thereof and shall be obliged to point out any mistakes, inaccuracies or discrepancies to the Participant within a fortnight of the receipt of such statement.
- 6.7. Subject to the Participant's right of lien and subject to any orders, injunctions, directions or instructions issued by a court, tribunal, IFSCA, Central or State Government or other authority empowered in that behalf or by IIDIL, every Beneficial Owner shall be entitled to have the instructions issued by him to the Participant with whom such Beneficial Owner has an account carried out with utmost dispatch on the same day on which the instructions are issued and failing that before the close of working hours of the immediately succeeding working day provided however, that subject to the above, the Beneficial Owner may issue standing instructions to the Participant for crediting his account in accordance with the instructions.
- 6.8. Every Beneficial Owner shall exercise due care and caution so as to ensure the safe custody of delivery cheques received by him and shall immediately notify the Participant and IIDIL of any loss thereof and shall be liable for any misuse of any cheques on account of negligence on his part.
- 6.9. Closure of account by Beneficial Owner
 - 6.9.1. The Beneficial Owner, may close his/her Demat Account held with the Participant without assigning any reason therefor by calling upon the Participant to close the account, provided there are no Securities lying in the account or no instructions remain pending or unexecuted and no fees or charges remain payable by the Beneficial Owner to the Participant.
 - 6.9.2. In such event the Beneficial Owner shall make an application to the Participant in the format specified by IIDIL in that behalf. The Beneficial Owner may close his account by executing the account closing form if no balances are standing to his credit in the account. In case any balances of Securities exist in the account sought to be closed, the account may be closed in one of the following ways:
 - 6.9.2.1. by rematerialisation of all existing balances in his account;

- 6.9.2.2. by transfer of all existing balances in his account to one or more of his other account/s held with any other Participant/s;
 - 6.9.2.3. by rematerialisation of a part of the existing balances in his account and by transferring the rest to one or more of his other account/s with any other Participant/s.
 - 6.9.3. The Participant shall initiate the procedure for transfer of balances or for rematerialisation of Securities in the Beneficial Owner's account, as the case may be, within a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of receipt of instructions from the Beneficial Owner in that behalf.
 - 6.9.4. The Beneficial Owner's account shall not be closed if there exist any Securities in the Beneficial Owner's account which are pledged or hypothecated or the account is unreconciled or if the closure of such account would result in breach or violation of any decree or order or injunction of any court, tribunal or statutory or revenue authority.
 - 6.9.5. In the event of the Participant ceasing to be a Participant, the Beneficial Owner may either seek rematerialisation of his Securities or request for the transfer of the Securities in its account to an account opened with another Participant.
- 6.10. Closure of account by Participant
- 6.10.1. The Participant shall be entitled to forthwith close the Demat Account of the Beneficial Owner in the event of the Beneficial Owner:
 - 6.10.1.1. failing to pay the fees or charges as may be mutually agreed upon within a period of 30 (thirty) days from the date of demand made in that behalf;
 - 6.10.1.2. submitting for dematerialisation any certificates or other documents of title which are forged, fabricated, counterfeit or stolen or have been obtained by forgery or the transfer whereof is restrained or prohibited by any direction, order or decree of any court, tribunal, Central or State Government, the Authority or any statutory or revenue authority or under any covenant or undertaking given to any statutory authority;
 - 6.10.1.3. committing or participating in any fraud or other act of moral turpitude in his dealings with the Participant;
 - 6.10.1.4. otherwise misconducting himself in any manner.
 - 6.10.2. The Participant may also close the Demat Account of the Beneficial Owner, for any reason whatsoever and without assigning any reason, provided the Participant shall have given a notice of not less than 30 (thirty) days to the Beneficial Owner in this behalf.
 - 6.10.3. In the event of the Participant closing the account, the Participant shall call upon the Beneficial Owner to specify whether he desires to have the security balances in his account transferred to his account with another Participant or to have the same rematerialised in the manner specified in these Bye Laws and the Participant shall accordingly close the account of the Beneficial Owner.
 - 6.10.4. Where the Demat Account of a Beneficial Owner is closed for any reason not attributable to the Beneficial Owner, the cost, charges and expenses involved in the transfer of the Beneficial Owner's account to any other Participant or rematerialisation of Securities in such account shall be borne by the Participant.
 - 6.10.5. If upon receipt of notice from the Participant for closure of the Demat Account, the Beneficial Owner fails to specify the account with any other Participant to which the existing balances are to be transferred or if the Participant fails to take necessary steps to have the Securities in such account transferred to the Beneficial Owner's account with some other Participant, IIDIL shall nominate any other Participant to whom such account shall stand transferred for the time being, provided however that no transaction in respect of Securities in such transferred account shall be effected until such time as the Beneficial Owner shall have acknowledged receipt of and shall have thereby agreed to be bound by DP-BO Rights and Obligations document to the Participant to whom such account is so transferred by IIDIL.
 - 6.10.6. Notwithstanding closure of the Demat Account by either of the parties, the provisions of the agreement or DP-BO Rights and Obligations document, as the case may be, and all mutual rights and obligations arising therefrom shall, continue to be binding on the parties in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the operation of the agreement or DP-BO Obligations document. Provided however that the provisions of the DP-BO Agreement / DP-BO Rights and Obligations document shall not be binding on the parties if rights or obligations arising therefrom are contrary to and/or inconsistent with such closure.

CHAPTER 7: SETTLEMENT

7.1. Market Trades settlement

- 7.1.1. In respect of Market Trades, IIDIL shall debit and/or credit the account of the Beneficial Owner as per the procedure laid down under Applicable Laws, these Bye-Laws and the Operating Instructions, strictly in accordance with the advice issued by the Clearing Corporation on confirmation of payment.

7.2. Off Market Trades settlement

- 7.2.1. In respect of Off Market Trades, IIDIL shall debit and/or credit the account of the Beneficial Owner entitled to such credit or debit, as the case may be, after receipt of confirmation from the delivering Beneficial Owner and the receiving Beneficial Owner through their respective Participants confirming the details of Securities.

7.3. Inter-Depository settlement

- 7.3.1. IIDIL shall enter into an agreement with every other depository (if any) inter alia providing for inter-depository transactions, settlement schedules and procedures, reconciliation of records, resolutions of disputes, differences or claims between depositories or between Participants or Beneficial Owners in different depositories through arbitration as may be mutually agreed in that behalf. No such agreement shall come into force unless the same shall have been previously approved by IFSCA.

CHAPTER 8: CLEARING CORPORATION

8.1. Admission of Clearing Corporation

- 8.1.1. A Clearing Corporation may be admitted to IIDIL on such Clearing Corporation entering into an agreement with IIDIL in the form as provided under Annexure "D" to the Bye Laws.

8.2. Admission Criteria

- 8.2.1. A Clearing Corporation shall be admitted to the IIDIL if:

- 8.2.1.1. the Clearing Corporation guarantees payment against delivery and has a trade guarantee fund or any other fund as approved by IFSCA;
- 8.2.1.2. the Clearing Corporation has adequate hardware and software systems to interact with IIDIL;
- 8.2.1.3. the Clearing Corporation undertakes at all times to redress the grievances of Beneficial Owners, Clearing Members and the Participants in respect of its operations in relation to IIDIL;
- 8.2.1.4. in the opinion of IIDIL, the Clearing Corporation has the operational capability to provide the services relating to clearing and settlement of transactions relating to the Securities admitted to IIDIL to be held in dematerialised form.

8.3. Rights and obligations of Clearing Corporation

- 8.3.1. IIDIL shall apart from Beneficial Owners accounts to be opened and maintained in accordance with the Applicable Laws and these Bye Laws, be entitled to open and maintain such other accounts as may be specified in the Operating Instructions for the clearing/settlement process to facilitate any of the functions of IIDIL and/or to facilitate any of the services that IIDIL is authorised to offer including but not limited to pledge and hypothecation, lending and borrowing, earmarking, lock-in, freezing, trading, clearing and settlement with such specifications and on such terms and conditions as IIDIL may specify in the Operating Instructions from time to time.
- 8.3.2. In the event of any Securities continue to remain in the aforesaid accounts opened and maintained for the purpose stated above, at the time of the book closure or record date for any reason whatsoever, IIDIL shall inform the details of all such accounts to the Issuer/RTA and such Securities shall be eligible for corporate benefits, which may be declared at such time.
- 8.3.3. All corporate benefits that may accrue in respect of Securities that are held in the aforesaid accounts shall be availed of and held in trust for the benefit of the concerned Beneficial Owner and shall be dealt with in accordance with the bye laws, rules and regulations of the concerned Stock Exchange.

8.4. Indemnity

- 8.4.1. The Clearing Corporation shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its employees and servants from and against all claims, demands, penalties, suits, actions, litigation, arbitration, prosecutions and any proceeding whatsoever (including all costs, charges and expenses relating thereto) that IIDIL may suffer or incur or may be called upon to suffer or incur by reason of any advice, intimation or information including that in respect of any debit or credit to any account received by IIDIL from the Clearing Corporation being false, incorrect or erroneous or on account of any negligence, error or fraud in the operation of any accounts

opened as may be specified in the Operating Instructions or by reason of any breach or default on the part of the Clearing Corporation in carrying out its obligations under these Bye Laws or the Operating Instructions issued in pursuance hereof and/or the bye-laws, rules and regulations of the concerned Stock Exchange.

- 8.4.2. IIDIL shall indemnify and keep indemnified the Clearing Corporation from and against all claims, demands, suits, action, litigation, prosecution and proceedings of every nature whatsoever (including all costs, charges and expenses relating thereto) and any harm, loss, damage or injury that the Clearing Corporation may suffer or incur or may be called upon to suffer or incur by reason of any wrong or erroneous credit or debit being effected by IIDIL which is not in conformity with the corresponding advice, intimation, information received by IIDIL from the Clearing Corporation or by reason of IIDIL otherwise failing to carry out its obligations in terms of Applicable Laws or these Bye Laws or Operating Instructions issued thereunder.

CHAPTER 9: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CLEARING MEMBERS

- 9.1. A Clearing Member who is a Participant in IIDIL shall open such accounts as may be specified in the Operating Instructions for the purpose of settlement of trades with the Clearing Corporation.
- 9.2. Every Clearing Member who is not a Participant in IIDIL may open such accounts as may be specified in the Operating Instructions for the purpose of settlement of trades with the Clearing Corporation, after entering into an agreement with a Participant.
- 9.3. IIDIL may call upon any Clearing Member to furnish any security or additional security to IIDIL to secure the due observance and performance of the Clearing Member's obligations under these Bye Laws, and under the Operating Instructions that may be issued by IIDIL from time to time.

CHAPTER 10: SAFEGUARDS TO PROTECT INTEREST OF BENEFICIAL OWNERS AND PARTICIPANTS

- 10.1. IIDIL may, from time to time, issue directions/ order/ Operating Instructions for establishment of mechanism for ensuring that the interest of persons buying and selling Securities held in the depository are adequately protected, in the manner as it may in its discretion deem fit or necessary. Such measures may include insurance to protect the interests of the Beneficial Owners against risks likely to be incurred on account of its activities as a recognised depository.
- 10.2. Contingency Funds
- 10.2.1. Without prejudice to aforesaid, IIDIL may establish different funds/ reserves ("Contingency Fund") for protecting and safeguarding the interests of Participants and Beneficial Owners that may be set up under these Bye Laws from time to time. Each Participant will be required to contribute to these funds in the manner and on terms and conditions specified by IIDIL from time to time.
- 10.2.2. IIDIL shall specify in the Operating Instructions or by way of a separate instrument, the procedure for establishment, operation and administration of these funds and the purpose for which these funds may be used from time to time.
- 10.2.3. IIDIL shall also specify in the Operating Instructions or other instrument as the case may be, the entities who are entitled to make claims on the funds, the procedure for making claims on the funds, and the inter se priority of such claims.
- 10.2.4. The Contingency Fund shall be held in trust by IIDIL for the benefit of Participants and Beneficial Owners as the case may be.
- 10.3. Risk Management System
- 10.3.1. IIDIL shall take necessary steps to have a sound risk management system and infrastructure for comprehensively managing risks.
- 10.4. Business Continuity Plan and Disaster Recovery
- 10.4.1. IIDIL shall have adequate business continuity plan and disaster recovery site to maintain data and transaction integrity in the manner as may be specified by the IFSCA from time to time.
- 10.5. Confidentiality
- 10.5.1. IIDIL shall cause all its employees who are in the normal course of its business as a depository, likely to have access to data or information relating to any security or Securities belonging to any Beneficial Owner including any unpublished price sensitive information as defined under Regulation 2(1)(n) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 to execute fidelity bonds undertaking that the employee shall at all times maintain complete confidentiality in respect of all such data or information.

- 10.5.2. IIDIL, Participants, Issuers, RTAs, Clearing Corporations and Clearing Members may provide or disclose such details, particulars, data or information relating to any Beneficial Owner and/or his account as may be required or directed in writing by any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any other regulatory or revenue authority empowered by law in that behalf or to the concerned Issuer and/or RTA or Clearing Corporation or as may be required for compliance with any obligations in law or for enforcement of any of its rights or for protection of its interest without reference or recourse to the other or to the concerned Beneficial Owner provided however that save and except as aforesaid, none of them shall divulge or permit or suffer to be disclosed any such details, particulars, data or information to any party or person and shall hold such details, particulars, data and information in strict confidence.
- 10.6. Protection of Systems and Procedures, and Data
- 10.6.1. IIDIL shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the depository's controls systems, procedures and safeguards. IIDIL shall cause an inspection of its controls, systems, procedures and safeguards to be carried out annually and forward a copy of the report to the IFSCA.
- 10.6.2. IIDIL shall ensure that the integrity of the automatic data processing systems is maintained at all times. IIDIL shall take all precautions necessary to ensure that the records are not lost, destroyed or tampered with and in the event of loss or destruction, ensure that sufficient back up of records is available at all times at a different place.
- 10.6.3. IIDIL shall take necessary steps to protect the transmission and storage of data under IIDIL system. The data shall be protected from unauthorised access, manipulation and destruction. The transmission of data shall be in encrypted form so as to eliminate the possibility of unauthorised interception of data. The back-up of data stored under IIDIL system by IIDIL shall be kept in the exclusive custody of IIDIL, and of such Participants, Issuers, RTAs, and Clearing Corporation respectively. IIDIL shall ensure sufficient security measures, to prevent the access by unauthorised persons to the data of IIDIL operations. IIDIL shall take adequate measures for maintenance of transaction logs and audit trail for each change either in account details or in Beneficial Ownership of Securities.

CHAPTER 11: SECURITIES

- 11.1. All Securities within the scope of the MII Regulations and the Applicable Laws in relation to IFSC shall be eligible for being held in dematerialised form in IIDIL.
- 11.2. The Board/ Relevant Authority shall determine the criteria for admission of Securities with IIDIL for being dematerialised and held in dematerialised and fungible form and the same shall be published from time to time.
- 11.3. Before dematerialisation commences in respect of any Securities admitted to IIDIL as aforesaid, the Issuer or its RTA, if any, shall comply with the following:
- 11.3.1. The Issuer and/or its RTA shall enter into an agreement with IIDIL as per the form(s) at Annexure "E" or Annexure "F" hereto as the case may be. Nothing contained in this clause is applicable where:
- (i) IIDIL is the issuer of Securities;
 - (ii) Central/ State Government is issuer of Government Securities.
- 11.3.2. The Issuer and/or its RTA shall acquire adequate hardware and software systems to interact with IIDIL as specified from time to time in Operating Instructions.
- 11.3.3. The Issuer and/or its RTA shall undertake to expeditiously redress the grievances of the Beneficial Owners and the Participants.
- 11.3.4. The Issuer and/or its RTA shall agree and undertake to strictly adhere to the performance standards as may be laid down by IIDIL from time to time.
- 11.3.5. All matters relating to allotment, transfer and extinguishment of Securities, maintenance of records of holders of Securities, handling of physical Securities and establishing connectivity with the depositories are handled and maintained at a single point i.e., either in-house by the issuer or by RTA.
- 11.4. Without prejudice to any other rights, the Board/ Relevant Authority may refuse the admission of any Security of an issuer as an Eligible Security or may remove the same from the list of Eligible Securities, if:
- 11.4.1. the Issuer is in continuous breach or default of its obligations under these Bye Laws or under its agreement with IIDIL and fails to rectify or remedy such breach or default, or;
 - 11.4.2. the Issuer does not have or has ceased to have the operational capability to provide the services referred to herein, or;

- 11.4.3. The Board/ Relevant Authority is satisfied that circumstances exist which render it necessary in the interest of the investors to do so.
- 11.5. IIDIL shall not remove any Security as aforesaid unless:
- 11.5.1. IIDIL shall have issued at least 30 (thirty) days notice in writing to the concerned Issuer calling upon the Issuer to show cause as to why the said Security should not be removed as aforesaid, and;
- 11.5.2. The Issuer shall have been given a reasonable opportunity of being heard in that behalf.
- 11.6. IIDIL shall notify all Participants, the concerned Issuer and its RTA and the concerned Beneficial Owners forthwith upon such removal as aforesaid.

CHAPTER 12: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ISSUERS AND THEIR RTAs

- 12.1. Where an Issuer has appointed an RTA, and where a tripartite agreement has been entered into by IIDIL with the Issuer and its RTA, then notwithstanding any agreement, arrangement or understanding to the contrary between the Issuer and its RTA, the Issuer shall be primarily responsible for all obligations and liabilities in respect of any act, deed, matter or thing by such RTA in respect of its operations in IIDIL. Nothing contained in this clause shall be applicable where the Central or State Government is the issuer of Government Securities.
- 12.2. Every Issuer shall in respect of Securities admitted on IIDIL provide timely information to IIDIL about book closure, record dates, dates for payment of interest or dividend, dates for the annual general meeting, dates of redemption or maturity of Securities, dates of conversion, dates of exercising warrants, call money dates, details of other corporate actions and such other information as may be specified by IIDIL from time to time. Nothing contained in this clause shall be applicable where the Central or State Government is the issuer of Government Securities.
- 12.3. An Issuer shall not permit dematerialisation of any eligible Securities admitted into IIDIL unless and until the Issuer is satisfied that the Securities sought to be dematerialised have been validly issued by the Issuer and that there is no restraint, prohibition, injunction or attachment under any direction, order or decree of any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any statutory or revenue authority empowered in that behalf or under any law or under the terms and conditions of issuance of those Securities restraining or preventing the transfer or dematerialisation of those Securities. Nothing contained in this clause shall be applicable if the Central or State Government is the issuer of any security.
- 12.4. Every Issuer or its RTA shall, against receipt of a request for rematerialization from the Beneficial Owner through the Participant made in accordance with the Operating Instructions, and upon receipt of confirmation from IIDIL confirming such request, issue such certificate or certificates in respect of the Securities of which rematerialization is sought within such period as may be specified by law. Government Securities shall be rematerialised in accordance with the provisions of CHAPTER 13: below.
- 12.5. The Issuer or its RTA shall, on a daily basis, reconcile with IIDIL, the records in respect of balances of dematerialized Securities with Beneficial Owners and confirm to IIDIL, the total security balances both in physical as well as in dematerialised form in its books. Provided however that, in case where the Central or State Government is the issuer of any security, IIDIL shall on a daily basis reconcile the records in respect such Securities held in the Beneficial Owners accounts with the statement of balances as may be provided by the Central or State Government from time to time.
- 12.6. The Issuer or its RTA shall furnish to IIDIL allotment details in the manner required by IIDIL, of all Beneficial Owners who have opted for Securities to be credited in the electronic form. For all Securities where the Central or State Government is the issuer, IIDIL shall maintain the records of allotment details of all such Securities, to the extent of allotment to Beneficial Owners who have opted for Securities to be credited in the electronic form.
- 12.7. The Issuer/RTA shall pay to IIDIL such fees, costs, charges and deposits as may be specified in the Operating Instructions for Issuers/RTAs issued by IIDIL from time to time. In the event of the Issuer/RTA failing to make payment of any such fees, costs, charges or deposits, as the case may be, on or before the respective due dates, IIDIL shall be entitled to charge interest on any delayed payments in terms of this Bye Law, at the rate as may be prescribed by IIDIL.
- 12.8. The Issuer and its RTA shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL and its Participants of, from and against all claims and demands and all suits, actions, litigations, prosecutions or other proceedings whatsoever (including the costs, charges expenses, penalties, damages and consequential losses thereof) that IIDIL and/or its Participant/s may be required or called upon to pay, suffer or incur by reason of or as a consequence of or on account of creation of Securities or upload of electronic files /data or any other form of electronic transfer or introduction of Securities in IIDIL system in breach of law and/or in breach of its obligations set out in these Bye Laws, Operating Instructions, Communiqués, letters or other communication in any form or under the agreement between IIDIL and the Issuer and /or RTA including all supplemental writings and modifications thereto, if any.

- 12.9. The Issuer or its RTA shall ensure that an internal audit shall be conducted in respect of its depository operations relating to IIDIL by a qualified Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost and Management Accountant, as may be specified, holding a certificate of practice at such intervals as may be specified by IIDIL from time to time. A copy of internal audit report shall be furnished to IIDIL.
- 12.10. The Issuer or its RTA shall ensure that following items are placed before its Board of Directors in respect of its depository operations:
- i. Internal audit findings alongwith management comments.
 - ii. Inspection findings of depository alongwith management comments.

CHAPTER 13: ACCOUNTS / TRANSACTIONS BY BOOK ENTRY

13.1. Account opening

- 13.1.1. IIDIL shall keep accounts separately in respect of each Beneficial Owner in respect of each Participant.
- 13.1.2. The Participant shall maintain separate accounts in respect of each Beneficial Owner and its own account.
- 13.1.3. Any prospective Beneficial Owner who wishes to avail of the services of IIDIL will have to open an account with IIDIL through a Participant.
- 13.1.4. The Beneficial Owner will have to make an application for this purpose to the Participant in the format specified in the Operating Instructions issued by IIDIL.
- 13.1.5. The Beneficial Owner will be required to acknowledge receipt of the DP-BO Rights and Obligations document to the Participant.
- 13.1.6. Once the application has been accepted by the Participant, the applicant will be issued a Beneficial Owner account number.

13.2. Dematerialisation

- 13.2.1. Credit of Securities into the account of any Beneficial Owner shall be made on dematerialisation of Securities held in physical form or on the fresh issue of Securities in the dematerialised form or on transfer/transmission of dematerialised Securities from an account in any other depository. Nothing contained in this clause shall be applicable to Government Securities issued by Central or State Government.
- 13.2.2. Dematerialisation of Securities held in physical form:
 - 13.2.2.1. A Beneficial Owner may convert his Securities held in physical form into dematerialised form by making an application to the Participant in a Dematerialisation Request Form (hereinafter referred to as "DRF") specified by IIDIL along with the relevant security certificates.
 - 13.2.2.2. The Participant shall forward the DRF so received, along with the relevant security certificates, to the Issuer or its RTA after electronically registering such request with IIDIL. Such DRF shall be forwarded by the Participant within 7 (seven) working days of accepting the same from its Beneficial Owner and till such time shall ensure safe custody of the Securities in physical form.
 - 13.2.2.3. Every Participant shall ensure that the documents representing Securities held in physical form including certificates and/or letters of allotment received by the Participant for dematerialisation are stamped on the face of the document with the words "Surrendered for dematerialisation." Upon receipt of such documents for dematerialisation, the Participant shall cause to be made such other identification mark on the face of the document as may be specified by IIDIL.
 - 13.2.2.4. IIDIL will electronically intimate, on a daily basis, all dematerialisation requests to the respective Issuer or its RTA.
 - 13.2.2.5. Within 15 days of receipt of the certificate of security from the Participant the Issuer/RTA shall confirm to the depository that securities comprised in the said certificate have been listed on the Stock Exchange or exchanges in the manner specified by IFSCA from time to time. The Issuer or its RTA shall verify the validity of the security certificates and/ or letters of allotment as well as the fact that the dematerialisation has been required by the person(s) recorded as member(s) in its Register of Members or Register of Debenture holders or any other register of securities as may be specified by law; Provided however that the provisions of this clause regarding the listing approval shall not be applicable to unlisted Securities.
 - 13.2.2.6. After verification as aforesaid, the Issuer or its RTA shall intimate IIDIL and thereupon the Participant authorising a credit for that Security in favour of the Beneficial Owner. On receipt of such intimation, IIDIL and the Participant shall cause the necessary credit entry to be made in the account of the Beneficial Owner concerned.

- 13.2.2.7. No credit of any Securities to the account of any Beneficial Owner shall be made unless IIDIL has received an intimation from the Issuer or its RTA as set out hereinabove.
- 13.2.2.8. The Issuer or its RTA shall confirm the dematerialisation requests within 21 (twenty-one) days from the receipt thereof and state the Securities pending confirmation for more than 21 (twenty-one) days and record the reason for the delay. The Issuer or its RTA shall, simultaneously with the issuance of the intimation authorising credit to IIDIL and the Participant, mutilate and cancel the concerned certificate, substitute in its records the name of IIDIL as its registered owner and send a certificate to this effect to IIDIL and to every Stock Exchange with which the security is listed.
- 13.2.2.9. The Issuer or its RTA shall in all cases retain the DRF with it. The Issuer or its RTA shall return to the concerned Participant the certificates relating to those Securities in respect of which dematerialisation is rejected by the Issuer or its RTA unless otherwise required by any law in force for the time being.
- 13.2.2.10. In all cases where any Issuer or its RTA rejects any request for dematerialisation of any Securities, the Issuer or its RTA shall communicate in writing to the concerned Participant and the Beneficial Owner, the reason for such rejection.
- 13.2.3. The Issuer or its RTA giving intimation as set out hereinabove, represents and warrants to IIDIL that such Securities exist, are validly issued and stand in the records of the Issuer or its RTA in the name of the Beneficial Owner who has sought dematerialization in respect of those Securities.
- 13.2.4. Subscription to and/or allotment of Securities in dematerialised form:
 - 13.2.4.1. Upon receipt of intimation by IIDIL from any Issuer or its RTA regarding allotment of any Securities to a Beneficial Owner in dematerialised form, IIDIL shall credit the accounts of the concerned Beneficial Owner;
 - 13.2.4.2. In the event of an intimation being received by IIDIL from Issuer or its RTA, for credit of Securities to the account of any Beneficial Owner whose identity cannot be established in IIDIL, IIDIL may reject such request and give details of such rejection for rectification by the Issuer or its RTA to be dealt with as may be deemed fit by the Issuer or its RTA.
- 13.3. Dematerialisation (Credit) of Government Securities

A Beneficial Owner may obtain credit of Government Securities in the following manner:

 - 13.3.1. By dematerialisation of Securities issued by the Central or State Government held in physical form:
 - 13.3.1.1. A Beneficial Owner may convert his/its Securities issued by Central/ State Government held in physical form into dematerialised form by making an application to the Participant in the Dematerialisation Request Form- Government Securities ("DRF-GS") along with relevant security certificate/s and Form of transfer prescribed by Central or State Government in accordance with the Operating Instructions specified in this regard. The Participant shall not entertain any dematerialisation request for the Securities other than from the registered holder of the Securities.
 - 13.3.1.2. The Participant shall forward the DRF-GS and other documents, if any, along with the security certificate/s to IIDIL, after electronically registering such a request. The Participant shall forward such DRF-GS to IIDIL within 7 (seven) days of its receipt.
 - 13.3.1.3. Every Participant shall ensure that the physical certificate(s) is/are not defaced by affixing the stamp "Surrendered for dematerialisation" or mutilated by punching 2 holes. The Participant shall ensure that the words "Tendered for cancellation and credit to SGL A/c no. [●]" are inscribed in the column "Memorandum of Transfer" on the reverse of the certificate.
 - 13.3.1.4. IIDIL shall forward the security certificate/s along with the duly filled in Form of transfer, to IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, and obtain credit of the said Government Securities to its CSGL Account / similar account for the purpose. Thereafter, IIDIL shall cause the necessary credit entries to be effected in the account of the concerned Beneficial Owner, in accordance with the Operating Instructions.
 - 13.3.1.5. Where IFSCA /RBI, Central or State Government, as the case may be, rejects any request for dematerialisation of Government Security, IIDIL shall electronically intimate the Participant regarding such rejection within 7 (seven) days of such rejection.
 - 13.3.1.6. On receipt of rejection of dematerialisation request by IFSCA / RBI, Central or State Government, as the case may be, IIDIL shall return to the Participant the DRF-GS along with the relevant security

certificate/s and documents submitted by the Participant except that in cases where the certificates and documents are withheld by IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case may be.

13.3.2. By transfer or transmission of Securities issued by Central/ State Government from other eligible entity to his Beneficiary Owner Account of IIDIL

- 13.3.2.1. A Beneficial Owner or his heirs or nominees may transfer his/its holdings held in SGL account with other eligible entity by making an application to the Participant in the DRF-GS and other relevant documents as prescribed under the Operating Instructions.
- 13.3.2.2. The Participant shall forward the DRF-GS along with the necessary documents to IIDIL after electronically registering such a request. The Participant shall forward such DRF-GS and other relevant documents to IIDIL within 7 (seven) days of its receipt.
- 13.3.2.3. IIDIL shall forward the request to IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, along with the documents, as prescribed by IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, from time to time.
- 13.3.2.4. IIDIL shall cause its CSGL Account / similar account for the purpose to be credited with such Securities. On receipt of the credit of balances into CSGL Account / similar account for the purpose of IIDIL, IIDIL shall electronically accept the demat request and cause the necessary credit entry to be made in the account of the Beneficial Owner concerned.
- 13.3.2.5. In case IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, rejects/refuses the transfer/ transmission for any reasons IIDIL shall return to the Participant such documents as specified in the Operating Instructions and communicate in writing to the concerned Participant the reason/s for rejection.

13.3.3. By Subscription/Allotment of Government Securities

- 13.3.3.1. A Beneficial Owner may subscribe and obtain credit of Securities issued by State or Central government by allotment directly from State or Central Government in the CSGL Account / similar account for the purpose of IIDIL.
- 13.3.3.2. A Beneficial Owner desirous of participating in the auction process of IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, may submit the application form along with the subscription amount to IIDIL.
- 13.3.3.3. IIDIL shall fill the necessary auction forms and submit to IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, on the date of auction. IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, shall credit the Securities allotted to the CSGL Account / similar account for the purpose of IIDIL. Thereafter IIDIL shall credit the government Securities to the account of the concerned Beneficial Owner.
- 13.3.3.4. In case IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, rejects in full or in part the application, the funds will remain in the Current Account of IIDIL with IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe. IIDIL shall remit the same to the Beneficial Owner in a manner as specified in the Operating Instructions.

13.4. Account freezing

- 13.4.1. Every Beneficial Owner shall have an option to freeze his account either for debits or for credits or for both with the Participant so as to render it inoperable. IIDIL or the Participant shall freeze the account of a Beneficial Owner maintained with it on written instructions received by it or by the Participant in that regard from the Beneficial Owner concerned in the form specified by the Operating Instructions.
- 13.4.2. IIDIL or the Participant shall freeze the account of a Beneficial Owner maintained with it in the manner specified in the orders or directions of any court or tribunal or any Government or IFSCA or any other authority made or given under any law for the time being in force.

Provided however that any order of a Court, Tribunal, Government or other competent authority relating to freezing of a Beneficial Owner account or taking any action in relation to a Beneficial Owner account which is within the purview of obligations cast on a depository under Applicable Law, shall be effected by IIDIL or Participant only on receipt from such authority the Beneficial Owner Identification Number (BOID) or Permanent Account Number (PAN) coupled with specific directions if the same are not set out in such order with sufficient accuracy.

- 13.4.3. An account so frozen shall be activated on instructions in writing from the Beneficial Owner, where it has been frozen at the instance of a Beneficial Owner, and on receipt of instructions from IIDIL pursuant to the passing of any order or issuance of instructions vacating, revoking or setting aside the order of freezing by the court, tribunal or authority.

Provided further that on the account being frozen in either event, the Participant of such Beneficial Owner shall not effect any debit entry or any such other transaction unless the instructions or order for freezing the account has been withdrawn, revoked, vacated, set aside or modified as aforesaid. However, the Participant shall credit benefits to a frozen account.

- 13.4.4. IIDIL shall freeze or direct a Participant to freeze an account opened by the Participant with itself in respect of Securities held by the Participant in its own name:

13.4.4.1. in the manner specified in the orders or directions of any court or tribunal or any Government or IFSCA or any other authority made or given under any law for the time being in force.

13.4.4.2. if the Participant becomes insolvent, bankrupt or in case of a body corporate being wound up.

Provided further that the frozen account may be released on instructions of the authority under whose directions such account was frozen.

- 13.4.5. Notwithstanding anything in this Bye Law, IIDIL shall be entitled to freeze any account of a Beneficial Owner in the manner specified in the Operating Instructions issued by IIDIL from time to time in case where deficiency in KYC documents is found.

- 13.4.6. The mode and the form of authorization in joint demat account for Freeze/unfreeze account and/or the ISIN and/or specific number of securities shall be specified in the Operating Instructions. Each joint demat account holder shall be jointly and severally liable towards the Depository Participant for all the commitments entered into by himself/herself or by any other joint demat account holder or authorized representative (within the limits of the power).]

13.5. Rematerialisation

- 13.5.1. A Beneficial Owner may opt out any of his/its security balances with IIDIL at any point of time by making an application to that effect to IIDIL through its Participant. The Participant shall ensure that the request for rematerialisation emanates from the Beneficial Owner and is duly authorised and is properly made. Nothing contained in this clause shall be applicable to Securities where IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, is the issuer of Government Securities.

- 13.5.2. A Participant holding its own Securities in IIDIL may at any point of time withdraw any of its security balances with IIDIL by making an application to that effect to IIDIL.

- 13.5.3. The Beneficial Owner shall make the request of withdrawal of the balance in his account in the Rematerialisation Request Form (hereinafter referred to as "RRF") as specified in the Operating Instructions.

- 13.5.4. On receipt of the RRF, the Participant shall check whether sufficient unencumbered relevant security balance is available in the account of the Beneficial Owner. If there is a sufficient balance, the Participant shall accept the said RRF and block the balance of the relevant security lying in the account of the Beneficial Owner to the extent of the quantity for which rematerialization is sought and electronically intimate the request to IIDIL.

- 13.5.5. On receipt of the request referred above, IIDIL shall block the balance of the relevant Securities lying in the account of the Participant to the extent of quantity for which rematerialisation is sought.

- 13.5.6. IIDIL will intimate electronically all such accepted rematerialisation requests to the Issuer or its RTA on a daily basis.

- 13.5.7. The Participant shall forward the RRF to the Issuer or its RTA within 2 (two) working days of accepting such request from the Beneficial Owner. The Issuer or its RTA after validating the RRF will confirm electronically to IIDIL and the Participant that the RRF has been accepted. Thereafter the Issuer or its RTA shall dispatch the security certificates arising out of the rematerialisation request within a period of 30 (thirty) days from receipt of such RRF to the Beneficial Owner named in the RRF at the address set out therein taking such precautions as may be necessary against loss in transit.

- 13.5.8. On receipt of such acceptance from the Issuer or its RTA, IIDIL shall reduce the security balances to the extent of the rematerialized Securities in the respective Participant's or the respective Beneficial Owner's account as the case may be.

13.6. Withdrawal of Government Securities from the depository

13.6.1. A Beneficial Owner may opt out of the depository in the following manner:

13.6.1.1. Rematerialisation of Securities issued by the Central or State Government held in his/its Beneficial Owner Account with IIDIL:

- 13.6.1.1.1. A Beneficial Owner holding his/its own Government Securities in IIDIL may decide to seek physical certificate by making a request to IIDIL in the Rematerialisation Request Form ("RRF-GS") in accordance with the Operating Instructions issued in this regard.
- 13.6.1.1.2. On receipt of the RRF-GS, the Participant shall check whether sufficient free relevant security balance is available in the account of the Beneficial Owner. If there is sufficient balance, the Participant shall accept the said RRF-GS and block the balance of the relevant security lying in the account of the Beneficial Owner to the extent of the quantity for which rematerialisation is sought and electronically intimate the request to IIDIL.
- 13.6.1.1.3. The Participant shall forward the RRF-GS to IIDIL within 7 (seven) days of its receipt. IIDIL shall forward such request to IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, along with the documents, if any, prescribed by IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, from time to time.
- 13.6.1.1.4. IIDIL shall cause its CSGL Account / similar account for the purpose, with IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, to be debited and obtain the physical certificate from IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe. Thereafter IIDIL shall confirm the acceptance of RRF-GS electronically and forward the physical certificate to such person/ authority/ department as specified by IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe. In case IFSCA/ RBI, Central or State Government, as the case maybe, rejects/refuses the rematerialisation request, IIDIL shall return to the Participant the documents as mentioned in the Operating Instructions and communicate in writing to the concerned Participant the reason(s) for such rejection.

13.6.1.2. Transfer or transmission of Government Securities issued by the Central or State Government held by the Beneficial Owner in his/its account in IIDIL to his/its account maintained with another eligible entity.

- 13.6.1.2.1. If the request relates to transfer of Government Securities issued by the Central or State Government from an account with IIDIL to an account with another eligible entity, IIDIL shall, on the strength of the letter of authority issued by the Beneficial Owner, execute and forward the relevant form to the Central or State Government or to the other eligible entity with whom the Beneficiary Owner wishes to hold the said Securities. The eligible entity shall lodge the same with the Central or State Government. On the government Securities being debited from IIDIL's CSGL Account with the Central or State Government, IIDIL shall confirm the acceptance of the RRF electronically to the Participant.
- 13.6.1.2.2. On acceptance by IIDIL, the government Securities shall be debited from the respective Beneficial Owner's account.
- 13.6.1.2.3. In case the State or Central Government rejects/refuses the transfer/transmission request, IIDIL shall return to the Participant the documents as mentioned in the Operating Instructions and communicate in writing to the concerned Participant along with the reason(s) for such rejection.

13.6.1.3. Redemption on the date of maturity

- 13.6.1.3.1. IIDIL shall comply with the procedure laid down for redemption by the Central or State Government within the prescribed time and shall cause the maturity proceeds to be credited to its Current Account with RBI and arrange to distribute the amount to the Beneficial Owners in accordance with the procedure prescribed in the Operating Instructions issued in this regard.

13.7. Account closure

- 13.7.1. A Beneficial Owner wanting to close an account shall make an application to the Participant in the format specified to that effect in the Operating Instructions.
- 13.7.2. The Beneficial Owner may close its account if no balances are standing to its credit in the account. In case any balances exist, then the account may be closed in the following manner:
 - 13.7.2.1. by rematerialisation of all its existing balances in its account;
 - 13.7.2.2. by transferring its security balances to its other account(s) held either with the same Participant or with a different Participant.
 - 13.7.2.3. by rematerialization of a part of its existing balances and by transferring the rest to its other account with the same Participant or with a different Participant.
- 13.7.3. The Participant shall ensure that all pending transactions as well as suspended balances have been adjusted and settled before closing such account. After ensuring that there are no balances in the Beneficial Owner's account, subject to Bye Law 13.7.2, the Participant shall execute the request for closure of the Beneficial Owner's account.
- 13.7.4. No account of any Beneficial Owner shall be closed if there exist any Securities in the Beneficial Owner's accounts which are pledged, collateralized or hypothecated or the account is in suspense or if the closure of such account would result in breach or violation of any order or injunction of any court, tribunal or authority.

13.8. Transfer of balances

- 13.8.1. No Participant shall initiate any debit or credit in the Demat Account of any Beneficial Owner except on the instructions of the Beneficial Owner, or on sanction or instructions of IIDIL for reasons to be recorded in writing by IIDIL.
- 13.8.2. The mode and the form of authorisation shall be specified in the Operating Instructions.
- 13.8.3. Where there is a transfer of security from the account of a Beneficial Owner of one Participant to the account of a Beneficial Owner of another Participant, both the Participants must intimate such instructions for delivery and receipt respectively, to IIDIL. After the instructions are matched in IIDIL system, such transfer shall be effected by IIDIL.
- 13.8.4. In the event of a Participant ceasing to be a Participant, the Beneficial Owner of that Participant may, either request for the rematerialisation of Securities or request for the transfer of Securities in its account to an account opened with another Participant.
- 13.8.5. The mode and the form of authorization in joint demat account for transfer of securities. Each joint account holder shall be jointly and severally liable towards the Depository Participant for all the commitments entered into by himself/herself or by any other joint demat account holder or authorized representative (within the limits of the power)

13.9. Transmission of Securities

- 13.9.1. Every Beneficial Owner shall be entitled, whether at the time of opening an account with the Participant (Beneficial Owner Account) or at any time thereafter to nominate not exceeding 3 (three) person/s who shall be entitled, upon the death of the Beneficial Owner, to succeed to the Securities held in such account. Where any Beneficial Owner Account is opened or stands in the names of two or more persons, the nomination in favour of such nominee/s shall be made jointly by all such persons. The Beneficial Owner may revoke such nomination or substitute the same with a fresh nomination at any time.
- 13.9.2. Where, in respect of any Securities in respect of which a nomination shall have been made by the holder of such Security prior to its dematerialisation, any nomination made at the time of opening the Beneficial Owner's Account shall be deemed to constitute a fresh nomination revoking and superseding the previous nomination made in respect of such Securities.
- 13.9.3. Where a Beneficial Owner Account stands in the name of more than one person, then, in the event of the death of any of them, notwithstanding any nomination as aforesaid, the Securities standing to the credit of such account shall vest in the surviving account holder/s as a trustee of the legal heirs of the deceased account holder.
- 13.9.4. Where a Beneficial Owner Account stands in the name of a sole person, in the event of the death of the Beneficial Owner, the Securities standing to the credit of such account shall vest in the nominee/s and where no such nomination is made, succession to such Securities shall be determined in accordance with law in

favour of the heirs or legal representatives of the deceased against production of the necessary representation to the estate of the deceased by way of Probate, Will, Letters of Administration or Succession Certificate, as may be applicable, provided however that where the aggregate market value of the Securities as on the date of death of the Beneficial Owner held in such account does not exceed such amount as may be specified by IIDIL from time to time, the Board of Directors may, in its sole discretion, even in the absence of a legal representation to the estate of the deceased having been obtained, permit the transmission of Securities standing to the credit of such account in favour of the heirs or legal representatives or successors, as the case may be, on such terms and conditions as may be specified in the Operating Instructions.

- 13.9.5. The Participant shall be entitled to require the person or persons in whose favour the Securities are to be transmitted as aforesaid to open an account by following the procedure prescribed in the Operating Instructions for transmission of Securities.
 - 13.9.6. The person or persons in whose favour the Securities are transmitted as aforesaid shall also be entitled to the benefit of any security deposit lying with the Participant subject to any deductions or adjustments that the Participant may be entitled to in accordance with these Bye Laws.
 - 13.9.7. In case the Beneficial Owner is declared as lunatic or adjudicated insolvent or otherwise incapable to operate his Beneficial Owner account, IIDIL shall, on production of the certified copy of the order passed by the competent court, transmit the security balances lying in such account to any other account as may be ordered. In the event of winding up of the Beneficial Owner by the Court, the Securities shall be transmitted to such account as directed in the court/ tribunal order to that effect. However, if the Beneficial Owner undergoes a voluntary winding up (not subject to supervision of the court/ tribunal) the Securities shall be transmitted to such account as provided in the resolution passed for such voluntary winding up.
 - 13.9.8. Where a Beneficial Owner Account stands in the name of more than one person, then, in the event of the death of any of them, in addition to the option of opening of new account, the surviving account holders shall be given an option to continue with the same account by following the procedure prescribed in the Operating Instructions for transmission of securities.
- 13.10. Corporate actions
- 13.10.1. The Issuer or its RTA shall intimate IIDIL of all corporate actions simultaneously with the intimation to Stock Exchanges in case of listed Securities and in case of unlisted Securities with prior notice of 7 (seven) clear days from the date of corporate action.
 - 13.10.2. On receiving the intimation as stated above, the details of the holdings of the Beneficial Owners shall be provided electronically by IIDIL to the Issuer or its RTA as of the cut off date (relevant to that particular corporate action) for the purpose of distribution of corporate benefits within 5 (five) working days of the record date or the book closure date.
 - 13.10.3. The Issuer or its RTA shall distribute dividend, interest and other monetary benefits and also ineligible Securities directly to the Beneficial Owners on the basis of the list provided by IIDIL.
 - 13.10.4. The Issuer or its RTA may, if the benefits are in the form of Securities, distribute such benefits to the Beneficial Owners through IIDIL by electronically crediting the account of the concerned Beneficial Owner provided that:
 - 13.10.4.1. the newly created Security is an Eligible Security and has been admitted to IIDIL;
 - 13.10.4.2. the concerned Beneficial Owner has consented to receive the newly created Securities through IIDIL in dematerialised form.
 - 13.10.5. In such case, the Issuer or its RTA shall provide allotment details of all Beneficial Owners to IIDIL.
 - 13.10.6. On receipt of allotment details, IIDIL shall cause the necessary credit entries to be made in the account of the Beneficial Owner concerned.
 - 13.10.7. Bye Laws 13.10.1 to 13.10.6 shall not apply in case of Government Securities issued by the Central or State Government. Immediately after the due date of payment of interest or the principal amount or any amount in respect of Government Securities shall be in accordance with the terms of Government Securities.
- 13.11. Recording of non-disposal undertaking/non-disposal agreement/any other encumbrance (other than pledge & hypothecation):
- 13.11.1. Other than a pledge or hypothecation, if the Beneficial Owner wishes to create any of the following encumbrances:

13.11.1.1. any restriction on the free and marketable title to shares, by whatever name called, whether executed directly or indirectly;

13.11.1.2. lien, negative lien, Non-Disposal Undertaking

13.11.1.3. any covenant, transaction, condition or arrangement in the nature of encumbrance, by whatever name called, whether executed directly or indirectly

on the Securities held by him in his Demat Account, he shall make an application to IIDIL through the concerned Participant in the manner as stated in the Operating Instructions. Till the said encumbrance is released, any transfer of the said Securities, encumbrance of any nature (including pledge or hypothecation), lending, rematerialisation, or alienation of Securities in any manner shall not be permitted in respect of those Securities. Releasing of any of the aforesaid encumbrances will be as per the procedure laid down in the Operating Instructions.

CHAPTER 14: PLEDGE AND HYPOTHECATION

14.1. The pledgor and the pledgee must each have an account in IIDIL to create a pledge. However, the pledgor and the pledgee may hold accounts through two different Participants.

14.2. For the purpose of creation of any pledge or hypothecation of Securities, IIDIL or a Participant shall, on an application by any Beneficial Owner, issue a certificate of holdings to the Beneficial Owner, certifying that the Beneficial Owner is entitled in its name to such number of Securities of such Issuer as are proposed to be pledged or hypothecated.

14.3. The Participant of IIDIL shall on receipt of an application for the creation of pledge or hypothecation by the Beneficial Owner countersigned by the pledgee, within 15 (fifteen) days from the date of receipt thereof, create and record the pledge or hypothecation by electronically locking or freezing the Securities held in the account of the pledgor and shall issue an intimation of the same to the pledgor and pledgee.

Provided that pledge of the Securities issued by the Central or State Government shall be subject to the permission/ directions/ guidelines/ instructions issued by the Central or State Government in this regard.

14.4. IIDIL or a Participant shall not refuse permission to the pledgor or hypothecator to create a pledge or hypothecation in respect of Securities available for pledge or hypothecation unless operations in respect of those Securities are restrained or frozen by virtue of any order or direction of any court, tribunal, Central Government, IFSCA, or RBI or the Central or State Government in case of Securities issued by RBI or the Central or State Government or other competent authority or by IIDIL itself and if the IIDIL or a Participant does not create such pledge or hypothecation as the case may be, it shall intimate the intending pledgor and pledgee of its decisions setting out its reasons for such refusal.

14.5. No entry of pledge or hypothecation shall be cancelled by IIDIL without the prior concurrence of the pledgee. On receipt of notice of cancellation of the pledge or hypothecation from the pledgee, IIDIL shall unlock or unfreeze the Securities forthwith for which the pledge or hypothecation was created. IIDIL on cancellation of the pledge or hypothecation shall inform the pledger of such cancellation.

14.6. Subject to the provisions of the pledge/hypothecation documents, the pledgee/ hypothecatee may invoke the pledge or hypothecation, as the case may be through his Participant and on such invocation, IIDIL shall register the pledgee/ hypothecatee as Beneficial Owner of such Securities and shall amend its records accordingly. Thereafter, IIDIL shall immediately inform the Participants of the pledgor and the pledgee of the change and who in turn shall make necessary changes in their records and inform the pledgor and pledgee respectively.

14.7. IIDIL shall, before registering the hypothecatee as a Beneficial Owner, obtain the prior concurrence of the hypothecator.

14.8. Margin pledge and re-pledge

14.8.1. For the purpose of providing collateral in form of Securities as margin, the pledger shall pledge Securities with the stock broker under a separate type of pledge viz. margin pledge.

14.8.2. The stock broker / Clearing Member pledgee in whose favour the margin pledge has been created can re-pledge such pledged Securities by endorsement of pledge in favour of a Clearing Member or a Clearing Corporation.

14.8.3. No entry of margin pledge shall be cancelled by IIDIL without the prior concurrence of the pledgee. The pledgee shall ensure that re-pledge, if any, is cancelled before providing such concurrence.

14.8.4. The procedure to be followed for margin pledge and re-pledge shall be in accordance with the directions issued by the IFSCA from time to time, and Operating Instructions as specified from time to time.

- 14.8.5. The mode and the form of authorization in joint demat account for Pledge/Hypothecation/ margin pledge/ margin re-pledge (creation, Closure and Invocation and confirmation thereof as applicable) shall be specified in the Operating Instructions. Each joint demat account holder shall be jointly and severally liable towards the Depository Participant for all the commitments entered into by himself/herself or by any other joint demat account holder or authorized representative (within the limits of the power)

CHAPTER 15: SECURITIES LENDING

Subject to the provisions of the Applicable Laws, any beneficial owner intending to lend or borrow Securities in IFSC, may do so in the manner as may be laid down by IFSCA from time to time.

CHAPTER 16: RECONCILIATION, ACCOUNTS AND AUDIT

16.1. Reconciliation

- 16.1.1. IIDIL shall ensure that it has in place at all times such systems and procedures as would enable it to co-ordinate with the Participants and issuers or its RTAs and would facilitate reconciliation of records with Participants, issuers or its RTAs on a daily basis.
- 16.1.2. Every Participant shall reconcile its records with IIDIL on a daily basis.
- 16.1.3. IIDIL shall intimate the Issuers or its RTA all security balances of the Issuer held in dematerialised form with IIDIL at the end of the day and the said balances will be reconciled by the Issuer or its RTA on a daily basis.
- 16.1.4. The Issuer or RTA shall reconcile the records of dematerialised Securities with all the Securities issued by it, on a daily basis in accordance with these Bye Laws. Provided however that where the Central or State Government is the issuer of any Securities, IIDIL shall on a daily basis reconcile the records of the dematerialized Securities.
- 16.1.5. Issuer and/or its RTA shall carry out reconciliation as aforesaid in respect of the Securities issued by the Issuer, in accordance with these Bye Laws or Operating Instructions and any communication issued by IIDIL in that behalf from time to time, and shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL and its Participants of, from and against all claims and demands and all suits, actions, litigations, prosecutions or other proceedings whatsoever (including the costs, charges and expenses thereof) that IIDIL and/or its Participant/s may be required or called upon to pay, suffer or incur by reason of the Issuer/RTA's failure to effect timely and regular reconciliation in terms of these Bye Laws and in terms of the Agreement with the Issuer/RTA.
- 16.1.6. If there is failure of the reconciliation as specified hereinabove, IIDIL may initiate necessary action including suspension of a Participant or suspension of transactions in a particular Security till the process of reconciliation has been completed.

16.2. Accounting, Internal Control, Reports and Returns

- 16.2.1. IIDIL shall maintain the following records and documents in electronic retrieval form for a minimum period of 20 (twenty) years:
- 16.2.1.1. records of Securities dematerialised and rematerialized;
 - 16.2.1.2. the names of the transferor, transferee, and the dates of transfer of Securities;
 - 16.2.1.3. a register and an index of Beneficial Owners;
 - 16.2.1.4. details of the holding of the Securities of Beneficial Owners as at the end of each day;
 - 16.2.1.5. records of instructions received from and sent to Participants, issuers, issuers' agents/ RTAs and Beneficial Owners;
 - 16.2.1.6. records of approval, notice, entry and cancellation of pledge or hypothecation, as the case may be;
 - 16.2.1.7. details of Participants;
 - 16.2.1.8. details of Securities declared to be eligible for dematerialisation in the depository; and
 - 16.2.1.9. such other records as may be specified by the IFSCA from time to time.
- 16.2.2. IIDIL shall intimate the IFSCA of the place where such records and documents are maintained.
- 16.2.3. IIDIL shall furnish such returns, statements and particulars, in the manner as may be specified by the IFSCA. IIDIL shall furnish to the IFSCA its annual financial statements and returns by the 30th (thirtieth) of September of every year.

- 16.2.4. Each Participant shall furnish to IIDIL every year, a copy of the audited financial statements and auditors' report and the same shall be furnished not later than 6 (six) months after the end of the Participant's financial year.

Provided that when IIDIL is satisfied that circumstances warrant an extension of time to furnish such report, it may grant such extension to the Participant.

- 16.2.5. Every Participant shall keep accounts and records in respect of the operations of IIDIL, which shall be distinct and independent from the records and accounts maintained by it in respect of any other activities carried out by the Participant.
- 16.2.6. Proper accounts shall be maintained by IIDIL as well as the Participants in respect of the operations of IIDIL in accordance with the software provided by IIDIL.
- 16.2.7. The books of accounts and records of the Participant relating to the operations of IIDIL shall be open for inspection, investigation and audit to the officers or representatives of IIDIL.
- 16.2.8. Every Participant shall allow persons authorised by IIDIL to enter its premises during normal office hours and inspect its records relating to the operations of IIDIL.
- 16.2.9. Every Participant shall submit periodic returns to IIDIL in respect of its business and operations in IIDIL in the format specified in the Operating Instructions of IIDIL.
- 16.2.10. Every Participant shall maintain the following records and documents, namely:
- 16.2.10.1. records of all the transactions entered into with IIDIL and with a Beneficial Owner and on behalf of Beneficial Owner
 - 16.2.10.2. particulars of Securities dematerialised and rematerialised on behalf of Beneficial Owner;
 - 16.2.10.3. records of instructions received from Beneficial Owners and copies of statements of account provided to Beneficial Owners, and,
 - 16.2.10.4. records of approvals, notices, entries and cancellation of pledge or hypothecation, as the case may be.
- 16.2.11. Every Participant shall intimate IIDIL, the place where the records and documents are maintained.
- 16.2.12. Subject to the provisions of Applicable Law, the Participant shall preserve records and documents for such minimum period of 8 (eight) years. Provided, however, all the books, registers, other documents and records relating to the issue or transfer of Securities shall be maintained and preserved by the Participant in electronic retrieval form for a minimum of 20 (twenty) years. Provided further that the Participant shall preserve and maintain respective original forms of documents, both in physical and electronic form, copies of which have been taken by Central Bureau of Investigation, Police or any other enforcement agency during course of any investigation or enquiry conducted by them till the trial is completed.
- 16.2.13. Every Participant shall furnish to IIDIL such information relating to various obligations to be performed by him from time to time in such format as may be prescribed by IIDIL to enable IIDIL to review and monitor his performance and to ascertain the level of compliance with the provisions of Applicable Law, these Bye Laws and Operating Instructions issued by IIDIL from time to time.
- 16.2.14. IIDIL may review and monitor the reports received from Participants and issue instructions to Participants to rectify the discrepancies, irregularities and non-compliances, if any, within such time limit as may be deemed fit.
- 16.2.15. In case the Participant fails to comply with the provisions of Applicable Law, these Bye Laws and Operating Instructions, etc., and continues to ignore or disregard the instructions issued by IIDIL, the matter may be placed before such committee as may be constituted by IIDIL for such purpose, for undertaking such action as it may deem fit. Any action taken by such committee shall be in addition to action taken by IFSCA.

16.3. Audit

- 16.3.1. IIDIL shall submit an audited net worth certificate from the statutory auditor on a yearly basis by the 30th (thirtieth) day of September of every year for the preceding financial year, to the IFSCA.
- 16.3.2. Every Participant shall ensure that an internal audit shall be conducted in respect of the Participant's operations relating to IIDIL by a qualified practicing Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost Accountant at such intervals as may be specified by IIDIL from time to time. A copy of internal audit report shall be furnished to IIDIL.

- 16.3.3. The scope of such audit shall cover the existence, scope and efficiency of the internal control system, compliance with the provisions of Applicable Law, these Bye Laws, Operating Instructions, agreements and systems security and insurance in the office of the Participant in respect of the operations of IIDIL.
 - 16.3.4. In addition, IIDIL may, if it feels that it is in the interests of the Beneficial Owners to do so, direct that an audit of the records of the Participant shall be conducted by such auditor as may be appointed by IIDIL in this regard in so far the records and operations relate to the operations of IIDIL. IIDIL may empanel qualified Chartered Accountants or Company Secretaries or a Cost Accountant in practice for the purpose of conducting such audit.
 - 16.3.5. Every Issuer shall submit audit report on a quarterly basis to the concerned Stock Exchanges audited by an independent Chartered Accountant or a practicing Company Secretary for the purposes of reconciliation of the total issued capital, listed capital and capital held by IIDIL in dematerialised form, the details of changes in share capital during the quarter and the in-principle approval obtained by the Issuer from all the Stock Exchanges where it is listed in respect of such further issued. Provided however that in case an Issuer has listed its Securities on a Stock Exchange having nationwide trading terminals, obtaining 'in-principle' approval from such Stock Exchanges for further issue of Securities shall be a sufficient compliance with Applicable Law.
 - 16.3.5.1. Such audit shall inter alia certify as to whether during the quarter the Register of Members is updated and the dematerialisation requests have been confirmed as required by these Bye Laws. The report shall also specify the demat requests that remain/remained pending for confirmation for more than 21 (twenty-one) days from the date of receipt of request and the reasons for such delay;
 - 16.3.5.2. The issuer shall immediately bring to the notice of IIDIL and the Stock Exchanges, any difference observed in its issued, listed, and the capital held by IIDIL in dematerialised form.
 - 16.3.5.3. The audit report referred to hereinabove shall be submitted on a quarterly basis (within 30 days of the end of every quarter) to the Stock Exchange/s, and in case any discrepancies are noted, a copy thereof shall be forwarded to IIDIL.
- 16.4. Inspection and Investigation
- 16.4.1. Inspection by the IFSCA
 - 16.4.1.1. The IFSCA may at any time undertake inspection, conduct inquiries and audit of IIDIL, its associates or any of its shareholders.
 - 16.4.1.2. Where an inspection is undertaken by the IFSCA, every manager, director, managing director, chairperson, officer and other employee of IIDIL, its shareholder or associate shall cooperate with the IFSCA.
 - 16.4.1.3. The IFSCA shall after consideration of inspection or investigation report take such action as it may deem fit and appropriate.
 - 16.4.2. Inspecting and/or Investigating Authority
 - 16.4.2.1. Where IIDIL deems it necessary, it may appoint one or more persons as inspecting and/or investigating authority to undertake inspection of the books of accounts, other records and documents of the Participants and/or investigation into the matters mentioned hereinbelow to the extent they pertain to IIDIL operations for any of the purposes specified below:
 - 16.4.2.1.1. as to whether the books of accounts and other books are being maintained in the manner required;
 - 16.4.2.1.2. as to whether the provisions of Applicable Laws are being complied with;
 - 16.4.2.1.3. as to whether the provisions of these Bye- Laws and Operating Instructions issued thereunder are being complied with;
 - 16.4.2.1.4. to investigate into the complaints received from Beneficial Owners, other Participants or any other person on any matter having a bearing on the activities of the Participant;
 - 16.4.2.1.5. to investigate, suo moto, for any reason where circumstances so warrant, into the affairs of the Participant in the interest of the Beneficial Owners in general;
 - 16.4.2.1.6. to facilitate reconciliation of records in case the records of the Participant with IIDIL remain unreconciled for a period exceeding two working days;

- 16.4.2.1.7. to ascertain whether the systems, procedures and safeguards being followed by the Participant are adequate;
- 16.4.2.1.8. compliance with any of the directives issued in this behalf by any court or regulatory authority including the Government.
- 16.4.2.2. The inspecting and/or investigating authority appointed by IIDIL as specified hereinabove may either be its own officials or outside professionals.
- 16.4.2.3. When IIDIL appoints outside professionals as an inspecting and/or investigating authority, it shall notify to the Participant the names and addresses of the professionals or firms so appointed as inspecting and/or investigating authority at the time of inspection / investigation.
- 16.4.2.4. When outside professionals are appointed as inspecting and/or investigating authority in respect of a Participant and such professionals are already related to or connected in any other capacity with the Participant or its associates then such Participant shall forthwith inform IIDIL of such relationship.
- 16.4.2.5. When after the appointment of any outside professional as an inspecting and/ or investigating authority in respect of any Participant, the Participant or any of its associates engages the services of such professional for its services in any other capacity, the professional shall not engage himself in such other professional capacity with the Participant or any of its associates without the prior consent of IIDIL.
- 16.4.3. Notice
 - 16.4.3.1. Before undertaking any inspection and/or investigation under these Bye Laws, IIDIL shall give reasonable notice to the Participant for that purpose.
 - 16.4.3.2. Notwithstanding anything contained herein above, where IIDIL is of the opinion that in the circumstances of any case, no such notice should be given, it may direct in writing that the inspection and/or investigation of the records and affairs
 - 16.4.3.3. of the Participant be taken up without such notice.
- 16.4.4. Obligations of a Participant on Inspection / Investigation
 - 16.4.4.1. It shall be the duty of every Participant (including its directors, partners, officers and employees), as the case may be, whose records or affairs are being inspected and/or investigated, to produce to the inspecting and/or investigating authority all books, Securities, accounts, records and documents in its custody or control pertaining to the business and operations of Participants in IIDIL as such or arrange to produce such books, Securities, accounts, records and documents when they are in the custody or control of any other person and furnish such statements and information within such time as the said authority may require.
 - 16.4.4.2. The Participant shall allow the inspecting and/or investigating authority to have reasonable access to the premises occupied by him or by any other person on his behalf and also extend reasonable facilities for examining any books, records, documents and computerised data in his possession or that of any other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the inspecting and/ or investigating authority are relevant.
 - 16.4.4.3. The inspecting and/or investigating authority, in the course of inspection and/ or investigation may examine or record statements of any director, partner, officer and employee of the Participant or of any associate of such Participant.
 - 16.4.4.4. It shall be the duty of every such Participant, its director, partner, officer and employee or where an associate is examined, of such associate, to give to the inspecting and/or investigating authority all assistance in connection with the inspection and/or investigation which the Participant may be reasonably expected to give.
 - 16.4.4.5. Notwithstanding the provisions above, the inspecting and/or investigating authority shall not have the right to examine any person or inspect any records, which do not pertain to the operations of IIDIL.
- 16.4.5. Submission of report
 - 16.4.5.1. The inspecting and/or investigating authority shall, as soon as possible, submit an inspection and/or investigation report to IIDIL.

- 16.4.5.2. The inspecting and/or investigating authority shall maintain complete confidentiality and shall not disclose any information contained in the documents submitted to it or inspected by it to any person, firm, company or authority unless required by any law for the time being in force.
- 16.4.5.3. IIDIL shall after consideration of the report, communicate the findings to the Participant to give him an opportunity of being heard before any action is taken by IIDIL on the findings of the inspecting and/ or investigating authority.
- 16.4.5.4. On receipt of the explanations, if any, from the Participant, IIDIL may call upon the Participant to take such measures as IIDIL may deem fit in the interest of the Beneficial Owners.
- 16.4.5.5. In case the report of the inspecting and/ or investigating authority indicates the existence of any grounds for taking disciplinary action against a Participant, IIDIL if so satisfied shall cause a copy of the inspection/ investigation report to be handed over to the Disciplinary Action Committee for further action in this regard.

PART C: DEALING IN BULLION/ BULLION DEPOSITORY RECEIPTS

The provisions of this part shall apply to the Bullion Market including Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Depositor, Vaults and any other entity/ person dealing with Bullion/ Bullion Contracts/ Bullion Depository Receipts in IFSC.

In case of difference between the provisions of any Bye-Laws, rules and business rules/ regulations of IIDIL and the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, shall prevail.

CHAPTER 17: POWER TO FRAME AND AMEND BULLION OPERATING INSTRUCTIONS

- 17.1. The Board of Directors of IIDIL shall be entitled to frame and amend Bullion Operating Instructions of IIDIL from time to time.
- 17.2. Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board of Directors of IIDIL shall have power to make Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions, amongst other purposes, for all or any of the following matters:
 - 17.2.1. Hardware and software requirements;
 - 17.2.2. Procedure for account opening and other transactions within IIDIL;
 - 17.2.3. Mode of functioning, operation and processes in the Bullion Depository System;
 - 17.2.4. Norms which shall be required to be followed by the Clients of the Bullion Depository System;
 - 17.2.5. Manner of dealing with Vault Manager and creation of Bullion Depository Receipts in the Bullion Depository System;
 - 17.2.6. Procedure for reconciliation;
 - 17.2.7. Procedure for ensuring safeguards to protect the interests of Clients;
 - 17.2.8. Manner of creating and invoking pledges or hypothecation in respect of Bullion owned by the Beneficial Owners;
 - 17.2.9. Manner of rectification of errors and omissions;
 - 17.2.10. Manner of reconciliation of records with the Vault Manager;
 - 17.2.11. Inter se rights and obligations between IIDIL and its Clients;
 - 17.2.12. Fees and charges;
 - 17.2.13. Procedure for grievance redressal including conciliation and arbitration;
 - 17.2.14. Internal control standards including procedure for auditing, reviewing and monitoring;
 - 17.2.15. Record keeping;
 - 17.2.16. Inspections, and audit including systems audit;
 - 17.2.17. Entering into an agreement with a Vault Manager which has necessary infrastructure, standards, for safe storage of Bullion and its security;
 - 17.2.18. Establishment of standards of encrypted transmission and reconciliation mechanisms for electronic communications of data between IIDIL, Vault Manager and Bullion Clearing Corporation;

- 17.2.19. Maintain register and an index of beneficial owners in such manner as may be prescribed by the Authority;
 - 17.2.20. The physical or electronic access to the premises, facilities, automatic data processing systems, data storage sites and facilities including back up sites and facilities and to the electronic data communication network connecting IIDIL, Vault Manager and Bullion Clearing Corporation and the control, monitoring and recording of the same;
 - 17.2.21. Arrangements including insurance for indemnifying the Beneficial Owners for any loss that may be caused to such Beneficial Owners by the wrongful act, negligence or default of IIDIL or of any of its employees;
 - 17.2.22. Forms for submitting various instructions;
 - 17.2.23. Forms and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner of performance of contracts;
 - 17.2.24. Time, place and manner for transacting business on IIDIL;
 - 17.2.25. Settlement of disputes, complaints, claims involving IIDIL, its Clients subject to the Bullion Operating Instructions and /or Bye-Laws including settlement by arbitration in accordance with the Bullion Operating Instructions and /or Bye-Laws in force from time to time;
 - 17.2.26. Adopt / act in furtherance of broader principles of governance prescribed by International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and principles for Financial Market Infrastructures (FMI) and such other governance norms as may be specified by the IFSCA, from time to time;
 - 17.2.27. Norms and procedures, terms and conditions for appointment and functioning of Vault service providers, assaying agencies, logistic service provider;
 - 17.2.28. Directions / guidance/ parameters every director and key management personnel of IIDIL to abide by the Code of Ethics and Conduct specified by the IFSCA;
 - 17.2.29. Providing / communicating reference to the IFSCA for any failure by the directors or key management personnel to abide by the Bullion Exchange Regulations or Code of Ethics and Conduct or in case of any conflict of interest, and to act upon the direction issued by the IFSCA wherein the IFSCA may take any action including removal or termination of the appointment of any director or key management personnel;
 - 17.2.30. Segregation of its regulatory departments from other departments in the manner specified by the IFSCA;
 - 17.2.31. Prescribe particulars for Bullion Depository Receipts;
 - 17.2.32. Appointment of a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Bullion Exchange Regulations, or circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and for the redressal of Client's grievances, and the manner of immediate and independent reporting of non-compliance thereof by the compliance officer to the IFSCA;
 - 17.2.33. Prescribe norms for all its directors, key management personnel and material shareholders for being fit and proper persons, at all times, and to comply with the norms prescribed by the IFSCA / Bullion Exchange Regulations from time to time;
 - 17.2.34. Form and manner of transfer of the Bullion Depository Receipts in buyer's name at the time of delivery;
 - 17.2.35. Design mechanism wherein complaints may be filed against relevant persons including vault service providers, assayers and continuous monitoring thereto;
 - 17.2.36. Furnish returns and statements and such particulars, as the IFSCA may, from time to time, require;
 - 17.2.37. Payment of regulatory fee as may be specified by the IFSCA;
 - 17.2.38. Appointment of committee or committees for any purposes of the functioning of IIDIL;
 - 17.2.39. Any other matter not specified above but required for the smooth operation of the Bullion Depository System either on its own or as may be directed by the Authority; and
 - 17.2.40. Any other matter as maybe decided by the Board or directed by the IFSCA to further / adopt any requirements of the Bullion Exchange Regulations.
- 17.3. In addition to the powers mentioned above, the Board of Directors may formulate Bullion Operating Instructions *inter alia*, with respect to:
- 17.3.1. Determination from time to time, as to the fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to IIDIL by Clients;

- 17.3.2. Norms and procedures for approval of Clients;
 - 17.3.3. Norms, terms and conditions which shall be required to be followed and complied by the Clients while acting as such;
 - 17.3.4. Administration, maintenance and investment of the corpus of the fund(s) set up by IIDIL, including the Contingency Fund and Client Protection Fund;
 - 17.3.5. Dissemination of information, announcements to be placed on the Bullion Depository System;
 - 17.3.6. Administration and operation of the reserves created by IIDIL including Client Protection Reserve;
 - 17.3.7. Any other matter as may be decided by the Board of Directors.
- 17.4. Code of Ethics and Conduct
- 17.4.1. Every director and Key Management Personnel of IIDIL and such other persons as maybe specified by IFSCA/ Relevant Authority from time to time in this regard, shall adhere to the Code of Ethics and Conduct as may be prescribed by IFSCA/ Relevant Authority from time to time.
- 17.5. Fit and Proper Person
- 17.5.1. Every director and Key Management Personnel of IIDIL and such other persons as maybe specified by IFSCA/ Relevant Authority from time to time in this regard, must fulfill the requirements for a 'fit and proper' person as may be prescribed by IFSCA/ Relevant Authority from time to time.

CHAPTER 18: FUNCTIONS OF IIDIL

- 18.1. IIDIL may perform the following functions:
- 18.1.1. Identify through documentary and/ or physical verification, the identity and address of the Depositor in whose favor a Vault Manager intends to issue a Bullion Depository Receipt;
 - 18.1.2. Facilitate the opening, management and closing of accounts of Clients on IIDIL;
 - 18.1.3. Facilitate the issue, modification, transfer, extinguishment, pledge and Limited Purpose E-Auction of the Bullion Depository Receipt; and
 - 18.1.4. Such other incidental and ancillary functions as may be required in furtherance to these Bye-Laws and/or under Applicable Laws and/or as may be specified by IFSCA from time to time.
- 18.2. Rights and Obligations of IIDIL
- 18.2.1. IIDIL while conducting any business with a Client shall act diligently.
 - 18.2.2. IIDIL to prepare and maintain such books of account as may be required under Applicable Law.
 - 18.2.3. IIDIL shall provide and maintain at all times such performance guarantee/s or any revision as may be specified by IFSCA from time to time.
 - 18.2.4. IIDIL shall adhere to any specific additional requirements regarding financial management, insurance, accounting and record-keeping as may be prescribed by IFSCA from time to time.
 - 18.2.5. IIDIL shall strictly adhere to the norms, procedures and processes prescribed under Applicable Law for dealings with Vault Managers in the Bullion Depository System.
 - 18.2.6. IIDIL shall follow the procedure for onboarding of Clients as may be prescribed by the Authority/ IFSCA from time to time.
 - 18.2.7. IIDIL shall follow the process of creating, releasing and invoking pledges as may be prescribed by the Authority/ IFSCA from time to time.
 - 18.2.8. IIDIL shall initiate the Limited Purpose E-Auction in the manner as may be prescribed by the Authority/ IFSCA from time to time.
 - 18.2.9. IIDIL shall carry out rectification of errors and omissions in the manner as may be prescribed by the Authority/ IFSCA from time to time.
 - 18.2.10. Subject to Applicable Law, IIDIL may maintain the following records:
 - 18.2.10.1. Number of complaints received from Clients, their nature, status and manner of redressal once every month;

- 18.2.10.2. Number of transfers effected for off-market settlement of trades at the end of the last working day of every week.
- 18.2.11. Any advice, statement or report maintained by IIDIL shall in the absence of manifest error, be conclusive as to its subject matter.
- 18.2.12. IIDIL shall reconcile its records on a daily basis or within such time period as may be specified by the Authority from time to time.
- 18.2.13. IIDIL shall, before opening any account or while acting upon the instruction of any Client:
 - 18.2.13.1. Make such inquiries as may be necessary and exercise due care and caution in ascertaining the bonafides of the prospective Client inter alia, by carrying out appropriate due diligence;
 - 18.2.13.2. Scrutinise the authenticity of the documents produced by the Client for opening the account;
 - 18.2.13.3. In case of joint owners of Bullion, obtain authority in writing from all such joint owners;
 - 18.2.13.4. Any other requirement/s as may be prescribed/directed by Relevant Authority or the IFSCA from time to time.
- 18.2.14. Notwithstanding anything to the contrary in the Bye Laws, IIDIL shall not be bound to effect any transaction or take any other action if it would violate any applicable law, decree, court order, regulation or order of any government or other competent authority or if IIDIL determines that it will not be in the interests of IIDIL or the Clients.
- 18.2.15. Notwithstanding anything to the contrary in the Bye Laws, IIDIL shall have the right to initiate a transaction or to take any other action in order to give effect to the order or judgment of a court of law or the Central or State Government or any other competent statutory authority.
- 18.2.16. IIDIL reserves the right to rectify any erroneous transaction in the accounts of a Client.
- 18.2.17. Without prejudice to any other right IIDIL may have, if as a result of rectification by IIDIL of any erroneous credit entries to the accounts of a Client pursuant to these Bye Laws, a negative balance arises, IIDIL may replace the relevant eligible Bullion in this connection.
- 18.3. Rights and Obligations of IIDIL and Client/s
 - 18.3.1. IIDIL shall provide the rights and obligations document and obtain an acknowledgement thereof from the Client in the form and manner prescribed in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.
 - 18.3.2. IIDIL shall thereafter open separate account for each of its Clients for holding Electronic Balances on behalf of its Clients.
 - 18.3.3. IIDIL shall provide a statement of accounts including transaction statement and holdings statement to the Clients in such form and manner as specified under the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.
 - 18.3.4. IIDIL shall act on the instructions of the Client in the manner laid down under the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.
 - 18.3.5. IIDIL shall maintain a separate account for each of its Clients and ensure that the holdings of Bullion Depository Receipts of one Client are not mixed with the holdings of Bullion Depository Receipts of other Clients.
 - 18.3.6. In the event of multiple instructions received from the Client relating to transfer of holding which exceed the balance in the account of the Client maintained with IIDIL, the sequence of execution of instructions by IIDIL shall be as follows:
 - 18.3.6.1. In the event of the Client specifying the sequence of execution of instructions, in the same sequence as specified by the Client to the extent it can be executed with the balance available in that Client's account with IIDIL;
 - 18.3.6.2. In the absence of specific instructions from the Client in the chronological order in which such instructions are received from the Client to the extent it can be executed with the balance available in that Client's account with IIDIL.
- 18.4. Rights and Obligations of Clients
 - 18.4.1. A Client may open one or more Demat Accounts with IIDIL and may close one or more Demat Accounts with IIDIL or transfer his Electronic Balances in one account with IIDIL to another account with IIDIL.

18.4.2. The Client shall pay such fees, charges and deposits to IIDIL, as may be mutually agreed upon, for the purpose of opening and maintaining IIDIL account, for carrying out the instructions and for rendering such other services as are incidental or consequential to the Client's holding Electronic Balance in and transacting through the said account with IIDIL. IIDIL shall be entitled to change or revise the said fees, charges or deposits from time to time.

18.4.3. Every Client shall be primarily responsible for:

18.4.3.1. The veracity of all statements and particulars set out in the Demat Account opening form;

18.4.3.2. The authenticity and genuineness of all documents submitted to IIDIL at the time of opening of a Demat Account with IIDIL;

18.4.3.3. Representation as to the title to the Bullion deposited with the Vault Manager and submitted to IIDIL for issuance of Bullion Depository Receipt;

18.4.3.4. Ensuring that the Electronic Balance to the credit of the Demat Account are sufficient to meet the instructions issued to IIDIL for effecting any transaction;

18.4.3.5. Informing IIDIL at the earliest of changes in the Demat Account such as address, bank details, status, authorizations, mandates, nomination, signature, etc.;

18.4.3.6. Furnishing the accurate identification details;

18.4.3.7. Complying with the terms and conditions of the Clients rights and obligations document and agreement.

18.4.4. Every Client shall be entitled to a statement of his/her account from IIDIL, at a periodicity and mode as prescribed by IIDIL.

18.4.5. Every Client shall scrutinize every statement of his account received from IIDIL for the accuracy and veracity thereof and shall be obliged to point out any mistakes, inaccuracies or discrepancies to IIDIL within a fortnight of the receipt of such statement.

18.4.6. Subject to IIDIL's right of lien and subject to any orders, injunctions, directions or instructions issued by a court, tribunal, the IFSCA, Central or State Government or other authority empowered in that behalf, every Client shall be entitled to have the valid instructions issued by him/her to IIDIL with whom such Client has an account to be carried out with utmost care and have such instructions executed on the same day on which the instructions are issued and failing that before the close of working hours of the immediately succeeding working day.

Provided however that, subject to the above, the Client may issue standing instructions to IIDIL for crediting or debiting his account in accordance with the instructions.

18.5. Closure of Account by Client

18.5.1. The Client, may close the Demat Account held with IIDIL without assigning any reason therefor by calling upon IIDIL to close the account, provided there are no Electronic Balances lying in the account and no instructions are pending or unexecuted and no fees or charges remain payable by the Client to IIDIL.

18.5.2. In such event, the Client shall make an application to IIDIL in the format specified by IIDIL in that behalf. The Client may close its Demat Account by executing the account closing form. In case any Electronic Balances exist in the account which is sought to be closed, the Demat Account may be closed by extinguishment of Electronic Balance in the account.

18.5.3. The Demat Account of the Client shall not be closed if there exist any Electronic Balance in the Demat Account of the Client which are pledged or hypothecated or the account is not reconciled or if the closure of such Demat Account would result in breach or violation of any decree or order or injunction of any court, tribunal or statutory or revenue authority.

18.6. Closure of Demat Account by IIDIL

18.6.1. IIDIL shall be entitled to forthwith close the Demat Account of the Client in the event of the Client:

18.6.1.1. Submitting for issuance of Bullion Depository Receipt which are forged, fabricated, counterfeit or stolen or have been obtained by forgery or the transfer whereof is restrained or prohibited by any direction, order or decree of any court, tribunal, Central or State Government, the Authority or any statutory or revenue authority or under any covenant or undertaking given to any statutory authority;

- 18.6.1.2. Committing or participating in any fraud or other act of moral turpitude in its dealings with IIDIL;
- 18.6.1.3. Otherwise for misconduct in any manner which is detrimental to the regulatory compliances of the directions issued by the Authority or IIDIL as the case may be;
- 18.6.1.4. IIDIL may also close the Demat Account of the Client, for any reason whatsoever, provided IIDIL shall have given a prior notice of such time period as may be prescribed by the Authority, to the Client in this behalf;
- 18.6.2. In the event of IIDIL closing the Demat Account, the Electronic Balances shall be extinguished in the manner specified in these Bye Laws and/or the Bullion Operating Instructions and/or under Applicable Law.
- 18.6.3. Where the Demat Account of a Client is closed for any reason not attributable to IIDIL and the Client desires to extinguish its Electronic Balances, then, the cost, charges and expenses involved in the extinguishment of Electronic Balance in such account shall be borne by the Client.
- 18.6.4. Notwithstanding closure of the Demat Account by either the Client or IIDIL, the provisions of the agreement or Client's rights and obligations document, as the case may be, and all mutual rights and obligations arising therefrom shall, continue to be binding on the Client or IIDIL in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the operation of the agreement or Client's rights and obligations document. Provided however that the provisions of the Client's agreement /rights and obligations document shall not be binding on the parties if rights or obligations arising therefrom are contrary to and/or inconsistent with such closure.

CHAPTER 19: TRANSACTIONS

19.1. Bullion Exchange Related Settlement

- 19.1.1. In respect of Bullion Exchange related settlement, IIDIL shall debit and/or credit the account of the Client as per the procedure laid down in Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.

19.2. Client to Client Transfer

- 19.2.1. In respect of Client-to-Client transactions, IIDIL shall debit and/or credit the account of the Client entitled to such credit or debit, as the case may be, after receipt of instructions from the delivering Client and the confirmation from the receiving Client.

19.3. Limited Purpose E-Auction

- 19.3.1. IIDIL shall prescribe in its Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions such norms and procedures for the purpose of facilitating Limited Purpose E-Auction, subject to the approval of the Board of IIDIL. Such norms and procedures shall be subject to such amendments or modifications as may be required by IIDIL from time to time.

CHAPTER 20: SAFEGUARDS TO PROTECT INTEREST OF CLIENTS

20.1. Contingency Funds

- 20.1.1. IIDIL may establish different contingency funds/reserves ("Contingency Fund") for Client protection under these Bye Laws from time to time, as may be required under Applicable Law. The contribution to these funds/reserves shall be in the manner and on such terms and conditions as may be specified by the Authority or as may be determined by IIDIL from time to time, which may include submission of a percentage of funds received from the Client by IIDIL.
- 20.1.2. IIDIL may specify in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions or by way of separate regulations or otherwise, the procedure for setting up, operation and administration of these funds/reserves and for the purpose for which these funds/reserves may be used from time to time.
- 20.1.3. IIDIL may also specify the persons who are entitled to make claims, the procedures for making claims and inter se priority of such claims.
- 20.1.4. The Contingency Fund shall be operated and administered in accordance with the Deed of Trust by the Trustees, appointed by the Board of Directors of IIDIL, for the benefit of Clients.
- 20.1.5. The funds so established shall be held in trust by IIDIL for the benefit of Clients.

20.2. Protection of Data

- 20.2.1. IIDIL shall take necessary steps to protect the transmission and storage of data under the Bullion Depository System. The data shall be protected from unauthorized access, manipulation and destruction. The transmission

of data shall be in encrypted form and will have to be decrypted at the Clients end so as to eliminate the possibility of unauthorized interception of data. The backup of data stored under the Bullion Depository System by IIDIL shall be kept and maintained by IIDIL. IIDIL shall ensure sufficient security measures, to prevent the access of unauthorized persons to the data of IIDIL operations, as specified in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions from time to time.

- 20.2.2. IIDIL shall have adequate business continuity plan for data and electronic records to prevent, prepare for, and recover from any disaster.

20.3. Protection of Accounts of Clients

- 20.3.1. The Clients have an option to freeze their Demat Accounts with IIDIL in accordance with these Bye Laws so as to render them inoperable for a limited period of time. Once the Client opts to freeze the account, IIDIL shall not affect any debit or credit entry or any such other transaction unless the instruction for freezing the account has been withdrawn by the Client.

20.4. Client Protection Fund

- 20.4.1. IIDIL may also establish and maintain a Client Protection Fund for the protection of interest of Clients, as may be required under Applicable Law.
- 20.4.2. The Client Protection Fund so established may be used for the purpose of indemnifying the Clients as required under these Bye Laws.
- 20.4.3. The contribution to and utilization of the Client Protection Fund shall be in accordance with the norms specified by the Authority from time to time.

CHAPTER 21: DEPOSIT AND WITHDRAWAL OF BULLION IN THE VAULT

- 21.1. IIDIL shall adhere to the operating guidelines for the deposit and withdrawal of Bullion in the Vault in terms of the Applicable Laws, including, as per the Operating Guidelines on Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Vault Manager & Bullion Depository issued from time to time by the IFSCA, and perform the function of storage and safeguarding of bullion through a Vault Manager and issuance of the Bullion Depository Receipt in electronic form for trading on the Bullion Exchange. IIDIL shall issue the Bullion Depository Receipt on the underlying Bullion in the Vault operated by the Vault Manager registered and regulated by the Authority for trading on the Bullion Exchange.

21.2. Empanelment of Vault

- 21.2.1. IIDIL shall enter into an agreement with the Vault Manager which has necessary infrastructure, standards for safe storage of bullion and its security. The said agreement shall be in the form as provided in Annexure G.
- 21.2.2. Vault Manager to have the systems, mechanism and related IT infrastructure to provide encrypted transmission of information to IIDIL and system-based reconciliation of data between the Vault Manager and IIDIL.
- 21.2.3. IIDIL will undertake mandatory physical inspection to ensure fulfilment of eligibility requirements before empanelling the Vault.
- 21.2.4. Vault Manager shall comply with the “fit and proper criteria” specified under the Bullion Exchange Regulations and/or by the Authority from time to time.
- 21.2.5. The Vault Manager shall adhere to the guidelines developed by IIDIL from time to time regarding automatic data processing systems and record keeping including but not limited to
- 21.2.5.1. Details of hardware, software and communications systems, their capability, function and location;
 - 21.2.5.2. Details of data storage and back up procedures and sites, their capability, function and location;
 - 21.2.5.3. Details of disaster recovery systems and procedures.

- 21.3. The Vault to obtain certificate of registration from the Authority within such time as may be prescribed by IFSCA/ Relevant Authority.

- 21.4. IIDIL shall issue the Bullion Depository Receipt for the Bullion deposited with the Vault Manager basis the details shared by the Vault Manager with IIDIL and allow the withdrawal of Bullion in the manner and mode as may be prescribed by IIDIL from time to time in its Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.

- 21.5. The Client shall ensure that all the requirements as specified by the Authority or IIDIL are strictly followed for the deposit and withdrawal of Bullion represented by Bullion Depository Receipt issued in the Bullion Depository System.

- 21.6. The Vault Manager shall share information regarding deposit and withdrawal of Bullion by the Depositor in such manner as prescribed by IIDIL from time to time.
- 21.7. A Depositor shall place a request for the deposit of the Bullion with a Vault empaneled with IIDIL.
- 21.8. The Vault Manager, or any person authorised in this behalf, shall ensure the completion of all necessary documentation, at the time of deposit of Bullion by the Depositor.
- 21.9. At the time of deposit of the Bullion, the Vault Manager shall ensure that the physical Bullion meets the technical specifications as may be specified by the Bullion Exchange and the Authority from time to time. In case of any dispute with respect to the technical specifications specified by the Bullion Exchange, the Vault Manager shall get the physical Bullion assayed by an assayer recognized and approved by IIDIL. Further, if the Vault Manager is of the opinion that the physical Bullion does not conform to any of the technical specifications specified by the Bullion Exchange pursuant to Applicable Laws, the Vault Manager may request IIDIL to appoint an independent inspectors/assayer to examine such physical Bullion and express an opinion as to whether the physical Bullion is acceptable for good delivery purposes.
- 21.10. IIDIL may from time to time frame rules/ norms/ criteria for registration/ recognition of assayers.
- 21.11. The Vault Manager shall ensure that the Bullion deposited into the Vault meets the good delivery standard, as may be specified by the Bullion Exchange/ Authority.
- 21.12. On the receipt of a request for extinguishment of Bullion Depository Receipt from a Beneficial Owner for the withdrawal of Bullion, IIDIL shall grant an approval and intimate the same to the concerned Vault Manager. On receipt of aforementioned approval, the Vault Manager shall deliver the Bullion represented by such Bullion Depository Receipt to the Beneficial Owner, subject to the Beneficial Owner producing such documents as may be required and acknowledging in writing the receipt of the Bullion.
- 21.13. If a Vault Manager refuses or fails to deliver the Bullion in compliance with the provisions of the Bullion Exchange Regulations and / or Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions, the burden of proof shall lie on the Vault Manager to establish the existence of a lawful excuse for the refusal or failure.
- 21.14. On the withdrawal of Bullion from the Vault, the Vault Manager shall intimate the same to IIDIL.
- 21.15. When an extinguishment request has been issued in respect of any Bullion Depository Receipt, the Vault Manager shall not deliver the Bullion to the Beneficial Owner of Bullion Depository Receipt until the due charges are paid and necessary documents have been submitted to the Vault Manager.
- 21.16. The authorized personnel of IIDIL shall have an access (physical or electronic) to premises, facilities, data systems, data storage sites and any other facilities related to the electronic data communication network connecting the bullion depository with the Vault Manager to reconcile the Bullion Depository Receipts issued with the physical Bullion on the given day.
- 21.17. Vault Manager to clearly demarcate the storage area meant for vaulting services for Bullion in respect of which the Bullion Depository Receipt is issued. The physical storage for Bullion Depository Receipt shall be separate from that of the vaulting services provided for other activities.
- 21.18. IIDIL to make adequate arrangements including insurance for indemnifying the Beneficial Owners for any loss that may be caused to such Beneficial Owners by the wrongful act, negligence or default of IIDIL or its agents or of any of its employees or Vault Manager.
- 21.19. IIDIL may issue Standard Operating Procedures (SOPs) for the Vault Managers from time to time, which may include:
 - 21.19.1. Procedure for empanelment of Vault.
 - 21.19.2. Procedure for deposit and delivery of physical Bullion;
 - 21.19.3. Procedure for assaying of physical Bullion to be deposited as per standards specified by the Authority;
 - 21.19.4. Procedure for verification of quality of physical Bullion and communication to Depositor;
 - 21.19.5. Procedure for maintaining details of persons who may act as authorised representatives of the Vault Manager for processing Bullion Depository Receipt;
 - 21.19.6. Procedure for ensuring the safety of the physical Bullion from fire, theft, burglary, etc.;
 - 21.19.7. Procedure for storage of physical Bullion, including any embedded tracking mechanism for physical Bullion, as may be specified by the Authority;

- 21.19.8. Procedure for clear identification of stored physical Bullion up to the lowest common factor (for example, lot size);
 - 21.19.9. Procedure for determining losses caused due to fire, flood, earthquake, burglary, misappropriation, fraud, negligence, terrorism, and force majeure events;
 - 21.19.10. Procedure for internal verification of stock;
 - 21.19.11. Procedure for grievance redressal;
 - 21.19.12. Roles and responsibilities of employees (including outsourced employees);
 - 21.19.13. Procedure for the annual audit of the Vault Manager through the external auditor;
 - 21.19.14. Any other condition as may be prescribed by the Authority from time to time.
- 21.20. IIDIL may from time to time prescribe guidelines to Vault Manager with respect to the maintenance, preservation and retrieval of data/records/books of accounts including for:
- 21.20.1. Vault security and access control systems;
 - 21.20.2. Systems for tracking commodities;
 - 21.20.3. Risk control and operations manuals (enclose copies);
 - 21.20.4. Independent internal control mechanisms for monitoring, evaluation and review of accounting safekeeping and reporting systems and procedures;
 - 21.20.5. Any other matter as may be specified by the Authority or as may be deemed relevant by IIDIL.
- 21.21. IIDIL and Vault Manager to maintain an integrated database of the refiners whose Bullion shall be acceptable towards trading on the Bullion Exchange, in the manner as specified by the Authority from time to time.
- 21.22. The Vault Manager shall be responsible for establishing supply chain integrity by verifying the details of the refiner with the system-based electronic database provided by IIDIL of refiners accredited to the good delivery standards, as prescribed by the Bullion Exchange.
- 21.23. IIDIL shall, on a fortnightly basis, check the physical bars deposited in the Vault with the details provided during the creation of Bullion Depository Receipt by the Vault Manager. In addition, IIDIL may conduct surprise inspection of the Vault as and when it may deem fit, with or without notice, and the Vault Manager shall be bound to provide such inspection and cooperate towards the same. The report of any such inspection shall be submitted to IFSCA. Further, IIDIL may also conduct an annual inspection of the Vault either by itself or an external agency as may be identified by IIDIL from time to time. The reports of such inspection shall be forwarded to IFSCA in terms of Applicable Law or as and when directed by IFSCA.

CHAPTER 22: ISSUANCE, MODIFICATION, TRANSFERABILITY AND CANCELATION OF BULLION DEPOSITORY RECEIPTS AND MODIFICATION THEREOF

- 22.1. The issuance, transferability and cancellation of the Bullion Depository Receipts shall be subject to and in accordance with the provisions of the Bullion Exchange Regulations.
- 22.2. IIDIL shall meet such specified requirements and follow the procedure for issuance of Bullion Depository Receipts as may be specified by the Authority.
- 22.3. JWithout prejudice to the generality of the foregoing, IIDIL shall follow the following procedural framework in relation to Bullion Depository Receipts:
- 22.3.1. The Beneficial Owner of the Bullion shall intimate the Bullion Depository and the Vault Manager about the allocation of the Bullion that the Vault holds on its behalf towards the creation of Bullion Depository Receipt.
 - 22.3.2. The Vault Manager shall intimate acceptance of the physical Bullion to the supplier, subject to adherence to the good delivery standards prescribed by the Bullion Exchange.
 - 22.3.3. The Vault Manager shall confirm the receipt of physical Bullion from the supplier and electronically provide details of the said Bullion to IIDIL.
 - 22.3.4. The Vault Manager shall provide the following details of the Bullion being held in its Vault to initiate the process of creation of Bullion Depository Receipts in electronic form, to IIDIL, namely

- 22.3.4.1. Name & address of the Beneficial Owner.
- 22.3.4.2. Details of the Vault Manager.
- 22.3.4.3. Details of the refiner whose markings are engraved on the physical bars.
- 22.3.4.4. The serial numbers provided by the refiner and engraved on the physical bars.
- 22.3.4.5. The purity of the bar in parts per 1000 viz. 995/1000, 999/1000, 999.9/1000 etc.
- 22.3.4.6. Weight of the physical bar denominated in grams, kilograms or ounces, as the case may be.
- 22.3.5. Subject to the above conditions being fulfilled, IIDIL may issue a Bullion Depository Receipt in electronic form with underlying Bullion, bearing a unique identifier.
- 22.3.6. The Bullion Depository Receipts shall be created within 2 (two) hours of confirmation of allocation of bars towards trading by the initial Beneficial Owner of the bars to IIDIL, or within such other time as may be prescribed by the Authority from time to time.
- 22.4. The Bullion Depository Receipts issued on IIDIL shall be notified by IIDIL to the concerned Clients through electronic means, mobile applications, or other means as may be specified by the Authority or IIDIL from time to time.
- 22.5. The Bullion Depository Receipts shall be issued by IIDIL through the Bullion Depository System in the manner and mode as prescribed by the Authority from time to time.
- 22.6. The Vault Manager shall not be entitled to make any change in the information contained in a Bullion Depository Receipt.
- 22.7. The modification to the Bullion Depository Receipt as necessitated shall be carried out by IIDIL in the following manner but not limited to and as may be further prescribed by the Authority and in compliance of the requirements specified by the Authority from time to time by-
 - 22.7.1. Cancelling the existing Bullion Depository Receipt; and Issuing a new Bullion Depository Receipt with the correct information; or
 - 22.7.2. Making modifications in the Bullion Depository Receipt to reflect correct information.
- 22.8. It shall be the responsibility of IIDIL and Vault Manager to notify the Client in whose favor the Bullion Depository Receipt is issued of any such action as may be initiated under the Bye law above.
- 22.9. IIDIL in consultation with the Bullion Exchange, shall devise a mechanism to track and trace the Beneficial Owner of each Bullion Depository Receipt.
- 22.10. Extinguishment of Bullion Depository Receipt
 - 22.10.1. Beneficial Owner intending to obtain physical Bullion against the Bullion Depository Receipt shall be required to surrender the Bullion Depository Receipt.
 - 22.10.2. IIDIL on receipt of the request for surrender of Bullion Depository Receipt and re-materialisation from the Beneficial Owner, shall extinguish the Bullion Depository Receipt.
 - 22.10.3. The information of the extinguished Bullion Depository Receipt shall be relayed through the integrated system to the Vault Managers post which, the delivery of physical Bullion shall be made to the Beneficial Owner of the extinguished Bullion Depository Receipt.
 - 22.10.4. With respect to the extinguished Bullion Depository Receipts, the audit trail shall be maintained by IIDIL for 10 (ten) years or for such other time as may be prescribed by IFSCA from time to time.
 - 22.10.5. IIDIL and Vault Manager shall reconcile the information with respect to the list of active Bullion Depository Receipts at all points of time.
 - 22.10.6. If there are any reconciliation issues, the same shall be reported forthwith to the Authority, Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation and fresh deposits / withdrawal shall be temporarily stopped till the investigation is completed.
 - 22.10.7. After the investigation is complete, deposit and withdrawal shall be resumed only with the approval of the Authority.
 - 22.10.8. In case of any disputes related to quality of physical Bullion, during the process of withdrawal, the same would be dealt with by obtaining a quality report from an independent assayer recognized by IIDIL.

CHAPTER 23: ELECTRONIC CREDIT AND DEBIT IN THE ACCOUNTS OF CLIENTS

- 23.1. Debit or credit into the Demat Account of the Client shall happen on account of deposit of Bullion or withdrawal of Bullion from the Vault or on account of transfer/transmission of Bullion Depository Receipts from one Demat Account to another held with IIDIL in the manner prescribed under the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.
- 23.2. IIDIL shall issue the statement of holdings of Electronic Balances within such time as may be specified by the Authority from time to time.
- 23.3. The Electronic Balances in the statement of holdings represent the electronic balance of Bullion Depository Receipts and the Client shall have the right to the Bullion underlying the Bullion Depository Receipts.
- 23.4. The Electronic Balances in the statement of holdings shall be authentic proof of existence of such Bullion Depository Receipts and the record of Bullion Depository Receipts held in IIDIL and the corresponding Bullion stored and held by the Vault Manager.
- 23.5. Prior to depositing the Bullion in the approved Vault, it shall be obligatory for the Client to open a Demat Account with IIDIL in the mode and manner as prescribed by IIDIL from time to time. A unique Beneficial Owner Identification Number will be created for every Client.
- 23.6. After deposit of physical Bullion into the Vault by complying with the process including assaying as may be prescribed, the Vault Manager shall enter all such information as is necessary for the issuance of Bullion Depository Receipt and as may be prescribed under these Bye Laws and by the Relevant Authority from time to time and generate a unique lot ID against the respective Beneficial Owner Identification Number of the Client. The Bullion Depository Receipts shall be generated in the Bullion Depository System by IIDIL in accordance with the Applicable Laws and the Demat Account of the Client shall be credited for deposit of Bullion made by such Client.
- 23.7. IIDIL will by electronic means intimate, as and when the transactions are executed, all details of debits and credits to the concerned Client and Vault Manager.

CHAPTER 24: SUSPENSION OF OPERATION OF DEMAT ACCOUNT AND/OR A BULLION DEPOSITORY RECEIPT

- 24.1. Every Client having a Demat Account shall have the right to suspend the operations in his account either for debits or for credits or for both so as to render it inoperable. IIDIL shall suspend the operations of such account of a Client maintained with it on written instructions received by it in that regard from the Client in the manner and form prescribed under Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.
- 24.2. The Client may request to suspend:
 - 24.2.1. Its account maintained with IIDIL; or
 - 24.2.2. A particular Bullion Depository Receipt in its account; or
 - 24.2.3. Bullion represented through International Securities Identification Number (ISIN) or such as identification number represented through and held under the Bullion Depository Receipt in its Demat Account, by giving such appropriate instruction to IIDIL as the case may be, in the form and manner as may be prescribed by IIDIL from time to time.
- 24.3. IIDIL will suspend the operation of a Demat Account on the basis of instructions / orders received by IIDIL from the Central or State Government, IFSCA or any order passed by a Tribunal or court or any other quasi-judicial authority having the powers to pass such orders.
- 24.4. IIDIL, on the basis of the request received from the Client or pursuant to the orders received from the Central or State Government, IFSCA or any order passed by a court, tribunal or any other statutory authority, shall suspend/ freeze the operation of the Demat Account and/or the Bullion Depository Receipt and/or Bullion represented by unique identification number as assigned to it in the Bullion Depository Receipt and as represented in the said Demat Account of the Client.

Provided however that any order of a Court, Tribunal, Government or other competent authority relating to suspension of a Demat Account or taking any action in relation to a Demat Account which is within the purview of obligations cast on IIDIL under the Bullion Exchange Regulations, shall be effected by IIDIL only on receipt from such authority, the Demat Account Identification Number or Permanent Account Number (PAN) or Aadhar coupled with specific directions if the same are not set out in such order with sufficient accuracy.
- 24.5. IIDIL shall, on its own, suspend the operation of its Clients and/ or IIDIL and/or Bullion identified by such identification number to the extent of the Bullion Depository Receipts held in the Client's name under the following circumstances:-
 - 24.5.1. On the basis of the orders received from the Central or State Government or IFSCA or any court or tribunal or any other statutory authority in this regard; or

- 24.5.2. On the basis of the orders passed by the Disciplinary Action Committee as set out in the Bye Laws; or
- 24.5.3. IIDIL has been adjudged insolvent, bankrupt or in case IIDIL is being wound up; or
- 24.5.4. Such other reasons / cause as may be notified by IIDIL from time to time
- 24.6. An account so suspended shall be activated only on instructions in writing from the Client, where it has been suspended at the instance of a Client, or pursuant to the passing of any order or issuance of instructions for vacating, revoking or setting aside the order of suspension by the court, tribunal or any authority as mentioned hereinabove.
- Provided further that on the account being suspended, IIDIL shall not affect any debit entry or any such other transaction unless the instructions or order for suspension of the account has been withdrawn, revoked, vacated, set aside or modified as aforesaid. However, IIDIL shall be entitled to credit the benefits to a frozen account unless specifically prohibited by the Client or by orders of attachment/seizure/freezing of the account.

CHAPTER 25: TRANSFER OF BALANCES

- 25.1. IIDIL shall not execute any debit or credit in the account of the Client without authorization from such Client or his assent, or unless otherwise provided in the Bye Laws and / or Bullion Operating Instructions and/or as may be required under the Applicable Laws.
- 25.2. The mode and the form of authorization shall be as specified in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions or as may be directed by IIDIL from time to time.

CHAPTER 26: TRANSMISSION OF THE BULLION DEPOSITORY RECEIPT

- 26.1. In the event of the death of a Client holding a Demat Account, the Bullion Depository Receipts of such account shall be determined in accordance with law in favor of the legal heirs of the deceased against production of the necessary documents such as Probate, Will, Letters of Administration or Succession Certificate, as may be applicable.
- 26.2. IIDIL shall be entitled to require the person or persons in whose favor the Bullion Depository Receipts are to be transmitted as aforesaid to open a Demat Account by following the procedure prescribed by the Relevant Authority.
- 26.3. In case the Client is declared as lunatic or adjudicated insolvent or otherwise incapable to operate his Demat Account, IIDIL shall, on production of the certified copy of the order passed by the competent court, may either transmit the Bullion Depository Receipts lying in such account to any other account or otherwise as may be ordered.
- 26.4. In the event of winding up of the Client being a body corporate, by an order of the Court, the Bullion Depository Receipts shall be transmitted to such Demat Account as may be directed in the Court order to that effect. However, if a Client being a body corporate undergoes a voluntary winding up (not subject to supervision of the Tribunal) or merger or has been acquired by another entity, the Bullion Depository Receipts shall be transmitted to such Demat Account as provided in the resolution passed for such voluntary winding up or merger or acquisition as applicable based on the order of a competent court or authority as the case may be.

CHAPTER 27: PLEDGE

- 27.1. The Client shall be required to open and maintain a Demat Account, if the Client intends to create a pledge on Bullion deposited in the Vault.
- 27.2. IIDIL shall mark in its records a pledge on the Bullion Depository Receipt in favor of the Pledgee upon being instructed to do so by both the Client (pledger) and the Pledgee.
- 27.3. For the purpose of creation of the Pledge on a Bullion Depository Receipt, the pledger and the Pledgee shall provide such information in such forms as may be prescribed in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions, by IIDIL from time to time.
- 27.4. Any Client holding a Bullion Depository Receipt in the Demat Account shall be entitled to get the Pledge created against the Bullion represented in such Bullion Depository Receipt in the manner and mode as may be prescribed by IIDIL in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions, from time to time.
- 27.5. IIDIL on receipt of the application in the manner as prescribed and after satisfaction that the Bullion is available for pledge, shall create and record the pledge within such time and in such manner as may be prescribed by IIDIL from time to time.
- 27.6. The Pledgee shall have a lien on the Bullion represented through the Bullion Depository Receipt for the duration of the pledge and the Vault Manager shall not be entitled to release the Bullion from the Vault if a pledge exists on the Bullion Depository Receipt issued against the same.
- 27.7. The Pledgee shall initiate the removal of lien in the manner and mode prescribed by IIDIL in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions, from time to time.

- 27.8. Once the Pledge is invoked, the Pledgee shall register itself as Client of such Electronic Balances and shall amend its records accordingly. The change in the record of IIDIL shall be binding on original Client, Pledgee and the Vault Manager.
- 27.9. The mode and manner of creation, invocation, cancellation and/or revocation of the Pledge shall apart from those as specified under these Bye Laws shall also be as prescribed and specified by the Authority or IIDIL in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions, from time to time.
- 27.10. If IIDIL does not create the pledge within such period as may be required in terms of these Bye Laws or Bullion Operating Instructions or any directive of IIDIL within such time as may be prescribed, IIDIL shall send along with the reasons, an intimation of such non creation of Pledge to the pledger and the Pledgee.
- 27.11. The pledger or Pledgee may request cancellation of the entry of pledge made, in the manner as may be prescribed by IIDIL in the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions , from time to time.
- 27.12. IIDIL shall not refuse the request to create a pledge in respect of Electronic Balances available for pledge unless operations in respect of those Electronic Balances are restrained or frozen by virtue of any order or direction of any court, tribunal, Central Government, IFSCA or other competent authority or by IIDIL itself and if IIDIL does not create such pledge within the prescribed time, it shall intimate the concerned Client and Pledgee of its decisions setting out the reasons for such refusal.
- 27.13. The Pledgee may invoke the pledge made, subject to the provisions of the pledge document and as may be prescribed by IIDIL in terms of its Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions.

CHAPTER 28: ACCESS TO BULLION DEPOSITORY SYSTEM BY NON SPECIFIED CLIENTS

- 28.1. IIDIL may grant access to any other person not specifically covered in the definition of Clients and who may be required to be granted access to the Bullion Depository System.
- 28.2. The grant of such access as required as per the Bye Law above shall be subject to the norms and procedures as may be prescribed by IIDIL with specific approval of the Authority, for each of such Client from time to time and subject to such approvals by such Clients from regulatory authorities, if any, as may be required.

CHAPTER 29: RECONCILIATION, ACCOUNTS AND AUDIT

29.1. Reconciliation

- 29.1.1. IIDIL shall ensure that it has in place at all times such systems and procedures for the reconciliation of records as per Applicable Laws.
- 29.1.2. A Vault Manager shall be responsible for reconciling the physical stock of the Bullion in its custody with Bullion Depository Receipts and such reconciliation shall be undertaken on a daily basis, or at such frequency and in such manner as the Authority or IIDIL may specify from time to time.
- 29.1.3. IIDIL shall provide the information necessary to Vault Managers to perform such reconciliation in such format and on such terms and conditions as the Authority or IIDIL may prescribe from time to time.
- 29.1.4. The Vault Manager shall submit a reconciliation report to the Authority and IIDIL after every reconciliation in the format and manner specified by the Authority or IIDIL.
- 29.1.5. The Relevant Authority may from time to time specify requirements that IIDIL will have to meet in order to comply with reconciliation.
- 29.1.6. If there is failure of the reconciliation as specified above, IIDIL may bring the status to the notice of the Authority and follow instructions thereon.
- 29.1.7. However, in the event of any differences arising out of reconciliation, the records of IIDIL shall be considered as final or as may be determined by IFSCA.

29.2. Accounting, Internal Control, Reports and Returns

- 29.2.1. IIDIL shall prepare audited financial statements including the Directors' Report and Auditor's Report, at the end of each financial year within such time as may be prescribed under Applicable Laws.
- 29.2.2. Proper accounts shall be maintained by IIDIL and the Vault Managers in respect of the operations of IIDIL in accordance with the software provided by IIDIL.

29.2.3. IIDIL to maintain such records as may be required under Applicable Laws, which may include the following records and documents, namely:

29.2.3.1. Records of all the transactions entered into with a Client;

29.2.3.2. Details of Bullion Depository Receipts issued and the acknowledgment issued;

29.2.3.3. Records of instructions received from Clients and statements of account provided to Clients; and

29.2.3.4. Records of creation, approval, notice, entry, invocation and cancellation of pledge, as the case may be.

29.2.4. Subject to the provisions of any other law and unless specifically instructed by IFSCA, IIDIL will preserve records and documents electronic or otherwise, for a minimum period of 20 (twenty) years.

Provided that IIDIL may preserve and maintain the documents, both in physical and electronic form, copies of which have been taken by Central Bureau of Investigation, Police or any other enforcement agency during course of any investigation or enquiry conducted by them till the trial is completed.

CHAPTER 30: MANNER OF KEEPING INFORMATION AND RECORDS

30.1. IIDIL shall ensure that:

30.1.1. A timely and accurate record of information and records is maintained;

30.1.2. The integrity of the systems is maintained at all times;

30.1.3. The information and records are not destroyed or tampered with;

30.1.4. The information and records are not lost even in the event of a disaster.

30.2. IIDIL shall annually report to the Authority the steps and precautions taken under sub-clause 30.1 of this Chapter, as maybe required under the provisions of the Applicable Laws including Bullion Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws.

30.3. If the Authority issues any direction to IIDIL, IIDIL shall comply with such direction at its own cost, and as per the time period specified in the direction.

CHAPTER 31: PRESERVATION OF CONFIDENTIALITY

31.1. IIDIL shall provide access only on a need to know basis.

31.2. Access to information about Bullion Depository Receipts shall be provided to the Clients to whom such Bullion Depository Receipts belong to, to the Vault Manager with whom the Client has the physical deposit of Bullion and to the Pledgee with whom the Client intends to create a pledge.

31.3. IIDIL shall not allow access to information about Bullion Depository Receipts to any person other than a Client, Pledgee or Vault Manager without the permission of the Client, subject to other requirements set out in these Bye Laws.

31.4. IIDIL shall not share, without the prior permission of the Authority, any information received or acquired by it during the course of its working, except as required by the due process of law.

31.5. IIDIL shall, upon demand from the Authority, furnish information regarding data access, including a log identifying each staff member accessing the data, the time of access, the nature of data accessed and the purpose.

31.6. IIDIL shall create rights of access for different kinds of Clients, and provide access to them as per such Client rights.

31.7. The Authority may from time to time specify additional requirements that IIDIL shall have to comply with and it shall become mandatory for IIDIL to comply with it.

CHAPTER 32: OBLIGATIONS OF IIDIL ON OUTSOURCING

32.1. IIDIL shall not assign or outsource any of its Services / core functions without the prior approval of the Authority.

32.2. Even if the Services are outsourced after getting the approval of the Authority, IIDIL shall be responsible for all the

acts of the outsourced entity and for compliance with the provisions of the provisions of the Applicable Laws including Bullion Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws.

32.3. IIDIL shall take the following due care while assigning or outsourcing its Services:

- 32.3.1. That the outsourcing of any function or activity is in accordance with the internal policies and procedures of IIDIL;
- 32.3.2. That there is no conflict of interest that may impair the ability of the outsourced entity to deliver to the required standard;
- 32.3.3. That a detailed review is performed of the ability of the potential outsourced entity to deliver the required functions satisfactorily;
- 32.3.4. That IIDIL has entered into a written agreement with the outsourced entity clearly setting out their respective rights and obligations;
- 32.3.5. That the outsourcing does not impair the quality of the systems of governance of IIDIL;
- 32.3.6. That the outsourcing does not impede the ability of the Authority to monitor the functioning of IIDIL;
- 32.3.7. That the outsourced entity maintains confidentiality of the data shared with or generated by it while performing the outsourced functions or activity in the same manner and to the same extent as IIDIL would have maintained;
- 32.3.8. That the outsourcing does not cause an excessive increase in the risk to IIDIL and the system for creation and management of Bullion Depository Receipts; and
- 32.3.9. The outsourced entity is required to disclose any development to IIDIL that may have a material impact on its ability to carry out the outsourced functions.

CHAPTER 33: LIMITATION OF LIABILITY

- 33.1. No claim whatsoever shall lie against IIDIL on account of quality and quantity of Bullion deposited by a Client of IIDIL in any Vault for which a Bullion Depository Receipt is issued.
- 33.2. The Depositor or the Client and the Vault Manager shall be solely responsible for complying with the applicable laws and regulations laid down by relevant governmental authorities as also other State/Central laws and authorities issuing such regulations in this behalf from time to time, including but not limited to good delivery standard, tax, stamp duty, etc. IIDIL shall not be responsible or liable on account of any non-compliance thereof by a Depositor or a Client.
- 33.3. The Bullion Depository Receipt issued through the Bullion Depository System is limited to recording of parameters which are necessary for generation of Bullion Depository Receipt by a Vault Manager and IIDIL shall not be held responsible or liable for parameters not mentioned in the Bullion Depository Receipts.
- 33.4. All claims relating to quality and quantity arising out of the deposit and/or delivery of Bullion, underlying a Bullion Depository Receipt, by a Vault Manager, shall be settled between the Depositor/Client and the Vault Manager only and IIDIL shall not be party to any such a dispute.

PART D: OTHER

CHAPTER 34: DISCIPLINARY ACTION

The violations of any of the provisions of the Bye Laws, by the Participant shall attract the disciplinary jurisdiction.

34.1. Disciplinary Action Committee

- 34.1.1. A Disciplinary Action Committee may be appointed by the Board of Directors to deal with any disciplinary matters relating to the Participants.
- 34.1.2. The maximum strength of the Disciplinary Action Committee shall be such as determined by the Board from time to time.
- 34.1.3. The Disciplinary Action Committee appointed by the Board of Directors shall consist of such number of directors and members as may be determined by the Board from time to time.
- 34.1.4. The decision of the Board shall, subject to the directions of the Authority, be final and binding with respect to the appointment of the Disciplinary Action Committee.

34.2. Powers of the Disciplinary Action Committee

34.2.1. The Disciplinary Action Committee shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Board, from time to time, which may inter-alia include the following responsibilities and powers to be discharged in accordance with the provisions of these Bye Laws:

- 34.2.1.1. Suspension of a Participant with or without fine;
- 34.2.1.2. Expulsion of a Participant with or without fine;
- 34.2.1.3. Request the Authority to declare a Vault as 'ineligible' for generation of Bullion Depository Receipt on IIDIL;
- 34.2.1.4. Freezing the account of the Participant;
- 34.2.1.5. Power to conduct inspection
- 34.2.1.6. Power to conduct an investigation/inquiry;
- 34.2.1.7. Power to call for records, issue show cause notice to participants for suspension / expulsion;
- 34.2.1.8. To declare any Security admitted into IIDIL as ineligible;
- 34.2.1.9. To take action against Clearing Corporation or Clearing Members.

34.3. Participant's/ Responsibility for Partners, Agents and Employees

34.3.1. A Participant shall be fully responsible for all the acts omissions and commissions of its directors, authorized officials, authorized representatives and employees and IIDIL shall assume that all such acts, omissions and commissions were done by the Participant itself and would be subjected to any of the penalties to the same extent as provided in the Bye Laws of IIDIL.

34.4. Suspension of a Participant/

34.4.1. The Disciplinary Action Committee shall require a Participant to suspend its business when it fails to meet the continuing requirements of fulfilling the criteria of admission as provided in these Bye Laws and the suspension of business shall continue until the Participant furnishes satisfactory evidence of meeting the requirements.

34.4.2. The Disciplinary Action Committee may require a Participant to suspend its business, in part or whole, inter alia where:

- 34.4.2.1. In the opinion of the Disciplinary Action Committee, the Participant's financial condition is such that it has gone below the net worth norms or the Participant fails to maintain it as specified in the Bullion Operating Instructions and / or Bye-Laws of IIDIL;
- 34.4.2.2. The Participant violates the provisions of the Act, the Regulations, these Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions;
- 34.4.2.3. The Participant does not comply with the instructions of the Beneficial Owner/ Client;
- 34.4.2.4. A material change has taken place in the management, constitution or control of the Participant's legal entity, whether by way of alteration in its Board of Directors, or the composition of its partners or the shareholding pattern thereof or there is a change in the nature of the legal entity, and such change violates the provision of the Bye Laws and the guidelines or regulations as notified by the Authority.

34.5. Expulsion of a Participant

34.5.1. The Disciplinary Action Committee may expel a Participant from IIDIL under the following circumstances:

- 34.5.1.1. In case the Participant commits repeated breach of the provisions of the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions, in spite of repeated reminders from IIDIL in this regard;
- 34.5.1.2. In case the Participant exposes itself to risks which in the opinion of the Disciplinary Action Committee is not commensurate with Participant's net worth;

34.5.1.3. If the quality of services rendered by the Participant is not satisfactory in the opinion of the Disciplinary Action Committee as evidenced by the complaints of its Client(s)/ Beneficial Owner;

34.5.1.4. If the Participant carries on the activities in a manner which is detrimental to the interests of the stakeholders of IIDIL system and continued existence of IIDIL as well as the interests of the Beneficial Owners/ Clients in general;

34.5.1.5. The Participant ceases to carry on the business as Participant, as the case maybe.

34.6. Revocation of Suspension

34.6.1. The suspension of business under the Bye Laws as stated above shall continue until the Participant has been allowed by the Disciplinary Action Committee to resume business on its paying such deposit or furnishing such security or on its doing such act or providing such evidence as the Disciplinary Action Committee may require.

34.7. Procedure for Expulsion/Suspension or other Disciplinary Action

34.7.1. A Participant shall appear and testify before and cause its directors, partners, authorized representatives and employees to appear before the Disciplinary Action Committee or before such other Committee(s) or such members of Disciplinary Action Committee authorized in this behalf by Disciplinary Action Committee, officer(s) of IIDIL authorized in that behalf by the Disciplinary Action Committee and shall produce before the Disciplinary Action Committee or Committee(s) or officer of IIDIL authorized in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in its possession, power or control and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

34.7.2. The Disciplinary Action Committee shall issue show cause notice to the concerned Participant who shall be required to reply within such time as may be specified in the show cause notice or within such extended time as may be granted by the Disciplinary Action Committee on an application made to it.

34.7.3. The concerned Participant shall be entitled to a personal hearing. The Participant may appear itself or through a professional counsel, attorney, advocate or other representative at any hearing given by the Disciplinary Action Committee with the prior consent of the Disciplinary Action Committee..

34.7.4. The Disciplinary Action Committee shall after taking into account the pleadings written and oral explanation and arguments, shall pass a reasoned order. The Disciplinary Action Committee shall send a copy of its final order to Participant, Board of IIDIL and IFSCA.

34.7.5. The Participant shall have the right to appeal to Board of IIDIL against final order of Disciplinary Action Committee.

34.8. Imposition of Penalties

34.8.1. The Disciplinary Action Committee may pass an order censuring/suspending/expelling a Participant for such period or on such terms and conditions as the Disciplinary Action Committee deems fit including but not limited to imposing monetary penalties as may be applicable for each of the violations under the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions made thereunder.

34.9. Consequence of Suspension

34.9.1. The suspension of a Participant shall have the following consequences namely:

34.9.1.1. Suspension of Participant rights: The suspended Participant shall during the term of its suspension be prohibited and excluded from all the rights and privileges of a Participant on IIDIL;

34.9.1.2. Rights of Clients unimpaired: The suspension shall not affect the rights of the Clients of the suspended Participant;

34.9.1.3. Rights of creditors unimpaired: The suspension shall not affect the rights of the creditors of the suspended Participant including creditors which are other Participants;

34.9.1.4. Rights of Pledges unimpaired: The suspension shall not affect the rights of any Pledgee in respect of security or Bullion of any Beneficial Owner/ Client who holds an account with the suspended Participant;

- 34.9.1.5. Fulfillment of obligations: The suspended Participant shall be bound to fulfill obligations outstanding at the time of its suspension as directed by Disciplinary Action Committee. IIDIL shall have the power to fulfill all obligations towards the Beneficial Owner/ Clients of the suspended Participant outstanding at the time of suspension of such Participant;
 - 34.9.1.6. Further business prohibited: The suspended Participant shall not during the term of its suspension transact any depository business, with or through another Participant;
 - 34.9.1.7. Participant not to deal: No Participant shall transact business for or with the suspended Participant during the term of its suspension except with the previous permission of the Disciplinary Action Committee.
- 34.9.2. In case of suspension of a Participant, the Beneficial Owner/ Client shall have the option of either getting the Securities held with the Participant transferred to another Participant within IIDIL or to a Participant with the other depository or getting the securities rematerialized.

34.10. Consequences of Expulsion

- 34.10.1. The expulsion of a Participant shall have the following consequences, namely:
- 34.10.1.1. Participant's rights forfeited: The expelled Participant's rights as a Participant shall stand forfeited and all rights and privileges as a Participant shall automatically cease to exist. However, any liability of any such Participant to IIDIL or to any other Participant of IIDIL or to any of its Beneficial Owners/ Clients shall continue and remain unaffected by its expulsion;
 - 34.10.1.2. Office vacated: The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled Participant in IIDIL;
 - 34.10.1.3. Rights of Beneficial Owners/ Clients unimpaired: The expulsion shall not affect the rights of the Beneficial Owners/ Clients who are Beneficial Owners/ Clients of the expelled Participant;
 - 34.10.1.4. Rights of Creditors unimpaired: The expulsion shall not affect the rights of the creditors of the expelled Participant including creditors which are other Participant;
 - 34.10.1.5. Fulfillment of obligations: The expelled Participant shall be bound to fulfill transactions outstanding at the time of its expulsion and it may with the permission of the Disciplinary Action Committee close such outstanding transactions with or through another Participant. IIDIL shall have the power to fulfill all obligations towards the Beneficial Owners/ Clients of the expelled Participant outstanding at the time of expulsion of such Participant;
 - 34.10.1.6. Participants not to deal: No Participant shall transact business for or with expelled Participant except with the previous permission of the Disciplinary Action Committee.
- 34.10.2. In case of expulsion of Participant, the Client shall have the option of either getting the Securities held with the Participant transferred to another Participant or getting the securities rematerialized..

34.11. Expulsion Rules to Apply

- 34.11.1. When a Participant ceases to carry on business otherwise than on death, the Participant shall be deemed to be expelled and in that event all provisions relating to expulsion contained in these Bye Laws shall apply to such concerned Participant in all respects.

34.12. Notice of Expulsion/Termination/Suspension of Business

- 34.12.1. Notice shall be given to all other Participants through the system of IIDIL of the expulsion, termination or suspension of business in relation to the operations of IIDIL by a Participant or of any other charges, penalties imposed on it, on its partners, authorized representatives or other employees. The Disciplinary Action Committee may, in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit, notify or cause to be notified to the Participants of IIDIL and/or to the Clients and to public, that any person who is named in such notification has been expelled, suspended or has suspended its business or ceased to be a Participant. No action or other proceedings shall, in any circumstances, be maintainable by such suspended/ expelled/ceased Participant against IIDIL or the Disciplinary Action Committee, or any member of the Disciplinary Action Committee or any employee of IIDIL for the publication or circulation of such notification.

34.13. Procedure for Cancellation of Agreement between Beneficial Owner/ Clients / Participant and IIDIL

- 34.13.1. The agreement entered into between the Beneficial Owner/ Clients and Participant and IIDIL shall be cancelled under the following cases:-
- 34.13.1.1. on the expulsion of the Participant by the Disciplinary Action Committee; or
- 34.13.1.2. on the termination of the Participant or its services by IIDIL in accordance with the provisions of these Bye Laws.
- 34.13.2. The cancellation of the agreement shall have effect only when such cancellation has been approved by IIDIL. IIDIL shall give approval for such cancellation only if:
- 34.13.2.1. there exists no suspense balance in the accounts of the Beneficial Owner/ Clients with Participants and the accounts of Participant with IIDIL;
- 34.13.2.2. the accounts of all the Clients of the Participant have been closed and there exist no balances;
- 34.13.2.3. the Participant has paid or settled all its outstanding dues to IIDIL;
- 34.13.2.4. The cancellation of the agreement between the Beneficial Owner and the Participant shall not affect the obligations of the Beneficial Owner/ Client and Participant, and shall survive the cancellation of agreement.
- 34.13.3. Such cancellation of the agreement referred to in Bye Law 34.13.2 above shall not affect any rights or claims arising in respect of transactions effected by the Participant while it was a Participant of IIDIL.

CHAPTER 35: APPEALS

35.1. Right of Appeal

- 35.1.1. Any Participant aggrieved by the order passed by the Disciplinary Action Committee shall have the right of appeal to IIDIL against the said order of the Disciplinary Action Committee.

35.2. Procedure for Appeal

- 35.2.1. An appeal may be filed with IIDIL, by a Participant within thirty days of receipt of the order of the Disciplinary Action Committee. The appeal may be filed by filing with the board of Directors a note and memorandum of appeal stating the reasons and grounds of the appeal against the decision/order of the Disciplinary Action Committee and must also state the relief sought, if any.
- 35.2.2. The Board of IIDIL or any Committee of Board of IIDIL authorized in this behalf shall after considering the order of the Disciplinary Action Committee and the appeal filed by the Participant, concur with the order of the Disciplinary Action Committee or stay the operation of any order passed by Disciplinary Action Committee for such period and on such terms and conditions as the Board of IIDIL or Committee of Board of IIDIL, as the case may be, may deem fit.

35.3. Consideration of Appeal

- 35.3.1. The appeal will be heard by the Board of IIDIL or Committee appointed by the Board of IIDIL to whom the power of hearing is delegated. At such hearing, the appellant may appear by himself or be represented by advocates, counsels, attorneys and other representatives with the prior permission of the Board of Directors.
- 35.3.2. The time limit for the disposal of an appeal preferred to the Board of IIDIL or Committee appointed by the Board of IIDIL shall be two months from the date of making such appeal or such other extended time as may be decided by the Board of IIDIL.

35.4. Record

- 35.4.1. A copy of the record of the Disciplinary Action Committee and the Board of IIDIL, relating to the appeals, shall be furnished to the Authority upon a request being received from it.

35.5. Third Party Claims

- 35.5.1. Manner of Dealing with Third Party Claims: In the event of any claim made by any person in respect of any Securities held in IIDIL by a Beneficial Owner/ Client being received in writing by the Participant through

whom the Securities are held by that Beneficial Owner/ Client, either directly from the claimant or through Participant, the Participant shall forthwith intimate IIDIL and the Beneficial Owner/ Client of such claim.

Provided however that, IIDIL shall not act on such claim or notice in the absence of an appropriate order or directive of a competent court, tribunal or Authority in respect of such claim.

Provided further, that IIDIL may, on receipt of such claim or notice, if it so deems fit, require the concerned Beneficial Owner/ Client to execute a suitable indemnity in favor of IIDIL or Participant as the case may be, as a condition to IIDIL permitting the Beneficial Owner/ Client to continue dealing with the Securities in dispute.

- 35.5.2. Where such claim is received by IIDIL directly, IIDIL shall forthwith intimate the Participant of such claim and take all actions as aforesaid.

CHAPTER 36: DISCLAIMER AND INDEMNITY

36.1. Disclaimer

- 36.1.1. Where any loss or damage is caused to or incurred by any party or person on account of any act of commission or omission or default in complying with the provisions of Applicable Laws or these Bye Laws or the Operating Instructions or the agreements executed in pursuance thereof or on account of the negligence or fraud on the part of any Participant, Issuer, RTA, Clearing Member or Clearing Corporation or their employees, servants or agents, in the event of IIDIL making good or being required to make good such loss or damage (or any part thereof) to such party or person, IIDIL shall be entitled to recover the amount so made good by it from the Participant, Issuer, RTA, Clearing Member or Clearing Corporation in default.
- 36.1.2. Where any loss or damage is caused to or incurred by any party or person on account of any act of commission or omission or default in complying with the provisions of Applicable Laws including Bullion Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws or these Bye-Laws and/or the Bullion Operating Instructions or the agreements executed in pursuance thereof or on account of the negligence or fraud on the part of any Client, and in the event of IIDIL making good or being required to make good such losses or damages (or any part thereof) to such party or person, IIDIL shall be entitled to recover the amount so made good by it from the defaulting Client.

36.2. Indemnity

- 36.2.1. IIDIL shall indemnify the Beneficial Owners for any loss that may be caused to such Beneficial Owners by the wrongful act, negligence or default of IIDIL or its Participants or of any employee of IIDIL and its participants.
- 36.2.2. Each and every Participant, Issuer, RTA, Clearing Member and Clearing Corporation shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL and every other Participant, Issuer, RTA, Clearing Member and Clearing Corporation from and against all harm, loss, damage, injury and penalty suffered or incurred and all costs, charges, and expenses incurred in instituting and/or carrying on and/or defending any suits, action, litigation, arbitration, disciplinary action, prosecution or any other legal proceedings suffered or incurred by any Participant, Issuer, RTA, Clearing Member and Clearing Corporation on account of or as a result of any act of commission or omission or default in complying with the provisions of the Applicable Laws or these Bye Laws or the Operating Instructions or the agreements executed in pursuance thereof or on account of the negligence on the part of that Participant, Issuer, RTA, Clearing Member and Clearing Corporation, its employees, servants or agents.
- 36.2.3. Each and every Client shall indemnify and keep indemnified, saved and harmless IIDIL and every other Client from and against all harm, loss, damage, injury and penalty suffered or incurred and all costs, charges, and expenses incurred in instituting and/or carrying on and/or defending any suits, action, litigation, arbitration, disciplinary action, prosecution or any other legal proceedings suffered or incurred by IIDIL or any Client on account of or as a result of any act of commission or omission or default in complying with the provisions of Applicable Laws including Bullion Exchange Regulations, IFSCA Act, rules, regulations made thereunder and any other applicable laws or these Bye Laws and/or the Bullion Operating Instructions or the agreements executed in pursuance thereof or on account of the negligence on the part of that Client, which may include its employees, servants or agents if any.

- 36.2.4. IIDIL shall provide its system and services on a best effort basis and IIDIL and/or its Directors, employees and agents shall not incur any liability for any loss suffered by any Client or damage caused to any Client due to malfunctioning, delayed or non-functioning or any technical snag or error beyond the control of IIDIL
- 36.2.5. IIDIL facilitates electronic holding of Bullion Depository Receipts, transfers and the accounting thereof in respect of Bullion held by Vault Managers. In the event of any defect in the Bullion including title to the Bullion, due to fraud or misconduct of any Client or Depositor or Vault Manager, IIDIL and/ or its Directors, employees and agents shall not incur any liability for any loss suffered by or damage caused to any person including any Client.
- 36.2.6. Without prejudice to the aforesaid, with respect to any loss caused to the Beneficial Owner due to the wrongful act, negligence or default of IIDIL or the Participant, IIDIL shall indemnify such Beneficial Owner. Provided, however, where the loss due to the negligence of the Participant is indemnified by IIDIL, IIDIL shall have the right to recover the same from such Participant.

CHAPTER 37: CONCILIATION AND ARBITRATION

37.1. Conciliation

- 37.1.1. In all claims, differences and disputes, irrespective of whether IIDIL is a party or not, arising out of or in relation to dealings on IIDIL including any agreements, contracts and transactions made subject to the Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions of IIDIL or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereof and including any question of whether such dealings, transactions, agreements and contracts have been entered into or not, the parties shall be free to adopt conciliation proceedings subject to the provisions of Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and amendments thereto.

37.2. Arbitration

- 37.2.1. Subject to the Applicable Laws, IIDIL shall maintain a panel of arbitrators who will be appointed by IIDIL from amongst persons who have experience of handling arbitration matters in the relevant field and the arbitration proceedings shall be held in the manner as specified by IFSCA or IIDIL from time to time.

CHAPTER 38: JURISDICTION

38.1. Jurisdiction

- 38.1.1. Any dispute that may arise between IIDIL and any intermediary under these Bye Laws shall be deemed to have arisen at the computerized processing unit of IIDIL at Gandhinagar, Gujarat and the place of contracting between the Beneficial Owners/ Clients shall be at Gandhinagar. The Beneficial Owners/ Clients shall expressly record on their contracts/agreements that they have excluded the jurisdiction of all other Courts save and except, Civil Courts in Gandhinagar in relation to any dispute arising out of or in connection with any matter under these Bye Laws and that only the Civil Courts at Gandhinagar have exclusive jurisdiction in claims arising out of such dispute. The provisions of this section shall not object the jurisdiction of any court deciding any dispute as inter-se /between other parties to which IIDIL is not a party.
- 38.1.2. The record of IIDIL as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any register, magnetic storage units, electronic storage units, optical storage units or computer storage units or in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any transaction entered into through automated trading system. For the purposes of any dispute the record as maintained by the computer processing units by IIDIL shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the Clients of IIDIL inter-se or between Clients and non- Clients of IIDIL as the case may be.

38.2. Indemnity

- 38.2.1. IIDIL shall not be liable for any disputes arising between the Clients and non-Clients and the Clients shall keep IIDIL indemnified for any such claims or losses arising out of such dispute.
- 38.2.2. The Client/Depositor shall indemnify and keep IIDIL indemnified and harmless against any losses, claims or damages suffered or incurred by IIDIL on account of any claim, difference or dispute between Vault Manager

and the Depositor/ Client relating to quality and quantity of the Bullion deposited or delivered under a Bullion Depository Receipt.

38.3. Client Only the Recognized Parties

- 38.3.1. IIDIL does not recognize as parties to any deal any persons other than its Clients and the Beneficial Owners. Every Beneficial Owner/ Client is directly and wholly liable, to the extent and in accordance with the Bye Laws, Bullion Operating Instructions of IIDIL, to every other Client with whom such Client may provide the services using the depository system whether such usage is for the Beneficial Owner/ Client or for on behalf of the Beneficial Owner/ Client.

38.4. Services subject to Bye Laws and Bullion Operating Instructions

- 38.4.1. All Services availed by the Beneficial Owners/ Clients through the depository system shall be in accordance with the Bye Laws of IIDIL and shall always be deemed made subject to the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions of IIDIL and this shall be a part of the terms and conditions as set out by IIDIL for availing of the services and shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto as vested in it by the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions of IIDIL

CHAPTER 39: MISCELLANEOUS

- 39.1. IIDIL shall be empowered to impose such restrictions or conditions for carrying out the transactions by the Beneficial Owners/ Client/s / Depositors / Consumers if in the opinion of IIDIL it is just and equitable for the fair and orderly functioning of the depository system or if it otherwise deems advisable in the interest of trade and public interest. During the effectiveness of such restrictions, no Participants shall, for any account in which it has an interest or for the account of any Beneficial Owner/ Client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.
- 39.2. Save as otherwise specifically provided in the Bye-Laws and /or Bullion Operating Instructions or specified by IIDIL, in promoting, facilitating, assisting, regulating, managing and operating IIDIL, IIDIL should not be deemed to have incurred any liability, and accordingly no claim or recourse in respect of or in relation to any dealing of Beneficial Owners/ Clients on the depository system or any matter connected therewith shall lie against IIDIL or any authorized person(s) acting for IIDIL.
- 39.3. Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Law, Bullion Operating Instructions, where applicable, may be dealt with by the Relevant Authority as a violation of such Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions.
- 39.4. No claim, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against IIDIL and/or any authorized person(s) acting for IIDIL, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to IIDIL under any law or delegated legislation for the time being in force.
- 39.5. All the records, correspondence, data, information, proceedings, minutes, decisions of IIDIL shall be confidential and IIDIL shall not be required to disclose the same to any party or person, save and except when called upon to do so by IFSCA or by under an order of any competent court/tribunal or any other competent authority.
- 39.6. In case of any difficulty in implementing the provisions of Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions or in case of a conflict, IIDIL has the power to provide clarification, if the circumstances demand and such clarification shall be final and binding on all persons.
- 39.7. The Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions made or prescribed by the Board/ Relevant Authority/ IIDIL, including all alterations, amendments and modifications thereto, shall be subject to the rules/ regulations/ directives/ notifications/ circulars issued by IFSCA from time to time and all such rules/ regulations/ directives/ notifications/ circulars that are issued by IFSCA for or in relation to IIDIL shall be deemed to be incorporated in the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions prescribed by the Board/ Relevant Authority/ Bullion Depository and the Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions prescribed by the Board/ Relevant Authority/ IIDIL shall deemed to be altered/ amended/ modified to that extent, which amendment/ modification/ alteration shall be effective from the date notified by the IFSCA in that behalf.

For India International Depository IFSC Limited
KAUSHAL VIJAYKUMAR SAMPAT
Managing Director & Chief Executive Officer
(DIN 09451743)

ANNEXURE B

AGREEMENT BETWEEN INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED AND A DEPOSITORY PARTICIPANT

This Agreement made and entered into at [•] this [•] day of [•], 20[•] between:

INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at Unit-310 & 311, 3rd Floor, Signature Tower Block-13, Road 1C, Zone-1, GIFT SEZ, Gift City Gandhinagar- 382355, hereinafter called "IIDIL" OF THE ONE PART;

AND

[•] (description of the legal entity) having his / its office / registered office at [•] hereinafter called "the Participant" OF THE OTHER PART.

WHEREAS the Participant had furnished to IIDIL an application dated [•] for grant of certificate of registration as a Participant by the International Financial Services Centres Authority ("IFSCA").

AND WHEREAS IIDIL has agreed to forward the said application to IFSCA for grant of a certificate of registration to the Participant under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 ("IFSCA Act") read with the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 ("MII Regulations") and other applicable laws.

AND WHEREAS IIDIL has agreed to admit the Participant to IIDIL as a participant subject to grant of certificate of registration by IFSCA as aforesaid, on the terms and conditions recorded hereinbelow.

NOW THEREFORE in consideration of IIDIL having agreed to admit the Participant as a participant in IIDIL, the parties hereto do hereby agree and covenant with each other as follows:

1. General Clauses

- 1.1. Words and expressions used but not defined in these Bye Laws but defined under Applicable Law shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder read with Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 (to the extent applicable), and rules, regulations, circulars, notifications issued therein, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations 2021 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Securities and Exchange Board of India (Depositories & Participants) Regulations, 2018 (to the extent applicable), Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder.
- 1.2. Unless otherwise warranted by the context or meaning thereof, the words or expressions "Beneficial Owner", "Clearing Corporation", "Issuer", "Participant", and "RTA" used herein shall mean a Beneficial Owner, Clearing Corporation, Issuer, Participant and Registrar to an Issue or Share Transfer Agent (as the case may be) respectively in relation to IIDIL and the terms "Act", "Regulations", "Bye Laws" and "Operating Instructions" shall mean "International Financial Services Centres Authority Act, 2019", the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021", the Bye Laws of IIDIL and the Operating Instructions issued by IIDIL respectively.
- 1.3. The Participant shall be bound by the IFSCA Act read with MII Regulations and other applicable laws including the Securities and Exchange Board of India (Depositories & Participant) Regulations, 2018 (to the extent applicable) and agree to abide by the Bye Laws and Operating Instructions issued from time to time by IIDIL in the same manner and to the same extent as if the same were set out herein and formed part of this Agreement.
- 1.4. The Participant shall continue to be bound by the Bye Laws and Operating Instructions, even after ceasing to be a participant in so far as may be necessary for completion of or compliance with his/its obligations in respect of all matters, entries or transactions which the Participant may have carried out, executed, entered into, undertaken or may have been required to do, before ceasing to be a participant and which may have remained outstanding, incomplete or pending at the time of his/its ceasing to be a participant.
- 1.5. The obligations on the part of the Participant herein contained are a reiteration of and/or are in addition to the obligations contained in the Bye Laws and the Operating Instructions, and the omission of one or more of such obligations from this Agreement shall not in any manner be construed as a waiver of such obligations as are not herein contained.

2. Fees, charges and deposits

- 2.1. The Participant shall, apart from such fees, charges and deposits as may be payable to IFSCA, pay to IIDIL such fees, charges and deposits as specified from time to time in its Operating Instructions. In the event of the Participant failing to make payment of the fees, charges or deposits, as the case may be, by the respective due dates specified by IIDIL in its Operating Instructions, then, in addition to any other rights or remedies that may be available to IIDIL against the Participant, the Participant shall be liable to pay interest to IIDIL on such delayed payment or part thereof on the quantum of such delayed payment at the rate as may be prescribed by IIDIL from time to time. Such fees, charges and deposits shall be subject to any change or revision from time to time by IIDIL provided however that IIDIL shall, before effecting any increase in the fees, charges or deposits payable by the Participant as aforesaid, give the Participant at least one month's notice in that behalf.

3. Unique Identification Number

- 3.1. IIDIL shall allocate a unique identification number to the Participant ("Participant ID").

4. Hardware and Software to be installed by the Participant

- 4.1. The Participant shall install at his/its premises allocated for IIDIL related activities such computers, printers, communication equipment and uninterruptible power supply units, systems software and any other equipment, hardware and software as may be specified by IIDIL from time to time.
- 4.2. It is further agreed that unless supplied directly by IIDIL or its agents, all computers, communication equipment, printers, uninterruptible power supply units and all other hardware and software procured by the Participant shall be of the specified configuration and shall be sourced only from IIDIL empanelled brands or any other brand which has been approved by IIDIL in writing prior to such procurement.
- 4.3. The above hardware and software set-up shall be utilized by the Participant exclusively for IIDIL specific application module and even if there be any spare processing or data storage capacity, the same shall not be used for any other application including the Participant's back-office systems or operations.
- 4.4. The above hardware shall not be connected by the Participant to its inter-office WAN (Wide Area Network) without the prior written permission of IIDIL. IIDIL reserves the right to deny such permission if, in its opinion, granting such permission involves violation of conditions relating to the operations of IIDIL's own WAN as stipulated by Department of Telecommunications or if in permitting the same, IIDIL apprehends any risk to the integrity of its WAN or for any other reason as may be deemed fit by IIDIL.
- 4.5. The Participant shall, from time to time, at his/its own cost, carry out such addition, modification, upgradation or replacement of the said hardware and /or software as may be specified by IIDIL.

5. Connectivity and Systems

- 5.1. The Participant and IIDIL shall establish and maintain a continuous electronic means of communication with each other.
- 5.2. IIDIL shall provide necessary Operating Instructions from time to time to the Participant, as may be necessary for effective and prompt conduct of the business relating to depository operations.
- 5.3. The Participant shall, in respect of his/its operations as a participant in IIDIL, procure and maintain at its own cost such systems, procedures, means of communication, infrastructure, hardware, software, security devices and back-up facilities as IIDIL may specify and shall upgrade or replace the same from time to time as may be specified by IIDIL.
- 5.4. The Participant shall comply with all systems and procedures recommended by IIDIL and shall allow access to his/its systems to one or more teams of professionals with expertise or specialized skill in auditing the performance of computerised systems (called "Systems Audit Teams") designated by IIDIL for periodic assessment of compliance with systems and procedures.

6. Effective date of commencement of activity

- 6.1. The effective date of commencement of activity by the Participant as a participant shall be the last of the following dates namely:
- 6.1.1. the date of execution of this Agreement;
- 6.1.2. the date of grant of Certificate of Registration to the Participant by IFSCA;
- 6.2. Neither anything contained herein nor anything done by either party hereto in pursuance of this Agreement shall be deemed or construed to constitute any promise or assurance by IIDIL that the Participant is entitled to grant of a

Certificate of Registration as a Participant by IFSCA and IIDIL shall not be liable or responsible in any manner for any costs, charges, expenses, losses or damages incurred or suffered by the Participant in respect of anything done in pursuance of this Agreement in the event of IFSCA rejecting the Participant's application for grant of registration as a Participant or cancelling the same at any time after the grant thereof.

7. Information to be furnished by the Participant to IIDIL

7.1. The Participant shall submit Audited Financial Statement and Net worth Certificate to IIDIL within such period as prescribed in IIDIL Bye Laws and/ or Operating Instructions.

7.1.1. In the event of the networth of the Participant falling below the networth last specified in the certificate issued under this clause, the Participant shall forthwith intimate IIDIL of the same and shall, if so required by IIDIL furnish to IIDIL a fresh networth certificate computed as aforesaid and duly certified by Statutory Auditors. IIDIL may thereupon take such action as it may deem fit and necessary under the IFSCA Act, MII Regulations, Bye Laws or this Agreement.

7.2. Where the Participant is a member of any recognised stock exchange and/or any clearing corporation or is a participant in any other depository and commits any breach or violation of or defaults in compliance with the bye laws of such stock exchange, clearing corporation or other depository as the case may be or of any rules or regulations made by the Central or State Government or by IFSCA in that behalf or his/its operations, activities or membership is/are suspended or terminated by such stock exchange, clearing corporation or other depository as the case may be, the nature of the default and the reason for such default, suspension or termination to be communicated forthwith upon such occurrence;

7.3. The number of complaints received from beneficial owners during the month, complaints redressed during the month, complaints remaining unredressed, the nature and status thereof and the steps taken by the Participant for redressal thereof, to be communicated before the 10th (tenth) day of every succeeding month;

7.4. The Participant shall notify IIDIL at the earliest of any change in respect of any of the particulars with regard to any of the matters contained in the application form submitted to IIDIL.

7.5. The Participant shall provide such information relating to beneficial owners and their accounts with the Participant as may be required by IIDIL from time to time.

8. Obligations of the Participant

8.1. The Participant shall, before entering into any agreement with or opening any account of any beneficial owner during the subsistence of such agreement:

8.1.1. make all such inquiries as may be expedient and exercise due care and caution in ascertaining the bonafides and track record of the intending Beneficial Owner inter alia, by carrying out appropriate due diligence;

8.1.2. scrutinize the authenticity of all documents produced by the Beneficial Owners for opening the account or for dematerialisation of securities;

8.1.3. Where the securities are held jointly or are held in more than one name, the account shall be opened in the names of all the holders in the same sequence as it appears on the certificate/s relating to those securities;

8.1.4. Where the account is opened in more than one name and the account holders named therein desire to authorise one or more of them to issue instructions to the Participant from time to time, the Participant shall ensure that due authorisation is obtained by the holders so authorised by the other holders.

8.1.5. The Participant shall not effect any debit or credit to the account of a Beneficial Owner unless:

8.1.5.1. the Participant has received appropriate prior written instructions from the concerned Beneficial Owner or IIDIL in that behalf and

8.1.5.2. an adequate audit trail of the same is duly maintained.

8.1.6. Separate accounts shall be opened and maintained by the Participant in the name of each Beneficial Owner and the securities of each Beneficial Owner shall be kept segregated and shall not be mixed up with the securities of other Beneficial Owners or with the Participant's own securities.

8.1.7. Subject to the provisions of any other law, the Participant shall preserve for a minimum period of 20 (twenty) years, all original documents and records in accordance with the MII Regulations, as amended from time to time, including account opening forms, agreements with beneficial owners and instructions received from beneficial owners, as also copies of dematerialization request forms and rematerialization request forms.

- 8.1.8. The Participant's responsibility and liability for payment to IIDIL of all fees, charges, dues and penalties in respect of all transactions and entries effected or carried out by or through the Participant shall be unconditional and such amounts shall be payable by the Participant to IIDIL irrespective of whether the Participant has received payment of or recovered any amount from the concerned beneficial owner or not, such recovery from the beneficial owner being the sole responsibility of the Participant.
- 8.1.9. The Participant shall, as far as possible, carry out instructions received from any beneficial owner on the same day on which the instructions are received and failing that, shall carry out the instructions before the close of working hours of the immediately succeeding working day.
- 8.1.10. The Participant shall not exercise any lien without the prior approval of IIDIL, on any securities belonging to the beneficial owners held in dematerialised form in any account with the participant, as security for recovery of dues owed by beneficial owner to the participant in his capacity as such including any compensation for any loss caused to the participant and/or IIDIL by reason of fraud, negligence or mistake on the part of the beneficial owner. The participant shall, upon receipt of such approval from IIDIL, give notice in writing to the concerned Beneficial Owner of the exercise of such lien by the participant in respect of such of the securities held in the beneficial owner's account as IIDIL may specify.
- 8.1.11. The Participant shall, forthwith upon discovering any loss, destruction or theft of any securities, instruments or documents belonging or owed to any beneficial owner that may have been entrusted to or may otherwise have come into the hands of the Participant in the course of his/its business, notify IIDIL, the concerned Issuer and/ or RTA and beneficial owner in that behalf.
- 8.1.12. The Participant alone shall be responsible to ensure that all duties, taxes or levies, if any, of whatsoever nature that may be payable under any Central or State enactment in respect of entries transactions or transfers effected by or through the Participant are duly paid as required in law.
- 8.1.13. The Participant shall process requests received from beneficial owners for dematerialisation or rematerialisation within such time and in such manner as may be specified in the Bye Laws and Operating Instructions and shall be required to keep records of the same as laid down by the Regulations and by IIDIL.
- 8.1.14. Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the Bye Laws, the Participant shall not be bound to give effect to any entries or transactions and IIDIL shall not be bound to permit any entries or transactions to be effected, which would violate any law or any decree or order of any court or tribunal or any order or direction of the Central or State Government or IFSCA or that of any other statutory or revenue authority that may have been served upon or intimated to the Participant or IIDIL or which to their knowledge, would constitute a breach of any covenant or undertaking given to any court, tribunal or statutory or revenue authority or which IIDIL otherwise deems not to be in its interest or that of its participant or beneficial owners.
- 8.1.15. Any order of a Court, Tribunal, Government or other competent authority relating to freezing of a beneficial owner account or taking any action in relation to a beneficial owner account which is within the purview of obligations cast on a depository under the IFSCA Act and/or MII Regulations, shall be effected by IIDIL or participant only on receipt from such authority the Beneficial Owner Identification Number (BOID) or Permanent Account Number (PAN) coupled with specific directions if the same are not set out in such order with sufficient accuracy.
- 8.1.16. The Participant alone shall be responsible for taking necessary action on the instructions and/or mandate given by the Beneficial Owner and the Participant alone shall be liable to the Beneficial Owner for default or failure in carrying out the instructions and/or mandate of the Beneficial Owner.
- 8.1.17. The Participant shall strictly comply with the time schedule specified from time to time by IIDIL for data entry and transfer.
- 8.1.18. The Participant shall furnish to the Beneficial Owner a statement in such form as may be specified of his/its account at the end of every month if there has been even a single entry or transaction during that month, and in any event once at the end of each financial year. The Participant shall furnish such statements at such shorter periods as may be required by the Beneficial Owner on payment of such charges by the Beneficial Owner as may be specified by the Participant.
- 8.1.19. The Participant assumes full responsibility for verifying the authenticity of instructions issued by or on behalf of Beneficial Owners including signature/s of the Beneficial Owner/s on the instruction slips and undertake to process the instructions after satisfying itself about the accuracy and genuineness of the signatures on the instructions slips. The Participant shall ensure that it has in place appropriate systems and/or processes as IIDIL and/or IFSCA may specify from time to time in this regard.

8.1.20. It shall be the duty of the Participant to ensure that no account of any Beneficial Owner is opened unless it complies with the provisions of the IFSCA Act, MII Regulations, and guidelines, notification, circular or any communication by whatever name called issued by IFSCA, and the provisions of these Bye Laws and Operating Instructions, Communiqués, letters or communication in any form issued by IIDIL and circulars issued by IFSCA and RBI from time to time as may be applicable.

9. Obligations relating to Participant's own account

- 9.1. The Participant shall not commingle the securities held by it in his/its own right in IIDIL with those held by it as the Participant on behalf of Beneficial Owners.
- 9.2. The Participant shall comply with such procedures for deposit and withdrawal of securities to and from any of his/its own accounts (as distinguished from the accounts of beneficial owners with it) as may be laid down under the Bye Laws and Operating Instructions.

10. Maintenance of records

- 10.1. The Participant shall maintain all documents and records in respect of his/its IIDIL related operations in such manner as may be specified in the MII Regulations, Bye Laws and Operating Instructions.

11. Reconciliation and Rectification of Errors

- 11.1. The Participant shall reconcile its records with IIDIL on a daily basis. The Participant shall, as a continuous process and on an on- going basis, check and reconcile with his/its own records and those of his/its beneficial owners, all records, balances, advices, statements and reports received by the Participant from IIDIL and promptly notify IIDIL of any error or omission in such records, balances, advices, statements and reports.
- 11.2. Any advice, statement or report provided by IIDIL shall in the absence of manifest error or fraud, be conclusive as to its subject matter. Unless otherwise agreed to by IIDIL, the failure of the Participant to inform IIDIL of any error or omission in any advice, statement or report within the time frame stipulated by IIDIL shall constitute a waiver in favour of IIDIL by the Participant of any right to require rectification.
- 11.3. IIDIL may, if it is satisfied that it is in the interest of any Beneficial Owner/s, entertain a late request by the Participant to rectify an error or omission as aforesaid. If IIDIL entertains a late request by the Participant, the Participant shall be liable for any loss caused to IIDIL or to any other participant or beneficial owner due to such late request.
- 11.4. IIDIL reserves the right to rectify any erroneous entry or transaction made to the account of any beneficial owner. In the event of IIDIL carrying out any such rectification, IIDIL shall inform the Participant and the concerned beneficial owner of such rectification.
- 11.5. Without prejudice to any other rights or remedies that IIDIL may have, in the event of any erroneous entry or transaction having been effected on account of any error, mistake or negligence on the part of the Participant resulting in wrongful reduction in or a negative balance of securities in the account of any beneficial owner, IIDIL may, in its absolute discretion, do one or more of the following:
- 11.5.1. require the Participant to replenish the deficient securities at the Participant's own cost and expense;
- 11.5.2. itself purchase such deficient securities as replenishment at the prevailing market price. The cost and expenses incurred by IIDIL in connection with purchase of such securities shall be borne by the Participant. The Participant shall reimburse IIDIL for all costs, fees, charges, expenses, liabilities, losses and damages incurred by IIDIL in connection with the purchase or replenishment of such deficient securities by IIDIL as aforesaid;
- 11.5.3. if the deficient securities cannot for any reason whatsoever be replenished within the time specified by IIDIL, IIDIL may require the participant to forthwith reimburse the concerned beneficial owner by payment in cash of an amount equivalent to the market value of the deficient securities as on the date of such erroneous entry or transaction or as on the date of such reimbursement, whichever is higher and call upon the Participant to make good such amount within such period as IIDIL may deem fit;
- 11.5.4. call upon the Participant to forthwith pay to IIDIL such amount as IIDIL considers appropriate by way of security or additional security pending replenishment of the deficient securities or reimbursement in lieu thereof.
- 11.6. For the purposes of Clause 11.4 above, the term "deficient securities" shall include any loss of securities to the Beneficial Owner by way of bonus or rights entitlements or dividend and any other corporate benefits on the quantum of the wrongful reduction.

12. Ceiling on Holdings

- 12.1. If the Participant is a Stock Broker, the Participant shall ensure that the aggregate market value of the securities of all Beneficial Owners in their accounts with the Participant does not exceed the limits as specified by IFSCA from time to time on any given day and if it so exceeds the said limits on any given day, the Participant shall forthwith inform IIDIL about it and IIDIL shall be entitled to issue such Operating Instructions as it may deem fit in order to rectify the position in that behalf.

13. Form of Agreement to be binding

- 13.1. Notwithstanding anything contained herein, the Participant shall strictly adhere to the form of the draft agreement annexed to the Bye Laws in respect of every agreement that may be entered into by the Participant with every beneficial owner and clearing member respectively and no variation, modification, addition, alteration or deletion thereto shall be effected except with prior written consent of IIDIL in that behalf. The Participant shall be solely responsible for any statement or representation made or any obligation or liability undertaken by him/it in so far as the same is contrary to or inconsistent with or is in excess of the said draft agreement and/or the Bye Laws and Operating Instructions or which is otherwise not authorized by IIDIL.

14. Internal controls and Audit

- 14.1. The Participant shall install and maintain suitable systems, audit and control measures including setting up of separate internal controls and an audit department inter alia for regularly reviewing his/its internal operations ensuring due compliance and maintaining the integrity and confidentiality of data transmitted to IIDIL as may be laid down under the Bye Laws and Operating Instructions.
- 14.2. The Participant shall from time to time submit such operational, financial, technical or other data, information, reports and returns, in relation to his/its activities and operations as a participant, duly audited and certified by a Chartered Accountant, a Company Secretary in practice or by a Systems Auditor, as the case may be, in such form and manner and within such period, as may be specified in the Bye Laws and Operating Instructions.

15. Inspection by IIDIL

- 15.1. IIDIL shall be entitled to carry out inspection of the facilities, systems, records and books of the Participant relating to all dealings of the Participant with it through such persons as may be authorised in that behalf by IIDIL and the Participant shall permit the persons so authorised entry into his/its premises during regular business hours on any working day and shall allow access to his/its facilities, systems, records and books and permit copies thereof to be made.

16. Events requiring immediate intimation by the Participant to IIDIL

- 16.1. The Participant shall notify IIDIL forthwith:

- 16.1.1. in case the Participant is an individual, in the event of his incapacity to act as such;
- 16.1.2. in case the Participant is a partnership firm, in the event of dissolution of the firm or a notice being served under section 43 of the Indian Partnership Act, 1932 or a suit being filed under section 44 of the Indian Partnership Act, 1932;
- 16.1.3. in case the Participant is a company or a body corporate, upon a petition for winding up being presented in any court or a resolution being passed for winding up of the Participant;
- 16.1.4. any scheme being framed for merger, amalgamation or reconstruction of the Participant;
- 16.1.5. on its becoming aware of the presentation of any application or petition for its bankruptcy, insolvency, liquidation or attachment of its property;
- 16.1.6. upon its becoming aware of any distress, execution, attachment or other process being threatened or levied by any statutory or revenue authority against the Participant or its property for recovery of any taxes, duties, levies, penalties, cesses or dues;
- 16.1.7. upon any application being presented to any court for attachment of the assets or properties of the Participant;
- 16.1.8. in the case of any change in his/its financial conditions which may lead to his/its insolvency or dissolution or winding-up or if it suffers a composition with his/its creditors ;
- 16.1.9. upon convening of any meeting to consider a resolution for the appointment of a liquidator or receiver or administrator in respect of any of its properties or any other change in circumstances which could materially affect its capacity to act as a participant;

- 16.1.10. in case the Participant is also a clearing member, upon his/its being declared a defaulter or being suspended or his/its membership being terminated by the concerned stock exchange or clearing corporation or by IFSCA or any other statutory authority.
 - 16.1.11. in the event of the Participant being an intermediary (in any capacity other than as a participant) as contemplated by IFSCA Act, upon suspension or termination or de-registration of the Participant as such intermediary by IFSCA or any other regulatory body or authority empowered to do so.
 - 16.1.12. in the event of the Participant ceasing to meet any of the eligibility and/or admission criteria laid down by IFSCA and/or IIDIL.
 - 16.1.13. upon the Participant becoming aware of any event or occurrence which is reasonably likely to materially affect his/its commercial viability or existence or his/its ability to perform his/its obligations under this Agreement or which constitutes a material adverse change in the eligibility criteria laid down by IIDIL or by IFSCA or any other regulatory authority under any law in force for the time being.
17. Insurance cover
- 17.1. The Participant shall maintain such insurance coverage as IIDIL may specify from time to time.
18. Contribution to Funds
- 18.1. The Participant shall contribute to one or more trusts or funds established by or at the instance of IIDIL for protection of the interests of beneficial owners and/or participants in the manner laid down under the Bye Laws, Operating Instructions or in any separate deed, document, instrument or writing made or executed in that behalf.
19. Security to be furnished by the Participant
- 19.1. IIDIL may, at any time, require the Participant to provide, on demand, such security or additional or collateral security in such form, to such extent and in such manner as may be determined by IIDIL. For determining the amount of security or additional or collateral security, IIDIL shall take into account inter alia, the level of unreconciled balances and excess or deficit balance of securities in the accounts of beneficial owners due to any fraud, negligence, error or omission on the part of the Participant, his/its employees or agents. Such security shall be in addition to and independent of any security earlier furnished by the Participant to IIDIL.
 - 19.2. The Participant shall not sell, transfer or otherwise alienate or create or permit the creation of any mortgage, charge or other encumbrance or permit or suffer to be attached or otherwise jeopardise the title to any of the assets provided as security or additional or collateral security to IIDIL.
 - 19.3. IIDIL may apply all or any of the security deposit/s or other security (including additional or collateral security) furnished by the Participant to IIDIL at any time without prior notice to the Participant in or towards satisfaction of any of the obligations and/or liabilities of the Participant to IIDIL or to any beneficial owner/s, other participants, issuers, RTAs or clearing corporations as the case may be.
20. Authorised Representative
- 20.1. The Participant shall, simultaneously with the execution of this Agreement furnish to IIDIL, a list of officials authorised by it, who shall represent and interact on his/its behalf with IIDIL. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to IIDIL.
21. Confidentiality
- 21.1. The parties hereto shall keep strictly confidential all technical and business information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this Agreement or under the Bye Laws and neither party hereto shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party hereto.
 - 21.2. Either party hereto shall be at liberty to provide or disclose such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account as may be required or directed in writing by any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any other regulatory or revenue authority empowered by law in that behalf or to the concerned Issuer and/or RTA or Clearing Corporation or as may be required for compliance with any obligations in law or for enforcement of any of its rights or for protection of its interest without reference or recourse to the other or to the concerned beneficial owner provided however that save and except as aforesaid, neither party shall divulge or permit or suffer to be disclosed any such details, particulars, data or information to any party or person and shall hold such details, particulars, data and information in strict confidence.

22. Change in address

22.1. The Participant shall inform IIDIL of any proposed change in address of his/its office/ registered office as also of any change in location of the premises where the equipment for maintenance of computerised records, back-up facilities and communication with IIDIL are situated, at least 30 (thirty) days before the date of such change.

23. Back-up facilities

23.1. The Participant shall strictly follow the back-up procedure recommended by IIDIL. A copy of the latest back-up of the database shall at all times be maintained at a remote site. IIDIL shall not be liable to the Participant for any loss or damage arising out of failure on the part of the Participant to maintain up to date back-up of the computer programme and the relevant data.

23.2. The Participant shall permit access to any person/s designated by IIDIL to inspect his/its back-up and shall make available such extracts or reports of the records maintained at the said back-up facilities as may be required by IIDIL.

24. Disaster Recovery Plan

24.1. The Participant shall forthwith inform IIDIL of any loss or failure of connectivity between the Participant and IIDIL.

24.2. The Participant shall strictly adhere to such plan, scheme or procedure (to be known as "Disaster Recovery Plan") as IIDIL may specify in that behalf for meeting any situation or eventuality resulting in loss of connectivity or failure of communication, loss or corruption of data or damage to equipment, hardware or software whether by reason of any technical failure, unauthorized access, calamity, accident, sabotage or disaster or otherwise.

25. Redressal of grievances / complaints of beneficial owners

25.1. The Participant shall resolve grievances/complaints of beneficial owners and submit a report on the grievances so resolved to IIDIL within 30 (thirty) days from the date of receipt of such complaint / grievance by the Participant in such manner as may be specified in the Bye Laws and Operating Instructions.

26. Prohibition against Assignment etc.

26.1. The functions, rights or obligations under this Agreement shall not be assigned or delegated to any party or person by the Participant without the express prior written consent of IIDIL. Any purported assignment or delegation in contravention of the terms of this Agreement shall be null and void. For the purpose of this clause, any substantial change in the share holding pattern or the constitution of the Board of Directors or in the composition of the partnership shall constitute an assignment of the business and/or functions.

27. Suspension and Termination

27.1. IIDIL may, if it is satisfied that it is necessary so to do, at any time and on such conditions as it thinks fit, terminate this Agreement with the Participant by communication in writing under the following circumstances:

- 27.1.1. the Participant no longer meets the eligibility and/or admission criteria to be a participant as laid down by IFSCA and/or by IIDIL;
- 27.1.2. if the Participant is an individual or a sole proprietor, in the event of the death or physical or mental incapacity of the Participant;
- 27.1.3. if the Participant is a partnership firm, in the event of dissolution of the firm;
- 27.1.4. in the event of the Participant being a company or body corporate, upon a petition for winding up being presented in any court or a resolution being passed for winding up of the Participant;
- 27.1.5. in the event of the Participant ceasing to carry on business as a participant with IIDIL;
- 27.1.6. in case IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant is approaching financial difficulty or will be unable to meet his/its obligations in relation to IIDIL or his/its beneficial owners;
- 27.1.7. in the event of any distress, execution or other process being levied or enforced or served upon or against any property of the Participant;
- 27.1.8. in the event of bankruptcy, insolvency, liquidation or winding up of the Participant or the initiation of any proceedings in relation thereto or if IIDIL considers in its absolute discretion that the occurrence of such events are imminent or likely;
- 27.1.9. in the event of the appointment of a receiver or administrator of the assets of the Participant or in the event of the Participant suffering a composition with his/its creditors or in the event of a scheme of arrangement being approved by a court (other than for the purposes of reconstruction or amalgamation) or in the event of IIDIL considering in its absolute discretion that the occurrence of such events are imminent or likely;

- 27.1.10. in the event of the Participant's failure to pay security deposits, fees or any other charges as required under the Bye Laws or this Agreement (including any revised or increased fees, charges or deposits) or furnish additional or collateral securities within such time as may be required by IIDIL;
- 27.1.11. in the event of failure of the Participant to fulfill the obligations arising out of the indemnification of IIDIL by the Participant;
- 27.1.12. in case IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant has been responsible for negligence or fraudulent or dishonest conduct or has made a material misstatement or omitted to state a material fact in any statement to IIDIL;
- 27.1.13. in case the Participant has violated or committed any breach or default in the observance or performance of any provisions of the IFSCA Act, MII Regulations, Bye Laws or this Agreement or has failed to comply with any Operating Instructions;
- 27.1.14. in case the Participant's registration granted by SEBI has been suspended or cancelled;
- 27.1.15. in case the Participant is a member of a stock exchange, if the Participant has been expelled or his/its trading privileges have been suspended by such Stock Exchange;
- 27.1.16. in case the Participant is an intermediary (other than as a Participant) as contemplated by the IFSCA Act and/or MII Regulations, in the event of suspension, termination or de- registration of the Participant as such intermediary by IFSCA or by any other regulatory body or authority empowered by law in that behalf;
- 27.1.17. in the event of the Participant failing to redress grievances of beneficial owners to the satisfaction of IIDIL;
- 27.1.18. in case IIDIL has reasonable grounds to believe that the Participant has been carrying on his/its activities in a manner which is detrimental to the interest of IIDIL and/or beneficial owners or that the termination of the relationship with the Participant is necessary for the protection of beneficial owners or other participants or to facilitate the orderly performance of services rendered by IIDIL;
- 27.1.19. in case the Participant has or is likely to expose itself to risk which, in the opinion of IIDIL, is not commensurate with the Participant's network;
- 27.1.20. in case the quality of the services rendered by the Participant is not satisfactory in the opinion of IIDIL as evidenced by the complaints of the beneficial owners and/or other participants, Issuers, RTAs and clearing corporations;

Provided however that IIDIL shall not take any action as aforesaid unless and until IIDIL shall have issued a show-cause notice to the Participant setting out the grounds on which this Agreement is sought to be terminated and the Participant shall have been given a reasonable opportunity of being heard by any officer authorised by IIDIL in that behalf and IIDIL being satisfied on the strength of the report of such officer that it is necessary to terminate this Agreement with the Participant;

Provided however that IIDIL may, if it considers it fit and proper in the facts and circumstances of any case, before issuing the show-cause notice as aforesaid, issue notice calling upon the Participant to rectify or remedy the breach or default within such period and on such terms and conditions as IIDIL may deem fit.

Provided however that no amount is due, owing or payable by the participant to IFSCA or to IIDIL inter alia by way of fees, charges, penalties or interest.

- 27.2. Without prejudice to any other rights IIDIL may have, in the event of occurrence of any of the events listed hereinabove, IIDIL may suspend with immediate effect, the business or activities of the Participant in IIDIL, before issuance of any notice or pending the notice period and/or inquiry under the Bye Laws.

28. Withdrawal by the Participant

- 28.1. The Participant shall be entitled to withdraw as a participant from IIDIL by issuing to IIDIL a communication in writing giving notice of not less than 30 (thirty) days of his/its intention to terminate this Agreement with IIDIL with effect from the expiry of the said period of thirty days or such further period as may be specified in the notice. IIDIL may, however, require the Participant to continue his/its business as a participant in IIDIL for such further period not exceeding 3 (three) months from the receipt of such notice if IIDIL shall deem it necessary to do so in the interest of the Beneficial Owners or in the orderly functioning of IIDIL. IIDIL shall notify the Beneficial Owners of the Participant, other participants, clearing corporations and IFSCA within 7 (seven) days of the Participant ceasing to act as such.

28.2. The Participant shall not be permitted to withdraw as a participant from IIDIL unless and until the Participant shall have provided satisfactory evidence to IIDIL of its having:

- 28.2.1. issued notice of his/its intended withdrawal to all Beneficial Owners holding accounts with it;
- 28.2.2. transferred all accounts of the Beneficial Owners to any other Participant/s of the Beneficial Owner's choice in IIDIL;
- 28.2.3. ensured that there are no pending instructions or unresolved grievances/complaints of Beneficial Owners, IIDIL, Issuer/ RTA or Clearing Corporation;
- 28.2.4. complied with such other terms and conditions as IIDIL may have specified in that behalf.
- 28.2.5. no amount due, owing or payable to IFSCA or to IIDIL inter alia by way of fees, charges, penalties or interest.

29. Consequences of Termination /Withdrawal

29.1. On termination of this Agreement or on withdrawal by the Participant, IIDIL shall return to or make available for collection by the participant, all security deposits or other securities that may have been furnished by the Participant to IIDIL by way of collateral or additional security on expiry of 6 (six) months from the date of cancellation of the certificate of registration as a Depository Participant by IFSCA or after resolving pending investor grievances, if any, to the satisfaction of IIDIL, whichever is later, provided however that IIDIL shall have the right (without prejudice to any other right or remedy available to IIDIL in law) to retain any security/ deposit or to adjust or set off amounts from such security deposit equivalent to the amount which is due or is likely to become due to IIDIL, other Participants or Beneficial Owners in respect of transactions or entries effected by the Participant during the subsistence of this Agreement.

29.2. Without prejudice to the above, IIDIL shall be entitled to set off any earlier claims or rights of the Participant against any amounts due to IIDIL or any other persons entitled to any claim against the Participant through IIDIL, notwithstanding that such claim may have arisen after the date of termination of this Agreement.

29.3. IIDIL shall, upon termination of this Agreement by IIDIL or on receipt of communication in writing from the Participant conveying his/its decision to withdraw from IIDIL and/or to terminate this Agreement, notify all other participants and initiate suitable steps for the protection of the interests of beneficial owners and other participants. IIDIL shall notify other participants, clearing corporations, Issuer/RTA and IFSCA within 7 (seven) days of the termination of this Agreement.

29.4. The Participant shall be required to meet all his/its outstanding obligations to IIDIL, whether incurred while the Participant was acting as such or incurred thereafter but arising out of any action, transaction or dealings by the Participant during the subsistence of this Agreement.

29.5. On termination of this Agreement or on withdrawal by the Participant from IIDIL, every beneficial owner holding an account with the Participant shall have the option to either get his securities held with the Participant transferred to another participant or get the same rematerialised. Notwithstanding anything stated above even after such termination or withdrawal, the Participant shall continue to act as a participant for the limited purpose of either getting the securities held with the Participant transferred to another participant or get the securities rematerialised.

29.6. Upon termination of this Agreement, IIDIL shall give notice in writing to all beneficial owners holding accounts with the Participant calling upon the beneficial owners to have their accounts transferred to any other participant within fifteen days from the receipt of such notice. In the event of there being any beneficial owners who have failed to have their accounts transferred to any other participant as aforesaid, IIDIL shall nominate one or more participants to whom such accounts shall stand transferred for the time being provided however that no debits in respect of the securities in such transferred account shall be effected until such time as the concerned beneficial owner shall have entered into an agreement with any other participant.

29.7. Notwithstanding termination of this Agreement by IIDIL or withdrawal by the Participant, the provisions of this Agreement and all mutual rights and obligations arising therefrom shall, except in so far as the same is contrary to or inconsistent with such termination or withdrawal, continue to be binding on the parties in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the period when this Agreement was effective.

30. Disciplinary Action

30.1. The Participant shall be subject to the disciplinary jurisdiction of the Disciplinary Action Committee as provided in the Bye Laws.

31. Indemnity

31.1. The Participant shall indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its officers, employees, servants and agents from and against all harm, loss, damage, injury, taxes, levies, penalties, cesses, duties, suits, action, litigation, arbitration, disciplinary action, prosecution or other proceedings (and all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by IIDIL, its officers, employees, servants or agents or any of them, whether directly or indirectly on account of or as a result of any act, deed, matter or thing made done committed or omitted or suffered or permitted or caused to be done by the Participant, his/its officers, employees, servants or agents contrary to or inconsistent with the terms, conditions and covenants herein contained including any default or breach of any provision/ s of the IFSCA Act, MII Regulations, Bye Laws, this Agreement and Operating Instructions or by reason of any mistake, error, misfeasance, wilful misconduct, misrepresentation, fraud, forgery, theft, misappropriation or breach of trust by the Participant, his/its officers, employees, servants or agents or on account of the Participant failing to meet any of his/its obligations and/or liabilities to IIDIL and/or to any of his/its beneficial owners and/or to any other participants, Issuers, RTAs or clearing corporation or on account of any deficiency in services rendered by the Participant. For the purposes of this clause, all acts of commission or omission, whether intentional or not, of his/its officers, employees, servants and agents, shall be deemed to be acts of commission or omission of the Participant. Where any loss or damage is caused to any beneficial owner due to the negligence of the Participant, IIDIL shall, if it deems it necessary to do so, in the first instance make good the loss or damage incurred by such beneficial owner and IIDIL shall be entitled to recover the same from the Participant, inter alia, by adjustment of or appropriation from any security deposit held by IIDIL.

31.2. IIDIL shall indemnify and keep indemnified and saved harmless the Participant from and against all harm, loss, damage or injury, and all taxes, cesses, duties, levies, penalties and all suits, action, litigation, prosecution, arbitration or any other proceedings (and all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by the Participant by reason of or on account of any act, deed, matter or thing made done executed or committed or omitted to be done by IIDIL, its officers, employees or servants contrary to or inconsistent with the terms, conditions and covenants herein contained including any breach or default of any provisions of the IFSCA Act, MII Regulations, Bye Laws or the Operating Instructions or by reason of any misrepresentation, fraud, forgery, theft, misappropriation or breach of trust by IIDIL or its employees or by reason of IIDIL failing to meet its obligations and/or liabilities to the Participant or on account of any deficiency in the services rendered by IIDIL.

32. Stamp duty

32.1. Any stamp duty (including interest or penalty levied thereon) payable on this Agreement and/or any deed, document or writing executed in pursuance hereof between the parties hereto shall be borne and paid by the Participant.

33. Force Majeure etc.

33.1. Notwithstanding anything contained herein or in the Bye Laws, neither party hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, non-performance or delay in performance of any obligations under this Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.

34. Service of Notice

34.1. Any notice or communication required to be given under this agreement shall be in writing, and shall be legally effective only when it is delivered to the addressee at the last known address in the manner prescribed in the Operating Instructions.

35. Severability

35.1. If any provision of this Agreement shall be held or adjudged by any competent court, tribunal or regulatory authority to be unlawful, void or unenforceable or if any such provision is rendered void or unenforceable by reason of any statutory amendment, notification or any judicial decision, such provision shall to the extent required be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as possible without modifying the remaining provisions of this Agreement but shall not in any way effect the validity or enforcement of the rest of the provisions of this Agreement which shall continue to apply with full force and effect.

36. Amendments/Modifications at IFSCA's instance to be binding

36.1. The parties hereto shall be bound by any additions, alterations, modifications, amendments or deletions to this Agreement or to any provisions thereof as may be required or directed by IFSCA and shall execute all such deeds, documents or writings as may be required for giving effect thereto.

37. No Waiver

37.1. Neither party hereto shall be deemed to have waived, abandoned or relinquished any right, power, privilege or remedy available to it under this Agreement or in law except by a writing executed in that behalf and no failure or delay on the part of any of the parties hereto in the exercise of such right, power, privilege or remedy shall operate as a waiver thereof or as a waiver of any preceding or succeeding breach by the other party to this Agreement nor shall any single or any partial exercise of any right, power, privilege or remedy preclude any other or further exercise of such or any other right, power, privilege or remedy available under this Agreement or otherwise available in law or in equity it being agreed that all such rights, powers, privileges and remedies are several and cumulative of each other.

38. Arbitration and Conciliation

38.1. The parties hereto shall, in respect of all disputes and differences that may arise between them, abide by the provisions relating to arbitration and conciliation specified under the Bye Laws. The place of arbitration shall be Gandhinagar.

39. Governing Language

39.1. All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the parties hereto in relation to the subject matter of this Agreement shall be in English language, which shall be the governing language between the parties hereto.

40. Governing Law

40.1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in India.

41. Jurisdiction

41.1. The parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Gandhinagar.

42. Headings

42.1. The headings in this Agreement are for convenience and reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.

43. Interpretation

43.1. Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa and words denoting the masculine gender shall include the feminine and vice versa and any reference to any statute, enactment or legislation or any provision thereof shall include any amendment thereto or any re-enactment thereof.

44. Execution of Agreement

44.1. This Agreement is executed in duplicate and a copy each shall be retained by each of the parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set and subscribed their respective hands and seals to this Agreement in duplicate on the day, month, year and place first hereinabove mentioned.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "IIDIL")

India International Depository IFSC Limited)

by the hand of its authorised representative)

Shri/Smt [•])

in the presence of

1.

2.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "the Participant")

[•])

by the hand of its authorised representative)

Shri/Smt [•])

in the presence of)

1.

2.

Rights and Obligations of Beneficial Owner and Depository Participant as prescribed by IFSCA and India International Depository IFSC Limited

General Clause

- 1 The Beneficial Owner and the Depository Participant ("DP") shall be bound by the provisions of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 ("IFSCA Act"), the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 ("MII Regulations"), Securities & Exchange Board of India (Depositories & Participants) Regulations, 2018 (to the extent applicable), and all rules, regulations, circulars, directions, operating instructions as may be issued by the International Financial Services Centres Authority ("IFSCA") from time to time and the Bye Laws and Operating Instructions issued by India International Depository IFSC Limited ("IIDIL") and relevant notifications of Government Authorities as may be in force from time to time.
- 2 The DP shall open/activate Demat Account of a Beneficial Owner in the IIDIL depository system only after receipt of complete Account opening form, KYC and supporting documents as specified by IFSCA from time to time.

Beneficial Owner information

- 3 The DP shall maintain all the details of the Beneficial Owner(s) as mentioned in the account opening form, supporting documents submitted by them and/or any other information pertaining to the Beneficial Owner confidentially and shall not disclose the same to any person except as required by any statutory, legal or regulatory authority in this regard.
- 4 The Beneficial Owner shall immediately notify the DP in writing, if there is any change in details provided in the account opening form as submitted to the DP at the time of opening the Demat Account or furnished to the DP from time to time.

Fees/Charges/Tariff

- 5 The Beneficial Owner shall pay such charges to the DP for the purpose of holding and transfer of securities in dematerialized form and for availing depository services as may be agreed to from time to time between the DP and the Beneficial Owner as set out in the Tariff Sheet provided by the DP. It may be informed to the Beneficial Owner that "no charges are payable for opening of Demat Account".
- 6 In case of Basic Services Demat Account, the DP shall adhere to the charge structure as laid down under the relevant IFSCA and/or IIDIL circulars/directions/notifications issued from time to time.
- 7 The DP shall not increase any charges/tariff agreed upon unless it has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner regarding the same.

Dematerialization

- 8 The Beneficial Owner shall have the right to get the securities, which have been admitted on IIDIL, dematerialized in the form and manner laid down under the Bye Laws and Operating Instructions of IIDIL.

Separate Accounts

- 9 The DP shall open separate accounts in the name of each of the Beneficial Owners and securities of each Beneficial Owner shall be segregated and shall not be mixed up with the securities of other Beneficial Owners and/or DP's own securities held in dematerialized form.
- 10 The DP shall not facilitate the Beneficial Owner to create or permit any pledge and /or hypothecation or any other interest or encumbrance over all or any of such securities submitted for dematerialization and/or held in Demat Account except in the form and manner prescribed in the IFSC Act, MII Regulations and Bye-Laws/Operating Instructions of IIDIL.

Transfer of Securities

- 11 The DP shall effect transfer to and from the Demat Accounts of the Beneficial Owner only on the basis of an order, instruction, direction or mandate duly authorized by the Beneficial Owner and the DP shall maintain the original documents and the audit trail of such authorizations.
- 12 The Beneficial Owner reserves the right to give standing instructions with regard to the crediting of securities in his Demat Account and the DP shall act according to such instructions.

Statement of account

- 13 The DP shall provide statements of accounts to the Beneficial Owner in such form and manner and at such time as agreed with the Beneficial Owner and as specified by IFSCA/ IIDIL in this regard.
- 14 However, if there is no transaction in the Demat Account, or if the balance has become Nil during the year, the DP shall send one physical statement of holding annually to such Beneficial Owners and shall resume sending the transaction statement as and when there is a transaction in the account.
- 15 The DP may provide the services of issuing the statement of Demat Accounts in an electronic mode if the Beneficial Owner so desires. The DP will furnish to the Beneficial Owner the statement of Demat Accounts under its digital signature, as governed under the Information Technology Act, 2000. However if the DP does not have the facility of providing the statement of Demat Account in the electronic mode, then the Participant shall be obliged to forward the statement of Demat Accounts in physical form.

- 16 In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall send the transaction statements as mandated by IFSCA and/or IIDIL from time to time.

Manner of Closure of Demat Account

- 17 The DP shall have the right to close the Demat Account of the Beneficial Owner, for any reasons whatsoever, provided the DP has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner as well as to IIDIL. Similarly, the Beneficial Owner shall have the right to close his/her Demat Account held with the DP provided no charges are payable by him/her to the DP. In such an event, the Beneficial Owner shall specify whether the balances in their Demat Account should be transferred to another Demat Account of the Beneficial Owner held with another DP or to rematerialize the security balances held.
- 18 Based on the instructions of the Beneficial Owner, the DP shall initiate the procedure for transferring such security balances or rematerialize such security balances within a period of thirty days as per procedure specified from time to time by IIDIL. Provided further, closure of Demat Account shall not affect the rights, liabilities and obligations of either the Beneficial Owner or the DP and shall continue to bind the parties to their satisfactory completion.

Default in payment of charges

- 19 In event of Beneficial Owner committing a default in the payment of any amount provided in Clause 5 and 6 within a period of thirty days from the date of demand, without prejudice to the right of the DP to close the Demat Account of the Beneficial Owner, the DP may charge interest at a rate as specified by IIDIL from time to time for the period of such default.
- 20 In case the Beneficial Owner has failed to make the payment of any of the amounts as provided in Clause 5 and 6 specified above, the DP after giving two days notice to the Beneficial Owner shall have the right to stop processing of instructions of the Beneficial Owner till such time he makes the payment along with interest, if any.

Liability of IIDIL

- 21 As per applicable law and as provided under the Bye Laws,
- 21.1 Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, any loss caused to the Beneficial Owner due to the negligence of IIDIL or the DP, IIDIL shall indemnify such Beneficial Owner.
- 21.2 Where the loss due to the negligence of a DP under Clause (1) above, is indemnified by IIDIL, IIDIL shall have the right to recover the same from such DP.

Freezing/ Defreezing of accounts

- 22 The Beneficial Owner may exercise the right to freeze/defreeze his/her Demat Account maintained with the DP in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Operating Instructions of IIDIL.
- 23 The DP or IIDIL shall have the right to freeze/defreeze the accounts of the Beneficial Owners on receipt of instructions received from any regulator or court or any statutory authority.

Redressal of Investor grievance

- 24 The DP shall redress all grievances of the Beneficial Owner against the DP within a period of thirty days from the date of receipt of the complaint.

Authorized representative

- 25 If the Beneficial Owner is a body corporate or a legal entity, it shall, along with the account opening form, furnish to the DP, a list of officials authorized by it, who shall represent and interact on its behalf with the DP. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to the DP.

Law and Jurisdiction

- 26 In addition to the specific rights set out in this document, the DP and the Beneficial owner shall be entitled to exercise any other rights which the DP or the Beneficial Owner may have under the Bye Laws and Operating Instructions of IIDIL and circulars/notices issued there under or rules and regulations as may be specified by IFSCA from time to time.
- 27 The provisions of this document shall always be subject to Government notification, any rules, regulations, guidelines and circulars/ notices issued by IFSCA, and Bye-laws and Operating Instructions of IIDIL, where the Beneficial Owner maintains his/ her account, that may be in force from time to time.
- 28 The Beneficial Owner and the DP shall abide by the arbitration and conciliation procedure prescribed under the Bye-laws of IIDIL and that such procedure shall be applicable to any disputes between the DP and the Beneficial Owner.
- 29 Words and expressions which are used in this document but which are not defined herein shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as assigned thereto in the Bye-Laws and Operating Instructions and circulars/notices issued there under by IIDIL and /or IFSCA.
- 30 Any changes in the rights and obligations which are specified by IFSCA/ IIDIL shall also be brought to the notice of the clients at once.
- 31 If the rights and obligations of the parties hereto are altered by virtue of change in rules and regulations of IFSCA, or Bye-laws and/or Operating Instructions of IIDIL, where the Beneficial Owner maintains his/her account, such changes shall be deemed to have been incorporated herein in modification of the rights and obligations of the parties mentioned in this document.

ANNEXURE D

AGREEMENT BETWEEN A PARTICIPANT AND A CLEARING MEMBER

This Agreement made and entered into at [•] this [•] day of [•] , between:

[•] (description of the legal entity) having his/its office/ registered office at [•] hereinafter called “the Participant” OF THE ONE PART;

AND

[•] (description of the legal entity) having his/its office/registered office at [•] hereinafter called “the Clearing Member” OF THE OTHER PART.

WHEREAS the Participant has been granted a certificate of registration bearing number [•] dated [•] by the International Financial Services Centres Authority (“IFSCA”) as a participant under International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (“IFSCA Act”), the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (“MII Regulations”) and has been admitted by India International Depository IFSC Limited (hereinafter called “IIDIL”) as a participant.

AND WHEREAS IIDIL has established an interface with [•] (hereinafter called “the Clearing Corporation”) for establishing a mechanism for settlement of trades effected by its clearing members in respect of securities held in dematerialised form.

AND WHEREAS for the purposes aforesaid, the Clearing Member is required to open such accounts as may be specified in the Operating Instructions of IIDIL.

AND WHEREAS the Clearing Member has furnished to the Participant an application in the specified form requesting the Participant to open the accounts as may be specified in the Operating Instructions of IIDIL in the name of the Clearing Member with the Participant, which the Participant has agreed to do on the terms and conditions set out hereinbelow.

NOW THEREFORE in consideration of the Participant having agreed to open the accounts as may be specified in the Operating Instructions of IIDIL (hereinafter collectively called “the special accounts”) in the name of the Clearing Member and render services to the Clearing Member as a participant, the parties hereto do hereby agree and covenant with each other as follows:

1 General Clauses

- 1.1 Words and expressions used but not defined in these Bye Laws but defined under Applicable Law shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder read with Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 (to the extent applicable), and rules, regulations, circulars, notifications issued therein, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations 2021 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder.
- 1.2 Unless otherwise warranted by the context or meaning thereof, the words or expressions “Beneficial Owner”, “Issuer”, “Participant” and “RTA” used herein shall mean a Beneficial Owner, Issuer, Participant, and Registrar to an Issue or Share Transfer Agent (as the case may be) respectively in relation to IIDIL and the terms “Act”, “Regulations”, “Bye Laws” and “Operating Instructions” shall mean “The International Financial Services Centres Authority Act, 2019”, “the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021”, the Bye Laws of IIDIL and the Operating Instructions issued by IIDIL respectively.
- 1.3 The parties hereto shall be bound by the IFSCA Act read with MII Regulations and other applicable laws and agree to abide by the Bye Laws and Operating Instructions issued from time to time by IIDIL in the same manner and to the same extent as if the same were set out herein and formed part of this Agreement.
- 1.4 The Participant and the Clearing Member shall continue to be bound by the Bye Laws and Operating Instructions even after ceasing to be a Participant or a Clearing Member respectively in so far as may be necessary for completion of or compliance with their obligations in respect of all matters, entries or transactions which the

Participant may have carried out, executed, entered into, undertaken or may have been required to do, before ceasing to be a Participant or a Clearing Member and which may have remained outstanding, incomplete or pending at the time of his/its ceasing to be a Participant or a Clearing Member.

2 Fees, Charges and Deposits

- 2.1 The Clearing Member shall pay such fees, charges and deposits to the Participant as may be mutually agreed upon, for the purpose of opening and maintaining of the said accounts, for carrying out the instructions and for rendering such other services as are incidental or consequential to the operation of the said accounts as may be mutually agreed upon by the Participant and the Clearing Member. The Participant shall be entitled to change or revise the said fees, charges or deposits from time to time provided however that no increase therein shall be effected by the Participant, unless the Participant shall have given at least one month's notice in writing to the Clearing Member in that behalf.
- 2.2 The Clearing Member further agrees that in the event of the Clearing Member committing a default in the payment of any of the amount payable to the Participant by way of fees, charges or otherwise on their respective due dates or within 15 (fifteen) days of the same being demanded (where no such due date is specified) then, without prejudice to the right of the Participant to terminate this Agreement and close the account of the Clearing Member, the Participant shall be entitled to charge interest on the amount remaining outstanding or unpaid at the rate of [•] % per month or part thereof.

3 Unique Identification Number

- 3.1 The Clearing Corporation shall in consultation with IIDIL, allocate a unique identification number to the Clearing Member ("Clearing Member ID").

4 Responsibilities of the Clearing Member

- 4.1 The Clearing Member shall be responsible for :
 - 4.1.1 the veracity of all statements and particulars set out in the account opening form, supporting or accompanying documents and this Agreement;
 - 4.1.2 the authenticity and genuineness of any documents submitted to the Participant along with or in support of the account opening form or subsequently;
 - 4.1.3 ensuring at all times that the securities to the credit of his special account are sufficient to meet the instructions issued to the Participant for effecting any transaction;
 - 4.1.4 informing the Participant at the earliest of any changes in the particulars set out in the application form submitted to the Participant at the time of opening of the account or furnished to the Participant from time to time such as address, bank details, status, authorisations, mandates, nomination, signature, etc.

5 Accounts to be opened by the Clearing Member

- 5.1 The Clearing Member shall open such accounts as may be specified in the Operating Instructions.
 - 5.1.1 The Clearing Member, for the purpose of settlement of securities, in dematerialised form, shall open and maintain such accounts as may be specified in the Operating Instructions by IIDIL.
- 5.2 The Clearing Member shall be solely responsible for the instructions issued to the Participant for credit of any securities into the special accounts. The Clearing Member shall avail of all corporate benefits that may accrue in respect of securities held in special accounts and shall hold the same in trust for the benefit of the Beneficial Owner ultimately entitled to those securities. The Clearing Member shall be responsible and liable to compensate the Beneficial Owner ultimately entitled to those securities for any negligence, error or omission in availing or holding such corporate benefits for the benefit of such Beneficial Owner.

6 Participant to open separate account for each Clearing Member

- 6.1 The Participant shall maintain separate special accounts for each clearing member and ensure that the securities of the Clearing Member are not mixed with the securities of any other clearing member or those of the Participant.

7 Participant to act only on instructions of the Clearing Member

- 7.1 The Participant shall act only on the instruction or mandate of the Clearing Member or that of such person/s as may have been duly authorised by the Clearing Member in that behalf in the manner provided by IIDIL.

- 7.2 The Participant shall not effect any debit or credit to and from the special accounts of the Clearing Member without appropriate instructions from the Clearing Member or IIDIL.
- 7.3 The Participant shall maintain adequate audit trail of the execution of the instructions of the Clearing Member.
- 8 Pledge / Hypothecation
- 8.1 The Clearing Member shall not be entitled to pledge, hypothecate, charge, mortgage or otherwise encumber the securities held in his special accounts with the Participant.
- 9 Freezing and Defreezing of the Clearing Member's Account
- 9.1 The Clearing Member may at any time exercise his right to freeze his special account/s with the Participant so as to freeze all operations in respect of such securities held in his special account with the Participant for such period as the Clearing Member may specify. The Participant shall indemnify and keep indemnified the Clearing Member from any harm, loss, damage or injury that the Clearing Member may suffer or incur by reason of the Participant's failure to freeze the Clearing Member's account within such time from the receipt of valid instructions in that behalf and in such manner as may be specified by the Bye Laws and Operating Instructions.
- 9.2 The Clearing Member may at any time exercise his right to defreeze and reactivate his special account maintained with the Participant in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Operating Instructions. The Participant shall indemnify and keep indemnified the Clearing Member from any harm, loss, damage or injury that the Clearing Member may suffer or incur by reason of the Participant's failure to defreeze the Clearing Member's special account within such time from the receipt of valid instructions in that behalf and in such manner as may be specified by the Bye Laws and Operating Instructions.
- 9.3 The special account/s of the Clearing Member shall be frozen by the Participant, on the Participant being served with any direction, order or decree of a court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any statutory or revenue authority or on receipt of written instructions from IIDIL calling upon the Participant so to do and upon such account being frozen, the Participant shall forthwith intimate the Clearing Member of the same.
- 10 Participant's Lien
- 10.1 The participant shall not exercise any lien without the prior approval of IIDIL, on any securities belonging to the Clearing Members held in dematerialised form in any account with the participant, as security for recovery of dues owed by Clearing Member to the Participant in his capacity as such including any compensation for any loss caused to the Participant and/or IIDIL by reason of fraud, negligence or mistake on the part of the Clearing Member. The participant shall, upon receipt of such approval from IIDIL, give notice in writing to the concerned Clearing Member of the exercise of such lien by the Participant in respect of such of the securities held in the Clearing Member's account as IIDIL may specify.
- 11 Statement of the Clearing Member's Accounts
- 11.1 The Participant shall furnish to the Clearing Member a statement of his account at the end of every month if there has been even a single entry or transaction during that month and in any event once at the end of each financial year. Such statement shall be in the form as specified by IIDIL. The Participant shall furnish such statements at such shorter periods as may be required by the Clearing Member on payment of such charges by the Clearing Member as may be specified by the Participant.
- 11.2 The Clearing Member shall scrutinize every statement of his/its accounts received from the Participant for the accuracy and veracity thereof and shall promptly bring to the notice of the Participant any mistakes, inaccuracies or discrepancies in such statements.
- 12 Participant not liable for claims against the Clearing Member
- 12.1 The Participant shall not be liable to the Clearing Member in any manner towards losses, liabilities and/or expenses arising from the claims of third parties or for any fees, charges, taxes, duties, levies or penalties levied, imposed or demanded by any Central, State, statutory or revenue authority in respect of securities credited to the Clearing Member's special account.

13 Authorised Representatives

- 13.1 Where the Clearing Member is a body corporate, it shall simultaneously with the execution of this Agreement furnish to the Participant, a list of officials authorised by it, who shall represent and interact on its behalf with the Participant. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to the Participant.

14 Confidentiality

- 14.1 The Participant shall be at liberty to provide or disclose such details, particulars, data or information relating to the Clearing Member and his account as may be required or directed in writing by any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any other regulatory or revenue authority empowered by law in that behalf or by IIDIL or the concerned Issuer and/or RTA or Clearing Corporation through IIDIL or as may be required for compliance with any obligations in law or for enforcement of any of its rights or for protection of its interest without reference or recourse to the Clearing Member provided however that save and except as aforesaid, the Participant shall not divulge or permit or suffer to be disclosed any such details, particulars, data or information to any party or person and shall hold such details, particulars, data and information in strict confidence.

15 Events requiring immediate intimation by the Clearing Member

- 15.1 The Clearing Member shall notify IIDIL and the Participant forthwith:

- 15.1.1 in case the Clearing Member is an individual, in the event of his incapacity to act as the Clearing Member;
- 15.1.2 in case the Clearing Member is a partnership firm, in the event of its dissolution (including any issuance of notice of dissolution or filing of a suit for dissolution of the firm);
- 15.1.3 in case the Clearing Member is a body corporate, in the event of an order being passed admitting any petition for having it wound up or appointing a provisional liquidator or a resolution being passed for its winding up ;
- 15.1.4 on its becoming aware of the presentation of any application or petition for its bankruptcy, insolvency, liquidation or attachment of its property ;
- 15.1.5 upon its becoming aware of any distress, execution or other process being levied or served upon or against its property ;
- 15.1.6 in case of any change in its financial conditions which may lead to its insolvency or dissolution or winding-up or if it suffers a composition with its creditors;
- 15.1.7 upon convening of any meeting to consider a resolution for the appointment of a liquidator or receiver or administrator in respect of any of its properties, or any other change in circumstances which could materially affect its capacity to act as the Clearing Member;
- 15.1.8 in case the Clearing Member, being declared a defaulter or being suspended, or his/ its membership being terminated by the concerned Stock Exchange or by IFSCA;
- 15.1.9 upon termination, suspension or de-registration of the Clearing House, Clearing Corporation or Stock Exchange by IFSCA or any other authority empowered by law in that behalf, of which the Clearing Member is a member or an account holder.

16 Redressal of grievances/complaints of the Clearing Member

- 16.1 The Participant shall promptly attend to all grievances/complaints of the Clearing Member and shall resolve all such grievances/complaints as relate to matters exclusively within the domain of the Participant within a period of 21 (twenty one) days of the same being brought to the notice of the Participant and shall forthwith forward to and follow up with IIDIL all other grievances/complaints of the Clearing Member on the same being brought to the notice of the Participant and shall endeavour to resolve the same at the earliest.

17 Closure of Account

- 17.1 The Clearing Member, may, at any time terminate this Agreement by calling upon the Participant to close all his special accounts with the Participant, provided no instructions remain pending or unexecuted and no fees or charges remain payable by the Clearing Member to the Participant. In such event the Clearing Member shall make an application to the Participant in the format specified by IIDIL in that behalf. The

Clearing Member may close such special account by executing the account closing form if no balances are standing to its credit in such special account. In case any balances of securities exist in the account sought to be closed, the special accounts may be closed in one of the following ways:

- 17.1.1 by rematerialisation of all existing balances in such special account;
- 17.1.2 by transfer of all existing balances in such special account to one or more of his/its other special account/s held with any other participant/s;
- 17.1.3 by rematerialisation of a part of the existing balances in such special account and by transferring the rest to one or more of his/its other special account/s with any other participant/s.
- 17.2 The Participant shall initiate the procedure for transfer of balances or for rematerialisation of securities in the Clearing Member's special account, as the case may be, within a period of two working days from the date of receipt of instructions from the Clearing Member in that behalf.
- 17.3 The Clearing Member's special account shall not be closed if there exist any securities in the Clearing Member's special accounts which are pledged or hypothecated or the special account is unreconciled or if the closure of such special account would result in breach or violation of any decree or order or injunction of any court, tribunal or statutory or revenue authority.
- 17.4 In the event of the Participant ceasing to be a participant, the Clearing Member may either seek rematerialisation of his securities or request for the transfer of the securities in its special accounts to other special accounts opened with another participant.

18 Termination

- 18.1 The Participant may terminate this Agreement in the event of the Clearing Member:
 - 18.1.1 failing to issue instructions to the Participant from time to time;
 - 18.1.2 failing to pay the fees or charges as may be mutually agreed upon within a period of thirty days from the date of demand made in that behalf;
 - 18.1.3 being suspended or being declared defaulter by the said Stock Exchange or otherwise ceasing to be a member of the said Stock Exchange;
 - 18.1.4 upon termination, suspension or de-registration of the Clearing House, Clearing Corporation or Stock Exchange by IFSCA or by any other regulatory authority empowered by law in that behalf, of which the Clearing Member is a member or an account holder;
 - 18.1.5 commits or participates in any fraud or other act of moral turpitude in his dealings with the Participant;
 - 18.1.6 otherwise misconducts himself in any manner;
- 18.2 The Participant may also terminate this Agreement without assigning any reasons for such termination provided the Participant shall have issued at least one month's notice in writing to the Clearing Member in that behalf.
- 18.3 In the event of the Participant terminating this Agreement, the Participant shall call upon the Clearing Member to specify whether he desires to have the security balances in his special accounts transferred to its special accounts with another participant or to have the same rematerialised in the manner specified in the Bye Laws and the Participant shall accordingly close the special account of the Clearing Member. Where the special account/s is terminated by the Participant for any reason not attributable to the Clearing Member, the cost, charges and expenses involved in the transfer of the Clearing Member's special account to any other participant or rematerialisation of securities in such special account shall be borne by the Participant.
- 18.4 Upon termination of this Agreement, if the Clearing Member fails to specify the special account with any other Participant to which the existing balances are to be transferred or if the Participant fails to take necessary steps to have the securities in such special account transferred to the Clearing Member's special account with some other participant, IIDIL shall nominate any other Participant to whom such special account/s shall stand transferred for the time being, provided however that no transaction in respect of securities in such transferred account shall be effected until such time as the Clearing Member shall have entered into an agreement with the Participant to whom such special account shall have been so transferred by IIDIL.

- 18.5 Notwithstanding termination of this Agreement by the Participant or closure of such special accounts by the Clearing Member, the provisions of this Agreement and all mutual rights and obligations arising therefrom shall, except in so far as the same are contrary to or inconsistent with such termination or closure, continue to be binding on the parties in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the period when this Agreement was effective.
- 19 Indemnity
- 19.1 The Participant shall indemnify and keep indemnified and saved harmless the Clearing Member from and against all harm, loss, damage and injury and all claims, demands, suits, actions, litigation, prosecution and every other proceedings whatsoever (including all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by the Clearing Member by reason of or on account of the Participant effecting any debit or credit of securities to the special account of the Clearing Member without due confirmation from or contrary to or inconsistent with the instructions of the Clearing Member or otherwise failing to carry out the instructions of the Clearing Member or on account of any negligence on the part of the Participant, its employees, servants or agents or otherwise committing any act, deed, matter or thing which is violative of the IFSCA Act, MII Regulations, Bye Laws and Operating Instructions of IIDIL.
- 19.2 The Clearing Member shall indemnify and keep indemnified and saved harmless the Participant, his/its employees and servants from and against all harm, loss, damage and injury and all claims, demands, suits, action, litigation, prosecution or every other proceeding whatsoever (and all costs, charges and expenses relating thereto) suffered or incurred by the Participant on account of or as a reason of any certificates or other documents in respect of the securities submitted to the Participant being forged, fabricated, counterfeit, stolen, cancelled or being otherwise invalid or such securities being subject to any decree, order or injunction of any court, tribunal, Central or State Government or any other authority empowered in that behalf restraining or prohibiting transfer of those securities or the transfer of such securities being in breach of any undertaking or covenant in favour of any statutory body or authority.
- 20 Stamp duty
- 20.1 Any stamp duty (including interest or penalty levied thereon) payable on this Agreement and/or any deed, document or writing executed in pursuance hereof between the parties hereto shall be borne and paid by the Clearing Member.
- 21 Force Majeure, etc.
- 21.1 Notwithstanding anything contained herein or in the Bye Laws, neither party hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, non-performance or delay in performance of any obligations under this Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion, or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.
- 22 Service of Notice
- 22.1 Any notice or communication required to be given under this agreement shall be in writing, and shall be legally effective only when it is delivered to the addressee at the last known address in the manner prescribed in the operating instructions.
- 23 Severability
- 23.1 If any provision of this Agreement shall be held or adjudged by any competent court, tribunal or regulatory authority to be unlawful, void or unenforceable or if any provision is rendered void or unenforceable by reason of any statutory amendment, notification or any judicial decision, such provision shall to the extent required be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as possible without modifying the remaining provisions of this Agreement but shall not in any way effect the validity or enforcement of the rest of the provisions of this Agreement which shall continue to apply with full force and effect.
- 24 Amendments/Modifications at IFSCA's instance to be binding
- 24.1 The parties hereto shall be bound by any additions, alterations, modifications, amendments or deletions to this Agreement or to any provisions thereof as may be required or directed by IFSCA and shall execute all such deeds, documents or writings as may be required for giving effect thereto.
- 25 No Waiver
- 25.1 Neither party hereto shall be deemed to have waived, abandoned or relinquished any right, power, privilege or remedy available to it under this Agreement or in law except by a writing executed in that behalf and no failure or delay on the part of any of the parties hereto in the exercise of such right, power, privilege or remedy shall operate as a waiver thereof or as a waiver of any preceeding or succeeding breach by the other

party to this Agreement nor shall any single or any partial exercise of any right, power, privilege or remedy preclude any other or further exercise of such or any other right, power, privilege or remedy available under this Agreement or otherwise available in law or in equity it being agreed that all such rights, powers, privileges and remedies are several and cumulative of each other.

26 Arbitration and Conciliation

26.1 The parties hereto shall, in respect of all disputes and differences that may arise between them, abide by the provisions relating to arbitration and conciliation specified under the Bye Laws. The place of arbitration shall be Gandhinagar.

27 Governing Language

27.1 All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the parties hereto in relation to the subject matter of this Agreement shall be in English language which shall be the governing language between the parties hereto.

28 Governing Law

28.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in India.

29 Jurisdiction

29.1 The parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Gandhinagar.

30 Headings

30.1 The headings in this Agreement are for convenience and reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.

31 Interpretation

31.1 Unless the context otherwise requires, the words denoting the singular shall include the plural and vice versa and the words denoting the masculine gender shall include the feminine and vice versa and any reference to any statute, enactment or legislation or any provision thereof shall include any amendment thereto or any re-enactment thereof.

32 Execution of Agreement

32.1 This Agreement is executed in duplicate and a copy each shall be retained by each of the parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set and subscribed their respective hands/ seals to this Agreement in duplicate on the day, month, year and place first hereinabove mentioned.

SIGNED AND DELIVERED)
by the withinnamed)
“Participant”)
[•])
by the hand of its authorised)
representative Shri [•])
in the presence of)
1.)
2.)

SIGNED AND DELIVERED)
by the withinnamed)
“Clearing Member”)
[•])
by the hand of its authorised)
representative Shri [•])
in the presence of)
1.)
2.)

ANNEXURE E

Important Instructions:

1. Agreements should be executed on the stamp paper of such amount as may be specified from time to time under applicable law.
2. All pages of the agreement should be stamped and signed.
3. Name and signature of the witness should be present on the last page of Agreement.
4. All the copies should be stamped and signed in Original.
5. Date of execution of agreement will be entered by IIDIL, after obtaining necessary approvals for admitting the company. If the agreement is received with the date mentioned on it, same would be rejected and issuer has to execute new agreement.

In case any clarification is required kindly contact Issuer Admission Cell on [•].

Agreement between India International Depository IFSC Limited and Issuer

This Agreement made and entered into at [•] this [•] day of [•], 20[•] between:

INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its Registered Office at Unit-310 & 311, 3rd Floor, Signature Tower Block-13, Road 1C, Zone-1, GIFT SEZ, Gift City Gandhinagar- 382355, (hereinafter called "IIDIL") OF THE ONE PART;

AND

[•] (description of the legal entity) having its office/ registered office at [•], (hereinafter called the "Issuer") OF THE OTHER PART.

WHEREAS IIDIL has agreed to declare the securities such as shares, stocks, bonds, debentures or other marketable securities (hereinafter referred to as "Securities") issued by the issuer from time to time as being eligible to be held in dematerialized form in IIDIL.

AND WHEREAS the Issuer is desirous of entering into an agreement with IIDIL to facilitate the holding and transfer of securities in dematerialised form in IIDIL, which IIDIL has agreed to do.

NOW THEREFORE in pursuance of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 ("IFSCA Act") read with the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 ("MII Regulations"), and in consideration of the mutual promises herein contained, the parties hereto do hereby agree and covenant with each other as follows :

1 General Clauses

- 1.1 Words and expressions used but not defined in these Bye Laws but defined under Applicable Law shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder read with Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 (to the extent applicable), and rules, regulations, circulars, notifications issued therein, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations 2021 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder.
- 1.2 Unless otherwise warranted by the context or meaning thereof, the words or expressions "Beneficial Owner", "Issuer", "Participant" and "RTA" used herein shall mean a Beneficial Owner, Issuer, Participant and Registrar to an Issue or Share Transfer Agent (as the case may be) respectively in relation to IIDIL and the terms "Act", "Regulations", "Bye Laws" and "Operating Instructions" shall mean "The International Financial Services Centres Authority Act, 2019", "the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021", Bye Laws of IIDIL and the Operating Instructions issued by IIDIL respectively.
- 1.3 The Issuer shall be bound by IFSCA Act read with MII Regulations and other applicable laws and agree to abide by the Bye Laws and the Operating Instructions issued from time to time by IIDIL in the same manner and to the same extent as if the same were set out herein and formed part of this Agreement.

- 1.4 The Issuer shall continue to be bound by the Bye Laws and Operating Instructions, even after ceasing to be an Issuer in so far as may be necessary for completion of or compliance with its obligations in respect of all matters, entries or transactions which the Issuer may have carried out, executed, entered into, undertaken or may have been required to do, including pending requests for dematerialisation or rematerialisation of securities before ceasing to be an Issuer and which may have remained outstanding, incomplete or pending at the time of its ceasing to be an Issuer.
 - 1.5 The obligations on the part of the Issuer/RTA herein contained are a reiteration of and/or are in addition to the obligations contained in the Bye Laws and the Operating Instructions, and the omission of one or more of such obligations from this Agreement shall not in any manner be construed as a waiver of such obligations as are not herein contained.
- 2 Costs, Fees and Charges
 - 2.1 The Issuer shall pay to IIDIL such fees, costs, charges and deposits as may be specified in the Operating Instructions for Issuers issued by IIDIL from time to time. In the event of the Issuer failing to make payment of any such fees, costs, charges or deposits, as the case may be, on or before the respective due dates, IIDIL shall be entitled to charge interest on any delayed payments at the rate as may be prescribed by IIDIL.
- 3 Unique Identification Number
 - 3.1 IIDIL shall allocate a unique identification number to the Issuer ("Issuer ID").
- 4 Hardware and Software to be installed by the Issuer
 - 4.1 The Issuer shall install at its premises allocated for IIDIL related activities such computers, printers, communication equipment and uninterruptible power supply units, systems software and any other equipment, hardware and software as may be specified by IIDIL from time to time.
 - 4.2 It is further agreed that unless supplied directly by IIDIL or its agents, all computers, communication equipment, printers, uninterruptible power supply units and all other hardware and software procured by the Issuer shall be of the specified configuration and shall be sourced only from IIDIL empanelled brands or any other brand which has been approved by IIDIL in writing prior to such procurement.
 - 4.3 The above hardware and software set-up shall be utilised by the Issuer exclusively for IIDIL specific application module and even if there be any spare processing or data storage capacity, the same shall not be used for any other application including the Issuer's back-office systems or operations.
 - 4.4 The above hardware shall not be connected by the Issuer to its inter-office WAN (Wide Area Network) without the prior written permission of IIDIL. IIDIL reserves the right to deny such permission if, in its opinion, granting such permission involves violation of conditions relating to the operations of IIDIL's own WAN as stipulated by Department of Telecommunications or if in permitting the same, IIDIL apprehends any risk to the integrity of its WAN or for any other reason as may be deemed fit by IIDIL.
 - 4.5 The Issuer shall, from time to time, at its own cost, carry out such addition, modification, upgradation or replacement of the said hardware and/or software as may be specified by IIDIL.
- 5 Connectivity and Systems
 - 5.1 The Issuer and IIDIL shall establish and maintain a continuous electronic means of communication with each other.
 - 5.2 IIDIL shall provide necessary Operating Instructions from time to time to the Issuer, as may be necessary for effective and prompt conduct of the business relating to depository operations.
 - 5.3 The Issuer shall, in respect of its operations as an Issuer in IIDIL, procure and maintain at its own cost such systems, procedures, means of communication, infrastructure, hardware, software, security devices and back-up facilities as IIDIL may specify and shall upgrade or replace the same from time to time as may be specified by IIDIL.
 - 5.4 The Issuer shall comply with all systems and procedures recommended by IIDIL and shall allow access to its systems to one or more teams of professionals with expertise or specialized skill in auditing the performance of computerised systems (called "Systems Audit Teams") designated by IIDIL for periodic assessment of compliance with systems and procedures.

- 6 Effective date of commencement of dematerialisation and rematerialisation
 - 6.1 The effective date of commencement of dematerialisation, rematerialisation and transfer of securities in dematerialised form in respect of the securities shall be on or after the date of execution of this Agreement.
- 7 Information/ Documents to be furnished by the Issuer to IIDIL
 - 7.1 The Issuer shall, furnish to IIDIL, a copy of the letter approving listing and permitting commencement of trading in respect of the securities issued by the concerned stock exchange within 5 (five) days from the date hereof and in the event of any fresh issue of securities ranked pari passu with the existing securities within 5 (five) days from the date of issuance of such letter.
 - 7.2 The Issuer shall provide information to IIDIL:
 - 7.2.1 of all further issues in respect of the securities, if any, such as rights, bonus, public offerings etc., with all relevant details such as opening and closing dates, issue size, issue price, record date, book closure date, proportion, pari passu status etc., along with a copy of the offer document;
 - 7.2.2 of the date from which new securities arising out of conversions, further issues, final call payments, etc., become pari passu with its existing securities;
 - 7.2.3 of any other corporate action;
 - 7.3 Such information shall be furnished to IIDIL on the same day on which it is required to be furnished to any stock exchange where the securities of the Issuer are listed and in all other cases within 2 (two) working days of the Issuer taking a formal decision in that regard.
- 8 Details / Particulars to be furnished by IIDIL to the Issuer
 - 8.1 IIDIL shall furnish to the Issuer the details/particulars of beneficial owners as of the record date. Such details/particulars shall be provided by IIDIL within such time as may be specified in the Operating Instructions.
 - 8.2 IIDIL shall furnish to the Issuer the details/particulars of the beneficial owners for updating the records of the Issuer at such frequency as may be specified in the Operating Instructions.
 - 8.3 In addition to the above, IIDIL may in its discretion provide, as and when required by the Issuer, on payment of such charges as may be specified by IIDIL, details of beneficial owners as well as the pending requests for Dematerialisation and Rematerialisation and any other details or particulars in respect of the securities.
- 9 Dematerialisation
 - 9.1 IIDIL will electronically intimate, on a daily basis, all dematerialisation requests received from its participants to the Issuer.
 - 9.2 Upon receipt of the Dematerialisation Request Form ("DRF") along with the securities of which dematerialisation is sought, the Issuer shall firstly verify the validity and authenticity of the certificates or other documents of title to the securities and accuracy of the contents of the DRF and secondly, shall confirm from its records that such dematerialisation has been required by the person whose name appears as the holder of those securities in the register of securities maintained by the Issuer in respect of those securities.
 - 9.3 The Issuer undertakes that the data pertaining to the securities to be dematerialized received from participants through IIDIL shall be validated against the database of securities maintained by the Issuer and that only valid securities with clear title shall be permitted to be dematerialised.
 - 9.4 After verification as aforesaid, the Issuer shall intimate IIDIL authorising a credit in dematerialised form in respect of the concerned securities in favour of the beneficial owner. On receipt of such intimation, IIDIL shall cause the necessary credit entry to be made in the account of the beneficial owner concerned. No credit of any securities to the account of any beneficial owner shall be made unless IIDIL has received an intimation from the Issuer as set out hereinabove.
 - 9.5 The Issuer undertakes that no dematerialisation request shall be accepted by it or intimated to IIDIL in respect of any securities so long as the same are subject to any restraint, injunction, prohibition or attachment under any direction, order or decree of any court, tribunal, Central or State Government, International Financial Services Centre Authority ("IFSCA") or any statutory or revenue authority empowered in that behalf or which are by law or under the terms and conditions of issuance thereof, prohibited from being transferred.

- 9.6 The Issuer shall electronically intimate IIDIL regarding the confirmation or rejection, whether in part or in whole, of every dematerialisation request within such period as prescribed under the Bye Laws/ Operating Instructions of IIDIL.
- 9.7 The Issuer shall in all cases retain the DRF with it for such period as may be specified by law in that behalf subject to a minimum period of 5 (five) years.
- 9.8 The Issuer shall not refuse or reject any request for dematerialisation of any securities into IIDIL save and except for the following reasons:
- 9.8.1 the certificates or other documents of title to the securities are found to be stolen, forged, fabricated or counterfeit;
 - 9.8.2 the Issuer has been served with or intimated of any decree, order or direction of any court, tribunal, IFSCA, Central or State Government or other statutory or revenue authority prohibiting or restraining transfer of those securities including any order of attachment, distress or execution in respect thereof;
 - 9.8.3 in case duplicate certificates or other documents of title with the same distinctive numbers have already been issued in lieu of the original certificates/documents of title submitted for dematerialisation;
 - 9.8.4 the securities in respect of which dematerialisation is sought are subject to any restriction or prohibition on transfer thereof under any law in force for the time being or under the terms and conditions of the issuance thereof;
 - 9.8.5 any other reason as may be specified by IIDIL in its Operating Instructions.
- 9.9 The Issuer shall return to the concerned participant the certificates and/or other documents of title to such of the securities submitted for dematerialisation as are rejected by the Issuer provided however that in the event of dematerialisation in part or in whole being rejected for any of the reasons set out in clause 9.8 above, the certificates relating to those securities shall be retained by the Issuer and shall be dealt with by it in accordance with law.
- 9.10 In all cases where the Issuer rejects any request for dematerialisation of any securities in whole or in part, the Issuer shall communicate in writing to the concerned participant the precise reason for such rejection.
- 9.11 The Issuer shall, forthwith send intimation to concerned stock exchange where the dematerialised securities are listed giving particulars of the securities which have been dematerialised in such format as may be specified by the concerned stock exchange.
- 9.12 Every intimation to IIDIL permitting dematerialisation of any securities, shall be deemed to be backed by a representation and assurance by the Issuer to IIDIL that such securities exist, are validly issued and stand in the records of the Issuer in the name of the beneficial owner who has sought dematerialisation in respect of those securities.
- 9.13 The Issuer accepts full responsibility for cancellation, mutilation or destruction of certificates and/or other documents of title to securities received and accepted by it for dematerialisation and for the safe custody thereof pending cancellation, mutilation or destruction.
- 9.14 The Issuer agrees and undertakes that the record of certificates of securities which have been dematerialised will be maintained by the Issuer in such manner as may be specified in the Bye Laws and Operating Instructions.
- 9.15 The Issuer/RTA shall not permit dematerialisation of any eligible securities admitted into IIDIL unless and until the Issuer/RTA ascertain that all necessary permissions, sanctions, approvals from the concerned authority/ies including, but not limited to, stock exchange/s, Ministry of Company Affairs, Registrar of Companies, RBI, IFSCA or other relevant authorities, have been obtained and the procedures as laid down in the Operating Instructions and/or any communication issued by IIDIL from time to time in that behalf have been duly complied with.
- 9.16 The Issuer/RTA confirms that such dematerialisation is not in contravention with the provisions of the Act, Regulations, these Bye Laws and Operating Instructions issued by IIDIL from time to time.
- 9.17 The Issuer/RTA shall at all times strictly ensure that the aggregate of securities under each ISIN in dematerialised form held in the depositories, including IIDIL, and the securities held in physical form is not higher than the securities which are listed on the stock exchange/s and in case of unlisted securities, the aggregate of securities under each ISIN in dematerialised form held in the depositories, including IIDIL,

together with the securities held in physical form is not higher than the securities duly allotted in accordance with law and duly notified to the office of the Registrar of Companies and/or any other authority empowered in that behalf by filing such forms, declarations, undertakings and other writings within such period and in such manner as may be prescribed in law. The Issuer/RTA shall carry out reconciliation on daily basis. Provided however that the provisions of this Bye Law shall not be applicable to securities issued by the Public Sector Undertakings where the securities held by the Central or the State Government are not listed with the stock exchange/s.

10 Rematerialisation

- 10.1 On receipt of an electronic intimation by IIDIL from the Participant of its having received the Rematerialisation Request Form ("RRF") from a beneficial owner, IIDIL shall immediately block the balance of the relevant securities lying in the account of the concerned beneficial owner to the extent of the quantity for which rematerialisation is sought and shall intimate electronically all such rematerialisation requests to the Issuer on a daily basis. Once the said balance is blocked as aforesaid, IIDIL shall not permit any debits or creation of any pledge or hypothecation in respect of the blocked securities pending rematerialisation.
- 10.2 On receipt of the RRF from the Participant, the Issuer shall match the particulars contained in the RRF with the particulars made available by IIDIL on the computer system and upon satisfying itself as to the accuracy of the particulars set out in the RRF, the Issuer shall confirm electronically to IIDIL and the concerned participant that the RRF has been accepted. Thereafter, the Issuer shall dispatch the security certificates arising out of the rematerialisation request within a period of 30 (thirty) days from the receipt of such RRF to the beneficial owner named in the RRF at the address set out therein taking such precautions as may be necessary against loss in transit.
- 10.3 On receipt of an intimation of acceptance of RRF from the Issuer, IIDIL shall reduce the security balances to the extent of the rematerialised securities in the concerned beneficial owner's account. The Issuer shall send an intimation to this effect to every stock exchange where the rematerialised securities are listed. Such intimation shall be sent by the Issuer at such periodic intervals as may be specified by the concerned stock exchange or in Operating Instructions.
- 10.4 The Issuer shall retain the RRF with it for such period as may be specified by law in that behalf subject to a minimum period of 5 (five) years.
- 10.5 The Issuer may charge such amount by way of rematerialisation charges as may be agreed upon by the Issuer and IIDIL.

11 Fresh Issue of Securities

- 11.1 Where, the Issuer makes any further issue of the said securities, the Issuer shall furnish to IIDIL allotment details in the manner required by IIDIL, of all beneficial owners who have opted for holding the newly allotted securities in dematerialised form in IIDIL.

12 Procedure where identity of Beneficial Owner is not established

- 12.1 In the event of an intimation being received by IIDIL from the Issuer for credit of securities to the account of any beneficial owner whose identity cannot be established in IIDIL, IIDIL may reject such request and give details of such rejection for rectification by the Issuer to be dealt with as may be deemed fit by the Issuer.

13 Corporate Action / Benefits

- 13.1 IIDIL undertakes to provide a list of beneficial owners with relevant details to the Issuer as of the book closure date /record date or such date as may be specified from time to time by IFSCA. IIDIL shall indemnify the Issuer for any loss that may be caused to the Issuer by reason of any incorrect or inaccurate information relating to beneficial owners and/or their holdings being furnished by IIDIL to the Issuer.
- 13.2 The Issuer shall, in respect of the said securities, provide timely information to IIDIL about all corporate action including book closure date, record dates, dates for payment of interest or dividend, dates for the annual general meeting and other meetings, dates of redemption or maturity of securities, dates of conversion of debt into equity, dates of exercising warrants, call money dates, details of other corporate action such as merger, amalgamation or reconstruction of the Issuer, reduction of capital, forfeiture, re-issue, conversion of debt into equity, sub-division or consolidation etc. and such other information as may be specified by IIDIL from time to time.

- 13.3 The Issuer shall be responsible for timely intimation of all corporate action to IIDIL and the accuracy thereof as also for distribution of all corporate benefits. The Issuer shall also be solely responsible for the accuracy of advice as to corporate benefits conveyed by the Issuer to IIDIL. The Issuer shall indemnify IIDIL for any loss that may be caused to IIDIL by reason of any incorrect or inaccurate information furnished by the Issuer to IIDIL.
- 14 Disputes relating to dematerialisation etc.
- 14.1 Should any claim, demand or dispute be raised by any party or person in respect of any securities that have been dematerialised and credited to the account of any beneficial owner by IIDIL as per the intimation from the Issuer or in respect of which any corporate benefits have been allotted by the Issuer, the resolution of such claim, demand or dispute and the resultant liability, if any, arising therefrom, shall be the sole responsibility of the Issuer and IIDIL shall not in any manner be liable, responsible or answerable in that behalf.
- 14.2 Should any claim, demand or dispute be raised by any party or person in respect of any securities that have been rematerialised, barring any error or inaccuracy in the particulars contained in the RRF, the resolution of such claim, demand or dispute and the resultant liability, if any, arising therefrom, shall be the sole responsibility of the Issuer and IIDIL shall not in any manner be liable, responsible or answerable in that behalf.
- 14.3 It shall be the sole responsibility of the Issuer to compensate any party or person aggrieved by reason of the Issuer permitting dematerialisation or rematerialisation of any securities in respect of which any direction, order or decree of any court or tribunal or IFSCA or Central or State Government or any other statutory or revenue authority stopping or restraining transfer or any order of attachment or any other prohibitory order is in force at the time of such dematerialisation or rematerialisation and the same has been served upon or otherwise intimated to the Issuer.
- 15 Reconciliation of Records
- 15.1 The Issuer shall reconcile the record of dematerialised securities with all the securities with all the securities issued by it, on a daily basis in accordance with the Bye Laws.
- 16 Inspection by IIDIL
- 16.1 IIDIL shall be entitled to carry out inspection of the facilities, systems, records and books of the Issuer relating to all dealings of the Issuer with it through such persons as may be authorised in that behalf by IIDIL and the Issuer shall permit the persons so authorised, entry into its premises during regular business hours on any working day and shall allow access to its facilities, systems, records and books and permit copies thereof to be made.
- 17 Events requiring immediate intimation by the Issuer to IIDIL
- 17.1 The Issuer shall notify IIDIL forthwith:
- 17.1.1 upon a petition for winding-up of the Issuer being presented in any court or a resolution being passed for winding up of the Issuer;
- 17.1.2 any scheme being framed for merger, amalgamation or reconstruction of the Issuer;
- 17.1.3 on its becoming aware of the presentation of any application or petition for its bankruptcy, insolvency, liquidation or attachment of its property;
- 17.1.4 upon its becoming aware of any distress, execution, attachment or other process being threatened or levied by any statutory or revenue authority against the Issuer or its property for recovery of any taxes, duties, levies, penalties, cesses or dues;
- 17.1.5 upon any application being presented to any court for attachment of the assets or properties of the Issuer;
- 17.1.6 in case of any change in its financial conditions which may lead to its insolvency or winding-up or if it suffers a composition with its creditors;
- 17.1.7 upon convening of any meeting to consider a resolution for the appointment of a liquidator or receiver or administrator in respect of any of its properties or any other change in circumstances which could materially affect the business of the Issuer;
- 17.1.8 upon a receiver or administrator being appointed by any court in respect of the assets or properties of the Issuer;

- 17.1.9 upon any notice being received by the Issuer from any stock exchange on which any securities issued by the Issuer are listed or permitted to be traded, suspending trading or terminating listing of such securities on that exchange, including any show- cause or other notice threatening such action;
 - 17.1.10 upon the Issuer becoming aware of any event or occurrence which is reasonably likely to materially affect its commercial viability or existence or its ability to perform its obligations under this Agreement.
 - 17.1.11 any increase in or reduction of share capital or any other securities issued by the Issuer, and all Corporate Actions proposed to be undertaken by the Issuer.
 - 17.1.12 any unreconciled balances reported during the process of reconciliation on a daily basis.
- 18 Authorised Representative
- 18.1 The Issuer shall, simultaneously with the execution of this Agreement furnish to IIDIL, a list of officials authorised by it, who shall represent and interact on his/its behalf with IIDIL. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to IIDIL.
- 19 Confidentiality
- 19.1 The parties hereto shall keep strictly confidential all technical and business information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this Agreement or under the Bye Laws and neither party hereto shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party hereto.
- 19.2 Either party hereto shall be at liberty to permit inspection or allow extracts to be made at any time of such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account to such extent and in such manner as may be required by any law in force for the time being and to provide or disclose such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and /or his account as may be required or directed by any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any regulatory or revenue authority empowered by law in that behalf or as may be required for compliance with any obligations in law or for enforcement of any of its rights or for protection of its interest without reference or recourse to the other provided however that save and except as mentioned hereinabove, the Issuer shall not divulge or permit or suffer to be disclosed any such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account, to any party or person and shall hold such details, particulars, data and information in strict confidence.
- 20 Change in address
- 20.1 The Issuer shall inform IIDIL of any proposed change in the address of the Registered Office of the Issuer as also of any change of the location of the premises where the equipment for maintenance of computerised records, back-up facilities and communication with IIDIL are situated, atleast 30 (thirty) days before the date of such change.
- 21 Back-up facilities
- 21.1 The Issuer shall strictly follow the back-up procedure recommended by IIDIL. A copy of the latest back-up of the database shall at all times be maintained at a remote site. IIDIL shall not be liable to the Issuer for any loss or damage arising out of failure on the part of the Issuer to maintain up to date back-up of the computer programme and the relevant data.
- 21.2 The Issuer shall permit access to any person/s designated by IIDIL to inspect its back-up facilities and shall make available to IIDIL such extracts or reports of the records maintained at the said back-up facilities as may be required by IIDIL.
- 22 Disaster Recovery Plan
- 22.1 The Issuer shall forthwith inform IIDIL of any loss or failure of connectivity between the Issuer and IIDIL.
- 22.2 The Issuer shall strictly adhere to such plan, scheme or procedure (to be known as “Disaster Recovery Plan”) as IIDIL may specify in that behalf for meeting any situation or eventuality resulting in loss of connectivity or failure of communication, loss or corruption of data or loss or damage to equipment, hardware or software whether by reason of any technical failure, unauthorised access, calamity, accident, sabotage or disaster or otherwise.
- 23 Redressal of grievances / complaints of beneficial owners
- 23.1 All grievances/complaints of beneficial owners in respect of the said securities as pertain to the matters within the exclusive domain or control of the Issuer shall be attended to and resolved by the Issuer within 30 (thirty) days of such grievance/complaint being brought to the notice of the Issuer and in respect of all

other grievances/complaints the Issuer shall expeditiously pursue the resolution of the grievance/complaint with IIDIL and the concerned participant/s or the Clearing Corporation as may be necessary in that behalf. The Issuer shall keep the depository informed about the number and nature of grievances redressed by it and the number of grievances pending before it.

24 Prohibition against Assignment etc.

- 24.1 The functions, rights or obligations under this Agreement shall not be assigned or delegated to any party or person (including any Registrar to an Issue and/or Share Transfer Agent) by the Issuer without the express prior written consent of IIDIL. Any purported assignment or delegation in contravention of the terms of this Agreement shall be null and void.

25 Indemnity

- 25.1 The Issuer agrees and undertakes to indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its employees or servants from and against all claims, demands, penalties, suits, action, litigation, arbitration, prosecution and any proceedings whatsoever and all costs, charges and expenses relating thereto and any harm, loss, damage or injury suffered or incurred by IIDIL and/or any of its participants by reason of or as a consequence of the Issuer furnishing any false or incorrect information to IIDIL or permitting dematerialisation or rematerialisation of securities in breach of any order, decree, injunction, covenant or law in force or permitting dematerialisation of securities on the strength of certificates or documents which are found to be forged, counterfeit, fake or cancelled or in respect of which duplicates / replacements / renewals have been issued or the Issuer otherwise committing any default in observance of its obligations under the Bye Laws or Operating Instructions or under this Agreement.
- 25.2 IIDIL agrees and undertakes to indemnify and keep indemnified and saved harmless the Issuer from and against all harm, loss, damage or injury, claims, demands, suits, actions, litigations, prosecutions and all other proceedings whatsoever and all cost, charges and expenses relating thereto suffered and incurred by the Issuer by reason of or as a consequence of any breach, default or negligence on the part of IIDIL, its employees or servants in complying with its obligations under the Act, the Regulations, the Bye Laws, this Agreement or Operating Instructions.

26 Stamp duty

- 26.1 Any stamp duty (including interest or penalty levied thereon) payable on this Agreement and/or any deed, document or writing executed in pursuance hereof between the parties hereto shall be borne and paid by the Issuer.

27 Force Majeure etc.

- 27.1 Notwithstanding anything contained herein or in the Bye Laws, neither party hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, non-performance or delay in performance of any obligations under this Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.

28 Service of Notice

- 28.1 Any notice or communication required to be given under this agreement shall be in writing, and shall be legally effective only when it is delivered to the addressee at the last known address in the manner prescribed in the operating instructions.

29 Severability

- 29.1 If any provision of this Agreement shall be held or adjudged by any competent court, tribunal or regulatory authority to be unlawful, void or unenforceable or if any such provision is rendered void or unenforceable by reason of any statutory amendment, notification or any judicial decision, such provision shall to the extent required be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as possible without modifying the remaining provisions of this Agreement but shall not in any way effect the validity or enforcement of the rest of the provisions of this Agreement which shall continue to apply with full force and effect.

- 30 Amendments/Modifications at IFSCA's instance to be binding
- 30.1 The parties hereto shall be bound by any additions, alterations, modifications, amendments or deletions to this Agreement or to any provisions thereof as may be required or directed by IFSCA and shall execute all such deeds, documents or writings as may be required for giving effect thereto.
- 31 No Waiver
- 31.1 Neither party hereto shall be deemed to have waived, abandoned or relinquished any right, power, privilege or remedy available to it under this Agreement or in law except by a writing executed in that behalf and no failure or delay on the part of any of the parties hereto in the exercise of such right, power, privilege or remedy shall operate as a waiver thereof or as a waiver of any preceeding or succeeding breach by the other party to this Agreement nor shall any single or any partial exercise of any right, power, privilege or remedy preclude any other or further exercise of such or any other right, power, privilege or remedy available under this Agreement or otherwise available in law or in equity it being agreed that all such rights, powers, privileges and remedies are several and cumulative of each other.
- 32 Arbitration and Conciliation
- 32.1 The parties hereto shall, in respect of all disputes and differences that may arise between them, abide by the provisions relating to arbitration and conciliation specified under the Bye Laws. The place of arbitration shall be Gandhinagar.
- 33 Governing Language
- 33.1 All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the parties hereto in relation to the subject matter of this Agreement shall be in English language, which shall be the governing language between the parties hereto.
- 34 Governing Law
- 34.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in India.
- 35 Jurisdiction
- 35.1 The parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Gandhinagar.
- 36 Headings
- 36.1 The headings in this Agreement are for convenience and reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.
- 37 Interpretation
- 37.1 Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa and any reference to any statute, enactment or legislation or any provision thereof shall include any amendment thereto or any re-enactment thereof.
- 38 Execution of Agreement
- 38.1 This Agreement is executed in duplicate and a copy each shall be retained by each of the parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set and subscribed their respective hands and seals to this Agreement in duplicate on the day, month, year and place first hereinabove mentioned.

SIGNED AND DELIVERED)
 by the within named "IIDIL")
 India International Depository IFSC Limited)
 by the hand of its authorised)
 representative Shri [•])
 in the presence of)
 1.)
 2.)

SIGNED AND DELIVERED)
 by the within named "Issuer")
 [•])
 by the hand of its authorised)
 epresentative Shri [•])
 in the presence of)
 1.)
 2.)

ANNEXURE F

Important Instructions:

1. Agreements should be executed on the stamp paper of such amount as may be specified from time to time under applicable law.
2. All pages of the agreement should be stamped and signed.
3. Name and signature of the witness should be present on the last page of Agreement.
4. All the copies should be stamped and signed in Original.
5. Date of execution of agreement will be entered by IIDIL, after obtaining necessary approvals for admitting the company. If the agreement is received with the date mentioned on it, same would be rejected and issuer, RTA has to execute a new agreement.

In case any clarification is required kindly contact Issuer Admission Cell on [•]

TRIPARTITE AGREEMENT BETWEEN INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED, ISSUER AND ITS RTA

This Agreement made and entered into at [•] this [•] day of [•] between:

INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its Registered Office at Unit-310 & 311, 3rd Floor, Signature Tower Block-13, Road 1C, Zone-1, GIFT SEZ, Gift City Gandhinagar- 382355 (hereinafter called “IIDIL”) OF THE FIRST PART;

AND

[•] (description of the legal entity), having its office/ registered office at [•], (hereinafter called “the Issuer”) OF THE SECOND PART;

AND

[•] (description of the legal entity of the Registrar to an Issue and/or Share Transfer Agent) having his/ its office / registered office at [•] (hereinafter called “the RTA”) OF THE THIRD PART.

WHEREAS IIDIL has agreed to declare the securities such as shares, stocks, bonds, debentures or other marketable securities(hereinafter referred to as “securities”) issued by the issuer from time to time as being eligible to be held in dematerialized form in IIDIL.

AND WHEREAS the Issuer is desirous of entering into an agreement with IIDIL to facilitate the holding and transfer of securities in dematerialised form in IIDIL, which IIDIL has agreed to do.

AND WHEREAS the RTA has been granted a certificate of registration bearing number dated [•] by the International Financial Services Centres Authority (“IFSCA”) under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (“IFSCA Act”) read with the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (“MII Regulations”).

AND WHEREAS the Issuer has appointed the RTA to act as its registrar to an issue and/or share transfer agent in respect of the securities in dematerialised form.

NOW THEREFORE in pursuance of IFSCA Act and the MII Regulations, and in consideration of the mutual promises herein contained, the parties hereto do hereby agree and covenant with each other as follows:

1 General Clauses

- 1.1 Words and expressions used but not defined in these Bye Laws but defined under Applicable Law shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by IFSCA and / or Central Government thereunder read with Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 (to the extent applicable), and rules, regulations, circulars, notifications issued therein, the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations 2021 and circulars or guidelines or directions issued by the IFSCA and / or Central Government thereunder, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and rules and regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and rules, regulations, directions or guidelines thereunder, Depositories Act, 1996 and rules and regulations thereunder.

- 1.2 Unless otherwise warranted by the context or meaning thereof, the words or expressions “Beneficial Owner”, “Issuer”, “Participant”, and “RTA” used herein shall mean a Beneficial Owner, Issuer, Participant and Registrar to an Issue or Share Transfer Agent (as the case may be) respectively in relation to IIDIL and the terms “Act”, “Regulations”, “Bye Laws” and “Operating Instructions” shall mean “The International Financial Services Centres Authority Act, 2019”, “the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021”, Bye-Laws of IIDIL and the Operating Instructions issued by IIDIL respectively.
- 1.3 The Issuer and RTA shall be bound by the IFSCA Act and the MII Regulations and agree to abide by the Bye Laws and the Operating Instructions issued from time to time by IIDIL in the same manner and to the same extent as if the same were set out herein and formed part of this Agreement.
- 1.4 The Issuer and the RTA shall continue to be bound by the Bye Laws and Operating Instructions, even after ceasing to be an Issuer or RTA as the case may be, in so far as may be necessary for completion of or compliance with his/its obligations in respect of all matters, entries or transactions which the Issuer and the RTA may have carried out, executed, entered into, undertaken or may have been required to do, including pending requests for dematerialisation or rematerialisation of securities before ceasing to be an Issuer or RTA and which may have remained outstanding, incomplete or pending at the time of his/its ceasing to be an Issuer or RTA, as the case may be.
- 1.5 The obligations on the part of the Issuer/RTA herein contained are a reiteration of and/or are in addition to the obligations contained in the Bye Laws and the Operating Instructions, and the omission of one or more of such obligations from this Agreement shall not in any manner be construed as a waiver of such obligations as are not herein contained.
- 2 Costs, Fees and Charges
 - 2.1 The Issuer and RTA shall individually pay to IIDIL such fees, costs, charges and deposits as may be specified in the Operating Instructions for Issuers/RTAs issued by IIDIL from time to time. In the event of the Issuer/RTA failing to make payment of any such fees, costs, charges or deposits, as the case may be, on or before the respective due dates, IIDIL shall be entitled to charge interest on any delayed payments at the rate as may be prescribed by IIDIL.
- 3 Unique Identification Number
 - 3.1 IIDIL shall allocate a unique identification number to the Issuer (“Issuer ID”) and the RTA (“RTA ID”).
- 4 Hardware and Software to be installed by the RTA
 - 4.1 The RTA shall install at his/its premises allocated for IIDIL related activities such computers, printers, communication equipment and uninterruptible power supply units, systems software and any other equipment, hardware and software as may be specified by IIDIL from time to time.
 - 4.2 It is further agreed that unless supplied directly by IIDIL or his/its agents, all computers, communication equipment, printers, uninterruptible power supply units and all other hardware and software procured by the RTA shall be of the specified configuration and shall be sourced only from IIDIL empanelled brands or any other brand which has been approved by IIDIL in writing prior to such procurement.
 - 4.3 The above hardware and software set-up shall be utilized by the RTA exclusively for IIDIL specific application module and even if there be any spare processing or data storage capacity, the same shall not be used for any other application including the RTA’s back-office systems or operations.
 - 4.4 The above hardware shall not be connected by the RTA to his/ its inter- office WAN (Wide Area Network) without the prior written permission of IIDIL. IIDIL reserves the right to deny such permission if, in his/its opinion, granting such permission involves violation of conditions relating to the operations of IIDIL’s own WAN as stipulated by Department of Telecommunications or if in permitting the same, IIDIL apprehends any risk to the integrity of his/its WAN or for any other reason as may be deemed fit by IIDIL.
 - 4.5 The RTA shall, from time to time, at his/its own cost, carry out such addition, modification, upgradation or replacement of the said hardware and/or software as may be specified by IIDIL.
- 5 Connectivity and Systems
 - 5.1 The RTA and IIDIL shall establish and maintain a continuous electronic means of communication with each other.

- 5.2 IIDIL shall provide necessary Operating Instructions from time to time to the RTA, as may be necessary for effective and prompt conduct of the business relating to depository operations.
- 5.3 The RTA shall, in respect of his/its operations as the RTA in IIDIL, procure and maintain at his/its own cost such systems, procedures, means of communication, infrastructure, hardware, software, security devices and back-up facilities as IIDIL may specify and shall upgrade or replace the same from time to time as may be specified by IIDIL.
- 5.4 The RTA shall comply with all systems and procedures recommended by IIDIL and shall allow access to his/its systems to one or more teams of professionals with expertise or specialized skill in auditing the performance of computerised systems (called "Systems Audit Teams") designated by IIDIL for periodic assessment of compliance with systems and procedures.
- 6 Effective date of commencement of dematerialisation and rematerialisation
 - 6.1 The effective date of commencement of dematerialisation, rematerialisation and transfer of securities in dematerialised form in respect of the securities shall be on or after the date of execution of this Agreement.
- 7 Information / Documents to be furnished by the RTA to IIDIL
 - 7.1 The RTA shall, furnish to IIDIL, a copy of the letter approving listing and permitting commencement of trading in respect of the securities issued by the concerned stock exchange within 5 (five) days from the date hereof and in the event of any fresh issue of securities ranked pari passu with the existing securities within 5 (five) days from the date of issuance of such letter.
 - 7.2 The RTA shall provide information to IIDIL:
 - 7.2.1 of all further issues in respect of the securities, if any, such as rights, bonus, public offerings etc., with all relevant details such as opening and closing dates, issue size, issue price, record date, book closure date, proportion, pari passu status etc., along with a copy of the offer document;
 - 7.2.2 of the date from which new securities arising out of conversions, further issues, final call payments, etc., become pari passu with his/its existing securities;
 - 7.2.3 of any other corporate action.
 - 7.3 Such information shall be furnished to IIDIL on the same day on which it is required to be furnished to any stock exchange where the securities is listed and in all other cases within 2 (two) working days of the Issuer taking a formal decision in that behalf.
- 8 Details / Particulars to be furnished by IIDIL
 - 8.1 IIDIL shall furnish to the Issuer/RTA the details/particulars of beneficial owners as of the record date. Such details/particulars shall be provided by IIDIL within such time as may be specified in the Operating Instructions.
 - 8.2 IIDIL shall furnish to the Issuer/RTA the details/particulars of the beneficial owners for updating the records of the Issuer/RTA at such frequency as may be specified in the Operating Instructions.
 - 8.3 In addition to the above, IIDIL may in its discretion provide, as and when required by the Issuer/RTA, on payment of such charges as may be specified by IIDIL, details of beneficial owners as well as the pending requests for Dematerialisation and Rematerialisation and any other details or particulars in respect of the securities.
- 9 Dematerialisation
 - 9.1 IIDIL will electronically intimate, on a daily basis, all dematerialisation requests received from its participants to the RTA.
 - 9.2 Upon receipt of the Dematerialisation Request Form ("DRF") along with the securities of which dematerialisation is sought, the RTA shall firstly verify the validity and authenticity of the certificates or other documents of title to the securities and accuracy of the contents of the DRF and secondly, shall confirm from his/its records that such dematerialisation has been required by the person whose name appears as the holder of those securities in the register of securities maintained by the RTA in respect of those securities.
 - 9.3 The RTA undertakes that the data pertaining to the securities to be dematerialized received from participants through IIDIL shall be validated against the database of securities maintained by the Issuer and/or RTA and that only valid securities with clear title shall be permitted to be dematerialised.

- 9.4 After verification as aforesaid, the RTA shall intimate IIDIL authorising a credit in dematerialised form in respect of the concerned securities in favour of the beneficial owner. On receipt of such intimation, IIDIL shall cause the necessary credit entry to be made in the account of the beneficial owner concerned. No credit of any securities to the account of any beneficial owner shall be made unless IIDIL has received an intimation from the RTA as set out hereinabove.
- 9.5 The RTA undertakes that no dematerialisation request shall be accepted by it or intimated to IIDIL in respect of any securities so long as the same are subject to any restraint, injunction, prohibition or attachment under any direction, order or decree of any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any statutory or revenue authority empowered in that behalf or which are by law or under the terms and conditions of issuance thereof, prohibited from being transferred.
- 9.6 The RTA shall electronically intimate IIDIL regarding the confirmation or rejection, whether in part or in whole, of every dematerialisation request within such period as prescribed under the Bye Laws/Operating Instructions of IIDIL.
- 9.7 The RTA shall in all cases retain the DRF with it for such period as may be specified by law in that behalf subject to a minimum period of 5 (five) years.
- 9.8 The RTA shall not refuse or reject any request for dematerialisation of any securities into IIDIL save and except for the following reasons:
- 9.8.1 the certificates or other documents of title to the securities are found to be stolen, forged, fabricated or counterfeit;
 - 9.8.2 the Issuer or the RTA has been served with or intimated of any decree, order or direction of any court, tribunal, IFSCA, Central or State Government or other statutory or revenue authority prohibiting or restraining transfer of those securities including any order of attachment, distress or execution in respect thereof;
 - 9.8.3 in case duplicate certificates or other documents of title with the same distinctive numbers have already been issued in lieu of the original certificates/documents of title submitted for dematerialisation;
 - 9.8.4 the securities in respect of which dematerialisation is sought are subject to any restriction or prohibition on transfer thereof under any law in force for the time being or under the terms and conditions of the issuance thereof;
 - 9.8.5 any other reason as may be specified by IIDIL in its Operating Instructions.
- 9.9 The RTA shall return to the concerned participant the certificates and/or other documents of title to such of the securities submitted for dematerialisation as are rejected by the RTA provided however that in the event of dematerialisation in part or in whole being rejected for any of the reasons set out in clause 9.8 above, the certificates relating to those securities shall be retained by the RTA and shall be dealt with by the RTA in accordance with law.
- 9.10 In all cases where the RTA rejects any request for dematerialisation of any securities in whole or in part, the RTA shall communicate in writing to the concerned participant the precise reason for such rejection.
- 9.11 The RTA shall, forthwith send intimation to the concerned stock exchange where the dematerialised securities are listed giving particulars of the securities which have been dematerialised in such format as may be specified by the concerned stock exchange.
- 9.12 Every intimation to IIDIL permitting dematerialisation of any securities, shall be deemed to be backed by a joint and several representation and assurance by the Issuer and the RTA to IIDIL that such securities exist, are validly issued and stand in the records of the Issuer and/or the RTA in the name of the beneficial owner who has sought dematerialisation in respect of those securities.
- 9.13 The Issuer and the RTA accept full responsibility for cancellation, mutilation or destruction of certificates and/or other documents of title to securities received and accepted by them for dematerialisation and for the safe custody thereof pending cancellation, mutilation or destruction.
- 9.14 The Issuer and/or the RTA agrees and undertakes that the record of certificates of securities which have been dematerialised will be maintained by the Issuer and /or the RTA in such manner as may be specified in the Bye Laws and Operating Instructions and shall, upon termination of this Agreement or upon the RTA ceasing to act as such in respect of the securities, entrust all such records to the care and custody of the Issuer.

- 9.15 The Issuer/RTA shall not permit dematerialisation of any eligible securities admitted into IIDIL unless and until the Issuer/RTA ascertain that all necessary permissions, sanctions, approvals from the concerned authority/ies including, but not limited to, stock exchange/s, Ministry of Company Affairs, Registrar of Companies, RBI, IFSCA or any other relevant authority, have been obtained and the procedures as laid down in the Operating Instructions and/or any communication issued by IIDIL from time to time in that behalf have been duly complied with.
- 9.16 The Issuer/RTA confirms that such dematerialisation is not in contravention with the provisions of the Act, Regulations, these Bye Laws and Operating Instructions issued by IIDIL from time to time.
- 9.17 The Issuer/RTA shall at all times strictly ensure that the aggregate of securities under each ISIN in dematerialised form held in the depositories, including IIDIL, and the securities held in physical form is not higher than the securities which are listed on the stock exchanges and in case of unlisted securities, the aggregate of securities under each ISIN in dematerialised form held in the depositories, including IIDIL, together with the securities held in physical form is not higher than the securities duly allotted in accordance with law and duly notified to the office of the Registrar of Companies and/or any other authority empowered in that behalf by filing such forms, declarations, undertakings and other writings within such period and in such manner as may be prescribed in law. The Issuer/RTA shall carry out reconciliation on daily basis. Provided however that the provisions of this Bye Law shall not be applicable to securities issued by the Public Sector Undertakings where the securities held by the Central or the State Government are not listed with the stock exchange/s.
- 10 Rematerialisation
- 10.1 On receipt of an electronic intimation by IIDIL from the Participant of his/its having received the Rematerialisation Request Form ("RRF") from a beneficial owner, IIDIL shall immediately block the balance of the relevant securities lying in the account of the concerned beneficial owner to the extent of the quantity for which rematerialisation is sought and shall intimate electronically all such rematerialisation requests to the RTA on a daily basis. Once the said balance is blocked as aforesaid, IIDIL shall not permit any debits or creation of any pledge or hypothecation in respect of the blocked securities pending rematerialisation.
- 10.2 On receipt of the RRF from the Participant, the RTA shall match the particulars contained in the RRF with the particulars made available by IIDIL on the computer system and upon satisfying itself as to the accuracy of the particulars set out in the RRF, the RTA shall confirm electronically to IIDIL and the concerned participant that the RRF has been accepted. Thereafter, the RTA shall dispatch the security certificates arising out of the rematerialisation request within a period of thirty days from the receipt of such RRF to the beneficial owner named in the RRF at the address set out therein taking such precautions as may be necessary against loss in transit.
- 10.3 On receipt of an intimation of acceptance of the RRF from the RTA, IIDIL shall reduce the security balances to the extent of the rematerialised securities in the concerned beneficial owner's account. The RTA shall send an intimation to this effect to every stock exchange where the rematerialised securities are listed. Such intimation shall be sent by the RTA at such periodic intervals as may be specified by the concerned stock exchange or in Operating Instructions
- 10.4 The RTA shall retain the RRF with it for such period as may be specified by law in that behalf subject to a minimum period of 5 (five) years.
- 10.5 The Issuer or the RTA may charge such amount by way of rematerialisation charges as may be agreed upon by the Issuer and/or the RTA and IIDIL.
- 11 Fresh Issue of Securities
- 11.1 Where, the Issuer makes any further issues of the securities, the Issuer and/or the RTA shall furnish to IIDIL allotment details in the manner required by IIDIL, of all beneficial owners who have opted for holding the newly allotted securities in dematerialised form in IIDIL.
- 12 Procedure where identity of Beneficial Owner is not established
- 12.1 In the event of an intimation being received by IIDIL from the Issuer and/or the RTA for credit of securities to the account of any beneficial owner whose identity cannot be established in IIDIL, IIDIL may reject such request and give details of such rejection for rectification by the Issuer and/or the RTA to be dealt with as may be deemed fit by the Issuer and/or the RTA.

13 Corporate Action / Benefits

- 13.1 IIDIL undertakes to provide a list of beneficial owners with relevant details to the Issuer and/or the RTA as of the book closure date /record date or any such date as may be specified from time to time. IIDIL shall indemnify the Issuer and /or the RTA for any loss that may be caused to the Issuer and /or the RTA by reason of any incorrect or inaccurate information relating to beneficial owners and/ or their holdings being furnished by IIDIL to the Issuer and/or the RTA.
- 13.2 The RTA shall, in respect of the securities, provide timely information to IIDIL about all corporate action including book closure date, record dates, dates for payment of interest or dividend, dates for the annual general meeting and other meetings, dates of redemption or maturity of securities, dates of conversion of debt into equity, dates of exercising warrants, call money dates, details of other corporate action such as merger, amalgamation or reconstruction of the Issuer, reduction of capital, forfeiture, re-issue, conversion of debt into equity, sub-division or consolidation etc. and such other information as may be specified by IIDIL from time to time.
- 13.3 The RTA shall be responsible for timely intimation of all corporate action to IIDIL and the accuracy thereof as also for distribution of all corporate benefits. The Issuer and the RTA shall also be jointly responsible for the accuracy of advice as to corporate benefits conveyed by the Issuer and/or the RTA to IIDIL. The Issuer and /or RTA shall indemnify IIDIL for any loss that may be caused to IIDIL by reason of any incorrect or inaccurate information furnished by the Issuer and/or RTA to IIDIL.

14 Disputes relating to dematerialisation etc.

- 14.1 Should any claim, demand or dispute be raised by any party or person in respect of any securities that have been dematerialised and credited to the account of any beneficial owner by IIDIL as per the intimation from the Issuer or the RTA or in respect of which any corporate benefits have been allotted by the Issuer and/or the RTA, the resolution of such claim, demand or dispute and the resultant liability, if any, arising therefrom, shall be the joint responsibility of the Issuer and the RTA and IIDIL shall not in any manner be liable, responsible or answerable in that behalf.
- 14.2 Should any claim, demand or dispute be raised by any party or person in respect of any securities that have been rematerialised, barring any error or inaccuracy in the particulars contained in the RRF, the resolution of such claim, demand or dispute and the resultant liability, if any, arising therefrom, shall be the joint responsibility of the Issuer and the RTA and IIDIL shall not in any manner be liable, responsible or answerable in that behalf.
- 14.3 It shall be the joint responsibility of the Issuer and the RTA to compensate any party or person aggrieved by reason of the Issuer and/or the RTA permitting dematerialisation or rematerialisation of any securities in respect of which any direction, order or decree of any court or tribunal or IFSCA or Central or State Government or any other statutory or revenue authority stopping or restraining transfer or any order of attachment or any other prohibitory order is in force at the time of such dematerialisation or rematerialisation and the same has been served upon or otherwise intimated to the Issuer and/or the RTA.

15 Reconciliation of Records

- 15.1 The RTA shall reconcile the record of dematerialised securities with all the securities issued by it, on a daily basis in accordance with the Bye Laws.

16 Inspection by IIDIL

- 16.1 IIDIL shall be entitled to carry out inspection of the facilities, systems, records and books of the RTA relating to all dealings of the Issuer with it through such persons as may be authorised in that behalf by IIDIL and the RTA shall permit the persons so authorised, entry into his/its premises during regular business hours on any working day and shall allow access to its facilities, systems, records and books and permit copies thereof to be made.

17 Events requiring immediate intimation by the Issuer to IIDIL

- 17.1 The Issuer shall notify IIDIL forthwith:
- 17.1.1 upon a petition for winding-up of the Issuer being presented in any court or a resolution being passed for winding up of the Issuer;
- 17.1.2 any scheme being framed for merger, amalgamation or reconstruction of the Issuer;

- 17.1.3 on its becoming aware of the presentation of any application or petition for its bankruptcy, insolvency, liquidation or attachment of its property;
 - 17.1.4 upon its becoming aware of any distress, execution, attachment or other process being threatened or levied by any statutory or revenue authority against the Issuer or its property for recovery of any taxes, duties, levies, penalties, cesses or dues;
 - 17.1.5 upon any application being presented to any court for attachment of the assets or properties of the Issuer;
 - 17.1.6 in case of any change in its financial conditions which may lead to its insolvency or winding-up or if it suffers a composition with its creditors;
 - 17.1.7 upon convening of any meeting to consider a resolution for the appointment of a liquidator or receiver or administrator in respect of any of its properties or any other change in circumstances which could materially affect the business of the Issuer;
 - 17.1.8 upon a receiver or administrator being appointed by any court in respect of the assets or properties of the Issuer;
 - 17.1.9 upon any notice being received by the Issuer from any stock exchange on which any securities issued by the Issuer are listed or permitted to be traded, suspending trading or terminating listing of such securities on that exchange, including any show- cause or other notice threatening such action;
 - 17.1.10 upon the Issuer becoming aware of any event or occurrence which is reasonably likely to materially affect its commercial viability or existence or its ability to perform its obligations under this Agreement;
 - 17.1.11 any increase in or reduction of share capital or any other securities issued by the Issuer, and all Corporate Actions proposed to be undertaken by the Issuer;
 - 17.1.12 any unreconciled balances reported during the process of reconciliation on a daily basis.
- 18 Events requiring immediate intimation by the RTA to IIDIL
- 18.1 The RTA shall notify IIDIL forthwith:
- 18.1.1 in case the RTA is an individual, in the event of his incapacity to act as such;
 - 18.1.2 in case the RTA is a partnership firm, in the event of dissolution of the firm or a notice being served under section 43 of the Indian Partnership Act, 1932 or a suit being filed under section 44 of the Indian Partnership Act, 1932;
 - 18.1.3 in case the RTA is a company or a body corporate, upon a petition for winding up being presented in any court or a resolution being passed for winding up of the RTA;
 - 18.1.4 any scheme being framed for merger, amalgamation or reconstruction of the RTA;
 - 18.1.5 on his/its becoming aware of the presentation of any application or petition for its bankruptcy, insolvency, liquidation or attachment of its property;
 - 18.1.6 upon his/its becoming aware of any distress, execution, attachment or other process being threatened or levied by any statutory or revenue authority against the RTA or his/its property for recovery of any taxes, duties, levies, penalties, cesses or dues;
 - 18.1.7 upon any application being presented to any court for attachment of the assets or properties of the RTA;
 - 18.1.8 in the case of any change in his/its financial conditions which may lead to its insolvency or dissolution or winding-up or if it suffers a composition with its creditors;
 - 18.1.9 upon the convening of any meeting to consider a resolution for the appointment of a liquidator or receiver or administrator in respect of any of its properties or any other change in circumstances which could materially affect its capacity to act as a RTA and/or share transfer agent;
 - 18.1.10 upon a receiver or administrator being appointed by any court in respect of the assets or properties of the RTA;
 - 18.1.11 in the event of the RTA being an intermediary (in any capacity other than as a registrar and/or transfer agent) as contemplated under applicable law, upon suspension or termination or de-registration of the RTA as such intermediary by IFSCA or any other regulatory body or authority empowered to do so;

- 18.1.12 upon the RTA becoming aware of any event or occurrence which is reasonably likely to materially affect his/its commercial viability or existence or its ability to perform its obligations under this Agreement or which constitutes a material adverse change in the eligibility criteria laid down by IFSCA or by other regulatory authority under any law in force for the time being;
- 18.1.13 any increase in or reduction of share capital or any other securities issued by the Issuer, and all Corporate Actions proposed to be undertaken by the Issuer;
- 18.1.14 any unreconciled balances reported during the process of reconciliation on a daily basis.
- 19 Authorised Representatives
- 19.1 The Issuer and the RTA shall, simultaneously with the execution of this Agreement furnish to IIDIL, a list of officials authorised by the Issuer and the RTA, who shall represent and interact on behalf of the Issuer and the RTA with IIDIL. Any changes in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to IIDIL.
- 20 Confidentiality
- 20.1 The parties hereto shall keep strictly confidential all technical and business information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this Agreement or under the Bye Laws and none of the parties hereto shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party hereto.
- 20.2 Any party hereto shall be at liberty to permit inspection or allow extracts to be made at any time of such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account to such extent and in such manner as may be required by any law in force for the time being and to provide or disclose such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account as may be required or directed by any court, tribunal, Central or State Government, IFSCA or any regulatory or revenue authority empowered by law in that behalf or as may be required for compliance with any obligations in law or for enforcement of any of its rights or for protection of its interest without reference or recourse to the other provided however that save and except as mentioned hereinabove, the Issuer and/ or the RTA shall not divulge or permit or suffer to be disclosed any such details, particulars, data or information relating to any beneficial owner and/or his account, to any party or person and shall hold such details, particulars, data and information in strict confidence.
- 21 Change in address
- 21.1 The Issuer and the RTA shall inform IIDIL of any proposed change in the address of the Office/ Registered Office of the Issuer and the RTA as also of any change of the location of the premises where the equipment for maintenance of computerized records, back-up facilities and communication with IIDIL are situated, at least 30 (thirty) days before the date of such change.
- 22 Back-up facilities
- 22.1 The RTA shall strictly follow the back-up procedure recommended by IIDIL. A copy of the latest back-up of the data base shall at all times be maintained at a remote site. IIDIL shall not be liable to the RTA for any loss or damage arising out of failure on the part of the RTA to maintain up to date back-up of the computer programme and the relevant data.
- 22.2 The RTA shall permit access to any person/s designated by IIDIL to inspect his/its back-up facilities and shall make available to IIDIL such extracts or reports of the records maintained at the said back-up facilities as may be required by IIDIL.
- 23 Disaster Recovery Plan
- 23.1 The RTA shall forthwith inform IIDIL of any loss or failure of connectivity between the RTA and IIDIL.
- 23.2 The RTA shall strictly adhere to such plan, scheme or procedure (to be known as "Disaster Recovery Plan") as IIDIL may specify in that behalf for meeting any situation or eventuality resulting in loss of connectivity or failure of communication, loss or corruption of data or loss or damage to equipment, hardware or software whether by reason of any technical failure, unauthorised access, calamity, accident, sabotage or disaster or otherwise.
- 24 Redressal of grievances / complaints of beneficial owners
- 24.1 All grievances/complaints of beneficial owners in respect of the securities as pertain to the matters within the exclusive domain or control of the Issuer/RTA shall be attended to and resolved by the Issuer/RTA

within 30 (thirty) days of such grievance/complaint being brought to the notice of the Issuer/RTA and in respect of all other grievances/ complaints the Issuer/RTA shall expeditiously pursue the resolution of the grievance/ complaint with IIDIL and the concerned participant/s or the Clearing Corporation as may be necessary in that behalf. The Issuer/RTA shall keep IIDIL informed about the number and nature of grievances redressed by it and the number of grievances pending before it.

25 Prohibition against Assignment etc.

25.1 The functions, rights or obligations under this Agreement shall not be assigned or delegated to any party or person by the RTA without the express prior written consent of IIDIL. Any purported assignment or delegation in contravention of the terms of this Agreement shall be null and void. For the purpose of this clause, any substantial change in the share holding pattern or the constitution of the Board of Directors or in the composition of the partnership of the RTA shall constitute an assignment of the business.

26 Joint Liability

26.1 Notwithstanding anything contained herein or in any agreement between the Issuer and the RTA, the Issuer and the RTA shall be jointly and severally responsible and liable to IIDIL, its participants and beneficial owners for compliance with all obligations under this Agreement as also under the Bye Laws and Operating Instructions.

27 Termination

27.1 Neither the Issuer nor the RTA shall terminate this Agreement or arrangement with each other in respect of the securities unless and until IIDIL shall have been intimated of the proposed termination at least 1 (one) month prior to the termination and the Issuer shall have either caused some other RTA to enter into a similar tripartite agreement with IIDIL or the Issuer shall have entered into a bipartite agreement with IIDIL in the manner specified in the Bye-Laws in respect of the securities. Upon failure of an Issuer to either cause some other RTA to enter into a tripartite agreement with IIDIL or itself enter into a bipartite agreement with IIDIL on or before the expiry of the stipulated period, the Issuer shall be deemed to have entered into bipartite agreement with IIDIL and IIDIL shall create an RTA ID for that issuer with description as "Issuer Name – Closed/Non-Functional/Terminated RTA" and the link of ISIN of the Issuer shall be changed from its existing RTA ID to the new RTA ID of "Issuer Name Closed/Non-Functional/Terminated RTA". The dematerialisation and rematerialisation requests will not be processed till Issuer appoints another RTA who in turn enters into a tripartite agreement or Issuer enters into a bipartite agreement with IIDIL.

27.2 IIDIL may, at any time, terminate this Agreement if it is of the opinion that the RTA is in breach or default of the Act, Regulations, Bye-Laws or Operating Instructions or of the terms and conditions of this Agreement contained herein or is otherwise conducting itself in a manner which is not conducive to the orderly functioning of IIDIL. In such event, IIDIL shall issue a notice of termination to the RTA effective upon the expiry of 30 (thirty) days from the date of service on the RTA and shall simultaneously serve notice on the Issuer calling upon the Issuer to either cause some other RTA/Share Transfer Agent, as the case may be, to enter into a similar tripartite agreement with IIDIL or itself enter into a bipartite agreement with IIDIL on or before the expiry of the said period of 30 (thirty) days. Upon failure of an Issuer to either cause some other RTA to enter into a tripartite agreement with IIDIL or itself enter into a bipartite agreement with IIDIL on or before the expiry of the stipulated period, the Issuer shall be deemed to have entered into bipartite agreement with IIDIL and IIDIL shall create an RTA ID for that issuer with description as "Issuer name – Closed/Non-Functional/Terminated RTA" and the ISIN of the issuer shall be changed from its existing RTA ID to the new RTA ID of "Issuer name - Closed/Non-Functional/Terminated RTA". The dematerialisation and rematerialisation requests will not be processed till the Issuer appoints another RTA who in turn enters into a tripartite agreement or the Issuer enters into a bipartite agreement with IIDIL.

27.3 In the event of termination as aforesaid, the RTA shall be required to meet all its outstanding obligations to IIDIL, whether incurred while the RTA was acting as such or incurred thereafter but arising out of any action, transaction or dealings by the RTA during the subsistence of this Agreement provided however that in the event of the RTA failing to carry out its outstanding obligations as aforesaid, the Issuer shall itself carry out such outstanding obligations.

27.4 Notwithstanding termination of this Agreement by IIDIL or by the RTA, the provisions of this Agreement and all mutual rights and obligations arising therefrom shall, except in so far as the same is contrary to or inconsistent with such termination, continue to be binding on the parties in respect of all acts, deeds, matters and things done and transactions effected during the period when this Agreement was effective.

28 Indemnity

- 28.1 The Issuer and the RTA do jointly and severally agree and undertake to indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its employees or servants from and against all claims, demands, penalties, suits, action, litigation, arbitration, prosecution and any proceedings whatsoever and all costs, charges and expenses relating thereto and any harm, loss, damage or injury suffered or incurred by IIDIL and/or any of its participants by reason of or as a consequence of the Issuer and/or the RTA furnishing any false or incorrect information to IIDIL or permitting dematerialisation or rematerialisation of securities in breach of any order, decree, injunction, covenant or law in force or permitting dematerialisation of securities on the strength of certificates or documents which are found to be forged, counterfeit, fake or cancelled or in respect of which duplicates/ replacements / renewals have been issued or the Issuer and/or the RTA otherwise committing any default in observance of its obligations under the Bye Laws or Operating Instructions or under this Agreement.
- 28.2 IIDIL agrees and undertakes to indemnify and keep indemnified and saved harmless the Issuer and the RTA from and against all harm, loss, damage or injury, claims, demands, suits, actions, litigations, prosecutions and all other proceedings whatsoever and all cost, charges and expenses relating thereto suffered and incurred by the Issuer and the RTA by reason of or as a consequence of any breach, default or negligence on the part of IIDIL, its employees or servants in complying with its obligations under the IFSCA Act, the MII Regulations, the Bye Laws, this Agreement or Operating Instructions.

29 Stamp duty

- 29.1 Any stamp duty (including interest or penalty levied thereon) payable on this Agreement and/or any deed, document or writing executed in pursuance hereof between the parties hereto shall be borne and paid by the Issuer/RTA.

30 Force Majeure etc.

- 30.1 Notwithstanding anything contained herein or in the Bye Laws, none of the parties hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, nonperformance or delay in performance of any obligations under this Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, hacking, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.

31 Service of Notice

- 31.1 Any notice or communication required to be given under this agreement shall be in writing, and shall be legally effective only when it is delivered to the addressee at the last known address in the manner prescribed in the operating instructions.

32 Severability

- 32.1 If any provision of this Agreement shall be held or adjudged by any competent court, tribunal or regulatory authority to be unlawful, void or unenforceable or if any such provision is rendered void or unenforceable by reason of any statutory amendment, notification or any judicial decision, such provision shall to the extent required be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as possible without modifying the remaining provisions of this Agreement but shall not in any way effect the validity or enforcement of the rest of the provisions of this Agreement which shall continue to apply with full force and effect.

33 Amendments/Modifications at IFSCA's instance to be binding

- 33.1 The parties hereto shall be bound by any additions, alterations, modifications, amendments or deletions to this Agreement or to any provisions thereof as may be required or directed by IFSCA and shall execute all such deeds, documents or writings as may be required for giving effect thereto.

34 No Waiver

- 34.1 None of the parties hereto shall be deemed to have waived, abandoned or relinquished any right, power, privilege or remedy available to it under this Agreement or in law except by a writing executed in that behalf and no failure or delay on the part of any of the parties hereto in the exercise of such right, power, privilege or remedy shall operate as a waiver thereof or as a waiver of any preceeding or succeeding breach by the other party to this Agreement nor

shall any single or any partial exercise of any right, power, privilege or remedy preclude any other or further exercise of such or any other right, power, privilege or remedy available under this Agreement or otherwise available in law or in equity it being agreed that all such rights, powers, privileges and remedies are several and cumulative of each other.

35 Arbitration and Conciliation

35.1 The parties hereto shall, in respect of all disputes and differences that may arise amongst them abide by the provisions relating to arbitration and conciliation specified under the Bye Laws. The place of arbitration shall be Gandhinagar.

36 Governing Language

36.1 All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the parties hereto in relation to the subject matter of this Agreement shall be in English language, which shall be the governing language between the parties hereto.

37 Governing Law

37.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in India.

38 Jurisdiction

38.1 The parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Gandhinagar.

39 Headings

39.1 The headings in this Agreement are for convenience and reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.

40 Interpretation

40.1 Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa and words denoting the masculine gender shall include the feminine and vice versa and any reference to any statute, enactment or legislation or any provision thereof shall include any amendment thereto or any re-enactment thereof.

41 Execution of Agreement

41.1 This Agreement is executed in triplicate and a copy each shall be retained by each of the parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set and subscribed their respective hands and seals to this Agreement in triplicate on the day, month, year and place first hereinabove mentioned.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "IIDIL")

India International Depository IFSC Limited)

by the hand of its authorised)

representative Shri [•])

in the presence of)

1.

2.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "Issuer")

[•]) by the hand of its authorised)

representative Shri [•])

in the presence of)

1.

2.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "RTA")

[•]) by the hand of its authorised)

representative Shri [•])

in the presence of)

1.

2.

Important Instructions:

1. Agreement to be executed on the stamp paper of such amount as may be specified from time to time under applicable law.
2. All pages of the agreement should be stamped and signed.
3. Name and signature of the witness should be present on the last page of Agreement.
4. All the copies should be stamped and signed in original.

Agreement between India International Depository IFSC Limited and Vault Manager

This Agreement made and entered into at [•] this [•] day of [•], 20[•] between:

INDIA INTERNATIONAL DEPOSITORY IFSC LIMITED, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at Unit-310 & 311, 3rd Floor, Signature Tower Block-13, Road 1C, Zone-1, GIFT SEZ, Gift City Gandhinagar- 382355, (hereinafter called "IIDIL") OF THE ONE PART;

AND

[•] (description of the legal entity) having its office/ registered office at [•], (hereinafter called the "Vault Manager") OF THE OTHER PART.

WHEREAS IIDIL provides depository services in the International Financial Service Centre ("IFSC") in relation to Bullions to be held in dematerialized form (i.e in the form of Bullion Depository Receipts) in IIDIL.

AND WHEREAS the Vault Manager is mandatorily required to enter into an agreement with IIDIL for empanelment with IIDIL for carrying on vaulting business and providing facility for storage of Bullion in respect of which Bullion Depository Receipts to be issued by IIDIL, as per the applicable laws.

NOW THEREFORE in pursuance of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 ("IFSCA Act") read with the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 ("Bullion Exchange Regulations") and the Operating Guidelines on Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Vault Manager & Bullion Depository issued on August 25, 2021 ("Operating Guidelines"), and in consideration of the mutual promises herein contained, the parties hereto do hereby agree and covenant with each other as follows:

1 General Clauses

- 1.1 Words and expressions used but not defined in this Agreement but defined under applicable law shall have the same meaning respectively assigned to them under the said legislations in the following order of priority, the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and rules and regulations made thereunder by International Financial Services Centres Authority ("IFSCA") and / or Central Government thereunder read with the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, Operating Guidelines on Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Vault Manager & Bullion Depository issued on August 25, 2021 issued by the IFSCA and all other rules, regulations, instructions, orders, circulars, guidelines and/or directions issued/ may be issued by the IFSCA and/or Central Government from time to time.
- 1.2 The Vault Manager represents, covenants, warrants that it shall fulfil all the applicable laws in relation to its business and be bound by IFSCA Act read with Bullion Exchange Regulations and the Operating Guidelines and other applicable laws as may be applicable to its business carried out in IFSC and agree to abide by the Bye Laws and the Bullion Operating Instructions, notices, circulars, communications, directions, similar orders, issued from time to time by IIDIL in the same manner and to the same extent as if the same were set out herein and formed part of this Agreement.
- 1.3 The obligations on the part of the Vault Manager herein contained are a reiteration of and/or are in addition to the obligations contained in the Bye Laws and the Bullion Operating Instructions, and the omission of one or more of such obligations from this Agreement shall not in any manner be construed as a waiver of such obligations as are not herein contained.

2 Appointment of Vault Manager and exclusivity

- 2.1 Subject to the terms and covenants of this Agreement and relying, inter alia, upon the representations, warranties, covenants and undertakings of the Vault Manager as set out in this Agreement, IIDIL hereby agrees to appoint the Vault Manager, and Vault Manager accepts such appointment, to provide vaulting services to IIDIL in accordance with the terms of this Agreement.

- 2.2 Vault Manager hereby agrees and confirms that nothing in this Agreement shall limit IIDIL's right to appoint any other person/ entity for providing the same vaulting services as being provided to IIDIL by the Vault Manager under this Agreement.
- 3 Storing of Bullion
- 3.1 The Vault Manager agrees to store Bullion as identified in Schedule 1 to this Agreement and as may be agreed between IIDIL and Vault Manager from time to time and in the manner and subject to such security measures as may be prescribed by IIDIL/ IFSCA.
- 4 Duties and Obligations of Vault Manager
- The Vault Manager agrees and undertakes to:
- 4.1 comply with the "fit and proper criteria" specified under the Bullion Exchange Regulations and/or by IFSCA from time to time.
- 4.2 maintain the minimum net worth as may be prescribed by IFSCA from time to time.
- 4.3 pay a refundable security deposit to IIDIL on the execution of this Agreement of such amount as may be prescribed under the Operating Guidelines and agrees to furnish such further security deposits as may be prescribed by IIDIL/ IFSCA from time to time.
- 4.4 adopt the principles of good delivery prescribed by the Bullion Exchange/ IFSCA, from time to time.
- 4.5 always comply with eligibility requirements as may be prescribed under Bullion Exchange Regulations read with the Operating Guidelines, as amended from time to time and shall put in place appropriate internal systems and controls to monitor its compliance with the requirements prescribed under applicable laws.
- 4.6 meet vaulting standards specified under the Operating Guidelines and as specified by IIDIL and IFSCA from time to time, including standards in respect of response(s) to legitimate complaints about physical Bullion quality, minimum annual volume requirements and financial standards.
- 4.7 to adopt all the guidelines and the standard operating procedures as maybe specified by IIDIL / IFSCA from time to time.
- 5 Infrastructure requirements
- 5.1 The Vault Manager agrees and undertakes to have a reasonable facility, preferably subterranean and infrastructure for proper handling and storage of physical Bullion as mentioned under the Operating Guidelines, to the satisfaction of IIDIL.
- 5.2 Vault Manager undertakes to provide a fully secured indoor facility for the storage of Bullion as per specifications prescribed by IIDIL/ IFSCA. Such vault for physical Bullion must be accessible by an armoured vehicle, to the satisfaction of IIDIL.
- 5.3 Vault Manager agrees have adequate security personnel with required facilities for immediate communication in case of any unlawful entry, burglary, theft or damage or potential loss to the deposited physical Bullion, to the satisfaction of IIDIL.
- 5.4 Vault Manager shall make provision to accommodate two separate power supplies, one for main lighting/fans and other for sensors, cameras, etc. All electrical wiring inside vault shall be as per the state-of-the-art safety standards, to the satisfaction of IIDIL.
- 5.5 The Vault Manager agrees and undertakes that it shall, from time to time, at its own cost, carry out such addition, modification, upgradation or replacement of the infrastructure as may be specified by IIDIL/ IFSCA, to the satisfaction of IIDIL.
- 6 Hardware and Software installation by Vault Manager
- 6.1 Vault Manager shall install and maintain at its premises all systems, mechanism and related IT infrastructure required to provide encrypted transmission of information to IIDIL and system-based reconciliation of data between the Vault Manager and IIDIL, to the satisfaction of IIDIL.
- 6.2 The Vault Manager agrees to adhere to the guidelines developed by IIDIL from time to time regarding automatic data processing systems and record keeping, to the satisfaction of IIDIL, including but not limited to:
- 6.2.1 details of hardware, software and communications systems, their capability, function and location;

- 6.2.2 details of data storage and back up procedures and sites, their capability, function and location;
- 6.2.3 details of disaster recovery systems and procedures.
- 6.3 The Vault Manager agrees and undertakes that it shall, from time to time, at its own cost, carry out such addition, modification, upgradation or replacement of the said hardware and/or software as may be specified by IIDIL/ IFSCA, to the satisfaction of IIDIL.

7 Deposit and withdrawal of Bullion

- 7.1 The Vault Manager shall, at the time of deposit of the Bullion ensure that the physical Bullion meets the technical specifications as may be specified by the Bullion Exchange and IFSCA from time to time. In case of any dispute with respect to the technical specifications specified by the Bullion Exchange, the Vault Manager shall get the physical Bullion assayed by an assayer recognized and approved by IIDIL. Further, if the Vault Manager is of the opinion that the physical Bullion does not conform to any of the technical specifications specified by the Bullion Exchange pursuant to Applicable Laws, the Vault Manager shall make a written request to IIDIL to appoint an independent inspectors/assayer to examine such physical Bullion and express an opinion as to whether the physical Bullion is acceptable for good delivery purposes.
- 7.2 Vault Manager shall, before accepting physical Bullion from a depositor, ensure that the physical Bullion meets the technical specifications specified by the Bullion Exchange from time to time.
- 7.3 On receiving the physical Bullion, Vault Manager shall electronically provide following details of the said Bullion to IIDIL.
 - 7.3.1 Name & address of the Beneficial Owner.
 - 7.3.2 Details of the Vault Manager.
 - 7.3.3 Details of the refiner whose markings are engraved on the physical bars.
 - 7.3.4 The serial numbers provided by the refiner and engraved on the physical bars.
 - 7.3.5 The purity of the bar in parts per 1000 viz. 995/1000, 999/1000, 999.9/1000 etc.
 - 7.3.6 Weight of the physical bar denominated in grams, kilograms or ounces, as the case may be.

In addition to the aforesaid, the Vault Manager shall provide such further details of the Bullion being held in the vault as may be prescribed by IIDIL/ IFSCA from time to time, to the satisfaction of IIDIL.
- 7.4 The Vault Manager shall not make any change in the information contained in a Bullion Depository Receipt issued by IIDIL.
- 7.5 The Vault Manager shall share information regarding deposit and withdrawal of Bullion by the Depositor in such manner as prescribed by IIDIL from time to time and to the satisfaction of IIDIL.
- 7.6 The storage of Bullion and Bullion Depository Receipt by the Vault Manager shall be as prescribed under applicable law and to the satisfaction of IIDIL.
- 7.7 The withdrawal of Bullion from the vault and extinguishment of Bullion Depository Receipt shall be as per the procedure laid down under the Bye Laws, Bullion Operating Instructions, Operating Guidelines and as may be prescribed by IIDIL/ IFSCA from time to time, to the satisfaction of IIDIL.
- 7.8 On the withdrawal of Bullion from the Vault, the Vault Manager shall intimate the same to IIDIL.
- 7.9 Where the Vault Manager refuses or fails to deliver the Bullion in compliance with the provisions of the Bullion Exchange Regulations and / or Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions, the burden of proof shall lie on the Vault Manager to establish the existence of a lawful excuse for the refusal or failure.
- 7.10 The Vault Manager agrees and undertakes that it shall, from time to time, at its own cost, carry out such additional functions as may be specified by IIDIL/ IFSCA in relation to deposit and withdrawal of Bullion, to the satisfaction of IIDIL.

8 Refiners

- 8.1 Vault Manager shall with the consent of IIDIL maintain an integrated database of the refiners whose Bullion are to be acceptable towards trading on the Bullion Exchange, in the manner as specified by IFSCA from time to time.

- 8.2 The Vault Manager shall be responsible for establishing supply chain integrity by verifying the details of the refiner with the system-based electronic database provided by IIDIL of refiners accredited to the good delivery standards, as prescribed by the Bullion Exchange.
- 9 Appointment of compliance officer
- 9.1 The Vault Manager shall appoint a compliance officer or such other key personnel as may be required under the Bullion Exchange Regulations and/or Bye Laws and /or Bullion Operating Instructions and/or Operating Guidelines, from time to time, to ensure compliance with the IFSCA Act and the rules, regulations and guidelines framed thereunder.
- 10 Conduct
- In the conduct of its vaulting business, the Vault Manager agrees and undertakes that it shall:
- 10.1 deal only in physical Bullion that may be specified by IIDIL from time to time;
- 10.2 deliver the physical Bullion referred to in a Bullion Depository Receipt, to the holder of the Bullion Depository Receipt on demand made by the holder after satisfying the vaulting lien;
- 10.3 ensure that the Bullion Depository Receipt holder, on receiving the physical Bullion from the Vault Manager, acknowledges the receipt of the physical Bullion in a form and manner prescribed by IIDIL, to the satisfaction of IIDIL;
- 10.4 takes necessary actions to maintain the quality and quantity of physical Bullion stored in the vault;
- 10.5 inform IFSCA through IIDIL / Bullion Exchange of any damage to metal held in store by it, whenever such damage occurs to an extent that will render the metal undeliverable;
- 10.6 maintain and record a complete and accurate set of records and accounts of all transactions pertaining to the operation of a vault as per the requirements that IIDIL/ IFSCA may specify from time to time;
- 10.7 ensure that the physical inventory tallies exactly with the record on a daily basis;
- 10.8 seek prior approval of the authority for increasing the capacity or area of the existing vault;
- 10.9 maintain effective control of all vault storage space;
- 10.10 have adequate internal controls to prevent any manipulative activity;
- 10.11 carry out periodic checks to ensure that all the equipment are in working condition;
- 10.12 provide necessary assistance in the execution of inspections and audits by IFSCA;
- 10.13 resolve grievances, if any, efficaciously;
- 10.14 not differentiate among depositors regarding the use of and access to a vault;
- 10.15 not store physical Bullion belonging to itself in the vault;
- 10.16 not sell, remove or dispose or create any interest in the physical Bullion deposited in the vault, including by way of pledge or hypothecation, for the purpose of trading on the Bullion Exchange except as permitted IFSCA;
- 10.17 act with integrity, which includes adopting the best and responsible business practices;
- 10.18 conduct its vaulting business with due skill, care and diligence;
- 10.19 take reasonable care to organise and control its affairs effectively, with adequate risk management systems.
- 10.20 maintain adequate financial resources and records as may be prescribed under the Bullion Exchange Regulation and/or the Bye Laws and/or the Bullion Operating Instructions and/or the Operating Guidelines;
- 10.21 observe proper standards of market conduct.
- 11 Costs, Fees and Charges
- 11.1 The Vault Manager shall pay to IIDIL such fees, costs, charges, and deposits as may be specified by IIDIL from time to time for Vault Manager, including the fees/costs/charges/deposits which are specified by IFSCA or are required to be paid in terms of Applicable Laws. However, prior to the levy of any new/revised fees, costs, charges or deposits by IIDIL, IIDIL shall give a prior notice of 30 (thirty) days to the Vault Manager before levying of such fees, costs, charges or deposits. In the event of the Vault Manager failing to make payment of any such fees, costs, charges, or deposits, as the case may be, on or

before the respective due dates, IIDIL shall be entitled to charge interest/penalty/fines on any delayed payments at the rate as may be prescribed by IIDIL.

12 Inspection and access to premises

12.1 Vault Manager shall allow authorized personnel of IIDIL or any other external agency as may be identified by IIDIL ("External Agency"), for inspection pursuant to the Bye-Laws and/or under Applicable Laws and/or as directed by IFSCA, to have an access (physical or electronic) to premises, facilities, data systems, data storage sites and any other facilities related to the electronic data communication network connecting IIDIL with the Vault Manager to reconcile the Bullion Depository Receipts issued with the physical Bullion on the given day.

12.2 The Vault Manager shall, and shall cause its directors, officers, advisors, representatives and employees to produce before the inspecting officer appointed by IFSCA, IIDIL or the External Agency, as the case may be, for inspection, such books of accounts, records and other documents in their custody or control and furnish him with such statements and information relating to their activities as Vault Manager, as the inspecting officer may require, within such reasonable period as the inspecting officer may specify. The Vault Manager shall allow the inspecting officer to have reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining the books, records, documents and computer data in the possession of the Vault Manager or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the inspecting officer are relevant for the purposes of the inspection. The Vault Manager shall cause its directors, officers and employees to give to the inspecting officer all assistance in connection with the inspection, which the inspecting officer may reasonably require.

13 Insurance

13.1 The Vault Manager shall at all times ensure to fully cover under insurance, the value of physical Bullion stored in its vaults against all potential perils relevant to the Bullion for which insurance cover is available and necessary, to the satisfaction of IIDIL.

13.2 The Vault Manager shall undertake to keep insurance cover for risks such as fire and allied perils including flood, cyclone, earthquake and spontaneous combustion, burglary and theft and special perils covering riots, strikes, terrorism and also to keep adequate insurance to cover and mitigate additional risks as may be specified by IIDIL from time to time, to the satisfaction of IIDIL.

13.3 The Vault Manager shall take fidelity guarantee & crime insurance and professional indemnity cover, to cover all deliverable stocks of physical Bullion held by the Vault Manager.

13.4 The value of physical Bullion to be insured should be marked to market on replacement value on an ongoing basis.

13.5 Vault Manager shall provide information regarding the insurance coverage of the physical Bullion to IIDIL quarterly or at such interval as may be specified by IIDIL from time to time.

14 Confidentiality

14.1 The Vault Manager undertakes, on behalf of itself and all its employees including directors and agents, that it shall not reveal any information regarding customers who have dealings with the vault or regarding Bullion deposits or withdrawals by them to any person except as permitted by the IFSCA /Bullion Exchange/ IIDIL.

14.2 The Vault Manager shall establish such mechanism to protect the confidentiality of the users of the vaulting system as may be required by IFSCA/ IIDIL from time to time.

14.3 The parties hereto shall keep strictly confidential all technical and business information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this Agreement or under the Bye Laws and neither party hereto shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party hereto.

15 Segregation of activities

15.1 Where a Vault Manager is carrying on any activity besides vaulting services, then Vault Manager agrees to separate and segregate the activities relating to its business as Vault Manager from all other activities including earmarking separate space for storage of physical Bullion for trading of Bullion Depository Receipt and storage of goods for its other businesses related to precious metals.

-
- 16 Code of conduct
- 16.1 Vault Manager agrees and undertakes to abide by the Code of Conduct as set out under the Bullion Exchange Regulations, the Operating Guidelines, Bye Laws and/or Bullion Operating Instructions and/or as may be issued by IFSCA/ IIDIL from time to time.
- 17 Maintenance of records and its reconciliation
- 17.1 The Vault Manager shall maintain such records and returns for such period as may be prescribed by IIDIL/ IFSCA from time to time.
- 17.2 Vault Manager shall undertake physical reconciliation of deposited physical Bullion with the corresponding record of Bullion Depository Receipts with IIDIL from time to time as may be prescribed under the Bye Laws/ Bullion Operating Instructions.
- 18 Liability
- 18.1 Vault Manager shall have the liabilities as specified under the Bullion Exchange Regulations/ Operating Guidelines/ Bye Laws/ Bullion Operating Instructions.
- 19 Representation, Warranties and Covenants
- 19.1 The Vault Manager represents, warrants, covenants and undertakes to IIDIL on the date of execution of this Agreement until terminated in terms hereof:
- 19.1.1 the Vault Manager is duly organised, validly existing and good standing under the applicable laws and has the full power and authority, to enter into, execute and deliver this Agreement and to perform the transactions contemplated hereby;
- 19.1.2 the execution and delivery by the Vault Manager of this Agreement and the performance by the Vault Manager of the transactions contemplated hereby have been duly authorised by all necessary corporate or other action of the Vault Manager;
- 19.1.3 this Agreement constitutes the legal, valid and binding obligation of the Vault Manager, enforceable against the Vault Manager in accordance with its terms;
- 19.1.4 the Vault Manager has the necessary expertise, requirements, security parameters, eligibility criteria, finance, infrastructure and resources for carrying out its obligations under the applicable laws, including the Bullion Exchange Regulations, Operating Guidelines, Agreement/ Bye Laws/ Bullion Operating Instructions.
- 19.2 Notwithstanding anything to the contrary contained herein, each of the representations and warranties shall be separate and independent and, shall not be limited by reference to any other clause, paragraph or anything in this Agreement.
- 20 Indemnity
- 20.1 The Vault Manager agrees and undertakes to indemnify and keep indemnified and saved harmless IIDIL, its employees, agents, advisors, affiliates, members, director and officers from and against all claims, demands, penalties, suits, action, litigation, arbitration, prosecution and any proceedings whatsoever and all costs, charges and expenses relating thereto and any harm, loss, damage or injury suffered or incurred by IIDIL, directly or indirectly, including by a third party, by reason of or as a consequence of or arising out of any act or omission or breach or misrepresentation or default by the Vault Manager (including its employees, directors, members, partners, owners, agents, advisors, representatives, affiliates) of any of the terms of this Agreement, applicable laws, and/or furnishing of any false or incorrect information/misrepresentation to IIDIL or permitting deposit or withdrawal of Bullion in breach of any order, decree, injunction or covenant or law in force or the Vault Manager (or any of its employees including directors, managers, officers and agents) otherwise committing any default in observance of its obligations under the applicable laws including the Bullion Exchange Regulations, Operating Guidelines, Bye Laws or Bullion Operating Instructions or under this Agreement.
- 21 Term and Termination
- 21.1 This Agreement shall be valid from the execution date and shall continue unless terminated as provided below.
- 21.2 This Agreement may be terminated:
- 21.2.1 by either party by giving a prior notice of 30 (thirty) days to the other party; or
- 21.2.2 by mutual written agreement between the parties; or
- 21.2.3 immediately upon cancellation of registration of Vault Manager by IFSCA; or

- 21.2.4 immediately upon the Vault Manager surrendering the certificate of registration to IFSCA.
- 21.3 Upon termination of this Agreement for any reason whatsoever, the Vault Manager shall:
 - 21.3.1 immediately cease to provide vaulting services to IIDIL;
 - 21.3.2 immediately take necessary steps to ensure transfer of existing physical Bullion in its vault to another vault registered with IFSCA;
 - 21.3.3 continue to discharge its obligations in respect of existing physical Bullion deposit till the time such transfer of physical Bullion is completed;
 - 21.3.4 submit copies of all such documents/ records/ returns with IIDIL as may be so requested by IIDIL; and
 - 21.3.5 comply with all such directions as may be issued by IIDIL/ IFSCA in respect dealing with the existing physical Bullion.
- 22 Further assurance
 - 22.1 The Vault Manager undertakes that it shall, and shall cause its employees, agents, advisors, affiliates, members, director and officers, to execute/ furnish all such documents/ certificate/ information/ papers/ reports and/or take or cause to be taken all such further actions as may be required to fulfil the obligations under the terms of this Agreement and/or comply with the provisions of the applicable laws including the IFSCA Act, Bullion Exchange Regulations or the Operating Guidelines, and the Bye Laws and Bullion Operating Instructions issued by IIDIL and/or the directions/ orders of IIDIL, to the satisfaction of IIDIL, and any breach or non-compliance thereafter shall be to the sole account of the Vault Manager.
- 23 Stamp duty
 - 23.1 Any stamp duty (including interest or penalty levied thereon) payable on this Agreement and/or any deed, document or writing executed in pursuance hereof between the parties hereto shall be borne and paid by the Vault Manager.
- 24 Force Majeure
 - 24.1 Notwithstanding anything contained herein, however subject to the applicable laws including the Bullion Exchange Regulations, Operating Guidelines, Bye Laws, Business Rules, neither party hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, non-performance or delay in performance of any obligations under this Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.
- 25 Service of Notice
 - 25.1 Any notice or communication required to be given under this agreement shall be in writing, and shall be legally effective only when it is delivered to the addressee at the last known address in the manner prescribed in the Bullion Operating Instructions.
- 26 Severability
 - 26.1 If any provision of this Agreement shall be held or adjudged by any competent court, tribunal or regulatory authority to be unlawful, void or unenforceable or if any such provision is rendered void or unenforceable by reason of any statutory amendment, notification or any judicial decision, such provision shall to the extent required be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as possible without modifying the remaining provisions of this Agreement but shall not in any way effect the validity or enforcement of the rest of the provisions of this Agreement which shall continue to apply with full force and effect.
- 27 Amendments/Modifications at IFSCA's instance to be binding
 - 27.1 The parties hereto shall be bound by any additions, alterations, modifications, amendments or deletions to this Agreement or to any provisions thereof as may be required or directed by IFSCA and shall execute all such deeds, documents or writings as may be required for giving effect thereto.
- 28 No Waiver
 - 28.1 Neither party hereto shall be deemed to have waived, abandoned or relinquished any right, power, privilege or remedy available to it under this Agreement or in law except by a writing executed in that behalf and no

failure or delay on the part of any of the parties hereto in the exercise of such right, power, privilege or remedy shall operate as a waiver thereof or as a waiver of any preceding or succeeding breach by the other party to this Agreement nor shall any single or any partial exercise of any right, power, privilege or remedy preclude any other or further exercise of such or any other right, power, privilege or remedy available under this Agreement or otherwise available in law or in equity it being agreed that all such rights, powers, privileges and remedies are several and cumulative of each other.

29 Arbitration and Conciliation

29.1 The parties hereto shall, in respect of all disputes and differences that may arise between them, abide by the provisions relating to arbitration and conciliation specified under the Bye Laws. The place of arbitration shall be Gandhinagar.

30 Governing Language

30.1 All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the parties hereto in relation to the subject matter of this Agreement shall be in English language, which shall be the governing language between the parties hereto.

31 Governing Law

31.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in India.

32 Jurisdiction

32.1 The parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Gandhinagar.

33 Headings

33.1 The headings in this Agreement are for convenience and reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.

34 Interpretation

34.1 Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa and any reference to any statute, enactment or legislation or any provision thereof shall include any amendment thereto or any re-enactment thereof.

35 Execution of Agreement

35.1 This Agreement is executed in duplicate and a copy each shall be retained by each of the parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set and subscribed their respective hands and seals to this Agreement in duplicate on the day, month, year and place first hereinabove mentioned.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "IIDIL")

INDIA INTERNATIONAL)

DEPOSITORY IFSC LIMITED)

by the hand of its authorized)

representative Shri [•])

in the presence of)

1.

2.

SIGNED AND DELIVERED)

by the within named "Vault Manager")

[•])

by the hand of its authorized)

representative Shri [•])

in the presence of)

1.

2.

Schedule 1

Bullion shall mean gold and/or silver bars of such minimum quantity as may be prescribed by IFSCA from time to time, which are to be traded on the Bullion Exchange to whom IIDIL has agreed to provide depository services.